भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
Insolvency and Bankruptcy Board of India

Azadi Ka Amrit Mahotsav

# वार्षिक रिपोर्ट

2020-21

www.ibbi.gov.in

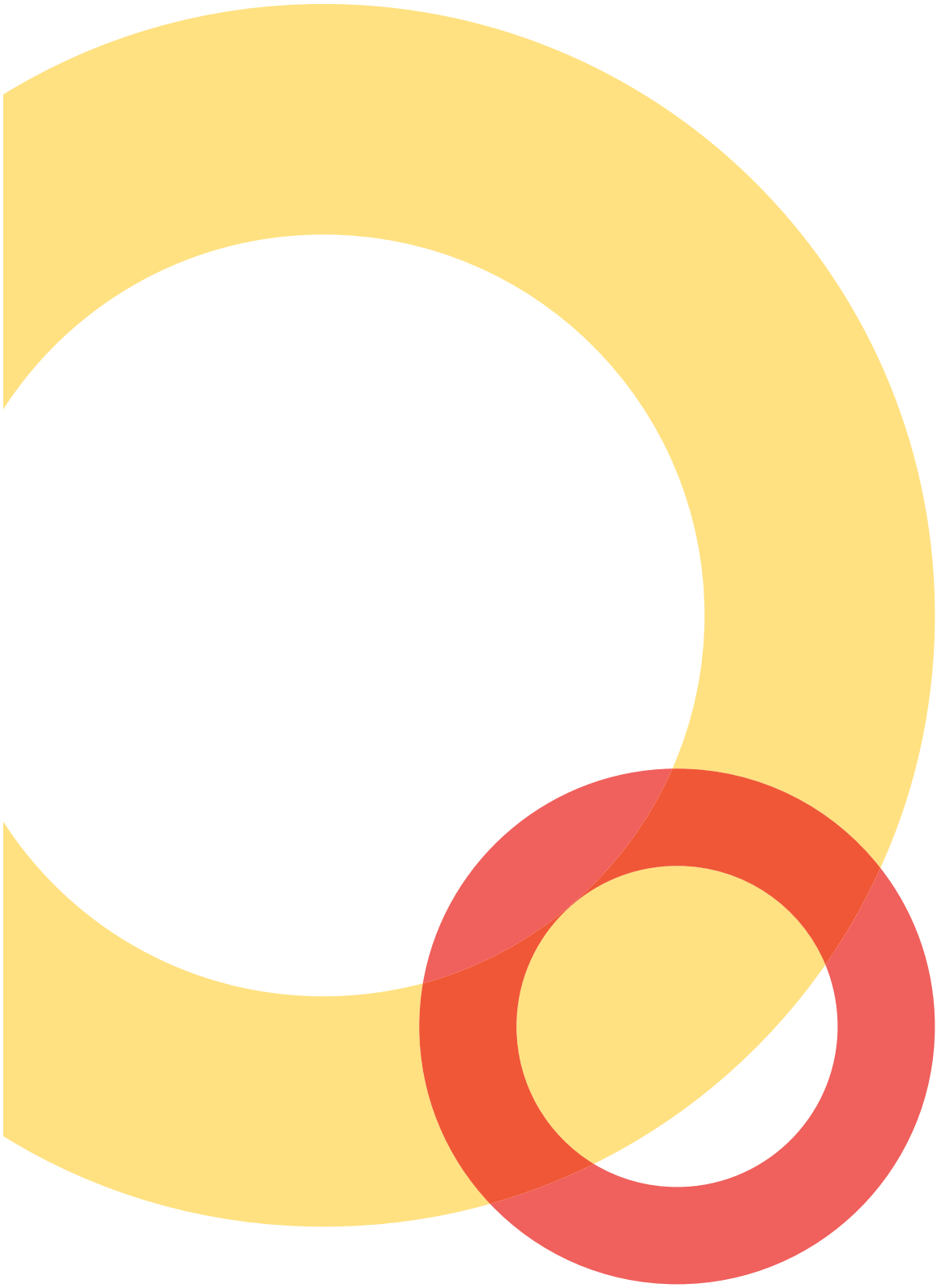

यह रिपोर्ट भारत के राजपत्र में तारीख 01 मई, 2018 को प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (वार्षिक रिपोर्ट) नियम, 2018 में विहित प्ररूप के अनुरूप है।

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
Insolvency and Bankruptcy Board of India

# वार्षिक रिपोर्ट
## 2020-21

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
www.ibbi.gov.in

# भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
# Insolvency and Bankruptcy Board of India

2 Floor, Jeevan Vihar Building, Parliament Street, New Delhi, 110001

Tel: +91 11 2346 2999, +91 11 2346 2900, +91 11 2346 2800 Web: www.ibbi.gov.in


बोर्ड-18011/1/2021-आई.बी.बी.आई.

31 दिसंबर, 2021

सचिव,
कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
'ए' विंग, शास्त्री भवन
नई दिल्ली - 110001

महोदय,

मैं, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 229 के उपबंधों के अनुसार, भारत के राजपत्र में तारीख 1 मई, 2018 को अधिसूचित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (वार्षिक रिपोर्ट) नियम, 2018 में विहित प्ररूप में भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड की 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक की अवधि के लिए वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति अग्रेषित करता हूँ।

भवदीय,

नवरंग सैनी

(डॉ. नवरंग सैनी)

संलग्न: उपरोक्तानुसार

BOARD-18011/1/2021-IBBI

31st December, 2021

The Secretary to Government of India

Ministry of Corporate Affairs

'A' Wing, Shastri Bhawan

New Delhi- 110 001

Dear Sir,

In accordance with the provisions of section 229 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, I forward herewith a copy of the Annual Report of the Insolvency and Bankruptcy Board of India for the period 1st April, 2020 to 31st March, 2021, in the form prescribed in the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Annual Report) Rules, 2018 notified on 1st May, 2018 in the Gazette of India.

Yours faithfully,

नवरंग सैनी

(Dr. Navrang Saini)

Encl.: As above.

# शासी बोर्ड

**(31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार)**

## अध्यक्ष

**डॉ. एम. एस. साहू**

## पूर्णकालिक सदस्य

**डॉ. नवरंग सैनी**

**डॉ. (सुश्री) मुकुलिता विजयवर्गीय**

**श्री सुधाकर शुक्ला**

## पदेन सदस्य

**डॉ. शशांक सक्सेना**
सलाहकार आर्थिक कार्य विभाग
वित्त मंत्रालय

**श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह**
संयुक्त सचिव
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

**डॉ. राजीव मणि**
संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार
विधिक कार्य विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय

**श्री उनिकृष्णन ए.**
विधि सलाहकार
भारतीय रिजर्व बैंक

## अंशकालिक सदस्य

**श्री बी. श्रीराम**
पूर्व प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

**डॉ. कृष्णामूर्ति सुब्रमण्यिन**
मुख्य आर्थिक सलहाकार
भारत सरकार

# आईबीबीआई के अधिकारी

(31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार)

**श्री रितेश कावड़िया**
ईडी

**डॉ अनुराधा गुरू**
ईडी

**श्री संतोष कुमार शुक्ला**
ईडी

**श्री देबज्योति रे चौधरी**
सीजीएम

**श्री राजेष कुमार गुप्ता**
सीजीएम

**श्री अप्पला सुब्रह्मण्यम**
सीजीएम

**श्री दिलीप अर्जुन खंडाले**
डीजीएम

**डॉ. कोकिला जयाराम**
डीजीएम

**श्री सुनील कुमार**
डीजीएम

**श्री सुशांत कुमार दास**
डीजीएम

**श्री रामचंद्र राव**
डीजीएम

**श्री बी. संकरनारायण**
डीजीएम

**श्री केशव कुमार गिरिधारी**
डीजीएम

**श्री नीतीश सैनी**
एजीएम

**श्री मयंक मेहता**
एजीएम

**श्री पंकज कुमार**
एजीएम

**श्री राहुल खन्ना**
एजीएम

**श्री अनिकेत शर्मा**
प्रबंधक

**श्री प्रतीक जैन**
प्रबंधक

**श्री पंकज धापोदकर**
प्रबंधक

**श्री राधा रमन कुमार**
प्रबंधक

**श्री अभिषेक मित्तपल्ली**
सहायक प्रबंधक

**श्री अंशुल अग्रवाल**
सहायक प्रबंधक

**सुश्री अर्चना षर्मा**
सहायक प्रबंधक

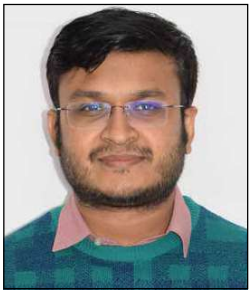

**श्री असित बेहरा**
सहायक प्रबंधक

**श्री दीपंषु सिंह**
सहायक प्रबंधक

**सुश्री मनप्रीत कौर**
सहायक प्रबंधक

**सुश्री मेधा शेखर**
सहायक प्रबंधक

**सुश्री नमिषा सिंह**
सहायक प्रबंधक

**श्री ओम प्रकाश**
सहायक प्रबंधक

**श्री ओमबीर सिंह**
सहायक प्रबंधक

**सुश्री पूजा सिंगला**
सहायक प्रबंधक

**श्री राघव माहेष्वरी**
सहायक प्रबंधक

**श्री राममिलन सिंह यादव**
सहायक प्रबंधक

**श्री एस के बेहरा**
सहायक प्रबंधक

**श्री सरम संतोष**
सहायक प्रबंधक

**श्री सौरव मनोहर सरदार**
सहायक प्रबंधक

**सुश्री तुहिना मार्डी**
सहायक प्रबंधक

**श्री विनय पाण्डेय**
सहायक प्रबंधक

**श्री यादविंदर सिंह**
सहायक प्रबंधक

# कार्यकारी निदेषक

**(31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार)**

| नाम | प्रभाग |
|---|---|
| श्री रितेश कावडिया | कारपोरेट दिवाला, कारपोरेट परिसमापन, स्थापना, मूल्यांकन परीक्षा, दिवाला परीक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी |
| डॉ. अनुराधा गुरु | अंतर्राष्ट्रीय मामले, बोर्ड सचिवालय, कार्यनीति, व्यक्तिगत दिवाला, व्यक्तिगत शोधन अक्षमता, राष्ट्रीय दिवाला कार्यक्रम, अनुसंधान और प्रकाशन, डेटा प्रबंधन और प्रसार, मानव संसाधन, संसद कक्ष, स्नातक दिवाला कार्यक्रम, संचार और आरटीआई, सतत व्यावसायिक शिक्षा, ज्ञान प्रबंधन और भागीदारी, समर्थन। |
| श्री संतोष कुमार शुक्ला | रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक, संगठन (आईयू, आईपीए, आईपीई, आरवीओ), दिवाला व्यावसायिक और दिवाला व्यावसायिक अभिकरण, निगरानी, जांच, परिवाद, वित्त और लेखा, विधिक मामले, न्यायनिर्णयन, न्यायालय की कार्यवाही। |

# विषयवस्तु

बॉक्स मदों की सूची ..... ix
सारणियों की सूची ..... ix
चित्रों की सूची ..... xi
संक्षेपाक्षर ..... xii

**खंड क : अध्यक्ष का कथन** ..... 1

**खंड ख : समीक्षाधीन वर्ष**

वृहत आर्थिक सन्दर्भ ..... 9
प्रमुख नीतिगत घटनाएं ..... 11

**खंड ग : नीतियां, कार्यक्रम और क्रियाकलाप**

**ग. 1 : सेवा प्रदाता**

दिवाला व्यावसायिक ..... 21
दिवाला व्यावसायिक एंटिटीज ..... 23
दिवाला व्यावसायिक अभिकरण ..... 23
सूचना उपयोगिताएं ..... 24
रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक ..... 25
रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन ..... 26
परिपत्र ..... 27

**ग.2 : प्रक्रियाएं**

कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया ..... 28
फॉस्ट ट्रैक कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया ..... 29
कारपोरेट परिसमापन ..... 29
स्वैच्छिक परिसमापन ..... 30
वित्तीय सेवा प्रदाता ..... 30
व्यक्तिगत दिवाला समाधान और शोधन अक्षमता ..... 30

**ग.3 : पक्ष-समर्थन और जागरूकता**

कार्यक्रम ..... 34
शैक्षणिक नियोजन ..... 35
न्यूजलेटर ..... 36

**ग.4 : अनुसंधान**

**खंड घ : बोर्ड के कार्य**

अर्ध विधायी कार्य ..... 39
कार्यकारी कार्य ..... 41
अर्ध न्यायिक कार्य ..... 55

**खंड ड. : परिणामों का विश्लेषण**

कारपोरेट दिवाला समाधान ..... 57
कारपोरेट परिसमापन ..... 62

बारह बड़े खाते ..... 63
स्वैच्छिक परिसमापन ..... 64
वित्तीय सेवा प्रदाताओं का समाधान ..... 66
व्यक्तिगत प्रक्रिया ..... 66
उभरता न्यायशास्त्र ..... 67

**खंड च : संहिता का प्रभाव** ..... 81

**खंड छ : बोर्ड का कार्य-निष्पादन** ..... 88

**खंड ज : शासी बोर्ड का कार्य-निष्पादन** ..... 101

**खंड झ : बोर्ड का वित्तीय कार्य-निष्पादन** ..... 110

**खंड ञ : सांविधिक बाध्यताओं का अनुपालन** ..... 112

**खंड ट : संगठनात्मक मामले**

उत्तरदायित्व केन्द्र ..... 118
मानव संसाधन ..... 119
परिदाय अभिकल्प ..... 120
वार्शिक दिवस समारोह ..... 124
सूचना का अधिकार और पारदर्शिता ..... 125

## बॉक्स मदों की सूची


1 कोविड–19 के प्रति दिवाला विधि प्रतिक्रिया .....12
2 जीवन और आजीविका बचाने के लिए व्यवसायों को बचानाः जी30 से नीतिगत नुस्खे .....14
3 संहिता, नियम और विनियमन – एक सफल यात्रा.....68
4 दिवाला कानून और क्रेडिट चैनल .....84
5 आईबीबीआईः एक स्व–मूल्यांकन.....95
6 नियामक समन्वय को बढ़ावा देने के तरीके और साधन .....100
7 प्री–पैकेज्ड दिवाला समाधान .....105
8 समाधानशीलता : कंपनियों प्रक्रिया की सजीव इच्छा.....106
9 दिवाला कानून के सामाजिक प्रभाव .....108
10 संहिता के अधीन समाधान के लिए एक तंत्र के रूप में मध्यस्थता.....109


## सारणियों की सूची


1 नीति और नियामक घटनाओं का कालक्रम, 2020–21 .....18
2 एनईएसएल के पास जानकारी का विवरण .....25
3 बोर्ड द्वारा 2020–21 में जारी परिपत्र.....27
4 2020–21 के दौरान सीआईआरपी विनियमनों में संशोधन .....28
5 2020–21 के दौरान परिसमापन प्रक्रिया विनियमनों में संशोधन .....29
6 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार कारपोरेट परिसमापन खाते.....30
7 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार कारपोरेट स्वैच्छिक परिसमापन खाते .....30
8 बोर्ड के समर्थन और जागरूकता कार्यकलाप .....31
9 आईबीबीआई के अधिकारियों द्वारा कार्यक्रमों में भागीदारी .....31
10 2020–21 के दौरान कार्यक्रमों में भागीदारी का विवरण .....31
11 2020–21 में अधिसूचित विनियमन.....40
12 विषयवार गोलमेज आयोजन.....40
13 सेवा प्रदाताओं संबंधी सलाहकार समिति की संरचना .....41
14 कारपोरेट दिवाला और परिसमापन संबंधी सलाहकार समिति की संरचना.....41
15 आईपी का रजिस्ट्रीकरण और रजिस्ट्रीकरणों का निरस्तन .....42
16 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार आईपी का वितरण .....42
17 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार योग्यता के अनुसार आईपी का वितरण.....42
18 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार आईपी का आयु प्रोफाइल .....44
19 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार मान्यता प्राप्त आईपीई .....44
20 31 मार्च, 2021 तक आईआरपी का आरपी से प्रतिस्थापन.....44
21 2020–21 के दौरान तैयार किया गया आईपी का पैनल .....45
22 2020–21 में आईपी के लिए आयोजित कार्यशालाएं, वेबिनार, सम्मेलन और इसी तरह के अन्य कार्यक्रम.....45
23 2020–21 में अन्य हितधारकों के लिए आयोजित कार्यशालाएं, वेबिनार, सम्मेलन और इसी तरह के अन्य कार्यक्रम.....46
24 2020–21 में आयोजित सीओसी कार्यशालाएं.....46
25 2020–21 में आईपीए द्वारा आयोजित कार्यक्रम .....46
26 2020–21 में आईपीए द्वारा प्रकाशनों का विवरण .....47
27 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार आईपी द्वारा निष्पादित सीपीई घंटे .....48
28 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार आरवी.....48
29 31 मार्च, 2021 तक आरवी का पंजीकरण.....49
30 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार पंजीकृत मूल्यांकक संस्थाएं .....49

31 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार क्षेत्र–वार आरवी ....49
32 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार आरवी का आयु प्रोफाइल....51
33 31 मार्च 2021 तक क्षेत्रवार सीमित दिवाला परीक्षा....51
34 संपत्ति वर्ग भूमि एवं भवन में क्षेत्रवार मूल्यांकन परीक्षा ....52
35 संपत्ति परिसम्पत्तियों वर्ग संयंत्र और मशीनरी में क्षेत्रवार मूल्यांकन परीक्षा....52
36 वर्ग प्रतिभूतियों या वित्तीय परिसम्पत्तियों में क्षेत्रवार मूल्यांकन परीक्षा....52
37 आईपी और आरवी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदनों निरस्तन ....53
38 31 मार्च, 2021 तक शिकायतों और परिवादों की प्राप्ति और निपटान ....53
39 बोर्ड और आईपीए द्वारा आयोजित आईपी का निरीक्षण....54
40 आईबीबीआई द्वारा अभियोजन कार्रवाई....54
41 आईपी के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करना और उनका निपटान ....55
42 2020–21 में अनुशासनात्मक कार्यवाही का समापन....55
43 31 मार्च, 2021 तक कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया....57
44 31 मार्च, 2021 तक पीठ वार सीआईआरपी का प्रवेश और समापन....58
45 कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया की शुरुआत....58
46 31 मार्च, 2021 तक सीआईआरपी के अधीन सीडी का क्षेत्रीय वितरण....59
47 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार सीआईआरपी की स्थिति....59
48 31 मार्च, 2021 तक वापसी द्वारा सीआईआरपी का समापन....59
49 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार योजना में परिणित सीआईआरपी ....60
50 31 मार्च की स्थिति के अनुसार हितधारक–वार शुरू की गई सीआईआरपी का परिणाम....60
51 कारपोरेट दिवाला में परिहार लेनदेन....61
52 परिसमापन के आदेश के साथ समाप्त सीआईआरपी....62
53 31 मार्च, 2021 को परिसमापन प्रक्रिया की स्थिति ....62
54 31 मार्च, 2021 तक परिसमापन का विवरण....62
55 240 परिसमापन प्रक्रियाओं में दावे जिनमें अंतिम रिपोर्ट जमा की गई....63
56 12 बड़े खातों की स्थिति ....63
57 31 मार्च, 2021 तक स्वैच्छिक परिसमापन की शुरुआत....64
58 900 परिसमापनों का विवरण (7 वापसियों को छोड़कर)....64
59 स्वैच्छिक परिसमापन के अधीन कारपोरेट व्यक्तियों की देनदारियों और आस्तियों का वितरण ....64
60 स्वैच्छिक परिसमापन का क्षेत्रवार वितरण....64
61 स्वैच्छिक परिसमापन के कारण ....65
62 स्वैच्छिक परिसमापन का चरणीकरण ....65
63 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार कारपोरेट परिसमापन खाते....65
64 व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाताओं का दिवाला समाधान....66
65 लेनदारों द्वारा वसूली ....85
66 क्रेडिट संस्कृति पर प्रभाव....86
67 तनावग्रस्त परिसम्पत्तियों का बचाव ....86
68 संहिता के अधीन प्रक्रिया को पूरा करने का औसत समय....87
69 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार विनियमन....89
70 आईपी के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम....91
71 2020–21 के दौरान आईबीबीआई द्वारा जारी विभिन्न आदेश....91
72 2020–21 में प्राप्त सार्वजनिक टिप्पणियाँ ....93

73 शासी बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति....101
74 2020–21 के दौरान शासी बोर्ड का निष्पादन....102
75 वित्त वर्ष 2020–21 के लिए आय और व्यय विवरण....110
76 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड की निधि....110
77 सांविधिक दायित्वों के अनुपालन का विवरण....112
78 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार आईबीबीआई का गवर्निंग बोर्ड....118
79 अनुशासन समिति की संरचना....119
80 आईबीबीआई के कर्मचारी....119
81 2020–21 में आयोजित विशिष्ट व्याख्यान....121
82 2020–21 के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वाले आईबीबीआई के अधिकारी....121
83 आईबीबीआई द्वारा अपने अधिकारियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम....122
84 आरटीआई आवेदन और प्रथम अपील की प्राप्ति और निपटान....126

## चित्रों की सूची

1 जीडीपी, क्रेडिट और जीएनपीए की वृद्धि....10
2 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार आईपी का भौगोलिक वितरण....43
3 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार आरवी का भौगोलिक वितरण....50
4 सीआईआरपी में सीडी का माह–वार प्रवेश....58
5 व्यावसायिकों का वर्ष –वार रजिस्ट्रीकरण....82
6 2016–17 से 2020–21 तक का वर्ष वार समाधान....82
7 2016–17 से 2020–21 तक स्वीकृत सीआईआरपी का रुख....83
8 सीआईआरपी का वर्ष वार समापन....83
9 सीडी द्वारा स्वैच्छिक परिसमापन....83

## संक्षेपाक्षर

| | |
|---|---|
| ए.ए. | न्यायनिर्णयन प्राधिकारी |
| ए.सी. | सलाहकार समिति |
| सलाहाकार समिति विनियमन | आईबीबीआई (सलाहकार समिति) विनियमन, 2017 |
| एसीएसटी | राज्य कर सहायक आयुक्त |
| एडीआर | वैकल्पिक विवाद समाधान |
| एएफए | कार्य के लिए प्राधिकृत करना |
| एजीएम | सहायक महाप्रबंधक |
| एएलडब्ल्यू | प्रशासनिक विधि खंड |
| एएम | सहायक प्रबंधक |
| एआर | प्राधिकृत प्रतिनिधि |
| एआरसी | आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी |
| एसोचैम | एसोसिएटेड चौम्बर्स आफ कामर्स और इंडस्ट्री आफ इंडिया |
| बीसीआईसी | बैंगलोर चौम्बर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स |
| बीआईएफआर | औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड |
| बीएलआरसी | शोधन अक्षमता विधि सुधार समिति |
| बोर्ड/आईबीबीआई | भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड |
| बोर्ड विनियमन | आईबीबीआई (शासी बोर्ड की बैठकों की प्रक्रिया) विनियमन, 2017 |
| बीएसई | बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज |
| बीटी | शोधन अक्षमता न्यासी |
| उप–नियम विनियमन | आईबीबीआई (आदर्श उप–नियम और दिवाला व्यावसायिक अभिकरणों का शासी बोर्ड) विनियमन, 2016 |
| सी–एजी | भारत का नियंत्रक महालेखापरीक्षक |
| केयर्स निधि | आपात स्थिति में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत निधि |
| सीसीआई | भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग |
| सीडी | कारपोरेट ऋणी |
| सीईओ | मुख्य कार्यकारी अधिकारी |
| सीईआरसी | केन्द्रीय विद्युत् आयोग |
| सीईवी | अभियंता और मूल्यांकक परिषद् |
| सीएफए | चार्टर्ड वित्तीय विश्लेषक |
| सीएफआई | भारतीय समेकित कोष |
| सीजीएम | मुख्य महाप्रबंधक |
| सीजीएसटी | केंद्रीय वस्तुएं और सेवाएं कर |
| सीआईआई | भारतीय उद्योग परिसंघ |
| सीआईएन | कारपोरेट पहचान संख्या |
| सीआईआरपी (एस) | कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया/प्रक्रियाएं |
| सीआईआरपी विनियमन | आईबीबीआई (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 |
| सीएमएस | केंद्रीय प्रबंधन प्रणाली |
| सीएनआई ब्राजील | कन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री, ब्राजील |
| सीओसी | लेनदारों की समिति |
| संहिता/आईबीसी | दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 |
| सीओई | विशेषज्ञ समिति |
| सीओपी | प्रैक्टिस प्रमाणपत्र |
| सीपीई | सतत व्यावसायिक शिक्षा |
| सीपीआईओ | केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी |
| सीपीजीआरएएमएस | केन्द्रीयकृत लोक शिकायत निवारण और मानिटरिंग प्रणाली |
| सीवीएसआरटीए | सेंटर फॉर वेल्युएशन स्टडीज, रिसर्च एंड ट्रेनिंग एसोसिएशन |

| | |
|---|---|
| डीसी | अनुशासनात्मक समिति |
| डीईए | आर्थिक कार्य विभाग |
| डीएफआई | विकास वित्त संस्थान |
| डीजीएम | उप–महाप्रबंधक |
| डीजीएफटी | विदेश व्यापार महा निदेशालय |
| डीएचएफएल | दीवान हाउसिंग फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड |
| डीआईडी | अंतरों में अंतर |
| डीआरटी | ऋण उगाही अधिकरण |
| डीटीआरटीआई | प्रत्यक्ष कर क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान |
| डीवीआई | डेक्कन मूल्य निवेश |
| ईएसी पीएम | प्रधान मंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद |
| ईबीआईटीडीए | ब्याज, कर, मूल्यह्रास और ऋण–मुक्ति |
| ईडी | कार्यकारी निदेशक |
| ईआईआरसी ऑफ आईसीएआई | आईसीएआई की पूर्वी भारत क्षेत्रीय परिषद् |
| ईओआई | रूचि की अभिव्यक्ति |
| परीक्षा | सीमित दिवाला परीक्षा |
| ईएक्सआईएम | भारतीय निर्यात–आयात बैंक |
| एफएए | प्रथम अपीलीय प्राधिकारी |
| फॉस्ट ट्रैक विनियमन | भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए फॉस्ट ट्रैक दिवाला प्रक्रिया) विनियमन, 2017 |
| एफसी/एफसीज | वित्तीय लेनदार/ लेनदारों |
| एफसीडीओ | विदेश, कामनवेल्थ और विकास कार्यालय |
| फिक्की | फैडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कामर्स और इंडस्ट्री |
| एफओआईआर | फोरम ऑफ इंडियन रेग्युलेटर्स |
| एफपीसी | फोर्वर्ड मार्केट कमिशन |
| एफएसएलआरसी | वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार समिति |
| एफएसडीसी | वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद |
| एफआईएसपी | वित्तीय सेवा प्रदाता |
| एफआईएसपी नियम | भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता (वित्तीय सेवा प्रदाओं की दिवाला और समापन प्रक्रिया) नियम, 2019 |
| एफएसआर | वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट |
| जीबी | शासी बोर्ड |
| जीडीपी | सकल देशीय उत्पाद |
| जीईएम | गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस |
| जीएफसीई | सकल स्थिर उपभोग व्यय |
| जीआईए | सहायता अनुदान |
| जीआईपी | स्नातक दिवाला कार्यक्रम |
| जीएनपीए | सकल गैर–निष्पादित परिसंपत्तियां |
| जीओआई | केन्द्रीय सरकार |
| जीएसटी | वस्तुएं और सेवाएं कर |
| जीवीए | सकल वर्धित मूल्य |
| एचसी | उच्च न्यायालय |
| आईए | निरीक्षण प्राधिकारी |
| आईएआईआर | अंतरराष्ट्रीय दिवाला विनियामक एसोसिएशन |
| आईबीए | इंडियन बैंक एसोसिएशन |
| आईसीएआई | भारतीय चार्टर्ड अकाउटेंट संस्थान |
| आईसीसी | आतंरिक शिकायत समिति |
| आईसीडी | दिवाला प्रारम्भ तारीख |

| | |
|---|---|
| आईसीएफएआई | भारतीय चार्टर्ड वित्तीय विश्लेषक संस्थान |
| आईसीएआई (लागत) | भारतीय लागत लेखाकार संस्थान |
| आईसीएलएस | भारतीय कारपोरेट विधि सेवा |
| आईसीएसआई | भारतीय कंपनी सचिव संस्थान |
| आईसीएसआई– आईआईपी | आईसीएसआई दिवाला व्यावसायिक संस्थान |
| आईडीएफ | भारतीय विकास प्रतिष्ठान |
| आईईजी | आर्थिक विकास संस्थान |
| आईईपीएफ | निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि |
| आईईएस | भारतीय आर्थिक सेवा |
| आईएफसी | अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम |
| आईएफएससीए | अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाएँ केंद्र प्राधिकरण |
| आईआईबीएफ | भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान |
| आईआईआई | अंतरराष्ट्रीय दिवाला संस्थान |
| आईआईआईपी | भारतीय आईसीएआई दिवाला व्यावसायिक संस्थान |
| आईआईएम | भारतीय प्रबंधन संस्थान |
| आईआईपी | औद्योगिक उत्पादन सूचकांक |
| आईएलसी | दिवाला विधि समिति |
| आईएमएफ | अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष |
| निरीक्षण विनियमन | भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड(निरीक्षण और अन्वेषण) विनियमन, 2017 |
| आईएनएसओएल | अंतरराष्ट्रीय पुनर्संरचना,दिवाला और शोधन अक्षमता व्यावसायिक एसोसिएशन |
| आईओवी | मूल्यांकक संस्थान |
| आईओवीआरवीएफ | आईओवी रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक प्रतिष्ठान |
| आईपी/आईपीज | दिवाला व्यावसायिक/दिवाला व्यावसायिकों |
| आईपी विनियमन | भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016 |
| आईपीए/आईपीएज | दिवाला व्यावसायिक अभिकरण/अभिकरणों |
| आईपीए विनियमन | भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक एजेंसी) विनियमन, 2016 |
| आईपीए आईसीएआई | आईसीएआई का दिवाला व्यावसायिक अभिकरण |
| आईपीई/आईपीईज | दिवाला व्यावसायिक एंटिटी/ दिवाला व्यावसायिक एंटिटीज |
| आईआरडीएआई | भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण |
| आईआरपी | अंतरिम समाधान व्यावसायिक |
| आईआरपीसी | दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत |
| आईएसटीएम | सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान |
| आईयू/आईयूज | सूचना उपयोगिता/सूचना उपयोगिताएं |
| आईयू विनियमन | भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (सूचना उपयोगिता) विनियमन, 2017 |
| एलआईसी | जीवन बीमा निगम |
| परिसमापन विनियमन | भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 |
| एलएलपी | सीमित दायित्व भागीदारी |
| एलएनसीटी | लक्ष्मी नारायण प्रोद्योगिकी महाविद्यालय, भोपाल |
| एमसीए | कारपोरेट कार्य मंत्रालय |
| एमसीसीआई | मर्चेंट्स चौम्बर ऑफ कामर्स – इंडस्ट्री |
| एमडी | प्रबंध निदेशक |
| एमआईएस | प्रबंधन सूचना प्रणाली |
| एमजीएनआरईजीए | महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना |
| एमएनएलयू | राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, मुंबई |
| एमओएफ | वित्त मंत्रालय |
| एमओएलजे | विधि और न्याय मंत्रालय |
| एमओयू | समझौता ज्ञापन |

| | |
|---|---|
| एमओआर | संचालन–समीक्षा |
| एमएसएमई | सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम |
| एनबीसीसी | राष्ट्रीय भावन निर्माण निगम |
| एनसीएईआर | राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद |
| एनईएसएल | नेशनल ई–गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड |
| एनसीएलएटी | राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण |
| एनसीएलटी | राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण |
| एनआई अधिनियम | परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 |
| एनआईसी | राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण |
| एनआईपीएफपी | राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त और नीति |
| एनएलआईयू, भोपाल | राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय, भोपाल |
| एनएलएसआईयू | भारतीय राष्ट्रीय विधि विद्यालय विश्वविद्यालय, बंगलूरु |
| एनएलयू | राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय |
| एनएलयूडी | राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली |
| एनपीए | अनर्जक परिसम्पतियाँ |
| एनपीएस | राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली |
| एनएसओ | राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय |
| ओसी/ओसीज | प्रक्रियागत लेनदार/लेनदारों |
| ओपीडी | बहिरंग रोगी विभाग |
| ओईसीडी | आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन |
| पीएफआरडीए | पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण |
| पीएफसीई | निजी अंतिम उपभोग व्यय |
| पीजी/पीजीज | व्यैक्तिक प्रत्याभूतिदाता/ व्यैक्तिक प्रत्याभूतिदाताओं |
| पीएचडीसीसीआई | पी.एच.डी. चौम्बर आफ कामर्स और इंडस्ट्री |
| पीएनबी | पंजाब नेशनल बैंक |
| पीएमओ | प्रधान मंत्री कार्यालय |
| पीएसबी/पीएसबीज | सार्वजनिक क्षेत्र बैंक/ सार्वजनिक क्षेत्र बैंक्स |
| पीएमएलए | प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 |
| पीपीआईआरपी | प्रि–पैकेज्ड दिवाला समाधान प्रक्रिया |
| पीवीएआई | दि प्रैक्टिसिंग वैल्युअर्स एसोसिएशन |
| पीडब्ल्युसी | प्राइस वाटर हाउस कूपर्स |
| क्युएफसी | अर्हताप्राप्त वित्तीय अनुबंध |
| आर1 | प्रथम प्रतिवादी |
| आर2 | द्वितीय प्रतिवादी |
| आरए | समाधान आवेदक |
| आरबीआई | भारतीय रिजर्व बैंक |
| रेरा | स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण |
| आरबीएसए | आरबीएसए सलाहकार |
| आरएफआरपी | समाधान योजना के लिए अनुरोध |
| आरपी | समाधान व्यावसायिक |
| आरएमडब्लयु | रजिस्ट्रीकरण और निगरानी विंग |
| आरआरडब्ल्यू | अनुसंधान और विनियमन विंग |
| आरटीआई | सूचना का अधिकार |
| आरवी/आरवीज | रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक/रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों |
| आरवीई | रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक एंटिटी |
| आरवीओ/आरवीओज | रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन/ रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठनों |
| एसएपी | कार्यनीतिक कार्य योजना |

| | |
|---|---|
| एसएआरएफएईएसआई | वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 |
| एसबीआई | भारतीय स्टेट बैंक |
| एससी | भारतीय उच्चतम न्यायालय |
| एससीसी | हितधारक परामर्श समिति |
| एससीबीज | अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक |
| एससीएन | कारण बताओ सूचना |
| सेबी | भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड |
| एसएलपी | विशेष अनुमति याचिका |
| एसएमई | लघु और मध्यम उद्यम |
| एसओए | समझौता अथवा व्यवस्था स्कीम |
| युएनसीआईटीआरएएल | संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग |
| मूल्यांकन नियम | कंपनी (मूल्यांकक और मूल्यांकन नियम), 2017 |
| स्वैच्छिक परिसमापन विनियमन | आईबीबीआई(स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2017 |
| डब्ल्यूजी | कार्यकारी समूह |
| आईसीएआई का डब्ल्युआईआरसी | आईसीएआई का पश्चिमी भारत क्षेत्रीय परिषद |
| डब्ल्यूटीएम | पूर्णकालिक सदस्य |

# अध्यक्ष का कथन

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (आईबीसी/संहिता) एक महान कानून है क्योंकि यह व्यक्ति के तनाव को दूर करने का प्रयास करता है, चाहे वह कोई कंपनी हो, सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) हो, प्रोप्राइटरशिप हो, या साझेदारी फर्म हो, या कोई व्यक्ति हो। हालांकि, मैं इस कथन को कंपनियों और एलएलपी तक सीमित कर रहा हूं, क्योंकि कारपोरेट देनदारों (सीडी) के व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाताओं से संबंधित आईबीसी के उपबंध प्रवर्तित हो चुके हैं, लेकिन व्यक्तिकों से संबंधित आईबीसी के उपबंध अभी तक प्रवर्तित नहीं हुए हैं।

कभी–कभी कोई कंपनी अपने नियंत्रणाधीन और कभी–कभी उसके नियंत्रण से परे कारणों की वजह से, तनाव अनुभव कर सकती है, अर्थात, वह समय पर ऋण चुकाने में असमर्थ हो सकती है, जिसका अर्थ है कि उसके पास उस पर किये गए दावों की तुलना में कम परिसंपत्तियां हैं। प्राथमिक अर्थशास्त्र हमें बताता है कि जब किसी कंपनी के पास अपर्याप्त परिसंपत्तियां होती है, तो किसी व्यक्तिगत लेनदार का दावा कंपनी की परिसंपत्तियों के अनुरूप हो सकता है, लेकिन सभी लेनदारों के संयुक्त दावों के अनुरूप नहीं होगा। ऐसी स्थिति में, लेनदार दूसरों से पहले अपने दावों की वसूली के लिए बेचैन हो जाते हैं, जिससे कंपनी की परिसंपत्तियों को हासिल करने की दौड़ शुरू हो जाती है। वे 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर वसूली करते हैं जब तक कि कंपनी की परिसंपत्तियां समाप्त नहीं हो जाती और परिणामस्वरूप कंपनी के समाप्त होने की स्थिति आ जाती है। यह एक नकारात्मक–योग का खेल है।

दूसरी ओर, यदि कंपनी का व्यवसाय व्यवहार्य है तो आईबीसी में बाजार प्रक्रिया के माध्यम से कंपनी को बचाने के लिए पुनर्गठन की व्यवस्था है और यदि व्यवहार्य नहीं है तो इसे बंद करने का भी प्रावधान है। बचाव करने के मामले में, कंपनी को एक चालू कंसर्न के रूप में पुनर्गठित किया जाता है। लेनदारों के दावों का पुनर्गठन किया जाता है, जिसका भुगतान उन्हें तुरंत कर दिया जाता है या समय के साथ–साथ किया जा सकता है। बंद होने की स्थिति में, कंपनी की परिसंपत्तियों को बेच दिया जाता है, और आय को प्राथमिकता के नियम के अनुसार लेनदारों को तुरंत वितरित कर दिया जाता है। आईबीसी तनावग्रस्त कंपनी के पुनर्गठन की जिम्मेदारी वित्तीय लेनदारों (एफसी) को सौंपता है, क्योंकि उनके पास अपने दावों को पुनर्गठित करने की क्षमता और इच्छाशक्ति है। वे एक ऐसी कंपनी को बचाने की संभावना रखते हैं जिसके पास प्रचलित अधिशेश है और जो कंपनी और एफसी के हितों के अनुरूप है, जिससे यह एक सकारात्मक–योग खेल बन जाता है। इस पृश्ठभूमि में, यह जानना वांछनीय है कि आईबीसी किस प्रकार अपने उद्देश्यों को पूरा कर रहा है।

## परिणामों के लिए मेट्रिक्स

दिवाला सुधार सहित, हर आर्थिक सुधार समग्र आर्थिक कल्याण को बढ़ाने की दृष्टि से बाजार सहभागियों के लिए खेल के नियमों की कुछ हद तक पुनर्संरचना कर देता है। इस प्रकार यह हितधारकों के हितों को प्रभावित करता है: पुराने आदेश की तुलना में कुछ को लाभ हो सकता है जबकि कुछ अन्य को हानि हो सकती है। इसकी संभावना नहीं है कि घाटा खाने वाले या लाभ कमाने वाले, जो आम तौर पर अपने स्वार्थ में अंधे होते हैं, एक ऐसे मीट्रिक का उपयोग करेंगे जो समग्र रूप से और निष्पक्ष रूप से सुधार के परिणाम का आकलन करता है। वे अपने दृष्टिकोण को पुश्ट करने के लिए अलग–अलग उदाहरणों का हवाला देंगे। पुराने आदेश का लाभार्थी, दिवाला सुधारों का रोना रोने के लिए घोटारिंगा मिनरल लिमिटेड और ऑर्किड हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियों का हवाला दे सकता है। वह दावा कर सकता है कि संहिता के अधीन इन दोनों कंपनियों के परिसमापन से लेनदारों के लिए कुछ हजार करोड़ रुपये के उनके दावों की तुलना में बहुत कम की वसूली हुई। हालाँकि, वह यह स्वीकार नहीं करेगा कि दिवाला कार्यवाही में प्रवेश करने के समय पर इन कंपनियों के पास पर कोई परिसंपत्ति थी ही नहीं। मूल्यांकन के लिए मीट्रिक का चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि हितधारक मेज के किस ओर बैठता है।

ऐसा निष्पक्ष विश्लेषक, जो वृहत्त परिप्रेक्ष्य में सुधार को देखता है, उसके द्वारा ऐसा मीट्रिक उपयोग किये जाने की संभावना है जो कि सबसे उपयुक्त होने की बजाय आसानी से उपलब्ध हो, आसानी से समझ में आता हो और विश्लेशण के लिए उपयुक्त हो। दिवाला कार्यवाही के माध्यम से वसूली के बारे में विश्वसनीय आंकड़े आसानी से उपलब्ध हैं। निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों अर्थों में वसूली को आसानी से समझा जा सकता है। इसका उपयोग एक कंपनी के समाधान की दूसरी कंपनी के साथ तुलना करने के लिए या समाधान और वसूली के विभिन्न विकल्पों की तुलना करने के लिए किया जा सकता है। कुछ विश्लेषक इस सुविधा के कारण दिवाला सुधारों के परिणाम का आकलन करने के लिए मीट्रिक के रूप में वसूली का उपयोग करना पसंद कर सकते हैं, भले ही यह दिवाला सुधारों का स्पष्ट उद्देश्य नहीं है, और यह कुछ दिवाला कार्यवाही के उप–उत्पाद के रूप में उत्पन्न होता है। दिवाला कार्यवाही को बंद करने में लगने वाला समय एक अन्य सुविधाजनक मीट्रिक है। एक आशावादी, पूर्ववर्ती शासन व्यवस्था की तुलना में संहिता के अधीन लिए गए समय का निरीक्षण कर सकता है, जबकि एक निराशावादी वास्तव में लिए गए समय और संहिता के अधीन परिकल्पित समय के बीच के अंतर पर विचार कर सकता है।

कुछ सुविधाजनक मेट्रिक्स भ्रामक हो सकते हैं। वसूली, हालांकि एक सटीक मीट्रिक है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है। संहिता के अंतर्गत समाधान योजनाएँ स्वीकृत दावों का औसतन X% वसूल करती हैं। वसूली का ऐसा स्तर किसी के लिए अच्छा हो सकता है क्योंकि यह उपलब्ध विकल्पों में से सर्वोत्तम की वसूली करता है। यह दूसरों के लिए अच्छा नहीं हो सकता है, क्योंकि लेनदार स्वीकृत दावों के Y% (100 - X) की कटौती करते हैं। इसके अलावा, स्वीकृत दावों के प्रतिशत के रूप में वसूली का अधिक अर्थ नहीं हो सकता है क्योंकि ये अक्सर देनदार या लेनदार की बहियों में परिलक्षित नहीं होते हैं। जो प्राप्त किया जा सकता था वह देनदार की बहियों में उपलब्ध संपत्ति के मूल्य से परिलक्षित होता है और जो प्राप्त किया जाना चाहिए वह लेनदार

की बहियों में ऋण के ह्रासित मूल्य से परिलक्षित होता है। क्या वसूली की जानी चाहिए या क्या वसूली की जा सकती है, की तुलना में की गई वसूली X% से बिलकुल अलग तस्वीर प्रस्तुत करती है।

विधि और अर्थशास्त्र का विद्यार्थी दिवाला सुधार को बहुत गहरे परिप्रेक्ष्य में देखता है। उसका मानना है कि प्रत्येक आर्थिक कार्यकर्ता ने तर्कसंगतता को सीमित कर दिया है और वह सभी संभावित आकस्मिकताओं/परिणामों का आकलन या अनुमान नहीं लगा सकता। यही कारण है कि यह अनुबंध संपन्न करता है और परिस्थितियों में परिवर्तन होने पर अपनी शर्तों पर पुनःबातचीत करके उन्हें संशोधित करता है, और फिर भी हर अनुबंध कुछ कमियों और लुप्त अनुबंधों के साथ अधूरा रह जाता है। आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार विजेता, श्री ओलिवर डी. हार्ट का तर्क है कि एक फर्म अधूरे अनुबंधों की श्रृंखला संपन्न करती है जो प्रत्येक लेनदार को क्रेडिट के बदले फर्म की परिसंपत्तियों पर बंदी–पूर्व अधिकार प्रदान कर देता है। प्रत्येक लेनदार 'अकेले चलो' आधार पर सहज महसूस करता है और फर्म सामान्य रूप से प्रत्येक लेनदार के प्रति प्रतिबद्धता को पूरा करती है और जीवन चलता रहता है। हालाँकि, जब फर्म पर जोर दिया जाता है, तो वह एक या कुछ लेनदारों के दावों का पूरी तरह से सम्मान कर सकती है, लेकिन सभी लेनदारों के दावों का एक साथ नहीं। यदि प्रत्येक लेनदार अपने दिवाला–पूर्व अधिकारों पर अडिग रहता है, तो न तो तनाव का समाधान संभव है और न ही कोई लेनदार अपने बकाया का भुगतान कर सकता है। दिवाला फ्रेमवर्क परिस्थितियों में वास्तविक रूप से संभव सीमा तक लेनदारों के प्रति दायित्वों का निर्वहन करते हुए तनाव को हल करने का प्रयास करता है। इस प्रकार दिवाला सुधार एक व्यापक अनुबंध है, जो सभी अपूर्ण द्विपक्षीय अनुबंधों को पूरा करता है, सभी लेनदारों के दावों को सुसंगत बनाता है और फर्म की परिसंपत्तियों के मूल्य ह्रास को रोकता है। एक व्यापक अनुबंध की अनुपस्थिति में, पार्टियां अपूर्ण अनुबंधों की श्रृंखला को लागू करेंगी, जिससे देनदार का सफाया हो जाएगा और कुछ लेनदारों को बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा। व्यापक अनुबंध देनदार और लेनदारों को बचाने की कोशिश करते हुए, सभी अपूर्ण अनुबंधों को लागू करता है। मान लें कि किसी देश में अनुबंध प्रवर्तन में चार वर्ष लगते हैं जबकि दिवाला कार्यवाही में एक वर्ष लगता है। विधि का विद्यार्थी अनुबंध प्रवर्तन में बचाए गए समय को, जबकि अर्थशास्त्र का विद्यार्थी देनदार और लेनदारों को होने वाली हानि से बचाने को मीट्रिक के रूप में उपयोग कर सकता है।

एक व्यवसायी के लिए स्वतंत्रता सर्वोपरि है। स्वतंत्रता का स्तर जितना ऊँचा होता है, अर्थव्यवस्था में व्यापार करना उतना ही आसान होता है। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था : ''स्वतंत्रता योग्य नहीं है यदि इसमें गलतियाँ करने की स्वतंत्रता शामिल नहीं है।'' एक व्यवसायी को अवसर मिलने पर व्यवसाय शुरू करने के लिए स्वतंत्रता और असफल होने पर व्यवसाय से बाहर निकलने की स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है। वह आमतौर पर तब व्यवसाय शुरू करता है जब उसके पास उससे बाहर निकलने का आश्वासन होता है। वह विफल हो जाता है जब वह शुम्पेटेरियन के 'रचनात्मक विनाश की आंधी' का शिकार हो जाता है, जहां उसका व्यवसाय या तो कालातीत हो जाता है या सामान्य लाभ नहीं कमाता है। अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा और नवाचार की तीव्रता जितनी अधिक होती है, विफलता की दर उतनी ही अधिक होती है, घाटे वाले व्यवसायों के स्थान पर लाभ वाले व्यवसायों के आगमन के अवसर उतने अधिक हो जाते हैं, और बाहर निकलने की स्वतंत्रता की आवश्यकता भी अधिक होती है। ईमानदार व्यवसायी दिवाला सुधार के परिणाम का आकलन करने के लिए व्यवसाय से बाहर निकलने की स्वतंत्रता की डिग्री और गुणवत्ता का उपयोग मीट्रिक के रूप में करता है।

हम अंधे व्यक्ति और हाथी के दृष्टांत से परिचित हैं, जहां सात अंधे लोगों में से प्रत्येक अपने सीमित अनुभव के आधार पर एक ही हाथी का वर्णन अलग–अलग ढंग से करता है। इसी तरह, कोई एकल मीट्रिक से दिवाला सुधार के परिणाम को पर्याप्त रूप से नहीं समझा जा सकता है। विश्व बैंक की 'डूइंग बिजनेस रिपोर्ट' मेट्रिक्स के समूह का उपयोग करती है, जो किसी अर्थव्यवस्था के दिवाला समाधान के लिए किसी स्कोर पर पहुंचने के लिए दिवाला कार्यवाही के समय, लागत और वसूली और दिवाला ढांचे की ताकत का भी अध्ययन करती है। इसकी अपनी सीमाएँ हैं, क्योंकि इसकी कार्यप्रणाली लगभग 200 देशों, जिनमें से प्रत्येक को दिवाला परिणामों का अनूठा अनुभव रहा है, की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार की गई है।

एक एकल मीट्रिक या मेट्रिक्स का संयोजन अक्सर अपेक्षाकृत नरम पहलुओं जैसे कि दिवाला से निपटने के लिए मानवीय दृष्टिकोण, या हितधारकों के व्यवहार परिवर्तन को नहीं देखता है। वे आम तौर पर संहिता के बाहर प्रेरित समाधानों, गहरे संकटों से उद्यमियों का बचाव, गहरे संकट में कंपनियों का बचाव, उत्पादक उपयोगों के लिए बेकार पड़े संसाधनों को निर्गत करना, और ऋण की बेहतर उपलब्धता जैसे प्रणालीगत लाभों को कैप्चर नहीं करते हैं। एक मीट्रिक उसे कैप्चर करता है जो मापा जा सकता है और जो मायने रखता है और उसे अनदेखा करता है जिसे मापा नहीं जा सकता है। जैसा कि इलियट आइजनर कहते हैं : ''हर चीज जो मायने रखती है उसे मापा नहीं जा सकता, और वह सब कुछ जिसे मापा जा सकता है, वह मायने नहीं रखता।''

एक सुव्यवस्थित मीट्रिक, परिणाम को मापने के बजाय इसको प्रभावित कर सकती है। दूसरे शब्दों में, जब हम परिणाम के माप के रूप में कोई विशिश्ट पैरामीटर सेट करते हैं, तो एक ही खेल में, अन्यों को समान रूप से, या इससे भी अधिक महत्वपूर्ण पहलुओं और परिणाम के आयामों को नजरअंदाज करते हुए, उस पैरामीटर पर उच्च स्कोर हासिल करने की प्रवृत्ति होती है। गुडहार्ट का नियम चेतावनी देता है कि : ''जब कोई उपाय लक्ष्य बन जाए, तो वह अच्छा उपाय नहीं रह जाता।''

मीट्रिक एकल बारगी मामला नहीं है। इसके लिए वर्शों तक सावधानीपूर्वक पोशण और सुधार की आवश्यकता होती है और मेट्रिक्स के निर्माण के लिए प्रामाणिक डेटा और सूचना के प्रावधान की आवश्यकता होती है। विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न संकेतकों को बनाए रखने और उनकी सेवा के लिए विशिश्ट संगठन सामने आए हैं। जब दिवाला सुधार गहरी जड़ें जमा रहा हो, तो परिणामों को मापने के लिए ठोस मीट्रिक के बीज बोने का समय आ गया है। मीट्रिक (मीट्रिकों) को समग्र रूप से और निष्पक्ष रूप से परिणाम को मापना चाहिए, जिसमें बाजार की संरचना, प्रक्रियाओं और डिजाइनों का मूल्यांकन शामिल है, जो प्रत्येक खंड अर्थात्, कारपोरेट दिवाला और परिसमापन, और व्यक्तिक दिवाला और शोधन अक्षमता में अपनी निष्पक्षता, अखंडता और विश्वसनीयता में योगदान देता है। यदि उपयुक्त मीट्रिक क्या है, इस बारे में कोई मार्गदर्शन उपलब्ध नहीं है, और ऐसी मीट्रिक की सेवा के लिए डेटा/सूचना का कोई प्रावधान नहीं है, तो बाजार सुविधा के किसी भी मीट्रिक का उपयोग कर सकता है, जो सुधार के उद्देश्य का लाभ से अधिक नुकसान कर सकता है।

एक बार उपयुक्त मीट्रिक उपलब्ध हो जाता है और इसे लोकप्रिय बनाया जा सकता है, इसे विधि के भावी पाठ्यक्रम के लिए डेटा–संचालित नीति बनाने की दिशा में उपयोग किया जा सकता है। यह अधिकारियों को उनकी जोखिम प्रबंधन क्षमताओं में सुधार करने और शक्तिशाली परिणाम देने में सहायक होगा। इसमें अच्छी नीतिगत प्रतिक्रिया के लिए नीतियों पर तर्कसंगत सार्वजनिक बहस का सृजन करने और इस तरह से विचारों की क्राउडसोर्सिंग में मदद करने का अतिरिक्त लाभ है। मजबूत डेटा के बिना नीतियों को डिजाइन करना मुश्किल काम है और ऐसी नीतियों के परिणामों को मापना भी उतना ही मुश्किल है। एक ऐसा ढांचा होना अनिवार्य है जो

प्रासंगिक डेटा निर्माण और प्रसार को संचालित करे और साथ ही नीति डिजाइन और कार्यान्वयन के मामलों में उपयोगी अनुसंधान को प्रोत्साहित करे।

किसी भी तरह मेट्रिक्स के विकास पर बहस को सीमित किए बिना, इसके छह मूलभूत उद्देश्यों के आधार पर संहिता के परिणामों को मापने के लिए मेट्रिक्स का पता लगाया जा सकता है। ये उद्देश्य इस प्रकार हैं : (क) समयबद्ध तरीके से तनाव का समाधान; (ख) संपत्ति के मूल्य का अधिकतमीकरण; (ग) उद्यमिता को बढ़ावा देना; (घ) ऋण की उपलब्धता में वृद्धि; (ड.) सभी हितधारकों के हितों को संतुलित करना, और (च) दिवाला पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना करना। इन उद्देश्यों को दिवाला और शोधन अक्षमता व्यवस्था के परिणामों की छह संभावित परतों में अनुदित किया जा सकता है, जैसा कि नीचे दिया गया है :

(क) दिवाला व्यावसायिक (आईपी), दिवाला व्यावसायिक अभिकरण (आईपीए), दिवाला व्यावसायिक संस्थाएं (आईपीई), रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक (आरवी), रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन (आरवीओ), सूचना उपयोगिताओं (आईयू), न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एए), अपीलीय अधिकरण, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई), सरकार, न्यायालय, आदि को समाहित करके दिवाला पारिस्थितिकी तंत्र के विकास, शक्ति की वृद्धि और दक्षता;

(ख) प्रक्रियाओं अर्थात्, कारपोरेट दिवाला समाधान (सीआईआरपी), कारपोरेट परिसमापन, स्वैच्छिक परिसमापन, पूर्व–पैक दिवाला समाधान, नई शुरुआत, सीडी के लिए व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाताओं (पीजी) का समाधान, स्वामित्व का समाधान और साझेदारी फर्म, व्यक्तिगत दिवाला समाधान और शोधन अक्षमता की शक्ति, दक्षता और प्रभावकारिता;

(ग) बाजारों जैसे कि अंतरिम वित्त के लिए बाजार, समाधान योजना, परिसमापन संपत्ति, दिवाला सेवाएं, लागत दक्षता, सूचना दक्षता, आदि की वृद्धि और दक्षता;

(घ) पूंजी की लागत, पूंजी संरचना, ऋण की उपलब्धता, उद्यमिता, क्षमता उपयोग, रचनात्मक विनाश, प्रतिस्पर्धा और नवाचार, आदि के संदर्भ में व्यवसायों पर प्रभाव;

(ड.) देनदारों और लेनदारों के बीच व्यवहार परिवर्तन, देनदारों में लेनदारों का विश्वास, मेरिटोक्रेटिक उधार, गैर–अवलोकनीय प्रभाव, मानवीय सोच और संहिता के सक्रिय/निवारक प्रभाव; तथा

(च) राष्ट्र के रोजगार और आर्थिक विकास पर समग्र प्रभाव।

## परिणामों में सुधार

आईबीसी के परिणामों को ट्रैक करने के लिए मेट्रिक्स का संस्थानीकरण करने में अभी कुछ समय लगेगा। हालांकि, परिणामों के संदर्भ में कुछ विवरण उपलब्ध हैं जैसे कि संकल्पों और परिसमापन की संख्या, दिवाला प्रक्रियाओं के माध्यम से प्राप्तियां, और प्रक्रियाओं में शामिल समय और लागत, जिन्हें इस रिपोर्ट के संबंधित खण्डों में प्रस्तुत किया गया है। हालांकि इस तरह के परिणाम पूर्व–आईबीसी दिनों की तुलना में बेहतर हैं, फिर भी इनमें और सुधार की गुंजाइश है। परिणामों की तीन व्यापक आलोचनाएँ हैं, जैसा कि नीचे बताया गया है :

### (क) अधिक परिसमापन

यह तर्क दिया जाता है कि मार्च, 2021 तक 1277 सीआईआरपी परिसमापन में समाप्त हो गए, जबकि केवल 348 में ही समाधान हो पाया है। जो केवल अंतिम परिणाम देखता है, वह लगभग 1600 मामलों को अंतिम परिणिति तक पहुंचता हुआ देखता है। हालांकि, 18,000 से अधिक मामलों को या तो दाखिल करने से पहले या बाद में, लेकिन अंतिम परिणिति तक पहुंचने से पहले बंद कर दिया गया था। यदि आईबीसी को स्पर्श करने वाली कंपनियों के पूरे विश्व पर विचार किया जाए, तो परिसमापन के लिए आगे आने वाली कंपनियों का प्रतिशत नगण्य है। अंतिम गेम में भी, बचाई गई तनावग्रस्त परिसंपत्तियों का मूल्य मायने रखता है। मूल्य के संदर्भ में, तनावग्रस्त परिसंपत्तियों की 70% राशि वाली कंपनियों को बचाया गया था, जबकि तनावग्रस्त परिसंपत्तियों की 30% राशि वाली कंपनियां परिसमापन के लिए आगे बढ़ीं।

इसके अलावा, परिसमापन के लिए आगे बढ़ने वाली कंपनियों में से तीन–चौथाई निष्क्रिय थीं, और बचाई गई कंपनियों में से एक तिहाई निश्क्रिय थीं। इसका मतलब यह है कि अंतिम परिणिति तक पहुँचने वाली कंपनियों में से दो–तिहाई आरंभिक स्थिति में ही बंद हो गई थीं। परिसमापन के साथ समाप्त होने वाली कंपनियों के पास आईबीसी में प्रवेश करने पर, उनके खिलाफ दावों का औसतन लगभग 7% मूल्य की परिसंपत्ति थी। यदि कोई कंपनी वर्षों से बीमार है, और उसकी परिसंपत्ति काफी कम हो गई है, तो बाजार में इसे समाप्त करने की संभावना अधिक रहती है। संहिता दो तरह से पुनर्गठन का प्रावधान करती है, पहला समाधान योजना द्वारा, जिसमें विफल रहने पर, परिसमापन द्वारा। यह बाजार ही है जो चुनाव करता है, और विधि केवल एक प्रवर्तक है। परिसमापन अंत नहीं है, बल्कि संसाधनों के कुशल पुनर्चक्रण का एक साधन है। फिर भी, परिसमापनों की संख्या को कम करने की संभावना रहती है।

### (ख) विशाल हेयरकट

कुछ लोग मानते हैं कि आईबीसी हेयरकट का उपकरण बन गया है। यह स्वयंसिद्ध है कि आईबीसी में आने वाली कंपनी के पास अपने सभी लेनदारों को चुकाने के लिए पर्याप्त परिसंपत्ति नहीं है। जिन कंपनियों को मार्च, 2021 तक आईबीसी के माध्यम से बचाया गया है, उनके पास आईबीसी में प्रवेश करने पर लेनदारों की देय राशि का औसतन 20% मूल्य था। इसका मतलब यह है कि लेनदारों को शुरुआत में 80% हेयरकट की उम्मीद थी। आईबीसी ने न केवल इन कंपनियों को बचाया, बल्कि एफसी के लिए हेयरकट को घटाकर 61% कर दिया। आईबीसी में शून्य से लेकर 100% तक का हेयरकट देखने में आया है। सवाल उठता है कि आईबीसी एक मामले में शून्य हेयरकट और दूसरे में 100% हेयरकट क्यों देता है? यह कई कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें व्यवसाय की प्रकृति, व्यापार चक्र, बाजार की भावना और विपणन प्रयास शामिल हैं। हालांकि, यह गंभीर रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि कंपनी तनाव के किस चरण में आईबीसी में प्रवेश करती है।यदि रोगी ऐसी स्थति में अस्पताल में आता है तो अस्पताल ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। आईबीसी–पूर्व लीगेसी का निपटानोतर महत्वपूर्ण है, चूंकि आईबीसी अपेक्षाकृत 'नवीन' मामलों को ही देखती है, इससे शायद हेयरकट बेहतर दिखेगा।

*हेयरकट* आम तौर पर दावे की राशि के संबंध में वसूली गई राशि है। वसूली की राशि में अक्सर वह राशि शामिल नहीं होती है जो समाधानोतर इक्विटी होल्डिंग, और परिहार लेनदेन की वापसी और प्रत्याभूतिदाताओं के दिवाला समाधान के माध्यम से प्राप्त की जाएगी। दावे की राशि में अक्सर गैर–निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) और ऐसे एनपीए पर ब्याज शामिल होता है, जिसे पूरी तरह से बट्टे खाते में डाल दिया गया हो सकता है। इसमें ऋण के साथ–साथ ऐसे ऋणों के विरुद्ध प्रत्याभूति भी शामिल हो सकती है। दावे मार्कड–टू–मार्केट नहीं हैं। ये वास्तविक हेयरकट से अधिक दर्शाते हैं।

जमीन पर उपलब्ध परिसंपत्तियों के संबंध में कटौती देखना उचित हो सकता है न कि लेनदारों के दावों के आधार पर। पूर्ववर्ती कथन बेहतर समझ में आता है, क्योंकि बाजार एक कंपनी के संबंध में वह मूल्य प्रदान करता है जो वह कंपनी टेबल पर लाती है, न कि इस बात पर कि उस कंपनी पर

लेनदारों का कितना बकाया है। आईबीसी प्रक्रिया के प्रारंभ में परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करता है, न कि उन परिसंपत्तियों को जो संभवतः पहले से मौजूद थीं। चूंकि यह जारी कंसर्न के अधिशेष के हिस्से को भुनाता है, इसलिए बचाव को मौजूदा परिसंपत्तियों के परिसमापन मूल्य का औसतन 188% प्राप्त हो रहा है, जिससे हेयरकट के बजाय 88% बोनस उत्पन्न होता है। वास्तव में, यह सीडी के उचित मूल्य का औसतन लगभग 100% प्राप्त कर रहा है। कंपनी को बचाने के अलावा, आईबीसी लेनदारों के लिए उपलब्ध विकल्पों में से, प्रतिशत के लिहाज से सबसे अधिक उगाही करता है। फिर भी, तथाकथित हेयरकट कम होने की संभावना है।

### *(ग) अपेक्षाकृत लंबा समय*

आईबीसी समयबद्ध समाधान का वादा करता है और यह सीआईआरपी के समापन के लिए वाद के समय सहित, 330 दिनों में निपटान को निर्धारित करता है। आईबीसी के आने से पहले के दिनों की तुलना में तो यह परिणाम बहुत अच्छा है, उस समय इसमें चार साल से अधिक समय लगा करता था। हालांकि, विधायी मंशा की तुलना में, यह इतना अच्छा नहीं है। इस पैरामीटर पर प्रदर्शन में सुधार की बहुत अधिक गुंजाइश है।

## *प्रक्रियाओं में सुधार*

सीआईआरपी ऑर्केस्ट्रा की तरह है जहाँ कई घटकों की विशिष्ट भूमिकाएँ होती हैं। एए, आईपीज, लेनदार और लेनदार समिति (सीओसी), सीडी और उसके पूर्व प्रबंधन, समाधान आवेदकों (आरए), और आईपी द्वारा नियुक्त वृत्तिकों को उनकी सहायता के लिए सक्रिय रूप से और प्रभावी ढंग से अपनी भूमिका निभाने की जरूरत है। यदि उनमें से कोई भी सहयोग नहीं करता है या सक्रिय असहयोग या दुर्भावनापूर्ण कार्यों का सहारा लेता है, तो प्रक्रिया समय पर समाप्त नहीं होगी और न ही इष्टतम परिणाम देगी। उदाहरण के लिए, यदि सफल आरए, एए द्वारा इसके अनुमोदन के बाद, समाधान योजना को लागू नहीं करता है, तो सीआईआरपी पूरी तरह से निरर्थक हो सकती है। मेरा मानना है कि यदि हितधारक अपनी भूमिका प्रभावी ढंग से निभाते हैं, जैसा कि संहिता में परिकल्पित है, तो परिणाम कहीं बेहतर होंगे। जैसा कि नीचे सुझाव दिया गया है, घटकों द्वारा थोड़ी अधिक देखभाल परिणामों में काफी सुधार कर सकती है।

(i). आईबीसी हितधारकों के हाथों में एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग सही मामले में, सही समय पर और सही तरीके से किया जाना चाहिए। उन्हें तनाव के शुरुआती दिनों में इसका उपयोग करना चाहिए, जब कंपनी का मूल्य लगभग बरकरार रहता है, और मूल्य में और गिरावट आने से पहले प्रक्रिया को जल्दी से बंद कर देना चाहिए, ताकि परिसमापन की संभावना को कम किया जा सके या यहां तक कि समाधान योजना में कटौती से बचा जा सके। तनावग्रस्त सीडी को तत्काल राहत की जरूरत है। यह जितना अधिक समय तक तनाव में रहता है, इसके मूल्य का नुकसान उतना ही अधिक होता है। सीआईआरपी शुरू करने या इसके प्रवेश के लिए आवेदन दाखिल करने में देरी होने पर इसका मूल्य कम हो जाता है। यदि प्रक्रिया को समाप्त करने और एए के अनुमोदन के लिए समाधान योजना प्रस्तुत करने में देरी होती है तो इसका मूल्य और कम हो जाता है। यदि एए में समाधान योजना के अनुमोदन में देरी होती है तो मूल्य और कम हो जाता है। समय बीतने के साथ, समाधान योजना द्वारा तनाव के समाधान की संभावना कम हो जाती है या समाधान योजना से बड़े हेयरकट हो जाते हैं। यदि प्रक्रिया में बहुत देर हो जाती है, जब व्यापार परिदृश्य बदल गया है, तो सफल आरए समाधान योजना के कार्यान्वयन को व्यवहार्य नहीं पाता है। यदि उसे अव्यवहार्य योजना को लागू करने के लिए मजबूर किया जाता है, तो वह पहली बार में समाधान योजना प्रस्तुत करने से परहेज करेगा। इससे आरए के अभाव में परिसमापन हो सकता है। हितधारक आईबीसी का उपयोग करने से बच सकते हैं यदि उन्हें प्रक्रिया शुरू होने या समाप्त होने के लिए वर्षों तक इंतजार करना पड़े। यदि सीआईआरपी की शुरुआत की जाती है और तेजी से निष्कर्ष निकाला जाता है, तो पूर्व वर्णित तीनों आलोचनाओं का काफी हद तक समाधान हो जाएगा।

(ii). आईबीसी का लक्ष्य सीडी की संपत्ति के मूल्य को अधिकतम करना है। यदि सीआईआरपी से अधिक मूल्य प्राप्त होता है, तो परिसमापन या हेयरकट की संभावना कम हो जाती है। प्रक्रिया को तेजी से शुरू करने और समाप्त करने के अलावा, कई अन्य उपाय मूल्य प्राप्ति को बढ़ा सकते हैं। कुछ उदाहरण हैं : (क) आईबीसी समाधान योजना के माध्यम से मूल्य अधिकतमीकरण की परिकल्पना करता है। यह समाधान योजना को परिभाषित करता है जो जारी कंसर्न के रूप में सीडी के दिवाला का समाधान करता है। इसमें विलय, समामेलन या डीमर्जर के माध्यम से पुनर्गठन सहित समाधान योजना के माध्यम से समाधान की असीमित संभावनाओं की परिकल्पना की गई है। समाधान योजना प्रबंधन, प्रौद्योगिकी, या उत्पाद पोर्टफोलियो परिसंपत्तियों, व्यवसाय या उपक्रमों का अधिग्रहण या निपटानय संगठन, व्यवसाय मॉडल, स्वामित्व, या बैलेंस शीट का पुनर्गठन टर्न–अराउंड, बाय–आउट, अधिग्रहण या अधिग्रहण की रणनीतिय और इसी तरह से बदलाव ला सकती है। सीआईआरपी विनियमनों का विनियम 37 उपायों की उदाहरणात्मक सूची प्रदान करता है जो समाधान योजना प्रदान कर सकता है। सीओसी, जो समाधान योजनाओं के आमंत्रण के माध्यम से खेल के नियमों को निर्धारित करता है, को समाधान की कई संभावनाओं पर विचार करने की आवश्यकता है, जो मूल्य को बढ़ा सकते हैं; (ख) सीडी, आईपी और सीओसी की सभी सूचनाओं तक पहुंच है और इसलिए वे सीडी की क्षमता को जानते हैं। आईपी और सीओसी को सीडी के संभावित मूल्य की कल्पना करने और संभावित आरए के ध्यान में इस तरह के मूल्य को लाने की जरूरत है, जिस तरह से प्रवर्तक किसी कंपनी के प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के मामले में करते हैं। आईबीसी सीओसी को बाजार से सर्वश्रेष्ठ समाधान प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, पहले के तंत्र के विपरीत जो लेनदारों को केवल मौजूदा प्रवर्तकों के साथ समाधान पर बातचीत करने की अनुमति देता था। सीओसी को सीडी के अंतर्निहित मूल्य को नोटिस करने के लिए बाजार को प्रेरित करना चाहिए और कई प्रतिस्पर्धी समाधान योजनाओं के साथ आना चाहिए; (ग) आईबीसी परिहार लेनदेन के माध्यम से मूल्य की पुनर्प्राप्ति की व्यवस्था करता है। यदि ऐसे लेन–देन पूर्ववत कर दिए जाते हैं और ह्रासित मूल्य को पुनः प्राप्त कर लिया जाता है, तो सीडी का मूल्य अधिक हो जाता है। आईपी को ऐसे लेनदेन की पहचान करने और पुनर्प्राप्ति के लिए एए पर आवेदन करने की आवश्यकता है, और एए को समाधान योजना पर विचार करने से पहले ऐसे आवेदनों का निपटान करने की आवश्यकता है। लेनदारों और पूर्व निदेशकों और सीडी के प्रवर्तकों को इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने की आवश्यकता है; (घ) बाजार एक गैर–परिचालन व्यवसाय की तुलना में एक परिचालन व्यवसाय के लिए उच्च मूल्य प्रदान करता है। आईपी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सीडी पूरे सीआईआरपी में एक सतत चिंता का विषय बना रहे। इसके लिए पूर्ववर्ती प्रबंधन, लेनदारों और सरकारी एजेंसियों के सहयोग की आवश्यकता है; और (ड.) सीआईआरपी खर्चों को न्यूनतम रखना महत्वपूर्ण है। आईपी और सीओसी दोनों को यह सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए कि बीमार सीडी परिहार्य खर्चों का बोझ नहीं है।

(iii). आईबीसी हितधारकों को व्यतिक्रम की दहलीज राशि की सीमा आते ही सीआईआरपी शुरू करने का अधिकार देता है ताकि तनाव को अनियंत्रित अनुपात में बढ़ने से रोका जा सके। व्यतिक्रम के शुरुआती दिनों में, उद्यम मूल्य आम तौर पर परिसमापन मूल्य से अधिक होता है और इसलिए हितधारकों को इसे समाप्त करने के बजाय फर्म के दिवाला को हल करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। सीडी तनाव को नोटिस करने वाला पहला

व्यक्ति है। इसे तुरंत प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। यदि लेनदार सतर्क हैं, तो वे भी पहल कर सकते हैं। दोनों परिस्थितियों में समाधान के लिए उपलब्ध विकल्पों का मूल्यांकन कर सकते हैं और यदि वे इसे सबसे अच्छा विकल्प मानते हैं तो सीआईआरपी शुरू कर सकते हैं। कई उपाय सीआईआरपी के शीघ्र प्रारंभ की सुविधा प्रदान कर सकते हैं : (क) सीआईआरपी के प्रारंभ में सीडी द्वारा तुच्छ आधारों पर प्रतिरोध के कारण आम तौर पर देरी हो जाती है। इस तरह के प्रतिरोध को हतोत्साहित करना आवश्यक है। आईबीसी की धारा 66(2), ट्विलाइट जोन के दौरान उत्पन्न होने वाले लेनदारों के नुकसान के लिए सीडी के निदेशकों को उत्तरदायी ठहराती है। गोधूलि क्षेत्र उस समय से शुरू होता है जब निदेशक जानता है या उसे पता होना चाहिए कि जब तक कंपनी समाधान प्रक्रिया में प्रवेश नहीं करती है, तब तक समाधान प्रक्रिया शुरू होने से बचने की कोई उचित संभावना नहीं है। इस अवधि के दौरान, निदेशक के पास देय कार्य करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी होती है लेनदारों को संभावित नुकसान को कम करने के लिए परिश्रम और वह इस तरह के नुकसान को पूरा करने के लिए उत्तरदायी है। यदि आईपी प्रत्येक सीआईआरपी के मामले में धारा 66(2) के अधीन आवेदन फाइल करता है और एए इसे तुरंत निपटा देता है, तो सीडी के प्रवेश का विरोध करने की संभावना नहीं है; (ख) अत्यधिक लीवरेज वाली कंपनियों के बोर्ड में आमतौर पर लेनदारों के प्रतिनिधि होते हैं। इसलिए, अन्य हितधारकों की तुलना में लेनदारों को सीडी में तनाव का शुरुआती संकेत मिल सकता है। एफसी, विशेष रूप से बैंकों को ऐसे मामलों में प्रारंभिक चरण में सीआईआरपी शुरू करना चाहिए; (ग) यदि एए को व्यतिक्रम के बारे में प्रमाणित जानकारी उपलब्ध है तो प्रवेश की गति तेज हो सकती है। आईबीसी इस उद्देश्य के लिए आईयू की परिकल्पना करता है। एक सीमा से अधिक ऋण वाले लेनदारों और देनदारों के लिए वित्तीय जानकारी प्रस्तुत करना और आईयू के साथ इसे प्रमाणित करना अनिवार्य हो सकता है। एक बार व्यतिक्रम के बारे में प्रमाणित जानकारी उपलब्ध होने के बाद, प्रवेश स्वचालित होना चाहिए; और (घ) एए की पीठ क्षमता को अपने कार्यभार से मेल खाते हुए बढ़ाया जाना चाहिए ताकि कोई भी आवेदन वैधानिक रूप से अनुमत 14 दिनों से अधिक के लिए लंबित न रहे। आईबीसी यह भी स्पष्ट कर सकता है कि एए को केवल सीडी द्वारा सीआईआरपी में आवेदन के प्रवेश के लिए दहलीज व्यतिक्रम की प्रतिबद्धता के बारे में संतुष्ट होने की जरूरत है, किसी और चीज की नहीं।

(iv). एफसी सीडी के भाग्य की कुंजी रखते हैं। वे सीडी के जीवन को बचा सकते हैं और अपने व्यावसायिक कौशल के आधार पर हेयरकट को कम कर सकते हैं। उन्हें सीडी के व्यवसाय और ऑपरेटिंग वातावरण को समझना चाहिए और शीघ्र उपाय करना चाहिए जैसे : (क) उन्हें किसी भी आसन्न तनाव को महसूस करना चाहिए और समय पर उचित उपचारात्मक उपाय करना चाहिए। व्यवसाय के अपने मूल्यांकन के आधार पर, उन्हें शीघ्रता से निर्णय लेने की आवश्यकता है कि सीआईआरपी शुरू करना है या नहीं; (ख) सीओसी को बाजार में सीडी के मूल्य को नोटिस करने और कई प्रतिस्पर्धी समाधान योजनाओं की पेशकश करने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, जैसा कि पहले चर्चा की गई थी; (ग) एए ने, कुछ मामलों में, सीओसी के आचरण को अस्वीकार्य पाया है। सीओसी को अपनी सौंपी गई भूमिका अत्यंत अनुशासन के साथ निभानी चाहिए। इसे आईपी की भूमिका का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए, यह तय करने के लिए उद्यम नहीं करना चाहिए कि लेनदार एफसी है या नहीं। यह उन चीजों को करने के लिए आईपी को प्रभावित नहीं करना चाहिए जो अनुमेय नहीं हैं; और (घ) सीओसी का प्रतिनिधित्व ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए जो सक्षम हैं और एफसी से किसी आंतरिक अनुमोदन के लिए निर्णयों को स्थगित किए बिना मौके पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत हैं।

(v) आईबीसी राज्य की न्यूनतम भूमिका के साथ बाजार प्रक्रिया प्रदान करता है। सीआईआरपी के लिए प्रवेश आवेदनों, कई विविध आवेदनों के निपटान और समाधान योजनाओं के अनुमोदन के मामले में एए को त्वरित होना चाहिए। यदि बाजार सहभागियों द्वारा अपनी–अपनी भूमिका निभाने के बावजूद इन पहलुओं को पूरा नहीं किया जाता है, तो यह आईबीसी में विफल हो जाएगा। एए की क्षमता बढ़ाने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं : (क) कॉरपोरेट्स और व्यक्तियों की सभी प्रकार की दिवाला, परिसमापन और शोधन अक्षमता प्रक्रियाओं से निपटने के लिए एक समर्पित, अनन्य एए हो सकता है; (ख) पीठ क्षमता/सदस्यों की संख्या आज की तुलना में कई गुना होनी चाहिए; (ग) पीठ में केवल एक सदस्य हो सकता है, यह देखते हुए कि कार्यवाही प्रतिकूल नहीं है; (घ) पीठ में करियर दिवाला सदस्य हो सकते हैं, जो करियर के लिए क्षमता का निर्माण करेंगे; (ड.) स्थगन की संख्या को प्रतिबंधित किया जा सकता है और इसलिए एए के समक्ष अपना मामला पेश करने के लिए एक पार्टी के लिए उपलब्ध समय होना चाहिए; (च) एए केवल आवश्यक पर ध्यान केंद्रित कर सकता है और मामूली विविध आवेदनों को दाखिल करने को हतोत्साहित कर सकता है। यह समाधान योजना को मंजूरी देते समय निर्णयों के विज्ञापनों पर गौर नहीं करेगा या सीआईआरपी में आवेदन स्वीकार करते समय व्यतिक्रम के अलावा अन्य कारकों पर विचार नहीं करेगा। यह अदालतों के जाल से बच सकता है; और (छ) समर्थन प्रणाली को बढ़ाने की जरूरत है। पीठ के पास पर्याप्त विधिक और शोध समर्थन हो सकता है। मामलों के प्रबंधन और उनकी समय–सारणी के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए। प्रशासन सटीकता, पूर्णता और आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए आवेदनों / फाइलिंग की जांच कर सकता है, ताकि पीठ द्वारा निपटान तेज हो जाए। साथ ही, नई शुरुआत और स्वैच्छिक परिसमापन जैसी सरल प्रक्रियाएं, जिनमें कई विवाद नहीं होते हैं, को एए के बाहर प्रशासनिक रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। एए पर कार्य–भार कम करने के लिए समाधान के लिए मध्यस्थता और सुलह का उपयोग किया जा सकता है।

(vi). दिवाला प्रक्रिया की अखंडता के लिए आईपी महत्वपूर्ण है। इसकी प्रतिष्ठा आज खतरे में है क्योंकि कुछ आईपी ने अपमानजनक/स्वच्छ रूप से अवैध कार्यों की अनुमति दी है या उनमें पक्षकार रहे हैं। आईपी को अपनी क्षमता और नैतिक मानकों को काफी हद तक बढ़ाने की जरूरत है। उन्हें सीआईआरपी के किसी पक्ष/हितधारक का पक्ष नहीं लेना चाहिए या किसी भी तरह की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और बिना किसी डर या पक्षपात के सेवाएं देनी चाहिए।

(vii). सीडी, एफसी और सीओसी और यहां तक कि आरए के प्रवर्तकों और निदेशकों की ओर से कदाचार के कई उदाहरण हैं। ऐसी स्थितियों में, आईबीबीआई जितना अधिक कर सकता है, वह उनके खिलाफ विशेष अदालत में शिकायत दर्ज करना है। आवश्यक साक्ष्य के अभाव में शिकायत सफल नहीं हो सकती है, जिसे आईबीबीआई उपयुक्त अधिकार क्षेत्र के अभाव में एकत्र करने में सक्षम नहीं हो सकता है। संहिता के सफल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है कि सभी हितधारक नियामक अनुशासन के अधीन हों। उन्हें आईबीबीआई के अधिकार क्षेत्र में लाया जा सकता है। एक समानांतर बिंदु को स्पष्ट कर सकता है। अपने शुरुआती दिनों में, सेबी को निवेशकों के हितों की रक्षा करने में बहुत प्रभावी नहीं माना जा रहा था। यह अनिवार्य रूप से इसलिए था क्योंकि प्रतिभूतियों के जारीकर्ताओं पर इसका अधिकार क्षेत्र नहीं था। यह अपने प्रयासों को केवल लीड मैनेजर्स और मर्चेंट बैंकरों पर निर्देशित कर रहा था, जो बिचौलियों और प्रॉस्पेक्टस के हस्ताक्षरकर्ता हैं, उन्हें कंपनियों की ओर से प्रकटीकरण करने की आवश्यकता है। यहां तक कि इसे न्यायालयों में चुनौती दी जा रही थी, क्योंकि इसे सेबी के अधिकार क्षेत्र से बाहर माना जा रहा था। इस दुर्बलता को प्रतिभूति कानून (संशोधन) अधिनियम, 1995 द्वारा संबोधित किया गया था, जिसने सेबी अधिनियम, 1992 में पूंजी जारी करने, प्रतिभूतियों के हस्तांतरण और अन्य संबंधित

मामलों में सेबी के नियामक क्षेत्राधिकार का विस्तार करने के लिए धारा 11क (जिसे 2002 में और सुदृढ़ किया गया) को शामिल किया।

(viii). संहिता का प्रमुख उद्देश्य संकटग्रस्त सीडी की संपत्ति के मूल्य को अधिकतम करना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण तत्व तुलना और सूचित निर्णय लेने की सुविधा के लिए संपत्ति के मूल्य का पारदर्शी और विश्वसनीय निर्धारण है। मूल्यांकन विकल्पों के मूल्यांकन के लिए संदर्भ के रूप में कार्य करता है, जिसमें परिसमापन शामिल है, और उस विकल्प का चयन जो फर्म और परिणामस्वरूप हितधारकों के भाग्य का फैसला करता है। यदि मूल्यांकन सही नहीं है, तो व्यवहार्य फर्म का परिसमापन किया जा सकता है और गैर–लाभकारी फर्म का पुनर्वास किया जा सकता है, जो अर्थव्यवस्था के लिए विनाशकारी हैं। अंतरिम व्यवस्था के रूप में, कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन ढांचा तैयार किया गया था जो आईबीबीआई को मूल्यांकन व्यवसाय को तैयार करने में सक्षम बनाता है। व्यवसाय को अगले स्तर तक ले जाने के लिए, विशेशज्ञों की समिति ने मूल्यांकन व्यवसाय के विनियमन और विकास को चलाने के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन संस्थान की स्थापना की सिफारिश की है। इसके अलावा, एक अन्य समिति ने परिसंपत्ति वर्ग विशिश्ट मूल्यांकन मानकों की सिफारिश की है। मूल्यांकक अधिनियम के अधिनियमन और मूल्यांकन मानकों की अधिसूचना को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

(ix) व्यापार करने में आसानी को बेहतर बनाने की दृष्टि से, देश तनाव के समाधान के लिए कई विकल्प प्रदान करने और मौजूदा विकल्पों को मूल्य वर्धित सुविधाओं के साथ समृद्ध करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। समूह दिवाला और सीमा पार दिवाला के समाधान के लिए स्पष्ट उपबंध कारपोरेट दिवाला प्रक्रियाओं को और भी महत्वपूर्ण बनाएंगे।

(x) भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली, ट्रिलियन–डॉलर की अर्थव्यवस्था है। सभी महत्वपूर्ण आंकड़े जैसे प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए सूचकांक और नवाचार के लिए सूचकांक में पिछले कुछ वर्शों में सुधार हुआ है। प्रतिस्पर्धा और नवाचार के सामने, यह स्वाभाविक है कि कुछ व्यवसायों को संकट का अनुभव होगा। अर्थव्यवस्था के आकार और इसकी विकास क्षमता को देखते हुए, संकटग्रस्त संपत्तियों का बाजार में निरंतर प्रवाह होगा। बाजार में पर्याप्त गहराई होनी चाहिए ताकि हर संकटग्रस्त संपत्ति के लिए कई समाधान योजनाएं हों। परिणामों की पूर्वानुमेयता सुनिश्चित करते हुए दुनिया भर के निवेशकों को बाजार में भाग लेने की अनुमति देने के संदर्भ में नियमों को संकटग्रस्त संपत्तियों के लिए बाजार को बढ़ावा देना चाहिए। वे ऐसे मंचों को बढ़ावा दे सकते हैं जहां संकटग्रस्त परिसंपत्तियां पूर्ण पारदर्शिता के साथ समाधान के लिए उपलब्ध हों।

(xi) यह देखते हुए कि भारत की दिवाला व्यवस्था अभी भी नवजात और अद्वितीय है, दिवाला के संबंध में डेटा सिस्टम अभी उभर रहे हैं। पूर्व–पश्च मूल्यांकन के लिए एक पूर्व–रणनीति होने का महत्व मूल्यांकन की डेटा आवश्यकताओं पर प्रकाश डालता है और ऐसा करने से, आवश्यक जानकारी के शीघ्र संग्रह की अनुमति मिलती है। संहिता के अधीन उत्पन्न किए जा रहे डेटा का उपयोग करने और संहिता के मापन योग्य प्रभावों को समझने का समय आ गया है। संहिता के परिणामों की निगरानी और मापन के लिए संकेतकों का स्पश्ट रूप से परिभाशित ढांचा होना अनिवार्य है, जिन्हें उद्देश्यों/मानदंडों के खिलाफ नियमित आधार पर ट्रैक और रिपोर्ट किया जाता है। यह नीतियों पर सूचित सार्वजनिक बहस की सुविधा प्रदान करेगा और इस तरह अच्छी नीति प्रतिक्रिया के लिए विचारों की क्राउडसोर्सिंग में मदद करेगा। डेटा आधारित विश्लेशण न केवल नीति–निर्माता के टूलकिट को सुदृढ़ नीति निर्माण के लिए समृद्ध करेगा, जिसका संहिता के लाभार्थियों या हितधारकों पर सीधा प्रभाव पड़ता है, बल्कि अन्य उद्देश्यों जैसे बैंकों और वित्तीय संस्थानों के पर्यवेक्षण, वित्तीय प्रणालियों की निगरानी, या सामान्य मैक्रोइकॉनॉमिक मॉडल के लिए भी उपयोगी होगा।

(xii) मैंने आईबीबीआई के लिए किसी सुधार का सुझाव नहीं दिया है। इसका यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि आईबीबीआई को किसी सुधार की आवश्यकता नहीं है। चूंकि मेरे विचारों के पक्षपाती होने की संभावना है, इसलिए मैं पाठकों, नीति निर्माताओं और हितधारकों पर छोड़ता हूँ कि वे आईबीबीआई के संबंध में सुधार के लिए सुझाव दें। ऐसा करने में उनकी मदद करने के लिए, मैं आईबीबीआई के कुछ संरचनात्मक डिजाइन पहलुओं पर ध्यान दिलाता हूं।

## आईबीबीआई : अद्वितीय नियामक

आईबीबीआई नियामक दुनिया में हाल ही में जोड़ा गया है। हालाँकि, यह एक नया प्रयोग प्रतीत होता है, जिसका न तो भारतीय नियामक परिवेश में और न ही दिवाला क्षेत्र में कोई समानांतर है। मैं आईबीबीआई की भूमिका और इसके कामकाज के कुछ पहलुओं पर ध्यान दिलाना चाहता हूं, जैसा कि मैं समझता हूं, जो इसे एक विशिश्ट नियामक बनाते हैं।

### *भूमिका के पहलू*

आईबीबीआई के पास संहिता के अधीन (क) दिवाला क्षेत्र में वृत्तिक और संबंधित संस्थान – आईपी, आईपीए, आईपीई और आईयू, और (ख) दिवाला प्रक्रिया – सीआईआरपी, प्री–पैकेज्ड दिवाला समाधान, कारपोरेट परिसमापन, स्वैच्छिक परिसमापन, नई शुरुआत, दिवाला समाधान और व्यक्तिक शोधन अक्षमता पर नियामक निगरानी है।

*एक में तीन नियामक :* व्यवसाय का नियामक व्यवसाय को विकसित और विनियमित करता है। यह उन बाजारों को विनियमित नहीं करता है जहां ये व्यावसायिक सेवा करते हैं। न ही यह बाजार में/लेनदेन के लिए उनके द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों को निर्दिष्ट करता है। बाजारों का नियामक, बाजार के विकास और विनियमन को बढ़ावा देता है। यह उन वृत्तिकों को विकसित और विनियमित नहीं करता है, जो इन बाजारों में सेवाएं प्रदान करते हैं। उपयोगिताओं का नियामक प्रतिस्पर्धा की चिंताओं को दूर करने और उपयोगिताओं के लिए निवेश को आकर्षित करने के लिए मानक निर्धारित करता है और टैरिफ तय करता है। आईबीबीआई दिवाला व्यवसाय को विकसित और नियंत्रित करता है। यह बाजार में /लेनदेन के लिए आईपी द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों को निर्दिष्ट करता है और उन बाजारों को भी नियंत्रित करता है जहां आईपी सेवा करते हैं। यह आईयू की सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मानक निर्धारित करता है और प्रतिस्पर्धी माहौल प्रदान करने का प्रयास करता है। यह व्यवसाय के नियामक, बाजारों के नियामक और उपयोगिताओं के नियामक के कर्तव्यों को संमिश्रित करता है, हालांकि इसकी भूमिका इनमें से किसी से भी बहुत अलग है।

*प्राधिकार का दायरा :* सेबी के पास प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करने और प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देने और विनियमित करने के लिए वैधानिक उद्देश्य हैं। इसे अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी उपाय करने का अधिकार है। इसे अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बनाने का अधिकार है। इसका अधिकार क्षेत्र प्रतिभूति बाजारों में सभी प्रतिभागियों तक फैला हुआ है, जिसमें प्रतिभूतियों के जारीकर्ता और उनकी प्रतिभूतियों के व्यापार के संबंध में शामिल हैं। दूसरी ओर, आईबीबीआई के विशिष्ट वैधानिक कार्य हैं, जो सरकार के सामान्य निर्देश के अधीन हैं। इसे संहिता के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बनाने का अधिकार है। इसका अधिकार क्षेत्र सेवाप्रदाताओं (आईपी, आईपीए, और आईयू) पर लागू है, न कि बाजार सहभागियों (देनदार और लेनदार, प्रवर्तक, सीओसी और आरए) पर। बाजार नियामक की तुलना में आईबीबीआई के प्राधिकार का दायरा अलग है।

*नियामक बनाम अधिकरण :* नियामक प्रवर्तन और न्यायिक कार्यों के माध्यम से अपने द्वारा बनाए गए विनियमों को लागू करता है और उनकी व्याख्या करता है। इस तरह के कार्यों और व्याख्याओं को अपीलीय अधिकरण के समक्ष चुनौती दी जाती है। हालांकि, नियामक के अर्ध–विधायी या कार्यकारी कार्यों के संबंध में अधिकरण की कोई भूमिका नहीं है। इसके विपरीत, आईबीबीआई को सेवा प्रदाताओं के संबंध में छोड़कर, अपने द्वारा बनाए गए विनियमों को लागू करने और उनकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। हितधारक और आईपी विनियमों के अनुसार प्रक्रियाओं का संचालन करते हैं और अनुमोदन के लिए एए को प्रस्तुत करते हैं। एए अपने निर्णयों के माध्यम से विनियमों सहित कानून को लागू करता है और व्याख्या करता है। हालांकि, यह आईबीबीआई के कार्यों के लिए अपीलीय प्राधिकारी नहीं है। चूंकि भारत में या कहीं ओर, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में आईबीबीआई और एए जैसे दो समानांतर संस्थान नहीं हैं, इसलिए प्रारंभिक वर्षों में एक–दूसरे की भूमिका की सराहना करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयासों की आवश्यकता है।

*दिवाला क्षेत्र में अद्वितीय :* अधिकांश दिवाला न्यायाधिकारों में विनियमन के पदानुक्रम में दो लेयर होती हैं, अर्थात्, दिवाला से निपटने वाला सरकारी विभाग और दिवाला व्यवसायियों को विनियमित करने वाले सदस्यता संगठन। जहां कहीं बीच में कोई अन्य एजेंसी है, ऐसी एजेंसी दिवाला के लिए समर्पित नहीं है। इसके विपरीत, भारतीय क्षेत्राधिकार में पदानुक्रम में तीन लेयर होती हैं जिसमें आईबीबीआई सरकार और आईपीए के बीच अंतरित होता है। आईबीबीआई को कार्य सौंपे जाते हैं, जिनमें से कुछ या तो सरकार के दायरे में होते हैं या अन्य अधिकार क्षेत्र में व्यावसायिक निकाय होते हैं। चूंकि भारत में या कहीं और से सीखने के लिए कोई तुलनीय नियामक नहीं है, आईबीबीआई अपनी भूमिका के संदर्भ में एक विकसित प्रयोग है।

## *कामकाज के पहलू*

अपने वैधानिक कर्तव्यों और कार्यों का निर्वहन करते हुए, आईबीबीआई ने अधिकांश अन्य नियामकों की तुलना में थोड़ा अलग रास्ता अपनाया है, यद्यपि यह कानून की अनुमेय सीमाओं के भीतर है।

*जवाबदेही :* गति संहिता का सार है। संहिता का निर्माण होने के कारण आईबीबीआई ने पहले दिन से ही गति को आत्मसात कर लिया। इसे 01 अक्टूबर 2016 को स्थापित किया गया था। इसे 01 दिसंबर 2016 तक कारपोरेट दिवाला शुरू करने का निर्देश दिया गया था। इसके लिए किसी चमत्कार से कम की आवश्यकता नहीं थी। इसके तत्काल कार्यों में निम्नांकित शामिल थेः आईपीए स्थापित करने के लिए बाजार को स्वैच्छिक सेवाएं देना; आईपीए के साथ पंजीकरण और आईबीबीआई के साथ आईपी के रूप में रजिस्ट्रीकरण चाहने वाले, सही क्षमता वाले व्यक्तिकों का पता लगाना; आईपी, आईपीए, सीआईआरपी और परिसमापन प्रक्रिया से संबंधित विनियम लागू करनाय संहिता के संदेश को फैलाने में सहयोग करना और हितधारकों को उनकी भूमिका के बारे में जागरूक करना और आईबीबीआई को इन पर काम करने की क्षमता पैदा करना। सरकार के सक्रिय समर्थन के साथ, आईबीबीआई ने इन सभी को निष्पादित किया, जिससे 01 दिसंबर 2016 को सीआईआरपी का कार्यकरण संभव हो गया। तब से तत्परता इसकी कार्य संस्कृति का हिस्सा रही है।

नियामकों को, चिंताओं को सक्रिय रूप से या चिंता के सामने आने के तुरंत बाद कम से कम इसे संबोधित करने के लिए बनाया गया है। सक्रिय कार्रवाइयों के दो उदाहरण हैं : (क) जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के सीआईआरपी में, 24 अगस्त, 2017 तक दावों की मांग करते हुए 10 अगस्त, 2017 को सार्वजनिक घोषणा की गई थी। यह स्पष्ट नहीं था कि क्या एफसी और परिचालन लेनदार (ओसी) के रूप में भू–संपदा परियोजना का आवंटी दावा प्रस्तुत करेगा या नहीं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि 24 अगस्त, 2017 तक दावे प्रस्तुत किए गए हैं, आईबीबीआई ने 16 अगस्त, 2017 को सीआईआरपी विनियमों में संशोधन किया ताकि आवंटियों द्वारा दावों को प्रस्तुत किया जा सके। समय के साथ, ऐसे आवंटियों को वित्तीय लेनदारों के रूप में स्पष्ट रूप से विचार करने के लिए 06 जून, 2018 को संहिता में संशोधन किया गया था। (ख) संहिता के अधीन पहली समाधान योजना 02 अगस्त, 2017 को अनुमोदित की गई, जिसके अधीन सिनर्जीज डोरे ऑटोमोटिव लिमिटेड को एक समूह की कंपनी के साथ मिला दिया गया, जबकि लेनदारों ने 94% की कटौती की थी। यह उन प्रवर्तकों को पुरस्कृत करने जैसा प्रतीत होता है, जिन्होंने लेनदारों की कीमत पर कंपनी को जमीन पर चला दिया था। सीआईआरपी की सत्यनिष्ठा बनाए रखने के लिए, आईबीबीआई ने 07 नवंबर, 2017 को सीआईआरपी विनियमों में संशोधन किया, जिसमें आरए और उससे जुड़े व्यक्तियों के पूर्ववृत्त – दोशसिद्धि, आपराधिक कार्यवाही, जानबूझकर व्यतिक्रम, निष्कासन – के प्रकटीकरण की आवश्यकता होती है ताकि इस तरह के आवेदकों की विश्वसनीयता का आकलन किया जा सके। इसके बाद, 23 नवंबर, 2017 को संहिता में संशोधन किया गया, जिसमें ऐसे पूर्ववृत्त वाले व्यक्तियों को समाधान योजना प्रस्तुत करने से प्रतिबंधित कर दिया गया।

एए एक प्रक्रिया का संचालन करने के लिए आईपी नियुक्त करता है। जब हितधारकों ने आईपी की पहचान की है, तो एए को उसे नियुक्त करने से पहले आईबीबीआई से आईपी की साख को सत्यापित करने की आवश्यकता है। आईबीबीआई एए के पास सभी योग्य आईपी का डेटाबेस पहले से उपलब्ध कराती है ताकि वह आईपी को तुरंत नियुक्त कर सके। इसी तरह, जहां हितधारकों ने आईपी का प्रस्ताव नहीं दिया है, एए को सिफारिश के लिए आईबीबीआई को संदर्भ बनाने की जरूरत है। आईबीबीआई अग्रिम रूप से एए के साथ अनुशंसित आईपी का पैनल उपलब्ध कराता है, जो नियुक्तियों के लिए तत्काल समाधान के रूप में कार्य करता है। संहिता ने शुरू में आईआरपी की नियुक्ति के लिए 14 दिनों की परिकल्पना की थी। हालाँकि, इस अभिनव समाधान ने नियुक्तियों को तात्कालिक बना दिया है। इसे मान्यता देते हुए, दिवाला विधि समिति (आईएलसी) ने आईआरपी की नियुक्ति के लिए 14 दिनों की अवधि को समाप्त करने की सिफारिश की और धारा 16(1) को तदनुसार दिसंबर, 2019 में संशोधित किया गया।

*शासन :* एक नियामक में शक्तियों के एकीकरण से उत्पन्न होने संबंधी चिंताएं हैं। इसे संबोधित करने के लिए, आईबीबीआई ने खुद को तीन अलग–अलग विंग में संरचित किया है, अर्थात्, अनुसंधान और विनियमन विंग, रजिस्ट्रीकरण और अनुश्रवण विंग, और प्रशासनिक विधि विंग और इनमें से प्रत्येक विंग का नेतृत्व, पृथक पूर्णकालिक सदस्य द्वारा किया जाता है, ताकि अंतर–संस्थागत और सार्वजनिक विधिक चिंता से बचा जा सके।

संहिता स्पष्ट रूप से आईबीबीआई और उसके गवर्निंग बोर्ड (जीबी) के बीच अंतर नहीं करती है। हालांकि, 7 अक्टूबर 2016 को आयोजित अपनी पहली बैठक में, जीबी ने उन व्यवसायों की पहचान की, जिन्हें अकेले ही औपचारिक विनियमों को लंबित करते हुए लेनदेन करना चाहिए। औपचारिक विनियमों को 31 जनवरी, 2017 को अधिसूचित किया गया था, जिसमें जीबी द्वारा किए जाने वाले व्यवसायों को निर्धारित किया गया था। यह विनियम जीबी के सदस्यों के लिए आचरण चार्टर प्रदान करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जीबी इस तरह से आचरण करता है जो अपने जनादेश को पूरा करने की क्षमता से समझौता नहीं करता है या सदस्यों की अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की क्षमता में जनता के विश्वास को कम करता है। जीबी के गैर–कार्यकारी सदस्य दिवाला शासन के कामकाज पर प्रत्यक्ष और स्वतंत्र प्रतिक्रिया के लिए वर्ष में एक बार आईबीबीआई और अन्य हितधारकों के अधिकारियों से मिलते रहे हैं।

जीबी शुरू से ही अपने प्रदर्शन के प्रति सचेत रहा है। यह मूल्यांकन करने के लिए 2018–19 से स्वयं का मूल्यांकन कर रहा है कि क्या यह बाहरी जांच की अपेक्षाओं को पूरा कर रहा है और संगठनात्मक और बोर्ड के प्रदर्शन दोनों में सुधार कर रहा है और अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए ताकत, कमजोरियों और अवसरों की पहचान कर रहा है। आईबीबीआई जीबी के मूल्यांकन से स्वतंत्र अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। स्व–मूल्यांकन की अपर्याप्तता को ध्यान में रखते हुए, जीबी ने एक बाहरी एजेंसी द्वारा आईबीबीआई के प्रदर्शन के मूल्यांकन का निर्देश दिया, जो संहिता से अलग है। नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च को मूल्यांकन करने के लिए कमीशन किया गया है। जीबी अब बदलते समय और आने वाली चुनौतियों के साथ आईबीबीआई की फिर से कल्पना करने की इच्छा के साथ जब्त कर लिया गया है। यह आईबीबीआई के अधिकार की नए सिरे से जांच कर रहा है कि क्या आईबीबीआई द्वारा निगरानी की जा रही प्रक्रियाओं के परिणामों के आलोक में इसके निरंतर अस्तित्व की प्रत्याभूति है और क्या ये अंततः उन्नत आर्थिक प्रदर्शन की ओर ले जा रहे हैं।

आईबीबीआई ने हमेशा हर संभव प्रारूप में हितधारकों के साथ जुड़ने का प्रयास किया है। यह उनके साथ व्यापक परामर्श के बाद, गोलमेज में, और इलेक्ट्रॉनिक रूप से, और कार्य समूहों और सलाहकार समितियों की सलाह के बाद विनियम बनाता है। किसी भी हितधारक को पूरे वर्ष के दौरान किसी भी नए विनियमन की तलाश करने या मौजूदा नियमों में किसी भी बदलाव का सुझाव देने में सक्षम बनाने के लिए इसकी स्थायी व्यवस्था है। यह प्रत्येक हितधारक को नियामक के स्थान पर रखता है और विचारों और दृष्टिकोणों को क्राउडसोर्स करता है। नतीजतन, नियामक के पास उपलब्ध विचारों का दायरा बहुत बड़ा है और अधिक अनुकूल नियामक ढांचे की संभावना बहुत अधिक है।

*निर्माण व्यवसाय :* आईबीबीआई दो उभरते हुए व्यवसायों, नामतः दिवाला व्यवसाय और मूल्यांकन व्यवसाय का पालन–पोषण कर रहा है। व्यवसायों के निर्माण के लिए मानक टूलबॉक्स का उपयोग करते हुए, आईबीबीआई ने कुछ नवाचार किए हैं।

आईबीबीआई ने दिवाला व्यवसाय को अगले स्तर तक ले जाने के लिए स्नातक दिवाला कार्यक्रम (जीआईपी) की अवधारणा के लिए उद्योग पहल का नेतृत्व किया। यह दुनिया में अपनी तरह का अनूठा कार्यक्रम है जो उच्च गुणवत्ता वाले आईपी का उत्पादन करता है जो विश्व स्तरीय सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। यह युवा व्यावसायिकों, जिनके पास प्रतिभा है लेकिन अनुभव की कमी है, को दिवाला व्यवसाय अपनाने का अवसर प्रदान करता है। यह 24 महीने का कार्यक्रम है जिसमें 12 महीने के गहन आवासीय कक्षा घटक और 12 महीने के प्रेक्टिस का व्यावहारिक इंटर्नशिप घटक शामिल है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपोरेट अफेयर्स (आईआईसीए) ने शैक्षणिक वर्ष 2019–20 में जीआईपी शुरू किया। राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय, भोपाल (एनएलआईयू, भोपाल) शैक्षणिक वर्ष 2022–23 से जीआईपी शुरू करने वाला है।

किसी व्यवसाय की विश्वसनीयता उसके सदस्यों की विश्वसनीयता पर निर्भर करती है। अधिकांश अन्य व्यवसायों की तुलना में दिवाला व्यवसाय (मूल्यांकन व्यवसाय) की एक विशिष्ट आवश्यकता यह है कि यह केवल उन व्यक्तियों को अनुमति देता है, जिनको इस व्यवसाय पर गर्व होगा, और उन व्यक्तियों के प्रवेश को रोकता है, जिनके पूर्ववृत्त संदिग्ध या उन पर प्रश्नचिन्ह हैं। यह केवल उन व्यक्तियों के प्रवेश की अनुमति देता है जो 'फिट और उचित' हैं और उन्हें निरंतर रजिस्ट्रीकरण की शर्त के रूप में 'फिट और उचित' रहने की आवश्यकता है। यह निर्धारित करने के लिए कि कोई व्यक्ति 'फिट और उचित' है या नहीं, आईबीबीआई विभिन्न पहलुओं पर विचार करता है, जिसमें (क) अखंडता, प्रतिष्ठा और चरित्र, (ख) दोषसिद्धि और संयम आदेशों की अनुपस्थिति, और (ग) क्षमता और वित्तीय शोधन क्षमता शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है।

आईबीबीआई दो नए व्यवसायों के संबंध में अपनी भूमिका को देखते हुए ज्ञान संगठन बनने का प्रयास करता है। आईपीए के सहयोग से, यह उभरते हुए ज्ञान का उत्पादन और कब्जा करने और प्रवेश के समय और निरंतर आधार पर व्यावसायिकों की क्षमता बनाने के लिए शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और चिकित्सकों के साथ जुड़ रहा है। यह तीन परिसंपत्ति वर्गों, भूमि और भवन, संयंत्र और मशीनरी और प्रतिभूतियों या वित्तीय परिसंपत्तियों और व्यवसायों में प्रवेश के लिए दिवाला परीक्षा के लिए मूल्यांकन परीक्षा आयोजित करता है। इसने इन परीक्षाओं के लिए उम्मीदवारों को तैयार करने के लिए विशेशज्ञों द्वारा विकसित अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई है। इनमें से, मूल्यांकन अध्ययन केंद्र, अनुसंधान और प्रशिक्षण परिसंघ द्व ारा विकसित संयंत्र और मशीनरी, और भूमि और भवन के लिए अध्ययन सामग्री, दुनिया भर में कई मूल्य निर्धारण संगठनों द्वारा उपयोग की जाती है। आईबीबीआई और आईपीए कई प्रकाशन और शोध अध्ययन लाते हैं और ऐसा करने के लिए अकादमिक जगत को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करते हैं और उनका समर्थन करते हैं।

*संस्थागत वैधता :* जो चीज किसी संगठन को संस्था से अलग करती है, वह है इसकी वैधता। एक संगठन को केवल अपने वैधानिक अधिदेश के लिए नहीं बल्कि हितधारकों द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए कि वह क्या करता है और कैसे करता है। इसके लिए संगठन को वर्षों या दशकों तक लगातार आचरण और प्रदर्शन द्वारा सामाजिक पूंजी का निर्माण करने की आवश्यकता होती है। मेरी समझ से आईबीबीआई ने वैधता की यात्रा शुरू कर दी है।

शायद अपनी भूमिका और प्रदर्शन की मान्यता में, आईबीबीआई को वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद, भारतीय नियामक मंच, प्रतिस्पर्धा विधि समीक्षा समिति, आईएलसी और इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इन्सॉल्वेंसी रेगुलेटर्स जैसे महत्वपूर्ण मंचों पर जगह मिलती है। इसने दिवाला क्षेत्र में वित्तीय सेवा प्रदाताओं के समाधान पर आईएलसी की उप–समिति जैसी महत्वपूर्ण समितियों जैसे मूल्यांकन व्यावसायिकों के विनियमन और विकास के लिए संस्थागत ढांचे पर विशेशज्ञों की समितिय और प्री–पैकेज्ड दिवाला समाधान प्रक्रिया पर आईएलसी की उप–समिति को नेतृत्व प्रदान किया ।

आईबीबीआई के एक विशिष्ट आगंतुक ने एक बार इसे 'स्टार्ट–अप' के रूप में वर्णित किया था। मैं काफी हद तक सहमत हूं और चाहता हूं कि या ऐसा ही बना रहे। आईबीबीआई में एक स्टार्ट–अप की सभी विशेशताएं हैं, अर्थात यह युवा है, नवाचार कर रहा है, लचीला है, चुस्त है, और परिणाम पर ध्यान केंद्रित करता है। टीम आईबीबीआई, अपने जीबी के नेतृत्व में, स्थापित विधिक ढांचे की चार दीवारी के भीतर किसी भी हितधारक की वैध चिंता को संबोधित करने में मदद करने के लिए हमेशा सतर्क और उपलब्ध रहती है।

## निष्कर्ष

अपने पांचवें वर्ष में, देश में दिवाला सुधारों ने मील के कई महत्वपूर्ण पत्थर पार कर लिए हैं और अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए परिणाम भी दिए हैं। मैं कारपोरेट कार्य मंत्रालय को इस सुधार की सफलता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास करने हेतु धन्यवाद अर्पित करता हूं। मैं आईबीबीआई के जीबी के सभी सदस्यों का ऋणी हूं जिन्होंने कम समय में देश में एक कुशल और प्रभावी दिवाला व्यवस्था स्थापित करने के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करने के लिए आईबीसी और आईबीबीआई को अपना अथक समर्थन प्रदान किया।

**(डॉ. एम. एस. साहू)**

# ख

# समीक्षाधीन वर्ष

## वृहत्त आर्थिक संदर्भ

जैसे–जैसे वर्ष 2019–20 समाप्त हो रहा था, कोविड–19 महामारी के प्रकोप ने वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य क्षेत्र, अर्थव्यवस्था और वित्तीय बाजारों के लिए अनूठी चुनौतियां प्रस्तुत कर दीं। इसका सभी अर्थव्यवस्थाओं में व्यापक आर्थिक रुझानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, अर्थव्यवस्थाओं और समाजों में संरचनात्मक परिवर्तन आवश्यक हो गए, अनेक नौकरियां समाप्त हो गईं और कारपोरेट सॉल्वेंसी चुनौतियां पेश आईं। सरकारों और नीति निर्माताओं ने लगभग 10 ट्रिलियन अमरीकी डालर के राजकोषीय और मौद्रिक पैकेजों के साथ स्वास्थ्य संकट के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए तेजी से कार्य किया, जो कि 2008–09 के वित्तीय संकट[1] की प्रतिक्रिया से किए गए कार्य से तीन गुना अधिक है। आईएमएफ ने 2020[2] में वैश्विक आर्थिक विकास में –3.1 प्रतिशत के संकुचन का अनुमान लगाया, इस प्रकार यह दर्शाता है कि वर्तमान स्वास्थ्य संकट महामंदी के बाद से सबसे खराब मंदी है, और वैश्विक वित्तीय संकट से भी बदतर है।

हालांकि, कई अर्थव्यवस्थाओं में वैक्सीन की मंजूरी और प्रशासन के साथ–साथ सरकारों से अतिरिक्त वित्तीय सहायता ने 2021 में आर्थिक सुधार की उम्मीद जगाई है। वैश्विक अर्थव्यवस्था अब 2021 में 5.9 प्रतिशत और 2022[3] में 4.9 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। जबकि वैश्विक अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है, देश और क्षेत्र अलग–अलग गति से आगे बढ़ रहे हैं। समय बीतने के साथ, जैसा कि कुछ क्षेत्र कम संपर्क–गहन गतिविधियों के 'नए सामान्य' के अनुकूल होंगे और आईएमएफ के अनुसार, टीकों के रोल से संपर्क–गहन गतिविधियों को फिर से मजबूत करने का रास्ता अपनाएंगे, 2021 की दूसरी छमाही में आर्थिक सुधार को गति मिलने की उम्मीद है। हालांकि, अर्थव्यवस्थाओं को अभी भी संक्रमण (वायरस के नए रूपों सहित), लॉकडाउन, वैक्सीन वितरण में देरी, और कारपोरेट और देशीय दिवाला[4] में संभावित उछाल के कारण रोजगार और आय के खतरे से सावधान रहने की जरूरत है, ताकि निरंतर वसूली सुनिश्चित की जा सके। और 2020 में तीव्र संकुचन से होने वाले नुकसान पर अंकुश लगाएं। दिवाला अधिस्थगन जैसे नीतिगत उपायों की समय–सीमा समाप्त होने के साथ, दिवाला होने और ऋण व्यतिक्रम की लहर शुरू हो सकती है, जिससे ऋण पुनर्गठन[5] के लिए फास्ट–ट्रैक प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के साथ–साथ दिवाला व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता होगी।

वित्त वर्ष 21 भारत के लिए चुनौतीपूर्ण वर्ष साबित हुआ और साथ ही वर्ष के अंत में धीमी गति से बहाली देखी गई। मार्च, 2020 के अंत तक लॉकडाउन की शुरुआत और महामारी से पैदा हुई अनिश्चितताओं ने सभी आर्थिक गतिविधियों को अचानक रोक दिया। घटती आय और खपत ने चल रहे संकुचन में वृद्धि की। वर्ष के लिए मैक्रोइकॉनॉमिक चरांकों पर करीब से नजर डालने से विकास में गिरावट के अंतर्निहित कारणों का पता चलता है।

वित्त वर्ष 21 की पहली तिमाही में सकल देशीय उत्पाद (जीडीपी) 24 प्रतिशत[6] गिर गया। इसी तिमाही में सकल वर्धित मूल्य (जीवीए) भी 22 फीसदी गिर गया। गंभीर संकुचन का अनुभव करने वाले क्षेत्र विनिर्माण, निर्माणकार्य और विद्युत् थे। महामारी का कृषि और वानिकी पर नगण्य प्रभाव पड़ा, वास्तव में, यह वह क्षेत्र है जिसने सकारात्मक विकास दर सूचित की। लॉकडाउन के कारण कृषि गतिविधियों में व्यवधान न होना सकारात्मक दरों की व्याख्या करता है। सबसे बुरी तरह से प्रभावित क्षेत्र होटल, परिवहन और संचार था जो पिछले वित्त वर्ष[7] की तुलना में 47 प्रतिशत तक कम हो गया। नकारात्मक निवेश भावनाओं और खपत व्यय में गिरावट ने मंदी को बढ़ा दिया और दूसरी तिमाही में बहुत कम या कोई सुधार नहीं होने की गुंजाइश बची। हालांकि गिरावट का मार्जिन कम हुआ, लेकिन क्षेत्रीय विकास काफी हद तक नकारात्मक था।

सकल स्थिर पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) द्वारा परिलक्षित निवेश, वित्त वर्ष 2021 की पहली तिमाही में सकल देशीय उत्पाद का 24.4 प्रतिशत था, जबकि वित्त वर्ष 2020 की चौथी तिमाही में सकल देशीय उत्पाद का 31.6 प्रतिशत था। निवेश में सालाना 12 फीसदी की कमी ने सुस्त रिकवरी को और बढ़ा दिया। वित्त वर्ष जीडीपी के हिस्से के रूप में जीएफसीएफ वित्त वर्ष 2020 में 32.5 प्रतिशत से गिरकर 2021 में 30.9 प्रतिशत रह गया। कम निवेश के अलावा, निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) द्वारा कब्जा की गई खपत की मांग भी वित्त वर्ष 2021 में 09 प्रतिशत कम हो गई। नौकरी छूटने और वेतन कटौती ने गिरती घरेलु मांग को प्रभावित किया। वित्त वर्ष 2020 में विनिर्माण क्षेत्र ने 40.1 मिलियन लोगों को रोजगार दिया। वित्त वर्ष 2021 में यह घटकर 27.4 मिलियन रह गया। भू–संपदा और निर्माण क्षेत्रों ने सूट का पालन किया। इसने वित्त वर्ष 2020[8] में 60.9 मिलियन लोगों की तुलना में 53.7 मिलियन लोगों को रोजगार दिया।

सबसे बड़ी आर्थिक मंदी से जूझने के बाद, वित्त वर्ष 2021 की तीसरी तिमाही में सुधार के संकेत मिले। प्रतिबंधों में ढील और उद्योगों को आधी क्षमता पर भी परिचालन फिर से शुरू करने की अनुमति ने भारत को अपने विकास पथ पर वापस ला दिया। टीकाकरण अभियान ने गति पकड़ी आर्थिक स्वास्थ्य के तेजी से पुनरुद्धार के लिए एक उज्जवल चित्र चित्रित

---

[1] "द +10 ट्रिलियन रेस्क्यू: सरकार प्रभाव कैसे पैदा कर सकती है", मक्कीनसे एंड कंपनी रिपोर्ट, जून,2020, https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Public per cent20Sector/Our per cent20Insights/The per cent2010 per cent20trillion per cent20dollar per cent20rescue per cent20How per cent20governments per cent20can per cent20deliver per cent20impact/The-10-trillion-dollar-rescue-How-governments-can-deliver-impact-vF.pdf

[2] विश्व आर्थिक आउटलुक अपडेट, अक्टूबर 2021, आईएमएफ।

[3] विश्व आर्थिक आउटलुक अपडेट, अक्टूबर 2021, आईएमएफ।

[4] वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट अपडेट, जनवरी 2021, आईएमएफ।

[5] वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट अपडेट, अप्रैल 2021, आईएमएफ

[6] आरबीआई वार्षिक रिपोर्ट 2020–21

[7] सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय प्रेस नोट, 2020–2021

[8] भारद्वाज, ए. (2021)। विनिर्माण रोजगार 5 साल में आधा। सीईडीए–सीएमआईई बुलेटिन।

किया। प्रोत्साहन पैकेज के रूप में बड़े समर्थन ने बाजारों में खोए हुए विश्वास को बहाल कर दिया। सकल देशीय उत्पाद में सरकारी अंतिम उपभोग व्यय (जीएफसीई) की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2020 में 10.6 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2021 में 11.8 प्रतिशत हो गई। इन निवेशों और सरकारी व्यय में वृद्धि के गुणक प्रभाव हैं और चौथी तिमाही में प्रदर्शित धीमी लेकिन सकारात्मक विकास दर में देखा गया था। तीसरी में 2.8 प्रतिशत के संकुचन के बाद पीएफसीई चौथी में 2.7 प्रतिशत बढ़ा। तीसरी और चौथी में जीवीए क्रमशः 01 प्रतिशत और 3.7 प्रतिशत रहा। नकारात्मक विकास दर के कई मुकाबलों के बाद, जीडीपी चौथी तिमाही[9] में 1.6 प्रतिशत की दर से बढ़ी।

जैसा कि किसी भी मंदी के दौर में होता है, मौद्रिक नीति राजकोषीय नीति की पूरक होती है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने वित्त वर्ष 2020 में रेपो दर में 05 प्रतिशत से अधिक की कटौती के साथ मौद्रिक नीति का रुख बनाए रखा है। विस्तारक उपायों के आलोक में, अर्थव्यवस्था का राजकोषीय स्वास्थ्य दबाव में रहा है। भले ही राजकोषीय घाटा 9.3 प्रतिशत पर बंद हुआ, वित्त वर्ष 2021[10] के संशोधित अनुमान 9.5 प्रतिशत से कम, दूसरी लहर की छाया बनी रहने और अनुमानों पर ऊपर की ओर दबाव डालने के लिए बाध्य है।

जबकि देशीय मांग कम रही, वित्त वर्ष 2021 की पहली तिमाही में भारत के बाहरी क्षेत्र को लाभ हुआ। महामारी द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों ने आयात की समग्र मांग को कम कर दिया। हालांकि, रुकी हुई मांग और संभवतः बचत ने वित्त वर्ष 2021 की अंतिम दो तिमाहियों में इस प्रवृत्ति को उलट दिया। जीडीपी के हिस्से के रूप में निर्यात वित्त वर्ष 2020 और वित्त वर्ष 2021 में 19.5 प्रतिशत पर स्थिर रहा। सकल देशीय उत्पाद में वस्तुओं और सेवाओं की हिस्सेदारी के आयात में वित्त वर्ष 2021 में 10 प्रतिशत की गिरावट आई और यह 20.4 प्रतिशत पर रहा, जिससे भारत शुद्ध आयातक बन गया। हालाँकि, मार्च–अप्रैल 2021 के महीने में भारत के निर्यात में वृद्धि हुई है, जो वैश्विक मांग में उछाल के कारण है। निर्यात में यह उछाल बेरोजगारी और कम आय की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए अति आवश्यक तंत्र प्रदान करता है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के अनुमान के अनुसार, कुल मिलाकर, भारत का वास्तविक सकल देशीय उत्पाद वित्त वर्ष 2020 में 4.0 प्रतिशत (एक साल पहले 6.1 प्रतिशत) तक गिर गया, और वित्त वर्ष 2021 में 7.3 प्रतिशत कम हो गया। सरकार के अंतिम उपभोग व्यय को छोड़कर, देशीय मांग के सभी घटकों को कम कर दिया गया, जो कि वित्त वर्ष 2021 में सकल देशीय उत्पाद का 11.7 प्रतिशत था, जिसने कुल मांग को निरंतर समर्थन प्रदान किया। आपूर्ति पक्ष पर, क्षेत्र–विशिश्ट बाधाओं के कारण विनिर्माण, निर्माण और परिवहन में गतिविधि में गिरावट देखी गई। घटते आत्मविश्वास और लॉकडाउन लागू होने से गैर–जरूरी वस्तुओं की मांग घट गई। वित्त वर्ष 2020 के दौरान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 0.8 प्रतिशत सिकुड़ गया, जो वित्त वर्ष 2019 में 3.8 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2021 में 8.6 प्रतिशत था। विनिर्माण क्षेत्र में, जो उद्योग के तीन–चौथाई हिस्से का गठन करता है, 23 उद्योग समूहों में से 22 (फार्मेस्यूटिकल, औशधीय, और वनस्पति उत्पाद अपवाद हैं) ने संकुचन दर्ज किया। 2019–20 में ऋण वृद्धि घटकर 5.7 प्रतिशत और 2020–21 में 5.4 प्रतिशत रह गई। 2020–21 में जीएनपीए अनुपात 8.4 प्रतिशत से बढ़कर 7.5 प्रतिशत हो गया।

जैसा कि भारत मार्च, 2021 से दूसरी लहर से जूझ रहा है, वसूली की चुनौती जारी है। जबकि पहली दो तिमाहियों ने अर्थव्यवस्था को कड़ी टक्कर दी, तीसरी और चौथी तिमाही में प्रदर्शित विकास क्षमता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। दूसरी लहर ने निश्चित रूप से विकास योजनाओं में देरी की है, आरबीआई के अनुसार, वित्त वर्ष 2022 के लिए जीडीपी विकास अनुमानों को अनुमानित 12 प्रतिशत से संशोधित कर 9.5 प्रतिशत

**चित्र 1: जीडीपी, क्रेडिट और जीएनपीए की वृद्धि**

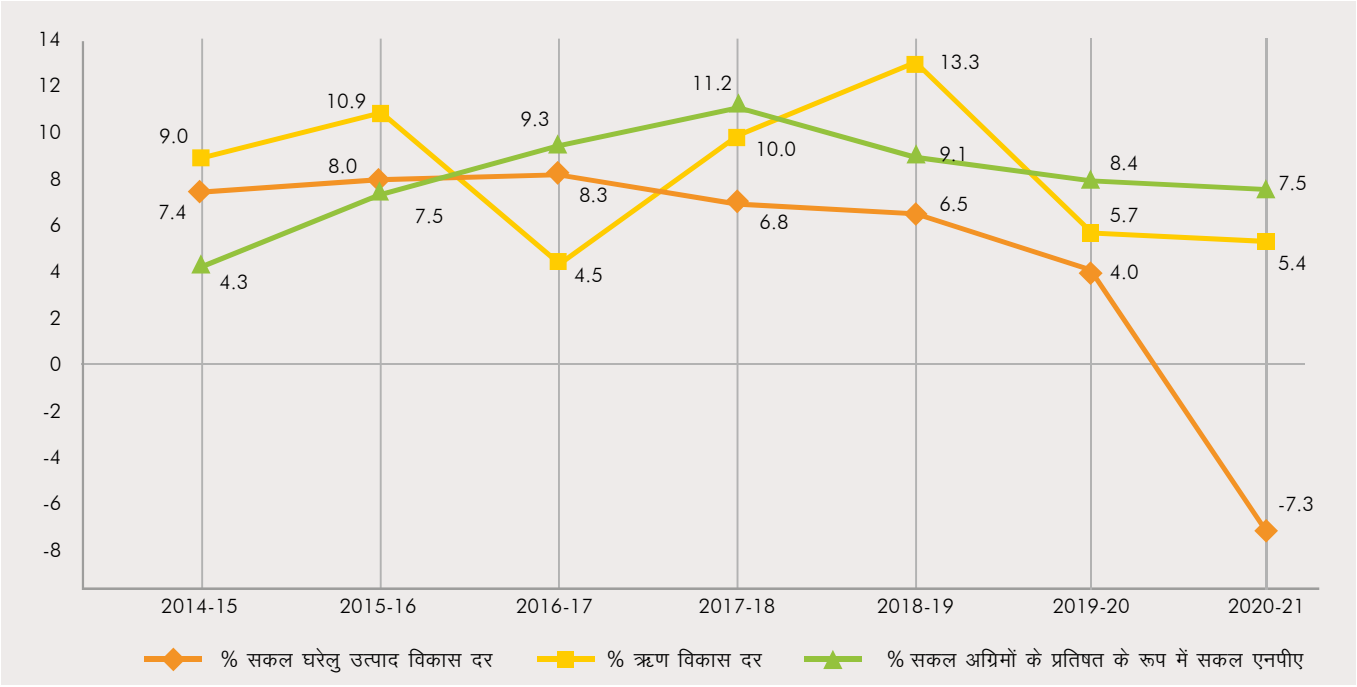


*स्रोत : एनएसओ और आरबीआई डेटाबेस*

[9] सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय डेटाबेस
[10] सीजीए वित्तीय रिपोर्ट, 2020–21

कर दिया गया है। वैश्विक उत्पादन वसूली के अनुरूप, आईएमएफ ने 2021 में भारत की वृद्धि दर 9.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, जो देशव्यापी लॉकडाउन और प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के बाद 2020 में उम्मीद से अधिक मजबूत सुधार और 2022[11] में 8.5 प्रतिशत होने का संकेत है।

## व्यवसायों पर प्रभाव

कोविड–19 महामारी ने दुनिया को चौंका दिया। लोग आसानी से शिकार हो गए और दुनिया भर में सरकारी प्रतिष्ठान चौकन्ना हो रह गए। दुनिया भर में सरकारों की पहली प्रतिक्रिया जान बचाने की थी। इसके बाद पूरे देश में अभूतपूर्व ''लॉकडाउन'' हुए जब लोगों की जान बचाई जा रही थी, आजीविका गायब हो रही थी, जिससे वायरस के अलावा अन्य कारणों से जान गंवाने का डर और बढ़ गया। व्यवसाय, जो किसी भी आर्थिक प्रणाली की जीवन रेखा हैं, को इन व्यवसायों पर निर्भर जीवन को बचाने के लिए असामयिक मौतों से बचाने की आवश्यकता है। दुनिया भर के देशों ने व्यवसायों को बचाने के लिए उनके लिए उपलब्ध सभी नीतिगत हथियारों– वित्तीय, मौद्रिक और विवेकपूर्ण का सहारा लिया। जापान में सकल देशीय उत्पाद के 21 प्रतिशत से लेकर राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज; कनाडा में 16 फीसदी और ऑस्ट्रेलिया में 14 फीसदी से लेकर कई देशों में 5–6 फीसदी की घोशणा करके कार्यान्वित किया जा चुका है।

जैसे ही वित्त वर्ष 2021 शुरू हुआ, दुनिया भर के कई देशों में महामारी के प्रसार को रोकने के लिए तालाबंदी की गई। कई आर्थिक गतिविधियों के लगभग पूरी तरह से बंद होने, कारोबार बंद होने, आपूर्ति श्रृंखला टूटने, गैर–जरूरी चीजों की मांग घटने और कार्यशील पूंजी के सूखने के साथ, कई व्यवसाय मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। यह देखते हुए कि कई देश यात्रा प्रतिबंध लगा रहे हैं और कुछ वायरस के प्रसार को रोकने के लिए पूरी तरह से बंद कर रहे हैं, रेस्तरां, खुदरा व्यवसाय और आतिथ्य उद्योग जैसे उद्योग गंभीर रूप से प्रभावित हो रहे हैं। दिवाला के लिए आवेदन करने वाली बड़ी कंपनियों के कुछ उदाहरण दुनिया भर में देखे गए।

भारत में कोविड–19 के प्रसार में तुलनात्मक रूप से देरी हुई और लॉकडाउन को जल्दी लागू करने के कारण तुलनात्मक रूप से नियंत्रित किया गया। महामारी की पहली लहर सितंबर, 2020 में अपने चरम पर पहुँच गई। हालांकि, देश में व्यवसायों पर इसका प्रभाव गंभीर था। एयरलाइंस से लेकर हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म इंडस्ट्री से लेकर मैन्युफैक्चरिंग फर्मों तक, सभी क्षेत्रों पर लॉकडाउन का विपरीत प्रभाव पड़ा, मांग घट गई और आपूर्ति की श्रंखला टूट गई। कई कंपनियों, उनमें से कई सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) की शीर्ष पंक्ति में कमी आ गई। वर्ष के दौरान कोविड–19 स्वास्थ्य आपातकाल के कारण राष्ट्रव्यापी तालाबंदी से उद्योग पर उत्पन्न आर्थिक तनाव वायरस के प्रसार और सरकार द्वारा किए गए संबंधित रोकथाम उपायों के साथ–साथ बढ़ता चला गया।

जनवरी, 2021 की आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) बताती है कि निजी कारपोरेट व्यवसाय क्षेत्र महामारी से पहले भी प्रदर्शन में गिरावट का अनुभव कर रहा था। यह कोविड–19 के प्रकोप के साथ और तेज हो गया। हालाँकि, महामारी के प्रभाव का खामियाजा मुख्य रूप से वित्त वर्ष 2021 की पहली तिमाही में केंद्रित था। वर्ष 2021 की दूसरी तिमाही में रिकवरी के संकेत दिखाई देने लगे। सूचीबद्ध निजी निर्माण कंपनियों के लिए बिक्री में (–) 4.3 प्रतिशत का संकुचन पिछली तिमाही में 41.1 प्रतिशत की भारी गिरावट के बावजूद महत्वपूर्ण सुधार था। जैसा कि बिक्री के सापेक्ष खर्चों में बड़ी कमी से परिलक्षित होता है, लागत में कटौती करने से, विनिर्माण क्षेत्र में परिचालन लाभ और ऋण सेवा में सुधार देखा गया, बाद वाला उनके ब्याज कवरेज अनुपात (आईसीआर) में सुधार से परिलक्षित हुआ। दूसरी ओर, पहली छःमाहीः वित्त वर्ष 2021 के दौरान आईटी क्षेत्र में बिक्री वृद्धि लचीली बनी रही। हालांकि सभी क्षेत्रों में लाभ मार्जिन में सुधार हुआ, विनिर्माण कंपनियों ने पिछली छःमाही और बिल्ट–अप एहतियाती नकदी की स्थिति के मुकाबले पहली छःमाही : वित्त वर्ष 21 के दौरान लीवरेज को कम कर दिया, जैसा कि 1249 सूचीबद्ध निजी निर्माण कंपनियों की अलेखापरीक्षित तुलन पत्र से परिलक्षित होता है। इसके अलावा, अचल परिसंपत्तियों में उनका निवेश कम रहा।

व्यवसायों पर महामारी के प्रभाव को रोकने के लिए दिवाला विधि में बदलाव के संदर्भ में दुनिया भर में सरकार की प्रतिक्रिया त्वरित और लगभग समान तर्ज पर थी। **बॉक्स 1** में विवरण दर्शाया गया है।

दुनिया भर की सरकारों द्वारा घोषित व्यवसायों और व्यक्तियों के दर्द को कम करने के लिए किए गए विभिन्न उपायों का प्रभाव अभी पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि, जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है वह यह है कि कुछ व्यवसायों को अस्थायी रूप से फांसी का सामना करने से बचा लिया गया है। कॉरपोरेट्स को बचाने के लिए भविष्य में क्या कदम उठाए जाने चाहिए, इस संबंध में किस तरह के नीतिगत हस्तक्षेपों से मदद मिलेगी आदि पर विस्तृत विचार–विमर्श की आवश्यकता है। जी 30, 15 दिसंबर, 2020 को जारी अपनी रिपोर्ट 'कारपोरेट सेक्टर पोस्ट–कोविडः डिजाइनिंग पब्लिक पॉलिसी इंटरवेंशन'[12] में, नीति निर्माताओं द्वारा किए जा सकने वाले हस्तक्षेपों का क्यों, कब और कैसे एक खाका प्रदान करता है (**बॉक्स 2**)।

## प्रमुख नीतिगत घटनाएं

समीक्षाधीन वर्ष में वैश्विक महामारी की घटना सहित विभिन्न नवीन विकास देखे गए, जो दुर्लभ स्वान घटना है। समय सामान्य नहीं है। पूरी दुनिया कोविड–19 की चपेट में है, जिसका कोई त्वरित समाधान नजर नहीं आ रहा है। फिर भी संकट में पड़ी सीडी को बचाने में सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है. इन उभरते हुए मुद्दों के जवाब में, वर्ष के दौरान अपनी यात्रा में विभिन्न विकासों को शामिल करते हुए संहिता को तदनुसार विकसित किया गया था। वर्ष 2020–21 के दौरान कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रमों की रूपरेखा यहां दी गई है।

## सरकार द्वारा सुविधाएं

### *आत्मनिर्भर भारत अभियान*

केंद्रीय वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्री ने 17 मई, 2020 को 'आत्मनिर्भर भारत, भाग V : सरकारी सुधार और समर्थक' का बयोरा देते हुए, व्यापार करने में आसानी को और बढ़ाने के लिए निम्नलिखित आईबीसी से संबंधित उपायों का प्रस्ताव दिया :

(क) दिवाला कार्यवाही शुरू करने के लिए न्यूनतम सीमा 1 लाख रुपये बढ़ा कर 1 करोड़ रुपये कर दी गई है जो एमएसएमई को बड़े पैमाने पर इंसुलेट करती है;

(ख) संहिता की धारा 240क के अधीन एमएसएमई के लिए विशेष दिवाला समाधान ढांचा अधिसूचित किया जाएगा;

(ग) महामारी की स्थिति के आधार पर एक वर्ष तक दिवाला कार्यवाही की नई शुरुआत का निलंबन; तथा

(घ) दिवाला को ट्रिगर करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार को संहिता के अधीन ''व्यतिक्रम'' की परिभाषा से कोविड–19 से संबंधित ऋण को निष्कासित करने के लिए सशक्त करना।

[11] वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट, अक्टूबर, 2021, आईएमएफ
[12] https://group30.org/publications/detail/4820

**बॉक्स 1 : कोविड–19 के प्रति दिवाला विधि प्रतिक्रिया**

ये सामान्य समय नहीं हैं। दुनिया कोविड–19 की चपेट में है, जिसका कोई त्वरित समाधान नजर नहीं आ रहा है। यह तेजी से आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है। कुछ का मानना है कि यह सबसे गहरी स्वास्थ्य महामारी (1918 स्पेनिश फ्लू), सबसे खराब आर्थिक आपदा (1930 महामंदी), या सबसे विनाशकारी वित्तीय दुर्घटना (2008 वित्तीय संकट) से भी गहरी चोट पहुंचा सकता है, या हो सकता है, इन सभी को मिलाकर जितना बड़ा संकट था , उतना बड़ा संकट हो सकता है।

दुनिया भर में, भारत में भी, अर्थव्यवस्था पर कोविड–19 का प्रभाव गंभीर रहा है। मुख्य रूप से दो बाहरी कारकों, कोविड–19 और देशव्यापी लॉकडाउन के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली मांग संकुचन और आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों के मद्देनजर, कई कंपनियों की शीर्ष रेखा और निचली रेखा घट सकती है और उनमें से कुछ ऋण दायित्वों को पूरा करने में व्यतिक्रम कर सकती हैं।

जबकि अर्थव्यवस्था पर बाहरी चरों का प्रभाव बहुत गहरा है, अतीत में तुलनात्मक रूप से कम तीव्रता के समान झटकों ने पूरी दुनिया में कारपोरेट और व्यक्तिगत दिवाला में तेज वृद्धि देखी है। हमारी हालिया स्मृति में, 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के परिणामस्वरूप मांग में गिरावट, बाहरी वित्त की उपलब्धता में कमी, निवेश में गिरावट, दुनिया भर की फर्मों को दिवाला और शोधन अक्षमता[13] का सामना करना पड़ा था।

***अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया***

इस तरह की दुर्लभ 'काला हंस' घटना को 'जीवन' बचाने के लिए मानवता से एक समान प्रतिक्रिया की आवश्यकता थी, जिसके लिए 'आजीविका' को बचाने की आवश्यकता थी, जिसके लिए फर्मों के जीवन को बचाने की आवश्यकता थी। दुनिया भर की सरकारों ने उदार रुख अपनाया और कारपोरेट्स और व्यक्तियों को दिवाला और शोधन अक्षमता के लिए मजबूर होने से रोकने के लिए तेजी से काम किया है। ऋण चुकौती पर स्थगन, क्षेत्र विशिष्ट सहनशीलता, वित्तीय रूप से संकटग्रस्त फर्मों को ऋण प्रदान करने के लिए बैंकिंग प्रणाली में तरलता का संचार, परिसंपत्ति वर्गीकरण बैंकिंग मानदंडों में राहत, दिवाला कार्यवाही शुरू करने के लिए निदेशक के दायित्वों में लचीलापन, विशिष्ट विधिक दायित्वों के अनुपालन से राहत जैसे उपाय। आदि स्थिति से निपटने के लिए लिया गया है।

विश्व बैंक और आईएमएफ[14] दोनों ने उन चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक चुनौतियों और प्रमुख प्रतिक्रियाओं को सूचीबद्ध किया है ताकि अर्थव्यवस्थाओं को महामंदी जैसे भाग्य का सामना करने से रोका जा सके। वे अर्थव्यवस्था को ग्राफ के सकारात्मक पक्ष की ओर सुचारू रूप से बदलने में मदद करने के लिए उन प्रतिक्रियाओं को तीन–चरणीय दृष्टिकोण में लागू करने का सुझाव देते हैं। पहले चरण में, दिवाला और ऋण प्रवर्तन गतिविधियों को रोकने के लिए प्रचुर अंतरिम उपायों की आवश्यकता है। दूसरे चरण में, जब दिवाला की बड़ी लहर की आशंका होती है, तो इसे संक्रमणकालीन उपायों जैसे कि दिवाला के 'वक्र को समतल' करने के लिए विशेश आउट–ऑफ–कोर्ट वर्कआउट द्वारा संबोधित किया जा सकता है। तीसरे चरण में शेष ऋण ओवरहैंग को संबोधित करने और मध्यम अवधि में आर्थिक विकास का समर्थन करने के लिए नियमित ऋण समाधान उपकरण की मांग की गई है। कोविड–19 के प्रकोप के मद्देनजर तीन चरणों में प्रमुख चुनौतियाँ और प्रतिक्रियाएँ इस प्रकार हैं :

| चरण | प्रमुख चुनौतियां | महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाएं |
|---|---|---|
| **चरण1** : अंतरिम उपाय करके स्वास्थ्य संबधी आपात स्थिति के तत्काल प्रभाव से निपटने के लिए **"फ्रीज"** चरण।. | व्यवहार्य फर्मों को समय से पहले दिवालिया होने से रोकना। | **सीमित समय के लिए एक या अधिक असाधारण उपायों को लागू करना :**<br>o लेनदार द्वारा शुरू की गई दिवाला फाइलिंग के लिए बाधाओं को बढ़ाना;<br>o फाइल करने और संबद्ध दायित्व के लिए निदेशक के कर्तव्य को निलंबित करना;<br>o ऋण चुकौती आपातकालीन उपायों के साथ पूरकता सुनिश्चित करना। |
| **चरण 2** : महामारी कम होने और आर्थिक गतिविधि फिर से शुरू होने के बाद प्रतिक्रिया के लिए **''संक्रमण''** चरण।. | उन फार्मों की बढी हुई संख्या से निपटना जो दिवाला से गुजरे बिना बच नहीं पाएंगी। | **वर्कआउट और ऋण पुनर्गठन तंत्र के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करना जैसे :**<br>o अदालत के बाहर अनौपचारिक या हाइब्रिड कसरत ढांचे की स्थापना करना;<br>o ब्रिज फाइनेंसिंग के माध्यम से व्यापार बचाव को सुगम बनाना;<br>o एक सीमित अवधि के लिए प्रक्रियात्मक समय सीमा का विस्तार करना;<br>o पुनर्गठन के दौरान देनदार की व्यावसायिक गतिविधि बंद हो जाने पर परिसमापन के लिए आगे बढ़ने की आवश्यकता को निलंबित करना;<br>o दिवाला मामलों में ई–फाइलिंग, आभासी अदालती सुनवाई और अदालत के बाहर समाधान को प्रोत्साहित करना। |
| **चरण 3** : **''कर्ज की अधिकता से लड़ना''** उस चरण के दौरान जब स्थिति स्थिर हो जाती है और इससे निपटने के लिए बाद के प्रभाव होते हैं। | संकट से उत्पन्न व्यक्तिगत वित्तीय संकट को संबोधित करना। | o आधुनिक उपभोक्ता शोधन अक्षमता ढांचे को लागू करना;<br>o यह सुनिश्चित करना कि ऋण पुनर्निर्धारण और पुनर्भुगतान योजनाओं के लिए लचीले विकल्प हैं;<br>o एक नई शुरुआत की सुविधा के लिए ऋण माफी तंत्र या मुक्ति को सक्षम करना महत्वपूर्ण है। |

***भारत में प्रतिक्रिया***

भारत सरकार ने कोविड–19 से उत्पन्न होने वाली पीड़ा को कम करने के लिए कई उपाय किए हैं। यह टुकड़ा केवल दिवाला के क्षेत्र में उपायों पर चर्चा करता है। जब हर फर्म, हर उद्योग और हर अर्थव्यवस्था तनाव में है, एक असफल फर्म को बचाने के लिए एक सफेद शूरवीर खोजने की संभावना दूर है। यदि सभी विफल फर्मों को दिवाला कार्यवाही से गुजरना पड़ता है, तो उनमें से अधिकांश को बचाने के लिए बचावकर्ताओं की कमी के कारण परिसमापन के साथ समाप्त हो सकता

[13] वर्ल्ड बैंक पॉलिसी रिसर्च वर्किंग पेपर 5448, ''दि चैलेंजेज ऑफ द बैंकरप्सी रिफॉर्म'', अक्टूबर, 2010

[14] विश्व बैंक समूह, वित्तीय श्रृंखला, कोविड–19 नोट्स, "कोविड–19 का प्रकोप : कारपोरेट और व्यक्तिगत दिवाला पर प्रभाव", अप्रैल, 2020 और कोविड–19 पर आईइफ की विशेश श्रृंखला, "महामारी के मद्देनजर निजी ऋण समाधान उपाय, मई, 2020.

है। इस तरह के परिसमापन पर, फर्मों की अकाल मृत्यु हो जाएगी, जबकि परिसंपत्तियों की बिक्री में कमी होगी, जो कि बहुत कम है। फर्मों के जीवन को बचाना संहिता का मुख्य उद्देश्य है, इसका उपयोग इन असामान्य समय के दौरान समय से पहले उनकी जान लेने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

इस अभूतपूर्व स्थिति ने एक और प्रयोग की मांग की, जिसमें दो प्रतिस्पर्धी नीति विकल्पों के बीच एक विकल्प की आवश्यकता होती है, अर्थात्, संहिता के संचालन को निलंबित करना या हमेशा की तरह इसके संचालन को जारी रखना। यदि पहले विकल्प का प्रयोग किया जाता है, तो बाजार एक अव्यवहार्य फर्म का परिसमापन करने में विफल हो जाएगा। यह एक अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन इसे अगली तिमाही या अगले वर्ष में ठीक किया जा सकता है। यदि दूसरे विकल्प का प्रयोग किया जाता है, तो बाजार एक व्यवहार्य फर्म को हमेशा के लिए समाप्त कर देगा, जिसे कभी भी पूर्ववत नहीं किया जा सकता है। इसलिए, एक व्यवहार्य फर्म को बचाना एक अव्यवहार्य फर्म को समाप्त करने में विफल रहने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, कंपनियां, जो केवल कोविड–19 के कारण विफल हो रही हैं, सामान्य स्थिति बहाल होते ही अपने आप वापस उछाल सकती हैं। वैकल्पिक रूप से, वे कम से कम अपने संचालन और व्यवसायों को 'बिल्कुल नए सामान्य' के लिए पुनर्रचना करेंगी। इसलिए, विकल्प पहले विकल्प पर गिर गया, जो फर्मों के लिए सांस लेने का समय प्रदान करता है और संहिता के उद्देश्यों को आगे बढ़ाता है।

पहले विकल्प में दो उप–विकल्प हैं, अर्थात्, संहिता को पूरी तरह से निलंबित करना या कुछ तत्वों को निलंबित करना, जैसा कि आवश्यक हो। पहला उप–विकल्प एक असफल फर्म के परिसमापन की अनुमति नहीं देगा, चाहे वह कोविड–19 से पहले अव्यावहारिक हो या इसके कारण अव्यवहार्य हो। यह एक असफल फर्म के बचाव की अनुमति भी नहीं देगा, भले ही वह कोविड–19 से पहले व्यवहार्य हो या इसके बावजूद व्यवहार्य बनी रहे। एक व्यवहार्य फर्म के बचाव में देरी से उसका बचाव असंभव हो सकता है। इसलिए, नीति को उन फर्मों की रक्षा करनी चाहिए जो महामारी के शिकार हैं, न कि अयोग्य लोगों की रक्षा करना। इसलिए, विकल्प दूसरे उप–विकल्प पर गिर गया, जो किसी भी अनपेक्षित परिणामों से बचने के लिए, ऐसे उद्देश्यों के लिए और ऐसी अवधि के लिए, जो परिस्थितियों में आवश्यक हैं, संहिता के केवल ऐसे प्रावधानों को निलंबित करता है।

अध्यादेश कंपनी को कोविड–19 डिफॉल्ट से मुक्त नहीं करता है। यह इस तरह के व्यतिक्रम को संहिता के अधीन व्यतिक्रम के दायरे से बाहर भी नहीं करता है। कंपनी के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू करने के उद्देश्य को छोड़कर, इस तरह की व्यतिक्रम संहिता के अधीन सभी उद्देश्यों के लिए एक व्यतिक्रमबनी हुई है। उदाहरण के लिए, इस तरह की व्यतिक्रम एक दिवाला कार्यवाही में दावा प्रस्तुत करने या किसी पीजी के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू करने का आधार हो सकती है।

कोविड–19 संकट दुनिया को प्रभावित करने वाला पहला संकट नहीं है। दुनिया ने अतीत में कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं और उन पर विजय प्राप्त की है। यह भी बीत जाएगा, मानव जाति को भविष्य में और भी बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार करना। इस युद्ध में दिवाला क्षेत्र में कई योद्धा हैं – सरकार, नियामक, सेवा प्रदाता (आईपीए, आईपी, आईयू, आरवीओ, आरवी) और एए। चूंकि सरकार लंबी अवधि में कोविड–19 के बाद के चरण के लिए देश के दिवाला परिदृश्य को तैयार कर रही है, इसलिए उम्मीद है कि लघु और मध्यम अवधि में किए गए उपाय कंपनियों के जीवन और संकटग्रस्त व्यक्तियों की आजीविका के संरक्षण में सफल होंगे। हालाँकि, इस बात की सराहना की जानी चाहिए कि कोविड–19 से प्रभावित सभी फर्मों के तनाव से निपटने के लिए दिवाला कानून रामबाण नहीं है। हालाँकि, यह एक मूल्यवान साँस लेने की जगह प्रदान करता है, जबकि कंपनियां और साथ ही अधिकारी महामारी के माध्यम से अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए एक व्यापक रणनीति बना सकते हैं।

## दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2020

भारत के राष्ट्रपति ने 05 जून, 2020 को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2020 को प्रख्यापित किया, ताकि 25 मार्च, 2020 को या उसके बाद उत्पन्न होने वाले किसी भी व्यतिक्रम के लिए सीआईआरपी की शुरुआत के लिए आवेदन दाखिल करने पर रोक लगाने के लिए संहिता में और संशोधन किया जा सके। छह महीने या ऐसी आगे की अवधि, ऐसी तारीख से एक वर्ष से अधिक नहीं, जैसा कि अधिसूचित किया जा सकता है। यह उन कंपनियों को रोकेगा जो अभूतपूर्व स्थिति के कारण संकट का सामना कर रही हैं, उन्हें दिवाला कार्यवाही में धकेलने से रोका जा सकता है, जब उन्हें बचाने के लिए पर्याप्त संख्या में समाधान आवेदक मिलना मुश्किल है। अध्यादेश स्पष्ट करता है कि 25 मार्च, 2020 से पहले किए गए व्यतिक्रम के लिए सीआईआरपी शुरू करने के लिए आवेदन दायर किए जा सकते हैं। यह आगे प्रावधान करता है कि व्यतिक्रम के संबंध में सीडी की संपत्ति में योगदान के लिए देयता के संबंध में आरपी द्वारा कोई आवेदन दायर नहीं किया जाएगा। जिसके खिलाफ सीआईआरपी की शुरुआत को निलंबित कर दिया गया है। यह सीडी के निदेशकों को लेनदारों को संभावित नुकसान को कम करने के लिए उचित परिश्रम के अभ्यास से निपटने वाली संहिता की धारा 66 (2) के अधीन दायित्व के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है।

इसके अलावा, अध्यादेश को बदलने के लिए दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2020 23 सितंबर, 2020 को अधिनियमित किया गया।

## सीआईआरपी की शुरूआत का निलंबन

सरकार ने 5 जून, 2020 को संहिता में एक संशोधन के माध्यम से, 25 मार्च, 2020 से शुरू होने वाली छह महीने की अवधि के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी व्यतिक्रम के संबंध में, धारा 7, 9 और 10 के अधीन सीआईआरपी की शुरुआत के लिए आवेदन दाखिल करना निलंबित कर दिया था। संहिता की धारा 10क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस निलंबन को 24 सितंबर, 2020 की अधिसूचना और 22 दिसंबर, 2020 की अधिसूचना के अधीन दो बार और तीन–तीन महीने की अवधि के लिए बढ़ाया गया। तदनुसार, निलंबन 24 मार्च, 2021 को समाप्त हो गया।

## एमएसएमई की परिभाषा

केंद्र सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अधीन 01 जून, 2020 की अधिसूचना के अधीन एमएसएमई की संशोधित परिभाषा को निम्नानुसार संशोधित किया है :

(क) एक सूक्ष्म उद्यम, जहां संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश 1 करोड़ रुपये रुपये से अधिक नहीं है और कारोबार 5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है;

(ख) एक छोटा उद्यम, जहां संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश 10 करोड़ रुपये रुपये से अधिक नहीं है और कारोबार 50 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है; तथा

(ग) एक मध्यम उद्यम, जहां संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश 50 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है और कारोबार 250 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है।

**बॉक्स 2 : जीवन और आजीविका बचाने के लिए व्यवसायों को बचाना: जी 30 के नीतिगत नुस्खे**

जब कोविड–19 महामारी ने दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया, लोगों के आसानी से शिकार हो जाने के कारण लोग सतर्क हो गए, दुनिया भर में सरकारों की पहली प्रतिक्रिया लोगों की जान बचाने की थी। भारत के माननीय प्रधान मंत्री ने ''जान है तो जहान है'' मंत्र दिया। वायरस के प्रसार को रोकने और हताहतों की संख्या को कम करने के लिए अभूतपूर्व ''लॉकडाउन'' लगाया गया, ''लॉकडाउन'' शब्द ज्यादातर लोगों के लिए ''बिलियंस के लिए एकीकरण का अनुभव'' और एक के लिए ''वर्श का सार'' के साथ कोलिन्स डिक्शनरी के लिए वर्श 2020 का विजेता शब्द बन गया।

जब लोगों की जान बचाई जा रही थी, आजीविका गायब हो रही थी, जिससे वायरस के अलावा अन्य कारणों से जान गंवाने का डर और बढ़ गया। मंत्र बदलकर ''जान भी और जहान भी'' कर दिया गया। व्यवसाय, जो किसी भी आर्थिक व्यवस्था की जीवनदायिनी हैं, उन पर आश्रित जीवन को बचाने के लिए असामयिक मौतों से बचाने की जरूरत है। तरलता सुनिश्चित करने के लिए तेजी से राजकोशीय और मौद्रिक प्रतिक्रियाओं का पालन किया गया। इन प्रोत्साहन पैकेजों का पूर्ण प्रभाव अभी पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहा है। प्रासंगिक नीतिगत प्रश्न जिन पर सरकारों और थिंक टैंकों को विचार करने की आवश्यकता हो सकती है – ये प्रोत्साहन पैकेज कितने और कितने समय तक जारी रहने चाहिए? ऐसे पैकेजों की लागत कौन वहन करेगा? व्यवसायों को बचाने, पुनर्जीवित करने और पुनर्जीवित करने के लिए मध्यम से दीर्घकालिक योजना क्या होनी चाहिए? ऐसे बचाव उपाय करते समय नैतिक खतरे के मुद्दे से कैसे निपटा जाए? ये भारत में, साथ ही दुनिया भर में सरकारों के लिए प्रमुख नीतिगत विचार है।

जी 30, विभिन्न क्षेत्रों से तैयार किए गए आर्थिक और वित्तीय नेताओं का एक स्वतंत्र वैश्विक निकाय है, ने इस बात का खाका प्रदान किया है कि नीति निर्माता ''कारपोरेट क्षेत्र के बाद के कारपोरेट क्षेत्र को पुनर्जीवित और पुनर्गठन'' के लिए क्यों, कब और कैसे हस्तक्षेप कर सकते हैं। डॉ. रघुराम राजन, पूर्व गवर्नर, आरबीआई, और डॉ. मारियो ड्रैगी, पूर्व अध्यक्ष, ईसीबी जैसे दिग्गजों के साथ इस रिपोर्ट के सह–अध्यक्ष के रूप में, यह देखना उपयोगी है कि इसमें क्या अंतर्दृष्टि है।

स्वास्थ्य संकट के लंबे समय तक चलने और आर्थिक ठहराव की धमकी के साथ बढ़ते कारपोरेट ऋण शोधन क्षमता संकट से निपटने के लिए सरकारों को तत्काल कार्य करने की आवश्यकता है। जल्द से जल्द कारपोरेट सॉल्वेंसी संकट अपना सिर उठाएगा, दुनिया भर में किए गए कई त्वरित उपायों, जैसे कि दिवाला कानूनों में अस्थायी समायोजन, घरों के उपभोग स्तर को बनाए रखना आदि द्वारा कृत्रिम रूप से नियंत्रित किया गया है। चलनिधि केंद्रित नीतिगत उपायों के इस पहले चरण ने कारपोरेट दिवाला की बाढ़ को रोकने में अपनी भूमिका निभाई है। अधिक लक्षित दृष्टिकोण के साथ हस्तक्षेपों को फिर से उन्मुख करने का समय आ गया हैय भविश्य केंद्रित हो और सार्वजनिक ऋण के बढ़ते स्तर के प्रति सचेत रहें जो आसानी से अस्थिर हो सकता है।

जिस तरह से शुरुआत में सबसे कमजोर आबादी को कोरोना वायरस वैक्सीन की दुर्लभ उपलब्ध कराए जाने के लिए लक्षित किया जा रहा है, उसी तरह दुर्लभ आर्थिक संसाधनों को भी एक उद्देश्य मानदंड के आधार पर सबसे ज्यादा जरूरत वाले व्यवसायों को लक्षित किये जाने की आवश्यकता है। रिपोर्ट में उन फर्मों के लक्षित समूह की पहचान करने के लिए नीतिगत लक्ष्यों की वर्तनी का सुझाव दिया गया है जो बचाने के योग्य हैं और जोंबी वित्तपोषण की समस्या को रोकते हैं। प्राथमिकताओं की पहचान करने और कुछ प्रश्नों को संबोधित करने की आवश्यकता है– क्या यह बड़े कारपोरेट या छोटे और मध्यम उद्यम (एसएमई) हैं जिन पर अधिक ध्यान दिया जाता है? क्या हमें नौकरी के संरक्षण को प्राथमिकता देनी चाहिए या ''रचनात्मक विनाश'' की अनुमति देनी चाहिए? सरकार के पास कितना वित्तीय हेडरूम है? क्या कारपोरेट्स को समर्थन देने के लिए निजी वित्तपोषण विदेशी स्रोतों को जुटाया जा सकता है?

लक्षित करने के लिए फर्मों का अच्छा समूह वह होगा जहां कोविड–19 महामारी के कारण बाजार की विफलता की बहुत अधिक सामाजिक लागत हो। इसमें एसएमई, आर्थिक रूप से मजबूत बड़ी फर्में और गैर–एसएमई फर्में जिनका अन्यथा लिवरेज कम होता है लेकिन अनिश्चित टिकाऊ व्यापारिक मोडल हो, शामिल होंगी। अंतर्निहित ढांचे के आधार पर, रिपोर्ट ट्राइएज फर्मों को आगे बढ़ती है और आर्थिक व्यवहार्यता, उत्तोलन की डिग्री और वित्तीय बाधाओं की प्रकृति जैसे मापदंडों के आधार पर नीतिगत फोकस का सुझाव देती है। इस अभ्यास से पाँच श्रेणी की फर्में प्राप्त होती हैं, अर्थात स्वस्थ फर्मय वित्त पोशण की विवशता वाली फर्मय नकदी की चुनौती वाली फर्मय शोधन क्षमता की चुनौती वाली फार्म और संरचनात्मक रूप से अस्वस्थ फर्में। रिपोर्ट में इन फर्म श्रेणियों के लिए उपयुक्त चार प्रकार की सहायता की सिफारिश करती जिन्हें ऋण की सबसे अधिक आवश्यक्ता होगी (क) फर्मों को सहारा देने के लिए बेहतर लक्ष्य क्रेडिट; (ख) व्यावहार्य फर्मों में इक्विटी अथवा इक्विटी जैसे निवेश को बढावा देना; (ग) पुनर्संरचना और शोधन अक्षमता प्रक्रियाओं को सही स्थान पर रखना जिससे इक्विटी के लिए ऋण का तीव्र विनिमय, ऋण अवधियों की पुनर्संरचना सुनिश्चित हो और (घ) दीघावधि में सर्कार द्वारा समर्थित बीमा के माध्यम से भावी महामारी व्यापार समर्थन तैयार किया जा सके।

इन सभी उपकरणों का एक साथ या संयोजन में एक अर्थव्यवस्था की स्थिति के लिए उपयुक्त के रूप में उपयोग किया जा सकता है। हस्तक्षेप की रूपरेखा सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों, संस्थागत क्षमताओं और सामाजिक और राजनीतिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगी। शुरू किए गए किसी भी हस्तक्षेप को नैतिक खतरे की समस्याएं पैदा करने के खतरे का संज्ञान होना चाहिए, विशेश रूप से उन कंपनियों के लिए जो महामारी के आने से पहले से ही उच्च उत्तोलन के स्तर पर थीं। इसके अलावा, एमएसएमई के लिए हस्तक्षेप डिजाइन को अलग करने की आवश्यकता हो सकती है। रिपोर्ट इनमें से प्रत्येक पहलू पर विस्तृत सिफारिशें करती है।

बैंकों और वित्तीय संस्थानों के तुलन–पत्रों में वास्तविक क्षेत्र के संकट के फैलने की संभावना को रिपोर्ट द्वारा संभावित माना गया है। यह इस संकट के उत्पाद के रूप में बड़ी मात्रा में अशोध्य ऋण से निपटने के कुशल और प्रभावी तरीकों को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त नीतिगत कार्रवाइयों का सुझाव देता है। इनमें खराब संपत्ति खरीदने या गारंटी देने वाली सरकारें शामिल हैंय ''बैड बैंक'' संरचनाओं की स्थापना और एनपीए को लेने के लिए विशेश रूप से डिजाइन की गई परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों के उपयोग को प्रोत्साहित करना।

संक्षेप में, रिपोर्ट नीति निर्माताओं के लिए महामारी के बाद कारपोरेट क्षेत्र का समर्थन करने के लिए अपनी नीति प्रतिक्रिया विकसित करने के लिए निम्नलिखित मूल सिद्धांतों की सिफारिश करती हैः तत्काल कार्य करें; ध्यान से लक्ष्य; नई व्यावसायिक वास्तविकताओं के अनुकूल; केवल बाजार विफलता आवंटन को संबोधित करने के लिए सरकारी हस्तक्षेपय संसाधनों का अनुकूलन करने के लिए निजी क्षेत्र की विशेशज्ञता का दोहनय व्यापार समर्थन उपायों के साथ राश्ट्रीय उद्देश्यों को संतुलित करना; जोखिमों को कम करना और हानियों को साझा करना; नैतिक खतरे के मुद्दों का ख्याल रखना; हस्तक्षेपों के समय, मंचन और दीर्घायु पर काम करना और वित्तीय क्षेत्र में स्पिल ओवर का अनुमान लगाना और उसके अनुसार तैयारी करना।

आगे बढ़ते हुए, एक बार महामारी पर नियंत्रण हो जाने के बाद, राष्ट्रों को प्रयास करना चाहिए कि आजीविका की कमी के कारण लोगों की जान न जाए। उस महामारी के बाद की दुनिया के लिए अब जमीन तैयार करने के लिए उन व्यवसायों को बचाने पर ध्यान देने की आवश्यकता है जो जीवित रहने के लिए रोटी और मक्खन प्रदान करते हैं। यह दीर्घकालिक आर्थिक लचीलापन और विकास के लिए भी आवश्यक है।

## मूल्यांकन व्यावसायिक संबंधी विशेषज्ञ समिति

मूल्यांकन व्यावसायिकों के विनियमन और विकास के लिए संस्थागत ढांचे की आवश्यकता की जांच करने के लिए डॉ एम एस साहू, अध्यक्ष, आईबीबीआई की अध्यक्षता में सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञों की समिति (सीओई) ने 02 अप्रैल, 2020 को सरकार को 'मूल्यांकक विधेयक, 2020' के मसौदे के साथ अपनी रिपोर्ट सौंपी। समिति की रिपोर्ट आईबीबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

सीओई ने हितधारकों – आरवीओ, आरवी, अन्य मूल्यांकनकर्ताओं और अन्य वृत्तिकों, व्यावसायिक संस्थानों, व्यापार और उद्योग, और शिक्षाविदों के साथ व्यापक परामर्श किया। इसने मूल्यांकन व्यावसायिकों के विकास और विनियमन के लिए संस्थागत व्यवस्था और मूल्यांकन सेवाओं के आसपास विधिक और नियामक आवश्यकताओं दोनों के संदर्भ में भारत में मूल्यांकन परिदृश्य का अध्ययन किया। इसने उन्नत क्षेत्राधिकारों में मूल्यांकन व्यावसायिकों के लिए संस्थागत ढांचे, भारत में इस तरह के ढांचे को प्रदान करने के लिए अतीत में किए गए प्रयास, और भारत में अन्य व्यवसायों के संबंध में संस्थागत / नियामक ढांचे का अनुभव पर विचार किया। इसने बाजारों और व्यवसायों के संबंध में नियामक राज्य की भूमिका और नियामक वास्तुकला के डिजाइन पर समकालीन विचारों का अन्वेशण किया। इसने कम से कम विघटनकारी, लेकिन आधुनिक और मजबूत, संस्थागत ढांचे की सिफारिश की है जो आज और कल की चिंताओं को संबोधित करते हुए, भारत और विदेशों में और भारत में अन्य व्यवसायों के मूल्यांकन व्यवसाय के अनुभव से सीखे और मूल्यांकन व्यावसायिकों के लिए सम्मान और मूल्यांकन सेवाओं के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करे।

सीओई ने, अन्य बातों के साथ–साथ, भारत में मूल्यांकन सेवाओं के उपयोगकर्ताओं के हितों की रक्षा करने और विकास को बढ़ावा देने और मूल्यांककों के व्यवसाय और मूल्यांकन सेवाओं के लिए बाजार को विनियमित करने के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन संस्थान (एनआईवी) की स्थापना के लिए विशेष कानून बनाने की सिफारिश की है। इससे यह भी सुनिश्चित होना चाहिए कि मूल्यांकक अपनी सेवाओं के लिए जवाबदेह होने के साथ–साथ हितधारकों के बीच गहरी प्रतिष्ठा का आनंद लें, और जो अन्य व्यवसायों के लिए मॉडल बने। हितधारकों को मूल्यांकन सेवाओं का उपयोग करना चाहिए क्योंकि वे मूल्य पाते हैं, न कि विधिक जनादेश के कारण।

## सीमा पार दिवाला नियम संबंधी समिति

सीमा पार दिवाला से संबंधित कार्यान्वयन प्रावधानों को सक्षम बनाने के उद्देश्य से नियमों और नियामक ढांचे को प्रस्तावित करने हेतु सरकार द्वारा डॉ. केपी कृष्णन की अध्यक्षता में गठित सीमा पार दिवाला नियम और विनियमन संबंधी समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को 15 जून, 2020 को प्रस्तुत की। समिति, उद्यम समूह दिवाला हेतु यूएनसीआईटीआरएएल मॉडल विधि का अध्ययन और विश्लेषण करने और संहिता के संदर्भ में सिफारिशें करने के विस्तारित क्षेत्राधिकार पर काम कर रही है।

## बैंकों को सलाह

वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय (एमओएफ) ने 26 अगस्त, 2020 को सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें उन्हें सूचित किया गया कि पीजी से सीडी के दिवाला और शोधन अक्षमता के संबंध में संहिता के उपबंध 01 दिसंबर, 2019 से लागू हो गए हैं, जो लेनदारों को एनसीएलटी के समक्ष पीजी के विरुद्ध सीडी में दिवाला आवेदन दाखिल करने का अधिकार देते हैं। उसी के अनुरूप, इसने बैंकों को उन मामलों की निगरानी के लिए तंत्र स्थापित करने पर विचार करने की सलाह दी, जिनमें पीजी के विरुद्ध सीडी में एनसीएलटी के समक्ष व्यक्तिगत दिवाला प्रक्रिया शुरू करने की आवश्यकता हो सकती है और ऐसे सभी मामलों में पीजी से सीडी के संबंध में डेटा एकत्रित करने के लिए आईटी प्रणाली स्थापित करनी होगी।

## प्री–पैकेज्ड दिवाला समाधान प्रक्रिया

आईएलसी की उप–समिति ने 31 अक्टूबर, 2020 को प्री–पैकेज्ड दिवाला समाधान प्रक्रिया (पीपीआईआरपी) पर अपनी रिपोर्ट एमसीए को सौंप दी। दिवाला सुधारों में प्रगति, देश में दिवाला से संबंधित प्रणाली और प्रैक्टिस की परिपक्वता और अन्य क्षेत्राधिकारों में प्री–पैक्स के अनुभव से सीखने को ध्यान में रखते हुए, उप–समिति ने संहिता के बुनियादी ढांचे के भीतर भारतीय बाजार के लिए प्री–पैक फ्रेमवर्क तैयार किया है। सीआईआरपी की तुलना में प्रस्तावित प्री–पैक की मुख्य विशेशताएं निम्नानुसार प्रस्तुत हैं :

| मापदंड | सीआईआरपी | प्रस्तावित प्री-पैक |
|---|---|---|
| **प्रयोजन** | समाधान योजना के माध्यम से समाधान | समाधान योजनाके माध्यम से समाधान |
| **विधिक ढांचा** | संविधि में अपेक्षाकृत अधिक और विनियमनों में कम | संविधि में अपेक्षाकृत कम और विनियमनों में अधिक |
| **अनुप्रयुक्तता** | कंपनियां और एलएलपी | कंपनियां और एलएलपी |
| **प्रक्रिया का प्रारंभ** | कोविड–19 व्यतिक्रम को छोड़कर 1 करोड़ रुपये से अधिक व्यतिक्रम | व्यतिक्रम तनाव से पहले और बाद का तनाव, जिसमें कोविड–19 व्यतिक्रम भी शामिल है। चरणबद्ध तरीके से, यदि आवश्यक हो |
| **द्वारा आरम्भ** | एफसी, ओसी, अथवा सीडी | सीडी, असंबद्ध एफसी के बहुमत की सहमति से |
| **सीडी का प्रबंधन** | लेनदार–नियंत्रण के साथ आईपी–स्वामित्व में | लेनदार–नियंत्रण में के साथ देनदार–स्वामित्व में |
| **आईपी की भूमिका** | आवेदक द्वारा नियुक्त आईआरपी और फिर सीओसी द्वारा नियुक्त आरपी | आरपी, असंबंधित एफसी के बहुमत की सहमति से नियुक्त किया जाएगा |
| | सीडी के कार्यों का प्रबंधन और प्रक्रिया का संचालन | प्रक्रिया का संचालन |
| **दावा मिलान** | आईआरपी आमंत्रित करने और मिलान करने के लिए | सीडी उपलब्ध कराना है। सत्यापन के लिए आर.पी. |
| **सूचना ज्ञापन** | आरपी द्वारा तैयार | सीडी द्वारा तैयार ड्राफ्ट और आरपी द्वारा अंतिम रूप दिया गया |
| **अधिस्थगन** | धारा 14 के अधीन अधिस्थगन | अतिस्थगन |
| **अंतरिम वित्त** | हां | हां |
| **परिहार लेन-देन** | हां | हां |

| | | |
|---|---|---|
| **मूल्यांकन** | दो मूल्यांककों द्वारा | दो मूल्यांककों द्वारा |
| **आईआरपीसी** | ओपरेशन संचालन की लागत शामिल | ओपरेशन संचालन की लागत शामिल नहीं |
| **समाधान योजना के लिए आमंत्रण** | सार्वजनिक प्रक्रिया | प्रवर्तकों को प्रथम अधिकार की पेशकश, स्विस चुनौती |
| **समाधान योजना के लिए अपात्रता** | धारा 29क लागू | धारा 29क लागू होनी है |
| **प्रक्रिया का षीघ्र समापन** | धारा 12ए के अधीन आवेदक के अनुरोध पर | 66% मतदान हिस्से की मंजूरी के साथ, वर्तमान और मतदानय सीओसी. द्वारा स्वतः संज्ञान |
| **सीओसी द्वारा समाधान योजना का अनुमोदन** | मतदान हिस्से का 66% | मतदान हिस्से के 66%, अनुमोदन के साथ वर्तमान और मतदान |
| **प्रक्रिया समापन के परिणाम** | कोई समाप्ति की अनुमति नहीं है | परिसमापन, सीओसी के 75% मतदान हिस्से के साथ |
| **प्री-पैक की विफलता के परिणाम** | परिसमापन | समापन |
| **बाध्यकारी परिणाम** | समाधान योजना बाध्यकारी | समाधान योजना बाध्यकारी |
| **नियामक लाभ** | हां | हां |
| **साफ स्लेट, समाधान पष्चात** | हां | हां |
| **आईपी और एए की भूमिका** | अपेक्षाकृत अधिक | अपेक्षाकृत कम |
| **समय-सीमा** | एए द्वारा समाधान योजना के अनुमोदन तक 180 दिन | एए के साथ समाधान योजना दाखिल करने के लिए 90 दिन और एए को इसे स्वीकृत करने के लिए 30 दिन |
| **कूलिंग ऑफ** | दो सीआईआरपी के बीच में 12 माह | दो प्री–पैक के बीच में तीन साल |

## खनन नियम

खान मंत्रालय ने 24 मार्च, 2021 की अधिसूचना के माध्यम से खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों के अलावा) रियायत (संशोधन) नियम, 2021 को अधिसूचित किया। संहिता के उपबंधों के अधीन सक्षम अधिकरण या न्यायालय द्वारा आशय पत्र (हस्तांतरणकर्ता) के मूल धारक के मामले में दिवाला, परिसमापन या शोधन अक्षमता की कार्यवाही का निश्कर्श।

## नियामकों द्वारा सुविधाएं

### भारतीय रिजर्व बैंक

आरबीआई ने अन्य उपायों के अलावा, 17 अप्रैल, 2020 की अधिसूचना के माध्यम से तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान पर विवेकपूर्ण ढांचे के अधीन समाधान समयसीमा की समीक्षा की। विवेकपूर्ण ढांचे के संदर्भ में, ऋणदाताओं को 30 दिनों की समीक्षा अवधि के अंत से 180 दिनों के भीतर व्यतिक्रम वाली से संस्थाओं के संबंध में समाधान योजना लागू करने की आवश्यकता होती है। समीक्षा करने पर, आरबीआई ने 01 मार्च, 2020 से 31 मई, 2020 तक की अवधि को 30–दिवसीय समीक्षा अवधि की गणना से बाहर रखा, उन खातों के संबंध में जो 01 मार्च, 2020 तक समीक्षा अवधि के भीतर थे। सभी के संबंध में ऐसे खाते, शेष समीक्षा अवधि 01 जून, 2020 से फिर से शुरू होगी, जिसके समाप्त होने पर ऋणदाताओं के पास समाधान के लिए सामान्य 180 दिन होंगे। इसके अलावा, उन खातों के संबंध में जहां समीक्षा अवधि समाप्त हो गई थी, लेकिन 180 दिन की समाधान अवधि 01 मार्च, 2020 तक समाप्त नहीं हुई थी, उन मामलों में समाधान के लिए समय सीमा उस तारीख से 90 दिनों तक बढ़ाई जाएगी जिस पर 180 दिन की अवधि मूल रूप से समाप्त होने के लिए निर्धारित है। नतीजतन, विवेकपूर्ण ढांचे के अधीन आवश्यक 20 प्रतिशत के अतिरिक्त प्रावधान करने की आवश्यकता को विस्तारित समाधान अवधि समाप्त होने पर ट्रिगर किया जाएगा।

आरबीआई ने एक और समीक्षा करने पर, 23 मई, 2020 की अन्य अधिसूचना के माध्यम से, उन खातों के संबंध में जो समीक्षा अवधि के भीतर थे, 01 मार्च, 2020 से 31 अगस्त, 2020 तक की अवधि को 01 मार्च, 2020 को 30–दिन की समीक्षा अवधि की गणना से बाहर कर दिया। ऐसे सभी खातों के संबंध में, शेष समीक्षा अवधि 01 सितंबर, 2020 से फिर से शुरू होगी, जिसके समाप्त होने पर ऋणदाताओं के पास समाधान के लिए सामान्य 180 दिन होंगे। इसके अलावा, उन खातों के संबंध में जहां समीक्षा अवधि समाप्त हो गई थी, लेकिन 180 दिन की समाधान अवधि 01 मार्च, 2020 तक समाप्त नहीं हुई थी, समाधान की समय सीमा को 180 दिन की मूल रूप से निर्धारित अवधि के समाप्त होने की तारीख से 180 दिनों तक बढ़ा दिया जाएगा। नतीजतन, विवेकपूर्ण ढांचे के अधीन आवश्यक 20 प्रतिशत के अतिरिक्त प्रावधान करने की आवश्यकता को विस्तारित समाधान अवधि समाप्त होने पर ट्रिगर किया जाएगा।

### *वित्तीय तनाव कम करने के उपाय*

कोविड–19 के कारण होने वाले वित्तीय तनाव को और कम करने के लिए, आरबीआई ने 22 मई, 2020 को विकास और नियामक नीतियों पर अपने वक्तव्य में निम्नलिखित उपायों की घोशणा की :

(क) आरबीआई ने ऋण देने वाली संस्थाओं को पहले 1 मार्च, 2020 तक बकाया सभी ऋणों के संबंध में किश्तों के भुगतान पर तीन महीने की मोहलत देने के लिए अनुमति दी थी। लॉकडाउन के विस्तार और कोविड–19 के कारण जारी व्यवधानों को देखते हुए, आरबीआई ने उन्हें 01 जून, 2020 से 31 अगस्त, 2020 तक आवधिक ऋण की किस्तों पर स्थगन का विस्तार करने की अनुमति दी। तदनुसार, चुकौती समय सीमा और बाद की सभी देय तिथियां, साथ ही ऐसे ऋणों के लिए अवधि, सभी मामलों में एक और तीन महीने के लिए परिवर्तित कर दिया गया है।

(ख) आरबीआई ने ऋण देने वाली संस्थाओं को नकद ऋण/ओवरड्राफ्ट के रूप में स्वीकृत कार्यशील पूंजी सुविधाओं के संबंध में 1 जून, 2020 से 31 अगस्त, 2020 तक के तीन माह की अवधि के लिए 1 मार्च, 2020 को बकाया ऐसी सभी सुविधाओं के संबंध में ब्याज के भुगतान पर 27 मार्च, 2020 को तीन महीनों के लिए ब्याज के आस्थगन की अनुमति दी।

(ग) आरबीआई ने ऋण देने वाली संस्थाओं को आस्थगन अवधि (31 अगस्त,

2020 तक) में कार्यशील पूंजी सुविधाओं पर संचित ब्याज को एक वित्त पोषित ब्याज अवधि के ऋण में परिवर्तित करने की अनुमति दी, जो वर्तमान वित्तीय वर्ष के अंत (31 मार्च, 2021) के पहले तक चुकाने योग्य होगा। इससे एक बार में संचित ब्याज को चुकाने में उधारकर्ताओं के सामने आने वाली कठिनाइयां दूर होंगी।

(घ) चूंकि स्थगन/आस्थगन विशेश रूप से उधारकर्ताओं को कोविड–19 के कारण होने वाले व्यवधानों का प्रबंधन करने में सक्षम बनाने के लिए प्रदान किया जा रहा है, इसे उधारकर्ताओं और उधारदाताओं के बीच ऋण समझौतों में परिवर्तन के रूप में नहीं माना जाएगा और इसके परिणामस्वरूप, परिसंपत्ति वर्गीकरण डाउनग्रेड नहीं होगा। यह अधिस्थगन ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा पर्यवेक्षी रिपोर्टिंग और क्रेडिट सूचना कंपनियों को रिपोर्टिंग के प्रयोजनों के लिए व्यतिक्रम के रूप में भी योग्य नहीं होगा।

## *परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के लिए उचित व्यवहार संहिता*

आरबीआई ने अपने साथ पंजीकृत परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) को सलाह दी कि वे अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित उचित व्यवहार संहिता (एफपीसी) को अपने हितधारकों के साथ और उनके संचालन में पारदर्शिता और निश्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए 16 जुलाई, 2020 को अपने संचार के माध्यम से रखें। एफपीसी से न्यूनतम नियामक अपेक्षा निर्दिष्ट की। सुरक्षित संपत्तियों की बिक्री के लिए, एआरसी सार्वजनिक रूप से नीलामी में भागीदारी की मांग करेगा और संभावित खरीदारों से निपटने में संहिता की धारा 29ए की भावना का पालन करेगा। यह ऋण की वसूली में देनदार के उत्पीड़न का सहारा नहीं लेगा। यह सुनिश्चित करेगा कि वसूली एजेंटों को, विशेश रूप से कॉल करने के घंटों, ग्राहक जानकारी की गोपनीयता आदि जैसे पहलुओं में उनकी जिम्मेदारियों को देखभाल और संवेदनशीलता के साथ संभालने के लिए उचित रूप से प्रशिक्षित किया गया है।

## *कोविड–19 तनाव के लिए समाधान ढांचा*

कोविड–19 महामारी के आर्थिक नतीजे ने पूरे बोर्ड में उधारकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय तनाव पैदा कर दिया है जो संभावित रूप से आर्थिक रूप से अन्यथा व्यवहार्य कई फर्मों की दीर्घकालिक व्यवहार्यता को प्रभावित कर सकता है। इस तरह के व्यापक प्रभाव से पूरी वसूली प्रक्रिया खराब हो सकती है, जिससे महत्वपूर्ण वित्तीय स्थिरता जोखिम पैदा हो सकते हैं। वास्तविक क्षेत्र की गतिविधियों के पुनरुद्धार को सुविधाजनक बनाने और अंतिम उधारकर्ताओं पर प्रभाव को कम करने के इरादे से इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, निर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन, ऐसे एक्सपोजर को मानक के रूप में वर्गीकृत करते समय, स्वामित्व में परिवर्तन के बिना, कोविड–19 के कारण तनाव में रहने वाले कारपोरेट उधारकर्ताओं को समाधान योजना लागू करने में सक्षम बनाने के लिए आरबीआई ने 06 अगस्त, 2020 के परिपत्र के माध्यम से प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क के अधीन विंडो प्रदान की। केवल वे खाते जिन्हें मानक के रूप में वर्गीकृत किया गया था और 01 मार्च, 2020 तक किसी भी ऋण देने वाली संस्था के साथ 30 दिनों से अधिक के लिए व्यतिक्रम नहीं था (अर्थात, एसएमए–0 से अधिक नहीं) और जो समाधान प्रक्रिया के आह्वान तक मानक बने हुए हैं, पात्र हैं। आरबीआई वित्तीय मानकों की सूची और इस तरह के मानकों के लिए क्षेत्र विशिष्ट बेंचमार्क रेंज की सिफारिश करने के लिए समिति का गठन करेगा, जो उनकी राय में, प्रत्येक समाधान योजना में जाने वाली धारणाओं में शामिल होना आवश्यक होगा।

## *कोविड–19 तनाव के लिए वित्तीय मानदंड*

विशेषज्ञ समिति, जैसा कि कोविड–19 संबंधित तनाव के समाधान ढांचे के अधीन परिकल्पित है, ने 04 सितंबर, 2020 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अपनी सिफारिशों के आधार पर,आरबीआई ने 07 सितंबर, 2020 के परिपत्र के माध्यम से निर्देश दिया कि सभी ऋण देने वाले संस्थान। पात्र उधारकर्ताओं के संबंध में समाधान योजनाओं को अंतिम रूप देते समय प्रमुख अनुपात, अर्थात् कुल बाहरी देयताएं / समायोजित मूर्त निवल मूल्य, कुल ऋण / एबिट्डा वर्तमान अनुपात, ऋण सेवा कवरेज अनुपात और औसत ऋण सेवा कवरेज अनुपात अनिवार्य रूप से विचार करें। 26 क्षेत्रों के संबंध में प्रत्येक प्रमुख अनुपात के लिए ऋण देने वाली संस्थाओं को सेक्टर–विशिष्ट थ्रेसहोल्ड (छत या फर्श) पर विचार करने की भी आवश्यकता है। ऋण देने वाली संस्थाएं संकल्प मान्यताओं को अंतिम रूप देते समय अन्य वित्तीय मानकों पर भी विचार करने के लिए स्वतंत्र हैं। उन्हें अन्य क्षेत्रों के संबंध में अपना मूल्यांकन स्वयं करना चाहिए।

# भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

## *सूचीबद्ध कंपनियों के लिए छूट*

सेबी ने 22 जून, 2020 की अधिसूचना के माध्यम से सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा अधिमान्य मुद्दों के लिए मूल्य निर्धारण मानदंडों को शिथिल करने के लिए सेबी (पूंजी का मुद्दा और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018 में विनियम 164क सम्मिलित किया। विनियम 164ए प्रदान करता है कि शेयरों की कीमत संबंधित इक्विटी शेयरों के संबंधित तारीख से पहले के दो सप्ताह के दौरान साप्ताहिक उच्च और निम्न मात्रा भारित औसत कीमतों के औसत से कम नहीं होनी चाहिए। यह छूट किसी कंपनी द्वारा किए गए इक्विटी शेयर जारी करने के लिए उपलब्ध है जो निम्नलिखित में से किन्हीं दो मानदंडों को पूरा करती है :

(क) जारीकर्ता ने ब्याज के भुगतान / ऋण पर मूल राशि की चुकौती पर सभी व्यतिक्रमों का खुलासा किया है और इस तरह के व्यतिक्रम होने के बाद कम से कम 90 कैलेंडर दिनों की अवधि के लिए ऐसा व्यतिक्रम जारी रहता है;

(ख) आरबीआई (दबावग्रस्त संपत्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचा) दिशा–निर्देश, 2019 दिनांक 07 जून, 2019 के संदर्भ में एक अंतर–ऋणदाता समझौता है; तथा

(ग) सूचीबद्ध कंपनी के वित्तीय लिखतों (सूचीबद्ध या असूचीबद्ध), क्रेडिट लिखतों/उधारों (सूचीबद्ध या असूचीबद्ध) की क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड कर ''घ'' कर दिया गया है।

सेबी ने 22 जून, 2020 की अधिसूचना के माध्यम से सेबी (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधीनीकरण) विनियमन, 2011 में सेबी (पूंजी का निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2018 के विनियमन 164क के अधीन ओपन ऑफर दायित्वों से अधिमान्य मुद्दे के माध्यम से शेयरों या मतदान अधिकारों के किसी भी अधिग्रहण को छूट देने के लिए संशोधन किया।

## *आरवी द्वारा मूल्यांकन*

सेबी ने 03 नवंबर, 2020 के अपने परिपत्र के माध्यम से, 10 मार्च, 2017 के अपने परिपत्र को संशोधित किया, जो सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा व्यवस्था की योजना (एसओए) की रूपरेखा तैयार करता है। संशोधन के लिए सभी सूचीबद्ध संस्थाओं को एसओए में आरवी से मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। आरवी एक ऐसा व्यक्ति है, जो आरवी का सदस्य होने के नाते, नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 247 के अनुसार आईबीबीआई के साथ पंजीकृत है।

## *न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता*

सेबी ने उन कंपनियों के लिए न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता मानदंडों को पुनर्गणना करने का निर्णय लिया, जो संहिता के अधीन समाधान योजना के कार्यान्वयन के बाद भी सूचीबद्ध रहती हैं। ऐसी कंपनियों के पास स्टॉक एक्सचेंज में डीलिंग में प्रवेश के समय कम से कम 5 प्रतिशत सार्वजनिक शेयरधारिता होनी चाहिए, जबकि वर्तमान में कोई न्यूनतम आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, ऐसी कंपनियों को उस तारीख से 12 महीने के भीतर 10 प्रतिशत की सार्वजनिक हिस्सेदारी हासिल करनी होगी, जिस तारीख से कंपनी के ऐसे शेयरों को स्टॉक एक्सचेंज में डील करने के लिए और 36 महीने में उक्त तारीख से 25 प्रतिशत की सार्वजनिक हिस्सेदारी हासिल करनी होगी। समाधान योजना के अधीन आरए को आवंटित इक्विटी शेयरों पर लॉक–इन अवधि 12 महीनों के भीतर 10 प्रतिशत सार्वजनिक हिस्सेदारी हासिल करने की सीमा तक लागू नहीं होगी।

## *लिस्टिंग और प्रकटीकरण दायित्व*

सेबी ने 8 जनवरी, 2021 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेगुलेशन, 2015 में संशोधन किया। रेगुलेशन में संहिता के अधीन एए द्वारा अनुमोदित रेजोल्यूशन प्लान की विशिष्ट विशेषताओं और विवरणों के प्रकटीकरण की आवश्यकता होती है, जिसमें वाणिज्यिक शामिल नहीं है। रहस्य, अर्थात, कंपनी के पूर्व और बाद के निवल मूल्य, सीआईआरपी के बाद कंपनी की संपत्ति का विवरण, कंपनी पर लगाए गए अन्य भौतिक दायित्व, कंपनी में निवेशित धन का विवरण, लेनदारों का भुगतान और व्यापार रणनीति का संक्षिप्त विवरण। विनियमों में न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित कदमों के प्रकटीकरण, ऐसी न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता प्राप्त करने की स्थिति का त्रैमासिक प्रकटीकरण और समाधान योजना में अनुमोदित डीलिस्टिंग योजनाओं, यदि कोई हो, के विवरण की भी आवश्यकता होती है।

## अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण

## *योग्य वित्तीय अनुबंध*

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) ने 2 फरवरी, 2021 की अधिसूचना के माध्यम से, योग्य वित्तीय अनुबंध अधिनियम, 2020 के द्विपक्षीय नेटिंग के अधीन योग्य वित्तीय अनुबंध (क्यूएफसी) की एक विस्तृत और विस्तृत परिभाषा पेश की। अधिसूचना ने क्यूएफसी को किसी भी निजी तौर पर परिभाषित किया। एक स्टॉक एक्सचेंज के बाहर निश्पादित द्विपक्षीय वित्तीय अनुबंध, जिसमें किसी भी ऐसे वित्तीय अनुबंध में संदर्भ द्वारा शामिल किए गए किसी भी नियम और शर्तें शामिल हैं, जिसके अनुसार बाजार मूल्य वाले भुगतान या वितरण दायित्वों को एक निश्चित समय पर या एक निश्चित अवधि के भीतर किया जाना है। इनमें से कुछ अनुबंध मुद्रा, क्रॉस–करेंसी या ब्याज दर स्वैप हैं; कमोडिटी स्वैप; और प्रतिभूति अनुबंध आदि।

सारणी 1 2020–2021 के दौरान महत्वपूर्ण नीति और नियामक विकास का वर्णन है।

**सारणी 1 : नीतिगत और नियामक घटनाओं का समयक्रम 2020–21**

| तारीख | घटना |
|---|---|
| 02.04.20 | सीओई ने भारत में मूल्यांकन व्यवसाय के विकास और विनियमन को बढ़ावा देने के लिए राश्ट्रीय मूल्यांकन संस्थान की स्थापना और अन्य उपायों के लिए एक विशेश कानून के अधिनियमन की सिफारिश करते हुए सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। |
| 17.04.20 | आरबीआई ने तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान पर प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क के अधीन समाधान टाइमलाइन की समीक्षा की। |
| 20.04.20 | आईबीबीआई ने प्रेक्टिस हेतु असाइनमेंट प्राधिकरण (एएफए) प्राप्त करने में आईपी के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए आईबीबीआई (आदर्श उपनियम और दिवाला व्यवसायिक अभिकरण शासी बोर्ड) विनियमन, 2016 में संशोधन किया। |
| 20.04.20 | आईबीबीआई ने आईबीबीआई (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 में संशोधन किया है, जिसमें जमा करने की नियत तारीख के बाद सीआईआरपी फॉर्म भरने की तारीख, चाहे वह सुधार, अद्यतन या अन्यथा के लिए हो, बढ़ा दी गई है। |
| 20.04.20 | आईबीबीआई ने आईबीबीआई (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 में संशोधन किया ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि कोविड–19 महामारी के मद्देनजर लगाए गए लॉकडाउन की अवधि को 17 अप्रैल, 2020 से प्रभावी किसी भी परिसमापन प्रक्रिया के संबंध में समयसीमा के अनुपालन के उद्देश्य से नहीं गिना जाएगा। |
| 23.04.20 | आईबीबीआई ने एक सर्कुलर जारी कर स्पष्ट किया कि प्रवर्तक संगठन का कोई सदस्य, जिसने आरवीओ को बढ़ावा दिया है, आरवीओ का स्वतंत्र निदेशक बनने के योग्य नहीं होगा। |
| 05.05.20 | सरकार ने अधिसूचित किया कि आईआरपी/आरपी को केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन सीडी का विशिष्ट व्यक्ति माना जाएगा और उन राज्यों या संघ शासित राज्यों में से प्रत्येक में नया रजिस्ट्रीकरण कराने के लिए उत्तरदायी होगा जहां पूर्व में सीडी रजिस्ट्रीकृत की गई थी। |
| 12.05.20 | एनसीएलटी ने निर्देश दिया कि संहिता की धारा 7 के अधीन आवेदन आईयू से व्यतिक्रम रिकॉर्ड के साथ फाइल किए जाने चाहिए। |
| 17.05.20 | केंद्र सरकार ने व्यवसाय करने में आसानी को और बढ़ाने के लिए 'आत्मनिर्भर भारत, भाग V : सरकारी सुधार और समर्थक' के हिस्से के रूप में आईबीसी से संबंधित विभिन्न उपायों का प्रस्ताव रखा। |
| 23.05.20 | तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान की निरंतर चुनौतियों को देखते हुए, आरबीआई ने 'कोविड–19 नियामक पैकेज – तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान पर प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क के अधीन समाधान टाइमलाइन की समीक्षा' के अधीन समयसीमा की समीक्षा की। |
| 01.06.20 | सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 7 के अधीन एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए संशोधित परिभाषा को अधिसूचित किया। |
| 02.06.20 | आईबीबीआई ने 01 जुलाई, 2020 से 25 नवंबर, 2020 की अवधि के दौरान नियुक्तियों के लिए आईपी के सामान्य पैनल की तैयारी को नियंत्रित करने के लिए अंतरिम समाधान व्यवसायिक, परिसमापक, समाधान व्यवसायिक और दिवाला ट्रस्टी (सिफारिश) दिशानिर्देश, 2020 जारी किए। |

| | |
|---|---|
| 05.06.20 | दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2020 को 25 मार्च, 2020 को या उसके बाद उत्पन्न होने वाले किसी भी व्यतिक्रम के लिए छह महीने की अवधि या ऐसी तारीख से एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए नहीं, सीआईआरपी शुरू करने के लिए आवेदन दाखिल करने पर रोक लगाने के लिए प्रख्यापित किया गया था।. |
| 15.06.20 | सीमा पार दिवाला नियमों और विनियमों पर समिति ने सीमा पार दिवाला से संबंधित उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए रूपरेखा का प्रस्ताव करते हुए अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। |
| 22.06.20 | सेबी ने सेबी (शेयरों और अधिग्रहण का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियमन, 2011 में संशोधन किया ताकि सेबी (पूंजी का निर्गम और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2018 के विनियमन 164 क के अधीन अधिमान्य मुद्दे के माध्यम से शेयरों या मतदान अधिकारों के किसी भी अधिग्रहण को दायित्वों की खुली पेशकश से छूट दी जा सके। |
| 22.06.20 | सेबी ने सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा तरजीही मुद्दों के लिए मूल्य निर्धारण मानदंडों में ढील देने के लिए सेबी (पूंजी का निर्गम और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2018 में संशोधन किया है। |
| 30.06.20 | आईबीबीआई ने आईबीबीआई (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016 में संशोधन किया, ताकि आईपीई को किसी भी आईपी को सहायता सेवाएं प्रदान करने की अनुमति मिल सके। |
| 10.07.20 | आईबीबीआई ने आईपीए और आरवीओ द्वारा शैक्षिक पाठ्यक्रमों की ऑनलाइन डिलीवरी को नियंत्रित करने के लिए आईबीबीआई (दिवाला व्यावसायिक अभिकरणों और रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठनों द्वारा शैक्षिक पाठ्यक्रम और सतत व्यावसायिक शिक्षा की ऑनलाइन प्रदायगी) दिशानिर्देश, 2020 जारी किए। |
| 16.07.20 | भारतीय रिजर्व बैंक ने एआरसी के लिए उचित व्यवहार संहिता के बारे में परिपत्र जारी किया जिसमें एआरसी को सलाह दी गई कि वे अपने हितधारकों के साथ और उनके संचालन में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए एक उचित व्यवहार संहिता लागू करें। |
| 05.08.20 | आईबीबीआई ने आईबीबीआई (स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 में संशोधन किया, ताकि एक कारपोरेट व्यक्ति को परिसमापक को बदलने के लिए सदस्यों या भागीदारों, या योगदानकर्ताओं, जैसा भी मामला हो, के संकल्प द्वारा परिसमापक के रूप में किसी अन्य आईपी को नियुक्त किया जा सके। |
| 05.08.20 | आईबीबीआई ने यह स्पष्ट करने के लिए आईबीबीआई (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 में संशोधन किया है कि जहां परिसमापक को किसी भी राशि की वसूली होती है, लेकिन वह उसे वितरित नहीं करता है, वह उसके द्वारा वसूल की गई राशि के अनुरूप शुल्क का हकदार होगा। |
| 05.08.20 | आईबीबीआई ने परिसमापन प्रक्रिया का संचालन करते समय आईपी द्वारा उपयोग के लिए एए, एनसीएलएटी और उच्च न्यायालयों के आदेशों और निर्णयों से महत्वपूर्ण निर्देशों और टिप्पणियों को सूचीबद्ध करते हुए एक सुविधा नोट जारी किया। |
| 06.08.20 | आरबीआई ने कोविड–19 से संबंधित तनाव के लिए समाधान फ्रेमवर्क पर परिपत्र जारी किया, ताकि उधारदाताओं को स्वामित्व में बदलाव के बिना, कोविड–19 के कारण तनाव वाले कारपोरेट उधारकर्ताओं के संबंध में समाधान योजना को लागू करने में सक्षम बनाया जा सके, जबकि ऐसे एक्सपोजर को निर्दिश्ट शर्तों के अध्यधीन मानक के रूप में वर्गीकृत किया जा सके। |
| 07.08.20 | आईबीबीआई ने आईबीबीआई (कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 में संशोधन किया, ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि आईआरपी द्वारा एआर को कार्य करने के लिए पेश किए गए तीन आईपी राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों से होने चाहिए, जिसमें विशिष्ट वर्ग में लेनदारों की संख्या सबसे अधिक हैय बैठक के कार्यवृत्त के परिचालित होने के बाद ही एआर मतदान निर्देश मांगेगा और तदनुसार मतदान करेगा और सीओसी सभी अनुपालन समाधान योजनाओं पर एक साथ मतदान करेगा। |
| 13.08.20 | एनसीएलटी ने 12 मई, 2020 के अपने आदेश को संशोधित किया, जिसमें आईयू से, संहिता की धारा 7 के अधीन फाइल की गई नई याचिकाओं के साथ, आईयू के पास, जहां भी उपलब्ध हो, व्यतिक्रम रिकॉर्ड दाखिल करने का निर्देश दिया गया। |
| 26.08.20 | सरकार ने सभी राष्ट्रीकृत बैंकों को उन मामलों की निगरानी के लिए तंत्र स्थापित करने के लिए एक परामर्श जारी किया, जिनके लिए पीजी के खिलाफ सीडी में व्यक्तिगत दिवाला प्रक्रिया शुरू करने की आवश्यकता हो सकती है और उसी के लिए डेटा एकत्र करने के लिए आईटी प्रणाली स्थापित करनी पड़ सकती है। |
| 07.09.20 | आरबीआई ने परिपत्र जारी किया जिसमें ऋण देने वाली सभी संस्थाओं को विभिन्न प्रमुख वित्तीय अनुपातों पर विचार करने का निर्देश दिया गया, जैसा कि कोविड–19 से संबंधित तनाव के समाधान ढांचे पर समाधान योजनाओं को अंतिम रूप देते हुए पात्र उधारकर्ताओं के संबंध में विशेशज्ञ समिति द्वारा अनुशंसा की गई है। |
| 23.09.20 | दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2020 को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता(संशोधन) अध्यादेश, 2020 को प्रतिस्थापित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। |
| 24.09.20 | केंद्र सरकार ने संहिता की धारा 10क के अधीन 25 सितंबर, 2020 से तीन महीने की और अवधि के लिए संहिता का निलंबन अधिसूचित किया। |
| 09.10.20 | आईबीबीआई ने अनुशासन समिति और आरवीओ के अपीलीय पैनल की बैठकों के संचालन और इसके लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं पर परिपत्र जारी किया। |
| 29.10.20 | आईबीबीआई ने आईबीबीआई वेबसाइट पर ऑनलाइन सुविधा की उपलब्धता के संबंध में परिपत्र जारी किया, जिसमें आवेदकों को सीआईआरपी की शुरुआत के लिए फाइल किए गए आवेदन की प्रति बोर्ड को ऑनलाइन प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई। |
| 31.10.20 | आईएलसी की उप–समिति ने पीपीआरआईपी पर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, जिसमें भारतीय बाजार के लिए संहिता की मूल संरचना के भीतर तैयार किए गए प्री–पैक ढांचे की सिफारिश की गई है। |
| 03.11.20 | सेबी ने 10 मार्च, 2017 के अपने परिपत्र को संशोधित करते हुए परिपत्र जारी किया जिसमें सभी सूचीबद्ध संस्थाओं को व्यवस्था की योजनाओं (एसओए) ढांचे के अधीन आरवी से मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी। |
| 13.11.20 | आईबीबीआई ने आईबीबीआई (सूचना उपयोगिता) विनियमन, 2017 में संशोधन किया है ताकि संहिता के अधीन की गई सार्वजनिक घोशणा को वित्तीय जानकारी के रूप में निर्दिश्ट किया जा सके और आईयू के पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए सार्वजनिक घोषणा के प्रसार की आवश्यकता हो, जो दिवाला कार्यवाही से गुजर रहे सीडी के लेनदार हैं। |

| | |
|---|---|
| 13.11.20 | आईबीबीआई ने आईबीबीआई (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 में संशोधन किया ताकि दो 'अन्य रिकॉर्ड या व्यतिक्रम के साक्ष्य' को निर्दिश्ट किया जा सके और समाधान योजना के अधीन ऋण के भुगतान के लिए उसके द्वारा प्रत्येक दावेदार, सिद्धांत या सूत्रों को आईबीबीआई वेबसाइट पर प्रसार और सूचना के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर आरपी द्वारा लेनदारों की सूची प्रस्तुत करने का प्रावधान किया जा सके। |
| 13.11.20 | आईबीबीआई ने आईबीबीआई (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 में संशोधन किया ताकि परिसमापक को हितधारकों की परामर्श समिति (एससीसी) के परामर्श से किसी भी व्यक्ति को 'तुरंत वसूली योग्य संपत्ति' सौंपने या स्थानांतरित करने में सक्षम बनाया जा सके। |
| 23.11.20 | आईबीबीआई ने जनवरी–जून, 2021 के दौरान नियुक्तियों के लिए आईपी के क्षेत्र–वार पैनल की तैयारी को नियंत्रित करने के लिए अंतरिम समाधान व्यवसायिक, परिसमापक, समाधान व्यवसायिक और दिवाला ट्रस्टी (सिफारिश) (द्वितीय) दिशानिर्देश, 2020 जारी किए। |
| 27.11.20 | आईबीबीआई ने परिपत्र जारी किया जिसमें आईबीबीआई वेबसाइट पर इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर आईआरपी या आरपी द्वारा लेनदारों की सूची दाखिल करने या उसी को अद्यतन करने की आवश्यकता जताई गई। |
| 16.12.20 | सेबी ने उन कंपनियों के लिए न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता मानदंडों की पुनर्गणना की, जो संहिता के अधीन समाधान योजना के कार्यान्वयन के बाद भी सूचीबद्ध रहती हैं। |
| 22.12.20 | केंद्र सरकार ने संहिता की धारा 10क के अधीन 25 दिसंबर, 2020 से तीन महीने की और अवधि के लिए संहिता का निलंबन अधिसूचित किया। |
| 24.12.20 | एनसीएलटी ने अपनी सभी पीठों को 1 जनवरी, 2021 से स्वचालित केस नंबर जनरेशन के साथ ई–कोर्ट के दूसरे चरण का कार्यान्वयन शुरू करने की सलाह दी। |
| 06.01.21 | आईबीबीआई ने परिपत्र जारी किया जिसमें आईपी को उनके द्वारा संचालित सीआईआरपी के सभी रिकॉर्ड की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी कम से कम आठ वर्ष की अवधि के लिए और सभी रिकॉर्ड्स की एक फिजिकल कॉपी को कम से कम तीन वर्श की अवधि के लिए सुरक्षित रखने का निर्देश दिया गया। |
| 08.01.21 | सेबी ने सेबी (देयताओं का सूचीयन और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 में संशोधन किया है, जिसमें संहिता के अधीन एए द्वारा अनुमोदित, विशिश्ट विशेशताओं और अन्य बातों के साथ–साथ,समाधान योजना के विवरण, जिसमें वाणिज्यिक रहस्य शामिल नहीं हैं, का प्रकटीकरण अनिवार्य है। |
| 14.01.21 | आईबीबीआई ने आईबीबीआई (दिवाला व्यावसायिक अभिकरणों के आदर्श उपनियम और शासी बोर्ड) विनियमन, 2016 में संशोधन किया है ताकि किसी व्यक्ति के लिए आईपीए के शासी बोर्ड में शेयरधारक निदेशक बनने के लिए पात्रता मानदंड निर्दिष्ट किए जा सकें। |
| 02.02.21 | आईबीबीआई ने आईबीबीआई वेबसाइट पर ऑनलाइन सुविधा के संबंध में परिपत्र जारी किया, जिसमें आवेदकों को पीजी से सीडी में दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए फाइल आवेदन की प्रति बोर्ड को ऑनलाइन प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई। |
| 02.02.21 | आईएफएससीए ने अर्हताप्राप्त वित्तीय अनुबंध अधिनियम, 2020 के द्विपक्षीय नेटिंग के अधीन अर्हताप्राप्त वित्तीय अनुबंध की व्यापक और विस्तृत परिभाशा पेश की। |
| 04.03.21 | आईबीबीआई ने परिपत्र जारी किया जिसमें परिसमापक को अपनी वेबसाइट पर प्रसार के लिए बोर्ड के इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर परिसमापन के अधीन संबंधित सीडी के हितधारकों की सूची दाखिल करने की आवश्यकता थी। |
| 04.03.21 | आईबीबीआई ने आईबीबीआई (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 में संशोधन किया है, जिसमें परिसमापक को बोर्ड की वेबसाइट पर समय–समय पर संशोधित हितधारकों की सूची दाखिल करने की आवश्यकता है। |
| 09.03.21 | आईबीबीआई ने 01 अप्रैल, 2021 से प्रशासकों के रूप में आईपी की नियुक्ति की सुविधा के लिए सेबी (निवेशकों को निधि प्रतिदाय के लिए प्रशासक और प्रक्रिया की नियुक्ति) विनियमन, 2018 के अधीन प्रशासकों के रूप में आईपी की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देश जारी किए। |
| 11.03.21 | आईबीबीआई ने आईबीबीआई (दिवाला व्यावसायिक अभिकरण और रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों द्वारा ऑनलाइन शैक्षिक पाठ्यक्रम और सतत व्यावसायिक शिक्षा की ऑनलाइन प्रदायगी) दिशानिर्देश, 2020 की वैधता 30 सितंबर, 2021 तक बढ़ा दी है। |
| 15.03.21 | आईबीबीआई ने आईबीबीआई (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 में संशोधन किया है ताकि दिवाला शुरू होने की तारीख (आईसीडी) और निर्दिष्ट गतिविधियों के बाद लेनदार द्वारा दावे को अद्यतन करने का प्रावधान किया जा सके, जिसे पूरा नहीं करने पर नियत तारीख के तीन दिनों के भीतर सीआईआरपी फॉर्म 7 के माध्यम से आरपी/ आईआरपी फाइल करना होगा। |
| 18.03.21 | आईबीबीआई ने आईपीज को यह निदेश देते हुए परिपत्र जारी किया कि वे प्ररूप सीआईआरपी 7 के माध्यम से जारी सीआईआरपीज की स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करें। |

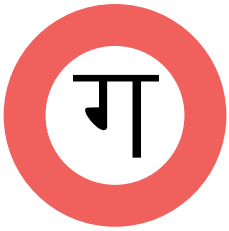

# नीतियाँ, कार्यक्रम और कार्यकलाप

संहिता के अधीन दिवाला ढांचा महत्वपूर्ण संस्थानों से युक्त पारिस्थितिकी तंत्र पर टिका है। यह कारपोरेट प्रशासन को बढ़ावा देता है और आईपीए, आईपी और आईयू जैसे विभिन्न सेवा प्रदाताओं की मदद से समयबद्ध दिवाला समाधान को सक्षम बनाता है। संहिता ने पिछले चार वर्षों में एक ठोस पथ बनाने और पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए अपनी संरचना को तेजी से पॉलिश करके सकारात्मक प्रगति की है। यह खंड संहिता के अधीन सेवा प्रदाताओं और प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए वर्ष के दौरान जारी किए गए नियामक उपायों, दिशानिर्देशों, सलाह और परिपत्रों का विवरण प्रस्तुत करता है। यह खंड हितधारकों को शिक्षित करने और संहिता के उद्देश्यों और उपयोग, इसके अधीन विभिन्न नियमों के पीछे तर्क, उभरती हुई सर्वोत्तम प्रथाओं और देश के दिवाला और शोधन अक्षमता क्षेत्र में आगे क्या है, के बारे में आईबीबीआई के समर्थन प्रयासों को विस्तृत करता है। आईपी और आरवी जैसे सेवा प्रदाताओं को मजबूत करने के लिए बोर्ड की विभिन्न क्षमता निर्माण पहल, सीओसी की संस्था की क्षमता वृद्धि और सरकार के विभिन्न विभागों का विवरण इस खंड में प्रस्तुत किया गया है।

## ग.1 सेवा प्रदाता

संहिता विभिन्न दिवाला समाधान प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए हितधारकों को सुविधा प्रदान करने के लिए कई सेवा प्रदाताओं का प्रावधान करती है। उन्हें संहिता के अधीन निहित समग्र उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बाजार प्रक्रियाओं को निष्पक्ष, प्रभावी और पारदर्शी बनाना अनिवार्य है। जबकि संहिता ने कुछ नए पेशों और संबद्ध संस्थानों, जैसे, आईपी, आईपीई और आईपीए का निर्माण किया है, इसने कुछ अन्य लोगों, जैसे कि मूल्यांकक, लेखाकार, दिवाला और शोधन अक्षमता में विशेषज्ञता वाले अधिवक्ताओं को भी पुनर्निर्मित किया है। समय के साथ संहिता के उपयोग में वृद्धि के साथ, इन व्यावसायिकों की मांग और उनकी सेवाओं के परिष्कार में वृद्धि हुई है। यह खंड सेवा प्रदाताओं अर्थात आईपी, आईपीई, आईपीए, आरवी, आरवीओ और आईयू के लिए नियामक क्षेत्र में विकास का वर्णन करता है। यह इन व्यवसायों के विकास की स्थिति को भी प्रस्तुत करता है।

### दिवाला व्यावसायिक

आईपी दिवाला पारिस्थितिकी तंत्र का प्रमुख स्तंभ है। वह कई अलग–अलग भूमिकाएँ निभाता है, अर्थात, सीआईआरपी में आईआरपी या आरपी, परिसमापन प्रक्रियाओं में परिसमापक, व्यक्तिगत दिवाला प्रक्रियाओं में आरपी और शोधन अक्षमता की कार्यवाही में शोधन अक्षमता ट्रस्टी (बीटी)। पूर्ववर्ती व्यवस्था के विपरीत, संहिता इसके अंतर्गत विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए व्यावसायिक सेवाओं का प्रावधान करती है। आईपी की भूमिका को स्पष्ट करते हुए, दिवाला कानून सुधार समिति (बीएलआरसी), जिसने संहिता की अवधारणा की थी, ने कहा : *''यह पूरी दिवाला और शोधन अक्षमता प्रक्रिया विनियमित और लाइसेंस प्राप्त व्यावसायिक द्वारा प्रबंधित की जाती है, अर्थात् दिवाला वृत्तिक या आईपी, न्यायनिर्णायक द्वारा नियुक्त किया जाता है। कानून द्वारा संचालित दिवाला और शोधन अक्षमता समाधान प्रक्रिया में न्यायनिर्णायक द्वारा न्यायिक निर्णय लिए जा रहे हैं। लेकिन जांच और लेखांकन के साथ–साथ उचित प्रक्रिया का संचालन भी होता है जो आईपी द्वारा किया जाता है। दिवाला व्यावसायिक महत्वपूर्ण स्तंभ हैं जिस पर प्रभावी, समय पर कामकाज के साथ–साथ दिवाला और शोधन अक्षमता समाधान प्रक्रिया के पूरे भवन की विश्वसनीयता टिकी हुई है।''*

इस प्रकार, आईपी महत्वपूर्ण स्तंभ है जो संपूर्ण सीआईआरपी के प्रभावी, समय पर और विश्वसनीय कामकाज के लिए जिम्मेदार है। समाधान परिणामों को प्रशासित करने में, आईपी की भूमिका में कार्यों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जिसमें कानून की प्रक्रिया का पालन करना, साथ ही साथ सामान्य प्रबंधन और वित्त संबंधी कार्य शामिल हैं। आईपी को संहिता के अधीन अपने दायित्वों का पालन करते हुए एक सख्त आचार संहिता का पालन करना आवश्यक है और यह सुनिश्चित करना कि उसके या उसकी टीम द्वारा किसी भी चल रहे सीआईआरपी पर तैनात और लागू की गई पर्याप्त प्रक्रियाएं और नीतियां हैं। आईपी लेनदार–नियंत्रण में प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है और एए, सीओसी और अन्य हितधारकों के बीच सेतु के रूप में कार्य करता है। निदेशक मंडल की शक्ति के साथ निहित होने और सीडी के मामलों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होने के कारण, आईपी सीआईआरपी के जीवनचक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आईपी को व्यावसायिकता के उच्चतम मानकों पर काम करना है, प्रदर्शन के उच्चतम स्तर को प्राप्त करना है, और हर समय आईपीए, जिसके वे व्यावसायिक सदस्य हैं और अपने कर्तव्यों का पालन करते समय उचित देखभाल और परिश्रम करते हैं, के उप–नियमों में निर्दिश्ट नियमों और शर्तों के साथ–साथ संहिता और नियमों के उपबंधों का पालन करना है।

संहिता किसी भी व्यक्ति को आईपीए के सदस्य के रूप में नामांकित और आईबीबीआई के साथ रजिस्ट्रीकृत हुए बिना आईपी के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान करने से प्रतिबंधित करती है। इस प्रकार, आईबीबीआई दिवाला व्यवसाय के प्रमुख नियामक के रूप में कार्य करता है, जबकि आईपीए अग्रिम पंक्ति के नियामक हैं। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016 (आईपी विनियमन) और भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उप–नियम और दिवाला व्यावसायिक अभिकरणों का शासी बोर्ड), 2016 विनियमन के साथ पठित संहिता के उपबंध, दिवाला व्यवसाय को नियंत्रित करते हैं।

आईबीबीआई दिवाला व्यवसाय को सक्रिय रूप से तैयार और विनियमित कर रहा है। यह कई कौशल विकास पहलों के माध्यम से व्यावसायिकों की क्षमता निर्माण के लिए विभिन्न कदम उठा रहा है। इसने व्यवसाय को अगले स्तर तक ले जाने के लिए एक स्नातक दिवाला कार्यक्रम (जीआईपी) को बढ़ावा दिया है। इन प्रयासों का विवरण रिपोर्ट के खंड घ में प्रस्तुत किया गया है।

## आईपी विनियमन

आम बोलचाल में, एक व्यावसायिक वह व्यक्ति होता है, जिसे किसी व्यवसाय का अभ्यास करने का अधिकार होता है। व्यवसाय का एक नियामक (राज्य, वैधानिक नियामक, या स्व–नियामक) किसी व्यक्ति को उचित प्रक्रिया का पालन करने और उस व्यक्ति की योग्यता और साख से संतुष्ट होने के बाद, व्यवसाय का अभ्यास करने का अधिकार प्रदान करता है। ऐसा व्यक्ति नियामक की देखरेख में व्यवसाय का अभ्यास करता है, जो उसके अधिकार को छीन सकता है, अगर वह इसका दुरुपयोग करता पाया जाता है या एक 'उपयुक्त और उचित व्यक्ति' का दर्जा खो देता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अभ्यास को विनियमित करने का अधिकार लोगों के अपनी सुरक्षा के अधिकार से आता है।[15] इसलिए, केवल उन व्यक्तियों के लिए व्यवसाय के अभ्यास को प्रतिबंधित करने के लिए नियम बनाना महत्वपूर्ण है जो व्यवसाय के लिए निर्धारित मानकों को पूरा करते हैं। व्यक्ति व्यवसाय का अभ्यास करने के अधिकार के लायक होने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन करता है। वह आमतौर पर ऐसा पाठ्यक्रम करता है जो उसे ज्ञान, कौशल और विशेशज्ञता से लैस करता है जो व्यवसाय के सदस्य के पास अधिकार की मांग करने से पहले होना चाहिए।

व्यावसायिक गतिविधि और वाणिज्यिक गतिविधि के बीच एक मूलभूत अंतर है। विनियमन व्यवसाय को वाणिज्य से अलग करते हैं और हितधारकों के हित में व्यावसायिक मानकों को निर्धारित और बनाए रखते हैं। व्यावसायिक गतिविधि व्यक्ति द्वारा अपने व्यक्तिगत कौशल और बुद्धिमत्ता से की जाती है।[16] इसमें वाणिज्यिक गतिविधि के मुकाबले कुछ निश्चित मात्रा में कौशल शामिल है जहां यह कुछ बातों या व्यापारिक गतिविधि से अधिक महत्व रखती है। वाणिज्यिक गतिविधि में कोई लाभ या लाभ के लिए काम करता है और इसके विपरीत, व्यवसाय में, अपनी आजीविका के लिए काम करता है।[17] नियामक व्यवसाय के सदस्यों के लिए व्यावसायिक और नैतिक आचरण के मानकों को निर्धारित करता है।

23 नवंबर, 2016 को अधिसूचित आईपी विनियमन में, अन्य बातों के साथ–साथ, आईपी के रजिस्ट्रीकरण, विनियमन और निरीक्षण का प्रावधान करते हैं। 01 दिसंबर 2016 को संहिता के प्रवर्तन को सक्षम करने के लिए एक तत्काल उपाय के रूप में, आईपी विनियमननों में चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, कंपनी सचिवों, लागत लेखाकारों और अधिवक्ताओं को आईपी के रूप में रजिस्ट्रीकरण करने की अनुमति दी गई, जो 15 वर्षों से अभ्यास कर रहे थे। हालांकि, रजिस्ट्रीकरण के लिए यह विंडो 31 दिसंबर, 2016 तक उपलब्ध थी और इस तरह के रजिस्ट्रीकरण छह महीने की सीमित अवधि के लिए, यानी 30 जून, 2017 तक वैध थे। इसने नियमित व्यवस्था करने के लिए महत्वपूर्ण राहत प्रदान की। आईपी विनियमननों में अधिवक्ताओं, चार्टर्ड एकाउंटेंट, कंपनी सचिवों और लागत लेखाकारों को 10 साल की सदस्यता के बाद के अनुभव (अभ्यास या रोजगार) और स्नातकों को 15 साल के बाद योग्यता प्रबंधकीय अनुभव के साथ सीमित दिवाला परीक्षा इंतिहान) पास करने पर आईपी के रूप में रजिस्ट्रीकरण करने की अनुमति दी गई।

उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए आईबीबीआई ने समय–समय पर आईपी विनियमननों में संशोधन किया है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आईपी और आईपीई को कोविड–19 के मद्देनजर आईपी विनियमननों में निर्धारित विभिन्न समय–सीमा का पालन करना मुश्किल हो सकता है, इसने आईपी नियमों में संशोधन किया और 28 मार्च, 2020 की अधिसूचना के माध्यम से अंतिम तिथि बढ़ा दी। 30 अप्रैल, 2020 से 30 जून, 2020 तक वर्ष 2019–20 के लिए शुल्क का भुगतान। इसने आईपीई को बोर्ड को अपने निदेशकों/भागीदारों की नियुक्ति की तारीख से नियुक्ति और समाप्ति के बारे में ऐसी नियुक्ति/ या समाप्ति सूचित करने के लिए 30 दिनों तक का समय दिया।

## सुविधा नोट्स

### *परिसमापन प्रक्रिया आयोजित करने वाले आईपी हेतु*

परिसमापन प्रक्रिया का संचालन करने वाले आईपी के लिए एए, एनसीएलएटी और उच्च न्यायालयों ने अपने आदेशों और निर्णयों के माध्यम से परिसमापकों को परिसमापन प्रक्रिया के संचालन में निर्देशित किया है। आईबीबीआई ने 05 अगस्त, 2020 को एक सुविधा नोट जारी किया, जिसमें इन आदेशों और निर्णयों से कुछ महत्वपूर्ण निर्देशों और टिप्पणियों को सूचीबद्ध किया गया था, जो एक आईपी को उपयोगी लग सकता है। इन्हें छह व्यापक श्रेणियों अर्थात, परिसमापक के रूप में कार्यभार ग्रहण करना, परिसमापन संपत्ति का दायरा, संपत्ति की बिक्री, संलग्नक, मामलों का प्रबंधन, और शक्तियां और कर्तव्य के अधीन प्रस्तुत किया गया है।

### *परिहार लेनदेन संबंधी आईपी हेतु*

विनियमननों के साथ पठित संहिता आरपी और परिसमापक को यह निर्धारित करने के लिए अनिवार्य करती है कि क्या सीडी पूर्व में अधिमान्य लेनदेन, धोखाधड़ी लेनदेन, कम मूल्य वाले लेनदेन, और जबरन लेनदेन जैसे परिहार लेनदेन के अधीन है, और यदि ऐसा है, तो उस पर एक दायित्व डालता है उचित दिशा–निर्देशों के लिए एए को आवेदन फाइल करें। परिहार लेनदेन के संबंध में अपनी भूमिका का निर्वहन करने के लिए एक आईपी की मदद करने के लिए, आईबीबीआई ने 07 अगस्त, 2020 को 'परिहार लेनदेन – लाल ध्वजा' के बारे सुविधा नोट जारी किया ताकि आईपी को उन स्थितियों की पहचान करने के लिए मार्गदर्शन किया जा सके जो परिहार लेनदेन की समीक्षा और परिणामी आवेदन के लिए योग्यता होगी। ए.ए. यह नोट लाल ध्वजों को छह व्यापक श्रेणियों अर्थात्, (क) इकाई, समूह और संचालन, (ख) पुस्तकों और अभिलेखों का रखरखाव, (ग) नियामक अनुपालन और वाद, (घ) स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट, (ड.) वित्तीय विवरण और बोर्ड रिपोर्ट, और (च) धोखाधड़ी का वर्गीकरण और रिपोर्टिंग (जैसा कि आरबीआई मास्टर निर्देशों के अधीन कवर किया गया है) के अधीन रखता है।

### *आईपी द्वारा की गई गलतियाँ*

आईबीबीआई और आईपीए को सीआईआरपी के संचालन में कुछ आईपी द्वारा की जा रही कुछ गलतियों का पता चला है। ये गलतियाँ सीडी और अर्थव्यवस्था की लागत हैं, और अक्सर कानून के उपबंधों का उल्लंघन होती हैं। इनमें से अधिकांश शायद अनजाने में होते हैं और थोड़ी अधिक सतर्कता, देखभाल और परिश्रम से इनसे बचा जा सकता है। आईबीबीआई ने 13 नवंबर, 2020 को सुविधा नोट जारी किया, जिसमें सीआईआरपी के संचालन में आईपी द्वारा की गई कुछ ऐसी गलतियों को इस उम्मीद के साथ सूचीबद्ध किया गया था कि ऐसी गलतियां नहीं की जाएंगी।

## आईपी का पैनल

जून, 2017 से, आईबीबीआई, द्वारा आईआरपी और परिसमापक के रूप में नियुक्तियों के लिए आईपी के छह–मासिक बेंच–वार पैनल तैयार कर रहा

---

[15] ब्राउन, लियोनेल, (1935), ''राज्य द्वारा व्यवसायों का विनियमन – विनियमन का अधिकार, इसके कारण, उपयोग में तरीके, और नियामक निकायों और न्यायालयों के दृश्टिकोण, संबंध के साथ'', कैल वेस्ट मेड।, अगस्त, 43 (2), पीपी. 119–23.

[16] उच्चतम न्यायालय, अध्यक्ष, म.प्र. इलेक्ट्रिक बोर्ड और बनाम। शिव नारायण और अन्य, अपील (2000 का सिविल संख्या 1065)।

[17] उच्चतम न्यायालय, एलएम चीतला बनाम श्रम आयुक्त (एआईआर 1964 मद्रास 131, 133)।

है और दिशानिर्देशों के अनुसार इसे एए के साथ अग्रिम रूप से साझा कर रहा है। एए सीआईआरपी या परिसमापन प्रक्रिया के लिए आईआरपी या परिसमापक की नियुक्ति के लिए पैनल से कोई भी नाम ले सकता है। इससे दिवाला प्रक्रिया में काफी समय की बचत होती है।

आईबीबीआई ने 01 जुलाई, 2020 से 25 नवंबर, 2020 तक नियुक्तियों के लिए जोन–वार पैनल तैयार करने के लिए 02 जून, 2020 को दिवाला व्यावसायिकों की जगह अंतरिम समाधान व्यावसायिक, परिसमापक, समाधान व्यावसायिक और शोधन अक्षमता ट्रस्टी (सिफारिश) दिशानिर्देश, 2019 के रूप में काम करने के लिए अंतरिम समाधान व्यावसायिक, परिसमापक, समाधान व्यावसायिक और शोधन अक्षमता ट्रस्टी (सिफारिश) दिशानिर्देश, 2020 के रूप में कार्य करने के लिए दिवाला व्यावसायिकों को जारी किया। तदनुसार, आईपी का पैनल 25 जून, 2020 को तैयार किया गया। 26 नवंबर, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 तक नियुक्तियों के लिए उपरोक्त दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अधीन आईपी का एक और पैनल 23 नवंबर, 2020 को तैयार किया गया।

आईबीबीआई ने जनवरी–जून, 2021 के दौरान नियुक्तियों के लिए जोन–वार पैनल की तैयारी को नियंत्रित करने के लिए 23 नवंबर, 2020 को अंतरिम समाधान व्यावसायिक, परिसमापक, समाधान व्यावसायिक और शोधन अक्षमता ट्रस्टी (सिफारिश) (द्वितीय) दिशानिर्देश, 2020 के रूप में कार्य करने के लिए दिवाला व्यावसायिकों को जारी किया।

सेबी (निवेशकों को धनवापसी के लिए प्रशासक की नियुक्ति और प्रक्रिया) विनियमन, 2018 में निर्दिश्ट उद्देश्यों के लिए प्रशासकों के रूप में आईपी की नियुक्ति का प्रावधान है। अप्रैल, 2019 से, आईबीबीआई हर छह महीने में प्रशासकों के रूप में नियुक्तियों के लिए आईपी के क्षेत्र–वार पैनल तैयार कर रहा है और दिशानिर्देशों के अनुसार इसे सेबी के साथ अग्रिम रूप से साझा कर रहा है। इसने अक्टूबर, 2020 – मार्च, 2021 के दौरान नियुक्तियों के लिए आईपी के पैनल की तैयारी के लिए 5 सितंबर, 2020 को सेबी (निवेशकों को धनवापसी के लिए प्रशासक की नियुक्ति और प्रक्रिया) विनियमन , 2018 के अधीन प्रशासक के रूप में दिवाला व्यावसायिकों की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देश जारी किए। इसी तरह, इसने 9 मार्च, 2021 को अप्रैल–सितंबर, 2021 के दौरान नियुक्तियों के लिए आईपी के पैनल तैयार करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए।

## पूर्व रजिस्ट्रीकरण शैक्षिक पाठ्यक्रम

आईपीएज अपने सदस्यों के लिए पूर्व–रजिस्ट्रीकरण शैक्षिक पाठ्यक्रम और सतत व्यावसायिक शिक्षा का संचालन करते हैं। कोविड–19 के मद्देनजर, यात्रा प्रतिबंधों और सामाजिक दूरी के मानदंडों के कारण आईपीएज के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम देना और कक्षा मोड के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा जारी रखना मुश्किल हो गया था। आईबीबीआई ने शुरू में आईपीए और संभावित आईपी के लिए कठिनाइयों को कम करने के लिए आईपीए को ऑनलाइन पाठ्यक्रम देने की अनुमति दी थी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पाठ्यक्रमों की ऑनलाइन डिलीवरी शिक्षा के क्लास–रूम डिलीवरी के रूप में प्रभावी है, आईबीबीआई ने 10 जुलाई, 2020 को आईबीबीआई (इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसियों और रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठनों द्वारा शैक्षिक पाठ्यक्रम और सतत व्यावसायिक शिक्षा की ऑनलाइन डिलीवरी) दिशानिर्देश, 2020 जारी किए, जो 31 मार्च, 2021 तक लागू थे। ये दिशानिर्देश तकनीकी आवश्यकताओं, प्रशासन और अनुपालन जिम्मेदारी जैसे विभिन्न पहलुओं को निर्दिश्ट करते हैं। इसके अलावा, इसने महामारी की स्थिति को देखते हुए 11 मार्च, 2021 की अधिसूचना के अधीन इन दिशानिर्देशों को 30 सितंबर, 2021 तक बढ़ा दिया।

## दिवाला व्यावसायिक एंटिटीज

आईपीई एक संस्थागत व्यवस्था है जो आईपीज को संगठनात्मक क्षमता का निर्माण करने के लिए सक्षम बनाता है ताकि इस शर्त के अध्यधीन कि आईपीई संयुक्त रूप से अथवा समस्त रूप से आईपी के रूप में इसके साझीदारों अथवा निदेशकों की भूल–चूक के लिए उत्तरदायी होगी, इनमें से किसी एक को समर्थन सेवाएं प्रदान कर सके। संहिता के अधीन, कोई आईपीई, आईपी के रूप में कार्य नहीं कर सकती। एक एलएलपी जो रजिस्ट्रीकृत साझेदारी फर्म और कंपनी है, को आईपीई के रूप में मान्यता दी जाती है यदि (क) इसका मुख्य उद्देश्य ऐसी आईपीज को सहारा प्रदान करना हैय जो इसकी साझेदार अथवा निदेशक हैं, (ख) इसका निवल मूल्य एक करोड़ रुपये से कम नहीं है; (ग) इसके अधिकांश शेयर आईपीज द्वारा धारित हैं, जो इसके निदेशक हैं, अथवा अधिकांश पूंजीगत योगदान आईपीज द्वारा किया जाता है जो इसके साझेदार हैं; (घ) इसके अधिकांश साझेदार अथवा निदेशक आईपीज हैं; (ड़) यदि यह कंपनी है तो इसके अधिकांश पूर्णकालिक निदेशक आईपीज हैं; और (च) इसका कोई साझेदार या निदेशक, किसी अन्य आईपीई का साझेदार या निदेशक नहीं है।

आईबीबीआई ने आईपीई के संबंध में आवश्यकता को पूरा करने के लिए समय–समय पर आईपी विनियमनों में संशोधन किए हैं। इसने किसी आईपीई को किसी अन्य आईपी को समर्थन सेवाएं प्रदान करने के लिए दिनांक 30 जून,2020 की अधिसूचना द्वारा आईपी विनियमनों में संशोधन किए हैं। इस संशोधन से पूर्व, आईपीई केवल ऐसे आईपीजको समर्थन सेवाएं प्रदान कर सकती थी, जो उसका साझेदार या निदेशक था। इससे दिवाला सेवाओं का व्यावसायीकरण करने और आईपीज की पहुंच विनियमित समर्थन सेवाओं तक हो जाएगी।

## दिवाला व्यावसायिक अभिकरण

दिवाला व्यवस्था में आईपी की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए, संहिता में दो–स्तरीय विनियमित स्व–विनियमन की परिकल्पना की गई है, जिसमें आईपीए, फ्रंट–लाइन नियामक के रूप में और आईबीबीआई, आईपी के प्रमुख नियामक के रूप में शामिल हैं। आईबीबीआई (दिवाला व्यावसायिक एजेंसियां) विनियमन, 2016 (आईपीए विनियमन) आईपीए के रजिस्ट्रीकरण और विनियमन को नियंत्रित करता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी के पास आईपीए के कार्यों को करने का एकमात्र उद्देश्य है और न्यूनतम निवल मूल्य रु 10 करोड़ और चुकता पूंजी रु. 5 करोड़ आईपीए बनने के योग्य हैं। आईपीए की शेयर पूंजी का कम से कम 51 प्रतिशत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत में रहने वाले व्यक्तियों के पास होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से काम करने वाले व्यक्तियों के साथ, आईपीए में प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के 5 प्रतिशत से अधिक का अधिग्रहण या धारण नहीं करेगा। हालाँकि, कुछ संस्थाएँ, अर्थात्, स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी, बैंकिंग कंपनी, बीमा कंपनी, सार्वजनिक वित्तीय संस्थान और बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से कार्य करने वाले व्यक्तियों के साथ, प्रति व्यक्ति आइपीए की चुकता इक्विटी शेयर पूँजी का 15 प्रतिशत तक का अधिग्रहण या धारण कर सकते हैं। इसके अलावा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सांविधिक नियामक किसी आईपीए की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी के 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अधिग्रहण या धारण कर सकते हैं। आईपीए, उसके प्रवर्तकों, उसके निदेशकों और शेयरधारकों को 'उपयुक्त और उचित' व्यक्ति होने की आवश्यकता है।

उप–नियमों के विनियमनों के लिए आदर्श उप–नियमों के अनुरूप उप–नियमों को अपनाने के लिए आईपीए की आवश्यकता होती है। एक

आईपीए के जीबी में एमडी, स्वतंत्र निदेशक और शेयरधारक निदेशक होते हैं। एमडी को या तो एक स्वतंत्र निदेशक या शेयरधारक निदेशक के रूप में नहीं माना जाता है। एक व्यक्ति एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में अधिकतम दो कार्यकालों के लिए तीन वर्श या उसके भाग के लिए, या पचहत्तर वर्श की आयु तक, जो भी पहले हो, सेवा कर सकता है। एक आईपीए, आईबीबीआई द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अधीन, योग्यता और अनुभव, नियुक्ति का तरीका, नियुक्ति के नियम और शर्तें और एमडी के चयन और नियुक्ति से जुड़ी अन्य प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं का निर्धारण करता है। एमडी की नियुक्ति, नियुक्ति का नवीनीकरण और सेवा की समाप्ति आईबीबीआई के पूर्व अनुमोदन के अधीन होगी। एमडी सदस्यता समिति, निगरानी समिति, शिकायत निवारण समिति और अनुशासन समिति (डीसी) के एक पदेन सदस्य हैं।

वर्तमान में आईबीबीआई के साथ रजिस्ट्रीकृत तीन आईपीए अर्थात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स ऑफ आईसीएआई (आईआईआईपीआई), आईसीएसआई इंस्टीट्यूट ऑफ इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स (आईसीएसआई आईआईपी) और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईपीए आईसीएआई) का आईपीए हैं।

आईबीबीआई ने 28 मार्च, 2020 की अधिसूचना के माध्यम से मॉडल उप–नियम विनियमनों में संशोधन किया, जिससे आईपी। को उसी के लिए आवेदन करने की तारीख से एक महीने के भीतर एएफए जारी करने की अनुमति मिली। इसने इस तरह के आदेश की प्राप्ति की तारीख से एक महीने के भीतर एएफए आवेदन को अस्वीकार करने के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने के समय में और ढील दी। इसने 14 जनवरी, 2021 की अधिसूचना के माध्यम से आईपीए विनियमनों में और संशोधन किया, जिससे आईपीए के जीबी को किसी व्यक्ति के शेयरधारक निदेशक बनने के लिए पात्रता मानदंड निदिष्ट करने में सक्षम बनाया गया। यह साल के बंद होने के तीन महीने के भीतर हर साल जीबी के स्व–मूल्यांकन का प्रावधान करता है। यह आवश्यक है कि एक आईपीए एक अनुपालन अधिकारी को नामित या नियुक्त करेगा, जो संहिता के प्रावधानों और नियमों, परिपत्रों, दिशानिर्देशों और उसके अधीन जारी निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा। वह, तुरंत और स्वतंत्र रूप से, बोर्ड को प्रावधानों के गैर–अनुपालन की रिपोर्ट करेगा।

आईबीबीआई हर महीने की 7 तारीख को विषय विशिष्ट बैठकों के अलावा, विकास को साझा करने और उनके सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए आईपीए के एमडी से बैठक करता है। आईपीए अपने सदस्यों के आचरण और प्रदर्शन की निगरानी कर रहे हैं और अपने सदस्यों के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू कर रहे हैं जो संहिता/विनियमनों के उपबंधों का पालन नहीं करते हैं।

## सूचना उपयोगिताएं

दिवाला कार्यवाही की सफलता गंभीर रूप से देनदार के बारे में पूर्ण, सही और अद्यतित जानकारी की उपलब्धता पर निर्भर करती है। यह जानकारी प्रत्येक हितधारक के पास समान माप में उपलब्ध नहीं हो सकती है। जानकारी की अनुपलब्धता समाधान में बाधा डाल सकती है और मूल्य अधिकतमकरण के उद्देश्य से समझौता कर सकती है, जबकि सूचना की विशमता मूल्य के असमान बंटवारे में योगदान कर सकती है। इन मुद्दों को हल करने के लिए, संहिता के अधीन विभिन्न प्रक्रियाओं को तेजी से पूरा करने के लिए आईयू को देनदारों के बारे में वित्तीय जानकारी के भंडार के रूप में परिकल्पित करता है। वित्तीय जानकारी के संबंध में मुख्य सेवाएं प्रदान करने के लिए एक आईयू की आवश्यकता होती है। आईयू, जैसा कि संहिता के अधीन कल्पना और कार्यान्वित किया गया है, दुनिया में कहीं भी समानांतर नहीं है।

विभिन्न प्रक्रियाओं में एक आईयू की सेवाओं के महत्व को ध्यान में रखते हुए, आईयू विनियमनों के साथ पठित संहिता आईयू के रूप में पंजीकरण के लिए कड़े मानदंड प्रदान करता है। आईयू के पास : (क) संहिता के अधीन मुख्य सेवाएं प्रदान करने का एकमात्र उद्देश्य, (ख) रुपये का न्यूनतम 50 करोड़ रुपये का शुद्ध मूल्य, (ग) प्रवर्तकों, निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों और 5 प्रतिशत से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों के रूप में 'उचित और समुचित' व्यक्ति, (घ) स्वतंत्र निदेशक जो जीबी के 50 प्रतिशत से कम नहीं हैं, (ड.) निर्दिश्ट शेयरधारिता मानदंड (च) व्यापार निरंतरता योजनाओं के साथ सूचना प्रवाह के लिए विश्वसनीय और वसूली योग्य सुरक्षित प्रणाली, (छ) डेटा प्रक्रिया प्रणाली जो अनधिकृत पहुंच, परिवर्तन, विनाश, प्रकटीकरण या सूचना के प्रसार को रोकती है, (ज) जानकारी की निजता और गोपनीयता को सुनिश्चित करने की कार्यक्षमता और (झ) तकनीकी मानकों के अनुपालन में इसका संचालन होना चाहिए।

जानकारी की सटीकता सुनिश्चित करने और दावों और व्यतुक्रमों के बारे में विवादों को रोकने के लिए, संहिता अनिवार्य करती है कि ऐसी जानकारी संबंधित पक्षों द्वारा प्रमाणित की जाए। तकनीकी मानकों का सेट, सूचना प्रस्तुत करने, सूचना के प्रमाणीकरण, डेटा अखंडता आदि पर लागू होता है। ये उपाय सुनिश्चित करते हैं कि आईयू के साथ जानकारी साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य है। व्यतिक्रम की जानकारी की स्थिति दर्ज करने के बाद, आईयू रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ताओं को प्रमाणीकरण की स्थिति के बारे में बताता है, जो हैं: (क) देनदार के लेनदार जिन्होंने व्यतिक्रम किया है, और (ख) पक्षों और जमानत, यदि कोई हो, में ऋण के लिए जिसके संबंध में व्यतिक्रम की सूचना प्राप्त हुई है।

संहिता 'वित्तीय जानकारी' को कुछ रिकॉर्ड और 'ऐसी अन्य जानकारी जिसे निदिष्ट किया जा सकता है' के लिए परिभाषित करता है। इस शक्ति का प्रयोग करते हुए, आईबीबीआई ने वित्तीय जानकारी के रूप में संहिता के अधीन की गई सार्वजनिक घोषणा को निर्दिष्ट करने के लिए 13 नवंबर, 2020 की अधिसूचना के माध्यम से आईबीबीआई (सूचना उपयोगिता) विनियमन, 2017 (आईयू विनियमन) में संशोधन किया। इसने आईयू को अपने रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए सार्वजनिक घोषणा का प्रसार करने के लिए अनिवार्य किया, जो दिवाला कार्यवाही से गुजर रहे सीडी के लेनदार हैं। यह विनियमनों में आवश्यकतानुसार समाचार पत्रों और वेबसाइटों में सार्वजनिक घोषणा को प्रकाशित करने के अतिरिक्त है।

### *तकनीकी मानक*

आईयू विनियमन, आईबीबीआई को तकनीकी समिति की सिफारिशों के आधार पर, आईयू द्वारा मुख्य सेवाओं और अन्य सेवाओं के प्रदर्शन के लिए दिशानिर्देशों के माध्यम से तकनीकी मानकों को निर्धारित करने में सक्षम बनाता है। तकनीकी मानक आईयू द्वारा संग्रहीत की जाने वाली वित्तीय जानकारी की विश्वसनीयता, गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। तदनुसार, बोर्ड ने 4 मई, 2017 को एक तकनीकी समिति का गठन किया। इसकी सिफारिशों के आधार पर, बोर्ड ने 13 दिसंबर, 2017 को तकनीकी मानकों को निर्धारित किया। ये मानक सेवा की शर्तों से संबंधित हैं; उपयोगकर्ताओं का रजिस्ट्रीकरण; प्रत्येक रिकॉर्ड और प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए विशिष्ट पहचानकर्ता; जानकारी प्रस्तुत करना; व्यक्तियों की पहचान और सत्यापन; सूचना का प्रमाणीकरण; सूचना का सत्यापन; आंकड़ा शुचिता; तीसरे पक्ष को सूचना तक पहुंच प्रदान करने के लिए सहमति ढांचा; प्रणाली की सुरक्षा; सूचना की सुरक्षा; जोखिम प्रबंधन ढांचा; सूचना का संरक्षण; और जानकारी का शुद्धिकरण। 31 मार्च, 2021 को तकनीकी समिति की संरचना इस प्रकार है:

(क) डॉ. आर. बी. बर्मन, अध्यक्ष, राश्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, अध्यक्ष के रूप में

(ख) डॉ. नंद लाल सारदा, एमेरिटस फेलो, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई

(ग) डॉ. पुलक घोष, प्रोफेसर, आईआईएम, बैंगलोर, और

(घ) श्री वी.जी. कन्नन, मुख्य कार्यकारी, भारतीय बैंक संघ (आईबीए)।

तकनीकी समिति की सिफारिशों के आधार पर, जमाकर्ता को आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, स्थायी खाता संख्या, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र, और आधार पत्र/कार्ड या ई–आधार (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की वेबसाइट से इलेक्ट्रॉनिक रूप से उत्पन्न पत्र) प्रदान करने का विकल्प दिया जाता है।

## नेशनल ई–गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और अन्य द्वारा प्रवर्तित एनईएसएल को 25 सितंबर, 2017 को आईबीबीआई द्वारा आईयू के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया। सारणी 2 31 मार्च, 2021 तक एनईएसएल द्वारा रखी गई जानकारी का विवरण प्रस्तुत करती है।

**सारणी 2 : एनईएसएल के पास जानकारी का विवरण**

*(संख्या, यथावर्णित को छोड़कर)*

| वर्ष/माह के अंत में | एनईसीएल के साथ समझौते वाले लेनदार | | सूचना प्रस्तुत करने वाले लेनदार | | देनदार जिनकी सूचना द्वारा प्रतुत की गई है | | द्वारा ऋण रिकार्ड दर्शाए गए | | शेष ऋण की राशि (करोड़ रूपये) | | प्रयोक्ता का रजिस्ट्री. करण | देनदार द्वारा प्रत्याषित ऋण रिकार्ड | | देनदार द्वारा व्यतिक्रम प्रमाणित |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | एफसी | ओसी | एफसी | ओसी | एफसी | ओसी | एफसी | ओसी | वित्तीय | संक. र्यित | देनदारों की संख्या | रिकॉर्डों की संख्या | मूल्य (₹ करोड़) | |
| 2018–19 | 173 | उ. न. | 114 | 169 | 1266445 | 230 | 1955230 | 316 | 4114988 | 16224 | 15148 | 13799 | 48,428 | 54 |
| जून, 2019 | 209 | उ. न. | 160 | 231 | 2531930 | 570 | 3911146 | 52766 | 4910552 | 20455 | 23565 | 22363 | 73,706 | 374 |
| सितंबर, 2019 | 226 | उ. न. | 218 | 297 | 2737049 | 1764 | 4421280 | 86766 | 5625318 | 28016 | 32177 | 35621 | 83,686 | 586 |
| दिसंबर, 2019 | 246 | उ. न. | 321 | 408 | 2926030 | 2121 | 4803931 | 125526 | 6919463 | 32038 | 48551 | 68766 | 93,852 | 82,824 |
| मार्च, 2020 | 267 | उ. न. | 381 | 543 | 6551739 | 6191 | 9417317 | 167719 | 7873689 | 31910 | 73332 | 109726 | 118428 | 2,40,075 |
| जून, 2020 | 269 | उ. न. | 456 | 574 | 7464854 | 8336 | 10721829 | 204568 | 9855538 | 33151 | 106840 | 149533 | 299294 | 3,38,585 |
| सितंबर, 2020 | 276 | उ. न. | 548 | 635 | 8228576 | 8979 | 12126772 | 206957 | 12299081 | 34374 | 120896 | 186091 | 373678 | 4,27,226 |
| दिसंबर, 2020 | 284 | उ. न. | 587 | 654 | 8572919 | 9024 | 13666166 | 253955 | 12875496 | 35803 | 129839 | 215015 | 451935 | 4,35,774 |
| मार्च, 2021 | 289 | उ. न. | 621 | 675 | 8988348 | 9066 | 14565545 | 292206 | 13195075 | 36770 | 139908 | 283839 | 499957 | 4,42,584 |

*उ. न. : उपलब्ध नहीं*

## रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक

कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 (मूल्यांकन नियम) मूल्यांकन व्यवसाय के विकास और विनियमन के लिए एक एकीकृत संस्थागत ढांचा प्रदान करते हैं, हालांकि इसका प्रेषण संहिता और कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन आवश्यक मूल्यांकन तक सीमित है। हालांकि, यह ढांचा, कंपनी अधिनियम, 2013 और संहिता के अलावा किसी अन्य कानून के अधीन मूल्यांकन के संचालन को प्रभावित नहीं करता है। 01 फरवरी, 2019 से, एक आईपी द्वारा केवल आरवी को संहिता या उसके अधीन बनाए गए किसी भी नियम के अधीन किसी भी मूल्यांकन का संचालन करने के लिए नियुक्त किया जाएगा।

मूल्यांकन नियम मोटे तौर पर दिवाला व्यवसाय के मॉडल का पालन करते हैं। निर्दिष्ट योग्यता और अनुभव रखने वाले व्यक्ति को आरवीओ के साथ नामांकन करने, आरवीओ द्वारा संचालित शैक्षिक पाठ्यक्रम को पूरा करने, आईबीबीआई द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करने और बाद में आईबीबीआई के साथ मूल्यांकक के रूप में रजिस्ट्रीकरण कराने की आवश्यकता है। एक इकाई (साझेदारी फर्म और कंपनी) भी मूल्यांकक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र है। मूल्यांकन नियम आरवी के लिए मूल्यांकन मानकों और आचार संहिता का भी प्रावधान करते हैं। आईबीबीआई मूल्यांकन नियमों के अधीन प्राधिकरण के कार्य करता है। यह आरवीओ को पहचानता है और मूल्यांककों को रजिस्ट्रीकृत करता है और उन पर निगरानी रखता है। इसने सभी तीन परिसंपत्ति वर्गों, अर्थात् (क) भूमि और भवन, (ख) संयंत्र और मशीनरी, और (ग) प्रतिभूतियों या वित्तीय संपत्तियों के लिए हितधारकों के परामर्श से मूल्यांकन परीक्षा के पाठ्यक्रम, प्रारूप और आवृत्ति को प्रकाशित किया है। यह 31 मार्च, 2018 से सभी तीन परिसंपत्ति वर्गों के लिए देश भर के कई स्थानों से हर दिन कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन मूल्यांकन परीक्षा आयोजित करता है। इसमें तीन परिसंपत्ति वर्गों के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम का विवरण निर्दिष्ट किया गया है, जो आरवीओ के सदस्य के लिए मूल्यांकन परीक्षा लेने से पहले पूरा करना आवश्यक है। जबकि कुछ विश्वविद्यालय मूल्यांकन में विशेश पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं, आईबीबीआई ने दो परिसंपत्ति वर्गों, अर्थात् (क) भूमि और भवन और (ख) संयंत्र और मशीनरी के लिए विस्तृत, विश्व स्तरीय अध्ययन सामग्री जिसे सेंटर फॉर वैल्यूएशन स्टडीज, रिसर्च एंड ट्रेनिंग एसोसिएशन (सीवीएसआरटीए) द्वारा तैयार किया गया था, उपलब्ध कराई थी। अपनी वेबसाइट पर उपयोगकर्ताओं द्वारा मुफ्त डाउनलोड के लिए। इसने आईओवी रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स फाउंडेशन द्वारा 14 मई, 2019 को अपनी वेबसाइट पर उपयोगकर्ताओं द्वारा मुफ्त डाउनलोड के लिए तैयार की गई संपत्ति वर्ग, प्रतिभूतियों या वित्तीय संपत्तियों के लिए अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई।

13 अगस्त, 2019 को, आईबीबीआई ने दोहराया कि (क) 01 फरवरी, 2019 को या उसके बाद आरवी के अलावा किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति संहिता या उसके अधीन बनाए गए किसी भी नियम के अधीन किसी भी मूल्यांकन का संचालन करने के लिए अवैध है और कानून का उल्लंघन है; और (ख) किसी भी मूल्यांकन के लिए आरवी के अलावा किसी भी व्यक्ति को भुगतान, चाहे शुल्क के रूप में या अन्यथा, आईआरपीसी या परिसमापन लागत का

हिस्सा नहीं होगा। आईबीबीआई ने 16 सितंबर, 2019 के परिपत्र के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 और संहिता के प्रावधानों को सूचीबद्ध किया है जिसके अधीन हितधारकों के तैयार संदर्भ के लिए आरवी द्वारा मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है।

## मूल्यांकन रिपोर्ट में चेतावनियों, सीमाओं और अस्वीकरणों का उपयोग

कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2016 में कहा गया है कि आरवी उस सीमा तक 'चेतावनी, सीमाएं और अस्वीकरण' बताएंगे, जिस सीमा तक वे मूल्यांकक को पेश आईं सीमाओं की व्याख्या या उन्हें स्पष्ट करते हैं, लेकिन मूल्यांकन रिपोर्ट के लिए उनकी जिम्मेदारी को सीमित नहीं करेंगे। इस नियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मूल्यांकन रिपोर्ट में कोई अस्वीकरण नहीं है, जिसमें आरवी की जिम्मेदारी को कम करने या मूल्यांकन को उस उद्देश्य के लिए अनुपयुक्त बनाने की क्षमता है जिसके लिए इसे आयोजित किया गया था।

आईबीबीआई ने विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए और आरवीओ के परामर्श से, 01 सितंबर, 2020 को आईबीबीआई (मूल्यांकन रिपोर्ट में चेतावनी, सीमाएं और अस्वीकरण का उपयोग) दिशानिर्देश, 2020 जारी किये ताकि आरवी को 'चेतावनी' के उपयोग में मार्गदर्शन प्रदान किया जा सके। मूल्यांकन रिपोर्ट की विश्वसनीयता के हित में, सीमाएं और अस्वीकरण'। ये चेतावनियों, सीमाओं और अस्वीकरणों की एक उदाहरणात्मक सूची भी प्रदान करते हैं जिनका उपयोग मूल्यांकन रिपोर्ट में नहीं किया जाएगा। 01 अक्टूबर, 2020 को या उसके बाद आरवी द्वारा पूरा किए जाने वाले मूल्यांकन की मूल्यांकन रिपोर्ट के संबंध में दिशानिर्देश लागू हुए।

## रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों द्वारा मूल्यांकन

सेबी ने अपने परिपत्र दिनांक 03 नवंबर, 2020 के माध्यम से 10 मार्च, 2017 के अपने परिपत्र को संशोधित किया, जो सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा व्यवस्था की योजनाओं (एसओए) के लिए रूपरेखा तैयार करता है। संशोधन के लिए सभी सूचीबद्ध संस्थाओं एस औ ऐ में आरवी से मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। आरवी एक ऐसा व्यक्ति है, जो आरवीओ का सदस्य होने के नाते, नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 247 के अनुसार आईबीबीआई के साथ रजिस्ट्रीकृत है।

## शैक्षिक पाठ्यक्रम और सतत शिक्षा

मूल्यांकन नियमों की आवश्यकता है कि एक आरवीओ प्राधिकरण द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार अपने मूल्यांकक सदस्यों के लिए मूल्यांकन में शैक्षिक पाठ्यक्रम संचालित करेगा। इसके अनुसरण में, आईबीबीआई, प्राधिकरण होने के नाते, पाठ्यक्रम का निर्धारण किया है और समय–समय पर इसकी समीक्षा करता रहा है। इसने निर्दिष्ट किया है कि, 01 अप्रैल, 2019 से मूल्यांकन परीक्षाओं के लिए प्रभावी, शैक्षिक पाठ्यक्रम एक आरवीओ द्वारा कक्षा मोड में कम से कम 50 घंटे में वितरित किए जाएंगे। इसके अलावा, नियमों को अपने सदस्यों को सतत शिक्षा प्रदान करने के लिए एक आरवीओ की आवश्यकता होती है। 07 फरवरी, 2019 को आयोजित आरवीओ के सीईओध्एमडी की 12वीं मासिक बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सतत शिक्षा कक्षा मोड में आयोजित की जाएगी। कोविड–19 के मद्देनजर विभिन्न अधिकारियों द्वारा जारी की गई सलाह ने आरवीओ के लिए कक्षा सत्रों के माध्यम से शैक्षिक पाठ्यक्रम और सतत शिक्षा देना मुश्किल बना दिया। आरवी और मूल्यांकक सदस्यों के लिए कठिनाइयों को कम करने के लिए, आईबीबीआई ने निर्णय लिया कि ऑनलाइन पूर्ण किए गए शैक्षिक पाठ्यक्रम, और ऑनलाइन जारी शिक्षा को वैध माना जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पाठ्यक्रमों की ऑनलाइन डिलीवरी शिक्षा के क्लास–रूम डिलीवरी के रूप में प्रभावी है, आईबीबीआई ने 10 जुलाई, 2020 को आईबीबीआई (दिवाला व्यावसायिक अभिकरण और रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठनों द्वारा शैक्षिक पाठ्यक्रम और सतत व्यावसायिक शिक्षा की ऑनलाइन डिलीवरी) दिशानिर्देश, 2020 जारी किए, जो 31 मार्च, 2021 तक लागू था। ये दिशानिर्देश तकनीकी आवश्यकताओं, प्रशासन और अनुपालन जिम्मेदारी जैसे विभिन्न पहलुओं को निर्दिष्ट करते हैं। इसके अलावा, इसने महामारी की स्थिति को देखते हुए 11 मार्च, 2021 की अधिसूचना के अधीन इन दिशानिर्देशों को 30 सितंबर, 2021 तक बढ़ा दिया।

## रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन

मूल्यांकन नियमों में मूल्यांकन व्यवसाय के विकास और विनियमन के लिए आरवीओ को अग्रिम पंक्ति के नियामकों के रूप में कार्य करने की परिकल्पना की गई है। वे आरवी के निरीक्षण, विकास और विनियमन के लिए एक संस्थागत व्यवस्था प्रदान करते हैं। वे मूल्यांककों को सदस्यता प्रदान करते हैं जो मूल्यांकन नियमों में प्रदान किए गए पात्रता मानदंडों का पालन करते हैं, मूल्यांकन में शैक्षिक पाठ्यक्रम संचालित करते हैं और सीओपी जारी होने से पहले व्यक्तिगत सदस्यों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। वे व्यावसायिक आचरण के मानक भी निर्धारित करते हैं और मानकों के पालन के लिए अपने सदस्यों की निगरानी करते हैं। वे यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कार्रवाई कर सकते हैं कि उनके सदस्यों द्वारा मूल्यांकन नियमों के अनुपालन का कड़ाई से पालन किया जा रहा है।

## सदस्यता का अंतरण

मूल्यांकन नियम आरवीओ के एक प्रतिस्पर्धी उद्योग की परिकल्पना करते हैं, जहां वे उपयोगकर्ताओं और मूल्यांकन सेवाओं के अन्य हितधारकों के हित में अपने व्यावसायिक सदस्यों के माध्यम से बेहतर मूल्यांकन सेवाएं प्रदान करने के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। इनमें यह भी परिकल्पना की गई है कि एक सदस्य प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के अधीन सदस्यता को एक आरवीओ से दूसरे में अंतरित सकता है। मूल्यांकन नियमों में अपने सदस्यों के नामांकन और विनियमन के लिए उचित, उचित, न्यायसंगत और गैर–भेदभावपूर्ण प्रथाओं को नियोजित करने के लिए एक आरवीओ की आवश्यकता होती है। हालांकि, यह देखा गया था कि कुछ आरवीओ लंबी रणनीति, अनुचित हस्तांतरण शुल्क आदि का उपयोग करके सदस्यता के हस्तांतरण को प्रतिबंधित कर रहे थे। आईबीबीआई ने 28 जनवरी, 2020 के परिपत्र के माध्यम से एक आरवीओ से दूसरे में सदस्यता के हस्तांतरण, और आरवी और आरवीओ द्वारा विशिश्ट कार्रवाइयों के लिए समय–सीमा की प्रक्रिया को रेखांकित किया। यदि स्थानांतरण के लिए आवेदन आवश्यकताओं का अनुपालन करता है, तो आरवीओ आवेदन प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर अपनी सदस्यता के हस्तांतरण के लिए अनापत्ति जारी करेगा। यदि आवेदन प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर आरवीओ–1 से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती है, तो यह माना जाएगा कि आरवीओ ने सदस्यता के हस्तांतरण पर अनापत्ति जारी की है।

## रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन की शासन संरचना

मूल्यांकन नियम आरवीओ के जीबी की संरचना और उसकी शक्तियों और कार्यों के निर्वहन के तरीके को निर्धारित करते हैं। आईबीबीआई ने स्पष्ट किया कि प्रवर्तक संगठन का कोई सदस्य, जिसने आरवीओ को बढ़ावा दिया है, आरवीओ का स्वतंत्र निदेशक बनने के योग्य नहीं होगा। एक प्रवर्तक संगठन में इसके सदस्य हो सकते हैं – प्रवर्तक एक कंपनी के मामले में शेयरधारक सदस्य, प्रवर्तक के मामले में ट्रस्टी व्यक्तियों / ट्रस्ट, या एक व्यावसायिक सदस्य के मामले में प्रवर्तक एक व्यावसायिक निकाय है –

जीबी पर निदेशक के रूप में आरवीओ की। हालांकि, ऐसे निदेशकों को स्वतंत्र निदेशकों के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

## आरवीओ की अनुशासनात्मक समिति और अपीलीय पैनल

अनुशासन समिति (डीसी) और अपीलीय पैनल (एपी) की बैठकों के संचालन में आरवीओ विभिन्न प्रथाओं का पालन कर रहे थे। इसलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए आरवीओ को सलाह दी गई थी कि डीसी और एपी की बैठकें तभी आयोजित की जाएं जब बैठक के लिए कोई एजेंडा होय बैठकें वीसी के माध्यम से अधिमानतः आयोजित की जानी चाहिए, बैठक के लिए एक सप्ताह का नोटिस दिया जाना चाहिए, बैठक के दौरान उपस्थित समिति के सदस्यों द्वारा कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर किए जाएंगे आईबीबीआई के नामिती का कार्यकाल सामान्यतः नियुक्ति आदि की तिथि से दो वर्ष के लिए होगा।

## परिपत्र

बोर्ड समय–समय पर आईपी, आईपीए और आईयू की निगरानी के लिए परिपत्र जारी करता है ताकि इसके निगरानी कार्य को सुविधाजनक बनाया जा सके, संहिता और विनियमनों के उपबंधों के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाया जा सके, या विनियमनों के कुछ पहलुओं को स्पष्ट या समझाया जा सके। समीक्षाधीन अवधि में बोर्ड द्वारा जारी कुछ महत्वपूर्ण परिपत्र सारणी 3 में सूचीबद्ध हैं।.

**सारणी 3 : बोर्ड द्वारा 2020–21 में जारी परिपत्र**

| तारीख | सामग्री |
|---|---|
| 23.04.20 | **रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन की शासन संरचना**<br>परिपत्र एक स्वतंत्र निदेशक की योग्यता को स्पष्ट करता है कि प्रवर्तक संगठन का एक सदस्य, जिसने एक आरवीओ को बढ़ावा दिया है, आरवीओ के एक स्वतंत्र निदेशक होने के योग्य नहीं होगा। |
| 09.10.20 | **आरवीओ की अनशासनात्मक समिति और अपीलीय पैनल**<br>परिपत्र डीसी और एपी की बैठकों के संचालन में आरवीओ के बीच सामान्य अभ्यास सुनिश्चित करता है। |
| 29.10.20 | **बोर्ड को सीआईआरपी शुरू करने के लिए आवेदन की प्रति प्रस्तुत करना।**<br>दिवाला और शोधन अक्षमता (न्यायिक प्राधिकारी के लिए आवेदन) नियम, 2016 के नियम 4(3), 6(2) और 7(2) के अधीन आवेदक को अन्य बातों के साथ–साथ आईबीबीआई को सीआईआरपी शुरू करने के लिए आवेदन की एक प्रति प्रदान करने का आदेश दिया गया है। . आवेदकों की सुविधा के लिए, आईबीबीआई ने अपनी वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन की प्रति प्रदान करने के लिए सुविधा उपलब्ध कराई है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने पर, आवेदक को पावती मिलेगी। |
| 27.11.20 | **लेनदारों की सूची दाखिल करना।**<br>सीआईआरपी विनियमनों के विनियमन 13 के उप–विनियमन (2) के खंड (सीए) में आईआरपी या आरपी को अपनी वेबसाइट पर प्रसार के लिए आईबीबीआई के इलेक्ट्रॉनिक प्लेटप्ररूप पर लेनदारों की सूची दाखिल करने की आवश्यकता है। उसी के अनुसरण में, आईबीबीआई ने लेनदारों की सूची दाखिल करने के साथ–साथ उसके अद्यतन के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मंच उपलब्ध कराया। प्लेटप्ररूप आईआरपी या आरपी द्वारा कई फाइलिंग की अनुमति देता है जब और जब लेनदारों की सूची उसके द्वारा अपडेट की जाती है। |
| 06.01.21 | **सीआईआरपी से संबंधित अभिलेखों का प्रतिधारण।**<br>विनियमनों के साथ पठित संहिता को उसके द्वारा किए गए असाइनमेंट के संबंध में कई रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए एक आईपी की आवश्यकता होती है। सीआईआरपी विनियमनों का विनियमन 39क आईआरपी और आरपी को आईपीए के परामर्श से बोर्ड द्वारा सूचित रिकॉर्ड प्रतिधारण कार्यक्रम के अनुसार सीआईआरपी से संबंधित रिकॉर्ड की एक भौतिक और साथ ही एक इलेक्ट्रॉनिक प्रति संरक्षित करना अनिवार्य करता है। इसे ध्यान में रखते हुए, आईपीए के परामर्श से, आईबीबीआई ने आईपी को कम से कम आठ साल की अवधि के लिए सभी रिकॉर्ड्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी और कम से कम तीन साल की अवधि के लिए सभी रिकॉर्ड की भौतिक प्रति संरक्षित करने का निर्देश दिया। इसने यह भी निर्देश दिया कि आईपी सीआईआरपी की उस अवधि से संबंधित रिकॉर्ड को संरक्षित करेगा जब उसने आईआरपी या आरपी के रूप में कार्य किया, भले ही उसने इसके प्रारंभ से असाइनमेंट नहीं लिया था या इसके समापन तक असाइनमेंट जारी रखा था। इसके अलावा, आईपी सुरक्षित स्थान पर रिकॉर्ड को संरक्षित करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि अनधिकृत व्यक्तियों की उस तक पहुंच न हो। भंडारण के स्थान और तरीके के बावजूद, आईपी को संहिता और विनियमनों के अधीन आवश्यक रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के लिए बाध्य किया जाएगा। |
| 02.02.21 | **पीजी के लिए सीडी को दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए बोर्ड को आवेदन की प्रति उपलब्ध कराना।**<br>दिवाला और शोधन अक्षमता (कारपोरेट देनदारों के व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाताओं के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए न्यायनिर्णयन प्राधिकरण को आवेदन) नियम, 2019 के नियम 9 में अपेक्षित है कि आवेदक के साथ साथ, बोर्ड को इसके रिकॉर्ड के लिए सीडी के लिए पीजी की प्रक्रिया आरम्भ करने के लिए आवेदन की प्रति उपलब्ध कराई जाएगी। आवेदकों की सुविधा के लिए, आईबीबीआई ने बोर्ड को ऑनलाइन आवेदन की एक प्रति उपलब्ध कराने के लिए अपनी वेबसाइट पर सुविधा उपलब्ध कराई है। |
| 04.03.21 | **हितधारकों की सूची दाखिल करना।**<br>आईबीबीआई (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के लिए परिसमापक को अपनी वेबसाइट पर प्रसार के लिए बोर्ड के इलेक्ट्रॉनिक प्लेटप्ररूप पर हितधारकों की सूची दाखिल करने की आवश्यकता है। परिपत्र के माध्यम से आईपी को संबंधित सीडी के हितधारकों की सूची तैयार करने या उसके संशोधन के तीन दिनों के भीतर निर्धारित प्रारूप में परिसमापन और संशोधन के अधीन दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है। सुविधा के लिए, बोर्ड ने हितधारकों की सूची दाखिल करने के साथ–साथ इसे अद्यतन करने के लिए अपनी वेबसाइट पर एक सुविधा उपलब्ध कराई है। |
| 18.03.21 | **प्ररूप सीआईआरपी 7 के माध्यम से जारी सीआईआरपी की स्थिति की रिपोर्टिंग।**<br>सीआईआरपी विनियमनों का विनियमन 40क, सीआईआरपी में परिकल्पित विभिन्न गतिविधियों को करने के लिए मॉडल समयरेखा प्रदान करता है। इसके अलावा, सीआईआरपी विनियमनों के सीआईआरपी विनियमन 40ख की प्रगति की निगरानी के लिए विशिष्ट गतिविधियों के पूरा होने के सात दिनों के भीतर आईआरपी / आरपी को प्रपत्रों का एक सेट (सीआईआरपी 1 से सीआईआरपी 6) दाखिल करने की आवश्यकता होती है। परिपत्र आईआरपी/आरपी फाइल प्ररूप सीआईआरपी 7 को नियत तारीख के तीन दिनों के भीतर निर्देशित करता है, जहां सार्वजनिक घोशणा, आरपी की नियुक्ति, सूचना ज्ञापन जारी करना (आईएम), समाधान योजना के लिए अनुरोध (आरएफआरपी), और संहिता और विनियमनों में निहित समय–सीमा के भीतर सीआईआरपी को बंद नहीं किया गया है। |

## ग.2 : प्रक्रियाएं

संहिता में कारपोरेट व्यक्तियों के दिवाला समाधान के लिए चार प्रक्रियाओं का प्रावधान है, अर्थात् सीआईआरपी, फास्ट ट्रैक समाधान प्रक्रिया, परिसमापन प्रक्रिया और भाग–II के अधीन स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया। ये प्रक्रियाएं 2016 और 2017 में लागू हुई हैं। यह व्यक्तियों और साझेदारी फर्मों के लिए दिवाला समाधान और शोधन अक्षमता के लिए तीन प्रक्रियाएं, अर्थात् भाग–III के अधीन नई शुरुआत प्रक्रिया, दिवाला समाधान प्रक्रिया और शोधन अक्षमता प्रक्रिया भी प्रदान करता है। केवल पीजी से सीडी तक दिवाला समाधान प्रक्रिया और दिवाला प्रक्रिया लागू हुई है। यह उप–खंड समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इन प्रक्रियाओं में से प्रत्येक में नियामक विकास को सूचीबद्ध करता है।

### कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया

सीआईआरपी बाजार को समाधान योजना के माध्यम से तनाव को हल करने का पहला प्रयास करने में सक्षम बनाती है जिससे कंपनी जीवित रहती है। जब बाजार यह निश्कर्ष निकालता है कि कंपनी को बचाने के लिए कोई व्यवहार्य और व्यवहार्य समाधान योजना नहीं है या बचाव की तुलना में परिसमापन मूल्य को अधिकतम करता है, तो कंपनी परिसमापन के लिए आगे बढ़ती है। इस प्रकार, संहिता तनाव के समाधान के दो तरीकों को सक्षम बनाता है, पहला एक समाधान योजना द्वारा, जिसमें विफल होने पर, परिसमापन द्वारा। बाजार आमतौर पर एक व्यवहार्य कंपनी को बचाता है और एक अव्यवहार्य कंपनी को समाप्त कर देता है। परिसमापन या बचाव बाजार की ताकतों का परिणाम हैय कानून केवल विकल्प देने वाला और मूल्य अधिकतम करने वाले परिणामों की ओर संकेत करने वाला है। हितधारक निर्णय लेते हैं कि क्या समाधान लेना है और यदि हां, तो समाधान का तरीका। वे विभिन्न विकल्पों का वजन करते हैं और अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप सर्वोत्तम विकल्प चुनते हैं।

सीआईआरपी विनियमन, जो 01 दिसंबर 2016 से परिचालन में हैं, कारपोरेट व्यक्तियों की दिवाला समाधान प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। हितधारकों के परामर्श से बाजारों की उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए समय–समय पर इनमें संशोधन किया गया है। सारणी 4 2020–21 में सीआईआरपी विनियमनों में विभिन्न संशोधनों और उसी के औचित्य को प्रस्तुत करती है।

**सारणी 4 : 2020–21 के दौरान सीआईआरपी विनियमनों में संशोधन**

| अधिसूचना की तारीख | संशोधन |
|---|---|
| 20.04.20 | **प्ररूप भरने की तारीख का विस्तार :** संशोधन में जमा करने की नियत तारीख के बाद प्ररूप भरने की तारीख को 30 सितंबर, 2020 तक सुधार, अद्यतन या अन्यथा बढ़ाने का प्रावधान है। 01 अक्टूबर, 2020 के बाद प्रत्येक कैलेंडर माह के लिए प्रति प्ररूप 500 रुपये के शुल्क के साथ जमा किया जाएगा।<br>**लॉकडाउन की अवधि :** आईबीबीआई ने प्रक्रिया का संचालन जारी रखने के लिए सीओसी के सदस्यों के लिए बैठकों में भाग लेने के लिए और संभावित आरए के लिए लॉकडाउन की अवधि के दौरान समाधान योजना तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए आईपी के लिए कठिनाइयों का संज्ञान लिया। इसलिए, सीआईआरपी विनियमनों में निर्दिश्ट समय–सीमा के भीतर सीआईआरपी के दौरान विभिन्न गतिविधियों को पूरा करना मुश्किल हो सकता है। कठिनाई को दूर करने के लिए, इसने सीआईआरपी विनियमनों में संशोधन किया ताकि यह प्रदान किया जा सके कि कोविड–19 के प्रकोप के मद्देनजर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन की अवधि को किसी भी गतिविधि के लिए समयरेखा के प्रयोजनों के लिए नहीं गिना जाएगा, जो इस कारण से लॉकडाउन, सीआईआरपी के संबंध में, संहिता में प्रदान की गई समग्र समय–सीमा के अधीन पूरा नहीं हो सका। |
| 07.08.20 | **अधिकृत प्रतिनिधि (एआर) की नियुक्ति :** (ए) संहिता एक वर्ग में एफसी का प्रतिनिधित्व करने के लिए एए द्वारा एआर की नियुक्ति का प्रावधान करती है। इस प्रयोजन के लिए, विनियमनों के लिए आईआरपी को सार्वजनिक घोशणा में तीन आईपी की पसंद की पेशकश करने की आवश्यकता होती है, और एक वर्ग में लेनदारों को अपने एआर के रूप में कार्य करने के लिए उनमें से एक को चुनने की आवश्यकता होती है। संशोधन में प्रावधान है कि आईआरपी द्वारा पेश किए गए तीन आईपी राज्य या संघ राज्य क्षेत्रसे होने चाहिए, जिसमें सीडी के रिकॉर्ड के अनुसार वर्ग में लेनदारों की संख्या सबसे अधिक है। इससे एआर और लेनदारों के बीच उस वर्ग में समन्वय और संचार में आसानी होगी जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है।<br>**मतदान निर्देष :** विनियमनों में परिकल्पना की गई है कि एआर दो चरणों में एक वर्ग में लेनदारों से मतदान निर्देश मांगेगा, अर्थात् (i) बैठक से पहले; और (ii) बैठक के कार्यवृत्त के परिचालित होने के बाद। संशोधन में प्रावधान है कि एआर बैठक के कार्यवृत्त के संचलन के बाद ही मतदान निर्देश मांगेगा और तदनुसार मतदान करेगा। हालाँकि, वह एजेंडा को परिचालित करेगा, और वह बैठक से पहले कक्षा में लेनदारों के प्रारंभिक विचारों की तलाश कर सकता है, ताकि वह बैठक में प्रभावी रूप से भाग ले सके।<br>**सभी अनुपालन समाधान योजनाओं पर एक साथ मतदान :** विनियमनों में प्रावधान है कि सीओसी मूल्यांकन मैट्रिक्स के अनुसार सभी अनुपालन समाधान योजनाओं का मूल्यांकन करेगा ताकि उनमें से सर्वश्रेश्ठ की पहचान की जा सके और इसे अनुमोदित किया जा सके। विनियमन में संशोधन, यह प्रदान करता है कि मूल्यांकन मैट्रिक्स के अनुसार सभी अनुपालन समाधान योजनाओं के मूल्यांकन के बाद, सीओसी सभी अनुपालन समाधान योजनाओं पर एक साथ मतदान करेगा। समाधान योजना, जिसे उच्चतम मत प्राप्त होते हैं, लेकिन कम से कम 66% मत प्राप्त होते हैं, को अनुमोदित माना जाएगा। |
| 13.11.20 | **व्यतिक्रम का साक्ष्य** : एफसी, आवेदन के साथ, 'सूचना उपयोगिता के साथ दर्ज व्यतिक्रम का रिकॉर्ड या ऐसे अन्य रिकॉर्ड या व्यतिक्रम के सबूत के रूप में निर्दिश्ट किया जा सकता है' प्रस्तुत करना आवश्यक है। आईबीबीआई ने दो 'अन्य रिकॉर्ड या व्यतिक्रम के साक्ष्य' को निर्दिश्ट करने के लिए विनियमनों में संशोधन किया, अर्थात, (i) बैंकर्स बुक में संबंधित खाते में प्रविष्टियों की प्रमाणित प्रति, और (ii) एक अदालत या ट्रिब्यूनल का आदेश जिसने निर्णय दिया है एक ऋण का भुगतान न करना।<br>**लेनदारों की सूची दाखिल करना :** विनियमन प्रदान करते हैं कि आईआरपी/आरपी प्रत्येक दावे को सत्यापित करेगा और आगे लेनदारों की एक सूची बनाए रखेगा और इसे अद्यतन करेगा। उसे एए के पास लेनदारों की सूची दाखिल करनी होगी और इसे सीडी की वेबसाइट, यदि कोई हो, पर प्रदर्शित करना होगा। विनियमन में संशोधन, यह प्रदान करता है कि आईआरपी/आरपी को अपनी वेबसाइट पर प्रसार के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटप्ररूप पर लेनदारों की सूची प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।<br>**प्रत्येक दावेदार को सूचना :** संशोधित विनियमनों में आरपी को निर्देश दिया गया है कि वह समाधान योजना के अधीन ऋण के भुगतान के लिए एक समाधान योजना, सिद्धांत, या सूत्रों के अधीन प्रत्येक दावेदार को उक्त समाधान योजना को मंजूरी देने वाले एए के आदेश के 15 दिनों के भीतर सूचित करे। |

| | |
|---|---|
| 15.03.21 | **लेनदारों के दावे का अद्यतनीकरण :** संहिता यह सुनिश्चित करती है कि सार्वजनिक घोषणा में उल्लिखित अंतिम तिथि को या उससे पहले लेनदारों द्वारा दावे प्रस्तुत किए जाएंगे। संशोधन के लिए एक लेनदार को अपने दावे को अद्यतन करने की आवश्यकता होती है जब और जब दावा संतुश्ट हो, आंशिक रूप से या पूरी तरह से, किसी भी स्रोत से, किसी भी तरह से, दिवाला शुरू होने की तारीख के बाद।<br>**प्ररूप सीआईआरपी 7 फाइल करना :** संशोधनों में आईआरपी/आरपी को नियत तारीख के तीन दिनों के भीतर प्ररूप सीआईआरपी 7 फाइल करने की आवश्यकता होती है, जहां संहिता और विनियमनों में निहित समय–सीमा के भीतर सार्वजनिक घोषणा, आरपी की नियुक्ति, आईएम जारी करना, आरएफआरपी और सीआईआरपी को बंद करने जैसी कोई भी गतिविधि नहीं होती है। |

## फास्ट ट्रैक कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया

हालांकि यह संभावना है कि लेनदारों और देनदारों ने स्वयं व्यतिक्रम के लिए अधिकतम अवधि की तुलना में कम अवधि में बातचीत को बंद करने का विकल्प चुना, बीएलआरसी का विचार था कि उन मामलों के लिए स्पष्ट उपबंध बनाया जाना उचित है जहां सीआईआरपी को सबसे जटिल मामले की तुलना में कम समय अवधि में अनिवार्य रूप से किया जाना है। इन मामलों को फास्ट ट्रैक सीआईआरपी के अधीन अंजाम दिया जा सकता है। इन सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, संहिता की धारा 55 से 58, जो फास्ट–ट्रैक प्रक्रिया से संबंधित है, एक निश्चित सीमा से नीचे की संपत्ति और आय वाली ऐसी सीडी पर या लेनदारों के ऐसे वर्ग या ऋण की ऐसी राशि या कारपोरेट व्यक्तियों की ऐसी श्रेणियों पर लागू होती है, जैसे कि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है। एमसीए ने इस प्रक्रिया के लिए सीडी की श्रेणियों को अधिसूचित किया है। आईबीबीआई (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए फास्ट ट्रैक कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया विनियमन, 2017 (फास्ट ट्रैक विनियमन) पात्र सीडी के दिवाला समाधान की शुरुआत से लेकर फास्ट–ट्रैक प्रक्रिया के अधीन एए द्वारा समाधान योजना के अनुमोदन के साथ इसके निश्कर्श तक की प्रक्रिया को निर्धारित करता है। .

## कारपोरेट परिसमापन

चार परिस्थितियों में सीडी के सीआईआरपी के बाद परिसमापन का आदेश पारित किया जा सकता है :

(क) एए समाधान योजना को अस्वीकार करता है, जिसे आरपी द्वारा अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया है, निर्दिश्ट आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए;

(ख) एए को सीआईआरपी के पूरा होने के लिए अनुमत समय के भीतर सीओसी द्वारा अनुमोदित समाधान योजना प्राप्त नहीं होती है;

(ग) सीओसी ने सीआईआरपी अवधि के दौरान किसी भी समय, सीडी को समाप्त करने के लिए आवश्यक बहुमत के साथ निर्णय लिया है और आरपी ने एए को इसकी सूचना दी है; या

(घ) जहां एक परिसमापन आदेश के लिए सीडी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा एए को आवेदन किया गया है, इस आधार पर कि संबंधित सीडी द्वारा अनुमोदित समाधान योजना का उल्लंघन किया गया है।

परिसमापन विनियमन, अन्य बातों के साथ–साथ, धारा 33 के अधीन परिसमापन आदेश जारी करने से लेकर धारा 54 के अधीन विघटन आदेश तक की गतिविधियों का विवरण प्रदान करता है। सारणी 5 में 2020–21 में परिसमापन विनियमनों में विभिन्न संशोधन और उसी के औचित्य को प्रस्तुत किया गया है।

**सारणी 5 : 2020–21 के दौरान परिसमापन प्रक्रिया विनियमननों में संशोधन**

| अधिसूचना की तारीख | संशोधन |
|---|---|
| 20.04.20 | **लॉकडाउन की अवधि का बहिष्करण :** संशोधित नियमों में प्रावधान है कि केंद्र सरकार द्वारा कोविड–19 के प्रकोप के मद्देनजर लगाए गए लॉकडाउन की अवधि को, किसी भी परिसमापन प्रक्रिया के संबंध में। किसी भी कार्य के लिए समय–सीमा के अनुपालन के उद्देश्य से नहीं गिना जाएगा, जिसके कारण पूरा नहीं किया जा सका। |
| 05.08.20 | **परिसमापक को देय षुल्क :** परिसमापन विनियमनों के लिए परिसमापक को देय शुल्क तय करने के लिए सीओसी की आवश्यकता होती है। यदि सीओसी द्वारा शुल्क तय नहीं किया गया है, तो विनियमनों में वसूल की गई राशि और परिसमापक द्वारा वितरित राशि के प्रतिशत के रूप में शुल्क का प्रावधान है। संशोधित नियम स्पश्ट करते हैं कि जहां एक परिसमापक किसी भी राशि का एहसास करता है, लेकिन उसे वितरित नहीं करता है, संशोधित विनियमनों में यह प्रावधान है कि परिसमापक उसके द्वारा वसूल की गई राशि के अनुरूप शुल्क का हकदार होगा। इसी तरह, जहां एक परिसमापक किसी भी राशि का वितरण करता है, जो उसके द्वारा वसूल नहीं किया जाता है, वह उसके द्वारा वितरित की गई राशि के अनुरूप शुल्क का हकदार होगा। |
| 13.11.20 | **आसानी से वसूली योग्य नहीं होने वाली परिसंपत्तियों का आवंटन :** संहिता में परिसमापन प्रक्रिया को जल्द से जल्द बंद करने की परिकल्पना की गई है ताकि सीडी की संपत्ति को वैकल्पिक उपयोग के लिए तेजी से जारी किया जा सके। हालांकि, प्रक्रिया में अधिक समय लगता है जहां परिसमापन परिसंपत्ति में 'आसानी से वसूली योग्य परिसंपत्ति' शामिल नहीं होती है। संशोधित नियम परिसमापक को परिसमापन प्रक्रिया को त्वरित रूप से बंद करने की सुविधा के लिए एससीसी के परामर्श से किसी भी व्यक्ति को 'तुरंत वसूली योग्य परिसंपत्ति' आवंटित या अंतरित करने में सक्षम नहीं बनाते हैं। इस उद्देश्य के लिए, 'आसानी से वसूली योग्य संपत्ति' का अर्थ है परिसमापन परिसंपत्ति में शामिल कोई भी परिसंपत्ति जिसे उपलब्ध विकल्पों के माध्यम से नहीं बेचा जा सकता है और इसमें आकस्मिक या विवादित परिसंपत्ति, और अधिमान्य, कम मूल्यांकन, जबरन वसूली और धोखाधड़ी लेनदेन के लिए अंतर्निहित कार्यवाही शामिल है। इस प्रकार, एक परिसमापक पहली बार में परिसंपत्ति को बेचने का प्रयास करेगा, जिसमें विफल होने पर वह एससीसी के परामर्श से किसी भी व्यक्ति को परिसंपत्ति सौंप सकता है या स्थानांतरित कर सकता है, और विफल होने पर वह हितधारकों के बीच अप्रचलित परिसंपत्ति को मंजूरी के साथ वितरित कर सकता है।<br>**लेनदारों के कारण ऋण का हस्तांतरण :** एक लेनदार हो सकता है जो अपने ऋण की वसूली के लिए परिसमापन प्रक्रिया के पूरा होने की प्रतीक्षा करने को तैयार न हो। संशोधित विनियमन एक लेनदार को इस तरह के असाइनमेंट या ट्रांसफर से निपटने के लिए लागू कानूनों के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को इसके कारण ऋण को सौंपने या अंतरित करने में सक्षम बनाता है। |
| 04.03.21 | **हितधारकों की सूची दाखिल करना :** संशोधित विनियमनों में परिसमापक को बोर्ड की वेबसाइट पर समय–समय पर संशोधित हितधारकों की सूची दाखिल करने की आवश्यकता होती है। यह संशोधन समाचार पत्रों में एए के साथ हितधारकों की सूची दाखिल करने की घोशणा की आवश्यकता को समाप्त करता है। |

## कारपोरेट परिसमापन खाता

परिसमापन विनियमनों के लिए आईबीबीआई को भारत के सार्वजनिक खातों में कॉरपोरेट लिक्विडेशन अकाउंट कहे जाने वाले खाते को बनाए रखने और संचालित करने की आवश्यकता होती है। यह आगे प्रावधान करता है कि जब तक कारपोरेट परिसमापन खाता भारत के सार्वजनिक खातों के हिस्से के रूप में संचालित नहीं होता है, तब तक आईबीबीआई दावा न किए गए लाभांश की राशि, यदि कोई हो, और अवितरित आय, यदि कोई हो, जमा करने के लिए, परिसमापन प्रक्रिया में अनुसूचित बैंक के साथ अलग बैंक खाता खोलेगा। इस उद्देश्य के लिए, इसने पीएनबी के साथ दो अलग–अलग बैंक खाते (एक परिसमापन प्रक्रिया के लिए और दूसरा स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया के लिए) खोले, और 9 जनवरी, 2020 और 20 जनवरी, 2020 के परिपत्र के माध्यम से विवरण की जानकारी दी।

परिसमापन विनियमनों के लिए एक परिसमापक की भी आवश्यकता होती है कि वह दावा न किए गए लाभांश की राशि, यदि कोई हो, और अविभाजित आय, यदि कोई हो, परिसमापन प्रक्रिया में, उस पर अर्जित किसी भी आय के साथ, कारपोरेट परिसमापन खाते में कॉर्पोरेट व्यक्ति विघटन के लिए एक आवेदन जमा करने से पहले जमा करें। यह हितधारक को उक्त खाते से निकासी की मांग करने के लिए प्रक्रिया भी प्रदान करता है। मार्च, 2021 के अंत में इन खातों का विवरण सारणी 6 में प्रस्तुत किया गया है।

**सारणी 6 : 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार कारपोरेट परिसमापन खाते**

*(राशि लाख रुपये में)*

| अवधि | आरंभिक शेष | अवधि के दौरान | वर्ष के दौरान निकाले गए | अवधि के अंत में शेष |
|---|---|---|---|---|
| 2019 – 20 | 0.00 | 476.26 | 0.21 | 476.05 |
| अप्रैल– जून, 2020 | 476.05 | 41.40 | 0.00 | 517.45 |
| जुलाई – सितंबर, 2020 | 517.45 | 9.60 | 0.00 | 527.05 |
| अक्तूबर –दिसंबर, 2020 | 527.05 | 56.66 | 0.00 | 583.71 |
| जनवरी – मार्च, 2021 | 583.71 | 8.52 | 0.00 | 592.23 |

## स्वैच्छिक परिसमापन

संहिता की धारा 59 में व्यवस्था है कि एक कारपोरेट व्यक्ति जो स्वेच्छा से खुद को समाप्त करने का इरादा रखता है और कोई व्यतिक्रम नहीं करता है, वह संहिता के अध्याय V के उपबंधो के अधीन स्वैच्छिक परिसमापन कार्यवाही शुरू कर सकता है। स्वैच्छिक परिसमापन विनियमन मैं कारपोरेट व्यक्ति–कंपनियों, एलएलपी और सीमित देयता वाले किसी भी अन्य व्यक्ति के स्वैच्छिक परिसमापन की शुरुआत और इसके विघटन तक की प्रक्रिया की व्यवस्था प्रदान करते हैं।

संहिता कारपोरेट व्यक्ति को स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया शुरू करने में सक्षम बनाती है यदि उसके पास कोई ऋण नहीं है या वह परिसम्पत्ति की आय से अपने ऋणों का पूरी तरह से भुगतान करने में सक्षम होगा। कारपोरेट व्यक्ति आईपी को परिसमापक के रूप में नियुक्त करता है ताकि सदस्यों या भागीदारों, या योगदानकर्ताओं, जैसा भी मामला हो, के समाधान द्वारा स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया का संचालन किया जा सके। हालांकि, ऐसी स्थितियां हो सकती हैं जिनके लिए परिसमापक के रूप में किसी अन्य आईपी की नियुक्ति की आवश्यकता हो सकती है। आईबीबीआई ने 5 अगस्त, 2020 की अधिसूचना के माध्यम से स्वैच्छिक परिसमापन विनियमनों में संशोधन किया, ताकि कारपोरेट व्यक्ति को परिसमापक के रूप में अन्य आईपी को सदस्यों या भागीदारों, या योगदानकर्ताओं, जैसा भी मामला हो, के प्रस्ताव द्वारा परिसमापक को बदलने में सक्षम बनाया जा सके।

स्वैच्छिक परिसमापन विनियमनों के लिए एक परिसमापक को कॉर्पोरेट व्यक्ति विघटन के लिए आवेदन जमा करने से पहले कारपोरेट स्वैच्छिक परिसमापन खाते में किसी भी आय के साथ स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया में दावा न किए गए लाभांश, यदि कोई हो, और अविभाजित आय, यदि कोई हो, जमा करने की आवश्यकता होती है। यह हितधारक को उक्त खाते से निकासी की मांग करने के लिए प्रक्रिया भी प्रदान करता है। मार्च, 2021 के अंत में इन खातों का विवरण सारणी 7 में प्रस्तुत किया गया है।

**सारणी 7 : 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार कारपोरेट स्वैच्छिक परिसमापन खाते**

*(राशि लाख रुपये में)*

| अवधि | आरंभिक शेष | अवधि के दौरान | वर्ष के दौरान निकाले गए | अवधि के अंत में शेष |
|---|---|---|---|---|
| 2019 – 20 | 0.00 | 109.70 | 0.00 | 109.70 |
| अप्रैल– जून, 2020 | 109.70 | 8.35 | 0.00 | 118.05 |
| जुलाई – सितंबर, 2020 | 118.05 | 28.46 | 0.00 | 146.51 |
| अक्तूबर –दिसंबर, 2020 | 146.51 | 56.27 | 0.00 | 202.78 |
| जनवरी – मार्च, 2021 | 202.78 | 18.98 | 0.00 | 221.76 |

## वित्तीय सेवा प्रदाता

सीआईआरपी से संबंधित संहिता के प्रावधान, सीडी के लिए परिसमापन प्रक्रिया और स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया, आवश्यक परिवर्तनों सहित, कुछ संशोधनों के अधीन, एफआईएसपी के लिए एक प्रक्रिया पर लागू होते हैं। इसलिए, सीडी के लिए इन प्रक्रियाओं से संबंधित नियम एफआईएसपी की प्रक्रिया पर भी लागू होते हैं। दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल) के खिलाफ सीआईआरपी शुरू करने के लिए आरबीआई द्वारा एफआईएसपी की शुरुआत सीआईआरपी के लिए पहला आवेदन फाइल किया गया था। श्री आर सुब्रमण्यकुमार को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया था। प्रशासक के समान कर्तव्य, कार्य, दायित्व, उत्तरदायित्व, अधिकार और एक आईपी के अधिकार, जो संहिता के अधीन प्रक्रिया को अंजाम देते हैं।

## व्यक्तिगत दिवाला समाधान और शोधन अक्षमता

संहिता चरणबद्ध तरीके से व्यक्तिगत दिवाला के कार्यान्वयन को सक्षम करने के लिए व्यक्तियों को तीन वर्गों में वर्गीकृत करता है, अर्थात् पीजी से सीडी, साझेदारी फर्म और स्वामित्व फर्म, और अन्य व्यक्ति। केंद्र सरकार ने 15 नवंबर, 2019 की अधिसूचना के माध्यम से 01 दिसंबर, 2019 को पीजी से सीडी से संबंधित संहिता के प्रावधानों को शुरू करने की तारीख के रूप में नियुक्त किया। इसने दिवाला और शोधन अक्षमता (कारपोरेट देनदारों के व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाताओं के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया हेतु न्यायनिर्णयन प्राधिकरण के लिए आवेदन) नियम, 2019 और दिवाला और शोधन अक्षमता (कारपोरेट देनदारों के व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाताओं के लिए शोधन अक्षमता प्रक्रिया हेतु न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के लिए आवेदन) नियम, 2019 को भी एक ही तारीख को अधिसूचित किया। इन नियमों में पीजी के खिलाफ सीडी में दिवाला समाधान और दिवाला कार्यवाही शुरू करने के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया और रूपों, ऐसे आवेदनों को वापस लेने, लेनदारों से दावों को आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक नोटिस के लिए प्रपत्र आदि प्रदान किए गए हैं।

इसके बाद, 20 नवंबर, 2019 को आईबीबीआई ने आईबीबीआई (कारपोरेट देनदारों के व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाताओं के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2019 (पीजी से सीडी विनियमनों के लिए आईआरपी) को (कारपोरेट देनदारों के लिए व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाताओं के लिए शोधन

अक्षमता प्रक्रिया) विनियमन, 2019 (शोधन अक्षमता विनियमन) पीजी के लिए शोधन अक्षमता प्रक्रिया का विवरण सीडी को प्रदान करने के लिए अधिसूचित किया ताकि पीजी से सीडी और आईबीबीआई के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया का विवरण निर्दिष्ट किया जा सके।

पीजी से सीडी विनियमन के लिए आईआरपी (क) दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए आरपी के रूप में कार्य करने की योग्यता; (ख) लेनदारों के दावों की प्राप्ति और सत्यापन का तरीका; (ग) लेनदारों की सूची तैयार करने, लेनदारों की बैठक आयोजित करने और बैठक में मतदान करने का तरीकाय (घ) चुकौती योजना की सामग्री; और (ड.) सेवामुक्ति आदेश आदि जारी करने के लिए आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया निर्दिष्ट करता है।

शोधन अक्षमता विनियमन (क) शोधन अक्षमता प्रक्रिया के लिए बीटी के रूप में कार्य करने की योग्यता; (ख) बीटी द्वारा प्रस्तुत करने के लिए रिपोर्ट और समयरेखा तैयार करने का तरीका; (ग) दावों को समेटने और सीओसी के गठन, समिति की बैठकें आयोजित करने और बैठक में मतदान करने का तरीका; और (घ) दिवाला और उसके वितरण, आदि की संपत्ति की वसूली का तरीका निर्दिष्ट करते हैं।

## सी.3 समर्थन और जागरूकता

जबकि सरकार और नियामक अर्थव्यवस्था में कुछ लेनदेन के लिए नीति तैयार कर सकते हैं या कानूनी ढांचा प्रदान कर सकते हैं, यह महत्वपूर्ण है कि इन्हें हितधारकों को अवगत कराया जाए और नीति या कानूनी ढांचे को और अधिक परिश्कृत करने के लिए उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त की जाए। किसी भी सुधार के शुरुआती दिनों में, हितधारकों तक नीति और विनियमनों के संदेश को ले जाने और उन्हें संभावित उपयोगों और उपयोग के तरीके से अवगत कराने के लिए इस तरह की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार, समर्थन नीति या कानून में बदलाव को बढ़ावा देने या सुदृढ़ करने के लिए महत्व रखती है। यह ऐसे परिवर्तनों के लिए हितधारकों का समर्थन प्राप्त करने के तरीके के रूप में भी कार्य करता है। दिवाला सुधारों के संदर्भ में, हितधारकों को संहिता, नियामक ढांचे और पारिस्थितिकी तंत्र से परिचित होने की आवश्यकता है, ये सभी भारतीय संदर्भ में अपेक्षाकृत नए हैं।

सारणी 8 में बोर्ड द्वारा आयोजित समर्थन और जागरूकता कार्यक्रमों और उन कार्यक्रमों का स्नैपशॉट प्रस्तुत है जिनमें बोर्ड के सदस्यों और अधिकारियों ने भाग लिया।

**सारणी 8 : बोर्ड के समर्थन और जागरूकता कार्यकलाप**

| कार्यक्रम | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 |
|---|---|---|---|---|---|
| आईपी के लिए कार्यशाला | 1 | 2 | 7 | 15 | 3 |
| बाजार सहभागियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम | - | 9 | 2 | 3 | 3 |
| हितधारकों के साथ गोलमेज सम्मेलन | 8 | 45 | 25 | 20 | 19 |
| समर्थन और जागरूकता कार्यक्रम | - | - | 10 | 105 | 48 |
| अन्य संगठनों द्वारा आयोजित कार्यक्रम जहां सदस्यों और अधिकारियों ने भाग लिया | 36 | 78 | 82 | 66 | 85 |
| **कुल** | **45** | **134** | **126** | **209** | **158** |

अध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्य (डब्ल्यूटीएम) और आईबीबीआई के अधिकारियों ने 85 आयोजनों (संगोश्ठी, सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन, अध्ययन मंडल, कार्यशाला, आदि) में विभिन्न क्षमताओं (संकाय, पैनलिस्ट, वक्ता, विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि, आदि) में भाग लिया। दिवाला और शोधन अक्षमता पर, देश भर में कई संस्थानों द्वारा आयोजित, जैसा कि सारणी 9 में प्रस्तुत है। इन घटनाओं का विवरण सारणी 10 में प्रस्तुत है।

**सारणी 9 : आईबीबीआई के अधिकारियों द्वारा कार्यक्रमों में भागीदारी**

| अधिकारी | कार्यक्रमों की संख्या | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 |
| | 45 | 83 | 86 | 63 | 38 |
| डॉ. एम. एस. साहू, अध्यक्ष | 0 | 9 | 0 | उ.न. | उ.न. |
| श्रीमती सुमन सक्सेना, डब्ल्यूटीएम | 0 | 13 | 14 | 11 | 9 |
| डॉ. नवरंग सैनी, डब्ल्यूटीएम | उ.न. | 20 | 14 | 17 | 14 |
| डॉ. मुकुलिता विजयवर्गीय, डब्ल्यूटीएम | उ.न. | उ.न. | उ.न. | 2 | 7 |
| श्री सुधाकर शुक्ला, डब्ल्यूटीएम | 0 | 9 | 12 | 104 | 17 |
| अन्य अधिकारी | 45 | 134 | 126 | 197 | 85 |

*उ.न. : लागू नहीं*

**सारणी 10 : 2020-21 के दौरान कार्यक्रमों में भागीदारी का विवरण**

| क्र. सं. | तारीख | एलवी | विषय | भागीदारी |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.04.20 | आईआईसीए | जीआईपी प्रॉस्पेक्टस | अध्यक्ष |
| 2 | 11.04.20 | आईआईसीए | आईबीसी का इंटरफेस और प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 | अध्यक्ष |
| 3 | 11.04.20 | आईआईआईपीआई | आईबीसी शासन पर कोविड–19 का प्रभाव | अध्यक्ष |
| 4 | 13.04.20 | आईपीए | आईपीज का निरीक्षण | अध्यक्ष |
| 5 | 13.04.20 | आईसीएसआई आईआईपी | रेजिस्ट्रीकरण – पूर्व शैक्षिक पाठ्यक्रम | श्री साजी कुमार, ईडी |
| 6 | 20.04.20 | आईसीएसआई आईआईपी | रजिस्ट्रीकरण–पूर्व शैक्षिक पाठ्यक्रम | श्री साजी कुमार, ईडी |
| 7 | 20.04.20 | आईआईआईपी आईसीएआई | आईपीः क्राइसिस मैनेजर और मैनेजर इन क्राइसिस | श्री साजी कुमार, ईडी |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 21.04.20 | फिक्की | रजिस्ट्रीकरण–पूर्व शैक्षिक पाठ्यक्रम | अध्यक्ष |
| 9 | 21.04.20 | एसोचौम | आईबीसी सुधार | डॉ विजयवर्गीय, डब्ल्यूटीएम |
| 10 | 24.04.20 | आईपीए आईसीएआई | कोविड–19: आईबीसी पर राहत | श्री साजी कुमार, ईडी |
| 11 | 28.04.20 | आईसीएआई आरवीओ | एनसीएलटी/एनसीएलएटी के समक्ष उपस्थिति – कोर्ट क्राफ्ट | अध्यक्ष |
| 12 | 29.04.20 | पीवीएआई आरवीओ | मसौदा मूल्यांकक विधेयक, 2020 | डॉ सैनी, डब्ल्यूटीएम |
| 13 | 01.05.20 | पीवीएआई आरवीओ | मसौदा मूल्यांकक विधेयक, 2020 | अध्यक्ष |
| 14 | 08.05.20 | पीएचडीसीआई | स्टार्ट–अप मूल्यांकन और एबीसीडीआरआई | श्री पवन कुमार, ईडी |
| 15 | 09.05.20 | आईओवी आरवीएफ | दिवाला पर कोविड–19 का प्रभाव | श्री पवन कुमार, ईडी |
| 16 | 12.05.20 | आरआईसीएस | मूल्यांकन मानक | अध्यक्ष |
| 17 | 16.05.20 | आईओवी आरवीओ | नया मूल्यांकक विधेयक–एक खेल परिवर्तक | अध्यक्ष |
| 18 | 23.05.20 | एसोचौम | मसौदा मूल्यांकक विधेयक, 2020 | श्री पवन कुमार, ईडी |
| 19 | 26.05.20 | आईआईआईपीआई आईसीएआई | कारपोरेट पुनर्गठन, एम एंड ए और संयुक्त उद्यम | अध्यक्ष |
| 20 | 26.05.20 | आईओवी आरवीएफ | शासी बोर्ड का संबोधन | श्री शुक्ला, डब्ल्यूटीएम |
| 21 | 27.05.20 | आईसीएआई आरवीओ | मूल्यांकन व्यावसाय में विकास वैश्विक परिप्रेक्ष्य | डॉ सैनी, डब्ल्यूटीएम |
| 22 | 28.05.20 | डीटीआरटीआई, चंडीगढ़ | मसौदा मूल्यांकक विधेयक, 2020 | श्री पवन कुमार, ईडी |
| 23 | 31.05.20 | आईबीबीआई और एलएनसीटी विश्वविद्यालय, भोपाल | गुणवत्ता मूल्यांकन | श्री साजी कुमार, ईडी |
| 24 | 06.06.20 | नीति आयोग | मूट कोर्ट प्रतियोगिता | अध्यक्ष |
| 25 | 09.06.20 | इनसोल इंडिया | ऑनलाइन विवाद समाधान | अध्यक्ष |
| 26 | 12.06.20 | आईआईआईपीआई आईसीएआई | आईपी को 'नव सामान्य' से कैसे निपटना चाहिए? | श्री साजी कुमार, ईडी |
| 27 | 20.06.20 | एन्क्यूब | दिवाला समाधानः लोक हित और नैतिकता | अध्यक्ष |
| 28 | 24.06.20 | आईआईसीए | दिवाला पर कोविड–19 का प्रभाव और आगे की राह | डॉ विजयवर्गीय, डब्ल्यूटीएम |
| 29 | 24.06.20 | आईआईआईपीआई आईसीएआई और आईएफसी, विश्व बैंक | नियामक नीति और विनियमों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना | डॉ गुरु, ईडी |
| 30 | 24.06.20 | डीटीआरटीआई, चंडीगढ़ | दिवाला और शोधन अक्षमता व्यवस्था पर कोविड–19 का प्रभाव– वैश्विक और भारतीय प्रतिक्रियाएं | श्री पवन कुमार, ईडी |
| 31 | 25.06.20 | लंदन शहर | गुणवत्ता मूल्यांकन | डॉ विजयवर्गीय, डब्ल्यूटीएम |
| 32 | 27.06.20 | आईसीएआई का ईआईआरसी | महामारी पर रोक लगाना – दिवाला और शोधन अक्षमता नीति, 2020 और उससे आगे | डॉ सैनी, डब्ल्यूटीएम |
| 33 | 01.07.20 | आईआईसीए | क्या हम बदलाव के लिए तैयार हैं? | अध्यक्ष |
| 34 | 17.07.20 | इकोनॉमिक टाइम्स | जीआईपी के दूसरे बैच का उद्घाटन | अध्यक्ष |
| 35 | 23.07.20 | आरबीएसए | शोधन अक्षमता से निपटनाः जर्जर स्थिति से पुनर्गठन | अध्यक्ष |
| 36 | 25.07.20 | आईआईसीए | मूल्यांकन | अध्यक्ष |
| 37 | 01.08.20 | पीवीएआई वीपीओ | प्रति आईपी असाइनमेंट | डॉ सैनी, डब्ल्यूटीएम |
| 38 | 04.08.20 | आईसीएलएस अकादमी | मूल्यांकन | अध्यक्ष |
| 39 | 12.08.20 | फिक्की | आईसीएलएस अधिकारियों के लिए आईबीसी | अध्यक्ष |
| 40 | 14.08.20 | सहयोगी पेशेवर | तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए प्री–पैक | अध्यक्ष |
| 41 | 21.08.20 | एसोचैम | आईबीसीः व्यापार करने में आसानी से आर्थिक विकास के लिए वर्तमान विकास और आगे का मार्ग | अध्यक्ष |
| 42 | 10.09.20 | एसोचैम | हितधारकों पर कोविड–19 और एक वर्ष के निलंबन का प्रभाव | अध्यक्ष |
| 43 | 21.09.20 | आईआईआईपीआई | इंडिया कॉरपोरेट गवर्नेंस स्टीवर्डशिप | श्री शुक्ला, डब्ल्यूटीएम |
| 44 | 25.09.20 | आईसीएआई | आईबीसी – एनपीए समाधान के लिए एक वरदानः मिथक बनाम वास्तविकताएं | डॉ सैनी, डब्ल्यूटीएम |
| 45 | 12.10.20 | इनसोल | आईबीबीआई और व्यावसायिकों से अपेक्षाएं | डॉ विजयवर्गीय, डब्ल्यूटीएम |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 13.10.20 | जीएनएलयू | संकट से उत्पन्न व्यावहारिक चुनौतियाँ | श्री चौधरी, मुख्य महाप्रबंधक |
| 47 | 14.10.20 | फिक्की | आईबीसी 2016,आईबीबीआई, आईपीए और आईयू का अवलोकन | श्री शुक्ला, डब्ल्यूटीएम |
| 48 | 16.10.20 | इनसोल | भारत में तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए निवेश के अवसर | डॉ विजयवर्गीय, डब्ल्यूटीएम |
| 49 | 24.10.20 | आईआईआईपीआई | एसएमई पर महामारी का प्रभाव | डॉ विजयवर्गीय, डब्ल्यूटीएम |
| 50 | 25.10.20 | आईआईआईपीआई | दिवाला समाधान प्रतिमानः वैश्विक प्रतिकूलताएं और प्रतिक्रियाएं | डॉ विजयवर्गीय, डब्ल्यूटीएम |
| 51 | 24.10.20 | आईआईआईपीआई | अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य प्रबंधन सीमा पार दिवाला | डॉ सैनी, डब्ल्यूटीएम |
| 52 | 11.11.21 | भारतीय बैंक संघ | समूह दिवाला ढांचाः प्रारंभिक सबक | डॉ सैनी, डब्ल्यूटीएम |
| 53 | 12.11.20 | आईसीएसआई का डब्ल्यूआईआरसी | आईबीबीआईः भारतीय बैंक संघ के सदस्यों के साथ मूल्यांकन व्यवसाय का संरक्षण | श्री दास, उप महाप्रबंधक |
| 54 | 11.12.20 | आईओवी आरवीएफ | व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाताओं का दिवाला और शोधन अक्षमता | डॉ सैनी, डब्ल्यूटीएम |
| 55 | 12.12.20 | ईबीसी प्रकाशन | आईओवी कांग्रेस | अध्यक्ष |
| 56 | 19.12.20 | आईसीएसआई आईआईपी | आईबीसी पुस्तक विमोचन | अध्यक्ष |
| 57 | 29.12.20 | आईसीएसआई आईआईपी | भू–संपदा में दिवाला | श्री दास, उप महाप्रबंधक |
| 58 | 30.12.20 | आईआईसीए | कारपोरेट देनदारों के लिए व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाता | अध्यक्ष |
| 59 | 05.01.21 | बीसीआईसी | कैपस्टोन कार्यवाही | अध्यक्ष |
| 60 | 07.01.21 | एनएलयूडी और अन्य | आईबीसी की चार वर्श की यात्राः मील के पत्थर | अध्यक्ष |
| 61 | 07.01.21 | एनएलयूडी और अन्य | दिवाला समाधान, महामारी के बाद उद्यमिता को बढ़ावा देना | डॉ सैनी, डब्ल्यूटीएम |
| 62 | 10.01.21 | इनसोल और अन्य | शोधन अक्षमता को लागू करना, दिवाला पूर्व कार्यवाही को एकीकृत करना, कानूनी व्यवस्था में प्री–पैक्स | अध्यक्ष |
| 63 | 19.01.21 | आईआईसीए | दिवाला मूट | अध्यक्ष |
| 64 | 21.01.21 | पीएनबी | जीआईपी | अध्यक्ष |
| 65 | 22.01.21 | आईईजी | आईबीबीआईः मूल्यांकन व्यवसाय का संरक्षण | अध्यक्ष |
| 66 | 22.01.21 | एसोचैम | दिवाला सुधार | डॉ विजयवर्गीय, डब्ल्यूटीएम |
| 67 | 22.01.21 | एलआईसी | आत्म निर्भर भारत के लिए उद्योग जगत की सोच और मंथन पर राष्ट्रीय ई–शिखर सम्मेलन | श्री शुक्ला, डब्ल्यूटीएम |
| 68 | 27.01.21 | सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया | आईबीबीआईः मूल्यांकन व्यवसाय का संरक्षण | श्री शुक्ला, ईडी |
| 69 | 30.01.21 | पीएचडीसीसीआई | आईबीबीआईः मूल्यांकन व्यवसाय का संरक्षण | डॉ विजयवर्गीय, डब्ल्यूटीएम |
| 70 | 04.02.21 | नेशनल डिफेंस कॉलेज | आईबीसी और एमएसएमईः द अनफिनिश्ड स्टोरी | डॉ विजयवर्गीय, डब्ल्यूटीएम |
| 71 | 05.02.21 | एनईएसएल | भारत का संविधानः निर्माण और विकास और नया भारत | अध्यक्ष |
| 72 | 08.02.21 | एफओआईआर | दिवाला कार्यवाही के लिए आईयू का लाभ उठाना | अध्यक्ष |
| 73 | 12.02.21 | आईडीबीआई बैंक और अन्य | प्रभावी विनियमन और हितधारकों की भागीदारी | श्री शुक्ला, ईडी |
| 74 | 17.02.21 | आईआईआई और अन्य | आईबीबीआईः मूल्यांकन व्यवसाय का संरक्षण | अध्यक्ष |
| 75 | 18.02.21 | आईआईआईपीआई | भारत में पूर्व–व्यवस्थित दिवाला कार्यवाहीः यूएसए और यूके से सीखे गए सबक | श्री शुक्ला, डब्ल्यूटीएम |
| 76 | 23.02.21 | आईआरडीएआई और अन्य | आईपी/आईबीसी का क्षमता निर्माण | अध्यक्ष |
| 77 | 24.02.21 | आईएफसीए | आईबीबीआईः मूल्यांकन व्यवसाय का संरक्षण | अध्यक्ष |
| 78 | 08.03.21 | आईसीएमएआई आरवीओ | वित्तीय क्षेत्र के सुधार, विनियमन और उभरती चुनौतियाँ | डॉ विजयवर्गीय, डब्ल्यूटीएम |
| 79 | 09.03.21 | फिक्की | अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवसः मूल्यांकन पर परिप्रेक्ष्य | अध्यक्ष |
| 80 | 10.03.21 | सीआईआई और अन्य | भारतीय बुनियादी ढांचा क्षेत्र में व्यथित ऋण | डॉ विजयवर्गीय, डब्ल्यूटीएम |
| 81 | 19.03.21 | आईसीएमएआई और अन्य | आईबीसी के अधीन कार्यवाही पर कोविड–19 का प्रभाव | डॉ विजयवर्गीय, डब्ल्यूटीएम |
| 82 | 20.03.21 | ईटीसीएफओ और अन्य | आईबीसी के अधीन आईपी की भूमिका | श्री शुक्ला, डब्ल्यूटीएम |
| 83 | 26.03.21 | सीआईआई | चौराहे पर आईबीसी – आगे क्या? | अध्यक्ष |
| 84 | 26.03.21 | सीआईआई | दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता | श्री शुक्ला, डब्ल्यूटीएम |
| 85 | 27.03.21 | एमसीसीआई और अन्य | प्री–पैक फ्रेमवर्क | डॉ विजयवर्गीय, डब्ल्यूटीएम |

## कार्यक्रम

विभिन्न आयोजनों के अलावा जहां आईबीबीआई के अधिकारियों ने भाग लिया, आईबीबीआई ने स्वयं या सरकार/अन्य संस्थानों के सहयोग से कई जागरूकता और वकालत कार्यक्रम आयोजित किए। इनमें से कुछ घटनाओं का विवरण नीचे दिया गया है।

## अंतर्राष्ट्रीय कार्य

### भारत में तनावग्रस्त परिसम्पत्तियों में निवेश के अवसर

आईबीबीआई ने फिक्की और न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूतावास के सहयोग से 17 सितंबर, 2020 को 'भारत में तनावग्रस्त संपत्तियों में निवेश के अवसर' के बारे मैं सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन से संभावित निवेशकों, फाइनेंसरों, कानूनी और अन्य सलाहकारों आदि को एक साथ लाने में सफलता मिली। भारत में तनावग्रस्त परिसंपत्तियों में निवेशकों के लिए अवसरों पर चर्चा और अमेरिका में बड़े संस्थागत निवेशकों के समुदाय को भारत में उपलब्ध टर्नअराउंड अवसरों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना।

## जागरूकता कार्यक्रम

### कोविड-19 महामारी के मद्देनजर कार्यक्रम

कोविड–19 के मद्देनजर, यह महसूस किया गया कि सामाजिक दूरी के मानदंडों के कारण शैक्षिक पाठ्यक्रम और कक्षा मोड के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा जारी रखना मुश्किल होगा। तदनुसार, बोर्ड ने उक्त पाठ्यक्रमों की ऑनलाइन डिलीवरी की अनुमति दी। बोर्ड ने आईआईआईपीआई के सहयोग से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड–19 के मद्देनजर दो इंटरैक्टिव सत्र आयोजित किए। पहला सत्र आईआरपी/आरपी के साथ था और दूसरा सत्र परिसमापकों के साथ क्रमशः 6 मई, 2020 और 9 मई, 2020 को महामारी के दौरान उनके सामने आने वाले मुद्दों पर था। इसने 15 मई, 2020 को ''आईबीसी के अधीन मूल्यांकन – कोविड–19 महामारी के प्रभाव पर प्रभाव'' पर कार्यक्रम भी आयोजित किया। वेबिनार ने संहिता के अधीन मूल्यांकन पर कोविड–19 महामारी के प्रभाव पर चर्चा को कवर किया।

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश 2020 को 05 जून, 2020 को प्रख्यापित किया गया था, जो 25 मार्च, 2020 को या उसके बाद उत्पन्न होने वाले व्यतिक्रम के संबंध में संहिता की धारा 7, 9 और 10 के प्रचालन को छह महीने की अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया था और इसे अधिसूचित किए जाने वाली तारीख से अधिकतम एक वर्ष तक की अवधि के लिए बढाया जा सकता है। बोर्ड ने सभी हितधारकों और अध्यक्ष, आईबीबीआई के लिए 07 जून, 2020 को उक्त अध्यादेश पर एक वेबिनार का आयोजन किया।

### विभिन्न राज्य सरकारों के अधिकारियों के लिए कार्यक्रम

संहिता के विभिन्न पहलुओं और संहिता के संबंध में राज्य एजेंसियों के अधिकारियों के अधिकारों, सुरक्षा उपायों और जिम्मेदारियों पर चर्चा करने के लिए, संहिता के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए, बोर्ड ने वर्ष के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की विभिन्न एजेंसियों के अधिकारियों के लिए 10 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। विवरण नीचे दिया गया है :

| क्र. सं. | तारीख (तारीखें) | प्रतिभागी |
|---|---|---|
| 1 | 04.08.20 से 05.08.20 | इंडियन कोरपोरेट लॉ सर्विस के प्रशिक्षु अधिकारी |
| 2 | 03.11.2020 | उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार के अधिकारी |
| 3 | 10.11.2020 | ओडिशा सरकार के अधिकारी |
| 4 | 19.11.2020 | डीजीएफटी, वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारी |
| 5 | 25.11.2020 | ओडिशा सरकार के केंद्रीय कर और वस्तुएं एवं सेवाएं कर विभाग के अधिकारी |
| 6 | 22.12.2020 | डीजीएफटी, वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारी |
| 7 | 08.01.2021 | मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारी |
| 8 | 18.01.2021 | झारखंड सरकार के अधिकारी |
| 9 | 14.02.21 से 19.02.21 | भारतीय आर्थिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारी |
| 10 | 04.03.2021 | बिहार सरकार के अधिकारी |

### आईपी कार्यशालाएं

आईबीबीआई गहन कक्षा सत्रों के माध्यम से विशिश्ट और गहन स्तर की शिक्षा देने के उद्देश्य से आईपी के लिए कार्यशालाओं का आयोजन कर रहा है। सामाजिक दूरी के मानदंडों को ध्यान में रखते हुए, इसने 21 अगस्त, 2020 को ऑनलाइन 'संहिता के अधीन परिसमापन के दौरान बिक्री के रूप में बिक्री' विशय पर आईपी के लिए 7वीं उन्नत कार्यशाला का आयोजन किया। 8वीं उन्नत कार्यशाला का आयोजन 'वित्तीय विवरणों का विश्लेशण' विशय पर किया गया था। 14 दिसंबर, 2020 को सीडी और उनके व्यक्तिगत गारंटरों की। इसने 17 मार्च, 2021 को ऑनलाइन मोड के माध्यम से आईपी के लिए 19वीं बुनियादी कार्यशाला का भी आयोजन किया।

### पत्रकारों के लिए आईबीसी पर कार्यक्रम

आईबीबीआई ने वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्रालयों के प्रेस रिलेशन और सूचना प्रभाग के सहयोग से 18 अगस्त, 2020 को संहिता के उपबन्धों के औचित्य और दृष्टिकोण को समझाने के लिए शिक्षा और जागरूकता के एक मात्र उद्देश्य के लिए 'आईबीसी – पत्रकारों के लिए' के बारे में एक वरचुयल संगोश्ठी का आयोजन किया। संगोष्ठी में पांच सत्र थे, बड़ी तस्वीर और चार वर्श की यात्रा आईबीसी पारिस्थितिकी तंत्र; कारपोरेट दिवाला प्रक्रियाएं; मिथक और परिणाम; और हाल के परिवर्तन और आगे का रास्ता। डॉ. एम. एस. साहू, अध्यक्ष, आईबीबीआई; डॉ. नवरंग सैनी, डब्ल्यूटीएम, आईबीबीआई; श्री के. आर. साजी कुमार, ईडी, आईबीबीआई; श्री पवन के. कुमार, ईडी, आईबीबीआई डॉ अनुराधा गुरु, ईडी, आईबीबीआई और श्री मिथिल उन्नीकृश्णन, महाप्रबंधक, आईबीबीआई ने प्रतिभागियों को संबोधित किया।

### सीओसी कार्यशालाएं

आईबीबीआई बैंकों के वरिश्ठ अधिकारियों के लिए सीओसी के सदस्यों के रूप में अपनी क्षमता का निर्माण करने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करता रहा है। इस वर्श भी, इसने 29 जनवरी, 2021, 03 फरवरी, 2021 और 11 फरवरी, 2021 को श्रृंखला में पांचवीं, छठी और सातवीं श्रृंखला में तीन ऐसी कार्यशालाओं का आयोजन किया, जिसका विषय 'लेनदारों की समितिः सार्वजनिक ट्रस्ट का संस्थान' था। 15 एससीबी और वित्तीय संस्थानों (एफआई) का प्रतिनिधित्व करने वाले 31 वरिष्ठ अधिकारियों (जीएम और ऊपर) ने कार्यशाला में भाग लिया।

ये कार्यशालाएं एसबीआई और आईबीए के सहयोग से ई–मोड में आयोजित

की गईं। इन कार्यशालाओं के शिक्षकों में माननीय न्यायमूर्ति बी.एस.वी. प्रकाश कुमार, कार्यवाहक अध्यक्ष, एनसीएलटी; श्री राजेश वर्मा, सचिव, एमसीए; डॉ. एम. एस. साहू, अध्यक्ष, आईबीबीआई; श्री जी. के. सिंह संयुक्त सचिव, एमसीए; श्री एम. राजेश्वर राव, डिप्टी गवर्नर, आरबीआई; श्री दिनेश कुमार खारा, अध्यक्ष, एसबीआई; श्री सी.एस. सेट्टी, एमडी, एसबीआई; श्री सुनील मेहता, मुख्य कार्यकारी, आईबीए; श्री एस.एस. मल्लिकार्जुन राव, एमडी, पंजाब नेशनल बैंक; श्री संजीव कृष्ण, अध्यक्ष, पीडब्ल्यूसी इंडिया; श्री सुमंत बत्रा, मैनेजिंग पार्टनर, केसर दास बी. एंड एसोसिएट्स; श्री बहराम वकील, मैनेजिंग पार्टनर, एजेडबी और पार्टनर्स; श्री मोहित सराफ, सीनियर पार्टनर, एल एंड एल पार्टनर्स; श्री शैलेंद्र अजमेरा, पार्टनर, ईवाई; श्री राशेश शाह, अध्यक्ष, एडलवाइस समूह; और श्री शार्दुल श्रॉफ, मैनेजिंग पार्टनर, शार्दुल अमरचंद मंगलदास शामिल थे।

## वेबिनार

### *जारी कंसर्न के रूप में कारपोरेट देनदार का प्रबंधन – संचालन प्रबंधन*

आईबीबीआई ने आईसीएसआई आईआईपी के सहयोग से 'जारी कंसर्न के रूप में कारपोरेट देनदार का प्रबंधनय संचालन प्रबंधन' के बारे मै 22 मई, 2020 को वेबनार आयोजित किया। वेबिनार में सीडी को जारी कंसर्न के रूप में प्रबंधित करने में आईपी, विशेश रूप से संचालन प्रबंधन मैं पेश आने वाले मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा को कवर किया गया।

### *आईबीसी में समकालीन विकास*

आईबीबीआई ने सेंटर फॉर बिजनेस एंड कमर्शियल लॉज, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, भोपाल के सहयोग से 'दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 में समकालीन विकास' पर एक वेबिनार का आयोजन किया। वेबिनार ने भारतीय दिवाला परिदृश्य में नवीनतम विकास को समझने के लिए चर्चा को कवर किया, विशेष रूप से संहिता की धारा 7, 9 और 10 के अस्थायी निलंबन के आलोक में। इसमें आईबीसी के संकटग्रस्त संपत्तियों और आगे आने वाली चुनौतियों पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा शामिल थी।

### *परिसमापन प्रक्रिया में पेश आए मुद्दे और यूके में परिसमापन ढांचे का अवलोकन और भारतीय संदर्भ में प्रयोज्यता*

आईबीबीआई ने ब्रिटिश उच्चायोग के सहयोग से 23 अक्टूबर, 2020 को 'ब्रिटेन में परिसमापन प्रक्रिया में पेश आए मुद्दे और परिसमापन ढांचे का अवलोकन और भारतीय संदर्भ में प्रयोज्यता' पर एक वेबिनार का आयोजन किया। वेबिनार का उद्देश्य विभिन्न मुद्दों पर विचार–विमर्श करना और उन्हें कम करना था। केस स्टडी की मदद से परिसमापन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के दौरान परिसमापकों द्वारा सामना किया जा रहा है। वेबिनार ने यूके में परिसमापन ढांचे का एक सिंहावलोकन प्रदान करने की मांग की और भारत में परिसमापन की कार्यवाही के लिए अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं और सीखों को लागू करने का प्रयास किया।

### *आईबीसी के अधीन परिहार लेनदेन का निर्धारण*

आईबीबीआई ने विदेशी राश्ट्रमंडल और विकास कार्यालय (एफसीडीओ), यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से 05 फरवरी, 2021 को 'आईबीसी के अधीन परिहार लेनदेन का निर्धारण' पर एक वेबिनार का आयोजन किया। प्रतिभागियों को परिहार लेनदेन का अवलोकन दिया गया और नियामक परिदृश्य जो लेनदेन लेखा परीक्षा को प्रभावित करता है। परिहार लेन–देन का पता लगाने के लिए उपयोगी अंतर्दृष्टि के साथ व्यावहारिक उदाहरण और केस स्टडी और साक्ष्य एकत्र करने के लिए उपयोग किए जा सकने वाले सूचना स्रोतों को भी शामिल किया गया था।

### *प्री–पैकेज्ड दिवाला समाधान प्रक्रिया*

आईबीबीआई ने दिवाला समाधान के अतिरिक्त यन्त्र के रूप में 19 मार्च, 2021 को 'प्री–पैक दिवाला समाधान प्रक्रियाः आईएलसी की उप–समिति की रिपोर्ट' पर वेबिनार का आयोजन किया, जो पीपीआईआरपी पर आईएलसी की उप–समिति की रिपोर्ट पर आधारित था।

### *परिसमापन प्रक्रिया के अधीन बिक्री और हितधारकों के लिए बेहतर प्राप्ति के लिए यूके की सर्वोत्तम प्रथाएं*

आईबीबीआई ने, ब्रिटिश उच्चायोग के सहयोग से, 23 मार्च, 2021 को आईबीसी पारिस्थितिकी तंत्र के हितधारकों के लाभ के लिए संयुक्त रूप से 'बिक्री के अधीन परिसमापन प्रक्रिया और हितधारकों के लिए बेहतर प्राप्ति के लिए यूके की सर्वोत्तम प्रथाओं' पर एक वेबिनार का आयोजन किया। पैनलिस्टों ने प्रभावी बिक्री प्रक्रिया और व्यावहारिक चुनौतियों के बारे में बताया जो आमतौर पर परिसमापकों द्वारा सामना की जाती हैं। यूके में बिक्री प्रक्रिया, भारतीय संदर्भ में लागू की जा सकने वाली सर्वोत्तम प्रथाओं और सीखों पर भी चर्चा की गई।

### *आईबीबीआई : मूल्यांकन व्यवसाय का परिरक्षण*

मूल्यांकन नियमों के अधीन मूल्यांकन के नए शासन की वकालत के प्रयास के रूप में, 'आईबीबीआईः शेफर्डिंग वैल्यूएशन प्रोफेशन' विषय पर पांच वेबिनार आयोजित किए गए थे। ये वेबिनार 21 जनवरी, 2021 को पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारियों के लाभ के लिए आयोजित किए गए थे। 22 जनवरी, 2021 को जीवन बीमा निगम; 27 जनवरी, 2021 को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया; 12 फरवरी, 2021 को आईडीबीआई बैंक, आईआईएफसीएल, केनरा बैंक और एक्जिम बैंक; और भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आइआरडीएआई) 23 फरवरी, 2021 को आयोजित किये गए थे।

## शैक्षणिक नियोजन

### *स्नातक दिवाला कार्यक्रम*

आईआईसीए ने 01 जुलाई, 2019 को जीआइपी का पहला बैच शुरू किया। जीआइपी एक 24 महीने का कार्यक्रम है जिसमें 12 महीने का आवासीय क्लास–रूम घटक और 12 महीने के अभ्यास में अत्याधुनिक इंटर्नशिप घटक शामिल है। इसका उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाले आईपी का एक संवर्ग प्रदान करना है जो आईपी, परिसमापक या अन्य क्षमताओं के रूप में विश्व स्तर की सेवाएं प्रदान कर सकता है। जीआईपी पूरा करने वाला छात्र आईपी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र होगा। जीआईपी के पहले बैच में 37 छात्र शामिल थे। 41 छात्रों के अगले बैच ने 01 जुलाई, 2020 को अपनी कक्षाएं शुरू कीं।

### *दिवाला विवाद*

आईबीबीआई ने एलएनसीटी यूनिवर्सिटी, भोपाल के नॉलेज पार्टनर के रूप में 28–31 मई, 2020 तक पहली इनोविस–एलएनसीटी आईबीसी ई–मूट कोर्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया। इसने देश के कानून के छात्रों को तकनीकी से निपटने के मामले में एक अनूठा अनुभव प्रदान किया। और कारपोरेट कानून के कानूनी पहलू, विशेश रूप से आईबीसी, और एक आभासी ऑनलाइन वातावरण में अपने विचार कौशल का अभ्यास करने के लिए। चार दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में कुल 34 टीमों ने भाग

लिया। राजीव गांधी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, पटियाला की टीम, जिसमें श्री प्रियांक पांडे, श्री वैभव मुखरैया और सुश्री आशीश पाजीवाल शामिल थे, विजेता रही। आईसीएफएआई लॉ स्कूल, हैदराबाद की टीम जिसमें श्री अपूर्व गुप्ता, श्री आकाश कृश्णन और सुश्री पूजा गांधी शामिल थे, उपविजेता रही। श्री के.आर. साजी कुमार, ईडी, आईबीबीआई ने प्रतिभागियों को संबोधित किया और प्रतियोगिता के अंतिम दौर का निर्णय लिया।

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली ने आईबीबीआई , इनसोल इंडिया, सोसाइटी ऑफ इन्सॉल्वेंसी प्रैक्टिशनर्स ऑफ इंडिया और युएनसटीआरएएल रीजनल सेंटर फॉर एशिया एंड द पैसिफिक के सहयोग से 2017 में दिवाला और शोधन अक्षमता (आइबीएमसी) पर एक मूट प्रतियोगिता का आयोजन किया। कानून विश्वविद्यालयों और प्रबंधन और अर्थशास्त्र के स्कूलों में छात्रों को एनसीएलटी के समक्ष वास्तविक कार्यवाही के जितना संभव हो सके, एक दूसरे से सामंजस्य के साथ दिवाला प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के साथ संलग्न करने के लिए मंच प्रदान करने के लिए इसकी परिकल्पना की गई थी। आईबीएमसी का चौथा संस्करण वस्तुतः 08–10 जनवरी, 2021 तक आयोजित किया गया। दुनिया भर के संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाली लगभग 50 टीमों ने रजिस्ट्रीकरण कराया और प्रतियोगिता में भाग लिया। स्कूल ऑफ लॉ, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु को मूट का विजेता घोषित किया गया, जबकि राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, लखनऊ उपविजेता रहा। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर ने सर्वश्रेष्ठ नवागंतुक प्रदर्शन के लिए पुरस्कार जीता। डॉ. एम. एस. साहू, अध्यक्ष, आईबीबीआई ने आईबीएमसी के लिए जूरी की अध्यक्षता की और समापन सत्र में सम्मानित अतिथि के रूप में अपने विचार साझा किए। मुख्य अतिथि माननीय श्री न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायाधीश, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने समापन भाशण दिया।

## *निबंध प्रतियोगिता*

आईबीबीआई ने उच्च शिक्षा के छात्रों के बीच दिवाला और शोधन अक्षमता व्यवस्था के बारे में जागरूकता पैदा करने के अपने प्रयास में, शिक्षण संस्थानों के माध्यम से निबंध प्रतियोगिताओं को बढ़ावा दिया। भारत में विश्वविद्यालयों, डीम्ड विश्वविद्यालयों और व्यावसायिक संस्थानों (जैसे आईसीएआई, आईसीएमएआई और आईसीएसआई) में किसी भी विषय के स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के छात्र इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। आईबीबीआई, इंस्टिट्यूट ऑफ लर्निंग के माध्यम से, निबंध प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र जारी कर रहा है, सर्वश्रेश्ठ निबंध लिखने वाले छात्र को 10,000 रुपये का नकद पुरस्कार, और उस छात्र को 5,000 रुपये का नकद पुरस्कार जारी कर रहा है जिसने निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया है। दूसरा सबसे अच्छा निबंध लिखा। वर्ष के दौरान तीन निबंध प्रतियोगिताएं (i) नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली, (ii) गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, और (iii) इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, निरमा यूनिवर्सिटी के सहयोग से संपन्न हुईं।

## *आईबीसी पर राष्ट्रीय ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी*

आईबीबीआई ने MyGov-in के सहयोग से, देश भर में विभिन्न हितधारकों के बीच संहिता के बारे में जागरूकता और समझ को बढ़ावा देने के लिए 01–31 जुलाई, 2020 से 'शोधन अक्षमता और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 पर राश्ट्रीय ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी' का आयोजन किया। आईबीबीआई में काम करने वाले व्यक्तियों, आईबीबीआई के साथ रजिस्ट्रीकृत सेवा प्रदाताओं और उनके तत्काल परिवार के सदस्यों को छोड़कर, 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी भारतीय नागरिकों के लिए प्रश्नोत्तरी खुली थी। प्रश्नोत्तरी को 1,25,781 प्रतिभागियों के साथ छात्रों, व्यावसायिकों और कर्मचारियों सहित हितधारकों की एक विस्तृत श्रृंखला से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। इसमें हर राज्य और हर संघ राज्य क्षेत्र से प्रतिभागी शामिल हुए। उत्तर प्रदेश में कुल प्रतिभागियों में से 15.7% के साथ सबसे अधिक भागीदारी थी, इसके बाद महाराष्ट्र में 11.7% और दिल्ली में 6.9% था। शीर्ष 10% प्रतिभागियों को उनके प्रदर्शन के अनुसार 'सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट' से सम्मानित किया गया। प्रश्नोत्तरी में तीन सर्वश्रेश्ठ प्रदर्शन करने वाले निम्नलिखित थे :

| रैंक | नाम | पुरस्कार |
|---|---|---|
| सर्वोत्तम निष्पादक | श्री अरित्रा साहा | स्वर्ण पदक |
| द्वितीय सर्वोत्तम निश्पादक | श्री पवन खंडेलवाल | रजत पदक |
| तृतीय सर्वोत्तम निष्पादक | सुश्री वाकार्ती वेंकट गनुशा | कांस्य पदक |

## *आईसीएलएस और आईईएस परिवीक्षाधीनों का प्रशिक्षण*

आईबीबीआई ने भारतीय कारपोरेट विधि अधिकारियों (आईसीएलएस) के 2018 बैच के अधिकारियों के लिए 04–05 अगस्त, 2020 से दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम ने अधिकारियों को संहिता, संहिता के अधीन प्रक्रियाओं, इसके परिणामों, सेवा प्रदाताओं से व्यापक रूप से अवगत कराया। और सीमावर्ती क्षेत्र जैसे सीमा पार दिवाला, व्यक्तिगत दिवाला और समूह दिवाला। अध्यक्ष, आईबीबीआई और आईबीबीआई के अन्य वरिश्ठ अधिकारियों ने प्रतिभागियों को संबोधित किया।

आईबीबीआई ने 15–19 फरवरी, 2021 तक 30 भारतीय आर्थिक सेवा (आईईएस) अधिकारियों के 2019 बैच के लिए एक सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम ने अधिकारियों को दिवाला सुधारों, इसके कार्यान्वयन और परिणामों, पारिस्थितिकी तंत्र, मुद्दों और व्यापक रूप से उजागर किया। चुनौतियां, और आगे की राह। उन्हें परीक्षा देने का विशेश अवसर भी प्रदान किया गया। श्री अंशुमन कामिला, सुश्री अर्चना कुमारी और सुश्री सौम्या गौतम नाम के तीन सर्वश्रेश्ठ कलाकारों को क्रमशः स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक से सम्मानित किया गया।

प्रख्यात बाहरी संकाय में डॉ. के.पी. कृश्णन, आईईपीएफ चेयर प्रोफेसर, एनसीएईआरय डॉ. शशांक सक्सेना, वरिश्ठ आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय; श्री बी. श्रीराम, पूर्व एमडी, आईडीबीआई बैंक; डॉ. (सुश्री) अपर्णा रवि, पार्टनर, संवाद पार्टनर्स; श्री अशोक हल्दिया, अध्यक्ष, आईआईआईपीआई; श्री एस. रमन, एमडी, एनईएसएल; डॉ. सुभाशीश गंगोपाध्याय, अनुसंधान निदेशक, आईडीएफ; श्री अनुराग दास, एमडी, इंटरनेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी; श्री सतीश कुमार गुप्ता, आईपी; डॉ. (सुश्री) रेणुका साने, एसोसिएट प्रोफेसर, एनआईपीएफपी और सुश्री श्रीप्रिया कुमार, आईपी शामिल थे।

## न्यूजलैटर

जबकि आईबीबीआई हितधारकों के साथ नीति निर्माण में उनके इनपुट प्राप्त करने के लिए शामिल रहता है, उन्हें नियामक सहित दिवाला शासन के कामकाज के बारे में रिपोर्ट करना भी महत्वपूर्ण है, किए जा रहे कार्यों और प्रक्रियाओं के परिणामों की सूचना देना। इस प्रयास में, आईबीबीआई अपनी स्थापना के समय से ही त्रैमासिक समाचार पत्र प्रकाशित कर रहा है। इनमें से पहला समाचार पत्र अक्टूबर–दिसंबर, 2016 की तिमाही के लिए प्रकाशित किया गया। समाचार पत्रों की सॉफ्ट प्रतियां व्यापक प्रसार के लिए आईबीबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। न्यूजलेटर कानूनी और नियामक विकास को समाहित करता ई; संहिता के अधीन सभी प्रक्रियाओं और सेवा प्रदाताओं की स्थिति तिमाही के दौरान आईबीबीआई द्वारा क्षमता निर्माण की पहल और हिमायत और जागरूकता पैदा करने की गतिविधियां।

इस वर्श के दौरान बेहतर पढ़ने और शोध अनुभव के लिए ई–बुक प्रारूप और एमएस एक्सेल प्रारूप में समाचार पत्र प्रकाशित किए गए।

## सी.4 अनुसंधान

दिवाला और शोधन अक्षमता जैसे उभरते हुए क्षेत्र में, भविश्य की नीति निर्माण को सूचित करने के लिए साहित्य और बाजार की जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता है। तदनुसार, आईबीबीआई आईपीए और शिक्षाविदों के माध्यम से अनुसंधान और प्रकाशन को बढ़ावा दे रहा है। इसका एक अनुसंधान और प्रकाशन प्रभाग है जो (क) प्रक्रियाओं और परिणामों से संबंधित डेटा का मिलान और विश्लेषण, (ख) त्रैमासिक न्यूजलेटर और ब्रोशर प्रकाशन, (ग) वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन, और (घ) केस स्टडीज के लिए बाहरी शोधकर्ताओं के साथ समन्वय, अनुसंधान कार्यशाला का आयोजन आदि करता है।

### *आईबीबीआई अनुसंधान पहल*

आईबीबीआई, अनुसंधान को बढ़ावा देने के अपने प्रयास में – कानूनी, आर्थिक और अंतःविशय – और सामान्य रूप से विकसित दिवाला और शोधन अक्षमता शासन के लिए प्रासंगिक क्षेत्रों में प्रवचन, और भारत में, 01 जुलाई, 2019 को आईबीबीआई अनुसंधान पहल, 2019 की घोषणा की। इस पहल को 31 जुलाई, 2020 को अपडेट किया गया है शोधकर्ता एक शोध प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है जिसे आईबीबीआई द्वारा जांचा गया है ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि यह उचित रूप से संरचित है और पहल के अधीन कवर किया गया है। मानदंड पर एक बाहरी रेफरी द्वारा इसकी समीक्षा की जाएगीः (क) क्या प्रस्ताव भारत में दिवाला और शोधन अक्षमता व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण मुद्दे को संबोधित करता है और (ख) क्या प्रस्ताव उक्त मुद्दे को हल करने के लिए स्पष्ट कार्यप्रणाली प्रदान करता है। यदि बाहरी रेफरी की सलाह पर आईबीबीआई द्वारा प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है, तो शोधकर्ता को छह महीने के भीतर शोध पत्र जमा करना होगा। शोध पत्र की समीक्षा बाहरी रेफरी द्वारा समान रूप से की जाती है।

श्री एम. पी. राम मोहन और सुश्री विशाखा राज नाम के दो शोध विद्वानों ने 'आईआरपी के लिए विलय नियंत्रणः 'क्या संकटग्रस्त फर्मों के अधिग्रहण के लिए प्रतिस्पर्धा की जांच जरूरी है?' विशय पर शोध पत्र पूरा किया। पेपर में पाया गया है कि जहां समाधान योजनाओं को स्वतः अनुमोदन देने के लिए ग्रीन चौनलिंग दिवाला प्रक्रिया में शामिल हितधारकों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया को आसान बना देगा, वहीं समाधान योजनाओं के अधीन संयोजनों के प्रभाव को दिवाला शासन से परे महसूस किया जा सकता है और इसका विस्तार हितधारकों तक हो सकता है जैसे कि उपभोक्ताओं, और अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम व्यवसायों, आदि, यह ग्रीन चैनलिंग के विकल्प के रूप में दो शासनों के बीच समन्वय के मौजूदा तंत्र का सुझाव देता है।

डॉ. (सुश्री) नीति शिखा और सुश्री उर्वशी शाही द्वारा *'कोर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी एंड रेजोल्यूशन टाइमलाइन का आकलन'* विषय पर एक अन्य शोध पत्र प्रस्तुत किया गया। यह पेपर सीआईआरपी में चरणवार देरी और क्षेत्रीय भेदभाव और सीडी के ऋण आकार में देरी के संबंध की जांच करता है। अध्ययन में पाया गया है कि सीआईआरपी में देरी सीडी द्वारा असहयोग, सीडी द्वारा सूचना के उचित दस्तावेज की कमी, एनसीएलटी की अपर्याप्त क्षमता और दबावग्रस्त संपत्तियों के विपणन में कठिनाई जैसे कारणों से हो रही है।

### *वार्षिक प्रकाशन*

विचारों, समाचारों और राय को साझा करके जागरूकता विकसित करने और प्रामाणिकता के साथ संरचित तरीके से विस्तृत जानकारी का प्रसार करने के लिए, और संहिता की समझ में सुधार करने के लिए, आईबीबीआई ने वार्शिक प्रकाशन को दिवाला और शोधन अक्षमता ढांचा पर ज्ञान के साथ लेखों के संग्रह के रूप में पेश किया। ढांचा। आईबीबीआई ने अपना दूसरा प्रकाशन *'इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी रिजीम इन इंडियाः ए नैरेटिव'* शीर्षक से प्रकाशित किया, जिसका अनावरण 01 अक्टूबर, 2020 को श्री अनुराग सिंह ठाकुर, माननीय वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा किया गया। प्रकाशन में क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा दिवाला, शोधन अक्षमता, वित्त और आर्थिक क्षेत्र में विभिन्न मुद्दों पर लिखे गए 36 व्यावहारिक लेख शामिल हैं। यह प्रेक्टिशनरों, नीति निर्माताओं, विशय विशेषज्ञों और शिक्षाविदों के विचारों और दृष्टिकोणों, जो आईबीसी की यात्रा के बारे में विचार को स्पष्ट और उत्तेजित करते हैं और आगे के मार्ग को प्रस्तुत करता है। यह दिवाला कानून के इर्द–गिर्द एक विद्वतापूर्ण बहस और नीतिगत विमर्श उत्पन्न करने का एक प्रयास है।

### *उभरते न्यायषास्त्र का संग्रह*

एक गतिशील और प्रगतिशील आर्थिक कानून के रूप में, संहिता को समृद्ध न्यायशास्त्र से संपन्न किया गया है। हितधारकों के लाभ के लिए, आईबीबीआई ने *'31 मार्च , 2021 तक आईबीसी पर खंड–वार न्यायशास्त्र'* प्रकाशित किया, जो कारपोरेट दिवाला कार्यवाही में न्यायशास्त्रीय विकास पर उपयोगकर्ता के अनुकूल मार्गदर्शन प्रदान करता है।

### *'अंडर्स्टैंडिंग दा आईबीसी – की ज्युरिसप्रयुडैस एंड प्रक्टिकल कंसिड्रेशन' पर हैंडबुक*

आईबीबीआई ने आईबीबीआई के साथ किए गये एक सहयोग समझौते के अनुसरण में, अंतर्राश्ट्रीय वित्तीय निगम, विश्व बैंक समूह द्वारा तैयार किए गए *'अंडर्स्टंडिंग दा आईबीसीः की ज्युरिसप्रुडैस एंड प्रक्टिकल कंसिड्रेशन''* शीर्शक से आईपी के लिए एक हैंडबुक जारी की। हैंडबुक अपनी सभी बारीकियों के साथ दिवाला के विकसित अनुशासन को पकड़ती है और इसका उद्देश्य आईपी और पारिस्थितिकी तंत्र में अन्य सभी के लिए संदर्भ बिंदु के रूप में काम करना है, जो कानून और व्यवहार के इस उभरते हुए क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं।

### *आईपी के लिए नैतिकता पर हैंडबुक*

डॉ. नवरंग सैनी, डब्ल्यूटीएम, आईबीबीआई, सुश्री नताली टॉम्स, चीफ इकॉनॉमिस्ट एंड काउंसलर, ब्रिटिश उच्चायोग की उपस्थिति में, 19 मार्च, 2012 को आयोजित वेबिनार में *''हैंडबुक ऑन एथिक्स फोर इन्सॉल्वेंसी प्रोफेश्नल्स : एथिकल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क'* शीर्शक से एक प्रकाशन जारी किया। ब्रिटिश उच्चायोग के सहयोग से आईबीबीआई द्वारा तैयार की गई हैंडबुक यूनाइटेड किंगडम में आईपी द्वारा अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम प्रथाओं के इनपुट पर आधारित है और इसका उद्देश्य आईपी के बीच नैतिकता और व्यावसायिकता के उच्चतम मानकों को प्रोत्साहित करना है। यह हैंडबुक नैतिक आचार संहिता को आत्मसात करने और प्रेक्टिस करने के लिए दिवाला पारिस्थितिकी तंत्र में आईपी और अन्य हितधारकों की सहायता के लिए तैयारशुदा रेकनर और उपकरण के रूप में कार्य करती है।

## *आईपी के लिए न्यायशास्त्र पर हैंडबुक*

आईबीबीआई के साथ सहयोग समझौते के अनुसरण में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम, विश्व बैंक समूह द्वारा तैयार की गई *'आईबीसी को समझना: प्रमुख न्यायशास्त्र और व्यावहारिक विचार'* शीर्षक वाली आईपी के लिए एक हैंडबुक 01 अक्टूबर, 2020 को जारी की गई थी। हैंडबुक दिवाला के विकसित अनुशासन को दर्शाती है। इसकी सभी बारीकियों के साथ और आईपी, और पारिस्थितिकी तंत्र में अन्य सभी के लिए संदर्भ बिंदु के रूप में सेवा करने का इरादा है, जो कानून और अभ्यास के इस उभरते क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं।

# घ

# बोर्ड के कार्य

बोर्ड संहिता के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी पारिस्थितिकी तंत्र के चार प्रमुख स्तंभों में से एक है। अपने उद्देश्यों के अनुरूप, संहिता आईबीबीआई को कई वैधानिक कर्तव्यों और कार्यों का प्रभार सौंपती है। यह दिवाला व्यवसाय के साथ–साथ दिवाला प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। यह आईपी, आईपीए, आईपीई और आईयू पर नियामक निगरानी रखता है। इसे संहिता के अधीन विभिन्न प्रक्रियाओं, जैसे कि कारपोरेट दिवाला समाधान, फास्ट ट्रैक समाधान, कारपोरेट परिसमापन, स्वैच्छिक परिसमापन, नई शुरुआत, व्यक्तिगत दिवाला समाधान और व्यक्तिगत शोधन अक्षमता के लिए नियम बनाने का कार्य सौंपा गया है। इसके पास संहिता के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए आईपी, आईपीए, और आईयू और अन्य संस्थानों के विकास को बढ़ावा देने और उनके कार्यकाज और प्रथाओं को विनियमित करने की जिम्मेदारी है। यह प्रत्येक दिवाला और शोधन अक्षमता प्रक्रिया के बारे में प्रासंगिक डेटा और जानकारी एकत्र, व्यवस्थित और प्रसारित करता है और दिवाला और शोधन अक्षमता में अनुसंधान और अध्ययन का संचालन और प्रचार करता है। यह देश में मूल्यांकक व्यवसाय के विनियमन और विकास के लिए मूल्यांकन नियमों के अधीन 'प्राधिकरण' भी है।

एक नियामक आम तौर पर खेल के नियमों और प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है, सेवा प्रदाताओं के आचरण और प्रदर्शन की निगरानी करता है और नियमों का अनुपालन करता है, और फिर उभरती चिंताओं को दूर करने के लिए नियमों की समीक्षा करता है और यह सुनिश्चित करता है कि वे इच्छित उद्देश्यों की प्राप्ति करें। यह विनियमननों की 'मेक–ऑपरेट–रिव्यू' के चक्र में कार्य करता है। संहिता की धारा 196 बोर्ड के 'मेक–ऑपरेट–रिव्यू' कार्यों की गणना करती है, जिसे मोटे तौर पर तीन सेटों में बांटा जा सकता है, अर्थात्,

(क) *अर्ध–विधायी कार्य :* बोर्ड सेवा प्रदाताओं और प्रक्रियाओं को विनियमित करने के लिए नियम बनाता है;

(ख) *कार्यकारी कार्य :* बोर्ड दिवाला प्रक्रिया के लिए सेवा प्रदाताओं का रजिस्ट्रीकरण और निगरानी करता है और शिक्षा, परीक्षा, प्रशिक्षण और सीपीई के माध्यम से व्यावसायिक विकास के उपाय करता हैय तथा

(ग) *अर्ध–न्यायिक कार्य :* बोर्ड उनके व्यवस्थित कार्यकाज को सुनिश्चित करने के लिए सेवा प्रदाताओं द्वारा किए गए उल्लंघनों पर निर्णय लेता है।

इन कार्यों में से प्रत्येक को आगे बढ़ाने के लिए 2020–21 के दौरान बोर्ड द्वारा की गई कार्रवाइयों को इस खंड में सूचीबद्ध किया गया है।

## अर्ध-विधायी कार्य

नियामक को नियामक नीति को नियामक उपकरणों में विकसित करने का कार्य सौंपा गया है। इसमें हस्तक्षेप के उद्देश्य की पहचान करना और कार्रवाई के लिए मामले का आकलन करना, पहचाने गए उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार करना, उनमें से प्रत्येक का मूल्यांकन करना और चुनाव करना शामिल है। दूसरे शब्दों में, यह नियामक प्रभाव मूल्यांकन (आरआईए) अभ्यास है जिसे किसी मौजूदा विनियमन/समीक्षा करने से पहले किया जाना आवश्यक है।

संहिता आईबीबीआई को दिवाला और शोधन अक्षमता से संबंधित मामलों पर नियम और निदेश निर्देश बनाने और आईपीए, आईपी और आईयू को निदेश निर्देश जारी करने में सक्षम बनाती है। संहिता की धारा 240 आईबीबीआई को इस शर्त के अध्यधीन विनियमन बनाने में सक्षम बनाती है कि विनियमनः (क) सँहिता के प्रावधानों को पूरा करेंगे, (ख) संहिता और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुरूप होंगे (ग) आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा किए जाएंगे, और (घ) यथा–संभव, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष 30 दिनों के लिए रखे जाएंगे।

यह सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाने के लिए कठोर प्रक्रिया का पालन किया जाता है कि यह कम से कम संभव लागत पर बाजार की चिह्नित विफलता को संबोधित करता है और यह अत्यधिक नहीं है। बोर्ड का प्रयास एक संरचित व्यवस्था के माध्यम से हितधारकों के साथ प्रभावी ढंग से जुड़ने का रहा है जो विनियमन बनाने की प्रक्रिया को पारदर्शी और सहभागी बनाता है। नियामक प्रक्रिया में जनता, विशेष रूप से हितधारकों और विनियमित की भागीदारी यह सुनिश्चित करती है कि विनियमनों में रुचि रखने वालों और नियमों से प्रभावित लोगों की वैध जरूरतों से विनियमनों को सूचित किया जाता है। यह किसी भी हित समूह के अनुचित प्रभाव की धारणा को दूर करते हुए लोकतांत्रिक वैधता प्रदान करता है।

प्रक्रिया आमतौर पर एक कार्य समूह (डब्ल्यूजी) के साथ मसौदा विनियमन बनाने के साथ शुरू होती है। मुद्दों का विस्तार से अध्ययन करने और विनियमनों के महत्वपूर्ण पहलुओं पर सिफारिशें करने के लिए डब्ल्यूजी की स्थापना की प्रथा का उपयोग सरकार द्वारा संहिता के प्रावधानों को लागू करने के प्रारंभिक चरणों में किया गया था। इस अभ्यास को ध्यान में रखते हुए, आईबीबीआई नियामक मुद्दों में गहराई से जाने और मसौदा नियमों का सुझाव देने के लिए डब्ल्यूजी का गठन करता है। इसके बाद यह उन मुद्दों की समझ को फिर से सत्यापित करने के लिए हितधारकों के साथ गोलमेज सम्मेलन में मसौदा नियमों पर चर्चा करता है, और इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए ऐसे नियमों की उपयुक्तता। यह प्रत्येक मसौदा विनियमन और उप–विनियमन पर इलेक्ट्रॉनिक मंच के माध्यम से जनता की टिप्पणियां प्राप्त करता है, और मसौदा विनियमनों पर संबंधित एसी की सलाह प्राप्त करता है। विनियमन बनाने की प्रक्रिया जीबी को अंतिम रूप देने और नियमों को मंजूरी देने, जनता की टिप्पणियों पर विचार करने के बाद, गोलमेज पर प्राप्त प्रतिक्रिया और एसी की सलाह के साथ समाप्त होती है। आईबीबीआई ने नियम बनाने की प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए 22 अक्टूबर, 2018 को आईबीबीआई (विनियमन जारी करने के लिए तंत्र) विनियमन, 2018 जारी किया है।

[18] ओईसीडी (2014), नियामकों का शासन, नियामक नीति के लिए ओईसीडी सर्वोत्तम अभ्यास सिद्धांत, ओईसीडी प्रकाशन, http://dx.doi.org/10.1787/9789264209015-en

सर्वोत्तम प्रयासों और इरादों के बावजूद, एक नियामक के पास हमेशा जमीनी हकीकत पर, खासकर गतिशील वातावरण में, जितना अधिक और जितना जल्दी हितधारक कर सकते हैं, पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं हो सकता है। इसलिए, हितधारक नियम बनाने में अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। वे खाली समय में, मौजूदा नियामक ढांचे में महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार कर सकते हैं जो लेनदेन में बाधा डालते हैं और उन्हें संबोधित करने के लिए वैकल्पिक समाधान प्रदान करते हैं। निर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्तावित विनियमनों पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए सामान्य परामर्श के अलावा, आईबीबीआई हितधारकों को उनके लिए आवश्यक विनियमनों का सुझाव देने का अवसर प्रदान करता है। यह विचारों के क्राउडसोर्सिंग के समान है। यह हर विचार को नियामक तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। नतीजतन, नियामक के पास उपलब्ध विचारों का दायरा बहुत बड़ा है और अधिक अनुकूल नियामक ढांचे की संभावना बहुत अधिक है। आईबीबीआई ने अप्रैल, 2019 में मौजूदा विनियमनों पर हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित कीं। इसने दिसंबर, 2019 तक प्राप्त टिप्पणियों को संसाधित किया और नियत प्रक्रिया का पालन करते हुए, मार्च, 2020 तक विनियमनों को आवश्यक सीमा तक संशोधित किया।

बोर्ड ने 2016–17 में दस विनियमनों को अधिसूचित किया था। इसने 2017–18 में चार नए विनियमनों और 2018–19 में एक को अधिसूचित किया। 2019–20 में, बोर्ड ने दो नए विनियमनों को अधिसूचित किया। 2020–21 में कोई नया नियम अधिसूचित नहीं किया गया था। हालांकि, समय–समय पर कुछ मौजूदा विनियमनों में संशोधन किए गए, जैसा कि सारणी 11 में बताया गया है। इन विनियमनों और संशोधनों में से प्रत्येक का विवरण रिपोर्ट के खंड ग के संबंधित उप–अनुभागों के अधीन प्रदान किया गया है।

**सारणी 11 : 2020-21 में अधिसूचित विनियमन**

| क्र. सं. | अधिसूचना संख्या | विनियमन |
|---|---|---|
| 1 | 20.04.20* | आईबीबीआई (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियमन, 2020 |
| 2 | 20.04.20** | आईबीबीआई (दिवाला व्यावसायिक) (संशोधन) विनियमन, 2020 |
| 3 | 20.04.20** | आईबीबीआई (आदर्श उप–कानून और दिवाला व्यावसायिक अभिकरणों के शासी बोर्ड) (संशोधन) विनियमन, 2020 |
| 4 | 20.04.20^ | आईबीबीआई (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (तीसरा संशोधन) विनियमन, 2020 |
| 5 | 20.04.20 | आईबीबीआई (परिसमापन प्रक्रिया) (द्वितीय संशोधन) विनियमन, 2020 |
| 6 | 30.06.20 | आईबीबीआई (दिवाला व्यावसायिक) (द्वितीय संशोधन) विनियमन, 2020 |
| 7 | 05.08.20 | आईबीबीआई (स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया) (द्वितीय संशोधन) विनियमन, 2020 |
| 8 | 05.08.20 | आईबीबीआई (परिसमापन प्रक्रिया) (तीसरा संशोधन) विनियमन, 2020 |
| 9 | 07.08.20 | आईबीबीआई (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (चौथा संशोधन) विनियमन, 2020 |
| 10 | 13.11.20 | आईबीबीआई (परिसमापन प्रक्रिया) (चौथा संशोधन) विनियमन, 2020 |
| 11 | 13.11.20 | आईबीबीआई (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (पांचवां संशोधन) विनियमन, 2020 |
| 12 | 13.11.20 | आईबीबीआई (सूचना उपयोगिताएं) (संशोधन) विनियमन, 2020 |
| 13 | 14.01.21 | आईबीबीआई (आदर्श उप–कानून और दिवाला व्यावसायिक अभिकरणों के शासी बोर्ड) (संशोधन) विनियमन, 2021 |
| 14 | 04.03.21 | आईबीबीआई (परिसमापन प्रक्रिया) (संशोधन) विनियमन, 2021 |
| 15 | 15.03.21 | आईबीबीआई (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (संशोधन) विनियमन, 2021 |

*नोटः *25 मार्च, 2020 से प्रभावीय **28 मार्च, 2020 से प्रभावीय ^ 29 मार्च, 2020 से प्रभावी*

विभिन्न हितधारकों तक पहुंचने और मसौदा विनियमनों/नीतियों पर उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए, आईबीबीआई स्वयं या उद्योग, व्यावसायिक संस्थानों, आईपीए और आरवीओ के सहयोग से, अपने नियमों को अंतिम रूप देने से पहले पूरे भारत में गोलमेज सम्मेलन आयोजित करता है। समीक्षाधीन अवधि में आयोजित ऐसे गोलमेज सम्मेलनों की सूची खंड सी की सारणी 10 में प्रदान की गई है। सारणी 12 विभिन्न विशयों के लिए गोलमेजों की संख्या का सारांश है।

**सारणी 12 : विशयवार गोलमेज आयोजन**

| विशय | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| संहिता के अधीन सेवा प्रदाता | 04 | 02 | -- | 01 | 02 | 07 |
| कारपोरेट दिवाला प्रक्रियाएं – दिवाला समाधान, फास्ट ट्रैक समाधान, परिसमापन और स्वैच्छिक परिसमापन | 04 | 11 | 07 | 03 | 08 | 33 |
| व्यक्तिगत दिवाला प्रक्रियाएं | -- | 10 | 01 | 02 | - | 13 |
| मूल्यांकन | -- | 18 | -- | 11 | - | 29 |
| सीमा पार दिवाला | -- | -- | 03 | -- | - | 03 |
| जारी कंसर्न बिक्री और समूह दिवाला | -- | -- | 04 | -- | - | 04 |
| प्री–पैक्स/एमएसएमई | -- | -- | -- | -- | 04 | 04 |
| अन्य | -- | 04 | 10 | 07 | 05 | 26 |
| **कुल** | **08** | **45** | **25** | **24** | **19** | **121** |

## सलाहकार समितियां

नियामकों की स्थापना करने वाले अधिकांश कानून आम तौर पर उभरते विचारों के लिए एक साउंडिंग बोर्ड के रूप में कार्य करने और नियामक को व्यावसायिक ज्ञान और डोमेन ज्ञान देने के लिए स्थायी एसी के गठन के लिए प्रदान करते हैं। कई नियामकों ने स्वेच्छा से एसी का गठन किया है। आईबीबीआई ने आईबीबीआई (सलाहकार समिति) विनियमन, 2017 (सलाहकार समिति विनियमन) के अनुसार तीन स्थायी एसी का गठन किया है। इन समितियों में सदस्यों के दो समूह शामिल हैं, अर्थात् व्यावसायिक सदस्य जो संबंधित क्षेत्र में प्रख्यात शिक्षाविद और व्यवसायी हैं, और सामान्य सदस्य जो प्रतिष्ठित नागरिक हैं जिनका क्षेत्र से कोई संबंध नहीं है, मोटे तौर पर 2:1 के अनुपात में। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय एक से अधिक

एसी का सदस्य नहीं हो सकता है और एक सदस्य का कार्यकाल तीन वर्ष से अधिक नहीं होता है, हालांकि उसे फिर से नियुक्त किया जा सकता है। एक एसी अपने अधिकार क्षेत्र में किसी भी मुद्दे पर बोर्ड को सलाह दे सकता है और बोर्ड के अनुरोध पर अपने दायरे में किसी भी मुद्दे पर सलाह देगा और व्यवसायवर सहायता प्रदान करेगा।

***(क) सेवा प्रदाताओं पर सलाहकार समिति :*** इसका गठन 18 अक्टूबर, 2016 को किया गया था। सलाहकार समिति के विनियमनों के जारी होने के साथ, समिति को 30 अगस्त, 2017 को तीन साल की अवधि के लिए पुनर्गठित किया गया था। समिति का तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर 26 मई, 2020 को पुनर्गठित किया गया था। 31 मार्च, 2021 को इसकी संरचना सारणी 13 में दी गई है।

**सारणी 13: सेवा प्रदाताओं सम्बंधी सलाकार समिति की संरचना**

| क्र. सं. | नाम और पद | समिति में स्थिति |
|---|---|---|
| 1 | श्री टी. वी. मोहनदास पाई, अध्यक्ष, मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विसेज | अध्यक्ष |
| 2 | एमसीए के एक प्रतिनिधि | सदस्य |
| 3 | श्री अखिल गुप्ता, अध्यक्ष, भारती इंफ्राटेल लिमिटेड | सदस्य |
| 4 | डॉ. बिमल एन. पटेल, महानिदेशक, रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय | सदस्य |
| 5 | डॉ. बिनॉय जे. कट्टाडियिल, एमडी, आईसीएसआई के आईआईपी | सदस्य |
| 6 | श्री चिन्ना वीरप्पन राजेंद्रन, एमडी और सीईओ, सीएसबी बैंक | सदस्य |
| 7 | श्री जे. रंगनायकुलु, पूर्व ईडी, सेबी | सदस्य |
| 8 | श्री पी. आर. रमेश, पूर्व अध्यक्ष, डेलॉइट इंडिया | सदस्य |
| 9 | डॉ. पूनम सहगल, पूर्व डीन और प्रोफेसर, आईआईएम, लखनऊ | सदस्य |
| 10 | डॉ समीर शर्मा, डीजी और सीईओ, आईआईसीए | सदस्य |
| 11 | श्री श्रीकृश्ण कुलकर्णी, अध्यक्ष, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, आईआईएम, कलकत्ता | सदस्य |
| 12 | श्री वेल्लयन सुब्बैया मुरुगप्पा, एमडी, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड। | सदस्य |

***(ख) सलाहकार समिति कारपोरेट दिवाला और परिसमापन :*** इसका गठन 18 अक्टूबर, 2016 को किया गया था। सलाहकार समिति के विनियमनों के जारी होने के साथ, समिति को 25 अगस्त, 2017 को तीन साल की अवधि के लिए पुनर्गठित किया गया था। समिति का तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर 26 सितंबर, 2020 को पुनर्गठित किया गया था। 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार इसकी संरचना सारणी 14 में दी गई है।

**सारणी 14 : कारपोरेट दिवाला और परिसमापन पर सलाहकार समिति की संरचना**

| क्र. सं. | नाम और पद | समिति में स्थिति |
|---|---|---|
| 1 | श्री उदय कोटक, कार्यकारी उपाध्यक्ष और एमडी, कोटक महिंद्रा बैंक | अध्यक्ष |
| 2 | एमसीए के एक प्रतिनिधि | सदस्य |
| 3 | श्री आशीश कुमार चौहान, एमडी और सीईओ, बीएसई लिमिटेड | सदस्य |
| 4 | सुश्री आशु सुयश, एमडी और सीईओ, क्रिसिल | सदस्य |
| 5 | श्री एम. वी. नायर, अध्यक्ष, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड | सदस्य |
| 6 | श्री निर्मल मोहंती, पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड | सदस्य |
| 7 | प्रो (डॉ.) रणबीर सिंह, कुलपति, राष्ट्रीया विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली | सदस्य |
| 8 | श्री आर के नायर, पूर्व पूर्णकालिक सदस्य, आईआरडीएआई | सदस्य |
| 9 | श्री आर. शंकर रमन, पूर्णकालिक निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड | सदस्य |
| 10 | राशेश शाह, चेयरमैन और सीईओ, एडलवाइस ग्रुप | सदस्य |
| 11 | श्री सोमशेखर सुंदरसन, कानूनी परामर्शदाता | सदस्य |
| 12 | अध्यक्ष, भारतीय बैंक संघ | सदस्य |
| 13 | आईसीएआई के एमडी, आईपीए | सदस्य |

***(ग) व्यक्तिगत दिवाला और शोधन अक्षमता सलाहकार समिति :*** इसका गठन 15 सितंबर, 2017 को तीन साल की अवधि के लिए किया गया था। कार्यकाल पूरा होने के बाद समिति का पुनर्गठन नहीं किया गया था।

### कार्यकारी कार्य

ऑपरेटिंग विनियमन अधिसूचित विनियमनों को दिन–प्रतिदिन के आधार पर इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लागू करने की प्रक्रिया है। विनियमनों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए, कई गतिविधियाँ, जो कार्यकारी कार्यों की प्रकृति की होती हैं, की जाती हैं।

## दिवाला व्यावसायिक

31 दिसंबर, 2016 तक, 977 व्यक्तियों को आईपी विनियमनों के विनियमन 9 के अधीन छह महीने की सीमित अवधि के लिए आईपी के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया था। 31 दिसंबर, 2016 से, जिन व्यक्तियों के पास आवश्यक योग्यता और अनुभव है, उन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की है, और एक आईपीए (01 अप्रैल, 2018 से प्रभावी) के एक व्यावसायिक सदस्य के रूप में नामांकित होने के बाद पूर्व–रजिस्ट्रीकरण शैक्षिक पाठ्यक्रम पूरा किया है, वे आईपी के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं। इस श्रेणी में, 31 मार्च, 2021 तक 3520 व्यक्तियों को आईपी के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया था, जिनमें से चार व्यक्तियों का रजिस्ट्रीकरण उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही के माध्यम से रद्द कर दिया गया है, दो पात्रता मानदंडों को पूरा करने में विफल रहे और 10 की मृत्यु हो गई। आईबीबीआई के साथ आईपी के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने के लिए किसी व्यक्ति को पहले आईपीए के साथ नामांकित होना आवश्यक है। 31 मार्च, 2021 को तीन आईपीए रजिस्ट्रीकृत किए गए थे। आईपी के रजिस्ट्रीकरण का विवरण, आईपीए वार, सारणी 15 में प्रस्तुत किया गया है। 31 मार्च, 2021 को रजिस्ट्रीकृत आईपी का क्षेत्रवार वितरण सारणी 16 में प्रस्तुत किया गया है।

आईपी को 01 जनवरी, 2020 से सँहिता के अधीन असाइनमेंट लेने के लिए एएफए की आवश्यकता होती है। आईबीबीआई ने संबंधित आईपीए को एएफए जारी करने/नवीनीकरण के लिए आवेदन करने और आईपीए को सक्षम करने के लिए आईपी को सक्षम करने के लिए ऐसे अनुप्रयोगों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से संसाधित करने के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई है। 31 मार्च, 2021 तक 2532 आईपी को एएफए जारी किया गया।

**सारणी 15 : आईपी के रजिस्ट्रीकरण और रजिस्ट्रीकरण का निरस्तन**

| तिमाही | तिमाही/वर्ष के दौरान | | | | तिमाही के अंत में रजिस्ट्रीकृत | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | रजिस्ट्रीकृत | के कारण निरस्त | | | आईआईआईपीआई | आईसीएसआई आईआईपी | आईपीए आईसीएआई | कुल |
| | | अनुशासनात्मक कार्यवाही | पात्रता मानकों को पूरा करने में विफल | मौत | | | | |
| **अक्तूबर- दिसंबर, 2016'** | 977 | 0 | 0 | 0 | 713 | 221 | 43 | 977 |
| **2016-17** | 96 | 0 | 0 | 0 | 33 | 51 | 12 | 96 |
| **2017-18** | 1716 | 0 | 0 | 0 | 1069 | 509 | 138 | 1812 |
| **2018-19** | 648 | 4 | 0 | 0 | 418 | 173 | 53 | 2456 |
| **2019-20** | 554 | 0 | 1 | 5 | 338 | 164 | 46 | 3004 |
| **अप्रैल- जून, 2020** | 120 | 0 | 1 | 1 | 79 | 29 | 10 | 118 |
| **जुलाई-सितंबर, 2020** | 61 | 0 | 0 | 1 | 38 | 13 | 9 | 60 |
| **अक्तूबर-दिसंबर, 2020** | 129 | 0 | 0 | 2 | 74 | 32 | 21 | 127 |
| **जनवरी-मार्च, 2021** | 196 | 0 | 0 | 1 | 131 | 45 | 19 | 195 |
| **कुल** | 3520 | 4 | 2 | 10 | 2180 | 1016 | 308 | 3504 |

*'ये पंजीकरण 30 जून, 2017 को समाप्त हो गए।*

आईपी को 01 जनवरी, 2020 से सँहिता के अधीन असाइनमेंट लेने के लिए एएफए की आवश्यकता होती है। आईबीबीआई ने संबंधित आईपीए को एएफए जारी करने/नवीनीकरण के लिए आवेदन करने और आईपीए को सक्षम करने के लिए आईपी को सक्षम करने के लिए ऐसे अनुप्रयोगों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से संसाधित करने के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई है। 31 मार्च, 2021 तक 2532 आईपी को एएफए जारी किया गया।

**सारणी 16 : 31 मार्च, 2021 को आईपी का वितरण**

*(संख्या)*

| शहर/क्षेत्र | आईआईआईपीआई | आईसीएसआई आईआईआईपी | आईपीएआईसीएआई | कुल |
|---|---|---|---|---|
| नई दिल्ली | 407 | 255 | 75 | 737 |
| शेश उत्तरी क्षेत्र | 396 | 188 | 59 | 643 |
| मुंबई | 377 | 140 | 34 | 551 |
| शेश पश्चिमी क्षेत्र | 266 | 105 | 38 | 409 |
| चेन्नई | 129 | 83 | 12 | 224 |
| शेष दक्षिणी क्षेत्र | 350 | 197 | 62 | 609 |
| कोलकाता | 199 | 36 | 22 | 257 |
| शेष पूर्वी क्षेत्र | 60 | 23 | 7 | 90 |
| कुल रजिस्ट्रीकृत | 2184 | 1027 | 309 | 3520 |
| निरस्त और समाप्त | 7 | 7 | 2 | 16 |
| **कुल** | **2177** | **1020** | **307** | **3504** |

आईसीएआई, आईसीएसआई, आईसीएआई (लागत) या बार काउंसिल के सदस्य के रूप में 10 वर्शों का अनुभव रखने वाला व्यक्ति या प्रबंधन में 15 वर्शों का अनुभव रखने वाला व्यक्ति परीक्षा उत्तीर्ण करने पर आईपी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र है। सारणी 17 31 मार्च, 2021 को उनकी योग्यता के अनुसार आईपी का वितरण प्रस्तुत करती है (एक आईपी एक से अधिक संस्थानों का सदस्य हो सकता है)। 3504 आईपी में से, 318 आईपी, रजिस्ट्रीकृत आईपी के लगभग 9 प्रतिशत महिला हैं। सारणी 18 31 मार्च, 2021 को रजिस्ट्रीकृत आईपी की आयु प्रोफाइल प्रस्तुत करती है।

**सारणी 17 : 31 मार्च, 2021 को योग्यता के अनुसार आईपी का वितरण**

| पात्रता | आईपीज की संख्या | | |
|---|---|---|---|
| | पुरूष | स्त्री | कुल |
| आईसीएआई के सदस्य | 1748 | 157 | 1905 |
| आईसीएसआई के सदस्य | 523 | 101 | 624 |
| आईसीएआई के सदस्य (लागत) | 168 | 15 | 183 |
| बार काउंसिल के सदस्य | 204 | 24 | 228 |
| प्रबंधकीय अनुभव | 543 | 21 | 564 |
| **कुल** | **3186** | **318** | **3504** |

चित्र 2 : 31 मार्च, 2021 को आईपी का भौगोलिक वितरण ।

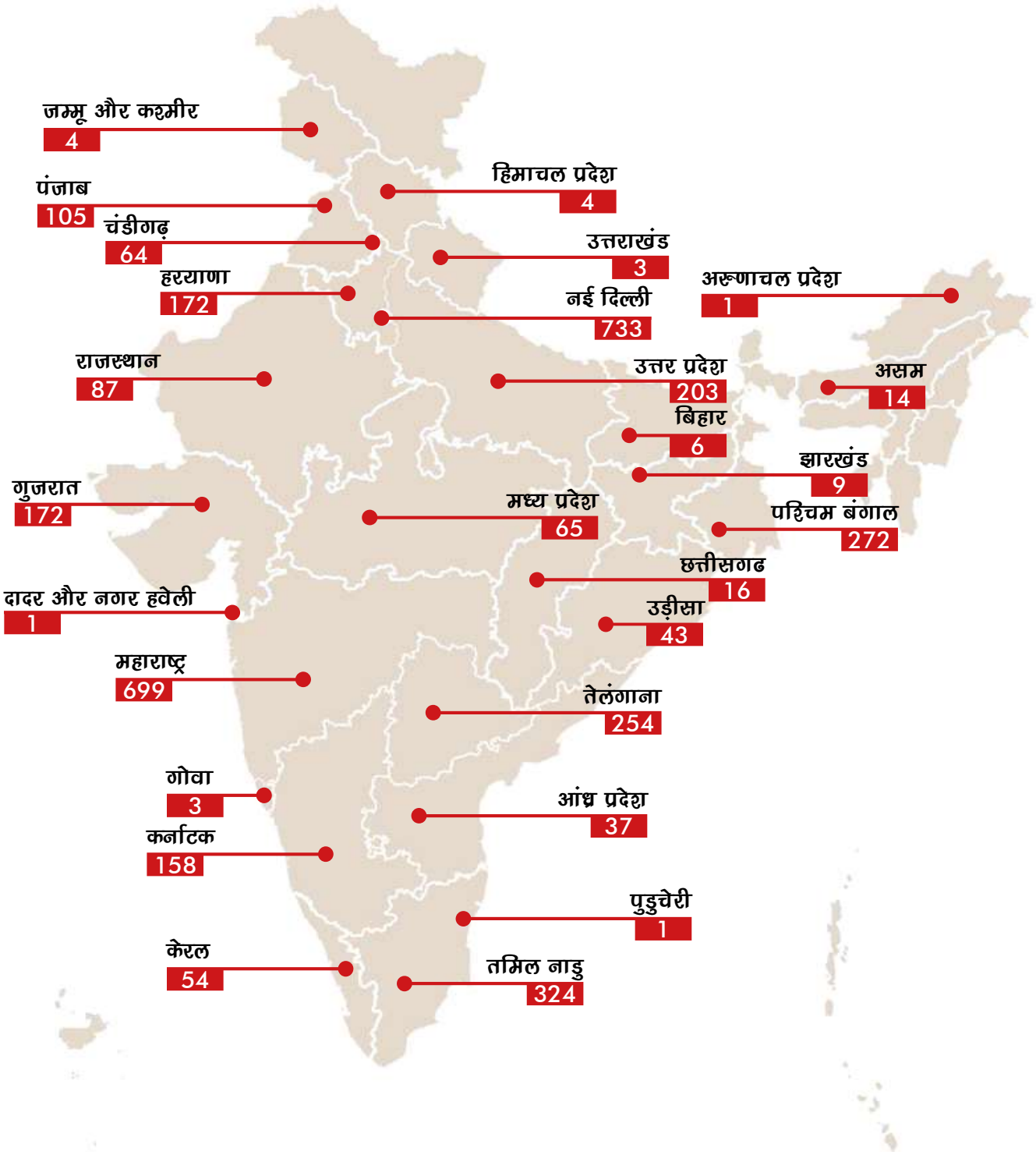

**सारणी 18 : 31 मार्च, 2021 को आईपी की आयु प्रोफाइल**

| आयु समूह (वर्षों में) | रजिस्ट्रीकृत आईपीज | | | | एएफए वाली आईपीज | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | आईआईआईपीआई | आईसीएसआईआईआईपी | आईपीएआईसीएआई | कुल | आईआइआईपीआई | आईसीएसआईआईआईपी | आईपीएआईसीएआई | कुल |
| ≤ 40 | 255 | 63 | 6 | 324 | 174 | 49 | 4 | 227 |
| > 40 ≤ 50 | 775 | 363 | 50 | 1188 | 564 | 272 | 40 | 876 |
| > 50 ≤ 60 | 684 | 277 | 78 | 1039 | 497 | 211 | 55 | 763 |
| > 60 ≤ 70 | 429 | 288 | 163 | 880 | 312 | 224 | 130 | 666 |
| > 70 ≤ 80 | 30 | 26 | 8 | 64 | उ. न. | उ. न. | उ. न. | उ. न. |
| > 80 ≤ 90 | 3 | 3 | 2 | 8 | उ. न. | उ. न. | उ. न. | उ. न. |
| > 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | उ. न. | उ. न. | उ. न. | उ. न. |
| **कुल** | **2177** | **1020** | **307** | **3504** | **1547** | **756** | **229** | **2532** |

**उ. न.** : *लागू नहीं*

## दिवाला व्यावसायिक एंटिटीज

एक आईपीई उन आईपी को सहायता सेवाएं प्रदान करता है जो इसके भागीदार या निदेशक हैं। 31 मार्च, 2021 तक 83 आईपीई थे। आईपीई की मान्यता का तिमाही विवरण सारणी 19 में दिया गया है।

**सारणी 19 : 31 मार्च, 2021 को मान्यता प्राप्त आईपीई**

| वर्ष/तिमाही | आईपीईज की संख्या | | |
|---|---|---|---|
| | मान्यता प्राप्त | गैर-मान्यता प्राप्त | तिमाही के अंत में |
| 2016-17 | 3 | 0 | 3 |
| 2017-18 | 73 | 1 | 75 |
| 2018-19 | 13 | 40 | 48 |
| 2019-20 | 23 | 2 | 69 |
| अप्रैल–जून, 2020 | 4 | 0 | 73 |
| जुलाई–सितंबर, 2020 | 1 | 0 | 74 |
| अक्तूबर–दिसंबर, 2020 | 3 | 0 | 77 |
| जनवरी–मार्च, 2021 | 6 | 0 | 83 |
| **कुल** | **126** | **43** | **83** |

## आरपी के साथ आईआरपी का प्रतिस्थापन

संहिता की धारा 22(2) में प्रावधान है कि सीओसी अपनी पहली बैठक में, एफसी के वोटिंग शेयर के कम से कम 66 प्रतिशत के बहुमत से, या तो आईआरपी को आरपी के रूप में नियुक्त करने या बदलने का संकल्प ले सकती है। आरपी के रूप में कार्य करने के लिए दूसरे आईपी द्वारा आईआरपी। संहिता की धारा 22(4) के अधीन, एए संहिता की धारा 22(3)(बी) के अधीन सीओसी द्वारा प्रस्तावित आरपी के नाम को इसकी पुष्टि के लिए आईबीबीआई को अग्रेशित करेगा और इस तरह की पुष्टि के बाद ऐसी नियुक्ति करेगा। हालांकि, इस तरह के संदर्भ में समय बचाने के लिए, आईबीबीआई के साथ रजिस्ट्रीकृत सभी आईपी का एक डेटाबेस एए के साथ साझा किया गया है, जिसमें यह खुलासा किया गया है कि क्या उनके खिलाफ और उनके एएफए की स्थिति के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित है। जबकि डेटाबेस वर्तमान में एए के विभिन्न पीठों द्वारा उपयोग किया जा रहा है, कुछ मामलों में, आईबीबीआई को एए से संदर्भ प्राप्त होते हैं और एए को तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। 31 मार्च, 2021 तक कुल 3538 आईआरपी को आरपी के रूप में नियुक्त किया गया है, जैसा कि सारणी 20 में दिखाया गया है।

**सारणी 20: 31 मार्च, 2021 तक आईआरपी का आरपी से प्रतिस्थापित करना**

| सीआईआरपी द्वारा शुरू किया गया | सीआईआरपीज की संख्या | |
|---|---|---|
| | जहां आरपी नियुक्त किया गया है | जहां आरपी आईआरपी से भिन्न है |
| कारपोरेट आवेदक | 259 | 111 |
| परिचालन लेनदार | 1621 | 557 |
| वित्तीय लेनदार | 1658 | 338 |
| **कुल** | **3538** | **1006** |

## आईपी का पैनल

आईबीबीआई ने वर्ष के दौरान निम्नानुसार चार पैनल तैयार किए :

(i). आईबीबीआई ने दिवाला व्यावसायिकों को आईआरपी, परिसमापक, आरपी और बीटीज के रूप में कार्य करने के लिए अंतरिम समाधान व्यावसायिक, परिसमापक, समाधान व्यावसायिक और शोधन अक्षमता ट्रस्टी (सिफारिश) निदेश –निर्देश, 2020 के अनुसार, 01 जुलाई, 2020 – 25 नवंबर, 2020 के दौरान नियुक्तियों के लिए बेंच–वार पैनल तैयार किया।

(ii) आईबीबीआई ने दिवाला व्यावसायिक के अनुसार आईआरपी, परिसमापक, आरपी और बीटीज को अंतरिम समाधान व्यावसायिक, परिसमापक, समाधान व्यावसायिक और शोधन अक्षमता ट्रस्टी (सिफारिश) निदेश –निर्देश, 2020 के रूप में कार्य करने के लिए, 26 नवंबर, 2020 – 30 जून, 2021 के दौरान नियुक्तियों के लिए जोन–वार पैनल तैयार किया।

(iii) सेबी (निवेशकों को धनवापसी के लिए प्रशासक और प्रक्रिया की नियुक्ति) विनियमन, 2018 के अधीन प्रशासक के रूप में दिवाला व्यावसायिकों की नियुक्ति के लिए निदेश निर्देशों के अनुसार, आईबीबीआई ने अक्टूबर, 2020 – मार्च, 2021 के दौरान प्रशासकों के रूप में नियुक्तियों के लिए आईपी का पैनल तैयार किया; तथा

(iv) सेबी (निवेशकों को धन वापसी के लिए प्रशासक और प्रक्रिया की नियुक्ति) विनियमन, 2018 के अधीन दिवाला व्यावसायिकों की नियुक्ति के लिए निदेश निर्देशों के अनुसार, आईबीबीआई ने अप्रैल–सितंबर, 2021 के दौरान नियुक्तियों के लिए आईपी का एक पैनल तैयार किया।

पैनल में शामिल होने की प्रक्रिया स्वचालित है जिससे आईपी पैनल में

शामिल होने के लिए ऑनलाइन अपनी मंशा व्यक्त करते हैं। इन पैनलों का विवरण सारणी 21 में प्रस्तुत किया गया है।

**सारणी 21 : 2020–21 के दौरान तैयार किए गए आईपी के पैनल**

| क्र. सं. | पैनल की तारीख | के अधीन पैनल | पैनल में जोनों की संख्या | पैनल में आईपी की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.06.20 | दिवाला व्यावसायिक अंतरिम समाधान व्यावसायिक, परिसमापक, समाधान व्यावसायिक और शोधन अक्षमता न्यासी (सिफारिश) निदेश निर्देश, 2020 के रूप में कार्य करेंगे | 15 | 978 |
| 2 | 24.09.20 | सेबी (निवेशकों को धनवापसी के लिए प्रशासक की नियुक्ति और प्रक्रिया) विनियमन, 2018 के अधीन दिवाला व्यावसायिकों की प्रशासक के रूप में नियुक्ति के लिए निदेश | 15 | 698 |
| 3 | 23.11.20 | दिवाला व्यावसायिक अंतरिम समाधान व्यावसायिक, परिसमापक, समाधान व्यावसायिक और शोधन अक्षमता न्यासी (सिफारिश) निदेश निर्देश, 2020 के रूप में कार्य करेंगे | 15 | 344 |
| 4 | 26.12.20 | दिवाला व्यावसायिक अंतरिम समाधान व्यावसायिक, परिसमापक, समाधान व्यावसायिक और शोधन अक्षमता न्यासी (सिफारिश) (द्वितीय) निदेश निर्देश, 2020 के रूप में कार्य करेंगे | 15 | 824 |
| 5 | 30.03.21 | सेबी (निवेशकों को धनवापसी के लिए प्रशासक की नियुक्ति और प्रक्रिया) विनियमन, 2018 के अधीन दिवाला व्यावसायिकों की प्रशासक के रूप में नियुक्ति के लिए निदेश निर्देश | 13 | 617 |

## क्षमता निर्माण

### *आईपी और सीओसी के लिए कार्यशालाएं*

आईबीबीआई का यह प्रयास है कि दिवाला और शोधन अक्षमता के आसपास सेवा प्रदाताओं और पारिस्थितिकी तंत्र के अन्य तत्वों की क्षमता का निर्माण किया जाए। यह आईपी के लिए कार्यशालाओं, वेबिनार और प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन करता है, जिसका विवरण सारणी 22 में दिया गया है। आईबीबीआई ने अन्य हितधारकों जैसे छात्रों, सरकारी अधिकारियों, आम जनता के लिए भी कार्यक्रम आयोजित किए, जिनका विवरण सारणी 23 में दिया गया है। आईबीबीआई द्वारा आयोजित कार्यक्रम एफसी के लिए सारणी 24 में सूचीबद्ध हैं। देश में महामारी की स्थिति को देखते हुए, ये सभी कार्यक्रम ऑनलाइन मोड में आयोजित किए गए थे।

**सारणी 22 : 2020–21 में आईपी के लिए आयोजित कार्यशालाएं, वेबिनार, सम्मेलन और इसी तरह के अन्य कार्यक्रम**

| क्र. सं. | कार्यक्रम | विषय | तारीख |
|---|---|---|---|
| 1 | वेबिनार | क्या करें और क्या न करें – व्यवसाय करने में आसानी पर आईबीसी का निरीक्षण और प्रभाव | 01.04.20 |
| 2 | वेबिनार | आईबीसी सीमा में छूट और व्यवसाय करने में आसानी पर आईबीसी का प्रभाव | 02.04.20 |
| 3 | वेबिनार | ऑनलाइन सीआईआरपी फॉर्म और संबंध प्रकटीकरणय और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर आईबीसी का प्रभाव | 03.04.20 |
| 4 | वेबिनार | आईबीसी प्रक्रिया पर लॉकडाउन के दौरान और बाद में प्रभाव और व्यावहारिक मुद्दे और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर आईबीसी का प्रभाव | 07.04.20 |
| 5 | वेबिनार | दिवाला समाधान और पीजी से सीडी तक शोधन अक्षमता और व्यवसाय करने में आसानी पर आईबीसी का प्रभाव | 08.04.20 |
| 6 | वेबिनार | आईपी के लिए आचार संहिताय अनुशासनात्मक कार्यवाही और व्यवसाय करने में आसानी पर आईबीसी का प्रभाव | 11.04.20 |
| 7 | वेबिनार | पीजी से सीडी तक दिवाला और शोधन अक्षमता और व्यवसाय करने में आसानी पर आईबीसी का प्रभाव | 14.04.20 |
| 8 | वेबिनार | दिवाला कार्यवाही में मध्यस्थता का दायरा और व्यवसाय करने में आसानी पर आईबीसी का प्रभाव | 17.04.20 |
| 9 | वेबिनार | आईआरपी/आरपी के साथ संवादात्मक सत्र – सीआईआरपी में कोविड–19 महामारी के संबंध में उनके सामने आने वाली समस्याएं | 06.05.20 |
| 10 | वेबिनार | परिसमापकों के साथ संवादात्मक सत्र – कोविड–19 महामारी के संबंध में परिसमापन में उनके सामने आने वाले मुद्दे | 09.05.20 |
| 11 | वेबिनार | सूचना उपयोगिता – आईबीसी पारिस्थितिकी तंत्र का प्रमुख स्तंभ, हाल ही हुए परिवर्तन | 12.05.20 |
| 12 | वेबिनार | श्री आर सुब्रमण्यकुमार, प्रशासक, डीएचएफएल के साथ अनुभव साझा करने के लिए सत्र | 13.05.20 |
| 13 | वेबिनार | आईबीसी के अधीन मूल्यांक कोविड–19 महामारी के कारण प्रभाव | 15.05.20 |
| 14 | वेबिनार | सीआईआरपी के दौरान सीडी का प्रबंधन जारी कंसर्न के रूप में संचालन प्रबंधन | 22.05.20 |
| 15 | वेबिनार | आईबीसी के अधीन परिहार्य लेन–देन की समीक्षा करना और उन्हें चुनौती देना : संपत्ति को अधिकतम कैसे करें | 28.05.20 |
| 16 | वेबिनार | दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2020 | 07.06.20 |
| 17 | आईपी कार्यशाला | संहिता के अधीन परिसमापन के दौरान जारी कंसर्न के रूप में बिक्री पर 7वीं उन्नत आईपी कार्यशाला | 21.08.20 |
| 18 | वार्ता | सीआईआरपीः उभरते मुद्दों और चुनौतियों को समझना | 19.09.20 |
| 19 | वेबिनार | दबावग्रस्त आस्तियों का समाधानः आगे का मार्ग | 26.09.20 |
| 20 | वेबिनार | परिसमापन प्रक्रिया में आने वाले मुद्दे और यूके में परिसमापन ढांचे का अवलोकन और भारतीय संदर्भ में प्रयोज्यता | 23.10.20 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 21 | प्रशिक्षण कार्यक्रम | आईबीसी के अधीन आईपी के लिए आचार संहिता पर व्यावसायिक नैतिकता और विनियमनों पर ई–व्यावसायिक विकास कार्यक्रम | 21.11.20 & 22.11.20 |
| 22 | वेबिनार | आईपी के लिए बातचीत कौशल का महत्व | 26.11.20 |
| 23 | वेबिनार | कारपोरेट बचाव के तंत्र के रूप में प्री–पैक दिवाला समाधान | 30.11.20 |
| 24 | आईपी कार्यशाला | आईपी के लिए 8वीं उन्नत कार्यशाला | 14.12.20 |
| 25 | वेबिनार | आईपी के लिए नैतिक मानकों को बनाए रखने का महत्व | 16.12.20 |
| 26 | सम्मेलन | दिवाला कानून और सीआईएसजी @ | 18.12.20 |
| 27 | वेबिनार | आईबीसी के अधीन परिहार लेनदेन का निर्धारण | 05.02.21 |
| 28 | वेबिनार | अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर संगोष्ठी | 08.03.21 |
| 29 | आईपी कार्यशाला | आईपी के लिए 19वीं बुनियादी कार्यशाला | 17.03.21 |
| 30 | वेबिनार | प्री–पैक दिवाला समाधान प्रक्रियाः आईएलसी की उप–समिति की रिपोर्ट | 19.03.21 |
| 31 | वेबिनार | परिसमापन प्रक्रिया के अधीन बिक्री और हितधारकों के लिए बेहतर प्राप्ति के लिए यूके की सर्वोत्तम प्रथाएं | 23.03.21 |

**सारणी 23 : 2020–21 में अन्य हितधारकों के लिए आयोजित कार्यशालाएं, वेबिनार, सम्मेलन और इसी तरह के अन्य कार्यक्रम**

| क्र.सं. | कार्यक्रम | विषय | तारीख |
|---|---|---|---|
| 1 | वेबिनार | आईबीसी पर आईबीसी और राष्ट्रीय ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी | 19.07.20 |
| 2 | वेबिनार | आईबीसी में समकालीन विकास | 20.07.20 |
| 3 | वेबिनार | आईबीसी के अधीन आजीविका के अवसर | 23.07.20 |
| 4 | वेबिनार | आईबीसी | 10.08.20 |
| 5 | वेबिनार | पत्रकारों के लिए आईबीसी | 18.08.20 |
| 6 | सम्मेलन | भारत में दबावग्रस्त आस्तियों में निवेश के अवसरों पर सम्मेलन | 17.09.20 |
| 7 | प्रशिक्षण कार्यक्रम | उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार के चुनिंदा अधिकारियों के लिए आईबीसी पर उन्मुखीकरण सत्र | 03.11.20 |
| 8 | प्रशिक्षण कार्यक्रम | ओडिशा सरकार के चुनिंदा अधिकारियों के लिए आईबीसी पर उन्मुखीकरण सत्र | 10.11.20 |
| 9 | प्रशिक्षण कार्यक्रम | डीजीएफटी, वाणिज्य मंत्रालय के चुनिंदा अधिकारियों के लिए आईबीसी पर उन्मुखीकरण सत्र | 19.11.20 |
| 10 | वेबिनार | आईबीसी और नियामकः आगे की राह | 20.11.20 |
| 11 | प्रशिक्षण कार्यक्रम | ओडिशा सरकार के सीटी और जीएसटी विभाग के चुनिंदा अधिकारियों के लिए आईबीसी पर उन्मुखीकरण सत्र | 25.11.20 |
| 12 | प्रशिक्षण कार्यक्रम | डीजीएफटी, वाणिज्य मंत्रालय के चुनिंदा अधिकारियों के लिए आईबीसी पर संवादात्मक सत्र | 22.12.20 |
| 13 | संगोश्ठी | आईबीसी | 07.01.21 |
| 14 | प्रशिक्षण कार्यक्रम | मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारियों के लिए आईबीसी पर उन्मुखीकरण सत्र | 08.01.21 |
| 15 | प्रशिक्षण कार्यक्रम | झारखंड सरकार के अधिकारियों के लिए आईबीसी पर उन्मुखीकरण सत्र | 18.01.21 |
| 16 | प्रशिक्षण कार्यक्रम | बिहार सरकार के अधिकारियों के लिए आईबीसी पर उन्मुखीकरण सत्र | 04.03.21 |

**सारणी 24 : 2020–21 में आयोजित सीओसी कार्यशाला**

| क्र. सं. | तारीख | विषय | के साथ साझेदारी |
|---|---|---|---|
| 1 | 29.01.21 | सीओसी – पब्लिक ट्रस्ट का एक संस्थान | एसबीआई |
| 2 | 03.02.21 | सीओसी – पब्लिक ट्रस्ट का एक संस्थान | एसबीआई |
| 3 | 11.02.21 | सीओसी – पब्लिक ट्रस्ट का एक संस्थान | एसबीआई |

आईपीए भी अपने सदस्यों की क्षमता निर्माण के लिए विभिन्न उपाय कर रहे हैं। सारणी 25 उनके द्वारा 2020–21 में आयोजित कार्यक्रमों का विवरण प्रस्तुत करती है। आईपीए द्वारा अपने सदस्यों के लाभ के लिए विभिन्न प्रकाशनों का विवरण सारणी 26 में प्रस्तुत किया गया है।

**सारणी 25 : 2020–21 में आईपीए द्वारा आयोजित कार्यक्रम**

| कार्यक्रम | आयोजित कार्यक्रमों की संख्या | | | | लाभार्थियों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| | आईपीए आईसीएआई | आईसीएसआई आईआईपी | आईआईआईपीआई | कुल | |
| प्रारंभिक पाठ्यक्रम | 2 | 6 | 1 | 9 | 181 |
| रजिस्ट्रीकरण –पूर्व पाठ्यक्रम | 2 | 5 | 7 | 14 | 658 |
| वेबिनार | 38 | 19 | 33 | 90 | 82,483 |
| कार्यशालाएं | 4 | 16 | 2 | 22 | 3682 |
| गोल मेज | 6 | 7 | 10 | 23 | 1383 |
| सेमिनार/ सम्मेलन | 1 | - | 6 | 6 | 255 |
| **कुल** | **53** | **53** | **59** | **164** | **88,642** |

**सारणी 26 : 2020-21 में आईपीए द्वारा प्रकाशनों का विवरण**

| क्र. सं. | प्रकाशन की प्रकृति | प्रकाशन का नाम | सावधिकता | में प्रकाशित किया गया | अंकों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| **आईपीए आईसीएआई** | | | | | |
| 1 | ई–पत्रिका | दिवाला व्यावसायिकः आपका अंतर्दृष्टि जर्नल | मासिक | अप्रैल, 2020– मार्च, 2021 | 12 |
| 2 | दैनिक नवीनतम जानकारी | आईबीसी–एयु कौरंट | दैनिक (सोमवार– शुक्रवार) | अप्रैल, 2020– मार्च, 2021 | 249 |
| 3 | केसबुक | केसबुक | साप्ताहिक | अप्रैल, 2020– मार्च, 2021 | 36 |
| 4 | केस कानून | आईबीसी डोजियर | साप्ताहिक | अप्रैल, 2020– मार्च, 2021 | 52 |
| **आईसीएसआई आईआईपी** | | | | | |
| 1 | बेयर एक्ट | दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 – नियमों और विनियमनों के साथ | जब भी अपडेट किया गया | 2020 | 6 |
| 2 | पुस्तिका | अंतरिम समाधान व्यावसायिक– एक पुस्तिका, तीसरा संस्करण | जब भी अपडेट किया जाता है | 2019 | 3 |
| 3 | पुस्तिका | स्वैच्छिक परिसमापन– एक पुस्तिका | जब भी अपडेट किया जाता है | 2019 | 1 |
| 4 | पुस्तक, टीका | दिवाला कानून के व्यावहारिक पहलू, चौथा संस्करण | जब भी अपडेट किया जाता है | 2019 | 4 |
| 5 | केस लॉ संकलन | एनसीएलएटी के 100 ऐतिहासिक फैसले | जब भी अपडेट किया जाता है | 2019 | 1 |
| 6 | केस लॉ संकलन | हितधारकों के लिए आईबीसी न्यायिक नियामक नियम, दूसरा संस्करण | जब भी अपडेट किया जाता है | 2019 | 2 |
| 7 | केस लॉ संकलन | आइबीसी लर्निंग कर्व्स संकलन | जब भी अपडेट किया जाता है | 2020 | 1 |
| 8 | केस लॉ संकलन | आईबीसी क बारे में अंतिम शब्द | जब भी अपडेट किया जाता है | 2020 | 1 |
| 9 | पुस्तक | एलआईई प्रिपरेटरी गाइड | जब भी अपडेट किया जाता है | 2020 | 1 |
| 10 | पत्रिका | रिजोल्वःआईबीसी जर्नल | मासिक | 2018 से | |
| 11 | ज्ञान पहल | आईबीसी लर्निंग कर्व्स संकलन | मासिक | 2019 से | 25 |
| 12 | ज्ञान पहल | आईबीसी लर्निंग कर्व | दैनिक | 2019 से | 524 |
| 13 | प्रतिवेदन | रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड और ज्योति स्ट्रक्चर्स लिमिटेड के सीआईआरपी पर प्रदर्शन विश्लेशण रिपोर्ट। | एक बार | 2021 | 1 |
| **आईआईआईपीआई** | | | | | |
| 1 | पत्रिका | समाधान व्यावसायिक (सॉफ्ट कॉपी और प्रिंट वर्जन) | त्रैमासिक | अक्तूबर, 2020 और जनवरी, 2021 | 2 |
| 2 | समाचार | आईआईआईपीआई न्यूजलेटर (सॉफ्ट कॉपी) | साप्ताहिक | अप्रैल 2020 – मार्च 2021 | 41 |
| 3 | केस कानून | आईबीसी केस स्निपेट्स (19 मार्च 2021 से आईबीसी केस लॉ कैप्सूल का नाम बदला गया) (सॉफ्ट कॉपी) | साप्ताहिक | अप्रैल 2020 – मार्च 2021 | 39 |
| 4 | सीआईआरपी केस स्टडीज/आईपी की सफलता की कहानियां | केस स्टडी : बिनानी सीमेंट लिमिटेड का प्रदर्शन विश्लेशण। | कभी कभी | अक्तूबर, 2020 | 2 |
| | | एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड का केस स्टडी (सॉफ्ट कॉपी) | कभी कभी | फरवरी ,2020 | |
| 5 | अनुसंधान अध्ययन | आईबीसी के तहत मुकदमेबाजी की समयबद्धता और प्रभावशीलता पर अनुसंधान–सह अध्ययन | कभी कभी | अक्तूबर, 2020 | 3 |
| | | समूह दिवाला के प्रक्रियात्मक और मूल पहलूः व्यावहारिक अनुभवों से सीख (सॉफ्ट कॉपी और प्रिंट संस्करण) | कभी कभी | मार्च, 2021 | |
| | | आईबीसी के तहत सीआईआरपी में सीओसी की भूमिकाः सर्वोत्तम प्रथाओं पर सिफारिशें (सॉफ्ट कॉपी और प्रिंट संस्करण) | कभी कभी | मार्च, 2021 | |
| 6 | प्रतिवेदन | 24–25 अक्टूबर, 2020 को आईआईआईपीआई के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की रिपोर्ट करें (सॉफ्ट कॉपी और प्रिंट संस्करण) | कभी कभी | नवम्बर, 2020 | 1 |
| 7 | इलेक्ट्रॉनिक निर्णय संदर्भ | ई–न्यायशास्त्र | त्रैमासिक | जून, 2020 | 1 |

## सतत व्यावसायिक शिक्षा निदेश निर्देश

एक आईपी को प्रासंगिक बने रहने और मूल्य वर्धित सेवाएं प्रदान करने के लिए सीपीई के माध्यम से खुद को लगातार अपग्रेड करने की जरूरत है। आईपी विनियमन तदनुसार प्रदान करते हैं कि एक आईपी को अपना रजिस्ट्रीकरण वैध रखने के लिए सीपीई से गुजरना होगा। आईबीबीआई ने आईपीए के परामर्श से आईबीबीआई (दिवाला व्यावसायिकों के लिए सतत व्यावसायिक शिक्षा) निदेश निर्देश, 2019 को 6 अगस्त, 2019 को जारी किया। ये निदेश निर्देश 01 जनवरी, 2020 से प्रभावी हैं। हालांकि, ये उन आईपी पर लागू नहीं होते हैं जिन्होंने पेंसठ वर्ष की आयु को पूरा कर लिया है। इन्हें प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में सीपीई के न्यूनतम 10 क्रेडिट घंटे और तीन कैलेंडर वर्षों के प्रत्येक रोलिंग ब्लॉक में सीपीई के न्यूनतम 60 क्रेडिट घंटे करने के लिए एक आईपी की आवश्यकता होती है। एएफए किसी ऐसे आईपी को जारी या नवीनीकृत नहीं किया जाएगा जो इन निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है। आईपीए को अपने व्यावसायिक सदस्यों के संबंध में आईपी और बोर्ड के लिए सुलभ तरीके से सीपीई के रिकॉर्ड की निगरानी और रखरखाव करना आवश्यक है। आईपी द्वारा अर्जित सीपीई घंटों का विवरण सारणी 27 में प्रस्तुत किया गया है।

**सारणी 27 : 31 मार्च, 2021 को आईपी द्वारा निष्पादन सीपीई घंटे**

| अवधि | के सदस्यों द्वारा अर्जित सीपीई घंटों की संख्या | | | |
|---|---|---|---|---|
| | आईआईआईपीआई | आईसएसआईआईआईपी | आईपीए आईसीएआई | कुल |
| जनवरी – मार्च, 2020 | 1160 | 695 | 320 | 2175 |
| अप्रैल – जून, 2020 | 8198 | 5575 | 2373 | 16139 |
| जुलाई– सितंबर, 2020 | 778 | 527 | 344 | 1649 |
| अक्तुबर –दिसंबर, 2020 | 5675 | 1584 | 885 | 8103 |
| जनवरी – मार्च, 2021 | 3814 | 1060 | 800 | 3749 |
| **कुल** | **19625** | **9441** | **4722** | **31815** |
| **प्रति रजिस्ट्रीकृत आईपी औसत सीपीई घंटे** | **9.01** | **9.26** | **15.38** | **9.08** |

## रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन

आरवीओ आरवी के लिए फ्रंटलाइन नियामक हैं। वे आरवी के व्यवसाय के विकास और विनियमन के लिए जिम्मेदार हैं। 31 मार्च, 2021 के अंत में, 16 संस्थाओं को आरवीओ के रूप में मान्यता दी गई थी। एसेट क्लास लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी में प्रत्येक में 14 आरवीओ और सिक्योरिटीज या फाइनेंशियल एसेट्स में 15 आरवीओ हैं। एक व्यक्ति जो 'उपयुक्त और उचित' मानदंड को पूरा करता है और एक आरवीओ के साथ एक मूल्यांकक सदस्य के रूप में नामांकित है और उसके पास आवश्यक योग्यता और अनुभव है और उसने संबंधित परिसंपत्ति वर्ग की मूल्यांकन परीक्षा उत्तीर्ण की है, एक मूल्यांकनकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकृत है। 31 मार्च, 2021 को आरवी, आरवीओ–वार का विवरण सारणी 28 में दिया गया है। 31 मार्च, 2021 तक तिमाही–वार आरवी का रजिस्ट्रीकरण सारणी 29 में दिया गया है।

**सारणी 28 : 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार आरवी**

*(संख्या)*

| रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकन संगठन | परिसम्पत्ति वर्ग | | | कुल |
|---|---|---|---|---|
| | भूमि और भवन | संयत्र और मशीनरी | प्रतिभूतियां या वित्तीय परिसंपत्तियां | |
| आरवीओ एस्टेट प्रबंधक और मूल्यांकक फाउंडेशन | 58 | 12 | 13 | 83 |
| आईओवी रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक फाउंडेशन | 1245 | 199 | 148 | 1592 |
| आईसीएसआई रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन | 0 | 0 | 161 | 161 |
| आईआईवी इंडिया रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक फाउंडेशन | 140 | 40 | 47 | 227 |
| आईसीएमएआई रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन | 21 | 16 | 244 | 281 |
| आईसीएआई रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन | उ.न. | उ.न. | 782 | 782 |
| पीवीएआई मूल्यांकन व्यावसायिक संगठन | 280 | 49 | 82 | 411 |
| सीवीएसआरटीए रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संघ | 189 | 57 | उ.न. | 246 |
| प्रमाणित मूल्यांकन और विश्लेषक संघ | उ.न. | उ.न. | 2 | 2 |
| सीईवी इंटीग्रल अप्रेजर्स फाउंडेशन | 77 | 24 | 2 | 103 |
| दिव्य ज्योति फाउंडेशन | 24 | 8 | 28 | 60 |
| नंददीप वैल्यूअर्स फाउंडेशन | 0 | 0 | 0 | 0 |
| अखिल भारतीय मूल्यांकन संस्थान फाउंडेशन | 2 | 2 | 9 | 13 |
| इंटरनेशनल बिजनेस वैल्यूअर्स एसोसिएशन | 1 | 0 | 4 | 5 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ऑल इंडिया वैल्यूअर्स एसोसिएशन | 0 | 0 | 0 | 0 |
| मूल्यांकनकर्ता और रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक फाउंडेशन | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **कुल** | **2037** | **407** | **1522** | **3966** |

*उ. न. : लागू नहीं है क्योंकि आरवीओ को एसेट क्लास के लिए मान्यता नहीं मिली है।*

**सारणी 29 : 31 मार्च, 2021 की स्तिथि के अनुसार आरवी का पंजीकरण**

*(संख्या)*

| वर्ष/तिमाही | भूमि और भवन संयंत्र | संयंत्र और मशीनरी | प्रतिभूतियां या वित्तीय परिसंपत्तियां | कुल |
|---|---|---|---|---|
| 2017 – 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 – 2019 | 781 | 121 | 284 | 1186 |
| 2019 – 2020 | 848 | 204 | 792 | 1844 |
| जून, 2020 | 20 | 8 | 72 | 100 |
| सितंबर, 2020 | 149 | 27 | 104 | 280 |
| दिसंबर, 2020 | 130 | 22 | 185 | 337 |
| माच, 2021 | 110 | 25 | 85 | 220 |
| **कुल** | **2038** | **407** | **1522** | **3967** |

*टिप्पणी : 1 व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण फरवरी, 2021 में रद्द कर दिया गया था।*

आरवी को मूल्यांकन सेवाएं प्रदान करने के लिए एक इकाई (साझेदारी / कंपनी) बनाने की अनुमति है। 31 मार्च, 2021 को आरवी के रूप में रजिस्ट्रीकृत 40 ऐसी संस्थाएं हैं, जैसा कि सारणी 30 में प्रस्तुत किया गया है। सभी तीन परिसंपत्ति वर्गों के लिए 18 संस्थाएं, दो परिसंपत्ति वर्गों में 4 संस्थाएं और एक परिसंपत्ति वर्ग में 18 संस्थाएं रजिस्ट्रीकृत हैं।

**सारणी 30 : 31 मार्च, 2021 की स्तिथि के अनुसार पंजीकरण मूल्यांकक संस्थाएं**

*(संख्या)*

| रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन | रजिस्ट्रीकृत संस्थाओं की संख्या | परिसम्पत्ति वर्ग में रजिस्ट्रीकरण | | |
|---|---|---|---|---|
| | | भूमि और भवन | संयंत्र व मशीनरी | प्रतिभूतियां या वित्तीय परिसंपत्तियां |
| आरवीओ एस्टेट प्रबंधक और मूल्यांकक फाउंडेशन | 3 | 3 | 2 | 2 |
| आईओवी रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकनकर्ता फाउंडेशन | 15 | 12 | 9 | 12 |
| आईसीएसआई रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन | 1 | 0 | 0 | 1 |
| आईआईवी इंडिया रजिस्ट्रीकृत वैल्यूअर्स फाउंडेशन | 1 | 1 | 1 | 1 |
| आइसीएमएआई रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन | 6 | 3 | 4 | 6 |
| आईसीएआई रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन | 8 | 0 | 0 | 8 |
| पीवीएआई मूल्यांकन व्यावसायिक संगठन | 2 | 2 | 2 | 2 |
| अखिल भारतीय मूल्यांकन संस्थान फाउंडेशन | 1 | 1 | 1 | 1 |
| सीईवी इंटीग्रल अप्रेजर्स फाउंडेशन | 1 | 1 | 1 | 0 |
| दिव्य ज्योति फाउंडेशन | 2 | 1 | 1 | 2 |
| **कुल** | **40** | **24** | **21** | **35** |

31 मार्च, 2021 तक रजिस्ट्रीकृत आरवी में से 1075 आरवी (रजिस्ट्रीकृत कुल आरवी का 27 प्रतिशत) महानगरों से हैं जबकि 2891 आरवी गैर–मेट्रो स्थानों (सारणी 31) से हैं। 31 मार्च, 2021 को आरवी का भौगोलिक वितरण चित्र 3 में प्रस्तुत किया गया है।

**सारणी 31 : 31, 2021 मार्च की स्थिति के अनुसार क्षेत्रवार आरवी**

*(संख्या)*

| शहर/ क्षेत्र | भूमि और भवन | संयंत्र व मशीनरी | प्रतिभूतियां या वित्तीय परिसंपत्तियां | कुल |
|---|---|---|---|---|
| नई दिल्ली | 69 | 33 | 186 | 288 |
| शेश उत्तरी क्षेत्र | 312 | 56 | 253 | 621 |
| मुंबई | 104 | 48 | 237 | 389 |
| शेष पश्चिमी क्षेत्र | 561 | 107 | 244 | 912 |
| चेन्नई | 110 | 36 | 120 | 266 |
| शेष दक्षिणी क्षेत्र | 828 | 106 | 361 | 1295 |
| कोलकाता | 23 | 14 | 95 | 132 |
| शेष पूर्वी क्षेत्र | 30 | 7 | 26 | 63 |
| **कुल** | **2037** | **407** | **1522** | **3966** |

चित्र 3 : 31 मार्च, 2021 को आरवी का भौगोलिक वितरण

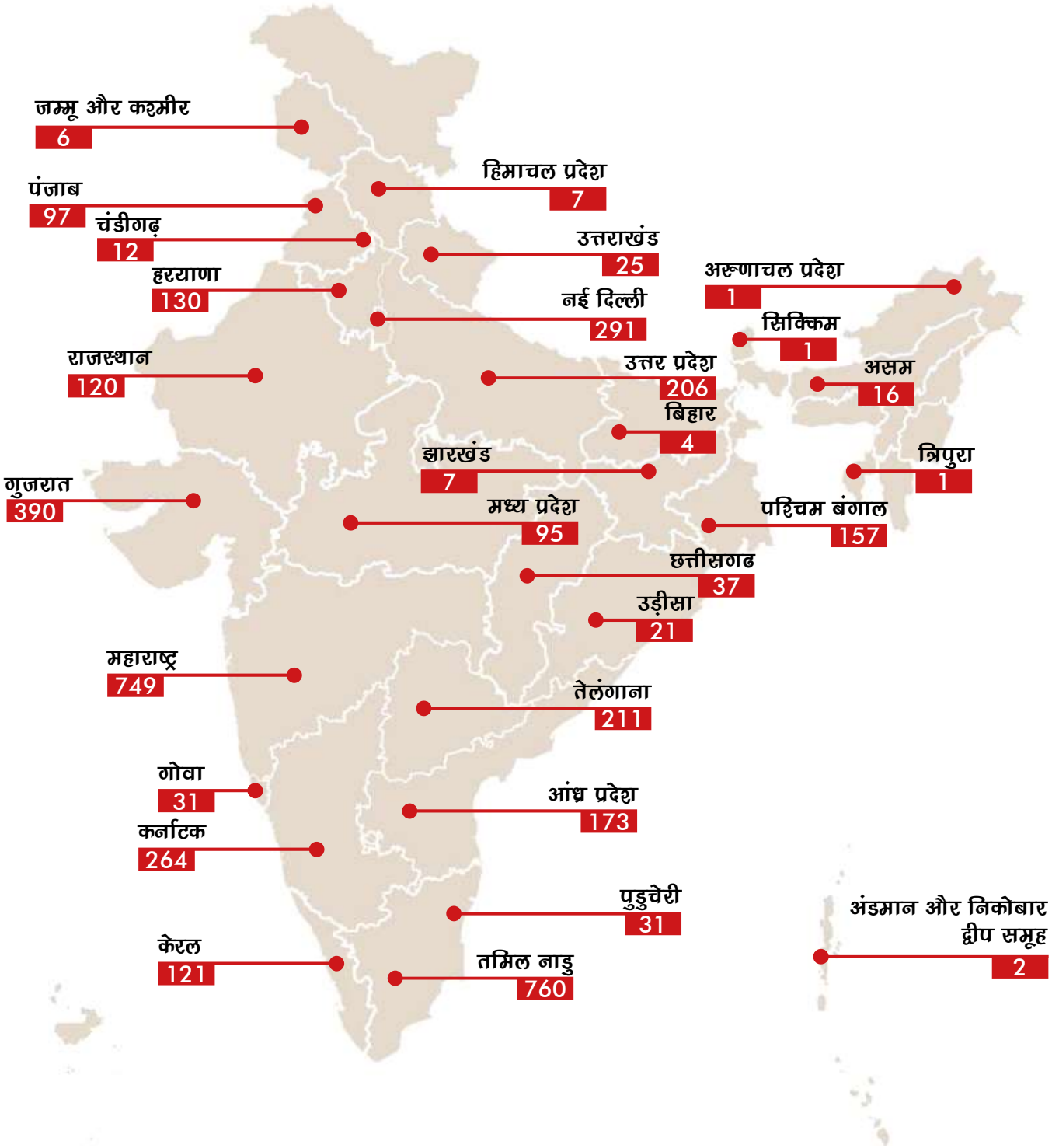

31 मार्च, 2021 तक सभी परिसंपत्ति वर्गों में आरवी की औसत आयु 47 वर्ष थी। यह भूमि और भवन के लिए 49 वर्ष, संयंत्र और मशीनरी के लिए 53 वर्ष और प्रतिभूतियों या वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए 43 वर्ष थी (सारणी 32)। 3967 आरवी में से 372 आरवी (कुल आरवी का लगभग नौ प्रतिशत) महिलाएं हैं।

**सारणी 32 : 31 मार्च, 2021 की स्तिथि के अनुसार आरवी की आयु प्रोफाइल**

*(संख्या)*

| आयु समूह (वर्षों में) | भूमि और भवन | संयंत्र व मशीनरी | प्रतिभूतियां या वित्तीय परिसंपत्तियां | कुल |
|---|---|---|---|---|
| ≤ 30 | 117 | 6 | 103 | 226 |
| > 30 ≤ 40 | 288 | 57 | 609 | 954 |
| > 40 ≤ 50 | 511 | 93 | 451 | 1055 |
| > 50 ≤ 60 | 856 | 123 | 243 | 1222 |
| > 60 ≤ 70 | 230 | 86 | 113 | 429 |
| > 70 ≤ 80 | 34 | 40 | 3 | 77 |
| > 80 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| **कुल** | **2037** | **407** | **1522** | **3966** |

## सीमित दिवाला परीक्षा

अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के अध्यधीन, एक व्यक्ति आईपी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र है यदि उसने अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के अधीन आईपीए के साथ नामांकन के लिए आवेदन की तारीख से 12 महीने के भीतर परीक्षा उत्तीर्ण की है। आईबीबीआई परीक्षा के पाठ्यक्रम, प्रारूप आदि को प्रकाशित करता है और बाजार की गतिशीलता के अनुरूप इसे प्रासंगिक बनाए रखने के लिए लगातार इसकी समीक्षा करता है। इसने 31 दिसंबर, 2016 को परीक्षा शुरू की। परीक्षा का दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां और छठा चरण, प्रत्येक संशोधित पाठ्यक्रम और प्रश्न बैंक के साथ, क्रमशः 01 जुलाई 2017, 01 जनवरी 2018, 01 नवंबर 2018, 01 जुलाई, 2019 और 01 जनवरी, 2021 को शुरू हुआ। परीक्षा वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ ऑनलाइन (एक अनुमानित वातावरण में कंप्यूटर आधारित) आयोजित की जाती है। यह देश भर के कई स्थानों से उपलब्ध है।

31 मार्च, 2021 तक कुल 12,893 उम्मीदवारों ने 35,526 नामांकन किए। इन 12,893 उम्मीदवारों में से 10,913 उम्मीदवारों ने परीक्षा दी और कुल 27,259 प्रयास किए, जिनमें से 4913 प्रयास (18.02 प्रतिशत प्रयास या 38. 11 प्रतिशत उम्मीदवार) सफल रहे। इनमें से 476 पूर्वी जोन से, 1869 उत्तरी जोन से, 1412 पश्चिम जोन से और 1156 दक्षिण जोन से हैं। परीक्षा में उम्मीदवारों के प्रदर्शन को सारणी 33 में संक्षेपित किया गया है।

**सारणी 33 : 31 मार्च, 2021 तक क्षेत्रवार सीमित दिवाला परीक्षा**

| चरण | जोन में प्रयासों की संख्या (कुछ उम्मीदवारों ने एक से अधिक प्रयास किए) | | | | | जोन में सफल प्रयासों की संख्या | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | पूर्व | उत्तर | पश्चिम | दक्षिण | भारत | पूर्व | उत्तर | पश्चिम | दक्षिण | भारत |
| प्रथम चरण (दिसंबर, 2016–जनवरी 2017) | 758 | 1952 | 1581 | 1038 | 5329 | 160 | 434 | 391 | 216 | 1201 |
| द्वितीय चरण (जुलाई, 2017–दिसंबर, 2017) | 528 | 2204 | 1699 | 1806 | 6237 | 86 | 401 | 316 | 309 | 1112 |
| तीसरा चरण (जनवरी, 2018–अक्तुबर, 2018) | 557 | 2338 | 1778 | 1671 | 6344 | 86 | 389 | 286 | 252 | 1013 |
| चौथा चरण (नवंबर, 2018–जून, 2019) | 252 | 1201 | 798 | 774 | 3025 | 45 | 218 | 127 | 115 | 505 |
| पांचवा चरण (जुलाई, 2019–दिसंबर, 2020) | 514 | 2162 | 1485 | 1699 | 5860 | 95 | 397 | 279 | 245 | 1016 |
| छठा चरण (जनवरी, 2021–मार्च, 2021) | 34 | 182 | 118 | 130 | 464 | 4 | 30 | 13 | 19 | 66 |
| **कुल** | 2643 | 10039 | 7459 | 7118 | 27259 | 476 | 1869 | 1412 | 1156 | 4913 |

*टिप्पणी : कोविड 19 महामारी के कारण लॉकडाउन की वजह से परीक्षा 23 मार्च, 2020 से 26 मई, 2020 तक स्थगित कर दी गई थी।*

## मूल्यांकन परीक्षा

आईबीबीआई, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 247 के अधीन 'प्राधिकरण' होने के नाते, सभी तीन परिसंपत्ति वर्गों, अर्थात् (क) भूमि और भवन, (ख) संयंत्र और मशीनरी, और (ग) प्रतिभूतियां या वित्तीय संपत्तियां के लिए मूल्यांकन परीक्षाओं के पाठ्यक्रम, प्रारूप और आवृत्ति को प्रकाशित करता है। इसने 31 मार्च, 2018 को तीन परिसंपत्ति वर्गों के लिए मूल्यांकन परीक्षा शुरू की। मूल्यांकन परीक्षा का दूसरा और तीसरा चरण, प्रत्येक संशोधित पाठ्यक्रम और प्रश्न बैंक के साथ, क्रमशः 1 अप्रैल, 2019 और 01 जून, 2020 को शुरू हुआ। ये परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जाती हैं और देश भर के कई स्थानों से उपलब्ध हैं।

### भूमि और भवन

31 मार्च 2021 तक कुल 4777 उम्मीदवारों ने 20,690 नामांकन किए। 4777 उम्मीदवारों में से 4618 उम्मीदवार मूल्यांकन परीक्षा में शामिल हुए और 159 उम्मीदवार मूल्यांकन परीक्षा में शामिल नहीं हुए. 4618 उम्मीदवारों ने कुल 17,282 प्रयास किए, जिनमें से 2460 प्रयास सफल रहे। मूल्यांकन परीक्षा में उम्मीदवारों के प्रदर्शन को सारणी 34 में संक्षेपित किया गया है।

**सारणी 34 : संपत्ति वर्ग भूमि और भवन में क्षेत्रवार मूल्यांकन परीक्षा**

| चरण | जोन में प्रयासों की संख्या (कुछ उम्मीदवारों ने एक से अधिक प्रयास किए) | | | | | जोन में सफल प्रयासों की संख्या | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | पूर्व | उत्तर | पश्चिम | दक्षिण | भारत | पूर्व | उत्तर | पश्चिम | दक्षिण | भारत |
| चरण 1 (मार्च'18–मार्च '19) | 271 | 1162 | 2482 | 5554 | 9469 | 46 | 231 | 568 | *903 | 1748 |
| चरण 2 (अप्रैल'19–मई' 20) | 314 | 1143 | 902 | 1421 | 3780 | 23 | 138 | 96 | *123 | 380 |
| चरण 3 (जून'20– मार्च' 21) | 170 | 1080 | 1049 | 1734 | 4033 | 10 | 97 | 104 | 121 | 332 |
| **कुल** | **755** | **3385** | **4433** | **8709** | **17282** | **79** | **466** | **768** | **1147** | **2460** |

**एक उम्मीदवार ने दो बार परीक्षा उत्तीर्ण की।*

नोट : कोविड–19 महामारी के कारण लॉकडाउन के कारण परीक्षा 23 मार्च, 2020 से 15 जून, 2020 तक स्थगित कर दी गई थी।

## *संयंत्र और मशीनरी*

31 मार्च 2021 तक कुल 1066 उम्मीदवारों ने 3976 नामांकन किए। 1066 उम्मीदवारों में से 1010 उम्मीदवार मूल्यांकन परीक्षा के लिए उपस्थित हुए और 56 उम्मीदवार मूल्यांकन परीक्षा के लिए उपस्थित नहीं हुए। इन 1010 उम्मीदवारों ने कुल 3415 प्रयास किए, जिनमें से 488 प्रयास सफल रहे। मूल्यांकन परीक्षा में उम्मीदवारों के प्रदर्शन को सारणी 35 में संक्षेपित किया गया है।

**सारणी 35: संपत्ति वर्ग संयंत्र और मशीनरी में क्षेत्रवार मूल्यांकन परीक्षा**

| चरण | जोन में प्रयासों की संख्या (कुछ उम्मीदवारों ने एक से अधिक प्रयास किए) | | | | | जोन में सफल प्रयासों की संख्या | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | पूर्व | उत्तर | पश्चिम | दक्षिण | भारत | पूर्व | उत्तर | पश्चिम | दक्षिण | भारत |
| चरण 1 (मार्च'18–मार्च '19) | 95 | 267 | 564 | 739 | 1665 | 16 | 61 | 136 | 111 | 324 |
| चरण 2 (अप्रैल'19–मई' 20) | 98 | 204 | 184 | 271 | 757 | 10 | 28 | 24 | 33 | 95 |
| चरण 3 (जून'20– मार्च' 21) | 99 | 254 | 306 | 334 | 993 | 6 | 20 | 23 | 20 | 69 |
| **कुल** | **292** | **725** | **1054** | **1344** | **3415** | **32** | **109** | **183** | **164** | **488** |

*नोट : कोविड–19 महामारी के कारण लॉकडाउन के कारण परीक्षा 23 मार्च, 2020 से 15 जून, 2020 तक स्थगित कर दी गई थी।*

## *प्रतिभूतियां या वित्तीय परिसंपत्तियां*

31 मार्च, 2021 तक कुल 4761 उम्मीदवारों ने 17,201 नामांकन किए। 4761 उम्मीदवारों में से 4392 उम्मीदवार मूल्यांकन परीक्षा में शामिल हुए और 369 उम्मीदवार मूल्यांकन परीक्षा में शामिल नहीं हुए. इन 4392 उम्मीदवारों ने कुल 13,709 प्रयास किए, जिनमें से 1796 प्रयास सफल रहे। परीक्षा में उम्मीदवारों के प्रदर्शन को सारणी 36 में संक्षेपित किया गया है।

**सारणी 36 : परिसंपत्ति वर्ग प्रतिभूतियों या वित्तीय परिसंपत्तियों में क्षेत्रवार मूल्यांकन परीक्षा**

| चरण | जोन में प्रयासों की संख्या (कुछ उम्मीदवारों ने एक से अधिक प्रयास किए) | | | | | जोन में सफल प्रयासों की संख्या | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | पूर्व | उत्तर | पश्चिम | दक्षिण | भारत | पूर्व | उत्तर | पश्चिम | दक्षिण | भारत |
| चरण 1 (मार्च'18–मार्च '19) | 450 | 1052 | 1198 | 1796 | 4496 | 58 | 159 | 225 | 265 | 707 |
| चरण 2 (अप्रैल'19–मई' 20) | 461 | 1848 | 1126 | 1360 | 4795 | 46 | 241 | *201 | 168 | 656 |
| चरण 3 (जून'20– मार्च' 21) | 387 | 1249 | 1214 | 1568 | 4418 | 43 | 119 | 138 | 133 | 433 |
| **कुल** | **1298** | **4149** | **3538** | **4724** | **13709** | **147** | **519** | **564** | **566** | **1796** |

**एक उम्मीदवार ने दो बार परीक्षा उत्तीर्ण की।*

नोट : कोविड–19 महामारी के कारण लॉकडाउन के कारण परीक्षा 23 मार्च, 2020 से 15 जून, 2020 तक स्थगित कर दी गई थी।

## रजिस्ट्रीकरण देने से इंकार

आईबीबीआई ने 2020–21 में आरवी के लिए 6 आवेदकों को रजिस्ट्रीकरण देने से इनकार कर दिया (सारणी 37)। इसने पात्रता मानदंडों को पूरा करने में विफल रहने पर एक आईपी का रजिस्ट्रीकरण भी वापस ले लिया।

**सारणी 37 : आईपी और आरवी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदनों की अस्वीकृति**

| वर्ष | आईबीबीआई द्वारा अस्वीकृत आवेदनों की संख्या | | पात्रता को पूरा करने में विफल रहने पर आईपी का रजिस्ट्रीकरण वापस ले लिया गया | पात्रता को पूरा करने में विफल रहने पर आईपी की मान्यता वापस ले ली |
|---|---|---|---|---|
| | आईपी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए | आरवी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए | | |
| 2016-17 | 3 | 0 | **शून्य** | **शून्य** |
| 2017-18 | 6 | 0 | **शून्य** | 1 |
| 2018-19 | 3 | 1 | **शून्य** | 38* |
| 2019-20 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 2020-21 | **शून्य** | 6 | 1 | **शून्य** |

**इसके अतिरिक्त, दो आईपीई ने स्वेच्छा से अपना मान्यता प्रमाण पत्र वापस कर दिया है।*

## शिकायतें और परिवाद

आईबीबीआई (शिकायत और परिवाद प्रबंधन प्रक्रिया) विनियमन, 2017 आईबीबीआई द्वारा शिकायतों और परिवादों की प्राप्ति और निपटान के लिए उद्देश्यपूर्ण और पारदर्शी प्रक्रिया प्रदान करता है, जो शरारती सेवा प्रदाता को माफ नहीं करता है, लेकिन निर्दोश सेवा प्रदाता को परेशान नहीं करता है। हितधारक शिकायत दर्ज कर सकता है जिसमें सेवा प्रदाता के आचरण का विवरण होगा जिससे पीड़ित को पीड़ा हुई हैय पीड़ा का विवरण, चाहे वह आर्थिक हो या अन्यथा, पीड़ित व्यक्ति को भुगतना पड़ाय कैसे सेवा प्रदाता का आचरण पीड़ित की पीड़ा का कारण बनाय सेवा प्रदाता से शिकायत निवारण के लिए उसके प्रयासों का विवरणय और शिकायत का निवारण कैसे किया जा सकता है। यह 2500 रुपये के शुल्क के साथ निर्दिष्ट प्ररूप में शिकायत दर्ज कर सकता है।. शिकायत में संहिता के किसी प्रावधान, या नियमों, या विनियमनों, या उसके अधीन बनाए गए निदेश –निर्देशों या आईबीबीआई द्वारा सेवा प्रदाता या उससे जुड़े व्यक्तियों को जारी किए गए परिपत्रों या निर्देशों के कथित उल्लंघन के विवरण का विवरण देना आवश्यक हैय सेवा प्रदाता या उससे जुड़े व्यक्तियों के कथित आचरण, ऐसे आचरण या गतिविधि की तारीख और स्थान के साथ, गतिविधि का विवरण, जो कानून के उपबंधों का उल्लंघन है और ऐसे आचरण या गतिविधि की तारीख और स्थान के साथ, ऐसे आचरण या गतिविधि की तारीख और स्थान का विवरण देना अपेक्षित है। यदि शिकायत तुच्छ नहीं है, तो शुल्क वापस कर दिया जाता है। जहां आईबीबीआई की राय है कि प्रथम दृश्टया कोई मामला मौजूद है, वह निरीक्षण या जांच का आदेश दे सकता है या कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी कर सकता है, जैसा आवश्यक हो।

इसके अलावा, शिकायतें और परिवाद केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस), प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ), एमसीए, अन्य प्राधिकरणों और जनता से प्राप्त होती हैं। 31 मार्च, 2021 तक शिकायतों एवं परिवादों की प्राप्ति एवं निस्तारण का विवरण सारणी 38 में दिया गया है।

**सारणी 38 : 31 मार्च, 2021 तक षिकायतों और परिवादों की प्राप्ति और निपटान**

*(संख्या)*

| वर्ष/तिमाही | प्राप्त हुई शिकायतें और परिवाद | | | | | | कुल | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | विनियमनों के अधीन | | सीपीजीआरएएमएस/ पीएमओ/एमसीए/ अन्य प्राधिकरणों के माध्यम से | | अन्य मोड के माध्यम से | | प्राप्त किए गये | निपटाए गये | जांचाधीन |
| | प्राप्त किए गये | निपटाए गये | प्राप्त किए गये | निपटाए गए | प्राप्त किए गये | निपटाए गये | | | |
| 2017 - 18 | 18 | 0 | 6 | 0 | | | 46 | 2 | 44 |
| 2018 - 19 | 111 | 51 | 333 | 290 | 713 | 380 | 1157 | 721 | 480 |
| 2019 - 20 | 153 | 177 | 239 | 227 | 1268 | 989 | 1660 | 1393 | 747 |
| 2020 – 21 | 268 | 260 | 358 | 378 | 990 | 1364 | 1616 | 2002 | 361 |
| **कुल** | **550** | **488** | **936** | **895** | **2993** | **2735** | **4479** | **4118** | **361** |

यह देखा गया है कि 87.22 प्रतिशत प्रक्रियाओं के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। 12.78 प्रतिशत प्रक्रियाओं के संबंध में शिकायतें हैं। शिकायतों के मामले में शीर्श 10 प्रक्रियाओं में कुल शिकायतों का 58.64 प्रतिशत हिस्सा है, जबकि शेश में 41.36 प्रतिशत शिकायतें हैं।

यह देखा गया है कि 72.98 प्रतिशत आईपी के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, जिन्होंने कोई प्रक्रिया की है। केवल 27.02 प्रतिशत आईपी के संबंध में शिकायतें हैं। शिकायतों के मामले में शीर्श 10 आईपी में कुल शिकायतों का 59.34 प्रतिशत हिस्सा है, जबकि शेश में 40.66 प्रतिशत शिकायतें हैं। यह देखा गया है कि ज्यादातर शिकायतें सीडी के प्रवर्तकों और निदेशकों से प्राप्त होती हैं, जबकि अधिकांश शिकायतें घर खरीदारों से प्राप्त होती हैं।

## निरीक्षण और जांच

निरीक्षण और जांच कानून के लागू उपबंधों के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए मानक तंत्र के रूप में कार्य करते हैं। इस तरह के सत्यापन के आधार पर, यदि आवश्यक हो, उचित प्रवर्तन कार्रवाई शुरू की जाती है। चूंकि निरीक्षण और जांच में सेवा प्रदाताओं की स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है, इसके अलावा उन पर लागत भी लगाई जाती है और इस तरह के निरीक्षण और जांच के परिणाम एक प्रवर्तन कार्रवाई हो सकते हैं, धारा 196(1)(ड) के अधीन आवश्यक अनुचित प्रवर्तन कार्रवाइयों से बचाने के लिए संबंधित हितधारकों को निरीक्षण और जांच की पीड़ा को कम करने के लिए स्पष्ट शासन सिद्धांत होने चाहिए। आईबीबीआई (निरीक्षण और जांच) विनियमन, 2017 (निरीक्षण विनियमन) निरीक्षण और जांच की शुरूआत, आचरण और समाप्त करने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है।

ये विनियमन बोर्ड को शिकायत, परिवाद या किसी अन्य इनपुट से उत्पन्न निरीक्षण के अलावा, हर साल निश्चित संख्या में सेवा प्रदाताओं का निरीक्षण करने में सक्षम बनाता है। निरीक्षण करने के लिए, निर्दिश्ट उद्देश्यों के लिए सेवा प्रदाता के रिकॉर्ड का निरीक्षण करने के लिए निरीक्षण प्राधिकारी (आईए) की नियुक्ति के लिए आदेश जारी करने की जरूरत है। आदेश निरीक्षण के दायरे को इंगित करता है आईए की संरचना, निरीक्षण करने के लिए समय सीमाय निरीक्षण में प्रगति की रिपोर्टिंग निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना, आदि। बोर्ड और आईए निरीक्षण को गोपनीय रखने और निरीक्षण के अधीन सेवा प्रदाता के व्यवसाय पर कम से कम बोझ, या व्यवधान पैदा करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। निरीक्षण विनियमन जहां कहीं भी जारी किए गए एससीएन के निपटान सहित निरीक्षण के संचालन और निरीक्षण रिपोर्ट पर विचार करने का तरीका प्रदान करते हैं। आईपीए अपने सदस्यों द्वारा अनुपालन की निगरानी के लिए निरीक्षण भी करते हैं। बोर्ड और आईपीए द्वारा किए गए आईपी के निरीक्षण का विवरण सारणी 39 में प्रस्तुत किया गया है।

**सारणी 39 : बोर्ड और आईपीए द्वारा आयोजित आईपी का निरीक्षण (संख्या)**

| वर्ष | आईबीबीआई द्वारा निरीक्षण | | | | आईपीएज द्वारापूरे किए गए निरीक्षण | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | आरंभ में जारी | निरीक्षण आदेषित | निरीक्षण समाप्त | अंत में जारी | आईपीएआईसीएआई | आईसीएसआईपी | आईआईआईपीआई |
| 2016-17 | उ.न. | उ.न. | उ.न. | उ.न. | - | - | - |
| 2017-18 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | - | - |
| 2018-19 | 2 | 10 | 3 | 9 | - | - | - |
| 2019-20 | 9 | 55 | 27 | 37 | 8 | 5 | 5 |
| 2020-21 | 37 | 62 | 53 | 46 | 5 | 15 | 19 |
| **कुल** | **उ.न.** | **67** | **30** | **उ.न.** | **13** | **20** | **24** |

## आईबीबीआई द्वारा अभियोजन कार्रवाई

आईबीबीआई या केंद्र सरकार द्वारा दायर की गई शिकायत पर ही कोई न्यायालय संहिता के अधीन दंडनीय किसी भी अपराध का संज्ञान ले सकता है। मार्च 2021 तक 30 मामलों में अदालतों ने संज्ञान लिया था। वर्ष के दौरान, विशेश अदालतों ने आईबीबीआई द्वारा दायर शिकायतों के आधार पर अपराधों का संज्ञान लिया, जिसमें सारणी 40 में प्रस्तुत संहिता के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए कई व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की गई थी।

**सारणी 40 : आईबीबीआई द्वारा अभियोजन कार्रवाई**

| क्र. सं. | षिकायत विवरण | विषेष न्यायालय | उल्लंघन |
|---|---|---|---|
| 1 | आईबीबीआई बनाम रवि कांत गुप्ता और अन्य, सीसी/315/2020 | द्वारका | एल्पफ्लाई प्राइवेट लिमि.के पूर्व निदेशक। आईआरपी को सहयोग नहीं देने के लिए, जो संहिता की धारा 235क के साथ पठित धारा 68(i)(ख), 70(1)(क) और (ग), 72, 77(क) और धारा 19(1) का उल्लंघन है। |
| 2 | आईबीबीआई बनाम राजीव कौल और अन्य, सीसी/53/2020 | कोलकाता | निक्को कारपोरेशन लिमिटेड के पूर्व निदेशकों का असहयोग और सीडी की संपत्ति को परिसमापक को सौंपने से इनकार, जो कि संहिता की धारा 70(1)(ख) के साथ पठित धारा 19(1), और 34(3) की धाराओं का उल्लंघन है। |
| 3 | आईबीबीआई बनाम ओम प्रकाश और अन्य, कोमा/35/2020 | गुरुग्राम | मैसर्स महाबीर टेक्नो लिमिटेड के पूर्व निदेशक।की संपत्ति, पुस्तकों और सीडी के कागजात और असहयोग के लिए गैर–प्रकटीकरण जो कि संहिता की धाराओं 68 (i) (क) (ख) और ग) और 70 (प) (क) और (ग) का उल्लंघन है |
| 4 | आईबीबीआई बनाम विनय भदौरिया और अन्य, एससी/38/2021 | ग्वालियर | एनआईआईएल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व निदेशक। संपत्ति को छिपाने के लिए, लेनदारों को धोखा देने वाले लेनदेन और कदाचार, जो कि संहिता की धारा 235क के साथ पठित धारा 19(1), 68, 69, 70 और 74 का उल्लंघन है। |
| 5 | आईबीबीआई बनाम नितिन जयंतीलाल संदेसरा और अन्य, विशेश केस नंबर 46/2021 | पुणे | पीएमटी मशीन्स लिमिटेड के पूर्व निदेशक संदेसरा और अन्य। वैधानिक गैर–अनुपालन, लेनदारों को गलत बयानी और कदाचार के लिए, जो कि संहिता की धारा 235क 73 के साथ पठित धारा 19(1), 70 का उल्लंघन है। |
| 6 | आईबीबीआई बनाम सुधाकर हरिभाऊ मुले और अन्य, विशेश मामला /100031/2021 | मुंबई | फॉर्च्यून फार्मा प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व निदेशक और आरए. लिमिटेड समाधान योजना की शर्तों का पालन करने में विफलता के लिए, जो संहिता की धारा 235क के साथ पठित धारा 31(1) और 74(3) का उल्लंघन है। |
| 7 | आईबीबीआई बनाम स्वीटी अग्रवाल और अन्य, कोमा/30/2020 | गुरुग्राम | मारुति केसरी नंदन एग्रोफूड्स के पूर्व निदेशकों ने आईआरपी को सहयोग नहीं देने के लिए, जो संहिता की धारा 235क धारा के साथ पठित धारा 70(1)(क), (ख), (ग) और (ड्) और धारा 19(1) धारा का उल्लंघन है |
| 8 | आईबीबीआई बनाम विजयपाल गर्ग और अन्य, सीसी/370/2020 | द्वारका | मैसर्स जी इस्पात प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व निदेशक। आईआरपी को सहयोग नहीं देने और गैर–मौजूद देनदारों को उनके खातों में दिखाकर लेनदारों को झूठा प्रतिनिधित्व करने के लिए, जो कि संहिता की धारा 235क और धारा 19(1), 70, 73 और का उल्लंघन है। |
| 9 | आईबीबीआई बनाम फॉर्मेशन टेक्सटाइल्स एलएलसी और अन्य, विशेश केस/0100303/2021 | मुंबई | कपड़ा एलएलसी और अन्य के पूर्व निदेशक और आरए। मंधाना इंडस्ट्रीज लिमिटेड को समाधान योजना की शर्तों का पालन करने में विफलता के लिए, जो कि संहिता की धारा 235क के साथ पठित धारा 31(1) और 74(3) का उल्लंघन है |
| 10 | आईबीबीआई बनाम गगन शुक्ला और अन्य, सीसी/170/2020 | द्वारका | स्टार मिनरल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व निदेशक। आरपी को सहयोग नहीं देने के लिए, जो संहिता की धारा 235क के साथ पठित धारा 70(1)(क) और (ग) और धारा 19(1) का उल्लंघन है। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11 | आईबीबीआई बनाम उत्कर्श त्रिवेदी और अन्य, विशेश मामला/0100852/2020 | मुंबई | नियो कॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड के पूर्व निदेशकों ने आरपी को सहयोग नहीं देने के लिए, जो कि संहिता की धारा 235क के साथ पठित धारा 19(1) और 70(1)(क) और (ग) के उल्लंघन में है |
| 12 | आईबीबीआई बनाम सत्यनारायण मालू और अन्य, विशेश मामला/0100853/2020 | मुंबई | एसबीएम पेपर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व निदेशक। लिमिटेड लेनदारों के लिए गलत बयानी के लिए, जो संहिता की धारा 235क के साथ पठित धारा 73(क) और सीआईआरपी विनियमनों के विनियमन 30क का उल्लंघन है। |
| 13 | आईबीबीआई बनाम प्रकाश कुमार सिंह और अन्य, पीसीआर नंबर 66/2020 | बैंगलोर | सॉवरेन डेवलपर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व निदेशक संपत्ति को छुपाने और उल्लंघन में जानकारी प्रस्तुत नहीं करने के लिए संहिता की धारा 68, 70, 74 और 235ए के तहत |

## अर्ध-न्यायिक कार्य

कानून के नियम के लिए आवश्यक है कि व्यावसायिकों के वांछित आचरण को प्रेरित करने के लिए नियामक को कानून, नियम, विनियमन, या दायित्व के अनुपालन या अनुपालन को लागू करना चाहिए, यदि यह स्वेच्छा से नहीं किया जाता है। प्रवर्तन का एक प्रमुख तत्व व्यावसायिकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही है। कानून के निश्पक्ष और वस्तुपरक प्रवर्तन के हित में, एक तथ्य–खोज प्रक्रिया के निश्कर्षों के आधार पर एससीएन जारी करने के साथ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू होती है। एससीएन नोटिस प्राप्त करने वाले द्वारा किसी भी कथित उल्लंघन का विवरण बताता है और उन उपायों या निदेश को बताता है जो नियामक को लेने या जारी करने का इरादा रखता है यदि आरोप स्थापित किए जाते हैं ताकि नोटिसी पर्याप्त रूप से प्रतिक्रिया दे सके। निरीक्षण के निश्कर्षों या अन्यथा उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आईबीबीआई और आईपीए अड़ियल सेवा प्रदाताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करते हैं। 2020–21 के दौरान आईपी के खिलाफ उनके द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई का विवरण सारणी 41 में प्रस्तुत किया गया है।

**सारणी 41 : आईपी के विरूद् कारण बताओ नोटिस जारी करना और उनका निपटान करना**

*(संख्या)*

| वर्ष | आईबीबीआई द्वारा कारण बाताओ नोटिस | | | | आईपीए द्वारा निपटाए गए कारण बताओ नोटिस | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | आरम्भ में जारी | जारी की गई | निपटाई गई | अंत में जारी | आईपीए आईसीएआई | आईसीएसआई आईआईपी | आईआईआईपीआई |
| 2016-17 | उ.न. | उ.न. | उ.न. | उ.न. | - | - | - |
| 2017-18 | 0 | 4 | 0 | 4 | - | - | - |
| 2018-19 | 4 | 9 | 11 | 2 | 2 | 1 | - |
| 2019-20 | 2 | 14 | 7 | 9 | - | 3 | 5 |
| 2020-21 | 9 | 50 | 48 | 11 | 8 | 20 | 14 |
| **कुल** | **उ.न.** | **77** | **66** | **11** | **10** | **24** | **19** |

एक अनुशासनात्मक कार्यवाही नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के हित में, अपने बचाव के लिए नोटिस देने वाले को सुनवाई का एक उचित और प्रभावी अवसर प्रदान करती है और एक तर्कपूर्ण आदेश द्वारा एससीएन का निपटान करती है। संहिता डीसी को एससीएन का निपटान करने और मौद्रिक जुर्माना लगाने, या रजिस्ट्रीकरण को निलंबित या रद्द करने का प्रावधान करता है, जैसा कि वारंट किया जा सकता है। डीसी ने 2020–21 के दौरान 48 अनुशासनात्मक कार्यवाही पूरी की और आदेश जारी किए। इन कार्यवाहियों का विवरण सारणी 42 में प्रस्तुत किया गया है।

**सारणी 42 : 2020-21 में अनशासनात्मक कार्यवाही का समापन**

| क्र. सं. | आदेश की तारीख | आईपी का नाम | लगाया गया जुर्माना |
|---|---|---|---|
| 1 | 20.04.20 | श्री कोटेश्वर राव कारुचोला | 1 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना। |
| 2 | 21.04.20 | श्री भूपेश गुप्ता | 31,09,000/– रुपये की राशि जमा करने का निर्देश सीडी के परिसमापन संपदा में परिसमापन विनियमनों के विनियमन 4(3) के उपबंधों के अनुसार परिसमापक शुल्क का दावा करने की स्वतंत्रता के साथ। |
| 3 | 27.04.20 | श्री अश्विनी मेहरा | छह माह के लिए निबंधन का निलंबन एवं सीओसी से एक लाख रुपये की प्रतिपूर्ति प्राप्त करने का निर्देश। 73,87,642/–रुपये और. 50,74,000/– रुपये, जो आईआरपीसी को प्रभारित किया गया। |
| 4 | 30.05.20 | श्री एम.एल. जैन | 34,22,500/–रुपये का मौद्रिक जुर्माना, आदेश जारी होने के 45 दिनों के भीतर जमा करना होगा। |
| 5 | 02.06.20 | श्री कंवल चौधरी: | तीन महीने की अवधि के लिए संहिता के अधीन किसी भी प्रक्रिया या असाइनमेंट की तलाश नहीं करेगा या स्वीकार नहीं करेगा या कोई सेवा प्रदान नहीं करेगा। |
| 6 | 08.06.20 | श्री विजय कुमार गर्ग | उसे प्राप्त होने वाले आईपी शुल्क का 25% मौद्रिक दंड लगाया गया है। डी एंड पी को विशेशज्ञ समिति द्वारा निर्धारित उचित शुल्क से अधिक राशि का भुगतान नहीं किया जाता है। आईपी पूर्व–रजिस्ट्रीकरण शैक्षिक पाठ्यक्रम से गुजरेगा और सीमित दिवाला परीक्षा फिर से उत्तीर्ण करेगा। |
| 7 | 24.08.20 | श्री रजनीश सिंघवी | तीन महीने की अवधि के लिए संहिता के अधीन किसी भी प्रक्रिया या असाइनमेंट की तलाश नहीं करेगा या स्वीकार नहीं करेगा या कोई सेवा प्रदान नहीं करेगा। |
| 8 | 04.09.20 | श्री अविषेक गुप्ता | दो महीने की अवधि के लिए संहिता के अधीन किसी भी प्रक्रिया या असाइनमेंट की तलाश नहीं करेगा या स्वीकार नहीं करेगा या कोई सेवा प्रदान नहीं करेगा। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9 | 11.09.20 | श्री रवि शर्मा | कोई निदेश नहीं। |
| 10 | 18.09.20 | श्री दिनेश सूद | तीन महीने की अवधि के लिए संहिता के अधीन किसी भी प्रक्रिया या असाइनमेंट की तलाश नहीं करेगा या स्वीकार नहीं करेगा या कोई सेवा प्रदान नहीं करेगा। |
| 11 | 01.10.20 | श्री अरुण राजा भाऊ जोशी | कोई निदेश नहीं। |
| 12 | 12.10.20 | श्री प्रणव कुमार | कोई निदेश नहीं। |
| 13 | 13.10.20 | श्री अजय कुमार | कोई निदेश नहीं। |
| 14 | 15.10.20 | श्री किशन गोपालसोमानी | कोई निदेश नहीं। |
| 15 | 29.10.20 | श्री दुश्यंत सी. दवे | चेतावनी। |
| 16 | 29.10.20 | श्री सुंदरेश भाटी | इस प्रक्रिया में उसे प्राप्त शुल्क के 25% के बराबर जुर्माना। |
| 17 | 06.11.20 | श्री मनमोहन झावर | छह महीने की अवधि के लिए संहिता के अधीन किसी भी प्रक्रिया या असाइनमेंट की तलाश नहीं करेगा या स्वीकार नहीं करेगा या कोई सेवा प्रदान नहीं करेगा। |
| 18 | 06.11.20 | श्री एस राधा कृश्ण | कोई निदेश नहीं। |
| 19 | 09.11.20 | श्री प्रीतपाल सिंह दुआ | कोई निदेश नहीं। |
| 20 | 11.11.20 | श्री विनोद कुमार कोठारी | कोई निदेश नहीं। |
| 21 | 13.11.20 | श्री कमलेश कुमार सिंघानिया | अपने आईपीए से पूर्व–रजिस्ट्रीकरण शैक्षिक पाठ्यक्रम से गुजरना होगा। |
| 22 | 13.11.20 | श्री एस. राजगोपाली | कोई निदेश नहीं। |
| 23 | 19.11.20 | श्री कमल गर्ग | कोई निदेश नहीं। |
| 24 | 24.11.20 | श्री नितेश कुमार सिन्हा | कोई निदेश नहीं। |
| 25 | 01.12.20 | श्री अरुण मोहन | जब तक वह आरोपों से बरी नहीं हो जाता, संहिता के अधीन किसी भी क्षमता में किसी भी प्रक्रिया या असाइनमेंट की तलाश नहीं करेगा या स्वीकार नहीं करेगा। |
| 26 | 01.12.20 | श्री संजय कुमार अग्रवाल | जब तक वह आरोपों से बरी नहीं हो जाता, संहिता के अधीन किसी भी क्षमता में किसी भी प्रक्रिया या असाइनमेंट की तलाश नहीं करेगा या स्वीकार नहीं करेगा। |
| 27 | 01.12.20 | श्री अजय गुप्ता | छह महीने की अवधि के लिए संहिता के अधीन किसी भी प्रक्रिया या असाइनमेंट की तलाश नहीं करेगा या स्वीकार नहीं करेगा या कोई सेवा प्रदान नहीं करेगा। |
| 28 | 04.12.20 | श्री पिनाकी सरकार | कोई निदेश नहीं। |
| 29 | 04.12.20 | श्री सतिंदर कपूर | कोई निदेश नहीं। |
| 30 | 04.12.20 | श्री बालकनाथ भट्टाचार्य | छह महीने की अवधि के लिए संहिता के अधीन किसी भी प्रक्रिया या असाइनमेंट की तलाश नहीं करेगा या स्वीकार नहीं करेगा या कोई सेवा प्रदान नहीं करेगा। |
| 31 | 07.12.20 | श्री सर्वेश कश्यप | कोई निदेश नहीं। |
| 32 | 08.12.20 | श्री रोमेशचंदर साहनी | कोई निदेश नहीं। |
| 33 | 14.12.20 | श्री संजीव भूषण देवड़ा | कोई निदेश नहीं। |
| 34 | 14.12.20 | श्री अजय गुलाटी | कोई निदेश नहीं। |
| 35 | 14.12.20 | श्री सत्य नारायण गुद्देटी | कोई निदेश नहीं। |
| 36 | 15.12.20 | श्री राजेश सैमसन | कोई निदेश नहीं। |
| 37 | 15.12.20 | श्री अभय नारायण मनुधाने | कोई निदेश नहीं। |
| 38 | 16.12.20 | श्री मनोज कुमार जैन | कोई निदेश नहीं। |
| 39 | 17.12.20 | सुश्री सोनू जैनी | चेतावनी। |
| 40 | 17.12.20 | श्री वेंकट शिवकुमार | कोई निदेश नहीं। |
| 41 | 01.01.21 | श्री अनिल गोयल | कोई निदेश नहीं |
| 42 | 05.01.21 | श्री ए. अरुमुगामी | दो महीने की अवधि के लिए संहिता के अधीन किसी भी नए असाइनमेंट को स्वीकार नहीं करेंगे। |
| 43 | 07.01.21 | श्री केदारराम रामरतन लद्दा | कोई निदेश नहीं |
| 44 | 11.01.21 | श्री गिरीश सिरीराम जुनेजा | कोई निदेश नहीं |
| 45 | 11.01.21 | श्री यू. बालकृश्ण भाटी | कोई निदेश नहीं |
| 46 | 02.02.21 | श्री विजयकुमार वी. अय्यर | कोई निदेश नहीं |
| 47 | 05.03.21 | श्री वेंकटेशन | तीन महीने की अवधि के लिए संहिता के अधीन किसी भी प्रक्रिया या असाइनमेंट की तलाश नहीं करेगा या स्वीकार नहीं करेगा या कोई सेवा प्रदान नहीं करेगा। |
| 48 | 15.03.21 | श्री किरण चिनुभाई शाह | दो महीने की अवधि के लिए संहिता के अधीन किसी भी प्रक्रिया या असाइनमेंट की तलाश नहीं करेगा या स्वीकार नहीं करेगा या कोई सेवा प्रदान नहीं करेगा। |

ड.

# परिणामों का विश्लेषण

इस खंड में आरपी द्वारा प्रदान किए गए डेटा का उपयोग करते हुए, दिवाला कार्यवाही के परिणामों के आधार पर 2020–21 के दौरान परिणाम प्रस्तुत किए गए हैं। इसमें उभरते हुए न्यायशास्त्र का सारांश भी प्रस्तुत है। संहिता के अन्य परिणामों को इस रिपोर्ट के अन्य खंडों में दर्ज किया गया है।

## कारपोरेट दिवाला समाधान

वर्श के दौरान दिवाला सुधारों में कई मील के पत्थर प्राप्त किए गए, जिससे तनावग्रस्त आस्तियों के समाधान को एक उच्च प्रक्षेपवक्र में अग्रेषित करने में सफलता मिली। सरकार के तीन अंगों, नियामक और हितधारकों की सोच और प्रयासों के संगम ने कोविड–19 महामारी के प्रकोप के मद्देनजर संहिता के कार्यान्वयन के रास्ते में आने वाली कई कठिनाइयों को तेजी से पार करने में मदद की। 25 मार्च, 2020 को या उसके बाद एक वर्श की अवधि के लिए उत्पन्न होने वाले किसी भी व्यतिक्रम के लिए धारा 7, 9 और 10 के अधीन सीआईआरपी की शुरुआत को निलंबित करने के लिए संहिता में संशोधन किया गया था। व्यवसायों, विशेष रूप से उएमएसएमई को कोविड–19 प्रेरित वित्तीय तनाव के कारण दिवालियेपन में धकेलने से रोकने के लिए संहिता के अधीन सीआईआरपी की शुरुआत के लिए व्यतिक्रम की न्यूनतम सीमा रुपये 01 लाख से रु. 01 करोड़ बढ़ा दी गई थी। जबकि धारा 7, 9 और 10 के अधीन नए सीआईआरपी की शुरुआत के संबंध में संहिता एक वर्ष के लिए स्थगित थी, संशोधन ने उन आवेदनों को निलंबित नहीं किया जो पहले से ही सीआईआरपी या लंबित प्रवेश के लिए एए के साथ फाइल किए गए थे, और चल रहे सीआईआरपी, जिनमें स्वैच्छिक परिसमापन शामिल हैं। इसके अलावा, संशोधन ने पीजी और एफआईएसपी के मामले में चल रही दिवाला कार्यवाही से संबंधित प्रावधानों को निलंबित नहीं किया। इस पृष्ठभूमि में, इस खंड में मार्च, 2021 के अंत तक सीआईआरपी के परिणामों को प्रस्तुत किया गया है।

## दिवाला समाधान

सीआईआरपी बाजार को समाधान योजना के माध्यम से तनाव को हल करने का पहला प्रयास करने में सक्षम बनाती है जिससे सीडी बच जाती है। जब बाजार यह निश्कर्ष निकालता है कि सीडी को बचाने के लिए कोई व्यवहार्य और कारगर समाधान योजना नहीं है या बचाव की तुलना में परिसमापन से मूल्य को अधिकतम किया जा सकता है, तो सीडी परिसमापन के लिए आगे बढ़ता है। इस प्रकार, संहिता तनाव के समाधान के दो तरीकों को सक्षम बनाती है, पहला समाधान योजना द्वारा और इसके असफल रहने पर, परिसमापन द्वारा।

01 दिसंबर, 2016 से सीआईआरपी के प्रावधानों के लागू होने के बाद से, 4376 सीआईआरपी मार्च, 2021 के अंत तक शुरू हो गए हैं, जैसा कि सारणी 43 में प्रस्तुत किया गया है। इनमें से 617 अपील या समीक्षा या निपटान पर बंद कर दिए गए हैं; 411 को वापस ले लिया गया है; 1277 परिसमापन में समाप्त हो गया है और 348 समाधान योजनाओं के अनुमोदन में समाप्त हो गया है। सीडी के वर्ष के दौरान सीआईआरपी में माहवार प्रवेश चित्र 4 में प्रस्तुत किया गया है।

**सारणी 43 : 31 मार्च, 2021 तक कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया**

*(संख्या)*

| तिमाही | तिमाही के शुरूआत में सीआईआरपी | दाखिल की गई | द्वारा समापन | | | | तिमाही के अंत में सीआईआरपी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | अपील/समीक्षा/ निपटाई गई | धारा 12 के अधीन वापसी | समाधान योजना का अनुमोदन | परिसमापन की षुरूआत | |
| 2016-17 | 0 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2017-18 | 36 | 706 | 94 | 0 | 20 | 91 | 537 |
| 2018-19 | 537 | 1156 | 149 | 97 | 79 | 305 | 1063 |
| 2019-20 | 1063 | 1978 | 319 | 201 | 141 | 542 | 1838 |
| अप्रैल–जून, 2020 | 1838 | 84 | 13 | 27 | 20 | 26 | 1836 |
| जुलाई–सितंबर, 2020 | 1836 | 96 | 25 | 35 | 35 | 81 | 1756 |
| अक्तुबर–दिसंबर, 2020 | 1756 | 107 | 8 | 30 | 24 | 83 | 1718 |
| जनवरी–मार्च, 2021 | 1718 | 212 | 8 | 21 | 29 | 149 | 1723 |
| **कुल** | **उ.न.** | **4376** | **617** | **411** | **348** | **1277** | **1723** |

*स्रोत : एनसीएटी की वेबसाइट से संकलित और आईपी की ओर से फाईलिंग*

**चित्र 4 : सीआईआरपी में सीडी का माहवार प्रवेश**

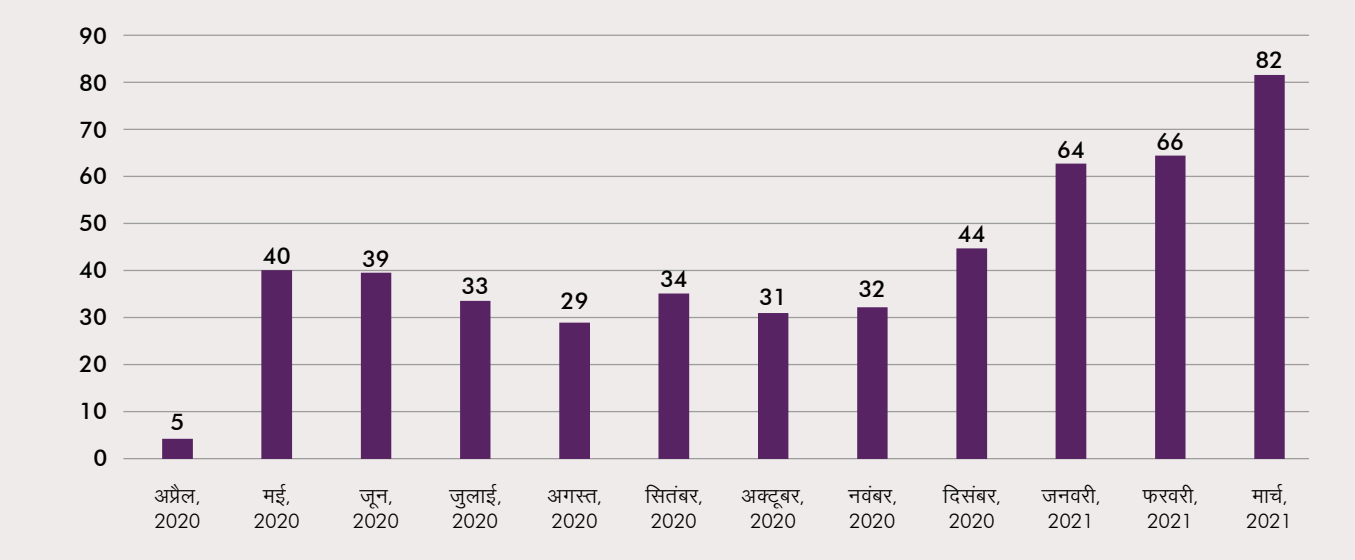


31 मार्च, 2021 को स्वीकृत सीआईआरपी का वितरण, एए की पीठ के अधिकार क्षेत्र के अनुसार, सारणी 44 में दर्शाया गया है। नई दिल्ली पीठ द्वारा अधिकतम 1046 सीआईआरपी को स्वीकार किया गया है, इसके बाद मुंबई पीठ द्वारा 988 और कोलकाता पीठ द्वारा 482 को स्वीकार किया गया है।

**सारणी 44 : 31 मार्च, 2021 तक सीआईआरपी का पीठवार प्रवेश और समाप्ति**

| क्र. सं. | एनसीएटी की पीठें | सीआईआरपी की संख्या | | |
|---|---|---|---|---|
| | | दाखिल की गई | समाप्त की गई # | जारी |
| 1 | अहमदाबाद | 430 | 244 | 186 |
| 2 | इलाहाबाद | 103 | 58 | 45 |
| 3 | अमरावती | 24 | 6 | 18 |
| 4 | बेंगलुरु | 163 | 120 | 43 |
| 5 | चंडीगढ़ | 190 | 121 | 69 |
| 6 | चेन्नई | 479 | 339 | 140 |
| 7 | कटक | 28 | 13 | 15 |
| 8 | गुवाहाटी | 26 | 16 | 10 |
| 9 | हैदराबाद | 301 | 178 | 123 |
| 10 | इंदौर | 16 | 1 | 15 |
| 11 | जयपुर | 62 | 39 | 23 |
| 12 | कोच्चि | 38 | 18 | 20 |
| 13 | कोलकाता | 482 | 317 | 165 |
| 14 | मुंबई | 988 | 530 | 458 |
| 15 | नई दिल्ली | 1046 | 653 | 393 |
| **कुल** | | **4376** | **2653** | **1723** |

*# 31 मार्च, 2021 तक धारा 12क के अधीन अपील/समीक्षा/निपटान, निकासी, समाधान योजना की स्वीकृति और परिसमापन की शुरुआत पर समाप्त।*

हितधारकों का वितरण, जिन्होंने समाधान प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया, सारणी 45 में प्रस्तुत है। 50.84 प्रतिशत सीआईआरपी ओसी द्वारा उत्प्रेरित की गई, इसके बाद लगभग 42.85 प्रतिशत एफसी द्वारा और शेश सीडी द्वारा उत्प्रेरित की गई। प्रारंभ में, सीडी प्रमुख उपयोगकर्ता थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि सीआईआरपी लेनदारों के लिए हेयरकट प्रदान करेगा, जबकि नियंत्रण और प्रबंधन अपरिवर्तित रहेगा। यह धारणा धारा 29क, जिसे नवंबर, 2017 में पेश किया गया था, के आने साथ बदल गई। सीआईआरपी का विश्वसनीय खतरा जो सीडी के नियंत्रण और प्रबंधन को मौजूदा प्रवर्तकों और प्रबंधकों शायद, हमेशा के लिए, दूर अंतरित कर सकता है, सीडी को सीआईआरपी के लिए आवेदन दाखिल करने से रोकता है। इस संशोधन के बाद सीडी द्वारा आवेदनों की संख्या में तेजी से कमी आई है। मई, 2017 में बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2017 के आने के बाद एफसी द्वारा आवेदनों में वृद्धि दर्ज की गई, इस अध्यादेश ने आरबीआई को बैंकों को निदेश देने का अधिकार दिया कि सीडी द्वारा व्यतिक्रम के मामले में सीआईआरपी के लिए आवेदन दाखिल किए जाएं। फरवरी, 2018 में इसे और बढ़ावा मिला जब आरबीआई ने तनावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए सभी मौजूदा निदेशों को सामंजस्यपूर्ण और सरलीकृत जेनेरिक फ्रेमवर्क के साथ प्रतिस्थापित किया।

**सारणी 45 : कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया की शुरूआत**

| तिमाही | द्वारा आरम्भ की गई सीआईआरपी | | | |
|---|---|---|---|---|
| | प्रचालक लेनदार | वित्तीय लेनदार | कोरपोरेट देनदार | कुल |
| 2016-17 | 7 | 8 | 22 | 37 |
| 2017-18 | 310 | 285 | 111 | 706 |
| 2018-19 | 570 | 515 | 71 | 1156 |
| 2019-20 | 1048 | 879 | 51 | 1978 |
| अप्रैल–जून, 2020 | 53 | 26 | 5 | 84 |
| जुलाई–सितंबर, 2020 | 61 | 31 | 4 | 96 |
| अक्तुबर–दिसंबर, 2020 | 58 | 45 | 4 | 107 |
| जनवरी–मार्च, 2021 | 118 | 86 | 8 | 212 |
| **कुल** | **2225** | **1875** | **276** | **4376** |

सीआईआरपी में शामिल सीडी का क्षेत्र–वार वितरण सारणी 46 में प्रस्तुत किया गया है। सीआईआरपी की सबसे बड़ी संख्या निर्माण क्षेत्र में शुरू की गई है, दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र भू–सम्पदा, किरायेदारी और व्यावसायिक गतिविधियों का क्षेत्र है, जो और तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्र खुदरा व्यापार क्षेत्र और उसके बाद निर्माण क्षेत्र का स्थान है। सीआईआरपी की स्थिति सारणी 47 में प्रस्तुत की गई है।

**सारणी 46 : 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार सीआईआरपी के अधीन सीडीज का क्षेत्र-वार वितरण**

| क्षेत्र | सीआईआरपी की संख्या | | |
|---|---|---|---|
| | बंद की गई | जारी | कुल |
| **उत्पादन** | 1124 | 660 | 1784 |
| खाद्य, पेय पदार्थ और तंबाकू उत्पाद | 138 | 90 | 228 |
| रसायन और रासायनिक उत्पाद | 119 | 56 | 175 |
| विद्युत मशीनरी और उपकरण | 82 | 54 | 136 |
| गढ़े धातु उत्पाद | 65 | 32 | 97 |
| मशीनरी उपकरण | 127 | 71 | 198 |
| कपड़ा, चमड़ा और परिधान उत्पाद | 202 | 102 | 304 |
| लकड़ी, रबड़, प्लास्टिक और कागज उत्पाद | 128 | 86 | 214 |
| मूल धातु | 185 | 123 | 308 |
| अन्य | 78 | 46 | 124 |
| **भू-सम्पदा, किराएदारी और व्यावसायिक गतिविधियाँ** | 519 | 343 | 862 |
| भू–सम्पदा गतिविधियां | 95 | 110 | 205 |
| कंप्यूटर और संबंधित गतिविधियां | 77 | 50 | 127 |
| अनुसंधान और विकास | 3 | 2 | 5 |
| अन्य व्यावसायिक गतिविधियाँ | 344 | 181 | 525 |
| **निर्माण** | 262 | 196 | 458 |
| **थोक और खुदरा व्यापार** | 267 | 175 | 442 |
| **होटल और रेस्टोरेंट** | 65 | 34 | 99 |
| **बिजली और अन्य** | 64 | 70 | 134 |
| **परिवहन, भंडारण और संचार** | 83 | 49 | 132 |
| **अन्य** | 269 | 196 | 465 |
| **कुल** | **2653** | **1723** | **4376** |

*नोट : वितरण राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एनआईसी 2004) के अनुसार और सीडी के सीआईएन आधारित है।*

**सारणी 47 : 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार सीआईआरपी की स्थिति**

| सीआईआरपी की स्थिति | सीआईआरपी की संख्या |
|---|---|
| दाखिल की गई | 4376 |
| अपील / समीक्षा / निपटान पर बंद | 617 |
| धारा 12क के अधीन निकासी द्वारा बंद | 411 |
| समाधान द्वारा बंद | 348 |
| परिसमापन द्वारा बंद | 1277 |
| जारी | 1723 |
| > 270 दिन | 1358 |
| > 180 दिन ≤ 270 दिन | 67 |
| > 90 दिन ≤ 180 दिन | 88 |
| ≤ 90 दिन | 210 |

नोट 1. लंबित दिनों की संख्या प्रवेश की तारीख से है।
2. लंबित दिनों की संख्या में ट्रिब्यूनल द्वारा निश्कासित समय शामिल है।

मार्च, 2021 तक, संहिता की धारा 12क के अधीन कुल 411 सीआईआरपी वापस ले लिए गए हैं। इन सीआईआरपी में दावों और निकासी के कारणों का वितरण सारणी 48 में प्रस्तुत है।

**सारणी 48 : 31 मार्च, 2021 तक वापसी द्वारा सीआईआरपी का समापन**

| दाखिल किए गए दावों की राशि (राशि करोड़ रूपए में) | सीआईआरपी की संख्या |
|---|---|
| ≤ 01 | 197 |
| > 01 ≤ 10 | 104 |
| > 10 ≤ 50 | 70 |
| > 50 ≤ 100 | 15 |
| > 100 ≤ 1000 | 19 |
| > 1000 | 6 |
| **निकासी के कारण** | |
| आवेदक के साथ पूर्ण समझौता | 153 |
| अन्य लेनदारों के साथ पूर्ण निपटान | 34 |
| भविश्य में समझौता करने की सहमति | 25 |
| लेनदारों के साथ अन्य निपटान | 89 |
| अन्य | 110 |
| **कुल** | **411** |

लगभग 48.13 प्रतिशत सीआईआरपी, जो बंद हो गई थीं में परिसमापन के लिए आदेश प्राप्त हुए, जबकि 13.12 प्रतिशत समाधान योजना के साथ समाप्त हुईं। हालांकि, परिसमापन में समाप्त होने वाली सीआईआरपी की 74.08 प्रतिशत पहले बीआईएफआर औरध्या निष्क्रिय थीं। इनमें से अधिकांश सीडी का आर्थिक मूल्य सीआईआरपी में प्रवेश करने से पहले ही समाप्त हो गया था। इन सीडी की आस्ति, औसतन, बकाया ऋण राशि के 7.5 प्रतिशत से कम थी।

जैसा कि पिछली वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया था, मार्च, 2020 तक 240 सीआईआरपी मैं समाधान योजनाएँ प्राप्त हो चुकी थीं। सारणी 49 के अनुसार 2020–21 के दौरान, 108 सीआईआरपी में प्रस्तुत परिसमापन मूल्य की तुलना में विभिन्न डिग्री की प्राप्ति के साथ समाधान योजनाएं प्राप्त कीं। 2020–21 के दौरान, परिसमापन मूल्य की तुलना में समाधान योजनाओं के अधीन एफसी द्वारा परिसमापन मूल्य 149.20 प्रतिशत है। मार्च, 2021 तक, एफसी द्वारा परिसमापन मूल्य की तुलना में समाधान योजनाओं के अधीन वसूली योग्य मूल्य 179.88 प्रतिशत है, जबकि उनके दावों की तुलना में उनके द्वारा वसूली 39.26 प्रतिशत है।

**सारणी 49 : 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार समाधान योजना में परिणित सीआईआरपी**

*(राशि करोड़ रुपये में)*

| तिमाही | सीडीज की संख्या | एफसी के दाखिल किए गए दावे | परिसमापन मूल्य | एफसी द्वारा वसूली योग्य राशि | एफसी द्वारा : के रूप में वसूली | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | दाखिल किए गए दावे | परिसमापन मूल्य |
| 2016-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | उ.न. | उ.न. |
| 2017-18 | 20 | 8263.89 | 2076.35 | 4199.23 | 50.81% | 202.24% |
| 2018-19 | 79 | 194809.50 | 48126.63 | 107426.59 | 55.14% | 223.22% |
| 2019-20 | 141 | 183972.30 | 45014.10 | 64992.12 | 35.33% | 144.38% |
| अप्रैल–जून, 2020 | 20 | 29840.18 | 4715.55 | 9119.31 | 30.56% | 193.39% |
| जुलाई–सितंबर, 2020 | 35 | 19945.29 | 2878.94 | 4114.68 | 20.63% | 142.92% |
| अक्तुबर–दिसंबर, 2020 | 24 | 61826.06 | 6328.09 | 8173.16 | 13.22% | 129.16% |
| जनवरी–मार्च, 2021 | 29 | 17389.73 | 3504.00 | 4592.71 | 26.41% | 131.07% |
| **कुल** | **348** | **516046.95** | **112643.66** | **202617.80** | **39.26%** | **179.88%** |

*टिप्पणी : आईपी द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर*

31 मार्च, 2021 को शुरू किए गए हितधारक–वार सीआईआरपी के परिणाम सारणी 50 में प्रस्तुत किए गए हैं। ओसी द्वारा शुरू किए गए सीआईआरपी के लगभग 32.85 प्रतिशत अपील, समीक्षा या वापसी पर समाप्त किए गए थे। अपील, समीक्षा या वापसी के साथ समाप्त होने वाली प्रक्रियाएं सभी समापनों का लगभग 71.11 प्रतिशत इस तरह के समापन के लिए जिम्मेदार है। अपेक्षाकृत, एफसी द्वारा शुरू किए गए सीआईआरपी का एक उच्च प्रतिशत समाधान योजनाएं प्रदान कर रहा है। लगभग 54.89 प्रतिशत सीआईआरपी जिनमें समाधान हुआ था, एफसी द्वारा शुरू किए गए थे, जबकि लगभग 44.87 प्रतिशत सीआईआरपी जिनका परिसमापन हुआ था, ओसी द्वारा शुरू किए गए थे।

**सारणी 50 : 31 मार्च, 2021की स्थिति के अनुसार हितधारक-वार शुरू की गई सीआईआरपी के परिणाम**

| परिणाम | विवरण | इकाई | द्वारा शुरू की गई सीआईआरपी | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | वित्तीय लेनदार | प्रचालक लेनदार | कारपोरेट देनदार | कुल |
| **सीआईआरपी की स्थिति** | अपील/समीक्षा/निपटान के साथ समापन | नहीं | 164 | 447 | 6 | 617 |
| | धारा 12क के अधीन निकासी द्वारा बंद करना | नहीं | 120 | 284 | 7 | 411 |
| | समाधान योजनाओं के अनुमोदन से बंद | नहीं | 191 | 116 | 41 | 348 |
| | परिसमापन की शुरुआत के साथ समाप्ति | नहीं | 548 | 573 | 156 | 1277 |
| | जारी | नहीं | 852 | 805 | 66 | 1723 |
| | **कुल** | **नहीं** | **1875** | **2225** | **276** | **4376** |
| **समाधान योजना में परिणित सीआईआरपी** | परिसमापन मूल्य | करोड़ रु. | 94709.8 | 10846.5 | 7087.4 | 112643.7 |
| | स्वीकृत दावों की राशि | करोड़ रु. | 438362.7 | 81997.6 | 56608.8 | 576969.1 |
| | दावों के % के रूप में परिसमापन मूल्य | % | 21.6 | 13.2 | 12.5 | 19.5 |
| | दावों के %: के रूप में लेनदारों द्वारा वसूली | % | 42.8 | 16.2 | 18.5 | 36.6 |
| | परिसमापन मूल्य के % के रूप में लेनदारों द्वारा वसूली | % | 197.9 | 122.7 | 147.5 | 187.5 |
| | एफसी द्वारा परिसमापन मूल्य के % के रूप में वसूली | % | 191.6 | 113.8 | 143.0 | 181.2 |
| | एफसी द्वारा उनके दावों के % के रूप में वसूली | % | 45.3 | 16.5 | 25.3 | 39.6 |
| | सीआईआरपी समाप्त होने में लगने वाला औसत समय | दिनों की संख्या | 463 | 458 | 439 | 459 |
| **परिसमापन में परिणित सीआईआरपी** | परिसमापन मूल्य | करोड़ रु. | 31735.8 | 11004.0 | 5594.6 | 48334.4 |
| | स्वीकृत दावों की राशि | करोड़ रु. | 470854.4 | 123118.0 | 56338.1 | 650310.5 |
| | दावों के % के रूप में परिसमापन मूल्य | % | 6.8 | 8.9 | 9.9 | 7 |
| | सीआईआरपी समाप्त होने में लगने वाला औसत समय | दिनों की संख्या | 366 | 344 | 324 | 351 |

## परिहार लेनदेन

संहिता परिहार लेनदेन को पूर्ववत करने में सक्षम बनाती है और इस तरह ऐसे लेनदेन के माध्यम से खोए हुए मूल्य को वापस लेती है। यदि लेन–देन पूर्ववत किया जाता है और खोए हुए मूल्य को पुनः प्राप्त किया जाता है, तो लेनदारों को कमजोर लेनदेन के साथ–साथ मौजूदा आस्तियों से मूल्य की वसूली होती है। जितना अधिक मूल्य लेनदार तनाव में कारपोरेट से वसूल कर सकते हैं, एक समाधान योजना द्वारा तनाव के समाधान की संभावना उतनी ही अधिक होती है, जो भारत में दिवाला कानून का प्राथमिक उद्देश्य है। इसके अलावा, संहिता को ऐसे लेनदेन के लाभार्थी को मूल्य को अलग करने की आवश्यकता होती है, और इस तरह कमजोर लेनदेन में लिप्त होने के लिए प्रोत्साहन को हटा देता है। चूंकि इस तरह के लेन–देन को कुछ परिस्थितियों में आपराधिक माना जाता है, खासकर जब यह कपटपूर्ण होता है, यह संभावित धोखेबाज को हतोत्साहित करता है। इस तरह के प्रोत्साहन और हतोत्साहन से यह सुनिश्चित होने की संभावना है कि कोई असुरक्षित लेनदेन न हो। ऐसे मामले में, मूल्य कंपनी के पास रहता है और इसके परिणामस्वरूप, कंपनी के तनाव में आने की संभावना कम होती है। इस अर्थ में, संहिता तनाव को रोकती है।

संहिता की धारा 66(2), गोधूलि क्षेत्र के दौरान उत्पन्न होने वाले लेनदारों को होने वाले नुकसान के लिए निदेशकों को उत्तरदायी बनाती है। गोधूलि क्षेत्र उस समय से शुरू होता है जब एक निदेशक जानता था या पता होना चाहिए था कि जब तक कंपनी समाधान प्रक्रिया में प्रवेश नहीं करती है, तब तक समाधान प्रक्रिया शुरू होने से बचने की कोई उचित संभावना नहीं है। इस अवधि के दौरान, निदेशक के पास लेनदारों के संभावित नुकसान को कम करने के लिए उचित परिश्रम करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी होती है और वह इस तरह के नुकसान को पूरा करने के लिए उत्तरदायी है। यह कॉरपोरेट के साथ–साथ उसके प्रवर्तकों और प्रबंधकों को तनाव के शुरुआती दिनों में समाधान की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करता है जब समाधान की संभावना अधिक होती है। आम तौर पर, जब एक परिहार लेनदेन से बचा जाता है, तो अंतर्निहित आस्ति लाभार्थी से सीडी में वापस आ जाती है। धारा 66(2), हालांकि, लेन–देन करने वाले निदेशक के विरुद्ध कार्रवाई प्रदान करती है, न कि लाभार्थी के विरुद्ध। इस उपबंध का बहुत कम इस्तेमाल किया गया है। यदि उपयोग किया जाता है, तो यह प्रवेश का विरोध करने पर प्रवर्तकों को किसी प्रकार के प्रोत्साहन से वंचित कर देगा, प्रवेश को गति प्रदान करेगा और समाधान की संभावना अधिक होने पर समाधान प्रक्रिया शुरू करने में सक्षम होगा।

कमजोर लेनदेन से लाभ को देखते हुए, कानून एए को ऐसे किसी भी लेनदेन को पूर्ववत करने का अधिकार देता है। यह इन लेनदेनों को आईपी के आवेदन के आधार पर, या तो आरपी के रूप में या परिसमापक के रूप में पूर्ववत करता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आईपी परिहार लेनदेन के संबंध में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करता है, सीआईआरपी विनियमनों में आरपी को एक राय बनाने की आवश्यकता होती है कि क्या सीडी आईसीडी के 75वें दिन या उससे पहले किसी भी परिहार लेनदेन के अधीन है, पर या उससे पहले एक निर्धारण करें आईसीडी के 115वें दिन, और आईसीडी के 135वें दिन या उससे पहले उचित राहत के लिए एए को आवेदन करें। आरपी और परिसमापक द्वारा फाइल आवेदनों का विवरण सारणी 51 में प्रस्तुत किया गया है।

**सारणी 51 : कोरपोरेट दिवाला में परिहार लेन-देन**

| फाइलिंग/ निपटान का वर्ष | द्वारा बंद किए गए सीआईआरपी के मामले में सीआईआरपी अवधि के दौरान फाइल आवेदन | | | | | | परिसमापन के मामले में परसमापन अवधि के दौरान फाइल आवेदन | | सीआईआरपी अवधि के दौरान जारी होने की स्थिति में आवेदन दाखिल किया गया | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | समाधान योजना का अनुमोदन | | परिसमापन का आदेश | | अन्यथा | | | | | |
| | सं. | राशि (करोड़ रू. में) | सं. | राशि (करोड़ रू. में) | सं. | राशि (करोड़ रू. में) | सं. | राशि (करोड़ रू. में) | सं. | राशि (करोड़ रू. में) |
| **फाइल किए गए आवेदन** | | | | | | | | | | |
| 2017-18 | 11 | 11936.80 | 12 | 5651.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 128.59 |
| 2018-19 | 47 | 17039.10 | 83 | 34317.46 | 10 | 1520.17 | 18 | 22395.73 | 20 | 6341.76 |
| 2019-20 | 41 | 7791.21 | 60 | 14477.47 | 5 | 278.33 | 18 | 5896.76 | 50 | 7992.45 |
| 2020-21 | 8 | 260.53 | 26 | 2122.74 | 7 | 1207.42 | 10 | 1198.72 | 70 | 12947.68 |
| **कुल** | **107** | **37027.64** | **181** | **56569.45** | **22** | **3005.92** | **46** | **29491.21** | **141** | **27410.48** |
| **निपटाए गये आवेदन** | | | | | | | | | | |
| 2017-18 | 0 | 0 | 1 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019-20 | 6 | 1.2* | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.01 |
| 2020-21 | 3 | 0 | 4 | 2.43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.38 |
| **कुल** | **11** | **1.2*** | **11** | **3.68** | **3** | **0** | **2** | **0** | **4** | **1.39** |
| **लंबित आवेदन** | | | | | | | | | | |
| 2017-18 | 10 | 6436.80 | 11 | 5650.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 128.59 |
| 2018-19 | 41 | 16655.98 | 77 | 29205.81 | 8 | 1424.58 | 17 | 22044.09 | 18 | 6318.60 |
| 2019-20 | 37 | 7374.66 | 56 | 14129.87 | 5 | 278.33 | 17 | 5842.00 | 49 | 7991.07 |
| 2020-21 | 8 | 260.53 | 26 | 2122.74 | 6 | 1204.34 | 10 | 1198.72 | 69 | 12947.51 |
| **कुल** | **96** | **30727.97** | **170** | **51108.95** | **19** | **2907.25** | **44** | **29084.81** | **137** | **27385.77** |

टिप्पणी :– डेटा 497 मामलों में उपलब्ध मान्य जानकारी पर आधारित है। वर्श को आवेदन दाखिल करने की तिथि के आधार पर वर्गीकृत किया गया है।

*बहिष्कृत – जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड – सीडी को कुल 858 एकड़ जमीन में से 758 एकड़ का कब्जा वापस मिल गया है। पहले 858 एकड़ जमीन का मूल्य रु. 5500 करोड़ था।

## कारपोरेट परिसमापन

हालांकि संहिता ने 348 सीडी को बचाया है, इसने 31 मार्च, 2021 तक 1277 सीडी को परिसमापन के लिए भेजा है। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि परिसमापन में समाप्त होने वाली सीआईआरपी की लगभग 74 प्रतिशत सीडी (1277 में से 946) पहले बीआईएफआर के पास थीं। और / या निष्क्रिय (सारणी 52)। इनमें से अधिकांश सीडी का आर्थिक मूल्य सीआईआरपी में प्रवेश करने से पहले ही समाप्त हो गया था। 31 मार्च, 2021 को परिसमापन प्रक्रिया की स्थिति सारणी 53 में प्रस्तुत की गई है।

**सारणी 52 : परिसमापन के आदेष के साथ समाप्त सीआईआरपी**

| सीआईआरपी के आरम्भ में कारपोरेट देनदार की स्थिति | सीआईआरपी द्वारा शुरू की गई | | | |
|---|---|---|---|---|
| | वित्तीय लेनदार | प्रचालक लेनदार | कारपोरेट देनदार | कुल |
| या तो बीआईएफआर में या गैर–कार्यात्मक या दोनों में | 384 | 444 | 118 | 946 |
| समाधान मूल्य ≤ परिसमापन मूल्य | 75 | 44 | 27 | 146 |
| समाधान मूल्य > परिसमापन मूल्य* | 473 | 530 | 128 | 1131 |

नोट : 1. ऐसी 67 सीआईआरपी थीं, जहां सीडी बीआईएफआर या गैर–कार्यात्मक में थीं, लेकिन उनका समाधान मूल्य, परिसमापन मूल्य से अधिक था।
*इसमें ऐसे मामले शामिल हैं जहां कोई समाधान योजना प्राप्त नहीं हुई थी और ऐसे मामले जहां परिसमापन मूल्य शून्य है या अनुमानित नहीं है।

**सारणी 53 : 31 मार्च, 2021 को परिसमापन प्रक्रिया की स्थिति**

| परिसमापन की स्थिति | संख्या |
|---|---|
| आरम्भ किया गया | 1277* |
| अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई# | 240 |
| विघटन द्वारा बंद | 128 |
| जारी कंसर्न की बिक्री द्वारा बंद | 6 |
| समझौता/व्यवस्था के साथ बंद | 4 |
| जारी | 1037 |
| > दो वर्ष | 265 |
| > एक वर्श ≤ दो वर्ष | 448 |
| > 270 दिन ≤ एक वर्ष | 29 |
| > 180 दिन ≤ 270 दिन | 65 |
| > 90 दिन ≤ 180 दिन | 82 |
| ≤ 90 दिन | 148 |

** इसमें ऐसे 10 मामले शामिल नहीं हैं जहां एनसीएलटी / एनसीएलएटी / उच्च न्यायालय / उच्चतम न्यायालय द्वारा परिसमापन आदेश को रद्द कर दिया गया है।*
*# इसमें ऐसे 10 मामले शामिल हैं जहां एनसीएलटी के साथ जल्दी विघटन के लिए आवेदन फाइल किया गया है।*

मार्च, 2021 तक, 138 परिसमापन प्रक्रियाओं को विघटन/जारी कंसर्न द्वारा बंद कर दिया गया, जिसका विवरण सारणी 54 में प्रस्तुत किया गया है।

**सारणी 54 : 31 मार्च, 2021 तक परिसमापन का विवरण**

*(राशि करोड रु. में)*

| तिमाही | सीडी की संख्या | दाखिल दावों की संख्या | परिसमापन मूल्य | वसूली की गई राशि | हितधारकों को वितरित राशि | एफसी द्वारा इनके : के रूप में वसूली | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | उनके दाखिल दावे | परिसमापन मूल्य |
| 2016-17 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-18 | 1 | 11.15 | 0.85 | 0.85 | 0.71 | 5.56 | 71.95 |
| 2018-19 | 7 | 4674.99 | - | - | - | उ.न. | उ.न. |
| 2019-20 | 63 | 5445.18 | 210.41 | 152.35 | 147.03 | 2.47 | 60.98 |
| अप्रैल–जून, 2020 | 12 | 1051.39 | 67.50 | 99.62 | 94.48 | 8.64 | 112.41 |
| जुलाई–सितंबर, 2020 | 9 | 115.77 | 6.71 | 9.98 | 8.72 | 8.15 | 129.96 |
| अक्तुबर–दिसंबर, 22020 | 12 | 349.42 | 7.70 | 20.58 | 14.28 | 2.13 | 78.44 |
| जनवरी–मार्च, 2021 | 34 | 5225.89 | 357.38 | 350.00 | 336.48 | 7.10 | 90.05 |
| **कुल** | **138** | **16873.79** | **650.55** | **633.38** | **601.70** | **3.45** | **83.22** |

31 मार्च, 2021 तक, छह सीडी, अर्थात् मैसर्स इमैनुएल इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स के.टी.सी. फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स सदर्न ऑनलाइन बायो टेक्नोलॉजीज, मेसर्स समात इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स विनविंड पावर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स टॉपवर्थ पाइप्स एंड ट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड को परिसमापन प्रक्रिया के अधीन बिक्री द्वारा बंद कर दिया गया। इन सीडी में 4325.16 करोड़ रुपये के परिसमापन मूल्य के मुकाबले 290.03 करोड़ रुपये के दावे थे। इन मामलों में परिसमापकों ने 336.76 करोड़ रु. की वसूली की और सीडीज का बचाव किया गया।

परिसमापक सार्वजनिक घोशणा करता है जिसमें हितधारकों से परिसमापन शुरू होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर परिसमापन शुरू होने की तारीख के अनुसार अपने दावे प्रस्तुत करने का आह्वान किया जाता है। परिसमापकों द्वारा स्वीकार किए गए दावों की तुलना में वसूल की गई राशि का विवरण सारणी 55 में प्रस्तुत है।

**सारणी 55 : 240 परिसमापन प्रक्रियाओं में दावा जिनमें अंतिम रिपोर्ट जमा की गई**

*(राशि करोड़ रुपये में)*

| धारा के अधीन हितधारक | दावाधारकों की संख्या | दाखिल दावों की राशि | परिसमापन मूल्य | परिसमापन मूल्य | वितरित राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 23 | 726.14 | 94.52 | 100.74 | 100.17 |
| 53 (1) (क) | उ.न. | उ.न. | 1004.67 | 956.34# | 47.99 |
| 53 (1) (ख) | 1409 | 26961.71 | | | 825.29 |
| 53 (1) (ग) | 698 | 10.87 | | | 1.74 |
| 53 (1) (**घ**) | 270 | 1325.27 | | | 29.15 |
| 53 (1) (ड) | 187 | 2413.94 | | | 11.79 |
| 53 (1) (च) | 879 | 1610.00 | | | 34.50 |
| 53 (1) (छ) | 4 | 11.54 | | | 0.10 |
| 53 (1) (ज) | 96 | 26.27 | | | 1.51 |
| **कुल (क)** | **3566** | **33085.74** | **1099.19** | **1057.08#** | **1052.24** |

*# परिसमापन के अधीन 4.84 करोड़ रुपए की दावा न की गई आय सहित।*

## बारह बड़े खाते

आरबीआई के निदेशानुसार 12 बड़े खातों का समाधान बैंकों द्वारा शुरू किया गया। उन पर 73,220 करोड़ रुपये के परिसमापन मूल्य के मुकाबले एक साथ 3.45 लाख करोड़ रुपये का बकाया दावा था। इनमें से नौ सीडी के संबंध में समाधान योजना को मंजूरी दे दी गई है और दो सीडी के संबंध में परिसमापन के आदेश पारित कर दिए गए हैं। इसलिए, एक सीडी के संबंध में सीआईआरपी और दो सीडी के संबंध में परिसमापन मार्च, 2021 के अंत में चल रहा था। 12 बड़े खातों की स्थिति सारणी 56 में प्रस्तुत है।

**सारणी 56 : 12 बड़े खातों की स्थिति**

| कारपोरेट देनदार का नाम | समाधान के अधीन निपटाए गए वित्तीय लेनदारों के दावे | | | परिसमापन के : के रूप में सभी दावेदारों द्वारा वसूली मूल्य | समाधान आवेदक |
|---|---|---|---|---|---|
| | दाखिल की गई राशि | वसूली गई राशि | दावों के प्रतिशत के रूप में वसूली | | |
| इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स लिमिटेड | 13175 | 5320 | 40.38 | 183.45 | वेदांता लिमिटेड |
| भूशण स्टील लिमिटेड | 56022 | 35571 | 63.50 | 252.88 | बमनीपाल स्टील लिमिटेड |
| मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड | 11015 | 2892 | 26.26 | 123.35 | जेएसडब्ल्यू और एआईओएन इंवेस्टमेंट्स प्राइवेट का कंसोर्टियम लिमिटेड |
| एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड | 49473 | 41018 | 82.91 | 266.65 | आर्सेलर मित्तल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। |
| आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 29523 | 5052 | 17.11 | 115.39 | रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, जेएमएफएआरसी – मार्च 2018 ट्रस्ट |
| ज्योति स्ट्रक्चर्स लिमिटेड | 7365 | 3691 | 50.12 | 387.44 | श्री शरद सांघी के नेतृत्व में एचएनआई का समूह |
| भूशण पावर एंड स्टील लिमिटेड | 47158 | 19350 | 41.03 | 209.12 | जेएसडब्ल्यू लिमिटेड |
| जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड | 23176 | 23223 | 100.20 | 130.82 | एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड |
| एमटेक ऑटो लिमिटेड | 12641 | 2615 | 20.68 | 169.65 | डेक्कन वैल्यू इन्वेस्टर्स एल.पी. और डीवीआई पीई (मॉरीशस) लिमिटेड |
| एरा इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड | जारी सीआईआरपी | | | | |
| लैंको इंफ्राटेक लिमिटेड | जारी परिसमापन | | | | |
| एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड | जारी परिसमापन | | | | |

**समाधान को चुनौती दी गई और नए प्रस्तुतु किए गए समाधान पर विचार करने के लिए सीओसी का आदेश दिया गया.*

## स्वैच्छिक परिसमापन

एक कारपोरेट व्यक्ति स्वैच्छिक परिसमापन कार्यवाही शुरू कर सकता है यदि कारपोरेट व्यक्ति के अधिकांश निदेशक या नामित भागीदार इस आशय की घोषणा करते हैं कि (i) कारपोरेट व्यक्ति के पास कोई ऋण नहीं है या वह अपने ऋणों का पूरा भुगतान करने में सक्षम होगा प्रस्तावित परिसमापन के अधीन बेची जाने वाली आस्ति की आय, और (ii) किसी व्यक्ति को धोखा देने के लिए कारपोरेट व्यक्ति का परिसमापन नहीं किया जा रहा है। पहला स्वैच्छिक परिसमापन 7 अप्रैल, 2017 को शुरू किया गया था। 907 कारपोरेट्स ने 31 मार्च, 2021 तक स्वैच्छिक परिसमापन कार्यवाही शुरू की थी, जिसका विवरण सारणी 57 में दिया गया है।

**सारणी 57 : 31 मार्च, 2021 तक स्वैच्छिक परिसमापन की शुरूआत**

*(संख्या)*

| तिमाही | आरम्भ में परिसमापन | परिसमापन आरम्भ किया गया | द्वारा परिसमापन बंद किया गया | | अंत में परिसमापन |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | वापसी | अंतिम रिपोर्ट दाखिल की गई | |
| 2017-18 | 0 | 184 | 0 | 11 | 173 |
| 2018-19 | 173 | 229 | 6* | 97 | 299 |
| 2019-20 | 299 | 271 | 1 | 128 | 441 |
| अप्रैल–जून, 2020 | 441 | 10 | 0 | 24 | 427 |
| जुला–सित, 2020 | 427 | 59 | 0 | 49 | 437 |
| अक्टू–दिस 2020 | 437 | 63 | 0 | 54 | 446 |
| जन–मार्च, 2021 | 446 | 91 | 0 | 37 | 500 |
| **कुल** | **उ.न.** | **907** | **7** | **400** | **500** |

** माननीय एनसीएलटी ने 2 फरवरी, 2021 के आदेश के अधीन 28 सितंबर, 2018 के अपने आदेश को वापस ले लिया जिसमें मेसर्स सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड की स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया को निलंबित कर दिया गया।*

इनमें से अधिकांश कारपोरेट व्यक्ति छोटी संस्थाएं हैं। उनमें से 496 के पास 1 करोड़ रुपये से कम की चुकता इक्विटी पूंजी है। उनमें से केवल 100 के पास 5 करोड़ रुपये से अधिक की चुकता पूंजी है। कारपोरेट व्यक्तियों, जिनके लिए विवरण उपलब्ध हैं, की कुल चुकता पूंजी 5591 करोड़ थी (सारणी 58)।

**सारणी 58 : 900 परिसमापनों का विवरण (7 वापसियों को छोड़कर)**

*(राशि करोड़ रुपये में)*

| का विवरण | परिसमापन की संख्या | संदत्त पूंजी | आस्तियां | शेष ऋण | लेनदारों को देय राशि | अधिशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| परिसमापन जिसके लिए अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई | 400 | 1570* | 3618 | 25 | 25 | 3308 |
| चल रहे परिसमापन | 500 | 4021# | 1697# | ** | | |
| **कुल** | **900** | **5591** | **5315** | ** | | |

** एक कंपनी के मामले में चुकता पूंजी उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह गारंटी कंपनी द्वारा सीमित है जहां कोई शेयरधारक और चुकता पूंजी मौजूद नहीं है।*

***चल रहे परिसमापन के लिए, बकाया ऋण राशि उपलब्ध नहीं है।*

*# चुकता पूंजी और 387 और 377 मामलों की संपत्तियां, क्रमशः उपलब्ध हैं।*

इन कारपोरेट व्यक्तियों में से 900 (7 निकासी को छोड़कर) की देनदारियों और आस्तियों का वितरण सारणी 59 में प्रस्तुत किया गया है। 602 की देनदारियां और उनमें से 443 की आस्ति 1 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है।

**सारणी 59 : स्वैच्छिक परिसमापन के अधीन कारपोरेट व्यक्तियों की देनदारियों और आस्तियों का वितरण**

| क्र. सं. | राशि करोड़ रूपए में | कारपोरेट व्यक्तियों की संख्या | |
|---|---|---|---|
| | | देयताओं वाले | आस्तियों वाले |
| 1 | ≤ 1 | 602 | 443 |
| 2 | > 1 - ≤ 2 | 26 | 101 |
| 3 | > 2 - ≤ 3 | 13 | 63 |
| 4 | > 3 - ≤ 5 | 14 | 56 |
| 5 | > 5 | 19 | 108 |
| **कुल** | | **674*** | **771*** |

**अन्य प्रक्रियाओं का डेटा उपलब्ध नहीं है।*

स्वैच्छिक परिसमापन कार्यवाही शुरू करने वाले 907 कारपोरेट व्यक्तियों में से, 196 विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित हैं, 382 भू–सम्पदा, किरायेदारी और व्यावसायिक गतिविधियों से संबंधित हैं और 68 संपूर्ण बिक्री और खुदरा व्यापार क्षेत्र (सारणी 60) से संबंधित हैं। इन स्वैच्छिक परिसमापन की शुरुआत के कारण सारणी 61 में प्रस्तुत दिए गए हैं।

**सारणी 60 : स्वैच्छिक परिसमापन का क्षेत्रवार वितरण**

| क्षेत्र | संख्या |
|---|---|
| **उत्पादन** | 196 |
| खाद्य, पेय पदार्थ और तंबाकू उत्पाद | 9 |
| रसायन और रासायनिक उत्पाद | 27 |
| विद्युत मशीनरी और उपकरण | 10 |
| गढ़े धातु उत्पाद | 9 |
| मशीनरी उपकरण | 46 |
| कपड़ा, चमड़ा और परिधान उत्पाद | 20 |
| लकड़ी, रबड़, प्लास्टिक और कागज उत्पाद | 14 |
| मूल धातु | 14 |
| अन्य | 47 |
| **रीयल इस्टेट, रेंटिंग और व्यावसायिक गतिविधियां** | 382 |
| रियल एस्टेट गतिविधियां | 25 |
| कंप्यूटर और संबंधित गतिविधियाँ | 114 |
| अनुसंधान और विकास | 10 |
| बिना ऑपरेटर और व्यक्तिगत और घरेलू सामानों के मशीनरी और उपकरण किराए पर लेना | 2 |
| अन्य व्यावसायिक गतिविधियाँ | 231 |
| **निर्माण** | 33 |
| **थोक और खुदरा व्यापार** | 68 |
| **होटल और रेस्टोरेंट** | 6 |
| **बिजली और अन्य** | 12 |
| **परिवहन, भंडारण और संचार** | 40 |
| **अन्य** | 170 |
| **कुल** | **907** |

**सारणी 61 : स्वैच्छिक परिसमापन के कारण**

| क्र. सं. | स्वैच्छिक परिसमापन के कारण | कारपोरेट व्यक्तियों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | व्यवसाय का संचालन नहीं कर रहे | 547 |
| 2 | वाणिज्यिक रूप से अव्यवहार्य | 118 |
| 3 | मामलों का प्रबंधन करने में असमर्थ प्रवर्तक विविध | 18 |
| 4 | जिस उद्देश्य के लिए कंपनी का गठन किया गया था उसे पूरा किया गया /अनुबंध की समाप्ति | 23 |
| 5 | विविध | 86 |
| **कुल** | | **792*** |

**अन्य प्रक्रियाओं का डेटा उपलब्ध नहीं है।*

400 स्वैच्छिक परिसमापन के संबंध में अंतिम रिपोर्ट 31 मार्च, 2021 तक प्रस्तुत की गई है।

226 परिसमापन बंद हो गए हैं। जारी 500 स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रियाओं में से 92 प्रक्रियाएं 90 दिनों से कम पुरानी हैं, 144 को दो वर्श से अधिक हो गए हैं (सारणी 62)।

**सारणी 62 : स्वैच्छिक परिसमापनों का चरणीकरण**

| परिसमापन की स्थिति | परिसमापन की संख्या |
|---|---|
| आरम्भ किए गए | **907** |
| निकासी द्वारा बंद | **7** |
| अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत | **400** |
| विघटन द्वारा बंद | 226 |
| जारी | 500 |
| > दो वर्ष | 144 |
| > एक वर्ष ≤ दो वर्ष | 146 |
| > 270 दिन ≤ एक वर्ष | 13 |
| > 180 दिन 270 दिन | 46 |
| > 90 दिन 180 दिन | 59 |
| 90 दिन | 92 |

## कारपोरेट परिसमापन खाते

विनियमनों के लिए परिसमापक को कारपोरेट व्यक्ति के विघटन के लिए आवेदन करने से पहले कारपोरेट परिसमापन खाते में अर्जित किसी भी आय के साथ परिसमापन प्रक्रिया में दावा न किए गए लाभांश, यदि कोई हो, और अविभाजित आय, यदि कोई हो, जमा करने की आवश्यकता होती है। यह एक हितधारक को उक्त खाते से निकासी की मांग करने के लिए प्रक्रिया भी प्रदान करता है। स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रियाओं के लिए समान प्रावधान मौजूद हैं। मार्च, 2021 के अंत में इन खातों का विवरण सारणी 63 में प्रस्तुत किया गया है

**सारणी 63 : 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार कारपोरेट परिसमापन खाते**

*(राशि लाख रुपये में)*

| खाते का नाम | 01.04.2020 को आरम्भिक शेष | 2020-21 के दौरान जमा | 2020-21 के दौरान वापसी | अवधि की समाप्ति अर्थात 31.03.2021 को शेष |
|---|---|---|---|---|
| कारपोरेट परिसमापन खाता | 476.05 | 116.18 | 0.00 | 592.23 |
| कारपोरेट स्वैच्छिक परिसमापन खाता | 109.70 | 112.06 | 0.00 | 221.76 |

## परिणामों का सारांश

(क) संहिता का प्राथमिक उद्देश्य संकट में सीडी के जीवन को बचाना है। संहिता ने मार्च, 2021 तक समाधान योजनाओं के माध्यम से 348 सीडी को बचाया है, जिनमें से एक तिहाई गहरे संकट में थीं। हालांकि, इसने 1277 सीडी को परिसमापन के लिए भेजा है। बचाई गई सीडी में करीब 1.11 लाख करोड़ रुपये मूल्य की आस्ति थी।, जबकि परिसमापन के लिए भेजी गई सीडी में 0.46 लाख करोड़ रुपये की आस्ति थी। जब उन्हें सीआईआरपी में प्रवेश कराया गया था। इस प्रकार, मूल्य के संदर्भ में, लगभग तीन चौथाई संकटग्रस्त आस्तियों को बचाया गया। परिसमापन के लिए भेजी गई सीडी में से तीन–चौथाई या तो बीमार या खराब थीं और बचाई गई फर्मों में से एक तिहाई या तो बीमार थीं या निश्क्रिय थीं।

(ख) बचाए गये 348 सीडी की उपलब्ध आस्तियों का वसूली योग्य मूल्य सीआईआरपी में प्रवेश करने के समय मात्र 1.11 लाख करोड़ रुपये था हालांकि उन पर लेनदारों को 5.67 लाख करोड़ रुपये बकाया था। समाधान योजना से 2.09 लाख करोड़ रुपये वसूल किए गए, जो इन सीडी के वसूली योग्य मूल्य का लगभग 188 प्रतिशत है। वसूली या परिसमापन का कोई अन्य विकल्प सर्वोत्तम रुपये पर वसूल होता। 100 रुपये ऋण वसूली/परिसमापन की लागत होता, जबकि लेनदारों ने संहिता के अधीन 188 रुपये की अतिरिक्त वसूली की जो 88 रुपये की वसूली संहिता से प्राप्त बोनस है। हालांकि संहिता के अधीन वसूली आकस्मिक है, एफसी ने अपने दावों का लगभग 40 प्रतिशत वसूल किया, जो केवल सीडी के सीआईआरपी में प्रवेश करने के समय तक मूल्य क्षरण की सीमा को दर्शाता है, फिर भी यह वसूली के लिए लेनदारों के लिए उपलब्ध सभी विकल्पों में सबसे अधिक है। ये प्राप्तियां उन प्राप्तियों से अलग हैं जो पीजी से लेकर सीडी तक के समाधान और परिहार लेनदेन के लिए आवेदनों के निपटान से उत्पन्न होंगी।

(ग) परिसमापन के आदेशों के साथ समाप्त होने वाली 1277 सीडी का कुल दावा 6.47 लाख करोड़ रुपये है। दुर्भाग्य से, उनके पास जमीन पर आस्ति थी, जिसका मूल्य केवल 0.46 लाख करोड़ रुपये था। 31 मार्च, 2021 तक 240 सीडी पूरी तरह से समाप्त हो चुकी हैं। आईबीसी प्रक्रिया में प्रवेश करने पर इनमें से कई सीडी के पास कोई रोजगार या आस्ति नहीं थी। इनमें घोटारिंगा मिनरल्स लिमिटेड और ऑर्किड हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं, जिन पर 8163 करोड़ रुपये ऋण था, जबकि उनके पास बिल्कुल भी आस्ति और रोजगार नहीं था। इन 240 सीडी पर कुल मिलाकर 33,086 करोड़ रुपये का दावा था, लेकिन इनकी आस्ति का मूल्य 1099 करोड़ रुपये था। इन कंपनियों के परिसमापन के माध्यम से 1057 करोड़ रुपये की वसूली की गई।

(घ) व्यथित आस्ति का जीवन चक्र होता है। यदि संकट का समाधान नहीं किया गया तो समय के साथ इसका मूल्य धीरे–धीरे कम होता जाता है। संहिता का विश्वसनीय खतरा, कि सीडी हाथ बदल सकती है, ने देनदारों

के व्यवहार को बदल दिया है। हजारों कर्जदार संकट के शुरुआती दौर में संकट का समाधान कर रहे हैं। भुगतान के लिए नोटिस प्राप्त होने पर, लेकिन आवेदन दाखिल करने से पहले, आवेदन दाखिल करने के बाद, लेकिन इसके प्रवेश से पहले, और आवेदन के प्रवेश के बाद भी, और समाधान प्रक्रिया के परिणामों से बचने के लिए सर्वोत्तम प्रयास करने पर, व्यतिक्रम होने पर वे समाधान कर रहे हैं। अधिकांश कंपनियों को इन चरणों में बचाया जाता है। मार्च, 2021 तक, 5,33,145 करोड़ रुपये के अंतर्निहित व्यतिक्रम वाले सीडी के सीआईआरपी शुरू करने के लिए 17,305 आवेदनों का उनके प्रवेश से पहले ही समाधान कर दिया गया। केवल कुछ कंपनियां, जो पहले के किसी भी चरण में संकट को दूर करने में विफल रहती हैं, पूरी समाधान प्रक्रिया से गुजरती हैं। इस स्तर पर, कंपनी का मूल्य काफी हद तक कम हो जाता है, और इसलिए उनमें से कुछ को बचा लिया जाता है, और अन्य को समाप्त कर दिया जाता है। इस स्तर पर वसूली कम हो सकती है, लेकिन संकट के शुरुआती चरणों में वसूली बहुत अधिक है, और यह मुख्य रूप से संहिता के कारण सम्भव हो पाया है।

(ड) संहिता विभिन्न प्रक्रियाओं को जल्द से जल्द बंद करने का प्रयास करती है। यह उनमें से कुछ के लिए समयसीमा निर्धारित करता है। 348 सीआईआरपी, जिन्होंने मार्च, 2021 के अंत तक समाधान योजनाएं प्राप्त की हैं, प्रक्रिया के समापन के लिए औसतन 406 दिन (एए द्वारा छोड़े गए समय को छोड़कर) लगे। इसी तरह, 1277 सीआईआरपी, जो परिसमापन के आदेश में समाप्त हुए, निश्कर्श के लिए औसतन 351 दिन लगे। इसके अलावा, 240 परिसमापन प्रक्रियाएं, जो मार्च 2021 तक अंतिम रिपोर्ट जमा करके बंद हो गई हैं, 126 परिसमापन प्रक्रियाओं के विरुद्ध बंद होने में औसतन 410 दिन लगे, जिसमें मार्च, 2020 तक अंतिम रिपोर्ट जमा करने में औसतन 307 दिन लगे। इसी तरह, 400 स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रियाएं, जो मार्च, 2021 तक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करके बंद हो गई हैं, 236 स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रियाओं के विरुद्ध बंद होने में औसतन 383 दिन लगे, जिसमें मार्च, 2020 तक अंतिम रिपोर्ट जमा करने में औसतन 324 दिन लगे। वृद्धि मार्च 2021 की तुलना में मार्च 2021 तक परिसमापन और स्वैच्छिक परिसमापन दोनों प्रक्रियाओं में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए दिनों की औसत संख्या में 2020 में देश कोविड–19 महामारी की शुरुआत के परिणामस्वरूप देरी / लॉकडाउन के लिए काफी हद तक जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

(च) मार्च, 2021 तक, कुल 348 सीआईआरपी में समाधान योजनाएं प्राप्त हुई हैं। 322 सीआईआरपी के संबंध में लागत विवरण उपलब्ध हैं। लागत परिसमापन मूल्य का औसतन 0.92 प्रतिशत और समाधान मूल्य का 0.49 प्रतिशत निकाला जाता है।

## वित्तीय सेवा प्रदाताओं का समाधान

दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल) के विरुद्ध सीआईआरपी शुरू करने के लिए आरबीआई द्वारा फाइल किये गए आवेदन पर, एए ने 3 दिसंबर, 2019 को आवेदन स्वीकार किया। श्री आर सुब्रमण्यकुमार को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया। यह दिवाला और शोधन अक्षमता (वित्तीय सेवा प्रदाताओं की दिवाला और परिसमापन कार्यवाही और न्यायनिर्णयन प्राधिकरण के लिए आवेदन) नियम, 2019 के अधीन समाधान के लिए स्वीकार किया गया पहला एफआईएसपी है, जिसे 15 नवंबर, 2019 को अधिसूचित किया गया। संहिता के अधीन प्रक्रिया को अंजाम देने वाले आईपी की प्रशासक के समान कर्तव्य, कार्य, दायित्व, जिम्मेदारियां, अधिकार और शक्तियां हैं।

आरबीआई ने अपने 16 फरवरी, 2021 के पत्र के माध्यम से डीएचएफएल में नियंत्रण / स्वामित्व / प्रबंधन में परिवर्तन के लिए एफआईएसपी नियमों के नियम 5 (घ) (iii) और एनएचबी के पैरा 3 के संदर्भ में मास्टर परिपत्र–आवास वित्त कंपनियां– कुछ शर्तों के अधीन अधिग्रहण या नियंत्रण के हस्तांतरण (एनएचबी) निदेश, 2016 का अनुमोदन के संदर्भ में अपनी अनापत्ति को सूचित किया है। आरए, पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना को सीओसी द्वारा अनुमोदित किया गया था और एए का अनुमोदन प्रतीक्षित था।

## व्यक्तिगत प्रक्रियाएं

सीडी से पीजी से संबंधित दिवाला समाधान और शोधन अक्षमता से संबंधित प्रावधान 1 दिसंबर, 2019 को लागू हुए। आईपी से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 31 मार्च, 2021 तक 132 आवेदन फाइल किए गए हैं। उनमें से 16 आवेदन संहिता की धारा 94 और 95 के अधीन देनदारों द्वारा और लेनदारों द्वारा 116 आवेदन, क्रमशः फाइल किए गए हैं। उनमें से सात डीआरटी की विभिन्न पीठों के समक्ष फाइल किए गए हैं और 125 एनसीएलटी की विभिन्न पीठों के समक्ष फाइल किए गए हैं (सारणी 64)।

**सारणी 64 : व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाताओं का दिवाला समाधान**

*(राशि करोड़ रु. में)*

| अवधि | द्वारा आवेदन फाइल किया गया | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | देनदार द्वारा (धारा 94 के अधीन) | | | लेनदार द्वारा (धारा 95 के अधीन) | | | कुल | | | न्यायनिर्णयन प्राधिकरण | |
| | संख्या | ऋण राशि | गारंटी राशि | संख्या | ऋण राशि | गारंटी राशि | संख्या | ऋण राशि | गारंटी राशि | एनसीएलटी | डीआरटी |
| दिस – मार्च, 2020 | 3 | 50.28 | 44.5 | 13 | 3254.26 | 4472.86 | 16 | 3304.54 | 4517.36 | 15 | 1 |
| अप्रैल – जून, 2020 | 2 | 277.92 | 34 | 2 | 36.02 | उ.न. | 4 | 313.94 | 34 | 4 | 0 |
| जुला – सित, 2020 | 5 | 107.01 | 36.75 | 12 | 2152 | 213.25 | 17 | 2259.01 | 250 | 14 | 2 |
| अक्तु – दिस, 2020 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5743.7 | 4759.19 | 38 | 5743.7 | 4759.19 | 38 | 0 |
| जन – मार्च, 2021 | 6 | 2369.75 | 1004.3 | 51 | 3013.21 | 1818.26 | 57 | 5382.96 | 2822.56 | 53 | 4 |
| **कुल** | **16** | **2804.96** | **1119.55** | **116** | **14199.19** | **11263.56** | **132** | **17004.15** | **12383.11** | **125** | **7** |

*नोट : (i)* ***उ. न.*** *: उपलब्ध नहीं है।*
*(ii) 5 मामलों में व्यतिक्रम डेटा उपलब्ध नहीं है और 29 मामलों में गारंटी डेटा उपलब्ध नहीं है।*

## उभरते न्यायशास्त्र

*स्टेयर डेसिसिस* का सिद्धांत (उदाहरणों की बाध्यकारी प्रकृति) कानूनी निश्चितता और स्पष्टता को बढ़ाता है। वास्तव में, उदाहरणों से जानकारी मिलती है जो निर्णय निर्माताओं और हितधारकों को कुछ सीमाओं के भीतर, विभिन्न विकल्पों के संभावित कानूनी परिणामों की भविष्यवाणी करने की अनुमति देती हैं और संभावित विवादों और मतभेदों के परिणामों की संभावित सीमा का अनुमान लगाती हैं। कानूनी प्रवचन, बड़े हिस्से में, नियमों को निर्धारित करता है खेल के बारे में और खिलाड़ियों को उन नियमों के बारे में सूचित करता है ताकि वे कानून की सीमाओं के भीतर अपनी क्षमता की तलाश कर सकें। मिसालें कानूनी अनुसंधान, अंतर्दृष्टि और विश्लेषण के प्राथमिक स्रोत के रूप में काम करती हैं, जबकि कानून के विकास को प्रोत्साहित करती हैं। वे कानूनों के माध्यम से चलते समय न्यायालयों द्वारा किए गए व्याख्यात्मक कदमों पर प्रकाश डालते हैं। कानूनी अनुसंधान अक्सर विधियों या विनियमनों से शुरू होता है, प्राथमिक कानून विधायिका या नियामक अभिकरण द्वारा प्रासंगिक अधिकार क्षेत्र में पारित किया जाता है। हालाँकि, कानून की शर्तों और मंशा की व्याख्या करने वाले मामले कानून के अमूल्य स्रोत हैं। कार्रवाई के कारणों के तत्वों, न्यायालयों के नवीनतम और अद्यतन रुख, और मुकदमेबाजी प्रक्रिया की समझ बढ़ाने के लिए कानून के इस निकाय से परिचित होना आवश्यक है।

इस संदर्भ में, न्यायपालिका ने संहिता के कार्यान्वयन के दौरान उत्पन्न होने वाली चिंताओं और कठिनाइयों को गंभीरता से संबोधित किया है। उन्होंने कई वैचारिक और विवादास्पद मुद्दों को सुलझाया है, और कई ऐतिहासिक आदेश और निर्णय दिए हैं, जो यह स्पष्ट करते हैं कि क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं, और भविष्य के लिए प्रक्रिया को कैसे सुव्यवस्थित करना है। भारत का दिवाला शासन आज केस कानूनों की विशाल मात्रा (**बॉक्स 3**) के संदर्भ में शायद न्यायशास्त्र के सबसे बड़े निकाय का दावा करता है।

## संहिता के प्रावधानों की संवैधानिक वैधता

*मनीश कुमार बनाम. भारत संघ और एक अन्य*[19] मामले में एससी ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2020 की संवैधानिकता को बरकरार रखा जिसमें धारा 7 और 11 को संशोधित करके संहिता में धारा 32क को समाविष्ट किया गया और अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित टिप्पणी की :

*(i) धारा 7 का पहला परंतुक :* विधायी नीति सीडी को उस चीज से बचाने के प्रयास को दर्शाती है जिसे वह या तो तुच्छ या परिहार्य अनुप्रयोगों के लिए मानती है। संशोधन से यह सुनिश्चित होने की संभावना है कि एक आवेदन को कम से कम समान रूप से रखे गए लेनदारों के कम से कम प्रतिशत द्वारा सर्वसम्मति से पहले किया जाता है और कानूनी ओडिसी शुरू करने का समय आ गया है जो आवेदकों के लिए खुद के अलावा दूसरों के लिए खतरों से घिरा हुआ है . जहां तक उपबंध के अधीन विचार किए गए आवेदकों के प्रतिशत का संबंध है, इसे मनमाना या स्वैच्छिक आंकड़ा नहीं कहा जा सकता है।

*(ii) धारा 7 का दूसरा परंतुक :* (क) 'आवंटन' का अर्थ है दस्तावेज बुकिंग के अर्थ में आवंटन जैसा कि रेरा की धारा 11(1)(ख) में उल्लिखित है। जिस व्यक्ति को भू–खंड, अपार्टमेंट या भवन का आवंटन किया गया है, वह आवंटी है। आबंटिती में वह व्यक्ति भी शामिल होगा जो बिक्री, अंतरण या अन्य माध्यम से आवंटन प्राप्त करता हैय (ख) धारा 7 के अधीन किसी एप्लिकेशन को सफलतापूर्वक स्थानांतरित करने के लिए व्यतिक्रम होना चाहिए। इस तरह की व्यतिक्रम का आवेदक (आवेदकों) के लिए होना जरूरी नहीं है। कितनी भी संख्या में आवेदक, बिना किसी राशि के, धारा 7 के अधीन आवेदन कर सकते हैं, यदि वे एफसी हैं और कोई व्यतिक्रम है, भले ही ऐसी व्यतिक्रम किसी भी आवेदक को नहीं बल्कि किसी अन्य एफसी के लिए देय होय (ग) एक से अधिक व्यक्तियों को अपार्टमेंट, भूखंड या भवन के संयुक्त आवंटन के मामले में, आवंटन को एकल आवंटन माना जाएगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आवंटियों का एक महत्वपूर्ण समूह है, जो इस बात से सहमत हैं कि संहिता के अधीन कठोर प्रक्रियाओं को अपने सभी सम्बंधित खतरों के साथ प्रस्तुत करने का समय आ गया है। यदि अपार्टमेंट 100 व्यक्तियों के नाम पर लिया जाता है, तो उस अपार्टमेंट के आबंटी परियोजना के आवंटियों के महत्वपूर्ण द्रव्यमान का प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे, और (घ) कानून वर्ग के भीतर एक वर्ग के निर्माण को पूरी तरह से बाधित नहीं करता है। यदि किसी वर्ग के भीतर उप–वर्ग बनाने के लिए तर्कसंगत आधार होना चाहिए, तो इसकी अनुमति नहीं है। उप–वर्ग के भीतर एक वर्ग, वास्तव में, अनुच्छेद 14 के अधीन समानता की गारंटी के विपरीत नहीं है।

*(iii) धारा 7 का तीसरा परंतुक :* (क) यदि कोई याचिकाकर्ता उसी व्यतिक्रम के संबंध में जैसा कि आदेश की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर, उसके पहले के आवेदन में, असंशोधित धारा 7 के अधीन यथा–समाविश्ट, धारा 7(1) के अधीन या तो पहले या दूसरे परंतुक का अनुपालन करते हुए, आवेदन देता है तो इसे अदालती शुल्क के भुगतान से छूट दी जाएगी; और (ख) यदि उपरोक्त (क) के अधीन एक आवेदन सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के अधीन एक आवेदन के साथ है, तो देरी की अवधि को उस अवधि के लिए माफ कर दिया जाएगा, जिसके दौरान पहला आवेदन एए के पास लंबित था।

*(iv) धारा 11 में स्पश्टीकरण II :* विधायिका की मंशा हमेशा सीडी को ही लक्षित करने की थी, क्योंकि यह संहिता के उपबंधों के दुरुपयोग को रोकने के लिए सीडी द्वारा कथित तौर पर अपने विरुद्ध आवेदन को प्रतिबंधित करने के लिए थी। दूसरों से इसके कारण देनदारियों को पुनर्प्राप्त करने का प्रयास करके अपनी आस्ति को अधिकतम करने से धारा 11 में निहित किसी भी परिस्थिति में सीडी के रास्ते में बाधा उत्पन्न करने का कोई इरादा नहीं था। यह न केवल बुनियादी सामान्य ज्ञान के दृश्टिकोण के विरुद्ध जाता है, बल्कि यह संहिता के उद्देश्य को ही विफल कर देगा। प्रकृति में पूर्वव्यापी होने के कारण, यह स्पश्टीकरण संशोधन निश्चित रूप से सभी लंबित आवेदनों पर भी लागू होगा।

*(v) धारा 32क :* लोक कल्याण प्राप्त करने के लिए अक्सर परस्पर विरोधी हितों के नाजुक संतुलन की आवश्यकता होती है। किस हित को क्या प्राथमिकता दी जानी चाहिए,यह विधायी मूल्य निर्णय रहना चाहिए और यदि यह प्रतीत होता है कि विधायिका अधिक से अधिक अच्छे की तलाश में कुछ लोगों के हितों को ठुकराती हुई प्रतीत होती है, तो तब तक उसे अमान्य करार नहीं दिया जा सकता, जब तक कि वह कुछ संवैधानिक जनादेश के साथ बुरी साबित न हो।

## आईबीबीआई द्वारा बनाए गए विनियमनों की संवैधानिक वैधता

सीए वी वेंकट शिवकुमार बनाम आईबीबीआई और अन्य[20] के मामले में उच्च न्यायालय ने आईपी विनियमनों के (प) विनियम 7क की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, जिसके लिए 01 जनवरी, 2020 से प्रभावी संहिता के अधीन कार्य करने के लिए आईपी प्राप्त करने के लिए आईपी की आवश्यकता होती है और (ii) आदर्श उप–नियमों के विनियमन 12क – कानून विनियमन,

[19] 40 अन्य याचिकाओं के साथ डब्ल्यूपी संख्या 2020 का 26

[20] डब्ल्यूपी संख्या 13229/2020

**बॉक्स 3 : संहिता, नियम और विनियमन – एक सफल यात्रा**

संहिता प्रमुख आर्थिक और संस्थागत सुधार रही है, यह दिवाला व्यवस्था और पारिस्थितिकी तंत्र में आदर्श बदलाव लाई है। इसने समयबद्ध समाधान तंत्र की नींव रखी है और सभी हितधारकों के हितों को संतुलित किया है। राज्य के प्रत्येक अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ने सक्रिय रूप से संहिता के अधीन प्रक्रियाओं के सुचारू कार्यान्वयन को सुगम बनाया। इस प्रक्रिया में, कई विधायी पहलों को संवैधानिक वैधता के आधार पर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। संहिता के ऐसे सभी प्रावधान, इसके अधीन बनाए गए नियम और विनियम न्यायिक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। न्यायपालिका ने कई वैचारिक मुद्दों की व्याख्या करते हुए अपने कई ऐतिहासिक निर्णयों में ऐसी सभी विधायी पहलों को बरकरार रखा है और कई केस कानूनों के माध्यम से दिवाला शासन में न्यायशास्त्र निर्धारित किया है। संहिता की स्थापना के बाद से कुछ ऐसे निर्णय नीचे दिए गए हैं।

- *पायनियर अर्बन लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य*[21] में एससी ने माना कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2018 अनुच्छेद 19(6) के साथ पठित अनुच्छेद 14, 19(1)(छ) या भारत के संविधान के 300–क का उल्लंघन नहीं करता है।
- *इनोवेटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम आईसीआईसीआई बैंक और अन्य*[22] मामले में एससी ने टिप्पणी की कि *''संहिता के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक दिवाला प्रक्रिया को तेज करने के उद्देश्य से भारत में दिवाला कानून को एकीकृत छतरी के नीचे लाना है''*।
- *स्विस रिबन प्रा. लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य*[23] में एससी ने संहिता की संवैधानिकता को बरकरार रखा और देखा कि संहिता में निहित प्रयोग, इसके प्रावधानों की व्यापकता से आंका जाता है न कि तथाकथित द्वारा याचिकाकर्ताओं द्वारा इंगित की गई क्रूरता और असमानताएं संवैधानिक रूप से जरूरी हैं।
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय और अन्य के माध्यम से, *अक्षय झुनझुनवाला और अन्य बनाम भारत संघ*[24] मामले में कलकत्ता एचसी ने माना कि *''2016 की संहिता के अधीन किसी कंपनी के दिवाला होने की प्रक्रिया में वित्तीय लेनदार को विशेश उपचार देने का औचित्य भारत के संविधान के किसी भी प्रावधान को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं कहा जा सकता है''*।
- *अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता बनाम एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड के लेनदारों की समिति ने सतीश कुमार गुप्ता और अन्य*[25] एससी ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2019 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।
- *कृधन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लिमिटेड बनाम वेंकटेशन शंकरनारायण और अन्य*[26] में एससी ने टिप्पणी की कि *''कारपोरेट देनदार का परिसमापन अंतिम उपाय का मामला होना चाहिए। आईबीसी कॉरपोरेट दिवालियेपन के समाधान में व्यापक जनहित को मान्यता देता है और इसका उद्देश्य केवल बकाया और बकाया धन की वसूली नहीं है।''*
- *सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम. सिरपुर पेपर मिल्स लिमिटेड और अन्य के आरपी*[27] में, एनसीएलएटी ने टिप्पणी की कि *''आईबीबीआई नियम बना सकता है, लेकिन यह संहिता के प्रावधानों को पूरा करने के लिए संहिता और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुरूप होना चाहिए। आईबीबीआई द्वारा किए गए प्रावधान संहिता के प्रावधानों को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं, न ही यह संहिता के साथ असंगत हो सकते हैं।''*
- *सीए में वेंकट शिव कुमार बनाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड और अन्य*[28] में मद्रास एचसी ने आईपी विनियमों के विनियम 7 (2) (सीए) की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।
- *सीए वी. वेंकट शिवकुमार बनाम आईबीबीआई और अन्य*[29] में मद्रास एचसी ने माना कि आईबीबीआई को आईपी विनियमनों के विनियमन 7क और आदर्श उप–नियम विनियमनों के नियमन 12क को फ्रेम करने का अधिकार है। इसने आईपी विनियमनों के विनियम 7क की संवैधानिक वैधता और आदर्श उप–नियम आईपीए विनियमनों की 12क को बरकरार रखा।
- *मनीश कुमार बनाम. भारत संघ और एक अन्य*[30] में एससी ने धारा 7(1) के लिए तीन प्रावधानों की संवैधानिकता को बरकरार रखा, धारा 11 के लिए एक अतिरिक्त स्पश्टीकरण, और दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) की धारा 3, 4, और 10 के अधीन डाली गई संहिता में धारा 32क (संशोधन) ) अधिनियम 2020।
- *अरुण कुमार जगतरामका बनाम. जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड और अन्य*[31] में एससी ने माना कि *''विनियम 2ख के प्रावधान की शुरूआत इस दिशा में एक कदम था, जिसने आईबीसी की धारा 29क में 2013 के अधिनियम की धारा 230 में निर्धारित अयोग्यताओं की प्रयोज्यता के संबंध में स्थिति को स्पष्ट करने की मांग की थी। विधायी मंशा के अनुरूप, जैसे, परिसमापन प्रक्रिया विनियमनों के विनियम 2बी, विशेष रूप से विनियम 2ख1) के परंतुक भी संवैधानिक रूप से मान्य हैं।''* एससी ने यह भी टिप्पणी की कि, *"आईबीसी के अधिनियमन ने कारपोरेट प्रशासन और कानून के शासन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को चिह्नित किया है। आईबीसी अच्छे कारपोरेट प्रशासन, कानून के शासन के प्रति सम्मान और पालन को कारपोरेट दिवाला के समाधान के लिए केंद्रीय मानता है। यह कारपोरेट दिवाला को अलग–अलग व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा सामना की जाने वाली अलग समस्या के रूप में नहीं मानता है, बल्कि इसे ऐसे ढांचे के संदर्भ में रखता है जो विविध हितधारक हितों को संतुलित करके आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाने में सार्वजनिक हित पर आधारित है। यह एक सामूहिक निकाय के रूप में कार्य करने वाले लेनदारों द्वारा लिए गए व्यावसायिक निर्णयों को प्राथमिकता देता है, इस आधार प कि क्रेडिट बाजारों के विकास को सुनिश्चित करने और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कारपोरेट दिवाला का समय पर समाधान आवश्यक है। अपने विविध प्रावधानों में, आईबीसी यह सुनिश्चित करता है कि कारपोरेट उद्यमों के हितों को उनके प्रवर्तकों के हितों के साथ नहीं जोड़ा जाएय कारपोरेट संरचनाओं का आर्थिक मूल्य उनके प्रबंधन के पक्षपातपूर्ण हितों की तुलना में सामग्री में व्यापक है''*।

---

[21] डब्लूपी (सी) संख्या 43ध्2019 और अन्य याचिकाएं
[22] सिविल अपील संख्या, 2017 का 8337–8338
[23] डब्ल्यूपी (सिविल) संख्या 99, 100, 115, 459, 598, 775, 822, 849 और 2018 का 1221, एसएलपी (सिविल) सं. 2018 का 28623 और डब्ल्यूपी (सिविल) 2019 का 37
[24] डब्ल्यूपी संख्या 2017 का 672
[25] अन्य सिविल अपीलों और डब्ल्यूपी (सी) के साथ सिविल अपील संख्या 8766–67/2019 दायरी संख्या 24417/2019
[26] सीए संख्या 3299/2020
[27] सीए (एटी) (इंस) संख्या 2018 का 526
[28] डब्ल्यूपी संख्या 2020 का 9132 और डब्ल्यूएमपी संख्या 2020 का 11134
[29] डब्ल्यूपी संख्या 2020 का 13229
[30] डब्ल्यूपी (सी) संख्या 2020 का 26, 40 अन्य रिट याचिकाओं के साथ
[31] सिविल अपील संख्या 2019 का 9664

जो आईपीए को 70 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं करने पर एएफए जारी करने या नवीनीकृत करने का अधिकार देता है। याचिका को निरस्त करते हुए, उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि – *''आईबीसी के उक्त वर्गों की जांच करने पर, निस्संदेह स्थिति यह सामने आती है कि आईबीबीआई को आईपी विनियमनों के विनियमन 7क और आदर्श उप–नियम आईपीए विनियमनों के विनियमन 12क को फ्रेम करने का अधिकार है। बदले में, दूसरे प्रतिवादी सहित आईपीए को आदर्श उप–नियमों के अनुरूप उप–नियम बनाने का अधिकार है। इस तथ्य को देखते हुए कि आईबीबीआई ने आदर्श उप–नियम आईपीए विनियम बनाए हैं और आईपीए, जैसे कि आईआईआईपीआई, ने आदर्श उप–नियमों के अनुरूप उप–नियम बनाए हैं, यह नहीं कहा जा सकता है कि अत्यधिक प्रत्यायोजन है। दरअसल, आईबीसी की धारा 205 स्पश्ट रूप से यह निर्धारित करती है कि, आईबीसी के उपबंधों और उसके अधीन नियमों और विनियमनों के अधीन, आईबीबीआई की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद, आईपीए को उप–नियमों को तैयार करना चाहिए जो आदर्श उप–नियमों के अनुरूप हैं। आईबीबीआई ....''* इसके अलावा, इसने एएफए के लिए पात्रता के लिए लगाए गए मानदंडों को बरकरार रखा और टिप्पणी की कि *''हमें निर्दिश्ट मानदंडों के बारे में पूर्व दृष्टया कुछ भी मनमाना नहीं लगता है। ..इस प्रकार, उक्त मानदंड स्पश्ट रूप से अनुचित या मनमाना नहीं हैं, लेकिन ऐसे एएफए के लिए आईपी की पात्रता तय करने के लिए सार्थक प्रतीत होते हैं। हमारे विचार में, इन उपायों का उद्देश्य व्यवसाय को विनियमित करना है न कि किसी व्यक्ति को व्यवसाय की प्रेक्टिस करने के अधिकार से वंचित करना। इसलिए, हम यह निश्कर्ष निकालते हैं कि अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन नहीं किया गया है।''*

*सीए के मामले में वेंकट शिव कुमार बनाम. आईबीबीआई* [32] मामले में मद्रास के माननीय उच्च न्यायालय (एचसी) ने आईपी विनियमनों के विनियमन 7(2)(गक) की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, जो यह निर्धारित करता है कि आईपी को पिछले वित्तीय वर्श में आईबीबीआई को इस रूप में प्रदान की गई सेवाओं से अर्जित व्यावसायिक शुल्क के 0.25ः पर गणना शुल्क का भुगतान करना होगा। याचिका को निरस्त करते हुए, एचसी ने कहा : *''... हम निश्कर्ष निकालते हैं कि आईबीबीआई आईपी के संबंध में महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करता है और फीस और सेवाओं के बीच व्यापक संबंध है। इस तथ्य को देखते हुए कि प्राप्त शुल्क और प्रदान की गई सेवा के बीच प्रत्यक्ष या अंकगणितीय संबंध विशेश रूप से नियामक शुल्क के संदर्भ में आवश्यक नहीं है, हमारा विचार है कि आईपी विनियमनों के विनियमन 7(2)(गक) कुछ के लिए कुछ के अभाव के कारण संवैधानिक दुर्बलता से किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं हैं।''* यह माना गया कि एक उपाय के रूप में वार्षिक पारिश्रमिक का उपयोग करके शुल्क लेने और इस तरह के शुल्क की राशि प्रभारित करने की शक्ति प्रदान करना आईबीबीआई का आवश्यक विधायी कार्य का प्रत्यायोजन नहीं है। शुल्क लगाने के लिए आईबीबीआई की क्षमता के संबंध में, एचसी ने कहाः *''उपरोक्त से, हम पाते हैं कि आईपी और दिवाला व्यवसायिक अभिकरणों द्वारा देय शुल्क के संबंध में नियम बनाने के लिए आईबीबीआई की शक्तियों के संबंध में कोई सवाल नहीं हो सकता है। पारिश्रमिक के प्रतिशत के रूप में शुल्क लगाने के संबंध में, हम ध्यान दें कि शुल्क बनाने की शक्ति किसी भी बंधन के अधीन नहीं है, सिवाय इसके कि यह आईबीसी के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए होना चाहिए। इस वैधानिक ढांचे को देखते हुए, हम यह निश्कर्ष निकालते हैं कि आईबीबीआई को आईबीसी की धारा 196 और 207 के अधीन आईपी पर शुल्क लगाने का अधिकार है, जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष में आईपी के रूप में वार्शिक पारिश्रमिक का प्रतिशत शामिल है।*

*अरुण कुमार जगतरामका बनाम जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड और अन्य*[33] मामले में परिसमापन प्रक्रिया विनियमनों के विनियमन 2ख की संवैधानिक वैधता जिसने संहिता की धारा 29क के अधीन संहिता की धारा 230 के अधीन किसी समझौते अथवा व्यवस्था पर प्रतिबंधित व्यक्तियों पर पक्षकार होने की सीमा लगाई है। एससी ने माना कि संहिता की धारा 29क और धारा 35(1)(च) में निशेध, कंपनी अधिनियम, 2013 (योजना) की धारा 230 के अधीन समझौता या व्यवस्था की योजना से जुड़ा होना चाहिए, जहां संहिता के अधीन व का परिसमापन चल रहा है। उक्त विनियमन के अभाव में भी, धारा 35(1)(च) के साथ पठित धारा 29क के अधीन अपात्र व्यक्ति को संहिता के अधीन परिसमापन के दौर से गुजर रही कंपनी के पुनरुद्धार के लिए योजना का प्रस्ताव करने की अनुमति नहीं है। संहिता के अध्याय III के उपबंधों के अनुसार परिसमापन से गुजर रही कंपनी के मामले में, योजना परिसमापन प्रक्रिया का पहलू है। यह स्पष्ट रूप से बेतुकापन होगा यदि ऐसा व्यक्ति जो समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए अपात्र हैं, परिसमापन में कंपनी की संपत्ति की बिक्री में भाग ले या या योजना प्रस्तावित करे या उसे सीडी की बिक्री में 'जारी कंसर्न' के रूप में किसी भी तरह से भाग लेने की अनुमति दी जाए। वही तर्क जो अध्याय II के अधीन समाधान प्रक्रिया में व्याप्त है (धारा 29क के उपबंधों के आधार पर अध्याय प्प् के अधीन परिसमापन प्रक्रिया में प्रवेश करता है ख्धारा 35(1)(क) के उपबंधों के आधार पर,। एससी ने स्पश्ट किया कि तीन संहिता के अधीन पुनरुद्धार के तरीकों पर विचार किया गया है। पहला अध्याय II के उपबंधों में स्पश्ट किए गए सीआईआरपी के रूप में है। दूसरा वह है जहां सीडी या उसके व्यवसाय को विनियमन 32 का खंड (ड़) का और (च) के उपबंधों के दायरे में जारी कंसर्न के रूप में बेचा जाता है। तीसरा तब है जब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 में प्रदान किए गए तौर–तरीकों के माध्यम से पुनरुद्धार पर विचार किया गया है। इसने आगे स्पश्ट किया कि योजना को निश्चित रूप से आवेदन के निकासी सरलकर्ता के साथ समान नहीं ठहराया जा सकता है, जैसा कि संहिता की धारा 12क के अधीन विचार किया गया है। यह भी टिप्पणी की गई कि *''... आईबीसी को भारत में दिवाला और शोधन अक्षमता व्यवस्था को ओवरहाल करने के लिए पेश किया गया था। इस प्रकार, यह सावधानीपूर्वक विचार किया गया और अच्छी तरह से सोचा गया कानून है जो अतीत की प्रथाओं को दूर करने के लिए है।. विधायिका यह सुनिश्चित करने के लिए भी कड़ी मेहनत कर रही है कि इस कानून की प्रभावशीलता अपने अनुभव के आधार पर लगातार संशोधन करके मजबूत बनी रहे। नतीजतन, एनसीएलटी और एनसीएलएटी से न्यायिक हस्तक्षेप या नवाचार की आवश्यकता को न्यूनतम रखा जाना चाहिए और आईबीसी के मूलभूत सिद्धांतों से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए।''*

## सीमा अधिनियम की तुलना में संहिता – कुछ आयाम

बाबूलाल वरधरजी गुर्जर बनाम. वीर गुर्जर एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड और अन्य[34] मामले में एससी ने एए और एनसीएलएटी के आदेशों को इस आधार पर रद्द कर दिया कि संहिता की धारा 7 के अधीन आवेदन सीमा द्वारा वर्जित है। इस मामले में, एए ने 9 अगस्त, 2018 के आदेश द्वारा, मार्च 2018 में फाइल आवेदन को स्वीकार किया, जिसमें 8 जुलाई, 2011 को हुई व्यतिक्रम के संबंध में सीआईआरपी शुरू करने की मांग की गई थी। उक्त आदेश के विरुद्ध अपील पर, एनसीएलएटी ने टिप्पणी की कि संहिता 1 दिसंबर, 2016 से लागू हो गई है, 2018 में किया गया आवेदन सीमा के भीतर है। यह आगे टिप्पणी की गया कि बंधक सुरक्षा सीडी द्वारा प्रदान की गई है, 12 वर्श की सीमा अवधि सीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद

[32] डब्ल्यूपी संख्या 9132/2020 और डब्ल्यू.एम.पी. संख्या 11134/2020
[33] सीए संख्या 9664/2019
[34] सीए संख्या 6347/2019

61 (ख) के अनुसार दावे के लिए उपलब्ध है और इसलिए आवेदन सीमा के भीतर है।

एससी ने संहिता की निम्नलिखित मूल बातें नोट कीं :

(क) संहिता लाभकारी कानून है जिसका उद्देश्य सीडी को अपने पैरों पर वापस लाना है और यह केवल धन वसूली कानून नहीं है;

(ख) सीआईआरपी सीडी के प्रतिकूल होने का इरादा नहीं है बल्कि इसका उद्देश्य सीडी के हितों की रक्षा करना है;

(ग) संहिता का इरादा समय–बाधित ऋणों को मात्र जीवन दान देना नहीं है;

(घ) संहिता की धारा 7 के अधीन सीआईआरपी की शुरुआत की मांग करने वाले आवेदन के लिए सीमा की अवधि सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 द्वारा शासित है और इसलिए, आवेदन करने का अधिकार अर्जित होने की तारीख से तीन वर्श है;

(ड़) एफसी द्वारा सीआईआरपी की शुरुआत के लिए उत्प्रेरित सीडी की ओर से व्यतिक्रम है, यानी संहिता के अधीन आवेदन करने का अधिकार उस तारीख को प्राप्त होता है जब व्यतिक्रम होता है;

(च) संहिता में निर्दिश्ट व्यतिक्रम सीडी द्वारा वास्तविक गैर–भुगतान का है जब एक ऋण देय और देय हो गया है;

(छ) यदि आवेदन दाखिल करने की तारीख से तीन वर्श पहले व्यतिक्रम हुई थी, तो आवेदन समय–बाधित होगा, सिवाय उन मामलों को छोड़कर, जहां तथ्यों के आधार पर, दाखिल करने में देरी को माफ किया जा सकता है; तथा

(ज) संहिता की धारा 7 के अधीन आवेदन बंधक दायित्व के प्रवर्तन के लिए नहीं है और सीमा अधिनियम का अनुच्छेद 62 आवेदन पर लागू नहीं होता है।

एससी ने यह भी टिप्पणी की कि संहिता के लागू होने की तारीख संहिता के प्रयोजनों के लिए किसी भी सीमा अवधि को उत्प्रेरित करने के लिए पूरी तरह से अप्रासंगिक है। संहिता में ऐसा कुछ भी नहीं है जो दूर से भी इंगित करे कि धारा 7 के अधीन आवेदन के प्रयोजन के लिए सीमा की अवधि संहिता के प्रारंभ होने की तारीख से ही शुरू होनी है। इसी तरह, सीमा अधिनियम में प्रदान की गई किसी भी बात को प्रस्ताव के समर्थन के आधार के रूप में नहीं लिया जा सकता है।

*शेश नाथ सिंह और अन्य बनाम बैद्यबती शेराफुली को–ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और अन्य*[35] मामले में, एससी ने निम्नलिखित मुद्दों को टिप्पणी की :

**(क) क्या सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के अधीन किए गए विलंब की क्षमा के लिए आवेदन के अभाव में धारा 7 के अधीन आवेदन दाखिल करने में तीन वर्ष से अधिक की देरी को माफ किया जा सकता है?** सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि सीमा अधिनियम की धारा 5 किसी भी आवेदन की बात नहीं करती है। यह न्यायालय को किसी आवेदन या अपील को स्वीकार करने में सक्षम बनाता है यदि आवेदक न्यायालय को संतुश्ट करता है कि उसके पास निर्धारित समय के भीतर आवेदन न करने का पर्याप्त कारण है। हालांकि, सीमा अधिनियम की धारा 5 के अधीन औपचारिक आवेदन करने की सामान्य प्रथा है ताकि अदालत को अपीलकर्ता द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अदालत का दरवाजा खटखटाने में असमर्थता के कारण की पर्याप्तता को तौलने में सक्षम बनाया जा सके। न्यायालय द्वारा औपचारिक आवेदन के अभाव में, देरी को माफ करने के लिए, अपने विवेक का प्रयोग करने पर कोई रोक नहीं है।

**(ख) क्या सीमा अधिनियम की धारा 14 संहिता की धारा 7 के अधीन आवेदनों पर लागू होती है?** एससी ने टिप्पणी की कि संहिता की धारा 238क, सीमा अधिनियम के उपबधों को, जहाँ तक हो सकता है, संहिता के अधीन कार्यवाही पर लागू करती है। सीमा अधिनियम के सभी प्रावधान एनसीएलटी / एनसीएलएटी में कार्यवाही के लिए संभव सीमा तक लागू होते हैं। धारा 14 में गलत मंच पर कार्यवाही में लगने वाले समय को शामिल नहीं किया गया है, जो अधिकार क्षेत्र के अभाव में कार्यवाही पर विचार करने में असमर्थ है। इसलिए, सरफेसी कार्यवाही के दौरान लगाई गई पूरी अवधि को बाहर रखा जाना चाहिए।

इसने आगे कहाः *''विधानमंडल ने अपने विवेक में एनसीएलटी / एनसीएलएटी में कार्यवाही के लिए सीमा अधिनियम के प्रावधानों को शब्दशः लागू नहीं करने के लिए चुना है, लेकिन जानबूझकर 'जहाँ तक हो सकता है' शब्दों का इस्तेमाल किया है। शब्द 'जहाँ तक हो सकता है' का अर्थ प्रभावहीन नहीं है। उन शब्दों को इस अर्थ में समझा जाना चाहिए कि वे विधान की विशय–वस्तु और उस उद्देश्य के साथ सर्वोत्तम सामंजस्य स्थापित करते हैं जो विधानमंडल के विचार में है। न्यायालय उन शब्दों की व्याख्या नहीं करेंगे जो एनसीएलटी/एनसीएलएटी में कार्यवाही के लिए सीमा अधिनियम को लागू करने के उद्देश्यों को 'जहाँ तक हो सकता है' बनाने के उद्देश्यों को विफल करेंगे।''*

## आईपी के व्यवसाय का विकास

सीआईआरपी में आईपी की भूमिका के बारे में विस्तार से बताते हुए और उसकी जिम्मेदारियों के निर्वहन में उसका समर्थन करने के लिए कई आदेश दिए गए हैं। उनकी भूमिका जांच के दायरे में रही है और उन्होंने विभिन्न फैसलों में प्रशंसा और आलोचना दोनों को टिप्पणी की है।

*भारतीय स्टेट बैंक बनाम. मेसर्स मेटेनेयर लिमिटेड*[36] मामले में एनसीएलएटी ने आक्षेपित आदेश द्वारा आईआरपी के प्रतिस्थापन की आवश्यकता वाले एए के आदेश को बरकरार रखा। अपील का निपटारा करते हुए, एससी ने टिप्पणी की कि केवल इसलिए कि कोई व्यक्ति एफसी की सेवा में था और पेंशन प्राप्त कर रहा था, वह उसे आईआरपी के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य नहीं बनाता है। हालांकि, यह नोट किया गया कि पक्ष को प्रतिस्थापित करने के लिए सहमत हो गए हैं। यह टिप्पणी की गई कि आईपी के प्रतिस्थापन से संबंधित आईपी की अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और आक्षेपित आदेश को उदाहरण नहीं माना जाएगा।

*रंजीत कुमार वर्मा बनाम. स्ट्रेट एज कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों की समिति*[37] मामले में एनसीएलएटी ने माना कि आईआरपी के पास सीओसी के फैसले के विरुद्ध अपील करने का कोई अधिकार नहीं है कि वह उसे दूसरे आरपी के साथ बदल दे। वह संहिता के अधीन अपने किसी भी कानूनी अधिकार पर आक्रमण का दावा नहीं कर सकता क्योंकि उसका कोई निहित कानूनी हित नहीं है और वह हितधारक नहीं है। साथ ही, वह यह तर्क नहीं दे सकते कि सीओसी का संविधान ठीक नहीं है क्योंकि यह स्वयं द्वारा गठित किया गया था।

*सुब्रत मोनिंदरनाथ मैती (भाटिया कोक एंड एनर्जी लिमिटेड) बनाम सुरेंद्र सिंह भाटिया व अन्य*[38] मामले में एए ने टिप्पणी की कि यदि प्रत्येक आरपी पर आपराधिक अभियोजन और पुलिस जांच की बौछार की जाएगी, तो कोई भी आरपी बिना किसी डर या पक्षपात के सीआईआरपी का संचालन करने में सक्षम नहीं होगा। आरपी के रूप में कर्तव्य के वैध निर्वहन के लिए, आपराधिक आरोपों में तेजी लाने और आपराधिक प्रकृति की शिकायत दर्ज

[35] सिविल संख्या 2019 का 9198
[36] सीए संख्या 2570/2020
[37] सीए (एटी) (इंस) संख्या 2020 का 1129
[38] आईबीए/307/2019 में आईए/05/2021

करने के लिए पुलिस का उपयोग करना उचित नहीं है। यदि आरपी की ओर से कोई अनियमितताएं हैं, तो शिकायत आईबीबीआई में दर्ज की जा सकती है। एए ने सलाह दी कि आरपी और उसके परिवार के सदस्यों को पर्याप्त सुरक्षा दी जानी चाहिए। इसने पुलिस को आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अनुसार आगे बढ़ने की अनुमति दी और यह भी निदेश दिया कि आवेदन के निपटारे तक कोई कार्रवाई या उत्पीड़न या गिरफ्तारी नहीं की जाए।

*एविल मेनेजेस, एएमडब्ल्यू ऑटो कंपोनेंट लिमिटेड के समाधान व्यावसायिक बनाम शाह कोल प्रा. लिमिटेड*[39] मामले में एनसीएलएटी ने एफसी की श्रेणी में लेनदार के दावे को शामिल करने के संबंध में एए के आदेश के विरुद्ध आरपी द्वारा फाइल अपील को निरस्त करते हुए कहा कि आरपी के पास अपील फाइल करने का कोई अधिकार नहीं है और टिप्पणी की कि *'यह पता लगना शर्मनाक है कि अपील को आरपी द्वारा प्राथमिकता दी गई है जो सीआईआरपी तंत्र का हिस्सा है और धारा 21 की उप–धारा (1) के संदर्भ में, उसे केवल उन दावों का मिलान करना चाहिए जिनमें रिकॉर्ड और सत्यापन निहितार्थ हैं। परिसमापक के विपरीत, जिसे संहिता की धारा 40 के अधीन दावे को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है, जिसके विरुद्ध एए को अपील की जाती है, आरपी को किसी भी निर्णायक शक्ति के साथ निहित नहीं किया जाता है और तंत्र का हिस्सा होने के कारण उसके द्वारा की गई सभी कार्रवाई ए.ए. के नियंत्रण के अधीन होती है।'*

*जेपी केंसिंग्टन बुलेवार्ड अपार्टमेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन और अन्य बनाम एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड और अन्य*[40] मामले में (आदेश दिनांक 02 मार्च, 2021) एससी ने माना कि वह आईआरपी की गिरफ्तारी के कारण हुए घटनाक्रम से स्तब्ध था, जो न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार काम कर रहा था और सीडी के कामकाज को सौंपा गया था। यह टिप्पणी की गया कि मामले से निपटने वाला पुलिस अधिकारी संहिता की धारा 233 के अधीन न्यायालय द्वारा नियुक्त आईआरपी के विशेशाधिकार के प्रावधान से परिचित नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने आईआरपी को तत्काल रिहा करने का निदेश देते हुए जांच अधिकारी को निदेश दिया कि वह कोई जबरदस्ती न करें।

## संहिता के अधीन अधिस्थगन का प्रभाव

आवेदन को दाखिल करने पर धारा 14 के प्रयोजनों के लिए संहिता की धारा 13 के अधीन घोशित अधिस्थगन, कई मामलों में विवादास्पद मुद्दा रहा है। इसके विरुद्ध प्रतिकूल कार्रवाई को अस्थायी रूप से रोकने के लिए, सीआईआरपी के अधीन सीडी के विरुद्ध कुछ गतिविधियों का अधिस्थगन निलंबन है। यह सीडी को आस्ति के मूल्य की रक्षा करने में मदद करता है और इसे समाधान का पता लगाने और मूल्य अधिकतमकरण सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है।

*संदीप कुमार बजाज और अन्य बनाम भारतीय स्टेट बैंक और अन्य*[41] मामले में याचिकाकर्ता, जो पूर्ववर्ती प्रवर्तक/निदेशक हैं और सीडी के ऋण के लिए प्रत्याभूतिदाता हैं, सीडी के संबंध में अधिस्थगन का आश्रय लेते हुए एसबीआई द्वारा जारी एससीएन को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ताओं को कारण बताने के लिए कहा कि आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार उनके नाम जानबूझ कर व्यतिक्रम करने वालों की सूची में शामिल क्यों नहीं होने चाहिए। कलकत्ता के एचसी ने निर्णय दिया कि धारा 14(3)(ख), जो संस्था को प्रतिबंधित करती है या सीडी के विरुद्ध मुकदमा और अन्य कार्यवाही जारी रखती है, प्रतिभूति पर लागू नहीं है।

*यूको बैंक बनाम जी रामचंद्रन*[42] मामले में बैंक ने दो कंपनियों के समूह द्वारा लिए गए ऋण की जमानत के लिए सीडी द्वारा किए गए दो सावधि जमा से 2.27 करोड़ रुपये की राशि को समायोजित किया। एए ने बैंक को सीडी में क्रेडिट बहाल करने का निदेश दिया। एनसीएलएटी ने टिप्पणी की कि एक बार सीआईआरपी शुरू हो जाने और स्थगन लागू हो जाने के बाद, बैंक द्वारा इस तरह के समायोजन को बनाए नहीं रखा जा सकता है और सीआईआरपी की शुरुआत के ज्ञान की कमी अप्रासंगिक नहीं है।

यह सवाल कि क्या परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (एनआई अधिनियम) की धारा 138 के अधीन कार्यवाही की निरंतरता या निरंतरता को धारा 14 के अधीन अधिस्थगन द्वारा कवर किया जा सकता है, *पी. मोहनराज और अन्य बनाम शाह ब्रदर्स इस्पात प्रा. लिमिटेड*[43] मामले में एससी द्वारा विचार किया गया। उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की कि:

(क) अर्ध–आपराधिक कार्यवाही, जिसके परिणामस्वरूप सीडी की आस्तियां समाप्त हो जाएगी, जिसके परिणामस्वरूप मुआवजे का भुगतान करना होगा जो कि बाउंस चेक की राशि से दोगुना हो सकता है, सीधे सीआईआरपी को उसी तरह प्रभावित करेगा जैसे ऋण या अन्य देयता की राशि के लिए दीवानी अदालत में इस तरह के मुकदमे में डिक्री के संस्थापन, संचालन, या निश्पादन को प्रभावित करता है। इस उद्देश्य के दृश्टिकोण से, वाद के प्रभाव और धारा 138 कार्यवाही के बीच किसी भी अंतर को समझना असंभव है, जहां तक सीडी का संबंध है, सीआईआरपी के दौरान अपने पैरों पर वापस खड़ा करने के लिए आवश्यक सांस लेने की जगह मिल रही है।

(ख) धारा 14(1)(क) सीडी की मौद्रिक देनदारियों को संदर्भित करता है और धारा 14(1)(ख) सीडी की आस्तियों को संदर्भित करता है, और साथ में, ये दो खंड ऐसी योजना बनाते हैं जो सीडी को अधिस्थगन अवधि के दौरान आर्थिक हमलों से बचाती है यह ताकि सीडी को सांस लेने की जगह मिल सके और वह अंततः स्वयं को पुनः जारी कंसर्न के रूप में स्थापित कर सके। इस ढाल में किसी भी दरार का प्रतिकूल परिणाम होना तय है।

(ग) अधिस्थगन किसी भी सिविल या आपराधिक दायित्व को समाप्त नहीं करता है, लेकिन केवल पहले से शुरू की गई कार्यवाही और शुरू की जाने वाली कार्यवाही को प्रभावित करता है, और ऐसे प्रभाव को तब हटा दिया जाता है जब अधिस्थगन अवधि समाप्त हो जाती है।

(घ) धारा 138 कार्यवाही को ''आपराधिक भेड़िये के भेश'' में ''सिविल भेड़'' कहा जा सकता है, क्योंकि यह पीड़ित के हित को संरक्षित करने की मांग करती है, जिसमें चेक बाउंस होने के मामले में पीड़ित के अकेले कोर्ट जाने में राज्य के बड़े हित शामिल होते हैं।

(ड़) एनआई अधिनियम के अध्याय XVII में निहित अर्ध–आपराधिक कार्यवाही, संहिता की धारा 14 के उद्देश्य और संदर्भ को देखते हुए, धारा 14(1)(क) के अर्थ के भीतर ''कार्यवाही'' की राशि होगी और इसलिए, स्थगन ऐसी कार्यवाही से जुड़ जाता है।

(च) अधिस्थगन केवल सीडी पर लागू होगा, और एनआईएक्ट की धारा 141 में उल्लिखित प्राकृतिक व्यक्ति अधिनियम के अध्याय XVII के अधीन वैधानिक रूप से उत्तरदायी बने रहेंगे।

---

[39] सीए (एटी) (इंस) संख्या 2021 का 63
[40] सीए संख्या 3395/2020
[41] आईए संख्या डब्ल्यू.पी.ए 236/2020 में जी.ए. संख्या 1/2020
[42] सीए (एटी) (इंस) संख्या 761/2020
[43] सिविल अपील संख्या 2018 का 10355

## वाणिज्यिक ज्ञान और सीओसी की सर्वोच्चता

*एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड बनाम सतीश कुमार गुप्ता और अन्य, और के. शशिधर बनाम इंडियन ओवरसीज बैंक के लेनदारों की समिति मामले में अपने पहले के फैसलों पर भरोसा करते हुए, कराड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बनाम स्वप्निल भिंगरदेव और अन्य*[44] मामले में एससी ने टिप्पणी की कि ''यदि सभी कारकों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि क्या कारपोरेट देनदार को चालू चिंता के रूप में चालू रखा जा सकता है या नहीं, इसे लेनदारों की समिति के समक्ष रखा गया है और सीओसी ने मंजूरी देने के लिए एक सचेत निर्णय लिया है। समाधान योजना, तो निर्णायक प्राधिकरण को हैंड्स ऑफ मोड पर स्विच करना होगा''।

*कल्पराज धर्मशी और अन्य बनाम कोटक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स लिमिटेड और अन्य*[45] मामले में एससी ने एनसीएलएटी, जिसने समाधान योजना को स्वीकार करने के लिए सीओसी के निर्णय को रद्द कर दिया था, के एक आदेश को रद्द करते हुए अन्य बातों के साथ–साथ टिप्पणी की कि (क) सीओसी के व्यावसायिक ज्ञान को पूर्णतः सुनिश्चित करने के लिए बिना किसी न्यायिक हस्तक्षेप के संहिता द्वारा बताई गई निर्धारित समय–सीमा के भीतर प्रक्रियाओं का समापन सुनिश्चित करने को सर्वोपरि दर्जा दिया गया है, (ख) अंतर्निहित धारणा है यह है कि एफसी को सीडी की व्यवहार्यता और प्रस्तावित समाधान योजना की व्यवहार्यता के बारे में पूरी तरह से सूचित किया जाए। मतदान अंश के अनुसार, मतदान के माध्यम से बैठकों में उचित विचार–विमर्श के बाद सीओसी द्वारा व्यक्त की गई राय सामूहिक व्यावसायिक निर्णय है, (ग) विधायिका ने जानबूझकर व्यक्तिगत एफसी के ''वाणिज्यिक ज्ञान'' या एए के समक्ष उनके सामूहिक निर्णय को चुनौती देने के लिए कोई आधार प्रदान नहीं किया है और सीओसी के 'वाणिज्यिक ज्ञान' के निर्णय को गैर–न्यायसंगत बनाया गया है, (घ) अपील कानून का जीव है और कानून ने सीओसी द्वारा किए गए वाणिज्यिक निर्णय की समीक्षा करने के लिए समाधान योजना को मंजूरी देने या उसे अस्वीकार करने के लिए एनसीएलटी या एनसीएलएटी के साथ क्षेत्राधिकार और अधिकार को निवेश नहीं किया है, और (ड) सीओसी का वाणिज्यिक ज्ञान, संहिता की धारा 30 और 31 के अधीन यथा–प्रदत्त सीमित दायरे के अतिरिक्त, हस्तक्षेप नहीं करता है।

*जेपी केंसिंग्टन बुलेवार्ड अपार्टमेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन और अन्य बनाम एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड और अन्य*[46] मामले में, सीओसी द्वारा पहले से अनुमोदित समाधान योजना को कुछ संशोधनों के साथ, एए द्वारा अनुमोदित किया गया। एए के आदेश को एनसीएलएटी के समक्ष अपील में चुनौती दी गई थी। अपील की कार्यवाही में, एनसीएलएटी द्वारा एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था जिसमें अपील के अंतिम परिणाम के अधीन समाधान योजना के कार्यान्वयन की अनुमति दी गई थी और इसके कार्यान्वयन के लिए एक अंतरिम निगरानी समिति का गठन किया गया था। इस अंतरिम आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में कई अपीलें फाइल की गई थीं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड की समाधान योजना से संबंधित अपीलों पर विचार करते हुए अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:

(क) सीओसी की भूमिका नायक की तरह है, जो प्रक्रिया को अंतिम रूप देता है (एए द्वारा अनुमोदन के अधीन), जो अपने व्यावसायिक ज्ञान और उसके परिणामों में महत्वपूर्ण निर्णय लेता है। संहिता की धारा 31 में न्यायिक समीक्षा की शक्ति किसी भी निम्न या अधीनस्थ प्राधिकारी के निर्णय के गुणों से निपटने के लिए वरिष्ठ प्राधिकारी की शक्ति के समान नहीं है। समाधान योजना के अनुमोदन के मामले में एए के पास सीमित क्षेत्राधिकार है, जो अच्छी तरह से परिभाषित है और धारा 30(2) और 31 द्वारा परिबद्ध है और एससी द्वारा अपने विभिन्न निर्णयों में वर्णित मापदंडों के साथ पढ़ा गया है। अपने सीमित अधिकार क्षेत्र के भीतर, यदि एए को निर्दिश्ट मापदंडों के मुकाबले समाधान योजना में कोई कमी मिलती है, तो वह केवल समाधान योजना को संहिता द्वारा निर्दिश्ट मापदंडों को पूरा करने के बाद फिर से जमा करने के लिए सीओसी को वापस भेजेगा और इसे एससी द्वारा उजागर किया जाएगा।

(ख) उनमें से एक को चुनने के लिए दो योजनाओं पर एक साथ मतदान की प्रक्रिया को दोशपूर्ण नहीं किया जा सकता है। विधायिका ने स्वयं 7 अगस्त, 2020 से एक बाद के संशोधन के माध्यम से विशेश रूप से सीओसी द्वारा एक से अधिक समाधान योजना पर एक साथ मतदान के लिए, विशेष रूप से उप–विनियमन (3) के संशोधन के साथ सीआईआरपी विनियमनों के विनियमन 39 और उप–विनियमन (3क) और (3ख) के सम्मिलन के साथ स्थिति स्पष्ट कर दी है।

(ग) असहमति एफसी मौद्रिक शर्तों में देय राशि प्राप्त करने का हकदार है और किसी अन्य अवधि में नहीं। इसे इक्विटी या प्रतिभूतियों के माध्यम से सीडी से जुड़े रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।

(घ) एनबीसीसी की समाधान योजना के लिए सहमति देने वाला घर खरीदारों का कोई वर्ग, कोई भी व्यक्तिगत घर खरीदार या घर खरीदारों का कोई संघ, समाधान योजना को चुनौती नहीं दे सकता है और इसे असंतुश्ट एफसी या पीड़ित व्यक्ति नहीं माना जा सकता है।

अनुच्छेद 142 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एससी ने आरए (सुरक्षा रियल्टी और एनबीसीसी) को संशोधित / ताजा समाधान योजना प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए सीआईआरपी को पूरा करने का समय 45 दिनों तक बढ़ा दिया, जो संहिता की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं। और सीआईआरपी विनियम और इस निर्णय में टिप्पणियों और निश्कर्शों के अनुरूप हैं।

*विशाल विजय कलंत्री बनाम शैलेन शाह (दिघी पोर्ट लिमिटेड का आरपी) और अन्य*[47] मामले में, अपीलकर्ता ने, अन्य बातों के साथ–साथ, समाधान योजना को मंजूरी देने वाले एए के आदेश को इस आधार पर चुनौती दी कि निपटान प्रस्ताव समाधान योजना से बेहतर था और समाधान योजना को सीओसी द्वारा अनुमोदन से पहले भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अनुमोदन नहीं था। अपील को निरस्त करते हुए, एनसीएलएटी ने माना कि समाधान योजना की तुलना में सीडी की आस्ति के मूल्य को अधिकतम करने के मामले में निपटान प्रस्ताव की श्रेश्ठता को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि यह सीओसी के व्यावसायिक ज्ञान पर आधारित एक व्यावसायिक निर्णय है। और न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी नहीं है।

## एए का न्यायाधिकार/शक्तियां

संहिता के अधीन एए के न्यायाधिकार का दायरा विभिन्न मामलों में विवाद का विशय रहा है।

*यूनिवैल्यू प्रोजेक्ट्स प्रा. लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य*[48] मामले में याचिकाकर्ताओं ने एनसीएलटी के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें सभी एफसी को संहिता की धारा 7 के अधीन आवेदन के साथ आईयू से व्यतिक्रम

[44] सीए संख्या 2955/2020 और 2902/2020
[45] सिविल अपील संख्या 2020 का 2943–2944
[46] सिविल अपील संख्या 2020 का 3395
[47] सीए (एटी) (इंस) संख्या 466/2020
[48] डब्ल्यु पी संख्या 5595 (डब्ल्यु)/2020 के साथ सी.ए.एन. 3347/2020 सिविल अपील संख्या 2019 का 9241

का रिकॉर्ड जमा करना अपेक्षित था और पक्षों को पहले फाइल किए गए आवेदनों के संबंध में ऐसे रिकॉर्ड जमा करना अपेक्षित था, लेकिन वे सीआईआरपी में प्रवेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। एनसीएलटी के अधिकार के संबंध में, एचसी ने टिप्पणी की कि: *''जबकि एनसीएलटी और एनसीएलएटी दोनों को अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए शक्तियां प्रदान की गई हैं, इसकी शक्ति का ऐसा उपयोग सीमित है और यह नियामक निकाय, आईबीबीआई द्वारा आईबीसी, 2016 के अधीन बनाए गए किसी भी नियम/विनियमनों सहित सीए, 2013 या आईबीसी, 2016 के उपबंध सहित, अन्य बातों के साथ–साथ, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अधीन है। इसलिए, एनसीएलटी और एनसीएलएटी की शक्तियां प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के साथ–साथ ऐसे कानूनों के अधीन बनाए गए वैधानिक उपबंधों और विनियमनों दोनों द्वारा सीमित हैं।*

*गुजरात में ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड बनाम अमित गुप्ता और अन्य*[49] मामले में एससी ने माना कि एनसीएलटी / एनसीएलएटी केवल सीडी के विरुद्ध सीआईआरपी शुरू होने के कारण अनुबंधों को समाप्त करने के लिए संहिता की धारा 60(5)(ग) के अधीन न्यायाधिकार का प्रयोग कर सकता है, और इसने माना कि एए के पास सीडी के दिवाला से संबंधित विवादों का न्यायनिर्णयन करने का न्यायाधिकार है, हालांकि, ऐसा करने में, एए और एनसीएलएटी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे अन्य अदालतों और अधिकरणों के वैध न्यायाधिकार को हड़प न लें। वे वह नहीं कर सकते जो संहिता ने सोच–समझ कर उन्हें करने की शक्ति प्रदान नहीं की। एए के न्यायाधिकार को उन मामलों में लागू नहीं किया जा सकता है जहां सीडी की दिवाला से असंबंधित आधार पर अनुबंधों की समाप्ति हो सकती है। तथ्यतः खंड के आधार पर अनुबंध की वैध समाप्ति की स्थिति में भी इसे लागू नहीं किया जा सकता है, अगर इस तरह की समाप्ति से सीडी का अंत सुनिश्चित नहीं होगा।

*सोडेक्सो इंडिया सर्विसेज प्रा. लिमिटेड बनाम केमिजोल एडिटिव्स प्रा. लिमिटेड*[50] मामले में एनसीएलएटी ने टिप्पणी की कि एए के पास धारा 9 के अधीन केवल दो विकल्प हैं, या तो आवेदन स्वीकार करना या उसे अस्वीकार करना और कोई तीसरा विकल्प या पाठ्यक्रम कानून द्वारा निर्धारित नहीं है। एए के अवलोकन के संबंध में कि सीडी प्रथम–दृश्टया करदानक्षम कंपनी प्रतीत होती है, एनसीएलएटी ने टिप्पणी की कि संहिता एए को, सिवाय इसके कि किस हद तक एफसी या ओसी, जिन्होंने सीआईआरपी को उत्प्रेरित करने की मांग की थी, सीडी की शोधन क्षमता या दिवाला के पहलू की जांच करने की अनुमति नहीं देता है।

*आलोक कौशिक बनाम. भुवनेश्वरी रामनाथन और अन्य*[51] मामले में एससी ने आदेश दिया कि यहां तक कि ऐसी स्थिति में जहां अंततः एए या अपीलीय प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा सीआईआरपी को अलग रखा जाता है, एए को सीआईआरपी लागत के आंतरिक हिस्से के रूप में विशेशज्ञ मूल्यांकक को देय राशि का निर्धारण करने के लिए संहिता की धारा 60(5)(ग) के अधीन पर्याप्त रूप से सशक्त किया गया है। इसने आगे टिप्पणी की कि आईपी के विरुद्ध शिकायत निवारण तंत्र की उपलब्धता एनसीएलटी को संहिता की धारा 60(5)(ग) के अधीन अपने अधिकार क्षेत्र से वंचित नहीं करती है। इस तरह की शिकायत निवारण तंत्र का उद्देश्य आरपी के गलत आचरण को दंडित करना है न कि अन्य व्यवसायिकों के दावों को निर्धारित करना जो सीआईआरपी लागत का हिस्सा हैं।

## स्वीकृत समाधान योजना की तुलना में सरकारी देय राशि

*इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स लिमिटेड बनाम झारखंड राज्य और अन्य*[52] मामले में याचिकाकर्ता ने बकाया कर के एवज में उसके विरुद्ध जारी आदेश को चुनौती देते हुए आवेदन फाइल किया था। यह बताया गया कि राज्य सरकार को एक ओसी होने के नाते आरपी के समक्ष अपना दावा फाइल करना चाहिए था और समाधान योजना को अंतिम रूप देने से पहले ऐसा करने में विफल होने पर, याचिकाकर्ता की कर देयता, संहिता की धारा 31 के अधीन वर्जित थी। झारखंड एचसी ने नोट किया कि विनियमनों के साथ पठित संहिता में अपेक्षा की गई है कि याचिकाकर्ता के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय और प्रधान कार्यालय के स्थान पर व्यापक प्रसार के साथ समाचार पत्रों में सार्वजनिक घोशणा की जाए, जो दोनों झारखंड राज्य में स्थित हैं, लेकिन राज्य में सीआईआरपी की सार्वजनिक घोशणा नहीं की गई। इसलिए, प्रतिवादी के पास सीआईआरपी के बारे में कोई जानकारी रखने का कोई अवसर नहीं था और वह आईआरपी के समक्ष दावा करने से वंचित रहा। चूंकि यह समाधान प्रक्रिया में शामिल नहीं था, इसलिए समाधान योजना को संहिता की धारा 31 के अधीन राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं कहा जा सकता है।

*राजस्थान एचसी ने अल्ट्रा टेक नाथद्वारा सीमेंट लिमिटेड बनाम भारत संघ*[53] मामले में लंबित सरकारी बकाया पर समाधान योजनाओं की बाध्यकारी प्रकृति पर जोर दिया। समाधान योजना के कार्यान्वयन के बाद, केंद्रीय जीएसटी विभाग ने सीडी को इस बहाने कई मांग नोटिस जारी किए कि आरपी/सीओसी ने विभाग के पूरे बकाया का भुगतान नहीं किया जैसा कि समाधान प्रक्रिया में दावा किया गया था और समाधान योजना के अनुमोदन के समय उनकी सुनवाई नहीं हुई थी। एचसी ने टिप्पणी की कि *''संहिता को यह सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया गया है कि संकट में सीडी गुमनामी में नहीं मिटती है और इसे समाधान योजना के माध्यम से पुनर्जीवित किया जा सकता है। यह नोट किया गया कि धारा 31 के संदर्भ में, एक बार एए द्वारा अनुमोदित समाधान योजना उन सभी संबंधितों के लिए बाध्यकारी होती है जिनके लिए सीडी का वैधानिक बकाया हो सकता है। इसने विभाग द्वारा जारी नोटिस को यह देखते हुए कि, ''अधिकारी को एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए था और पूरी तरह से तुच्छ मुकदमे में लिप्त होने के बजाय मांगों को तुरंत वापस लेना चाहिए था, अवैध और मनमाना बताते हुए अलग रखा।''*

*ऐसा ही एक मामला हरियाणा राज्य बनाम उत्तम स्ट्रिप्स लिमिटेड और अन्य*[54] के मामले में भी उठा, जिसमें एए ने समाधान योजना के कार्यान्वयन के बाद आबकारी एवं कराधान अधिकारी के दावे को देखने के आवेदन को निरस्त कर दिया। अपील पर, एनसीएलएटी ने टिप्पणी की कि हालांकि दावा वैधानिक देय है जो परिचालन ऋण है, अपीलकर्ता आरपी के समक्ष इसे दाखिल करने में विफल रहा है। *एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड बनाम सतीश कुमार गुप्ता की लेनदारों की समिति*[55] पर भरोसा करते हुए, एनसीएलएटी ने माना कि चूंकि अपीलकर्ता आरपी के समक्ष अपना दावा प्रस्तुत करने में विफल रहा है और एए के अनुमोदन के बाद समाधान योजना लागू की गई है, इसलिए सफल आरए पर पिछली देनदारियों के साथ बोझ नहीं डाला जा सकता है। ऐसा कार्य सफल आरए के लिए सीडी का व्यवसाय चलाना असंभव बना देगा, अंततः संहिता के पूरे उद्देश्य और तंत्र को विफल कर देगा।

---

[49] सिविल अपील संख्या 2019 का 9241
[50] सीए (एटी) (इंस) संख्या 1094/2020
[51] सिविल अपील संख्या 2020 का 4065 डब्ल्यु.पी. (टी) संख्या 2019 का 6324–6327
[52] डब्ल्यु.पी. (टी) संख्या 2019 का 6324–6327
[53] डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 9480–2019
[54] सीए (एटी) (इंस) संख्या 2020 का 319
[55] सिविल अपील संख्या 8766–67/2019 और अन्य याचिकाएं

## समाधान योजना

*कुंदन केयर प्रोडक्ट्स लिमिटेड बनाम श्री अमित गुप्ता और अन्य*[56] मामले में अपीलकर्ता, जो सफल आरए हैं, ने अपनी समाधान योजना को वापस लेने के लिए अपने आवेदन को निरस्त करने वाले आक्षेपित आदेश को इस आधार पर चुनौती दी कि अनुमोदन,जो अनुरक्षणीय नहीं है, के पश्चात समाधान योजना को वापस लेने के आवेदन का कोई कानूनी आधार नहीं है। एनसीएलएटी ने टिप्पणी की कि आरए जिसकी समाधान योजना सीओसी द्वारा अनुमोदित है, को विभिन्न हितधारकों की क्षति के लिए अपनी स्थिति को बदलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसने इस तर्क को निरस्त कर दिया कि समाधान योजना के विशिश्ट प्रदर्शन को चार प्रमुख आधारों, अर्थात, (क) संहिता में कोई प्रावधान नहीं है जो सफल आरए को अपनी योजना को सीओसी द्वारा अनुमोदित होने के बाद वापस लेने का अधिकार देता है, (ख) सफल समाधान योजना में आरए को बाध्य करने वाली संविदात्मक शर्तें शामिल हैं, लेकिन यह व्यक्तिगत सेवा का अनुबंध नहीं है जो कानूनी रूप से अप्रवर्तनीय है, (ग) आरए को अनुमोदित योजना के अधीन किए गए देनदारियों से बाहर निकलने से रोक दिया गया है और आचरण से रोक लगाने का सिद्धांत उस पर लागू होगाय और (घ) सीडी की आस्ति का मूल्य सीआईआरपी में समय बीतने के साथ कम हो जाता है और सफल आरए के छूट के साथ बाहर निकलने की स्थिति में, सीडी के घटते मूल्य से सभी हितधारकों को तबाही की स्थिति में छोड़ दिया जाएगा, पर बाध्य नहीं किया जा सकता है।

*एडुकॉम्प सॉल्यूशंस लिमिटेड की लेनदारों की समिति बनाम एबिक्स सिंगापुर पीटीई लिमिटेड और अन्य*[57] मामले में, एनसीएलएटी द्वारा एक समान दृश्टिकोण अपनाया गया था जिसमें एए ने अन्य कानूनी परिणामों के अधीन, लागत के साथ समाधान योजना को वापस लेने की अनुमति दी, क्योंकि आरए ने योजना को वापस लेने के लिए चुना है जिससे इसके कार्यान्वयन के बारे में संदेह पैदा हो गया है। प्रतिवादियों ने इस आधार पर आक्षेपित आदेश का समर्थन किया कि समाधान योजना को पर्याप्त समय के व्यतिक्रम और सीडी के लिए सीआईआरपी में गंभीर और अत्यधिक देरी के कारण व्यावसायिक रूप से अव्यवहारिक बना दिया हैय 2014–2018 के दौरान सीडी के मामलों में गंभीर कुप्रबंधन और घोर वित्तीय अनियमितताएं और धोखाधड़ी आदि बाद में उजागर हुई; समाधान योजना प्रस्ताव है और यह प्रस्तावकर्ता को तभी बाध्य करती है जब इसे उसकी अवधि के अनुसार स्वीकार किया जाता है। एनसीएलएटी ने टिप्पणी की कि एए धारा 32 में उल्लिखित आधारों के अलावा सीओसी के बहुमत निर्णय के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता है। यह आगे नोट किया गया कि उचित विचार–विमर्श के बाद, जब आरए ने संहिता की धारा 25(2)(ज) के अवयवों को ध्यान में रखते हुए कि समाधान योजना में कोई परिवर्तन या पूरक जानकारी समाधान योजना की जमा तिथि के बाद स्वीकार नहीं की जाएगी, तो यह पेशकर्ता को तभी बाध्य करती है जब इसे इसकी शर्तों के साथ स्वीकार किया जाता है तो आरए भी उलटफेर का रुख लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है' और अनुमोदित समाधान योजना को वापस लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसने आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया।

*सेरोको लाइटिंग इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड बनाम रवि कपूर, आरपी, आर्य फिलामेंट्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य*[58] मामले में, एए ने अनुमोदित समाधान योजना के संशोधन के लिए अपीलकर्ता की प्रार्थना को ठुकरा दिया। अपील को निरस्त करते हुए, एनसीएलएटी ने टिप्पणी की कि सफल आरए को अनुमोदित समाधान योजना को वापस लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, इस तथ्य के साथ कि तत्काल मामले में सीआईआरपी में एकमात्र आरए है, जो एक एमएसएमई है और वित्तीय स्थिति का ज्ञान रखता है। सीडी को प्रवर्तक के रूप में या जुड़े हुए व्यक्ति के रूप में, अनुमोदित योजना के संशोधन की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जो कि संहिता की धारा 61(3) के दायरे में भौतिक अनियमितता नहीं होगी।

हाल ही में, कारपोरेशन बैंक के माध्यम से *एएमटीईके ऑटो लिमिटेड की लेनदारों की समिति बनाम दिनकर टी वेंकटसुब्रमण्यम और अन्य*[59] मामले में, डेक्कन वैल्यू इन्वेस्टर्स (डीवीआई) द्वारा फाइल एक आईए को निरस्त करते हुए, एससी ने 18 जून, 2020 को आदेश दिया कि ''आवेदक द्वारा प्रस्ताव को वापस लेने के लिए किए गए आवेदन को निरस्त किया जाता है और यदि वह इस तरह की प्रेक्टिस में लिप्त होता है, तो इस न्यायालय द्वारा उसकी ओर से पारित विभिन्न आदेशों के मद्देनजर इसे इस न्यायालय की अवमानना माना जाएगा। इसके बाद 9 जुलाई, 2020 को एए ने डीवीआई द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना को मंजूरी देते हुए एक आदेश पारित किया। डीवीआई ने एए के आदेश को चुनौती देते हुए एनसीएलएटी के समक्ष अपील फाइल की। जबकि अपील लंबित थी, डीवीआई ने 3 सितंबर, 2020 के मेल के माध्यम से, कोविड–19 के प्रकोप जो 'अप्रत्याशित घटना' थी, के मद्देनजर समाधान योजना को समाप्त करने की मांग की। इसने एनसीएलएटी के समक्ष लंबित अपील में 10 सितंबर, 2020 को आईए फाइल किया और निश्पादन बैंक गारंटी को रद्द करने और वापस करने की मांग की। सीओसी ने इस आधार पर अवमानना याचिका फाइल की कि डीवीआई ने समाधान योजना को वापस लेने की मांग करते हुए 18 जून, 2020 के एससी के आदेश का उल्लंघन किया है, जबकि डीवीआई ने एससी के 18 जून, 2020 के आदेश में सुधार के लिए आवेदन फाइल किया। सुधार के लिए आवेदन को निरस्त करते हुए, एससी ने टिप्पणी की कि आवेदन डीवीआई द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना से मुकरने और अपने दायित्वों से मुकरने का प्रयास है। यह एक कुटिल प्रयास है जिसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि महामारी के प्रभाव की फिर से जांच करने और समाधान योजना की शर्तों पर फिर से बातचीत करने की मांग करने वाली याचिका यह स्पश्ट करती है कि डीवीआई इसके लिए तैयार नहीं था। यह दावा करना कि सीओसी द्वारा समाधान योजना के अनुमोदन के बाद बातचीत और चर्चा की कोई गुंजाइश है, यह स्पष्ट रूप से संहिता की शर्तों के विपरीत होगा। एससी ने निश्कर्श निकाला कि निस्संदेह, डीवीआई का आचरण प्रामाणिक नहीं है। इसने डीवीआई की ओर से बयान पर ध्यान दिया कि यह बल की बड़ी याचिका की स्थापना नहीं करेगा। इसने कहाः *''हालांकि डीवीआई के आचरण में कमी थी, हमें अवमानना क्षेत्राधिकार को लागू करने के बारे में सावधान रहना चाहिए क्योंकि एक अस्थिर याचिका (अप्रत्याशित घटना) स्थापित करने के लिए दंडात्मक परिण ामों को आमंत्रित नहीं करना चाहिए जो कि अवमानना न्यायाधिकार की प्रेक्टिस से उत्पन्न होते हैं। इसी तरह, समाधान योजना की शर्तों को पूरा करने में डीवीआई के व्यतिक्रम से कानून में परिकल्पित परिणाम सामने आ सकते हैं। शेश पर, हमारा सुविचारित विचार है कि इस न्यायालय के अवमानना न्यायाधिकार का प्रयोग करना उचित नहीं होगा।''*

## परिहार लेनदेन

सभी न्यायालयों में दिवाला कानून में प्राथमिकताओं से बचना सामान्य प्रावधान है। संहिता आरपीध्परिसमापक को यह निर्धारित करने के लिए बाध्य करती है कि क्या सीडी पूर्व में तरजीही, धोखाधड़ी, कम मूल्यांकन, और जबरन वसूली जैसे परिहार लेनदेन करता रहा है, और यदि ऐसा है,

[56] सीए (एटी) (इंस) संख्या 653/2020
[57] सीए (एटी) (इंस) संख्या 203/2020
[58] सीए (एटी) (इंस) संख्या 1054/2020
[59] सीए संख्या 6707/2019 में आईए संख्या 58156/2020

तो उचित निदेशों के लिए एए के साथ आवेदन दाखिल करने के लिए उस पर दायित्व डालता है।

*मेसर्स वीनस रिक्रूटर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य*[60], एचसी ने विचार किया कि क्या अधिमान्य लेनदेन से बचने के लिए संहिता की ध ाारा 43 के अधीन फाइल आवेदन सीआईआरपी के निश्कर्ष और एनसीएलटी के न्यायाधिकार और इस तरह के आवेदन के संबंध में आरपी की भूमिका के निश्कर्श के बाद बच सकता है। यह, अन्य बातों के साथ–साथ, निम्नानुसार आयोजित किया गयाः

(क) परिहार आवेदन सीआईआरपी के निश्कर्ष के बाद जीवित नहीं रह सकते हैं। यह समाधान योजना के अनुमोदन के बाद सीडी के लेनदारों को लाभ देने के लिए है, न कि सीडी को उसके नए अवतार में लाभ देने के लिए।

(ख) एनसीएलटी के पास 'कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान और परिसमापन के संबंध में' सभी आवेदनों और याचिकाओं से निपटने का न्यायाधिकार है। समाधान योजना के अनुमोदन के बाद और नए प्रबंधन द्वारा सीडी को अपने हाथ में लेने के बाद, धारा 60 के अधीन अनुमत समाधान योजना से संबंधित मुद्दों को छोड़कर, एनसीएलटी के समक्ष कोई कार्यवाही लंबित नहीं रहती है। इसे परिहार आवेदनों पर विचार करने और सीडी जो अब एक नए प्रबंधन के अधीन है निर्णय लेने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है,जब तक अंतिम समाधान योजना में कोई उपबंध नहीं किया जाता है।

(ग) एक बार योजना स्वीकृत हो जाने और नए प्रबंधन के कार्यभार संभालने के बाद, आरपी सीडी की ओर से आरपी 'शीर्षक के अधीन कार्य करना जारी नहीं रख सकता है। सीआईआरपी के बंद होने के बाद भी उनके बने रहने का मतलब कंपनी के संचालन और प्रबंधन में हस्तक्षेप होगा।

(घ) सफल आरए एक परिहार आवेदन दाखिल नहीं कर सकता है, क्योंकि यह समाधान पूरा होने के बाद न तो आरए के लाभ के लिए है और न ही सीडी के लाभ के लिए।

(ड़) संहिता की धारा 26 को इस अर्थ से नहीं पढ़ा जा सकता है कि धारा 25(2)(ञ) के अधीन लेनदेन से बचने के लिए आवेदन सीआईआरपी के बाद जीवित रह सकता है। एक बार जब सीआईआरपी प्रक्रिया स्वयं समाप्त हो जाती है, तो लेनदेन से बचने के लिए आवेदन पर निर्णय नहीं लिया जा सकता है। यदि सीओसी या आरपी का विचार है कि कोई भी लेन–देन है जो प्रकृति में आपत्तिजनक है, तो उसके संबंध में समाधान योजना के अनुमोदन से पहले आदेश पारित करना होगा।

(च) उपरोक्त निश्कर्ष केवल सीआईआरपी के संदर्भ में हैं और हालांकि, परिसमापन कार्यवाही के मामले में लागू नहीं होंगे, जिसकी इस मामले में जांच नहीं की गई है।

*कैलिबर एसोसिएट्स प्रा. लि. लिमिटेड के परिसमापक मोहन लाल जैन बनाम ललित मोदी व अन्य*[61] मामले में, परिसमापक ने तरजीही लेनदेन और धोखाधड़ी व्यापार / गलत व्यापार के संबंध में कार्रवाई करने के लिए धारा 43ध्66 के उपबंधों को लागू किया। एए ने पक्षों से होने वाले ऐसे लेन–देन के संबंध में विभिन्न संस्करणों के संबंध में टिप्पणी की कि लेनदेन को देखने के लिए यह उसकी शक्तियों के दायरे से बाहर होगा। अपील पर, एनसीएलएटी ने स्पष्ट किया कि दिवाला समाधान के दौरान सीडी द्वारा किए गए तरजीही लेनदेन के आरोपों के साथ–साथ धोखाधड़ी व्यापार/ गलत व्यापार की जांच एए द्वारा की जा सकती है।

## सीआईआरपी की शुरूआत का निलंबन

संहिता, कंपनियों और व्यक्तियों के बीच दिवाला को हल करने के लिए समयबद्ध प्रक्रिया प्रदान करती है। कोविड–19 महामारी ने भारत सहित दुनिया भर में व्यापार, वित्तीय बाजारों और अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है, और नियंत्रण से परे कारणों से व्यापार के लिए अनिश्चितता और तनाव पैदा किया है। कोविड–19 के प्रसार का मुकाबला करने के लिए 25 मार्च, 2020 से राष्ट्रव्यापी तालाबंदी भी लागू थी, जिससे सामान्य व्यावसायिक कार्यों में व्यवधान बढा। इससे कारपोरेट व्यक्तियों को बचाने के लिए पर्याप्त संख्या में आरए का पता लगाना मुश्किल हो गया, जो अपने ऋण दायित्व के निर्वहन में व्यतिक्रम कर सकते हैं। इसलिए, ऐसे कारपोरेट व्यक्तियों को रोकने के लिए संहिता की धारा 7, 9 और 10 को निलंबित करना समीचीन माना गया, जो अभूतपूर्व स्थिति के कारण संकट का सामना कर रहे हैं, उन्हें संहिता के अधीन दिवाला कार्यवाही में धकेला जा रहा है। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2020, 5 जून, 2020 को प्रख्यापित किया गया, जिसे दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2020 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जिसके बाद 25 मार्च, 2020 के बाद उत्पन्न होने वाले व्यतिक्रम के संबंध में सीआईआरपी की शुरुआत के लिए आवेदन दाखिल करने पर रोक लगा दी गई थी। । इसने सीआईआरपी की शुरुआत के अस्थायी निलंबन के लिए संहिता में धारा 10 को सम्मिलित करने का प्रावधान किया। धारा 7, 9 और 10 के अधीन सीआईआरपी की शुरुआत पर निलंबन 25 मार्च, 2021 को समाप्त हो गया। *रमेश किमल बनाम सीमेंस गेम्सा रिन्यूएबल पावर प्रा. लिमिटेड*[62] मामले में, एससी के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या धारा 10क 25 मार्च, 2020 के बाद हुए व्यतिक्रम के संबंध में 5 जून, 2020 से पहले फाइल किए गए आवेदन को प्रतिबंधित करती है। एससी ने टिप्पणी की कि धारा 10क के मूल भाग और स्पश्टीकरण को पहले उपबंध के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से समझा जाना है। उपबंधों को एक साथ पढ़ने से, यह स्पष्ट है कि संसद का इरादा 25 मार्च, 2020 को या उसके बाद होने वाले व्यतिक्रम के लिए सीडी के संबंध में सीआईआरपी के प्रारंभ के लिए आवेदन दाखिल करने पर रोक लगाना था। इसने आगे टिप्पणी की कि पूर्वव्यापी प्रतिबंध निर्धारित अवधि के दौरान सीआईआरपी की शुरुआत के लिए आवेदन दाखिल करने पर सीडी या लेनदारों के अधिकार को वसूल करने के लिए बकाया ऋण को समाप्त नहीं करता है।

## प्रत्याभूतिदाताओं का दायित्व

अनुबंध कानून के अधीन, प्रत्याभूतिदाता की देनदारी मुख्य देनदार के साथ सह–विस्तृत होती है। दूसरे शब्दों में, प्रमुख देनदार की देनदारी और प्रतिभूति की देनदारी अलग और सह–विस्तृत देनदारियां हैं। प्रत्याभूतिदाता के विरुद्ध उपाय की मांग करने से पहले लेनदार मूल देनदार के विरुद्ध अपने उपाय को समाप्त करने के लिए बाध्य नहीं है। तदनुसार, पहली बार में या तो प्रत्याभूतिदाता या मूल देनदार के विरुद्ध या दोनों के विरुद्ध कार्रवाई करना संभव है। यदि प्रत्याभूतिदाता के विरुद्ध दावा सफल होता है, तो प्रत्याभूतिदाता लेनदार बन जाता है और मूल देनदार के विरुद्ध आगे बढ़ सकता है, जिसे प्रस्थापन के रूप में जाना जाता है। संहिता की धारा 60(2) में उपबंध है कि *''जहां कारपोरेट देनदार की कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया या परिसमापन कार्यवाही राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित है, कारपोरेट प्रत्याभूतिदाता या व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाता, जैसा भी मामला हो, के दिवाला समाधान या परिसमापन या शोधन अक्षमता से संबंधित ऐसे कारपोरेट देनदार के आवेदन को राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के समक्ष फाइल किया जाएगा।''*

[60] डब्ल्युपी (सी) 8705/2019
[61] सीए (एटी) (इंस) संख्या 944/2020
[62] सिविल अपील संख्या 2020 का 4050

*लक्ष्मी पत सुराणा बनाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और अन्य*[63] के मामले में एफसी ने प्रोपराइटरशिप फर्म को क्रेडिट दिया था, जो राशि चुकाने में विफल रही। क्रेडिट की गारंटी कंपनी ने दी थी। एफसी ने सीडी (प्रत्याभूतिदाता कंपनी) की सीआईआरपी के लिए धारा 7 के अधीन एक आवेदन फाइल किया। आवेदन का इस आधार पर विरोध किया गया था कि मुख्य उधारकर्ता एक कारपोरेट व्यक्ति नहीं था। एए ने आवेदन स्वीकार किया क्योंकि सीडी ऋण चुकाने के लिए सह–व्यापक रूप से उत्तरदायी थी, और एनसीएलएटी ने इसकी पुष्टि की। अपील को निरस्त करते हुए, एससी ने कहाः *''प्रमुख उधारकर्ता एक कारपोरेट व्यक्ति हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन यदि कोई कारपोरेट व्यक्ति एक प्रमुख उधारकर्ता के कारपोरेट व्यक्ति नहीं होने के संबंध में ऋण लेनदेन के लिए गारंटी देता है, तो यह भी संहिता की धारा 3(8) में ''कारपोरेट देनदार'' अभिव्यक्ति के अर्थ के भीतर कवर किया जाएगा।''*

*किरण गुप्ता बनाम भारतीय स्टेट बैंक और अन्य*[64] मामले में एचसी ने विचार किया कि क्या कोई बैंक सरफेसी अधिनियम के अधीन एक प्रत्याभूतिदाता के विरुद्ध कार्यवाही शुरू कर सकता है या जारी रख सकता है जब मूल उधारकर्ता के विरुद्ध संहिता के अधीन कार्यवाही शुरू की गई हो। यह देखते हुए कि न तो संहिता की धारा 14 और न ही धारा 31 प्रत्याभूतिदाता के विरुद्ध कार्यवाही शुरू करने और जारी रखने से बैंक पर कोई बंधन रखती है, यह माना जाता है कि मूल उधारकर्ता और प्रत्याभूतिदाता की देयता सह–व्यापक रहती है, और एक बैंक प्रमुख उधारकर्ता के विरुद्ध सीआईआरपी की निरंतरता के दौरान सरफेसी अधिनियम के अधीन पीजी के विरुद्ध कार्यवाही पहल करने का हकदार है।

*भारतीय स्टेट बैंक बनाम एथेना एनर्जी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड*[65] मामले में एए ने कारपोरेट प्रत्याभूतिदाता के विरुद्ध आवेदन स्वीकार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि यह उसी तथ्यों के सेट पर था जिस पर सीडी का सीआईआरपी प्रगति पर था। अपील की अनुमति देते हुए, एनसीएलएटी ने टिप्पणी की कि गारंटी के मामले में, सीआईआरपी लाभप्रद हो सकती है। हालाँकि, दिनांक 15 नवंबर की अधिसूचना के अनुसार, 2019 जो उक्त संहिता के प्रावधानों को लागू करता है पीजी से लेकर सीडी तक को चुनौती दी जा रही है।

## संहिता का अधिभावी प्रभाव

कंपनी अधिनियम के अधीन समापन कार्यवाही के लंबन के दौरान संहिता की धारा 7 के अधीन, आवेदन की रखरखाव के मुद्दे पर, *ए नवीनचंद्र स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम लिमिटेड श्रेई इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड और अन्य*[66] के मामले में सीडी के संबंध में दिवाला आवेदन पर कार्रवाई करते समय, जिसके विरुद्ध समापन याचिका पहले ही स्वीकार की जा चुकी है, एससी ने टिप्पणी की कि संहिता विशेष कानून है जो संकटग्रस्त कंपनियों के पुनरुद्धार से संबंधित है और केवल उन मामलों में बंद किया जा रहा है जहां सीडी को पुनर्जीवित करने के सभी प्रयास विफल हो गये हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 सामान्य कानून है; जबकि संहिता न केवल विशेष कानून है जो संघर्ष की स्थिति में प्रभावी होना चाहिए, बल्कि धारा 238 में गैर–बाधा खंड भी है, जो यह स्पष्ट करता है कि संघर्ष के मामले में, संहिता के उपबंध कारगर होंगे।

*चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड बनाम लैंको इंफ्राटेक लिमिटेड (परिसमापक द्वारा प्रतिनिधित्व) और अन्य*[67] मामले में आवेदक और प्रथम प्रतिवादी (आर1) के बीच विवाद में मध्यस्थता जारी थी। इस बीच, सीआईआरपी और बाद में आर1 के विरुद्ध परिसमापन प्रक्रिया शुरू की गई, जिससे आर1 अधिस्थगन के अधीन आ गया। आवेदक ने तर्क दिया कि मध्यस्थता कार्यवाही जारी रखने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 279 के अधीन एनसीएलटी की अनुमति आवश्यक है। हालाँकि, आर1 ने स्टैंड लिया कि संहिता की धारा 33(5) के अधीन किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है, जिसके लिए केवल नई कार्यवाही शुरू करने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है। एचसी ने कहाः (i) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 279 केवल कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन समापन के मामलों में लागू होती है, न कि संहिता; (ii) अधिनियम की धारा 279 लंबित वादों और नए वादों की संस्था दोनों से संबंधित है, जबकि संहिता की धारा 33(5) नई कार्यवाही से संबंधित है; और (iii) संहिता की धारा 33(5) धारा 238 के आधार पर अधिनियम की धारा 279 को अवहेलना करती है और सिद्धांत द्वारा 'विशेष कानून सामान्य कानून की अवहेलना करता है'। यह निश्कर्ष निकलता है कि मध्यस्थ कार्यवाही जारी रखने के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

*ओम प्रकाश अग्रवाल, परिसमापक, एस कुमारज नेशनवाइड लिमिटेड बनाम मुख्य आयकर आयुक्त (टीडीएस) और अन्य*[68] मामले में एनसीएलएटी ने टिप्पणी की कि संहिता के अधीन परिसमापन में कंपनी से सरकारी बकाया (आयकर सहित) की वसूली के संबंध में, आयकर अधिनियम, 1961 (आईटी अधिनियम) की धारा 194–झक और संहिता की धारा 53 (1)(ड़) में अंतर है। इसलिए, संहिता की धारा 238 के आधार पर, संहिता की धारा 53(1)(ड़) का आईटी अधिनियम की धारा 194–झक के प्रावधानों पर अधिभावी प्रभाव पड़ेगा। इसने आगे स्पश्ट किया कि संहिता के अधीन परिसमापक को आईटी रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है, तो आईटी अधिनियम की धारा 194–झक के अधीन काटे गए टीडीएस के प्रतिदाय का दावा करने का कोई सवाल ही नहीं है।

## संहिता के अधीन समयसीमा

संहिता सीआईआरपी की विभिन्न गतिविधियों के लिए समयसीमा निर्धारित करती है। यह बात कई बार न्यायालयों के विचार में भी आई है।

*क्रिधन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लिमिटेड (अब कृश स्टील एंड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) बनाम वेंकटेशन शंकरनारायण और अन्य*[69] मामले में परिसमापन के आदेश को आरए कथन के आधार पर एससी द्वारा पहले रोक दिया गया था कि वह 25 फरवरी, 2021 तक 50 करोड़ रुपये जमा करेगा। आरए ने कहा कि वह उन ऋणदाताओं से धन जुटाने में असमर्थ होगा जो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि सीडी की स्थिति परिसमापन के अधीन परिसमापन कंपनी से सक्रिय कंपनी में बदलनी चाहिए। एससी ने टिप्पणी की कि आखिरकार, आरए का अनुरोध यह कम करता है कि यह सीडी की आस्ति को गिरवी रख कर धन जुटाएगा और जब तक सीडी को परिसमापन से बाहर नहीं लाया जाता है, यह धन जुटाने में सक्षम नहीं होगा, और यह बात अस्वीकार्य है। इसने आगे टिप्पणी की कि '' संहिता के अधीन योजना का महत्वपूर्ण पहलू समय है और इस तरह की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए विलंबित होने देना स्पश्ट रूप से संहिता के उद्देश्य को विफल कर देगा।'' दिवाला के समाधान करने के लिए अच्छा विश्वासपूर्ण प्रयास पसंदीदा रास्ता है। हालांकि, आरए को अपने व्यवहार में भी निश्पक्ष होना चाहिए। तदनुसार, एससी ने आरए द्वारा पहले ही जमा किए गए 20 करोड़ रुपये की राशि को जब्त कर लिया और परिसमापन पर लगी रोक को खारिज कर दिया।

---

[63] सिविल अपील संख्या 2020 का 7230
[64] डब्ल्युपी (ग) 7230/2020
[65] सीए (एटी) (इंस) संख्या 633/2020
[66] सिविल अपील संख्या 2020 का 4230–4234
[67] आवेदन संख्या 2826/2019
[68] सीए (एटी) (इंस) संख्या 624/2020
[69] सिविल अपील संख्या 2020 का 3299

*महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड बनाम भारतीय स्टेट बैंक और अन्य*[70] मामले में एनसीएलएटी ने टिप्पणी की कि सीआईआरपी को उस संहिता के अनुसार चलाया जाना चाहिए जो समयसीमा निर्धारित करती है। यद्यपि सीओसी द्वारा विचार के आधार पर आवेदनों को वापस लेना और निपटान एक ही प्रक्रिया का हिस्सा हैं, जो कुछ भी सामने आता है उसे निर्धारित समय–सीमा के भीतर अमल में लाना चाहिए। इसे देखते हुए, इसने एए को यह सुनिश्चित करने का निदेश दिया कि निर्धारित समय–सीमा को ध्यान में रखते हुए सीआईआरपी को आगे बढ़ाया जाए।

## सीआईआरपी को उत्प्रेरित करने के लिए बढ़ी हुई सीमा

व्यापार व्यवधानों के कारण अपने पुनर्भुगतान दायित्वों को पूरा करने में असमर्थता के लिए एमएसएमई को दिवाला में धकेलने से रोकने के इरादे से, सरकार ने 24 मार्च, 2020 की अधिसूचना के माध्यम से, दिवाला कार्यवाही शुरू करने के लिए आवश्यक व्यतिक्रम की सीमा को 01 लाख से बढा कर 01 करोड़ रु. कर दिया।

*पंकज अग्रवाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया*[71] मामले में संहिता की धारा 9 के अधीन एए द्वारा आवेदन स्वीकार करने के आदेश के विरुद्ध याचिका फाइल की थी। याचिकाकर्ता, जिसे एमएसएमई के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ने कहा कि इस तथ्य की सराहना किए बिना कि एए के क्षेत्राधिकार को 24 मार्च, 2020 से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये तक कर दिया जाए, एए ने 1 लाख रुपये से अधिक के व्यतिक्रम पर आवेदन स्वीकार कर लिये। इस पर प्रतिवादियों में से एक के लिए सबसे अच्छा 10 लाख रुपये का बकाया है। एचसी ने टिप्पणी की कि थ्रेशोल्ड बढ़ाने वाली अधिसूचना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि एसएमईज और एमएसएमईज लॉकडाउन के दौरान या उसके तुरंत बाद दिवाला कार्यवाही के अधीन न हों। प्रथम–दृष्टया, यह एए द्वारा त्रुटि के रूप में पाया गया। याचिकाकर्ता द्वारा एचसी के रजिस्ट्रार जनरल के पास 10 लाख रुपये की राशि जमा करने के अधीन, इसने सुनवाई की अगली तारीख तक दिवाला कार्यवाही पर रोक लगा दी।

*मधुसूदन तांतिया बनाम अमित चौरारिया व अन्य*[72] मामले में एए ने 20 मई, 2020 के आक्षेपित आदेश द्वारा, 90 लाख रुपये के व्यतिक्रम के संबंध में धारा 9 के अधीन फाइल आवेदन को स्वीकार किया। अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि चूंकि 24 मार्च, 2020 की अधिसूचना के मद्देनजर दिवाला कार्यवाही शुरू करने की सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर से 1 करोड़ रुपये कर दिया गया, इसलिए आवेदन को निरस्त कर दिया जाना चाहिए था क्योंकि दावा राशि 1 करोड़ रुपये से कम है। एनसीएलएटी ने माना कि सीमा में वृद्धि प्रकृति में संभावित है और यह लंबित आवेदनों पर लागू नहीं होगी, जो उक्त अधिसूचना जारी करने से पहले फाइल की गई थी, और अपील को निरस्त कर दिया।

## वित्तीय ऋण और संबंधित पक्ष

*मेसर्स राधा एक्सपोर्ट्स (इंडिया) प्रा. लिमिटेड बनाम के.पी. जयराम और अन्य*[73] मामले में अपीलकर्ता कंपनी के प्रवर्तक ने प्रतिवादी से ऋण प्राप्त किया था। ऋण के आंशिक भुगतान के बाद, प्रतिवादी ने 2004 में अपीलकर्ता कंपनी से अपीलकर्ता कंपनी में शेयर जारी करने के लिए शेश राशि को शेयर आवेदन राशि में बदलने का अनुरोध किया। प्रतिवादी ने 2007 में अपीलकर्ता कंपनी से श्री कृश्णन के नाम पर उक्त शेयर आवेदन राशि के विरुद्ध शेयर जारी करने का अनुरोध किया और राशि को श्री एम. कृश्णन से व्यक्तिगत ऋण के रूप में माना जाएगा। प्रतिवादियों ने 7 दिसंबर, 2017 को मांग नोटिस जारी किया, जिसमें अपीलकर्ता कंपनी ने 14 दिसंबर, 2017 को पत्र द्वारा मांग नोटिस में दावों का खंडन किया, अन्य बातों के साथ–साथ, यह दावा किया कि प्रतिवादी को देय और देय सभी राशियों का विधिवत भुगतान किया गया था। 2007 और 2008 के भीतर भुगतान किया गया। उसके बाद, प्रतिवादी ने 2018 में एक एफसी के रूप में धारा 7 आवेदन फाइल किया। एए ने आवेदन को स्वीकार नहीं किया कि प्रतिवादी एफसी नहीं है और किसी भी मामले में प्रतिवादियों के दावे को सीमित रूप से प्रतिबंधित किया गया था। अपील पर, एनसीएलएटी ने एए के आदेश को रद्द कर दिया। अपीलकर्ता ने एनसीएलएटी के सीडी को सीआईआरपी में स्वीकार करने के आदेश को चुनौती दी। एनसीएलएटी के आदेश को रद्द करते हुए, एससी ने कहा कि किसी कंपनी के प्रवर्तक या निदेशक को व्यक्तिगत ऋण सीआईआरपी को उत्प्रेरित नहीं कर सकता है। इसने यह भी कहाः ''आधिकारिक रिकॉर्ड से स्पष्ट रूप से, भुगतानकर्ता के अनुरोध पर तीसरे पक्ष को जारी किए गए शेयरों के लिए प्राप्त भुगतान, ऋण नहीं हो सकता है, यहां वित्तीय ऋण की बात नहीं है।''

इस सवाल पर कि क्या पक्षों के बीच वाणिज्यिक लेन–देन जो प्रकृति में मिलीभगत हैं, संहिता के अधीन 'वित्तीय ऋण' बनेगा, एससी द्वारा *फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड बनाम स्पेड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और अन्य*[74] मामले में विचार किया गया था। यह माना गया कि (क) एफसी और सीडी के बीच मिलीभगत वाणिज्यिक व्यवस्था 'वित्तीय ऋण' का सृजन नहीं करेगी; (ख) संहिता के उद्देश्यों और प्रयोजन सबसे अच्छी तरह से पूरा होते हैं जब सीआईआरपी बाहरी लेनदारों द्वारा संचालित होती है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सीडी के संबंधित पक्षों द्वारा सीओसी में तोड़फोड़ नहीं की गई है। किसी सीडी के संबंधित पक्ष को सीओसी से बाहर करने का उद्देश्य हितों के टकराव से बचना है; (ग) धारा 21(2) के पहले उपबंध के अधीन बहिश्करण स्वयं ऋण से संबंधित नहीं है बल्कि संबंधित पक्ष एफसी और सीडी के बीच मौजूदा संबंध से संबंधित है; और (घ) एफसी, जो संबंधित पक्ष नहीं है, को सीओसी के सदस्य होने से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि, ऐसे मामले में जहां एफसी सीओसी में भाग लेने की मंशा से अपनी शेयरधारिता से स्वयं को अलग कर लेता है या व्यावसायिक क्षमता में संबंधित पक्ष बनना बंद कर देता है और सीआईआरपी को नुकसान पहुंचाता है, वह पूर्व संबंधित पक्ष लेनदार को बाहर करने के लिए धारा 21(2) के प्रथम परंतुक के उद्देश्य और प्रयोजनों के अनुरूप कार्य करता है। इसी प्रकार, *फीनिक्स टेक पावर प्रा लिमिटेड बनाम डॉ. के. वी. श्रीनिवास – अन्य*[75] मामले में तेलंगाना स्टेट प्रोमोशन कारपोरेशन लिमिटेड जिसका सीडी में 11ः शेयरधारिता थी,सीडी के बोर्ड पर दो नामिती गैर–कार्यकारी निदेशक थे और सीडी के कार्यों पर बडा प्रभाव रखते थे, को संहिता की धारा 5(24) के खंड (क), (झ), (ञ),(1) के अनुसार सबद्ध पक्ष माना गया।

*फीनिक्स एआरसी प्रा लिमिटेड बनाम केतुलभाई रामुभाई पटेल*[76] माननीय एससी ने दोहराया कि सीडी की आस्ति पर केवल सुरक्षा हित रखने वाला व्यक्ति, भले ही सीडी द्वारा विस्तारित संपार्श्विक सुरक्षा के आधार पर 'सुरक्षित लेनदार' के विवरण के भीतर आता हो, की परिभाषा के अधीन कवर नहीं किया जाएगा। संहिता के अधीन 'वित्तीय लेनदार'। ऐसे मामले में लेनदार सीडी के लिए सबसे अच्छा सुरक्षित लेनदार होगा, न कि एफसी के लिए सीडी।

*भारतीय स्टेट बैंक बनाम. राजेंद्र भूटा, प्रभात टेक्नोलॉजीज (इंडिया) लिमिटेड के आईआरपी और अन्य*[77] एए ने टिप्पणी की कि फॉरवर्ड परचेज एग्रीमेंट के

[70] सीए (एटी) (इंस) संख्या 1039/2020
[71] डब्ल्युपी (सी) 3685ध्2020 – सीएमपील्स 13194/2020ए 13195/2020ए 13196/2020
[72] सीए (एटी) (इंस) संख्या 557/2020
[73] सीए संख्या 7474/2019
[74] सिविल अपील संख्या 2020 का 3063 के साथ 2020 का 2842
[75] सीपी (आईबी) संख्या 143/7/एडीबी/2019 में आईए संख्या 555/2020
[76] सिविल अपील संख्या 2019 का 5146
[77] सीपी (आईबी) संख्या 1874/7/एमबी/2019 में आईए संख्या 440/2020

अधीन जुटाई गई राशि 'वित्तीय ऋण' की परिभाषा के भीतर नहीं आएगी, जब तक कि यह पैसे के समय मूल्य के प्रतिफल के विरुद्ध संवितरित होने की दोहरी विशेशताओं को वहन नहीं करती है और इसका उधार लेने के लिए वाणिज्यिक प्रभाव है।

## सीआईआरपी कार्यवाही की तुलना में पंचाट

*इंडस बायोटेक प्रा. लिमिटेड बनाम कोटक इंडिया वेंचर (ऑफशोर) फंड (जिसे पहले कोटक इंडिया वेंचर लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) और अन्य*[78] मामले में अपीलकर्ता ने संहिता की धारा 7 के अधीन आवेदन फाइल किया। प्रतिवादी ने मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8 के अधीन आवेदन फाइल कर पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने का निदेश देने की मांग की। एए ने धारा 8 आवेदन की अनुमति दी और धारा 7 आवेदन को यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि कोई व्यतिक्रम नहीं था। अपीलकर्ता ने एसएलपी फाइल करते हुए कहा कि एए ने धारा 7 के अधीन विचार की गई प्रक्रिया के अनुसार सख्ती से आगे बढ़ने के लिए उस पर डाले गए कानूनी कर्तव्य की पृश्ठभूमि में धारा 8 के आवेदन को स्वीकार कर गलती की। एससी ने माना कि यह विवाद अमध्यस्थीय होगा जब कार्यवाही सर्वलक्षी है और संहिता के अधीन कार्यवाही स्वीकार किए जाने के बाद ही सर्वलक्षी होती है। यह टिप्पणी की गई कि "स्वीकृति पर, कारपोरेट देनदारों के सभी लेनदारों में तीसरे पक्ष का अधिकार बनाया जाता है और इसका सर्वकालिक प्रभाव होगा। इसलिए, केवल याचिका फाइल करने और स्वीकार करने से पहले उसके लंबित रहने को सर्वलक्षी कार्यवाही का उत्प्रेरक नहीं माना जा सकता है।'' इसने आगे कहाः *''.. प्रक्रिया को केवल प्रक्रिया में देरी करके मूनशाइन डिफेंस को बढ़ाकर कारपोरेट देनदार द्वारा प्रक्रिया को हराया नहीं जा सकता है। उस दृश्टि से, भले ही अधिनियम, 1996 की धारा 8 के अधीन आवेदन फाइल किया गया हो, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण का कर्तव्य है कि वह आईबी संहिता की धारा 7 के अधीन फाइल आवेदन पर दिए गए तर्कों को विज्ञापित करे, वित्तीय लेनदार उसके सामने रखी गई सामग्री की जांच करें और इस बात का संतोष दर्ज करें कि व्यतिक्रम हुआ है या नहीं।''* यदि एए द्वारा अप्रतिरोध्य निश्कर्ष यह है कि व्यतिक्रम है और ऋण देय है, तो प्रक्रिया में देरी के लिए मध्यस्थता का दलदल इस स्थिति के बावजूद उत्पन्न नहीं होगा कि पक्षों के बीच समझौते में निर्विवाद रूप से मध्यस्थता खंड शामिल है। चूंकि एए ने निश्कर्ष निकाला था कि कोई व्यतिक्रम नहीं हुआ, धारा 7 के आवेदन को निरस्त करना उचित था।

## विवाद का अस्तित्व

*अनुज खन्ना बनाम विश्व नवीन ट्रेडर्स और अन्य*[79] एनसीएलएटी ने 'विवाद के अस्तित्व' पर निर्णय देते हुए कहा कि धारा 5(6) समावेशी उपबंध है और एए को विवाद के अस्तित्व पर व्यापक कोण से विचार करने से सीमित नहीं करता है। इसलिए, संहिता की धारा 8(2)(क) के संदर्भ में विवाद धारा 5(6) के अधीन परिभाशा में निर्दिश्ट उदाहरणों तक सीमित नहीं होगा, क्योंकि इसमें लंबित वाद या मध्यस्थता के अलावा इसके बाजू बहुत लंबे हैं।

*नरेश सेवंतीलाल शाह बनाम मल्हारशांति एंटरप्राइजेज और अन्य*[80] मामले में एनसीएलएटी ने माना कि केवल पहले मांग नोटिस से पहले उठाए गए विवाद ही इसके पूर्व–अस्तित्व को निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक हैं और इसके बाद उठाए गए विवाद पूरी तरह से अप्रासंगिक हैं।

## परिसमापन

*यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बनाम सिरिपुरम डेवलपर्स प्रा. लिमिटेड और अन्य*[81] मामले में एनसीएलएटी ने एए के आदेश को रद्द करते हुए, जिसने आवेदक बैंक को सीडी की सहायक कंपनियों द्वारा गिरवी रखी गई आस्तियों की बिक्री जैसे कोई कठोर कदम नहीं उठाने का निदेश दिया, ने टिप्पणी की कि संहिता की धारा 36(4)(घ) में परिसमापन आस्ति में सीडी की किसी भी भारतीय या विदेशी सहायक कंपनी की आस्ति को शामिल करना निशेध है। उसी तर्ज पर, यह टिप्पणी की गई कि सहायक कंपनी द्वारा प्रदान की गई विशेश सुरक्षा परिसमापन आस्ति का हिस्सा नहीं बन सकती है।

*गौरव जैन बनाम. टॉपवर्थ पाइप्स एंड ट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड के परिसमापक संजय गुप्ता*[82] मामले में एए ने नोट किया कि भले ही ''कंपनी की बिक्री जारी कंसर्न के रूप में'' करने के लिए संहिता में कोई विशेश प्रावधान नहीं है, परिसमापन प्रक्रिया विनियमन मामले से निपटने में मार्गदर्शक सिद्धांत प्रदान करते हैं। इसने माना कि सामान्य भाशा में ''जारी कंसर्न'' बिक्री, देनदारियों के साथ आस्ति का हस्तांतरण है। हालांकि, जहां तक परिसमापन में 'जारी कंसर्न' बिक्री का संबंध है, एक स्पष्ट अंतर है कि केवल आस्ति को स्थानांतरित किया जाता है और सीडी की देनदारियों को संहिता की धारा 53 के अनुसार तय किया जाना है और इसलिए खरीदार आस्ति बिना किसी भार या शुल्क के आस्ति पर कब्जा कर लेता है और लेनदारों की कार्रवाई से मुक्त रहता है। सीडी की कानूनी इकाई जीवित रहती है और दावों, सीमाओं, लाइसेंस, परमिट या व्यावसायिक प्राधिकरण वाली आस्ति सीडी के पास रहती है। केवल सीडी का स्वामित्व ही सफलताओं द्वारा प्राप्त किया जाता है

## परिसमापन कार्यवाही में धारा 32क की प्रयोज्यता

यह प्रश्न कि क्या परिसमापक द्वारा परिसमापन प्रक्रिया के लंबित रहने के दौरान संहिता की धारा 32क के अधीन आवेदन किया जा सकता है, ए.ए. द्वारा *एसबीईआर बैंक बनाम वरसाना इस्पात लिमिटेड*[83] मामले में विचार किया गया था। परिसमापक ने धारा 60(5) और 32क के अधीन आवेदन फाइल कर सीडी की आस्ति को बेचने की अनुमति मांगी, जिसे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धारा 32क के मद्देनजर कुर्क किया था। ईडी ने तीन आधारों पर आवेदन पर आपत्ति जताई : (क) धारा 32क के अधीन आवेदन केवल परिसमापन प्रक्रिया समाप्त होने या समाधान योजना को मंजूरी मिलने के बाद ही किया जा सकता है, (ख) धारा 32क के अधीन आवेदन केवल सफल आरए द्वारा फाइल किया जा सकता है, न कि परिसमापक और (ग) पीएमएलए अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष कार्यवाही के माध्यम से पक्षों के अधिकारों को पहले ही क्रिस्टलीकृत कर दिया गया है और इसलिए बाद में कानून में बदलाव (धारा 32क का सम्मिलन) ऐसे अधिकारों को नहीं छीनेगा जो अंतिम रूप प्राप्त कर चुके हैं। एए ने माना कि धारा 32क परिसमापन के दौर से गुजर रही सीडी की आस्ति पर भी लागू होती है और परिसमापक हाथ में एक की तरह आवेदन फाइल कर सकता है। इसने आगे कहा कि परिसमापक आस्ति की बिक्री के साथ आगे बढ़ सकता है, भले ही वह ईडी द्वारा कुर्क की गई हो, संहिता के अधीन परिसमापन की समयबद्ध प्रक्रिया को जारी रखने के लिए और बिक्री की कार्यवाही पूरी होने पर, खरीदार उचित कदम उठा सकता है अनुलग्नक जारी करें। सीआईआरपी या परिसमापन के दौर से गुजर रही सीडी की आस्तियों की कुर्की और जब्ती संहिता की धारा 32क के अधीन शून्य है।

---

[78] सिविल अपील संख्या 1070/2021 /एसएलपी (सी) संख्या 8120/2020 के साथ मध्यस्थतता याचिका संख्या 48/2019

[79] सीए (एटी) (इंस) संख्या 555/2020

[80] सीए (एटी) (इंस) संख्या 2020 का 415

[81] सीए (एटी) (इंस) संख्या 2020 का 890

[82] सीपी (आईबी) संख्या 1839/7/एमबी/2018 में आईए संख्या 2020 का 2264

[83] सीपी (आईबी) संख्या 543/7/केबी/2017 में आईए (आईबी) संख्या केबी/2020

## परिसमापन मूल्य

आस्तियों का मूल्यांकन सीआईआरपी की प्रमुख विशेशताओं में से एक है। 'परिसमापन मूल्य' शब्द को सीआईआरपी विनियमनों के विनियम 2(ट) में परिभाशित किया गया है। इसे सीडी की आस्ति के अनुमानित वसूली योग्य मूल्य के रूप में परिभाशित किया गया है, अगर इसे आईसीडी पर परिसमाप्त किया जाना है। इस तरह की मूल्यांकन प्रक्रिया का उद्देश्य सीओसी को समाधान योजनाओं पर सबसे उपयुक्त निर्णय लेने में सहायता करना है। एक बार जब सीओसी द्वारा समाधान योजना को मंजूरी दे दी जाती है, तो धारा 31(1) के अधीन एए का वैधानिक अधिदेश यह पता लगाना हो जाता है कि क्या समाधान योजना धारा 30 के उप–खंड (2) और (4) की आवश्यकता को पूरा करती है। *ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स बनाम लोटस ऑटो इंजीनियरिंग लिमिटेड और अन्य*[84] मामले में, परिसमापन में समय के विस्तार के लिए आवेदन पर विचार करते समय, एए ने टिप्पण ी की कि 100 करोड़ रुपये के मूल्य की तुलना में सीआईआरपी के दौरान समाधान योजनाओं के अधीन, परिसमापक सीडी को जारी कंसर्न के रूप में बेचने के लिए 40 करोड़ रुपये का आरक्षित मूल्य निर्धारित कर रहा है। एए ने कहा कि हालांकि यह सीओसी के दायरे में है कि वह किसी योजना और परिसमापक को आस्ति के मूल्य का निर्धारण करने के लिए स्वीकृत या अस्वीकार करे या नहीं, लेकिन मूल्यों में इस तरह के बड़े बदलाव जांच की मांग करते हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सीओसी समाधान योजना को मंजूरी देने में विफल रहा, जिसका मूल्य परिसमापन मूल्य से दोगुना था और परिसमापक ने बहुत कम आरक्षित मूल्य निर्धारित किया था, एए ने आईबीबीआई को यह पूछने का निदेश दिया कि परिसमापन के आदेश के बाद मूल्यांकन इतना कम क्यों हो गया है और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स यह पूछेगा कि क्या उसके प्रतिनिधियों ने सीडी के मूल्य को अधिकतम करने के लिए काम किया है। इसने परिसमापक को निदेश दिया कि जब तक इस मामले का फैसला नहीं हो जाता, तब तक वह आस्ति की बिक्री के लिए आगे नहीं बढ़ेगा।

## कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन कार्यवाही का समापन

*एक्शन इस्पात एंड पावर प्रा. लिमिटेड बनाम ष्याम मेटलिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड*[85] मामले में डिवीजन पीठ ने एकल न्यायाधीश के आदेश को एचसी के समक्ष एए को लंबित समापन कार्यवाही स्थानांतरित करने के आदेश को बरकरार रखा। अपील पर, एससी ने टिप्पणी की कि जहां कंपनी (कोर्ट) नियम, 1959 के नियम 26 के अनुसार याचिका की तामील नहीं की गई है, संहिता के अधीन समाधान के लिए समापन कार्यवाही अनिवार्य रूप से एए को हस्तांतरणीय है। नोटिस जारी करने के बाद भी, लेकिन प्रवेश से पहले, वही परिणाम होगा। केवल अचल या चल आस्तियों की वास्तविक बिक्री हुई है या समापन की कार्यवाही एक अपरिवर्तनीय चरण में पहुंच गई है, एचसी को कार्यवाही को एए को स्थानांतरित करने के बजाय समापन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इसके अलावा, यह चरण पूरा हुआ है या नहीं, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

*मेसर्स कलेडोनिया जूट एंड फाइबर्स प्रा. लिमिटेड बनाम मेसर्स एक्सिस निर्माण एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य*[86] मामले में, दूसरे प्रतिवादी (आर2) की याचिका पर, कंपनी कोर्ट ने पहले प्रतिवादी (आर1) को इस आधार पर बंद करने का निदेश दिया कि वह अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ है और इसे समाप्त करना न्यायोचित और न्यायसंगत है। इसके बाद, आर1 ने समापन के आदेश को वापस लेने के लिए आवेदन फाइल किया। इसने आर2 के कारण पूरी राशि का भुगतान किया, जिसने आदेश को वापस लेने पर आपत्ति नहीं जताई। हालांकि, आधिकारिक परिसमापक, जिसने पहले ही आर1 की आस्ति पर कब्जा कर लिया था, ने इस आधार पर वापस लेने का विरोध किया कि आर1 पर विभिन्न लेनदारों का पैसा बकाया है और जब तक उक्त राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तब तक समापन के आदेश को वापस नहीं लिया जा सकता है। इस बीच, अपीलकर्ता ने एए के समक्ष धारा 7 आवेदन फाइल कर दिया। इसने कंपनी कोर्ट के समक्ष आवेदन भी फाइल किया जिसमें एए को समापन याचिका को स्थानांतरित करने की मांग की गई थी, जिसे निरस्त कर दिया गया था। अपील पर, एससी ने धारा 7 के अधीन अपने आवेदन के साथ कंपनी कोर्ट के समक्ष एए को सुनवाई के लिए समापन कार्यवाही को स्थानांतरित करने की अनुमति दी। उसने कहा कि अगर कंपनी कोर्ट समापन के लिए आगे की कार्यवाही करता है और एए धारा 7 आवेदन को स्वीकार करता है तो संहिता का संपूर्ण प्रयोजन ही व्यर्थ हो जाएगा।

## कर अधिकारियों के साथ आईबीसी का इंटरफेस

*पिनाकिन शाह – ब्रूबेरी हॉस्पिटैलिटीज प्राइवेट लिमिटेड के परिसमापक बनाम राज्य कर सहायक आयुक्त और अन्य*[87] मामले में सहायक राज्य कर आयुक्त (एसीएसटी) ने कोटक महिंद्रा बैंक को गुजरात मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 44 के अधीन सीडी के बैंक खाते को फ्रीज करने की सलाह दी। परिसमापक ने बैंक खाते को अनफ्रीज करने के लिए एए के पास आवेदन फाइल किया। एए ने आवेदन को निरस्त कर दिया और परिसमापक को अपनी शिकायतों के निवारण के लिए सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करने का निदेश दिया। अपील पर, परिसमापक ने तर्क दिया कि एसीएसटी एक ओसी है और एक ओसी संहिता की धारा 53 के अधीन कतार में खड़े हुए बिना अन्य दावेदारों पर मार्च नहीं कर सकता है। सभी लेनदारों को केवल धारा 53 के अनुसार अपना बकाया प्राप्त करने का अधिकार है और विभिन्न लेनदारों को विभिन्न कार्यवाही और अधिनियमों का सहारा लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसके अलावा, किसी अन्य अधिनियम में निहित असंगत कोई बात संहिता की अवहेलना होगी। उसे खाता बंद कराने के लिए बिक्री कर अधिनियम के अधीन पक्षों और अधिकारियों के पास दौड़ने के लिए नहीं बनाया जा सकता है। एनसीएलएटी ने अपीलकर्ता के इस बात को स्वीकार कर लिया और आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया और कोटक महिंद्रा बैंक को सीडी के बैंक खाते को अनफ्रीज करने का निदेश दिया।

*भवरलाल एम जैन और अन्य बनाम मेटल लिंक अलॉयज लिमिटेड और अन्य*[88] मामले में, एए ने 11 मई, 2018 को परिसमापन का आदेश पारित किया। जीएसटी प्राधिकरण ने 18 जून, 2018 को मूल्यांकन का आदेश पारित किया और 12 सितंबर, 2018 को वसूली नोटिस जारी किया। एनसीएलटी ने विचार किया कि क्या जीएसटी कानूनों के अधीन कार्यवाही संहिता का उल्लंघन है। यह टिप्पणी की गया कि परिसमापन का आदेश पारित होने पर संहिता की धारा 14 के अधीन स्थगन समाप्त हो जाता है। संहिता की धारा 33(5) के अनुसार, परिसमापन के दौरान सीडी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही जारी रखी जा सकती है।

## कारपोरेट आवेदक द्वारा सीआईआरपी की शुरूआत

*पृथिवराज स्पिनिंग मिल प्राइवेट लिमिटेड बनाम इंडियन ओवरसीज बैंक, कोयंबटूर और अन्य*[89] मामले में, सीडी ने अपना नाम मेसर्स पृथिवराज

[84] आईबी–31 (पीबी)/2018
[85] एसएलपी (सी) संख्या 26415/2019 से उत्पन्न सीए संख्या 4041/2020
[86] सीए संख्या 4041/2020
[87] सीए (एटी) (इंस) संख्या 2021 का 32
[88] सीपी (आईबी) 2017 का 67 में आईए 2018 का 361
[89] आईबीए/120/2020

स्पिनिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड से बदल कर मेसर्स मरप्पर टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड कर लिया। हालांकि, एए के पास फाइल आवेदन में नाम और पते के परिवर्तन में संशोधन नहीं किया गया था। एए ने टिप्पणी की कि आवेदन के लंबित निपटान के लिए सीडी और उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के नाम में परिवर्तन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बहुत अधिक प्रभाव पडेगा। यदि आवेदन स्वीकार किया जाता है, तो कार्यवाही के रूप में, यह बड़े पैमाने पर जनता के लिए बाध्यकारी होगा। हितधारक, जो आवेदन के पक्षकार नहीं हैं, अपने दावे दाखिल करने में सक्षम नहीं होंगे क्योंकि वे सीडी को उसके नए नाम से पहचानने में सक्षम नहीं होंगे। इसने सुझाव दिया कि दुरुपयोग से बचने के लिए धारा 10 को कड़ा किया जाए ताकि जब कोई कंपनी धारा 10 के अधीन आवेदन दाखिल करना चाहे तो उसे आवेदन दाखिल करने की तारीख के अनुसार यथास्थिति बनाए रखनी चाहिए। एए ने आवेदन को निरस्त कर दिया क्योंकि वह पृथिवराज स्पिनिंग मिल प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध सीआईआरपी का आदेश पारित नहीं कर सकता जो आज की तारीख तक अस्तित्व में नहीं है।

## मांग नोटिस

मांग नोटिस का अर्थ है ओसी द्वारा सीडी को दिया गया नोटिस जिसमें परिचालन ऋण के भुगतान की मांग की गई है, जिसके संबंध में व्यतिक्रम हुआ है। संहिता की धारा 9 के अनुसार, धारा 8 की उप–धारा (1) के अधीन भुगतान की मांग करने वाले नोटिस या चालान की डिलीवरी की तारीख से 10 दिनों की समाप्ति पर ओसी सीडी के विरुद्ध सीआईआरपी की शुरुआत के लिए आवेदन दाखिल कर सकता है।

*राजेंद्र भाई पांचाल बनाम मेसर्स जय मानक स्टील्स एंड अन्य*[90] मामले में एनसीएलएटी ने टिप्पणी की कि डिमांड नोटिस में गलती का मतलब यह नहीं है कि यह दोशपूर्ण है, और यदि कोई सीडी मांग की वैधता पर सवाल उठाना चाहती है तो उसे यह दिखाना होगा कि दोश के परिणामस्वरूप उसे कोई पूर्वाग्रह का सामना नहीं करना पड़ा। इसने आगे कहा कि यदि मांग में कोई गलती है, लेकिन लेनदार पर स्पश्ट रूप से वैधानिक न्यूनतम आंकड़ा या अधिक बकाया है, तो यह तथ्य कि ऋण की राशि गलत है, मांग को स्वचालित रूप से अमान्य नहीं कर सकता है।

*श्री डी. श्रीनिवास राव बनाम वैश्णवी इंफ्राटेक लिमिटेड*[91] मामले में एनसीएलएटी ने माना कि जहां सीडी ने नोटिस की डिलीवरी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, एए के लिए यह निश्कर्श निकालना उचित नहीं होगा कि सीडी को नोटिस नहीं दिया गया था। इन परिस्थितियों में एकमात्र निश्कर्ष यह है कि सीडी को परिणामों के बारे में पता था, और उसने जानबूझकर नोटिस को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। गलती सीडी के हिस्से में है जिसके लिए इस पर निर्णय नहीं किया जा सकता है। एनसीएलएटी ने आदेश को रद्द कर दिया और धारा 9 के अधीन आदेश पारित करने के लिए मामले को एए को भेज दिया।

*शुभम जैन बनाम. गगन फेरोटेक लिमिटेड और अन्य*[92] मामले में, एनसीएलएटी ने माना कि संहिता की धारा 8 के अधीन जनादेश को पूरा किया गया है, क्योंकि यह स्पष्ट है कि मांग नोटिस को कार्यात्मक पते पर और साथ ही सीडी के निदेशक को विधिवत तामील किया गया था। यह भी कहा गया कि दावा न किए गए डिमांड नोटिस को भी वैध रूप से दिया गया नोटिस माना जाएगा। इसने यह भी कहा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (59) के अधीन, निदेशक एक अधिकारी होता है और अधिनियम की धारा 20 के अधीन, किसी कंपनी या उसके अधिकारी को दिए गए दस्तावेज को नोटिस माना जाएगा। इसलिए, सीडी के निदेशक को भेजा गया नोटिस संहिता की आवश्यकताओं को पूरा करेगा और यह वैध होगा।

## प्रत्यक्ष विघटन

*मंदार वाघ, मैसर्स सायन्यू स्टील प्राइवेट लिमिटेड के आईआरपी*[93] मामले में आरपी ने बताया कि सभी एफसी संबंधित पक्ष हैं और इसलिए वह सीओसी का गठन करने में सक्षम नहीं है। 729 रुपये के नकद शेश के अलावा कोई आस्ति नहीं है। और इसलिए आरपी सीआईआरपी का संचालन करने में असमर्थ है। पिछले तीन वर्शों में कोई व्यवसाय नहीं है और इसलिए कोई राजस्व नहीं है। पूरी पूंजी छिन्न–भिन्न हो गई है। परिसमापन विनियमनों की धारा 33(2), 54 और विनियमन 14 और एनसीएलटी विनियमनों के नियम 11 में तथ्यों और कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, एए ने टिप्पणी की  कि सीडी को सीआईआरपी के अधीन रखने या इसे परिसमापन प्रक्रिया के अधीन रखने का कोई उद्देश्य नहीं होगा। इसने सीडी को भंग करने की अनुमति दे दी।

[90] सीए (एटी) (इंस) संख्या 592/2020
[91] सीए (एटी) (इंस) संख्या 2020 का 880
[91] सीए (एटी) (इंस) संख्या 2020 का 1008
[93] सीपी (आईबी) संख्या 96/बीबी/2020

च

# संहिता का प्रभाव

दिवाला और शोधन अक्षमता कानून का उद्देश्य दिवालिया एंटिटीज के पुनर्गठन या परिसमापन के लिए व्यवस्थित प्रक्रिया प्रदान करना है। इसमें किसी इकाई के सभी ऋणों के संग्रह के लिए विधायी तंत्र प्रदान करना और आर्थिक विफलता के कारण इसके समापन की स्थिति में दावेदार दावाधारकों के बीच वितरण करना शामिल है। दूसरी ओर, फर्म की वित्तीय विफलता के मामले में, प्रक्रिया पुनर्गठन तंत्र प्रदान करती है जहां ऋणों का पुनर्गठन किया जा सकता है, लेनदारों को सहमत तरीके से भुगतान किया जाता है और व्यवसाय को नए या नए प्रबंधन के साथ नए रूप में पुनर्जीवित किया जाता है। दूसरे शब्दों में, कानून व्यवसाय से बाहर निकलने के लिए बचाव या मूल्य को अधिकतम करने के लिए तंत्र की पेशकश करके व्यावसायिक गतिविधि के लिए सुरक्षा जाल के रूप में आराम प्रदान करता है। दिवाला और व्यवसाय से बाहर निकलने के लिए प्रभावी प्रणाली को उन फर्मों के बीच जल्दी से अंतर करने में सक्षम होना चाहिए जिन्हें बचाया जा सकता है और जिन्हें तेजी से बाहर निकलना चाहिए।

शोधकर्ताओं ने पाया है कि यह सुझाव देने के लिए अनुभवजन्य साक्ष्य हैं कि समय, लागत और वसूली दर के मामले में अधिक कुशल शोधन अक्षमता प्रणाली से ऋण की बेहतर उपलब्धता होती है और इसलिए अर्थव्यवस्था में उच्च निवेश/जीडीपी अनुपात होता है।[94] सकल जीडीपी (सकल देशीय उत्पाद) की वृद्धि को कुशल शोधन अक्षमता प्रणाली के साथ सकारात्मक रूप से जुड़ा हुआ पाया गया है।[95]

भारतीय संदर्भ में, मई 2016 में संहिता के अधिनियमन से देश में एक आधुनिक दिवाला और शोधन अक्षमता व्यवस्था की शुरुआत हुई। संहिता को हाल के दिनों में सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक कानूनों में से एक के रूप में प्रतिश्ठित किया गया है, जिसमें कारपोरेट्स के लिए निकास तंत्र में बहुत जरूरी सुधार किया गया है, शुरुआत करने के लिए, और देश में व्यापार करने में आसानी के एक महत्वपूर्ण पहलू को संबोधित किया गया है। कानून, प्रकृति में निवारक होने के कारण, उधारदाताओं और उधारकर्ताओं, और प्रवर्तकों और लेनदारों के बीच गतिशीलता में एक सांस्कृतिक बदलाव लाने के रूप में भी कहा जा रहा है। संहिता ने जिस तरह से ऋणों के पुनर्भुगतान को प्रवर्तकों और व्यतिक्रम करने वाली फर्मों के प्रबंधन द्वारा देखा और व्यवहार किया जा रहा है, उस पर प्रभाव डाला है। संकट के पहले संकेत अब व्यतिक्रम से बचने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए प्रबंधन के लिए प्रारंभिक चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं। कोई यह कह सकता है कि संहिता एक व्यवहारिक कानून के रूप में उभर रही है, जिसका उद्देश्य संकटग्रस्त इकाई के विभिन्न हितधारकों को एक साथ काम करने के लिए, गैर–प्रतिकूल तरीके से, कानून के निर्धारित उद्देश्यों की ओर आकर्शित करना है। *'... उद्यमशीलता को बढ़ावा देने, ऋण की उपलब्धता और सभी हितधारकों के हितों को संतुलित करने के लिए कारपोरेट व्यक्तियों, साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों का समयबद्ध तरीके से पुनर्गठन और और ऐसे व्यक्तियों की संपत्ति के मूल्य को अधिकतम करने के लिए दिवाला समाधान,...'*।[96]

रिपोर्ट के खंड ङ में सेवा प्रदाताओं और प्रक्रियाओं, कंपनियों और हितधारकों पर प्रक्रियाओं के परिणामों और उभरते न्यायशास्त्र के संदर्भ में संहिता के कार्यान्वयन से परिणाम प्रस्तुत किए गए हैं। यह खंड दिवाला और शोधन अक्षमता के क्षेत्र में विभिन्न हितधारकों अर्थात लेनदारों (वित्तीय और परिचालन), कारपोरेट देनदार, और बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था पर इसके दूरगामी प्रभाव के संदर्भ में संहिता के प्रभाव को प्रस्तुत करता है। ये इसके व्यापक, प्राथमिक और द्वितीयक दीर्घकालिक प्रभाव हैं, बड़े पैमाने पर प्रकृति में व्यवहारिक और बहुत महत्वपूर्ण हैं। संहिता, अपनी प्रक्रियाओं के माध्यम से, सभी हितधारकों को अपने सर्वोत्तम व्यवहार का प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करती है, सबसे पहले दिवाला को उत्प्रेरित करने से रोकने के लिए और यदि उत्प्रेरित होता है, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी हितधारकों के हितों का ध्यान रखा जाए। संहिता का सहारा लेना स्वैच्छिक है। जहां कोई व्यक्ति संहिता के पक्ष में अपने स्वैच्छिक विकल्पों का प्रयोग करता है, अन्य सभी हितधारकों के लिए परिणाम अनिवार्य है।

## दिवाला पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण

देश में पिछले दिवाला व्यवस्थाओं के विपरीत, संहिता ने अपने स्वयं के एक संपन्न पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया है, जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र के प्रत्येक तत्व संहिता के अधीन परिणामों की दक्षता और प्रभावकारिता में योगदान करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र पिछले पांच वर्शों में विकसित हुआ है। तीन आईपीए, 83 आईपीई, एक आईयू है जो कई सेवाओं और 16 आरवीओ की पेशकश कर रहा है। एए की एक दर्जन से अधिक शहरों में उपस्थिति हो गई है और अपीलीय प्राधिकरण की दो पीठों का गठन किया गया है। व्यावसायिकों के नव निर्मित वर्ग की सेना अर्थात आईपी और आरवी 7400 से अधिक रजिस्ट्रीकृत व्यावसायिकों तक पहुंच गए हैं। चित्र 5 दिखाता है कि इस अवधि के दौरान रजिस्ट्रीकरण के मामले में आईपी और आरवी की संख्या कैसे बढ़ी है।

## बड़ी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

अर्थव्यवस्था पर दिवाला कानून का प्रभाव इस बात का माप हो सकता है कि कानूनी, आर्थिक और वित्तीय प्रणालियों जैसी उच्च–स्तरीय प्रणाली के साथ दिवाला प्रणाली का संबंध या योगदान किस सीमा तक मौजूद है। एक प्रभावी दिवाला कानून सभी हितधारकों और सामान्य रूप से अर्थव्यवस्था के लिए दिवाला के मूल्य के संरक्षण और अधिकतम मूल्य को हासिल करने

---

[94] सुकोरो, मारियाना (2008), ''दिवाला प्रणाली और देशों में आर्थिक प्रदर्शनः कुछ अनुभवजन्य साक्ष्य'', अर्थशास्त्र और सांख्यिकी विभाग, कोलंबिया विश्वविद्यालय, इटली।

[95] जैक्सन, थॉमस एच और स्कील जूनियर, डेविड ए (2013), ''दिवालियापन और आर्थिक सुधार'', पेन्सिलवेनिया विश्वविद्यालय, लॉ स्कूल

[96] संहिता का दीर्घ शीर्शक

**चित्र 5 : व्यावसायिकों का वर्ष वार रजिस्ट्रीकरण**

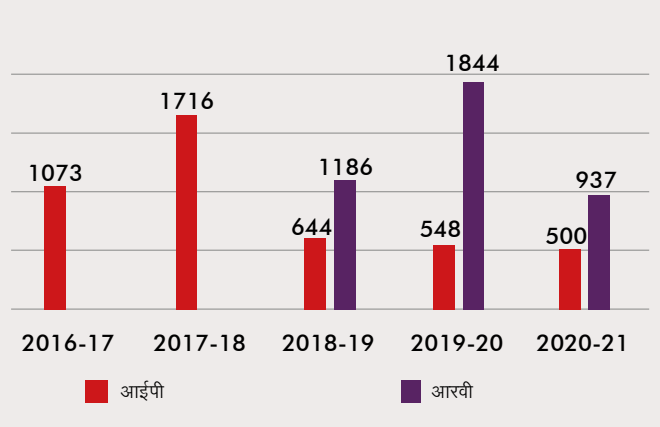


*नोट : 2016–17 की अवधि 01 अक्टूबर 2016 से 31 मार्च 2017 तक है। इस अवधि के दौरान आईपी के रजिस्ट्रीकरण में 977 रजिस्ट्रीकरण शामिल हैं जो 30 जून, 2017 तक समाप्त हो गए हैं।*

के उद्देश्य को सुनिश्चित करेगा। संहिता के प्रभाव का मूल्यांकन हितधारकों और सामान्य रूप से अर्थव्यवस्था पर संहिता के सकारात्मक स्पिल–ओवर प्रभावों के आधार पर किया जा सकता है। इस संदर्भ में संहिता के कुछ प्रमुख परिणाम इस प्रकार हैं।

## कंपनियों का बचाव करना

संहिता कंपनी को बचाने के लिए नई जीवन रेखा प्रदान करती है जब वह अपने जीवन के लिए गंभीर खतरे का अनुभव करती है। संहिता कंपनी को बचाने के लिए सीओसी द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए लेनदारों को सशक्त बनाता है, जब वह अपने जीवन के लिए गंभीर खतरा अनुभव करता है। इसके लिए, सीओसी के पास एक त्रिशूल है : (क) यह कंपनी को बचाने के लिए किसी एक या सभी हितधारकों की किसी भी राशि का कटौती कर सकता है; (ख) यह बाजार से सबसे अच्छा समाधान चाहता है (पहले के तंत्र के विपरीत जो लेनदारों को केवल मौजूदा प्रवर्तकों से समाधान खोजने की अनुमति देता था); और (ग) समाधान योजना कंपनी को बचाने वाले किसी भी उपाय के लिए प्रदान कर सकती है। इसमें प्रबंधन, प्रौद्योगिकी, या उत्पाद पोर्टफोलियो अर्थात संपत्ति, व्यवसायों या उपक्रमों का अधिग्रहण या निपटान; संगठन, व्यवसाय मॉडल, स्वामित्व, या बैलेंस शीट का पुनर्गठन; टर्न–अराउंड, बाय–आउट, विलय, समामेलन, अधिग्रहण या अधिग्रहण की रणनीतियाँ; आदि में परिवर्तन शामिल है। संहिता एक प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी बाजार प्रक्रिया प्रदान करती है, जो उस व्यक्ति की पहचान करती है, जो कंपनी को बचाने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में है और समाधान योजना का चयन करती है, जो परिस्थितियों में सबसे अधिक टिकाऊ है। संहिता ने मार्च, 2021 तक समाधान योजनाओं के माध्यम से 348 सीडी को बचाया है, जिनमें से एक तिहाई गहरे संकट में थीं। चित्र 6 वित्तीय वर्ष 2020–21 तक संहिता के अधीन समाधान योजनाओं की वर्षवार स्वीकृति को दर्शाता है। समाधान योजनाओं को लागू करने के लिए आरए की उपलब्धता को प्रभावित करने वाले कोविड–19 महामारी के वर्ष 2020–21 को छोड़कर, प्रस्तावों की संख्या लगातार बढ़ रही है क्योंकि हर गुजरते साल के साथ दिवाला सुधारों में तेजी आई है। एक महामारी वर्ष के लिए भी, 108 समाधान एक सराहनीय उपलब्धि है।

## इष्टतम संसाधन उपयोग सुनिश्चित करना

मुख्यधारा के आर्थिक विचार का मानना है कि किसी भी समय, मानव की जरूरतें असीमित होती हैं, जबकि उन्हें संतुष्ट करने के लिए संसाधन

**चित्र 6 : 2016–17 से 2020–21 तक का वर्ष वार समाधान**

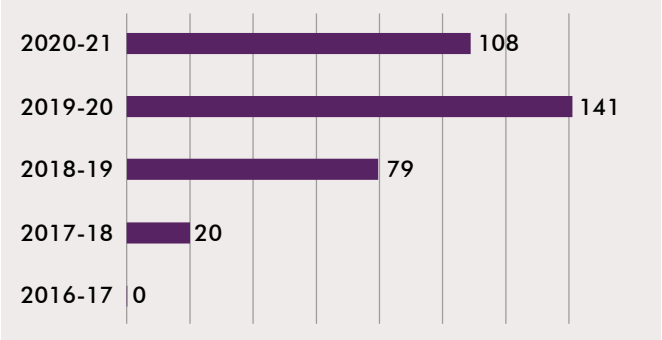


*टिप्पणी : 2016–17 अवधि 01 अक्तूबर, 2016 से 31 मार्च 2017 तक है*

सीमित होते हैं। इसलिए, केंद्रीय आर्थिक समस्या लगातार बढ़ती, असीमित जरूरतों के मुकाबले संसाधनों की अपर्याप्तता है। संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग होते हैं, और फर्म अपने हितों के लिए कार्य करती हैं। कोई अर्थव्यवस्था तब फलती–फूलती है जब स्व–इच्छुक फर्मों को संसाधनों को लगातार और निर्बाध रूप से अधिक कुशल उपयोगों में स्थानांतरित करने की अधिकतम संभव स्वतंत्रता होती है। ऐसे मौके आते हैं जब उद्योग में अन्य फर्मों की तुलना में फर्म के निपटान में संसाधनों का कम उपयोग किया जाता है। किसी देश और लोगों के विकास के लिए अप्रयुक्त या कम उपयोग किए गए उत्पादक संसाधन अभिशाप हैं। राज्य की सहायता से इश्टतम क्षमता से नीचे के संसाधनों के उपयोग को रोक कर, फर्म के भीतर संसाधनों का कुशल उपयोग सुनिश्चित करके या फर्म के बंद होने के माध्यम से अन्य उपयोगों के लिए अप्रयुक्त या कम उपयोग किए गए संसाधनों को जारी रखा कर हर समय संसाधनों के इष्टतम उपयोग को सुकर बनाना चाहिए। संहिता दिवाला प्रक्रिया के माध्यम से व्यवहार्य व्यवसायों को बचाकर और परिसमापन के माध्यम से गैर–व्यवहार्य व्यवसायों को बंद करके, उद्यमियों सहित संसाधनों को जारी कर रही है। आर्थिक चक्र को चालू रखने के लिए अधिक कुशल उपयोग के लिए संसाधनों का पुनः आवंटन आवश्यक है। व्यवहार्य व्यवसायों को अधिक कुशल प्रबंधकों को स्थानांतरित करके और गैर–व्यवहार्य व्यवसायों के लिए एक निकास तंत्र प्रदान करके, यह कानून गैर–व्यवहार्य संस्थाओं से व्यवहार्य पहल के लिए आर्थिक संसाधनों के कुशल आवंटन को सुनिश्चित करता है।

चित्र 7 और 8 इंगित करते हैं कि सीडी के वित्तीय तनाव को हल करने के लिए हितधारकों ने किस सीमा तक संहिता का सहारा लिया। 2016–17 से 2019–20 तक, सीआईआरपी में दाखिले की संख्या और उसके सीआईआरपी को बंद करने की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है। इसके बाद, 2020–21 में प्रवेश की संख्या में भारी गिरावट आई, 2019 –20 की तुलना में 75 प्रतिशत, क्योंकि इस अवधि के दौरान कोविड–19 की महामारी के कारण संहिता को धारा 7, 9 और 10 के अधीन निलंबित कर दिया गया था। हालाँकि, समाधान योजनाओं, परिसमापन, निकासी और निपटानध्अपीलध्समीक्षाओं के माध्यम से सीआईआरपी को बंद करना 2020–21 के दौरान जारी रहा क्योंकि सीआईआरपी जो पहले से ही स्वीकार किए गए थे, बेरोकटोक जारी रहे और उन्हें उनके तार्किक अंत तक ले जाया गया।

## उद्यमिता का विकास

राजनीतिक अर्थशास्त्र और कानून में एक बड़ा भाग उन उद्यमियों के लिए 'नई शुरुआत' के महत्व पर केंद्रित है जो स्वयँ को वित्तीय दिवाला में पाते हैं।[97] द इकॉनोमिस्ट ने 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में दिवाला कानून और उद्यमिता के संदर्भ में निम्नलिखित टिप्पणी की थी:

[97] हॉलिनन, सी.जी. (1986), ''उपभोक्ता दिवालियापन में नई शुरुआत नीतिः एक ऐतिहासिक सूची और एक व्याख्यात्मक सिद्धांत'', रिचमंड लॉ रिव्यू विश्वविद्यालय, 21, 49

**चित्र 7: 2016–17 से 2020–21 तक दाखिल की गई सीआईआरपी का रूख**

*(संख्या)*

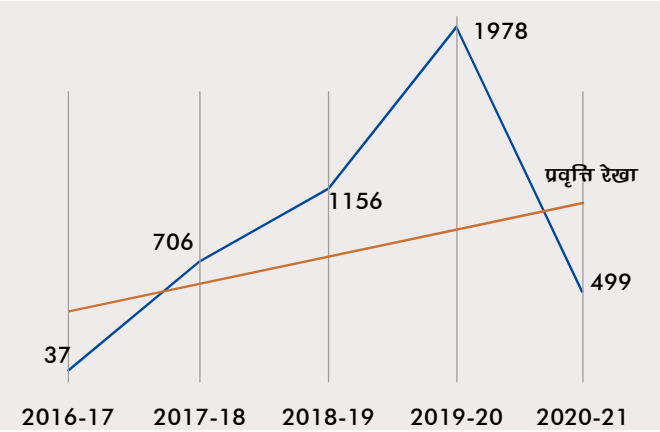


*टिप्पणी : 2016–2017 अवधि 01 अक्तूबर, 2016 से 31 मार्च, 2017 तक है*

**चित्र 8 : सीआईआरपी का वर्ष वार समापन**

*(संख्या)*

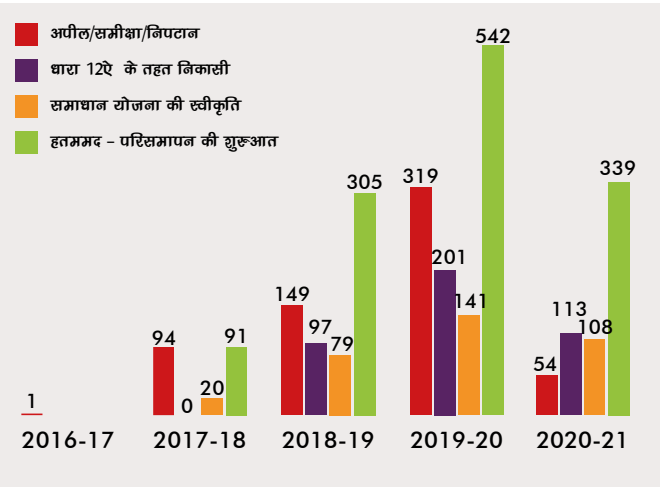


*टिप्पणी : 2016–2017 अवधि 01 अक्तूबर, 2016 से 31 मार्च, 2017 तक है*

*'लेकिन यह दुनिया की मरणासन्न अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। अल्पावधि में, प्रबुद्ध शोधन अक्षमता कानून व्यवहार्य कंपनियों को जीवित रखकर बेरोजगारी को कम करते हैं। लंबे समय में वे उद्यमिता की दरों को बढ़ावा देते हैं। अधिक लोगों को व्यवसाय शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उन्हें बंद करना आसान बना दिया जाए।'*[98] नए उत्पादों और सेवाओं, रोजगार सृजन और कर भुगतान के मामले में बचाव फर्मों के पास अर्थव्यवस्था के लिए कई लाभकारी स्पिल ओवर हैं। दूसरी ओर, गैर–व्यवहार्य फर्मों के जीवन को बढ़ाकर जो पुनर्जीवित नहीं हो सकती हैं, उद्यमी के लिए नकारात्मक रिटर्न आता है, नौकरियां कम होती हैं और सरकार को कर राजस्व कम प्राप्त होता है।

संहिता विफलता की घटनाओं को कम करके, विफलता की रोकथाम को प्रोत्साहित करके, जहां भी संभव हो, असफल व्यवसायों को बचाकर और जहां भी आवश्यक हो, असफल व्यवसायों से संसाधनों को मुक्त करके उद्यमशीलता को बढ़ावा देती है। यह ईमानदार उद्यमी को व्यवस्थित निकास बनाने में सक्षम बनाती है यदि उसका उद्यम उसके सर्वोत्तम इरादों और प्रयासों के बावजूद विफल हो जाता है। इस प्रकार, विफलता की संभावना उद्यमी को व्यवसाय शुरू करने या नए विचार को लागू करने से नहीं रोकती है। संहिता उद्यमियों को स्वेच्छा से स्वयं को समाप्त करने का अवसर भी प्रदान करती है। यह उद्यमियों को आसानी से व्यवसाय से बाहर निकलने और दूसरे व्यावसायिक उद्यम की ओर बढ़ने का अवसर प्रस्तुत करती है जो अर्थव्यवस्था के लिए अधिक व्यवहार्य और उत्पादक साबित हो सकता है। चित्र 9 से पता चलता है कि 2017–18 से 2020–21 की अवधि में सीडी स्वेच्छा से लगातार स्वयं को परिसमाप्त कर रही हैं।

**चित्र 9 : सीडी द्वारा स्वैच्छिक परिसमापन**

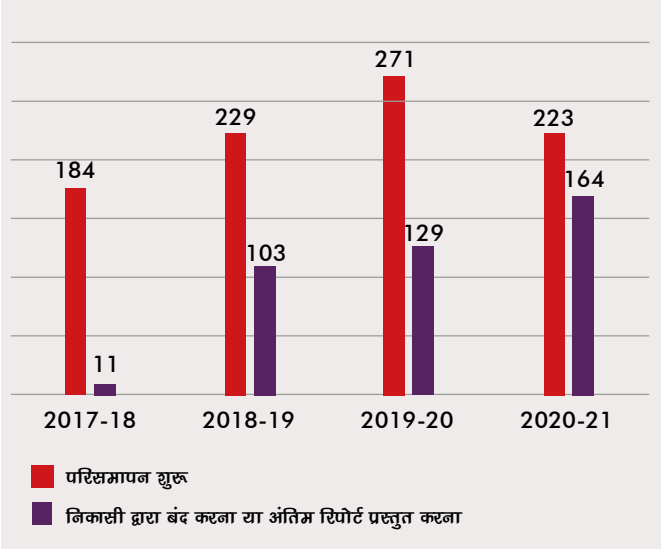


स्टार्ट–अप इंडिया ने अपनी ताजा रिपोर्ट[99] में उद्यमियों को असफल स्टार्ट–अप से मुक्त करने में संहिता द्वारा निभाई गई भूमिका को महत्व दिया। रिपोर्ट में कहा गया: *''एक जटिल और थकाऊ समापन प्रक्रिया स्टार्टअप उत्साही लोगों के लिए एक और प्रतिबंध थी क्योंकि यह माना जाता था कि कंपनी को ''बंद करना'' कंपनी शुरू करने की तुलना में कहीं अधिक कठिन है। बंद करने में शामिल लागत कुछ मुख्य कारण थे कि क्यों कई फर्म कानूनी रूप से संचालन बंद किए बिना निष्क्रिय बनी रहीं। उन्हें वार्षिक फाइलिंग के रखरखाव और अनुपालन के लिए लागत वहन करने की आवश्यकता होगी, जिसके विफल होने पर संबंधित अधिकारियों द्वारा दंडात्मक परिणाम भुगतने होंगे। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (संहिता) समयबद्ध तरीके से कारपोरेट व्यक्तियों, साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों के दिवाला समाधान का प्रावधान करती है। संहिता ने देश में व्यापार के माहौल में सुधार किया है जिससे उद्यमों के लिए कठिनाइयों के मामले में बाहर निकलना आसान हो गया है।''*

ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर ने 2018 में नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्टेक्स्ट इंडेक्स पेश किया, जो संक्षेप में, एक संख्या में, उद्यमिता के लिए अर्थव्यवस्था के पर्यावरण की औसत स्थिति का सारांश देता है। इस सूचकांक के उप–तत्वों में से एक उद्यमी द्वारा जोखिम लेने के लिए सुरक्षा जाल की उपलब्धता है। 1 से 10 के पैमाने पर, 5 या उससे अधिक का स्कोर इंगित करता है कि अर्थव्यवस्था में उद्यमिता के लिए ऐसा वातावरण है जो पर्याप्त या बेहतर है। अपनी 2020–21 की रिपोर्ट में, भारत 44 अर्थव्यवस्थाओं के समूह में 6 के स्कोर के साथ चौथे स्थान पर है।[100] यह

[98] द इकोनॉमिस्ट (2010)। असफलता को सफल बनाना। अर्थशास्त्री, 68 (9 जनवरी)।

[99] स्टार्ट–अप इंडिया का विकास: 5 साल की कहानी, 2020 को कैप्चर करना, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, https://www.startupindia.gov.in/content/dam/invest-india/Templates/public/5_years_Achievement_report%20_%20PRINT.pdf

[100] ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मोनिटर रिपोर्ट, 2020–21, https://www.gemconsortium.org/file/open?fileId=50691

**बॉक्स 4 : दिवाला कानून और क्रेडिट चौनल**

कोविड–19 महामारी ने सामान्य जीवन को बाधित कर दिया है और भारत सहित दुनिया भर में बड़े पैमाने पर आर्थिक मंदी की वजह से कारपोरेट विफलताओं को जन्म दिया है। ऐसे परिदृश्य में, यह महत्वपूर्ण है कि एक मजबूत शोधन अक्षमता प्रणाली वित्तीय रूप से संकटग्रस्त कंपनियों को ऋण बाजार तक पहुंचने में सक्षम बना सकती है और उन्हें इन तनावग्रस्त परिदृश्यों में जीवित रहने में सक्षम बनाती है। एक कुशल शोधन अक्षमता प्रक्रिया जो नकदी–बाधित फर्मों को अपने व्यवसाय को पुनर्गठित करने और जारी रखने की अनुमति देती है, उनकी वित्तीय बाधाओं को कम करके ऋण बाजार का समर्थन करने में मदद कर सकती है, जिसके परिणामस्वरूप अधिक उद्यमशीलता और ऋण बाजारों तक बेहतर पहुंच होती है। संकटग्रस्त फर्मों के वित्तीय प्रदर्शन में सुधार करने में आईबीसी अपनी प्रभावशीलता के मामले में कितना प्रभावी रहा है?

इस संबंध में, एक ताजा अध्ययन (बोस एट अल 2021)[101] आईबीसी सुधार के प्रभाव पर नवीन साक्ष्य प्रदान करता है, जो क्रेडिट प्रवाह चौनलों की खोज के माध्यम से वित्तीय रूप से संकटग्रस्त फर्मों के प्रदर्शन पर लेनदारों और देनदारों दोनों के अधिकारों को संतुलित करता है। अंतरों में अंतर (डीआईडी) विश्लेषण के साथ 2008–2019 की अवधि के लिए 33,845 गैर–वित्तीय भारतीय फर्मों के पैनल का उपयोग करते हुए, अध्ययन ऋण वित्तपोषण की उपलब्धता और ऋण की लागत पर कानून के प्रभाव और फिर इसकी गैर–संकटग्रस्त फर्मों की तुलना में संकटग्रस्त फर्मों के वित्तीय प्रदर्शन पर बाद का प्रभाव की जांच करता है।

**आईबीसी और "क्रेडिट चैनल"**

जैसा कि वित्तीय संकट में होने की फर्मों की स्थिति के आधार पर उपचारित और नियंत्रण समूहों का निर्माण करके डीआईडी विश्लेषण करना वित्तीय संकट के बिंदु के करीब फर्मों को शोधन अक्षमता कानून, बोस एट अल (2021) द्वारा समर्थित होने की सबसे अधिक संभावना है। जैसा कि आईबीसी ने भारत में लेनदार अधिकारों को मजबूत करने में मदद की, यह संकटग्रस्त फर्मों द्वारा ऋण की आपूर्ति और मांग दोनों को प्रभावित करने की संभावना है। कुशल शोधन अक्षमता कानून यह निर्धारित करने का प्रयास करता है कि शोधन अक्षमता के लिए फाइल करने से पहले वित्तीय संकट में फर्मों के मूल्य को अधिकतम करते हुए लेनदारों को कैसे मुआवजा दिया जाए। इस चरण के दौरान, संकटग्रस्त फर्मों के प्रबंधकों के पास जोखिम भरा निवेश करने के लिए मजबूत प्रोत्साहन होता है ताकि यदि परियोजना सफल हो जाती है, तो दिवाला से बचा जा सकता है या इसमें देरी हो सकती है। इसलिए, ऋण की दीर्घकालिक मांग में गिरावट या कारपोरेट जोखिम लेने में गिरावट नहीं हो सकती है। आपूर्ति पक्ष पर, कानून के बाद की अवधि में मजबूत लेनदार अधिकारों के कारण, बैंक ऋण आपूर्ति में सुधार हो सकता है, क्योंकि आईबीसी के बाद के युग में क्रेडिट आपूर्तिकर्ता अधिक सुरक्षित हैं। कुल मिलाकर, आईबीसी क्रेडिट मांग को सीमित किए बिना क्रेडिट उपलब्धता का विस्तार करने में मदद कर सकता है, सरफेसी के कानून के विपरीत जो सुरक्षित लेनदारों की रक्षा करता है जिसके परिणामस्वरूप क्रेडिट मांग में कमी आई है।

बोस एट अल (2021) संकटग्रस्त फर्मों के *"क्रेडिट चैनलों"* पर आईबीसी नीति के प्रभाव पर साक्ष्य प्रदान करने वाला पहला अध्ययन है। धारणा "क्रेडिट चौनल" को दीर्घकालिक और अल्पकालिक वित्तपोशण तक पहुंच और क्रेडिट की लागत के रूप में जाना जाता है। अध्ययन में पाया गया है कि आईबीसी के अधिनियमन के बाद, संकटग्रस्त फर्में दीर्घावधि ऋण तक अपनी पहुंच 6.3 प्रतिशत, अल्पकालिक ऋण 1.4 प्रतिशत तक बढ़ाने में सक्षम थीं, और इसके विपरीत उनके वित्तपोशण की लागत में 0.8 प्रतिशत की कमी आई। आईबीसी ढांचे के अधीन बेहतर और तेज ऋण वसूली तंत्र के कारण गैर–संकटग्रस्त फर्मों के लिए।

इसके अलावा, शोध से पता चलता है कि संकटग्रस्त फर्में जो ऋण तक बढ़ी हुई पहुंच और उधार की कम लागत (जैसा कि चित्र में दिखाया गया है) दोनों से लाभान्वित होती हैं, वे अपने प्रदर्शन में सुधार करने में सक्षम हैं, जिसके परिणामस्वरूप उनके गैर–संकटग्रस्त समकक्षों की तुलना में उच्च विकास के अवसर हैं। इसके अलावा, सबूत से पता चलता है कि आईबीसी के कार्यान्वयन से होने वाले प्रदर्शन लाभ उन वित्तीय रूप से संकटग्रस्त फर्मों के लिए अधिक प्रमुख हैं जो बड़ी, छोटी और अधिक संपार्श्विक हैं।

**चित्र : संकटग्रस्त और गैर-संकटग्रस्त समूहों के लिए ऋण संरचना में पैटर्न**

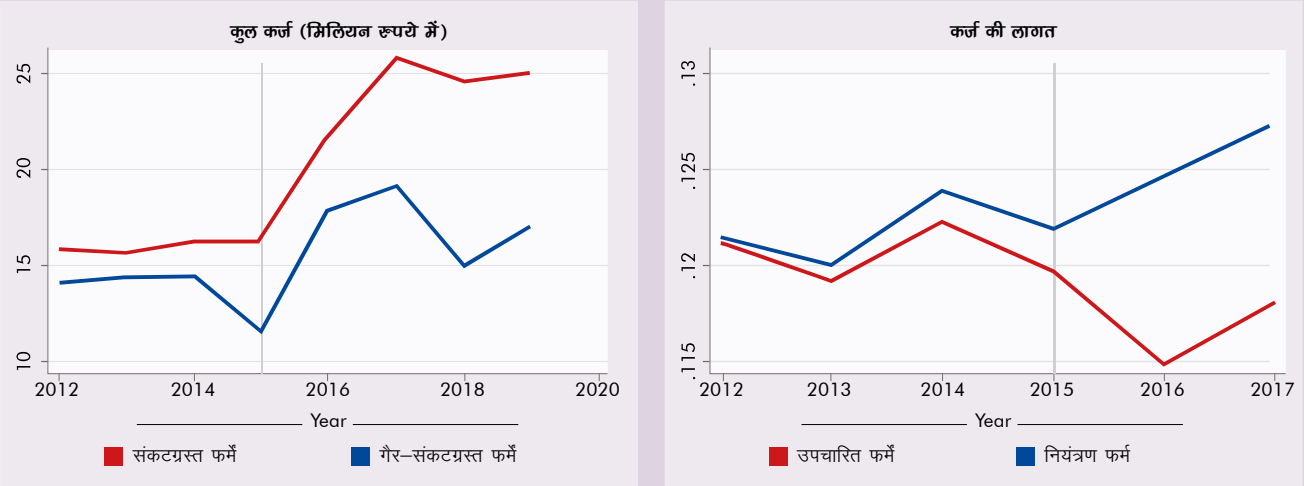


*टिप्पणियाँ : उपरोक्त चित्र वास्तविक कुल ऋण (लाख रुपयाँ में), और संकटग्रस्त (इलाज) और गैर–संकट (नियंत्रण) फर्मों के बीच उधार लेने की लागत को प्रदर्शित करता है।*

ये परिणाम व्यवसायों की सुरक्षा और संरक्षण पर वर्तमान शैक्षणिक और नीतिगत बहस के लिए प्रासंगिक हैं, विशेष रूप से वर्तमान कोविड–19 संकट के बीच में, जो कई व्यवसायों को दिवालिया होने की ओर ले जा रहा है। महामारी के गहरे प्रभावों को देखते हुए, एक मजबूत शोधन अक्षमता प्रणाली न केवल वित्तीय रूप से संकटग्रस्त कंपनियों को त्वरित और लंबे समय तक चलने वाली पुनरुद्धार प्रक्रिया से लाभान्वित करने में सहायता कर सकती है, बल्कि यह उधारदाताओं को तनावग्रस्त परिदृश्यों के अधीन फर्मों को उधार देने के लिए और अधिक आश्वस्त कर सकती है।

[101] यू. बोस, एस. फिलोमेनी और एस. मल्लिक (2020), "क्या दिवाला कानून संकटग्रस्त फर्मों के भाग्य में सुधार करता है? क्रेडिट चैनलों की भूमिका", जर्नल ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस।

उद्यमियों द्वारा वास्तविक जोखिम लेने के लिए सुरक्षा जाल की उपलब्धता और बाहर निकलने में आसानी सहित देश में व्यापार करने में आसानी का प्रतिबिंब है।

### क्रेडिट मार्केट का विकास

संहिता बैंकिंग प्रणाली की एनपीए समस्या को हल करने में भी मदद कर रही है और इस तरह क्रेडिट बाजार की उधार क्षमता को मजबूत कर रहा है। क्रेडिट चौनलों पर संहिता के प्रभाव की चर्चा बॉक्स 4 में की गई है। एनपीए के कुछ बड़े मामले, जैसे भूशण स्टील, इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स, आलोक इंडस्ट्रीज, ज्योति स्ट्रक्चर्स लिमिटेड और मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड का समाधान कर दिया गया है, और एफसी को उनके बकाया का भुगतान कर दिया गया है। संहिता ने भारत में कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार के विकास के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार किया है। सीआरआईएसआईएल[102] का अनुमान है कि भारतीय बाजार में बकाया कारपोरेट बॉन्ड की मात्रा वित्तीय वर्श 2020 के माध्यम से पांच वर्शों में 13 प्रतिशत बढ़कर 33 लाख करोड़ रु.की कीमत की हो गई। यह अनुमान लगाता है कि बुनियादी ढांचे के लिए सरकार के जोर, परिसंपत्ति पूलिंग के माध्यम से नवाचार, अच्छी तरह से पूंजीकृत क्रेडिट गारंटी वृद्धि निगम और निवेश ग्रेड बांड के लिए बाजार बनाने वाली इकाई बनाने के प्रस्ताव के कारण बकाया कारपोरेट बॉन्ड की 65–70 लाख करोड़ रु. की मात्रा वित्त वर्श 2025 के अंत तक दोगुनी होने की संभावना है।

## लेनदारों पर प्रभाव

किसी भी देश के आर्थिक विकास की आधारशिला ऋण तक पहुंच में आसानी होती है। स्थापित निकाय का लिट्रेचर आर्थिक प्रदर्शन पर अच्छी तरह से काम कर रहे क्रेडिट बाजारों के सकारात्मक प्रभाव की ओर इशारा करता है। नए व्यवसायों का समर्थन करने के लिए कुछ सीमा तक, बैंकों और निवेशकों की इच्छा उन नियमों का कार्य है जो तब प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं जब वे विफल हो जाते हैं, यानी वे पूंजी को बाहर निकालने को सुकर बनाते हैं। प्रभावी दिवाला व्यवस्थाएं, व्यावसायिक जीवन चक्र के अंत में काम करते समय, चक्र की शुरुआत पर अत्यधिक प्रभाव डालती हैं, जिससे बैंकों और निवेशकों की उधार देने की इच्छा और उद्यमियों की कुछ सीमा तक जोखिम उठाकर बाजार में प्रवेश करने की स्थिति सुनिश्चित करती है।

### वित्तीय लेनदार

संहिता के उपबंध लेनदारों को व्यतिक्रम की घटनाओं को कम करने के लिए अधिक जिम्मेदार (योग्यतावादी) उधार देने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उन्हें सीडी के खिलाफ व्यतिक्रम की पहली घटना पर या बाद में, जैसा कि यह उचित लगता है, दिवाला कार्यवाही शुरू करने और व्यतिक्रम राशि को बढने की अनुमति देने के बजाय दिवाला कार्यवाही शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ये व्यवहार परिवर्तन संहिता के लागू होने के बाद से धरातल पर दिखाई दे रहे हैं।

समाधान और परिसमापन के उपबंधों के माध्यम से, संहिता व्यतिक्रम की घटनाओं को कम करता है, और लेनदारों को फर्म के पुनरुद्धार या परिसमापन परिसंपत्तियों की बिक्री के माध्यम से अपना बकाया वसूल करने में सक्षम बनाता है। यह प्रतिभूतित और अप्रतिभूतित, बैंक और गैर–बैंक, वित्तीय और परिचालन, विदेशी और घरेलू लेनदारों को परियोजनाओं के लिए कम लागत पर ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करता है और इस तरह ऋण की उपलब्धता को बढ़ाता है। सारणी 65 सीआईआरपी के प्रवेश से पहले और प्रवेश के बाद आईबीसी प्रक्रिया के माध्यम से लेनदारों द्वारा मामलों को वापस लेने के माध्यम से प्राप्त राशि को दर्शाती है। संहिता के इस सकारात्मक प्रभाव को विश्व बैंक ने अपनी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, 2020 में स्वीकार किया है, जो इस प्रकार है: *"पुनर्गठन प्रक्रिया उपलब्ध होने के साथ (दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के माध्यम से), कंपनियों के पास वित्तीय व्यवहार्यता बहाल करने के लिए प्रभावी उपकरण हैं, और लेनदारों के पास सफलतापूर्वक बातचीत करने के लिए बेहतर साधनों तक पहुंच होती है और दिवाला कार्यवाही के अंत में उधार लिए गए धन को वापस करने की अधिक संभावना होती है।"*

**सारणी 65 : लेनदारों द्वारा वसूली**

| क्र. सं. | मद | वसूली गई राशि (करोड़ रूपए में) |
|---|---|---|
| 1 | दाखिल करने से पूर्व वापसी के माध्यम से | 5,33,145 |
| 2 | समाधान के माध्यम से | 2,09,198 |
| 3 | परिसमापन के माध्यम से | 1057 |
| 4 | स्वैच्छिक परिसमापन के माध्यम से | 25 |
| **कुल** | | **7,43,425** |

आरबीआई डेटाबेस[103] के अनुसार, मार्च 2020 के अंत में एससीबी का जीएनपीए अनुपात 8.2 प्रतिशत से गिरकर मार्च 2021 के अंत में 7.3 प्रतिशत रह गया। बैंकों द्वारा विवेकपूर्ण प्रावधान, अधिस्थगन का लाभ उठाने वाले और पुनर्गठन के दौर से गुजर रहे खातों के लिए नियामक नुस्खे के परिणामस्वरूप, मार्च, 2021 के अंत में एससीबी के प्रावधान कवरेज अनुपात में 67.4 प्रतिशत का सुधार हुआ, जो मार्च, 2020 में 66.6 प्रतिशत था। संहिता द्वारा सक्षम प्रस्तावों ने बैंकों के ओवरटाइम के एनपीए के समाधान में योगदान दिया है।

### परिचालन लेनदार

सीडी के ओसी, यानी वस्तुओं और सेवाओं के आपूर्तिकर्ता, जो व्यवसायों को क्रेडिट देते हैं, सीडी के संकट में होने पर नुकसान उठाते हैं। ओसी बड़े पैमाने पर एमएसएमई हैं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए वित्तीय संसाधनों का निरंतर प्रवाह होना चाहिए। संहिता से व्यवहारिक बदलाव आया है जिसमें ओसी द्वारा दिवाला कार्यवाही में धकेले जाने के डर के कारण सीडी ओसी के बकाया का निपटान करने की कोशिश कर रहे हैं। ओसी दिवाला याचिकाओं को स्वीकार करने से पहले और निपटान के लिए बातचीत के माध्यम से प्रवेश के बाद अपने बकाया का भुगतान करने में सक्षम हैं। यह देखा गया है कि लगभग 51 प्रतिशत आवेदन ओसी द्वारा फाइल किए गए थे जो आईबीसी प्रक्रिया में उनके विश्वास को दर्शाते हैं।

## क्रेडिट संस्कृति पर प्रभाव

संहिता ने ऋणदाता(ओं) और उधारकर्ता(ओं), और प्रवर्तक(कों) और लेनदार(रों) के बीच की गतिशीलता में सांस्कृतिक बदलाव लाया है। अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा लाभ उस सीमा से आया है जिस सीमा तक आईबीसी के खतरे ने प्रबंधकों और उधारदाताओं की ओर से संशोधित व्यवहार को जन्म दिया है। संहिता ने जिस तरह से ऋणों के पुनर्भुगतान को प्रवर्तकों और व्यतिक्रम करने वाली फर्मों के प्रबंधन द्वारा देखा और व्यवहार किया जाता है, उस पर प्रभाव डाला है। हजारों कर्जदार संकट के शुरुआती दौर में संकट का समाधान कर रहे हैं। भुगतान के लिए नोटिस प्राप्त होने पर, लेकिन आवेदन दाखिल करने से पहले, आवेदन दाखिल

[102] भारतीय ऋण बाजार पर क्रिसिल इयरबुक 2021

[103] भारत में बैंकिंग का रुख और प्रगति सबंधी आरबीआई की रिपोर्ट, 2020–21

करने के बाद, लेकिन इसके प्रवेश से पहले, और आवेदन के प्रवेश के बाद भी, और समाधान प्रक्रिया के परिणामों से बचने के लिए सर्वोत्तम प्रयास करने पर, व्यतिक्रम होने पर वे समाधान कर रहे हैं। अधिकांश कंपनियों को इन चरणों में बचाया जाता है। मार्च, 2021 तक, 5,33,145 करोड़ रुपये के अंतर्निहित व्यतिक्रम वाले सीडी के सीआईआरपी शुरू करने के लिए 17,305 आवेदन का समाधान उनके प्रवेश से पहले किया गया। केवल बहुत कम प्रतिशत फर्में वास्तव में संपूर्ण सीआईआरपी से गुजरती हैं। सीआईआरपी में भर्ती 4376 फर्मों के लिए, लगभग 24 प्रतिशत धारा 12क या अपील/निपटान/समीक्षा के अधीन निकासी के माध्यम से बीच में ही बंद हो रही हैं। अन्य 37 प्रतिशत सीआईआरपी समाधान या परिसमापन के साथ बंद हुए। शेश अभी जारी हैं।

**सारणी 66 : क्रेडिट संस्कृति पर प्रभाव**

| विषेषताएं | कारपोरेटों की संख्या | खाते (करोड़ रूपए में) | |
|---|---|---|---|
| | | परिसमापन मूल्य | समाधान मूल्य |
| दाखिल करने से पूर्व वापस लिए गये आवेदन | 17305 | NA | NA |
| प्रक्रिया आरम्भ | 4376 | NA | NA |
| प्रक्रिया बीच में बंद की गई | 1028 | NA | NA |
| समाधान योजना द्वारा बंद की गई प्रक्रिया | 348 | 1,12,643.66 | 2,09,198.09 |
| परिसमापन द्वारा बंद की गई | 1277 | 48,334.40 | NA |
| जारी प्रक्रियाएँ | 1723 | NA | NA |

## कारपोरेट देनदारों पर प्रभाव

संहिता सीडी के पुनर्गठन या परिसमापन के लिए व्यवस्थित प्रक्रिया प्रदान करती है। यह व्यवसाय से बचाव या मूल्य को अधिकतम करने के लिए तंत्र की पेशकश करके व्यावसायिक गतिविधि के लिए सुरक्षा जाल के रूप में आराम प्रदान करती है। दिवाला और व्यवसाय से बाहर निकलने के लिए प्रभावी प्रणाली को उन फर्मों के बीच समय पर अंतर करने में सक्षम होना चाहिए जिन्हें बचाया जा सकता है और जिन्हें तेजी से बाहर निकलना चाहिए। संहिता अधिस्थगन को अनिवार्य करती है जो देनदार और लेनदारों को पुनर्भुगतान योजना पर बातचीत करने के लिए एक सांस लेने की जगह प्रदान करती है। इस आशय के लिए संहिता समाधान अवधि के दौरान संस्था पर स्थगन या फर्म के खिलाफ मुकदमे या कार्यवाही जारी रखने की परिकल्पना करती है। यह फर्म को जारी रखने के लिए आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति को निलंबित या समाप्त करने पर रोक लगाती है। संहिता समाधान प्रक्रिया के दौरान किसी भी सुरक्षा हित को रोकने, पुनर्प्राप्त करने या लागू करने के लिए किसी भी कार्रवाई को प्रतिबंधित करती है और इस तरह एक लेनदार(रों) को अपनी बकाया राशि की वसूली से रोकती है। यह प्रक्रिया की समाप्ति की परिकल्पना नहीं करती है। संहिता यह सुनिश्चित करती है कि दिवाला कार्यवाही जारी रहने के दौरान सीडी जारी कंसर्न के रूप में चलती है ताकि इसका मूल्य और खराब न हो।

संहिता विफलता की घटनाओं को कम करती है, विफलता की रोकथाम को प्रोत्साहित करती है, जहां भी संभव हो, विफल व्यवसायों को बचाती है, और जहां भी आवश्यक हो, असफल व्यवसायों से संसाधनों को मुक्त करती है। यह उद्यमी को ईमानदार व्यावसायिक विफलताओं से विचलित हुए बिना आसानी से व्यवसाय में प्रवेश करने और बाहर निकलने में सक्षम बनाती है और इस तरह उद्यमिता को बढ़ावा देती है।

कारपोरेट व्यक्ति व्यतिक्रम पर समाधान प्राप्त करने के उद्देश्य से और स्वैच्छिक परिसमापन के माध्यम से बाहर निकलने के मार्ग के रूप में, जहां कोई व्यतिक्रम नहीं है, दोनों के लिए संहिता का उपयोग कर रहे हैं। 31 मार्च, 2021 तक, 348 सीडी का समाधान किया जा चुका है और 907 कारपोरेट व्यक्तियों ने स्वैच्छिक परिसमापन शुरू किया है।

आईबीसी कंपनी के मूल्य को सुरक्षित रखती है और उसे अधिकतम करती है और परिणामस्वरूप, इसके सभी हितधारकों के लिए मूल्य को भी सुरक्षित करती है। सारणी 67 से पता चलता है कि बचाई गई 348 फर्मों के पास उपलब्ध संपत्ति का वसूली योग्य मूल्य, जब उन्होंने सीआईआरपी में प्रवेश किया था, केवल. 1.13 लाख करोड़ रु था। समाधान योजना से 2.09 लाख करोड़ रु., जो इन फर्मों के वसूली योग्य मूल्य का लगभग 188 प्रतिशत है। वसूली या परिसमापन का कोई अन्य विकल्प सर्वोत्तम 100 रुपये माइनस वसूली/परिसमापन की लागत, जबकि लेनदारों ने संहिता के अधीन 188 रुपये की वसूली की। 88 रुपये की अतिरिक्त वसूली संहिता के कारण बोनस है। इसके अलावा, बचाई गई कंपनियों में से एक तिहाई निश्क्रिय थीं, परिसमापन के लिए आदेशित कंपनियों में से तीन–चौथाई निश्क्रिय थीं।

**सारणी 67 : तनावग्रस्त परिसम्पत्तियों का बचाव**

| विवरण | बचाई गई कम्पनियां | परिसमापन के लिए आदेशित कम्पनियां | कुल |
|---|---|---|---|
| **कम्पनियों की संख्या** | 348 | 1277 | 1625 |
| **समाहारित दावे** | 5,769,69.10 | 6,50,310.50 | 12,27,279.60 |
| **परिसमापन मूल्य** | 1,12,643.66 | 48,334.40 | 1,60,978.06 |
| **समाहारित दावों की तुलना में उपलब्ध परिसम्पतियों का प्रतिशत** | 19.50% | 7% | 13.12% |
| **समाधान मूल्य** | 2,09,198.09 | NA | NA |
| **परिसमापन मूल्य के प्रतिशत के रूप में समाधान मूल्य** | 187.50% | NA | NA |
| **समाहारित मूल्य के प्रतिशत के रूप में समाधान मूल्य** | 36.60% | NA | NA |
| **लिया गया औसत समय** | 459 | 351 | NA |
| **समाधान मूल्य के प्रतिशत के रूप में लागत** | 0.49% | NA | NA |

संहिता समाधान और परिसमापन के बीच संतुलन बनाकर मूल्य को अधिकतम करती है। यह ज्यादातर मामलों में समाधान को प्रोत्साहित करती है और सुविधा प्रदान करती है जहां लेनदारों को कम से कम उतना ही प्राप्त होगा जितना वे परिसमापन में प्राप्त करेंगे। यह तब होगा जब उद्यम मूल्य परिसमापन मूल्य से पर्याप्त रूप से अधिक हो। ऐसे मामलों में, समाधान एक जारी कंसर्न के रूप में उद्यम मूल्य को संरक्षित और अधिकतम करता है। शेश मामलों में, संहिता परिसमापन की सुविधा प्रदान करती है क्योंकि यह हितधारकों के लिए मूल्य को अधिकतम करती है। हालांकि मुख्य उद्देश्य समाधान है, तथापि, संहिता यह मानती है कि कुछ परिस्थितियों में, लेनदारों के लिए परिसमापन सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। ऐसी फर्में हो सकती हैं जो निश्क्रिय हैं, या उन्होंने औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) या अन्य वसूली/पुनर्गठन ढांचे में अपनी स्थिति में बिना किसी सुधार के कई साल बिताए हैं और मूल्य काफी सीमा तक कम हो गया है।

## समाधान समय

संहिता में कहा गया है कि सीआईआरपी को 330 दिनों (2019 का संशोधन अधिनियम) में पूरा किया जाना चाहिए, जिसमें समय के किसी भी विस्तार के साथ–साथ कानूनी कार्यवाही के कारण समय का कोई भी बहिष्कार शामिल है। समाधान के लिए समय कम करने के लिए, संहिता में आईयू के प्रतिस्पर्धी उद्योग, पूरे देश में फैले एए की कई पीठ और दिवाला सेवाओं के व्यावसायीकरण की परिकल्पना की गई है। प्रस्तावों को पूरा करने और परिसमापन के लिए लिया गया औसत समय अधिक है और एए की क्षमता में वृद्धि के संदर्भ में हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

**सारणी 68 : संहिता के अधीन प्रक्रिया को पूरा करने का औसत समय**

| क्र. सं. | मापदंड | कवर की गई प्रक्रियाओं की संख्या | समय (दिनों में) |
|---|---|---|---|
| **कोरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रियाएं** | | | |
| 1 | न्यायनिर्णयन प्राधिकरण द्वारा समाधान योजनाओं का अनुमोदन | 348 | 459 |
| 2 | न्यायनिर्णयन प्राधिकरण द्वारा परिसमापन के लिए आदेश | 1277 | 351 |
| **परिसमापन** | | | |
| 3 | परिसमापन के लिए अंतिम रिपोर्ट की प्रस्तुति | 240 | 410 |
| 4 | स्वैच्छिक परिसमापन के अधीन अंतिम रिपोर्ट की प्रस्तुति | 400 | 383 |

## औसत समाधान लागत

विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के अनुसार, यह संहिता पूर्ववर्ती व्यवस्था की तुलना में सीआईआरपी की कुल लागत को कम करने में सफल रही है, जिसमें कुल लागत कंपनी के संपत्ति मूल्य के 9 प्रतिशत के बराबर थी।

322 सीडी से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, जिनका समाधान किया गया है, दिवाला प्रक्रिया के लिए विभिन्न सेवा प्रदाताओं को शामिल करने और प्रक्रिया के लिए बैठकें आयोजित करने की लागत, परिसमापन मूल्य का औसतन 0.92% और समाधान मूल्य का 0.49% है। विभिन्न सेवाओं के लिए प्रतिस्पर्धी बाजार के विकास और समाधान के लिए समय में कमी के साथ लागत और कम हो सकती है।

## निष्कर्ष

सीआईआरपी के माध्यम से परिणाम उत्साहजनक रहे हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, निस्संदेह, यह कहा जा सकता है कि संहिता से बेहतर वित्तीय संगठन और अनुशासन का वातावरण बनाया है और हितधारकों के व्यवहार में सुधार हुआ है।

अंतर्राश्ट्रीय व्यापार कानून (यूएनसीआईटीआरएएल) पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के दिवाला कानून पर विधायी गाइड प्रदान करता है कि: *'जब कोई देनदार अपने ऋण और अन्य देनदारियों का भुगतान करने में असमर्थ होता है, तो अधिकांश कानूनी प्रणालियां देनदार की संपत्ति (चाहे मूर्त या अमूर्त) से बकाया दावों की सामूहिक संतुष्टि को संबोधित करने के लिए कानूनी तंत्र प्रदान करती हैं। उस कानूनी तंत्र द्वारा हितों की श्रृंखला को समायोजित करने की आवश्यकता है ... आम तौर पर, तंत्र को न केवल इन हितधारकों के विभिन्न हितों के बीच संतुलन बनाना चाहिए, बल्कि इन हितों और प्रासंगिक सामाजिक, राजनीतिक और अन्य नीतिगत विचारों के बीच भी संतुलन बनाना चाहिए, जिनका दिवाला कार्यवाही के आर्थिक और कानूनी लक्ष्यों पर प्रभाव पड़ता है।'*

संहिता एक सक्रिय, गतिशील और समयबद्ध दिवाला व्यवस्था है जो गंभीर खतरे में किसी कंपनी के जीवन को बचाने में विश्वास करती है। चल रहे कार्यों को समयबद्ध दिवाला समाधान पर मुख्य ध्यान देने के साथ नवीन संभावनाओं के साथ दिवाला शासन को परिश्कृत करके 'शोधन अक्षमता का समाधान' और 'व्यापार करने में आसानी' में सुधार करने के लिए रखा जा रहा है। इसके अलावा, संहिता के अधीन तनाव के समाधान के लिए नई पहल की योजना बनाई जा रही है ताकि संहिता की प्रभावशीलता और दक्षता को और बेहतर बनाया जा सके। आने वाले समय में इस दिशा में प्रगति देखने को मिल सकती है।

# छ

# बोर्ड का कार्य निष्पादन

भारत में आर्थिक सुधारों ने सरकार के विभागों द्वारा संचालित किये जा रहे बाजारों के विनियमन से विशेश नियामकों द्वारा निगरानी के लिए अंतरित करने की अभिकल्पना की। नियामकों को अधीनस्थ विधान लिखने के लिए विधायी शक्तियां, लाइसेंसिंग और जांच के लिए कार्यकारी शक्ति और उनके क्षेत्राधिकार में विनियमित संस्थाओं के आचरण पर न्यायिक शक्तियां दी गईं। इस प्रकार नियामक कई अर्थों में सरकारों के समान होते हैं। वे जनता के हित में सरकार के समान सार्वजनिक सामान प्रदान करते हैं। उनके उत्तरदायित्वों में सरकार द्वारा निर्वहन के समान उपभोक्ता संरक्षण, विकास और विनियमन शामिल हैं। उनके पास सरकार के समान विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियाँ हैं। वे कई अर्थों में सरकार से मिलते–जुलते हैं, फिर भी वे 'सरकार' नहीं हैं। वे, एक अर्थ में, सरकार के भीतर की सरकारें हैं, और सरकार की ओर से पूर्व–निर्धारित ढांचे में शासन करती हैं। हालांकि, सरकार अंततः नियामकों के माध्यम से शासन के लिए नागरिकों के प्रति जवाबदेह है। प्रशासनिक मंत्रालयों के माध्यम से, नियामक संसद के अधीनस्थ विधान, उनके कार्यकलापों और निष्पादन का विवरण देने वाली वार्शिक रिपोर्ट, और सीएजी द्वारा लेखा–परीक्षित खातों के विवरण सदन के पटल पर रखते हैं। विभागीय स्थायी समितियाँ अपनी अनुदान माँग या अपने प्रशासनिक मंत्रालयों की अनुदान माँग, जैसी भी स्थिति हो, का अनुमोदन करते समय उनके क्रियाकलापों की जाँच करती हैं।[104] यह वास्तव में, यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न जाँच और संतुलन हैं कि नियामक सरकार द्वारा इसके लिए निर्धारित अपने कार्यों के दायरे में काम करे।

संहिता की धारा 196 आईबीबीआई की शक्तियों और कार्यों की गणना करती है। यह अनूठा नियामक है, जो दिवाला व्यवसाय के साथ–साथ दिवाला प्रक्रियाओं सहित सेवा प्रदाताओं को नियंत्रित करता है। संहिता के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए आईपी, आईपीए, और आईयू और अन्य संस्थानों के विकास को बढ़ावा देने और उनके कामकाज और प्रथाओं को विनियमित करने की जिम्मेदारी है। यह प्रत्येक दिवाला और शोधन अक्षमता प्रक्रिया के बारे में प्रासंगिक डेटा और जानकारी एकत्र, व्यवस्थित और प्रसारित करता है और दिवाला और शोधन अक्षमता में अनुसंधान और अध्ययन का संचालन और प्रचार करता है। यह देश में मूल्यांककों के व्यवसाय के विनियमन और विकास के लिए कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 के अधीन 'प्राधिकरण' के रूप में भी कार्य करता है। प्राधिकरण के रूप में, यह आरवी और आरवीओ को रजिस्ट्रीकृत और नियंत्रित करता है। इन उत्तरदायित्वों में धारा 196 में वर्णित कार्यों को करने के लिए अर्ध–विधायी, कार्यकारी और अर्ध–न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करना शामिल है।

रिपोर्ट के विभिन्न खंडों में आईबीबीआई के कामकाज के कई पहलुओं को प्रस्तुत किया गया है। खंड घ अपने कार्यकारी, अर्ध–विधायी और अर्ध–न्यायिक कार्यों में आईबीबीआई के परिचालन निश्पादन को प्रस्तुत करता है, जबकि खंड ज अपने शासी बोर्ड के निष्पादन का मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। वित्तीय प्रदर्शन, कानूनी और वैधानिक दायित्वों का अनुपालन, और बोर्ड के संगठनात्मक निष्पादन को क्रमशः खंड झ, ञ और ट में चित्रित किया गया है। इस खंड में बोर्ड के कामकाज को समाहित करने का प्रयास है जिसका बोर्ड द्वारा किए गए कार्यों की गुणवत्ता और उसके परिणाम पर असर पड़ता है। अच्छे नियामक शासन को कुछ वांछनीय तत्वों, अर्थात् प्रभावी और उत्तरदायी विनियमनय उपयुक्त संस्थागत पारिस्थितिकी तंत्रय हितधारकों के साथ प्रभावी जुड़ाव, समय–समय पर संस्थागत निश्पादन का आकलन और अन्य एजेंसियों के साथ अपने अधिदेश को पूरा करने में समन्वय पर आधारित माना गया है। इन पहलुओं के संदर्भ में बोर्ड की निश्पक्षता को यहां प्रस्तुत किया गया है।

## क. प्रभावी और उत्तरदायी विनियमन

विनियमन बनाना नियामक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। विनियमन कानूनी समस्या का समाधान खोजने के लिए एक–दूसरे के साथ निरंतर जुड़ाव में कई इच्छुक पक्षों को शामिल करने वाले मुद्दों को हल करने का प्रयास करते हैं। कभी–कभी, हितधारकों की पहचान करना या विनियमनों के प्रभाव को मापना संभव नहीं होता है। इस प्रकार, नियामक की भूमिका में, विकसित वातावरण में पूरी स्थिति से अवगत होना, मामले को हल करने के लिए एक से अधिक विकल्प प्रदान करना और केवल बाजार की विफलता को बढ़ावा देने वाले विनियमन को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। इस प्रकार, विनियमन बनाना कला से कुछ अधिक हैः जिसमें मानक 'एक आकार–सभी के लिए उपयुक्त' हमेशा काम नहीं करता है। नियामक को बदलते प्रचालक वातावरण और बाजार की विफलताओं के अनुकूल होने, अलग–अलग रणनीतियां और दृष्टिकोण उपलब्ध होने, उपयुक्त विनियमन तैयार करने की आवश्यकता है जो बिना या नगण्य अनपेक्षित परिणामों के साथ विभिन्न बाजार विफलताओं को संबोधित करे। संक्षेप में, इसे लचीला होना चाहिए और इसमें ऐसे परिवर्तनों का आकलन करने और बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए विनियमनों को संशोधित करने की क्षमता होनी चाहिए।

उत्तरदायी नियामक प्रतिभागियों की स्वतंत्रता को अनावश्यक रूप से प्रतिबंधित किए बिना, बाजार की बदलती जरूरतों के साथ सक्रिय रूप से विनियमनों को डिजाइन और संशोधित करता है। हालांकि बाजार की विफलता को दूर करने के लिए मानक विनियमनों का होना संभव नहीं है, यह सुनिश्चित करने के लिए विनियमन बनाने के लिए एक मानक प्रक्रिया होना आवश्यक है कि विनियमन प्रभावी होने के साथ–साथ उत्तरदायी हैं, फिर भी अत्यधिक नहीं हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, आईबीबीआई ने विनियम बनाने की प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए आईबीबीआई (विनियमन जारी करने के लिए तंत्र) विनियमन, 2018 लागू किया है।

विनियमन की प्रभावशीलता और जवाबदेही पर साहित्य विनियमनों के

[104] साहू एम. एस.. (2019), "नियामक राज्य में सुधार करना", जरनल ऑफ इंडियन स्कूल ऑफ पोलिटिकल इकॉनॉमी, खंड 31, सं. 3, जुलाई– सितबंर

लागत लाभ विश्लेशण के महत्व को पहचानता है और कुशल निर्णय लेने को सुनिश्चित करने के लिए हितधारकों के साथ जुड़ाव को मजबूत करता है। साहित्य विनियमित अभिनेताओं के व्यवहार के प्रति प्रतिक्रिया के रूप में प्रतिक्रिया की कल्पना करता है। शोधकर्ताओं ने उत्तरदायी विनियमन की कई विशेशताओं को मान्यता दी है। इस संबंध में सूचीबद्ध कुछ सर्वोत्तम प्रथाओं में औपचारिक परामर्श – इसका दस्तावेजीकरण, औपचारिक या अनौपचारिक सुनवाई, निर्णयों के लिए स्पश्ट समय सीमा और इनपुट प्रदान करना और निर्णयों को प्रभावित करने का वास्तविक मौका यानी इनपुट के लिए जवाबदेही शामिल हैं।[105]

इस समझ को ध्यान में रखते हुए, आईबीबीआई के पास स्थायी व्यवस्था है कि कोई भी हितधारक पूरे वर्ष के दौरान किसी भी नए नियमन या मौजूदा नियमों में से किसी में किसी भी परिवर्तन की मांग कर सकता है। यह प्रत्येक हितधारक को नियामक के स्थान पर रखता है। आईबीबीआई प्रस्तावित विनियमनों के मसौदे के साथ चर्चा पत्र भी सार्वजनिक क्षेत्राधिकार में रखता है और उस पर टिप्पणी आमंत्रित करता है। यह प्रत्येक हितधारक को किसी भी विनियमन के डिजाइन में भागीदार बनाता है। आईबीबीआई के संचालन प्रभाग के विचारों के साथ हितधारकों से प्राप्त सभी टिप्पणियों और सुझावों को निर्णय के लिए आईबीबीआई के जीबी के समक्ष रखा जाता है। आईबीबीआई द्वारा की गई परामर्श प्रक्रिया के विवरण और अंतिम निर्णय के आधार को देखने के लिए हितधारकों के लिए जीबी के एजेंडा नोट भी वेबसाइट पर रखे गए हैं। यह आईबीबीआई और हितधारकों के बीच और स्वयं हितधारकों के बीच सूचना के बहु–दिशात्मक प्रवाह की सुविधा प्रदान करता है जब विनियम तैयार किए जा रहे हों। इसके अलावा विभिन्न हितधारकों तक पहुंचने और मसौदा नियमों पर उनके दृश्टिकोण को समझने के लिए, आईबीबीआई स्वयं या उद्योग/संस्थानों/संगठनों के सहयोग से प्रस्तावित नियमों पर विभिन्न शहरों में गोलमेज सम्मेलन आयोजित करता है। यह हितधारकों को बनाए गए नियमों के इरादे से अवगत कराने और नियमों के कार्यान्वयन की सुविधा के लिए इस तरह की गोलमेज सम्मेलन भी आयोजित करता है। सारणी 69 उन विनियमनों को प्रस्तुत करती है जिन्हें आईबीबीआई 31 मार्च, 2021 तक लागू कर रहा है।

**सारणी 69 : 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार विनियमन**

| क्र. सं. | विनियमन |
|---|---|
| 1 | आईबीबीआई (आदर्श उपा नियम और दिवाला व्यावसायिक अभिकरणों के शासी बोर्ड) विनियमन, 2016 |
| 2 | आईबीबीआई (दिवाला व्यावसायिक अभिकरण) विनियमन, 2016 |
| 3 | आईबीबीआई (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016 |
| 4 | आईबीबीआई (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रियाएं) विनियमन, 2016 |
| 5 | आईबीबीआई (परिसमापक प्रक्रियाएं) विनियमन, 2016 |
| 6 | आईबीबीआई (अनुसंधान एसोसिएट्स और परामर्शदाताओं की नियुक्ति) विनियमन, 2017 |
| 7 | आईबीबीआई (सलाहकार समिति) विनियमन, 2017 |
| 8 | आईबीबीआई (शासी बोर्ड की बैठकों के लिए प्रक्रिया) विनियमन, 2017 |
| 9 | आईबीबीआई (स्वैच्छिक परिसमापक प्रक्रियाएं) विनियमन, 2017 |
| 10 | आईबीबीआई (सूचना उपयोगिताएं) विनियमन, 2017 |
| 11 | आईबीबीआई (निरीक्षण और अन्वेशण) विनियमन, 2017 |
| 12 | आईबीबीआई (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए फास्ट ट्रैक दिवाला समाधान प्रक्रियाएं) विनियमन, 2017 |
| 13 | आईबीबीआई (कर्मचारी सेवा) विनियमन, 2017 |
| 14 | आईबीबीआई (शिकायत और परिवाद निपटान प्रक्रिया) विनियमन, 2017 |
| 15 | आईबीबीआई (विनियमन जारी करने के लिए ढांचा) विनियमन, 2018 |
| 16 | आईबीबीआई (कारपोरेट देनदारों के लिए व्यक्तिगत प्रतिभूतिदाताओं के लिए दिवाला प्रक्रियाएं) विनियमन, 2019 |
| 17 | आईबीबीआई (कारपोरेट देनदारों के लिए व्यक्तिगत प्रतिभूतिदाताओं के लिए शोधन अक्षमता प्रक्रियाएं) विनियमन, 2019 |

इन विनियमनों में संशोधन बाजारों की उभरती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक होने पर किया जाता है। उदाहरण के लिए, 2020–21 के दौरान, सीआईआरपी विनियमनों और परिसमापन विनियमनों में चार बार संशोधन किए गए और आईपी विनियमनों में दो बार संशोधन किए गए। जबकि सभी प्रक्रियाओं और सेवा प्रदाताओं के लिए नियम मौजूद हैं, जहां भी मौजूदा कानूनी स्थिति पर किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, बोर्ड परिपत्रों और दिशानिदेशों के माध्यम से इसे प्रदान करता रहा है। आईबीबीआई का यह प्रयास रहा है कि विनियमनों के अनुपालन को सुगम बनाया जाए।

## ख. संस्थागत पारिस्थितिकी तंत्र

किसी भी कानून के उचित कार्यान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि सुशासन संरचनाएं यह सुनिश्चित करने के लिए मौजूद हों कि कानून के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार पारिस्थितिकी तंत्र की संस्थाएं जरूरतमंदों को सर्वोत्तम रूप से लक्षित और सेवा प्रदान कर सकें, साथ ही, प्रतिक्रियात्मक और प्रभावी ढंग से संचालित हो सकें। बोर्ड का एक प्रमुख कार्य संहिता के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में आईपी, आईपीए, आईपीई, आईयू, आरवी और आरवीओ से युक्त संहिता के अधीन स्थापित संस्थागत पारिस्थितिकी तंत्र के कामकाज और प्रथाओं के विकास को बढ़ावा देना है। निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए संहिता के कार्यान्वयन में इन संस्थानों में से प्रत्येक द्वारा, आईबीबीआई ने संविधि के अधीन विनियमन तैयार किए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जो व्यक्ति/व्यक्ति इन सेवाओं को प्रदान करना चाहते हैं, वे न केवल तकनीकी रूप से सक्षम हैं, बल्कि नैतिकता और व्यावसायिकता के उच्चतम मानकों को भी रखते हैं। दूसरे शब्दों में, उन्हें 'उपयुक्त और उचित व्यक्ति' होने की परीक्षा पास करनी होगी। कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन बनाए गए मूल्यांकन नियमों में निश्पादन के न्यूनतम मानकों को सुनिश्चित करने के लिए आरवी और आरवीओ के लिए समान उपबंध हैं।

### *व्यवसाय का संरक्षण*

आईबीबीआई दो उभरते हुए व्यवसायों, नामतः, दिवाला व्यवसाय और मूल्यांकन व्यवसाय, की देखभाल कर रहा है। व्यवसायों के निर्माण के लिए मानक टूलबॉक्स का उपयोग करते हुए, आईबीबीआई ने कुछ नवाचार किए हैं।

***स्नातक दिवाला कार्यक्रम :*** आईबीबीआई ने दिवाला व्यवसाय को अगले स्तर पर ले जाने के लिए जीआईपी की अवधारणा के लिए एक उद्योग पहल का नेतृत्व किया। यह दुनिया में अपनी तरह का एक अनूठा कार्यक्रम है जो उच्च गुणवत्ता वाले आईपी का उत्पादन करता है जो विश्व स्तरीय

[105] स्टेर्न., जे., (1999), ''नियामक शासन : नियामक प्रणालियों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए मानदंड – एशिया के विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे के लिए एक आवेदन'', विनियमन पहल चर्चा पत्र श्रृंखला संख्या 20य दीक्षित, एस., दुबाश, एन.के., मौरर, सी., और नखुदा, एस., (2007), ''बेंचमार्किंग बेस्ट प्रैक्टिस एंड प्रमोशन एकाउंटेबिलिटी इन इलेक्ट्रिसिटी सेक्टरय'' आयरेस, आई. और ब्रेथवेट, जे., (1992), रेस्पोंसिव रेगुलेशनः ट्रांसेंडिंग द डेरेग्यूलेशन डिबेट, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। यह युवा व्यावसायिकों, जिनके पास प्रतिभा है लेकिन अनुभव की कमी है, को दिवाला व्यवसाय अपनाने का अवसर प्रदान करता है। यह एक 24 महीने का कार्यक्रम है जिसमें 12 महीने के गहन आवासीय कक्षा घटक और 12 महीने के अभ्यास के किनारे पर एक व्यावहारिक इंटर्नशिप घटक शामिल है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने शैक्षणिक वर्ष 2019–20 में जीआईपी की शुरुआत की। राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय, भोपाल शैक्षणिक वर्ष 2022–23 से जीआईपी शुरू करने वाला है।

उपयुक्त और उचित व्यक्ति: किसी व्यवसाय की विश्वसनीयता उसके सदस्यों की विश्वसनीयता पर निर्भर करती है। अधिकांश अन्य व्यवसायों की तुलना में दिवाला व्यवसाय (मूल्यांकन व्यवसाय) की एक विशिश्ट आवश्यकता यह है कि यह केवल उन व्यक्तियों को अनुमति देता है, जिन पर इस व्यवसाय पर गर्व होगा, और उन व्यक्तियों के प्रवेश को रोकता है, जिनके पूर्ववृत्त संदिग्ध या संदिग्ध हैं। यह केवल उन व्यक्तियों के प्रवेश की अनुमति देता है जो 'उपयुक्त और उचित' हैं और उन्हें निरंतर रजिस्ट्रीकरण की शर्त के रूप में उपयुक्त और उचित रहने की आवश्यकता है। यह निर्धारित करने के लिए कि कोई व्यक्ति 'उपयुक्त और उचित' है या नहीं, आईबीबीआई विभिन्न पहलुओं पर विचार करता है, जिसमें (क) अखंडता, प्रतिश्ठा और चरित्र, (ख) दोशसिद्धि और संयम आदेशों की अनुपस्थिति, और (ग) क्षमता शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है।

***मूल्यांकन व्यवसाय :*** संहिता का एक प्रमुख उद्देश्य संकटग्रस्त व्यक्तियों की संपत्ति के मूल्य को अधिकतम करना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण तत्व तुलना और सूचित निर्णय लेने की सुविधा के लिए संपत्ति के मूल्य का पारदर्शी और विश्वसनीय निर्धारण है। मूल्यांकन विकल्पों के मूल्यांकन के लिए संदर्भ के रूप में कार्य करता है, जिसमें परिसमापन शामिल है, और उस विकल्प का चयन जो फर्म और परिणामस्वरूप हितधारकों के भाग्य का फैसला करता है। यदि मूल्यांकन सही नहीं है, तो एक व्यवहार्य फर्म का परिसमापन किया जा सकता है और एक गैर–लाभकारी फर्म का पुनर्वास किया जा सकता है, जो अर्थव्यवस्था के लिए विनाशकारी हैं। एक अंतरिम व्यवस्था के रूप में, कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन एक ढांचा तैयार किया गया था जो आईबीबीआई को मूल्यांकन व्यवसाय को तैयार करने में सक्षम बनाता है। व्यवसाय को अगले स्तर तक ले जाने के लिए, विशेशज्ञों की एक समिति ने मूल्यांकन व्यवसाय के विनियमन और विकास को चलाने के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन संस्थान की स्थापना की सिफारिश की है।

## दिवाला व्यावसायिक संस्थाएं

चूंकि एक आईपी के पास एक निर्धारित अवधि के भीतर निर्वहन करने के लिए कई जिम्मेदारियां होती हैं, इसलिए उसके लिए सब कुछ अपने दम पर करना संभव नहीं हो सकता है, खासकर बड़ी और जटिल प्रक्रियाओं के मामले में। उदाहरण के लिए, जब वह आईआरपी के रूप में कार्यभार संभालता है तो उसके लिए सीडी के प्रत्येक संसाधन की सूची लेना संभव नहीं हो सकता है। जबकि उसे सीडी लेनी होगी, उसे इन्वेंट्री लेने में सहायता की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए, विनियमनों में आईपीई को एक ऐसे आईपी को सहायता सेवाएं प्रदान करने की परिकल्पना की गई है जो इसके भागीदार या निदेशक हैं। कानून उन्हें उन मामलों में सहायता करने के लिए व्यावसायिकों की सेवाओं को शामिल करने का भी अधिकार देता है, जिनमें उन्हें विशेषज्ञता नहीं हो सकती है।

## सूचना उपयोगिता

समाधान प्रक्रिया सूचना गहन है। संहिता वित्तीय सूचनाओं को संग्रहीत करने के लिए इंटरऑपरेबल आईयू के एक प्रतिस्पर्धी उद्योग के लिए प्रदान करती है जो चूक को स्थापित करने के साथ–साथ दावों को तेजी से सत्यापित करने में मदद करती है और इस तरह संहिता के अधीन प्रक्रियाओं को जल्दी शुरू करने और समयबद्ध पूरा करने की सुविधा प्रदान करती है।

## दिवाला व्यावसायिक अभिकरण और रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन

आईपीए और आरवीओ क्रमशः दिवाला व्यवसाय और मूल्यांकन व्यवसाय के विकास और विनियमन के लिए जिम्मेदार अग्रणी नियामक हैं। वे संहिता के अधीन कार्यों के लिए अपने सदस्यों को तैयार करने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं। आईबीबीआई प्रत्येक माह की 7 तारीख को आईपीए, आरवीओ और आईयू के एमडीध्सीईओ से उनके शासन और संचालन, दिवाला और मूल्यांकन व्यावसायिकों की प्रथाओं, और सामूहिक समाधान पर पहुंचने और सर्वोत्तम प्रथाओं को विकसित करने के लिए उभरती समस्याओं से निपटने के लिए दिवाला और परिसमापन कार्यवाही से उत्पन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मिलता है। आईबीबीआई, आईपीए, आरवीओ, शैक्षणिक संस्थान और बाजार व्यावसायिकों के साथ–साथ एफसी जैसे अन्य हितध ाारकों के लिए कई तरह के क्षमता निर्माण कार्यक्रम पेश करते हैं।

इस प्रकार, आईबीबीआई 31 मार्च, 2021 तक निम्नलिखित सेवा प्रदाताओं को सेवा प्रदान कर रहा है :

| क्र. सं. | सेवा प्रदाता | 31 मार्च की स्थिति के अनुसार संख्या | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | दिवाला व्यावसायिक | 2456 | 3004 | 3504 |
| 2 | दिवाला व्यावसायिक संस्थाएं | 48 | 69 | 83 |
| 3 | दिवाला व्यावसायिक अभिकरण | 03 | 03 | 03 |
| 4 | सूचना उपयोगिताएँ | 01 | 01 | 01 |
| 5 | रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन | 11 | 12 | 16 |
| 6 | रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक | 1186 | 3030 | 3967 |

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार आईबीबीआई ने निम्नलिखित परीक्षाएं आयोजित की :

| क्र. सं. | परीक्षा |
|---|---|
| 1 | सीमित दिवाला परीक्षा |
| 2 | मूल्यांकन परीक्षा (भूमि और भवन) |
| 3 | मूल्यांकन परीक्षा (संयंत्र और मशीनरी) |
| 4 | मूल्यांकन परीक्षा (प्रतिभूतियां या वित्तीय संपत्ति) |

आईबीबीआई नए रजिस्ट्रीकृत आईपी के लिए उनकी मौजूदा क्षमता को बढ़ाने और बढ़ाने के लिए बुनियादी कार्यशालाओं का आयोजन कर रहा है। विशिष्ट क्षेत्रों में आईपी की विशेषज्ञता को और बढ़ाने की दृष्टि से, आईबीबीआई ने ऐसे आईपी के लिए उन्नत कार्यशालाओं की एक श्रृंखला शुरू की थी जो पहले से ही बुनियादी आईपी कार्यशाला से गुजर चुके हैं। यह समान कार्यशालाओं और वेबिनार आयोजित करने के लिए आईपीए को प्रोत्साहित और सहायता भी कर रहा है। सारणी 70 आईबीबीआई द्वारा आयोजित क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का विवरण प्रस्तुत करती है।

**सारणी 70: आईपीज के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम (संख्या)**

| वर्ष /तिमाही | की संख्या | | | |
|---|---|---|---|---|
| | मूल कार्यषालाएं | अग्रिम कार्यषालाएं | अन्य कार्यषालाएं | वेबिनार/राउंड टेबल्स |
| 2016-17 | 01 | - | - | 04 |
| 2017-18 | 06 | - | 1 | 04 |
| 2018-19 | 07 | - | - | 14 |
| 2019-20 | 04 | 06 | 09 | 20 |
| 2020-21 | 01 | 02 | - | 47 |
| **कुल** | **19** | **08** | **10** | **89** |

आईबीबीआई इसके लिए आवेदन प्राप्त होने पर आईपी, आईपीए, आईयू, आरवी और आरवीओ को रजिस्ट्रीकृत करता है। आवेदनों को संसाधित करने के लिए इसकी अच्छी तरह से स्थापित प्रक्रिया है। पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने वाले केवल 'उपयुक्त और उचित' व्यक्तियों को बोर्ड द्वारा रजिस्ट्रीकृत किया जाता है। जहां बोर्ड का प्रथम दृष्टया यह विचार है कि रजिस्ट्रीकरण के लिए एक आवेदन को अस्वीकार किया जाना है, वह इसके लिए कारण (कारणों) के साथ उक्त दृष्टिकोण बताता है। आवेदक को यह समझाने का अवसर दिया जाता है कि वह कैसे रजिस्ट्रीकृत होने के योग्य है। डबल्यूटीएम उसे सुनता है और या तो रजिस्ट्रीकरण देता है या रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन को अस्वीकार करता है। वह केवल तर्कयुक्त आदेश के माध्यम से आवेदन को अस्वीकार करता है। आईबीबीआई ने 2020–21 के दौरान सारणी 71 में दिए गए विभिन्न आदेश जारी किए।

**सारणी 71 : 2020–21 के दौरान आईबीबीआई द्वारा जारी विभिन्न आदेश**

| क्र. सं. | आदेष का प्रकार | प्राधिकरण | में जारी आदेशों की संख्या | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 |
| 1 | आईपी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदनों को अस्वीकार करना | बोर्ड | 03 | 04 | 01 |
| 2 | आरवी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदनों को अस्वीकार करना | बोर्ड | 01 | 03 | 6 |
| 3 | एससीएन का निपटान | अनुशासन समिति | 11 | 07 | 52 |
| 4 | सीपीआईओ के आदेशों के विरुद्ध अपीलों का निपटारा | प्रथम अपीलीय प्राधिकरण | 29 | 19 | 39 |

## ग. हितधारकों के साथ जुड़ाव

दिवाला और शोधन अक्षमता पारिस्थितिकी तंत्र में हितधारक विविध हैं। इनमें सभी मौजूदा और संभावित लेनदार और देनदार शामिल हैंय व्यवसायवर और संस्थान जो दिवाला और शोधन अक्षमतासमाधान की प्रक्रिया के अभिन्न अंग हैं, विदेशी लेनदार और विदेशी फर्म जिनके घरेलू देनदारों के साथ व्यावसायिक संबंध हैं, न्यायाधीशों और अदालतों के साथ–साथ सरकार और संसद के विभाग जिनके माध्यम से कानून लागू किया जाता है। इन हितधारकों में से प्रत्येक की विशिष्ट आवश्यकताएं हैं। विभिन्न नियामक हस्तक्षेपों और गुणवत्तापूर्ण कार्यों के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए हितधारकों के साथ प्रभावी संचार नियमित आधार पर हितधारकों के साथ जुड़ने का एक अनिवार्य तत्व है। सभी प्रभावित पक्षों से परामर्श करके, हितधारक जुड़ाव नीतियों की समावेशिता को बढ़ाता है और विनियमनों के स्वामित्व की भावना के विकास का समर्थन करता है। यह बदले में सरकार, सामाजिक सामंजस्य और नियमों के अनुपालन में विश्वास को मजबूत करता है।

हितधारकों के साथ भरोसेमंद संबंध एक विश्वसनीय संगठन की नींव है। इसके लिए, आईबीबीआई अपने प्रत्येक हितधारक के साथ कई तरीकों से जुड़ रहा है और उभरती परिस्थितियों में पारदर्शिता, स्थिरता और निष्पक्षता के साथ प्रतिक्रिया दे रहा है। यह ध्यान में रखते हुए कि संहिता पूर्ववर्ती दिवाला और शोधन अक्षमता व्यवस्था से कानून में एक आदर्श परिवर्तन है, संहिता के अधीन प्रक्रियाओं को मजबूत और सुव्यवस्थित करने के लिए उनके इनपुट नए शासन के प्रावधानों और आवश्यकता के मामले में इसका उपयोग करने के तरीके के बारे में उन्हें जागरूक करने के लिए हितधारकों के साथ जुड़ना महत्वपूर्ण है।

आईबीबीआई ने उपरोक्त बिंदु ए में उल्लिखित नियमों को बनाने के लिए एक परामर्शी प्रक्रिया विकसित की है। प्रक्रिया आम तौर पर एक डब्ल्यूजी के साथ शुरू होती है जो इस मुद्दे पर विचार करती है और इसे हल करने के लिए वैकल्पिक विकल्पों की खोज करती है। डब्ल्यूजी के इनपुट के साथ इन मुद्दों पर भी संबंधित एसी द्वारा अक्सर विचार–विमर्श किया जाता है। जीबी की मंजूरी के साथ, आईबीबीआई मसौदा नियमों के साथ एक चर्चा पत्र सार्वजनिक डोमेन में रखता है और उस पर टिप्पणी मांगता है। यह जनता को अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करने के लिए कम से कम इक्कीस दिनों की अनुमति देता है। यह हितधारकों के साथ उनके दृश्टिकोण को समझने के लिए मसौदा नियमों पर चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित करता है। विनियमन बनाने की प्रक्रिया ळठ के आईबीबीआई के अनुमोदन नियमों और आईबीबीआई द्वारा अंतिम अधिसूचना के साथ समाप्त होती है। हालांकि, अगर जीबी प्रस्तावित नियमों से काफी अलग रूप में नियमों को मंजूरी देने का फैसला करता है, तो यह पूरी प्रक्रिया को दोहराता है। आपात स्थिति में, पूर्वोक्त प्रक्रिया का पालन किए बिना विनियमन बनाए जा सकते हैं। यह प्रक्रिया आईबीबीआई को जमीनी हकीकत, विनियमनों के सुरक्षित स्वामित्व, लोकतांत्रिक वैधता प्रदान करने और समय और उद्देश्य के लिए प्रासंगिक, मजबूत और सटीक बनाने में सक्षम बनाती है।

आईबीबीआई (विनियमन जारी करने के लिए तंत्र) विनियमन, 2018 के लिए आईबीबीआई को जनता से टिप्पणियों के लिए निम्नलिखित सामग्री को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने की आवश्यकता हैः (क) प्रस्तावित नियमों का मसौदा; (ख) संहिता का विशिश्ट प्रावधान जिसके अधीन बोर्ड नियमों का प्रस्ताव करता है; (ग) समस्या का एक बयान जो प्रस्तावित नियमों को संबोधित करना चाहता है; (घ) प्रस्तावित नियमों का एक आर्थिक विश्लेशण; (ड़) अंतरराष्ट्रीय मानक निर्धारण एजेंसियों और प्रस्तावित नियमों के लिए प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं, यदि कोई हो, द्वारा समर्थित मानदंडों का एक बयान; (च) प्रस्तावित विनियमनों के कार्यान्वयन का तरीका, और, (छ) जनता से टिप्पणियां प्राप्त करने का तरीका, प्रक्रिया और समय–सीमा। इन सामग्रियों को तैयार करने के लिए कुछ कौशल सेट की आवश्यकता होती है जो संगठन के अंदर आसानी से उपलब्ध नहीं होता है। इस क्षेत्र में आईबीबीआई की क्षमता निर्माण के लिए देश में कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध नहीं है। आईबीबीआई धीरे–धीरे इन सामग्रियों की तैयारी सीख रहा है, और इसलिए, इन सामग्रियों की सही गुणवत्ता और कवरेज होने में कुछ समय लगेगा।

ओईसीडी के 'विनियामक नीति में हितधारक जुड़ाव के लिए सर्वोत्तम अभ्यास सिद्धांत' अन्य बातों के साथ–साथ कुछ विशेशताओं का सुझाव देते हैं, जिन्हें नियामकों को हितधारकों के साथ अपने जुड़ाव में अपनाना चाहिए

ताकि हितधारक जुड़ाव की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके:

(क) हितधारक जुड़ाव के लिए स्पश्ट उद्देश्य निर्धारित करें

(ख) जुड़ाव की प्रक्रिया में पारदर्शिता, पूर्वानुमेयता और एकरूपता।

(ग) सुलभ, सक्रिय और समावेशी जुड़ाव

(घ) मुद्दों की समझ बनाने और उन्हें सूचित रखने के लिए हितधारकों को जानकारी प्रदान करें

**(क) हितधारक जुड़ाव के लिए स्पष्ट उद्देश्य निर्धारित करें**

आईबीबीआई परिभाषित उद्देश्यों और उद्देश्यों के साथ हितधारकों के साथ जुड़ता है। समग्र उद्देश्य नियामक ढांचे के संचालन और परिणामों में सुधार करना है। इसे प्राप्त करने के लिए, यह निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए हितधारकों के साथ जुड़ता है।

*(क) नीति तैयार करना :* बोर्ड द्वारा कोई भी विनियमन, दिशानिदेश इत्यादि जारी करने से पहले सार्वजनिक टिप्पणियां आमंत्रित की जाती हैं और उन पर उचित विचार किया जाता है। बोर्ड ने हितधारकों से फीडबैक के आलोक में सभी विनियमनों की आवधिक समीक्षा की नीति भी अपनाई है।

*(ख) जागरूकता को बढ़ावा देना :* संहिता एक आधुनिक आर्थिक कानून है। इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है कि सभी हितधारक इसे अपने अक्षर और भावना में समझें। जागरूकता पहल भी हितधारकों को संहिता के अधीन उनके अधिकारों और उत्तरदायित्वों के बारे में जागरूक करके उन्हें सशक्त बनाती है।

*(ग) क्षमता निर्माण :* बोर्ड ने मानव संसाधन के मामले में क्षमता निर्माण और दिवाला और शोधन अक्षमता के क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए व्यवसायवर निकायों और शिक्षाविदों के साथ सक्रिय रूप से काम किया है।

*(घ) प्रतिक्रिया प्राप्त करना :* हितधारकों की एक विस्तृत श्रृंखला को प्रभावित करने वाला एक गहरा संरचनात्मक सुधार होने के नाते, संहिता से कुछ शुरुआती परेशानी होने की उम्मीद थी और ठीक है। हालांकि, हितधारकों के साथ जुड़ाव ने सुनिश्चित किया कि बोर्ड को हितधारकों से समय पर प्रतिक्रिया प्राप्त होती है, जिससे वह समय पर पाठ्यक्रम में सुधार कर सके।

*(ड़) कार्यान्वयन की सुविधा :* संहिता के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विभिन्न हितधारकों के समर्थन की आवश्यकता होती है। एक बार जब सीडी को सीआईआरपी के लिए भर्ती किया जाता है, तो इसके पूर्व प्रबंधन को एक आईपी द्वारा बदल दिया जाता है। फिर आईपी सीडी को सीआईआरपी के दौरान एक जारी कंसर्न के रूप में चलाता है। स्थानीय नागरिक प्राधिकरण ों, कर प्राधिकरणों आदि जैसी सरकारी एजेंसियों के साथ जुड़ाव, आईपी के सामने आने वाली बाधाओं को कम करने और सीडी को चलाने की प्रक्रिया में चलने वाली चिंता के रूप में आसान बनाता है।

*(च) निवेश आकर्षित करना :* संहिता के उद्देश्यों में से एक सीडी की संपत्ति के मूल्य को अधिकतम करना है। बोर्ड ने उद्योग, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, निवेशकों आदि के साथ जुड़कर देश में दबावग्रस्त संपत्तियों में निवेश को बढ़ावा दिया है, बदले में संहिता के उद्देश्यों को बढ़ावा दिया है।

**(ख) जुड़ाव की प्रक्रिया में पारदर्शिता, पूर्वानुमेयता और एकरूपता**

पिछले चार वर्शों में, आईबीबीआई ने विभिन्न मंचों की स्थापना करते हुए मानक जुड़ाव प्रक्रिया निर्धारित की है, जिसके माध्यम से वह हितधारकों के साथ जुड़ता है। इन मंचों को आईबीबीआई द्वारा अपनी वेबसाइट पर हितधारकों के लिए व्यापक प्रसार के लिए प्रचारित किया जाता है और आम तौर पर सभी हितधारकों के शामिल होने के लिए खुले होते हैं। पिछले कुछ वर्षों में हितधारक जुड़ाव का प्रारूप एक समान हो गया है। आईबीबीआई अपने सभी हितधारकों के साथ पहले से ही योजना बनाता है और इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में घटनाओं का एक कैलेंडर तैयार करता है। आईबीबीआई वर्तमान में हितधारकों की भागीदारी के लिए निम्नलिखित मंचों का उपयोग कर रहा है:

*(क) गोलमेज सम्मेलन :* आईबीबीआई आम तौर पर मुद्दों पर चर्चा करने, प्रस्तावों पर टिप्पणियां और प्रतिक्रिया प्राप्त करने और नए विकास के बारे में बड़े पैमाने पर हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए गोलमेज आयोजित करता है। इन गोलमेज सम्मेलनों में प्राप्त फीडबैक को विनियमन बनाते समय प्रलेखित और आंतरिक रूप से विश्लेशण किया जाता है। बातचीत संहिता के कार्यान्वयन में विभिन्न हितधारकों के सामने आने वाली कठिनाइयों को समझने के साथ–साथ बाजार सहभागियों को संहिता के बारे में शिक्षित करने में मदद करती है।

*(ख) जागरूकता कार्यक्रम :* स्वयं आईबीबीआई और, आईपीए, आरवीओ, व्यापार संघों, बैंकों, विश्वविद्यालयों, सरकारी विभागों और अन्य हितधारकों के सहयोग से, हितधारकों को संहिता, नियामक ढांचे और पारिस्थितिकी तंत्र और तरीके से परिचित कराने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है। उनका उपयोग करने का।

*(ग) आयोजनों में भागीदारी :* आईबीबीआई के अध्यक्ष, डब्ल्यूटीएम और वरिश्ठ अधिकारी बड़ी संख्या में कार्यक्रमों (सेमिनार, सम्मेलन, गोलमेज, अध्ययन) में विभिन्न क्षमताओं (संकाय, पैनलिस्ट, स्पीकर, सम्मानित अतिथि, मुख्य अतिथि, आदि) में भाग लेते हैं। दिवाला और शोधन अक्षमता और संबद्ध विषयों पर, देश और विदेश में कई संस्थानों द्वारा आयोजित किया जाता है।

*(घ) सलाहकार समितियां, तकनीकी समितियां और कार्य समूह :* एसी विनियमनों के अनुसार तीन स्थायी एसी गठित किए गए हैं। वे विभिन्न मुद्दों की जांच करते हैं और उन पर सिफारिशें करते हैं। विनियमन आईबीबीआई को तकनीकी समिति की सिफारिशों के आधार पर, आईयू द्वारा मुख्य सेवाओं और अन्य सेवाओं के प्रदर्शन के लिए दिशानिदेशों के माध्यम से तकनीकी मानकों को निर्धारित करने में सक्षम बनाता है। तदनुसार, आईबीबीआई ने एक स्थायी तकनीकी समिति का गठन किया।

*(ड़) रोड शो और निवेशकों के साथ बैठकें :* आईबीबीआई विदेशों में रोड शो में भाग लेता है और वैश्विक निवेशकों के साथ आमने–सामने बैठक करता है।

*(च) आईपीए और आईयू के साथ मासिक बैठकें :* आईबीबीआई हर महीने की 7 तारीख को आईपीए और आईयू के एमडी/सीईओ से मिलता है ताकि दिवाला व्यवसाय से उत्पन्न मुद्दों, आईपीए/आईयू की संहिता और शासन के अधीन प्रक्रियाओं पर चर्चा की जा सके। इन बैठकों से आईबीबीआई और आईपीए को एक साझा दृष्टिकोण रखने और संयुक्त रूप से मुद्दों को हल करने में मदद मिलती है।

*(छ) आरवीओ के साथ मासिक बैठकें :* आईबीबीआई आरवीओ के एमडीध्सीईओ से हर महीने की 7 तारीख को बैठक करता है ताकि वीओ से उत्पन्न होने वाले मुद्दों पर चर्चा की जा सके।

*(ज) प्रशिक्षण और कार्यशालाएं :* आईबीबीआई आईपी और एफसी के लिए कार्यशालाएं (उन्नत और बुनियादी) और प्रशिक्षण सत्र आयोजित करता है।

**(ग) सुलभ, सक्रिय और समावेषी जुड़ाव**

यह सुनिश्चित करने के लिए कि एंगेजमेंट फोरम पूरे वर्ष सभी हितधारकों के लिए सुलभ रहे, आईबीबीआई उनके साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से जुड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक जुड़ाव वास्तविक समय के आधार पर प्रतिक्रिया या सुझाव

प्राप्त करने की अनुमति देता है क्योंकि बाजार की गतिशीलता बदलती है और यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक हितधारक को विनियमन बनाने की प्रक्रिया में अपना योगदान देने का अवसर मिले, जिससे समावेशिता को बढ़ावा मिले। इसे प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग किया जाता है।

*(क) प्रस्तावित विनियमनों पर टिप्पणियां :* आईबीबीआई अपनी वेबसाइट पर एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से, चर्चा पत्रों, विनियमनों और उप–विनियमनों के अनुसार प्रस्तावित विनियमनों या प्रस्तावों पर जनता की टिप्पणियां प्राप्त करता है। इसे 2020–21 में हितधारकों से कुल 1470 टिप्पणियाँ प्राप्त हुई हैं।

*(ख) मौजूदा विनियमनों पर सुझाव :* आईबीबीआई के पास निरंतर आधार पर मौजूदा विनियमनों पर हितधारकों और विनियमित लोगों सहित जनता से सुझाव प्राप्त करने के लिए एक स्थायी व्यवस्था (अपनी वेबसाइट पर इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म) है। इन टिप्पणियों/सुझावों को एक साथ संसाधित किया जाता है और उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए, विनियमनों को आवश्यक समझी जाने वाली सीमा तक संशोधित किया जाता है। आईबीबीआई को 2020–21 में इस मार्ग के अधीन कुल 734 टिप्पणियां मिलीं।

*(ग) सामान्य प्रतिक्रिया :* आईबीबीआई को एक समर्पित ईमेल (feedback@ibbi.gov.in) के माध्यम से संहिता, नियमों और विनियमनों के विभिन्न प्रावधानों पर सामान्य प्रतिक्रिया प्राप्त होती है। इसे 2020–21 में 457 फीडबैक ईमेल मिले हैं। उपरोक्त मार्ग क ख और ग के माध्यम से प्राप्त टिप्पणियों, सुझावों और फीडबैक को सारणी 72 में प्रस्तुत किया गया है।

**सारणी 72 : 2020-21 में प्राप्त सार्वजनिक टिप्पणियाँ**

| हितधारक | संख्या | | | |
|---|---|---|---|---|
| | क (टिप्पणियां) | ख (सुझाव) | ग (फीडबैक) | कुल |
| शिक्षाविद | 0 | 0 | | 0 |
| शैक्षणिक | 21 | 86 | | 107 |
| कारपोरेट देनदार | 17 | 23 | | 40 |
| एक कारपोरेट देनदार को लेनदार | 35 | 62 | | 97 |
| उद्योग संघ | 0 | 0 | | 0 |
| सूचना उपयोगिता | 0 | 0 | | 0 |
| दिवाला व्यावसायिक | 1072 | 223 | | 1295 |
| दिवाला व्यावसायिक अभिकरण | 34 | 8 | | 42 |
| दिवाला व्यावसायिक इकाई | 62 | 37 | | 99 |
| निवेशक | 5 | 38 | | 43 |
| निवेशक | 0 | 5 | | 5 |
| वकील /कानून फर्म | 0 | 0 | | 0 |
| अन्य | 208 | 224 | | 432 |
| एक कारपोरेट देनदार के लिए व्यक्तिगत गारंटर | 3 | 5 | | 8 |
| प्रोपराइटरशिप फर्म | 10 | 10 | | 20 |
| साझेदारी फर्म | 3 | 13 | | 16 |
| सेवा उपयोगकर्ता समूह उदाहरण के लिए वित्तीय संस्थान, सरकारी प्राधिकरण आदि | 0 | 0 | | 0 |
| मूल्यांकक | 0 | 0 | | 0 |
| मूल्यांकक संघ | 0 | 0 | | 0 |
| **कुल** | **1470** | **734** | **457** | **2661** |

**(घ) मुद्दों की समझ बनाने और उन्हें सूचित रखने के लिए हितधारकों को जानकारी प्रदान करें**

आईबीबीआई अपने हितधारकों को दिवाला और शोधन अक्षमता के क्षेत्र में उभरते मुद्दों और चुनौतियों से अवगत कराने के लिए नियमित अंतराल पर ढेर सारी जानकारी प्रदान करता है। आईबीबीआई ने अपने हितधारकों को सूचित और अद्यतन रखने के लिए निम्नलिखित साधनों को नियोजित किया है:

*(क) वेबसाइट :* आईबीबीआई वेबसाइट सूचना का खजाना है। सेवा प्रदाताओं और प्रक्रियाओं का विवरण उपलब्ध है। इसके अलावा, सभी महत्वपूर्ण कानूनी और नीतिगत घटनाक्रमों को वेबसाइट पर दैनिक आधार पर अपडेट किया जाता है। एनसीएलटी, एनसीएलएटी, एचसी, एससी और अन्य अधिकारियों के आदेश उपलब्ध हैं। मार्च, 2021 के अंत में, वेबसाइट के 42,648 ग्राहक थे, जो अपने ईमेल पर दैनिक अपडेट प्राप्त कर रहे हैं।

*(ख) प्रकाशन :* आईबीबीआई अपनी स्थापना के बाद से एक त्रैमासिक न्यूजलेटर प्रकाशित कर रहा है। इसकी एक सॉफ्ट कॉपी आईबीबीआई की वेबसाइट पर व्यापक प्रसार के लिए होस्ट की गई है। न्यूजलेटर कानूनी और नियामक विकास को समाहित करता है, संहिता के अधीन सभी प्रक्रियाओं और सेवा प्रदाताओं की स्थिति, आईबीबीआई द्वारा की गई क्षमता

निर्माण पहल और हिमायत और जागरूकता पैदा करने की गतिविधियां। आईबीबीआई मूल्यांकन के तीन आस्ति वर्गों के लिए एक वार्षिक प्रकाशन, अन्य सामयिक प्रकाशन, वार्षिक रिपोर्ट और अध्ययन सामग्री भी प्रकाशित करता है।

*(ग) मीडिया विचार विमर्श :* अध्यक्ष, आईबीबीआई जनता को दिवाला और शोधन अक्षमता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण नीति, नियामक और न्यायिक विकास के बारे में सूचित करने के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ बातचीत करता है। वह इस क्षेत्र से संबंधित विशयों पर प्रिंट मीडिया में लेखों का भी योगदान देता है।

*(घ) अकादमिक के साथ जुड़ाव :* आईबीबीआई छात्रों और अकादमिक समुदाय के साथ (क) आईबीबीआई निबंध प्रतियोगिता दिशानिदेश, 2017, (ख) आईबीबीआई इंटर्नशिप दिशानिदेश 2017, और (ग) आईबीबीआई अनुसंधान पहल, 2019 के अनुसार संलग्न है। लॉ स्कूलों के सहयोग से मूट भी आयोजित करता है। इनका विवरण इस रिपोर्ट के खंड ग.3 में प्रस्तुत किया गया है।

*(ड़) कर्मचारियों के साथ जुड़ाव :* अपने कर्मचारियों को दिवाला और शोधन अक्षमताके क्षेत्र में विकास पर अद्यतन रखने और उनके कौशल को बढ़ाने के लिए, आईबीबीआई अपने अधिकारियों को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामित करता है। अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य हासिल करने के लिए, कुछ अधिकारियों को विदेश में अध्ययन दौरों पर भी भेजा जाता है। इसके अलावा, हितधारकों द्वारा आयोजित कई संगोश्ठियों/सम्मेलनों में भाग लेने के लिए अधिकारियों को नामित किया गया था। आईबीबीआई प्रतिष्ठित विचारकों को उभरते क्षेत्रों में अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित करता रहा है।

बोर्ड हितधारकों के साथ जुड़ाव को दोतरफा प्रक्रिया के रूप में देखता है, जिसमें बोर्ड और हितधारक के बीच सूचना, अनुसंधान, विश्लेशण और राय का आदान–प्रदान शामिल है। बोर्ड मानता है कि संहिता की सफलता के लिए हितधारक की भागीदारी एक आवश्यक लेकिन पर्याप्त शर्त नहीं है। इसलिए, बोर्ड के सभी विधायी, कार्यकारी और न्यायिक कार्यों को हितधारक जुड़ाव नीति के साथ प्रभावी ढंग से एकीकृत किया गया है और इस प्रकार हितधारकों के साथ जुड़ाव बोर्ड की लोकतांत्रिक रूप से कार्य प्रणाली के इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में कार्य करता है।

## घ. नियामक और संस्थागत प्रदर्शन : एक स्व–मूल्यांकन

प्रत्येक नया संगठन खुद को बनाने और अपने हितधारकों द्वारा मान्यता प्राप्त करने के लिए वृद्धिशील कदम उठाता है। आईबीबीआई भी परिपक्व होने की इस प्रक्रिया से गुजरा है, अक्टूबर, 2016 में कोई स्टाफ नहीं, कोई परिसर नहीं और कोई संसाधन/सुविधा नहीं के शुरुआत करके 2017 की शुरुआत में भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के परिसर में दो कमरों में छह अधिकारियों के साथ और आज 35 से अधिक कर्मचारियों, एक दर्जन से अधिक शोध सहयोगियों और दो कार्यालय परिसरों में संचालित हो रहा है। आईबीबीआई कार्यालय पूरी तरह से सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सक्षम ई–ऑफिस प्रणाली के साथ एक आधुनिक कार्यस्थल है। आईबीबीआई ने जिन दो व्यवसायों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, अर्थात आईपी और आरवी अब देश भर में सेवाएं प्रदान करने वाले लगभग 7400 व्यावसायिकों की एक मजबूत सेना हैं। दिवाला पारिस्थितिकी तंत्र में 3 आईपीए, 83 आईपीई, एक आईयू और 16 आरवीओ शामिल हैं।

आईबीबीआई ने 2016 में अपनी स्थापना के बाद से महत्वपूर्ण प्रगति की है, जो एक गतिशील और सक्रिय नियामक बनने की दृष्टि से निर्देशित है जो वित्तीय संकट में व्यक्तियों के लिए बेहतर और न्यायसंगत परिणामों की सुविधा के लिए एक उत्तरदायी और अनुकूल नियामक ढांचा प्रदान करता है। चार साल पहले, जब इसने एक मौलिक रूप से अलग और पूरी तरह से नई नियामक व्यवस्था स्थापित करने के लिए अपना काम शुरू किया, तो एक दूरंदेशी, उत्तरदायी और आकर्षक नियामक होने की इसकी रणनीति ने इसे अपना जनादेश देने में काफी सहायता की। आईबीबीआई ने 01 दिसंबर 2016 को कारपोरेट दिवाला कार्यवाही शुरू करने के लिए स्थापना के दो महीने में पारिस्थितिकी तंत्र और नियामक ढांचे की स्थापना की।

दिवाला व्यवसाय के साथ–साथ दिवाला प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने वाला एक अनूठा नियामक होने के नाते, आईबीबीआई ने बाजार अर्थव्यवस्था की गतिशील प्रकृति के कारण उत्पन्न होने वाले मुद्दों को तुरंत और प्रभावी ढंग से संबोधित किया है और पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न तत्वों के निर्माण में अपने हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए, जेपी इंफ्रा लिमिटेड का सीआईआरपी 9 अगस्त, 2017 को शुरू हुआ। सार्वजनिक घोशणा 10 अगस्त, 2017 को की गई थी, जिसमें 24 अगस्त, 2017 तक दावों को आमंत्रित किया गया था। तब यह महसूस किया गया था कि सीआईआरपी में घर खरीदारों की स्थिति में अस्पष्टता थी। तत्काल उपाय के रूप में, आईबीबीआई ने 16 अगस्त, 2017 को सीआईआरपी विनियमनों में संशोधन करके एक विशेष सीआईआरपी फॉर्म प्रदान किया, जिसने घर खरीदारों को अपने दावे प्रस्तुत करने में सक्षम बनाया। समय के साथ, 6 जून, 2018 को संहिता में संशोधन द्वारा घर खरीदारों को स्पष्ट रूप से एफसी के रूप में मान्यता दी गई थी। इसी तरह, 2 अगस्त, 2017 को स्वीकृत पहले समाधान योजना (सिनर्जी डोरे के सीआईआरपी में) ने कुछ चिंताओं को जन्म दिया। चूंकि संबंधित पक्षों ने नियंत्रण बरकरार रखा, जबकि लेनदारों ने भारी कटौती की। इस चिंता को दूर करने के लिए एक तत्काल उपाय के रूप में, आईबीबीआई ने 7 नवंबर, 2017 को सीआईआरपी विनियमनों में संशोधन किया ताकि आरए और उनके जुड़े व्यक्तियों के बारे में विभिन्न विवरणों के प्रकटीकरण की आवश्यकता हो ताकि सीओसी एक समाधान योजना को मंजूरी देते समय ऐसे आवेदकों की विश्वसनीयता का आकलन कर सके। इसके तुरंत बाद, धारा 29क को सम्मिलित करने के लिए 23 नवंबर, 2017 को संहिता में संशोधन किया गया, जिसने अवांछित व्यक्तियों को सीआईआरपी में समाधान योजना प्रस्तुत करने पर रोक लगा दी।

आईबीबीआई एक संगठन के रूप में कहां है, इसे निष्पक्ष रूप से ट्रैक करने के लिए एक अच्छा प्रारंभिक बिंदु, आईबीबीआई के निर्माण पर गठित डब्ल्यूजी की सिफारिशों पर वापस जाना होगा ताकि इन सिफारिशों के संदर्भ में आईटीआई का जायजा लिया जा सके। रिपोर्ट में कहा गया है कि *'एक उच्च–प्रदर्शन वाले संगठन को प्राप्त करने के लिए संगठन के डिजाइन, प्रक्रियाओं और शासन व्यवस्था पर ठोस डिजाइन निर्णयों की आवश्यकता होती है।'* तदनुसार, इसने *'आंतरिक रूप से सुसंगत रणनीति' की सिफारिश की जो इन तीन स्तंभों को एक इंटरलॉकिंग पूर्णता के रूप में देखती है, जो तब उच्च को प्रदर्शन प्रेरित करेगी।'* रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर, एक संस्था के रूप में आईबीबीआई की प्रगति को तीन स्तंभों – संगठन, प्रक्रियाओं और शासन ढांचे के विरुद्ध देखा जा सकता है। बॉक्स 5 एक नियामक के रूप में और आईबीबीआई एक संस्था के रूप में आईबीबीआई के स्व–मूल्यांकन को प्रस्तुत करता है।

**बॉक्स 5 : आईबीबीआईः एक स्व-मूल्यांकन**

संहिता के अधीन स्थापित होने के पांच साल बाद, आईबीबीआई कहां खड़ा है, इसका आकलन दो बिंदुओं से देखा जा सकता है – आईबीबीआई अपनी नियामक भूमिका में और आईबीबीआई एक संस्थान के रूप में।

**आईबीबीआई की नियामक भूमिका**

अपनी नियामक भूमिका के संदर्भ में, आईबीबीआई संहिता की धारा 196 के अधीन निर्धारित विभिन्न कर्तव्यों और कार्यों का प्रदर्शन कर रहा है, जिसे मोटे तौर पर तीन प्रमुखों के अधीन वर्गीकृत किया गया हैः

- **अर्ध-विधायी** – आईबीबीआई ने 31 मार्च, 2021 तक सत्रह विनियम और 50 से अधिक संशोधन विनियम बनाए हैं।
- **कार्यकारी** – आईबीबीआई निम्नलिखित के कार्यकारी कार्य कर रहा हैः (क) दिवाला प्रक्रियाओं के लिए सेवा प्रदाताओं का पंजीकरण और विनियमन और शिक्षा, परीक्षा, प्रशिक्षण और निरंतर व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से व्यावसायिक विकास और विशेशज्ञता के उपाय, (ख) आईपी और आरवी के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करना। आईबीबीआई ने इन परीक्षाओं के लिए अध्ययन सामग्री के विकास की भी सुविधा प्रदान की है, जो मुफ्त डाउनलोड के लिए उपलब्ध हैं, (ग) हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण, वकालत और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना, (घ) संहिता के अधीन चल रही प्रक्रियाओं और सेवा प्रदाताओं के आचरण की निगरानी, ड़) शिकायत और शिकायत निवारणय और (च) दिवाला के क्षेत्र में अनुसंधान करना, शोध प्रकाशनों के साथ आना और दिवाला प्रक्रियाओं और सेवा प्रदाताओं से संबंधित डेटा का प्रसार करना।
- **अर्ध-न्यायिक** – (क) आईबीबीआई के डीसी सेवा प्रदाताओं को जारी किए गए एससीएन का निपटान कर रहे हैं और उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई कर रहे हैं जैसे कि मौद्रिक दंड लगाना, या पंजीकरण को निलंबित या रद्द करना, जैसा कि आवश्यक होय (ख) आईबीबीआई विभिन्न अदालतों और न्यायाधिकरणों के समक्ष कई मामलों में प्रतिवादी और याचिकाकर्ताध्आवेदकधशिकायतकर्ता के रूप में पेश हो रहा है।

**संस्था के रूप में आईबीबीआई**

आईबीबीआई के निर्माण पर गठित डब्ल्यूजी की रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर, एक संस्थान के रूप में आईबीबीआई की प्रगति को तीन स्तंभों – संगठन, प्रक्रियाओं और शासन ढांचे के पहलू से देखा जा सकता है।

**पहला स्तंभ :** संगठनः रिपोर्ट ने कुछ डिजाइन सिद्धांतों को निर्धारित किया है जिन पर आईबीबीआई का आयोजन किया जाना चाहिए। आईबीबीआई द्वारा इन सिद्ध ांतों को जिस तरह से अपनाया गया है, उसके साथ इन्हें नीचे सूचीबद्ध किया गया है :

| सिद्धांत | आंतरिक और बाहरी समीक्षा तंत्र को मजबूत बनाना |
|---|---|

- आईबीबीआई अपनी सामरिक कार्य योजनाओं (एसएपी) के माध्यम से वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करता है। 2017–18, 2018–19, 2019–20 और 2020–21 के लिए एसएपी तैयार किए गए। सभी मंडलों द्वारा अपने मासिक एमआईएस में निर्धारित लक्ष्यों की स्थिति की मासिक समीक्षा की जाती है।
- आंतरिक अंकेक्षण बाह्य लेखापरीक्षकों द्वारा किया जाता है। इन लेखापरीक्षाओं की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समय–समय पर समीक्षा की जाती है। लेखापरीक्षा समिति की टिप्पणियों को विधिवत रूप से जीबी को सूचित किया जाता है।
- आईबीबीआई के खातों की लेखापरीक्षा सीएण्डएजी द्वारा की जाती है।
- आईबीबीआई अपनी वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखे संसद में तैयार करता है और उसके बाद अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक डोमेन में रखता है।
- आईबीबीआई का जीबी सालाना स्व–मूल्यांकन करता है, जिसके परिणाम, प्रदर्शन में सुधार के लिए सिफारिशों सहित, वार्शिक रिपोर्ट में प्रकाशित किए जाते हैं।

| सिद्धांत | संगठन के कामकाज में सिद्धांत पारदर्षिता |
|---|---|

- बोर्ड के आंतरिक कामकाज और लिए गए आंतरिक निर्णयों के संबंध में प्रलेखन के मजबूत मानक को बनाए रखा जाता है। कार्यालय लगभग पूरी तरह से ई–ऑफिस प्रणाली में स्थानांतरित हो गया है।
- जीबी द्वारा अपनी बैठकों में विचार किए गए एजेंडा नोट्स और उसमें लिए गए निर्णयों को आईबीबीआई की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है।
- विभिन्न डब्ल्यूजी की रिपोर्ट, बाहरी ऑडिट रिपोर्ट, डीसी के आदेश, आरटीआई अधिनियम, 2005 के अधीन एफएए के आदेश आदि वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाते हैं।
- आंतरिक कार्यों के लिए विभागों द्वारा एसओपी निर्धारित किए गए हैं और ई–ऑफिस में सभी कर्मचारियों के लिए ये आसानी से उपलब्ध हैं।

| सिद्धांत | इंटरफेस में सिद्धांत पारदर्षिता |
|---|---|

- आईबीबीआई विभिन्न स्वरूपों, अर्थात् सम्मेलनों, संगोष्ठियों, गोलमेज सम्मेलनों, कार्यशालाओं और वेबिनार में हितधारकों के साथ व्यापक रूप से और सक्रिय रूप से संलग्न है।
- आईबीबीआई आईपी और अन्य हितधारकों की क्षमता निर्माण के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करता है।
- बोर्ड ने हितधारकों की शिकायतों और शिकायतों से निपटने के लिए नियमों को अधिसूचित किया है। इनसे वस्तुनिष्ठ, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से निपटा जा रहा है।
- सेवा प्रदाताओं के पंजीकरण के लिए आवेदनों को संसाधित करने के लिए आईबीबीआई की एक सुस्थापित प्रक्रिया है।
- बोर्ड पंजीकरण के लिए एक आवेदन को अस्वीकार करने के कारण (कारणों) के साथ अपना दृष्टिकोण बताता है। आवेदक को यह समझाने का अवसर दिया जाता है कि वह कैसे पंजीकृत होने के योग्य है। एक आवेदन केवल एक तर्कपूर्ण आदेश के साथ खारिज कर दिया जाता है।
- बोर्ड एक सेवा प्रदाता को एससीएन जारी करता है, जिसने आरोपी के विशिष्ट आचरण और निरीक्षण रिपोर्ट या अन्यथा रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर कानून के विशिष्ट प्रावधान के उल्लंघन का विवरण देने वाले संहिता/विनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने के बाद, डीसी तर्कसंगत आदेश के माध्यम से एससीएन का निपटान करता है।

- आईबीबीआई अपनी वेबसाइट और त्रैमासिक न्यूजलेटर के माध्यम से संहिता के अधीन प्रक्रियाओं के परिणामों को साझा करता है। बोर्ड के अन्य प्रकाशनों को भी हितधारकों द्वारा उपयोग के लिए वेबसाइट पर रखा गया है।
- आईबीबीआई प्रत्येक माह की 7 तारीख को आईपीए, आरवीओ और आईयू के एमडीध्सीईओ से उनके शासन और संचालन से उत्पन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मिलता है।

| सिद्धांत | जवाबदेही |
|---|---|

- आईबीबीआई के पास एक स्थायी व्यवस्था है जिससे कि कोई भी हितधारक पूरे वर्श के दौरान किसी भी नए विनियम या मौजूदा विनियमों में किसी भी बदलाव की मांग कर सकता है।
- प्रस्तावित विनियम के मसौदे के साथ चर्चा पत्र सार्वजनिक डोमेन में रखे जाते हैं और उन पर टिप्पणी मांगी जाती है।
- आईबीबीआई के संचालन प्रभाग के विचारों के साथ हितधारकों से प्राप्त सभी टिप्पणियों और सुझावों को निर्णय के लिए आईबीबीआई के जीबी के समक्ष रखा जाता है।
- आईबीबीआई द्वारा की गई परामर्श प्रक्रिया के विवरण और अंतिम निर्णय के आधार को देखने के लिए हितधारकों के लिए जीबीडी के एजेंडा नोट भी वेबसाइट पर रखे गए हैं।
- आईबीबीआई स्वयं या उद्योगध्संस्थानोंध्संगठनों के सहयोग से विनियमों को अंतिम रूप देने से पहले विभिन्न शहरों में गोलमेज सम्मेलन आयोजित करता है।
- जहां भी मौजूदा कानूनी स्थिति पर किसी स्पश्टीकरण की आवश्यकता होती है बोर्ड परिपत्रों के माध्यम से इसे प्रदान करता रहा है।

| सिद्धांत | आधुनिक कार्यालय |
|---|---|

- आईबीबीआई के पास नई दिल्ली में दो परिसरों में स्थित एक आधुनिक कार्यालय स्थान है – मयूर भवन और जीवन विहार भवन।
- आईबीबीआई ने अपनी स्थापना के समय से ही अपनी सेवाओं के वितरण के लिए आईटी का उपयोग करने पर जोर दिया है। इस संबंध में आईबीबीआई द्वारा की गई प्रमुख पहलें इस प्रकार हैं:
- ई–ऑफिस
- ई–मीटिंग्स
- वेबसाइट
- सेवा प्रदाताओं के लिए ऑनलाइन परीक्षा
- सेवा प्रदाताओं का ऑनलाइन पंजीकरण
- सीआईआरपी प्रपत्रों की ऑनलाइन फाइलिंग
- वार्शिक शुल्क की ऑनलाइन फाइलिंग
- एएफएएस का ऑनलाइन प्रसंस्करण
- ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक परामर्श
- एए को उपलब्ध कराए गए आईपी का लाइव डेटाबेस
- आरटीआई अधिनियम, 2005 के अधीन आवेदनों और अपीलों को ऑनलाइन संसाधित किया गया।
- सीपीजीआरएएमएस में ऑनलाइन प्राप्त शिकायतें।
- पारदर्शी और जवाबदेह खरीद के लिए सरकारी ई–मार्केटप्लेस का उपयोग।
- भर्ती अधिसूचनाएं और उनके परिणाम आईबीबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
- आईबीबीआई द्वारा जारी सभी निविदाएं (किसी भी संशोधन सहित) आईबीबीआई की वेबसाइट और सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर होस्ट की जाती हैं।
- आईबीबीआई द्वारा अपने हितधारकों के लिए आयोजित कार्यशालाओं/संगोष्ठियों/सम्मेलनों का विवरण आईबीबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

**दूसरा स्तंभ : प्रक्रियाएं :** रिपोर्ट ने कुछ डिजाइन सिद्धांतों का सुझाव दिया है जिन पर प्रक्रियाओं को संगठन में निर्धारित किया जाना चाहिए। इसने ''औपचारिक प्रक्रियाओं'' को निर्धारित करने की सिफारिश की ताकि यह बाहरी हितधारकों की नजर में एक पूर्वानुमेय तरीके से व्यवहार करे, जो संगठन में मामलों के शीर्श पर अधिकारियों के हाथों में बदलाव या परिवर्तन से प्रभावित न हो।

| सिद्धांत | एक कार्यप्रवाह प्रणाली जहां सब कुछ एक कम्प्यूटरीकृत प्रणाली में होता है, किसी भी कागजी फाइलों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, या भौतिक हस्ताक्षर नहीं होना चाहिए |
|---|---|

- ईमेल और ई–ऑफिस के माध्यम से कार्य प्रमुखता से किया जा रहा है।
- कागज की फाइलें सीमित उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं।
- सीएमएस वाले ओपन–सोर्स सॉफ्टवेयर का उपयोग कर गतिशील वेब पोर्टल।
- डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट और ई–साइन इंटीग्रेशन।
- भुगतान गेटवे एकीकरण।
- एसएमएस और ईमेल एकीकरण।
- सेवा प्रदाताओं के लिए ऑनलाइन परीक्षा

- सेवा प्रदाताओं का ऑनलाइन पंजीकरण।
- एएफएएस का ऑनलाइन प्रसंस्करण।
- वार्षिक शुल्क की ऑनलाइन फाइलिंग।
- ऑनलाइन सीआईआरपी फॉर्म।
- वेबसाइट के साथ मौजूदा आईपी पंजीकरण मॉड्यूल और डेटाबेस का एकीकरण।
- वेबसाइट के साथ मौजूदा मूल्यांकनकर्ता पंजीकरण मॉड्यूल और डेटाबेस का एकीकरण।
- ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक परामर्श।
- आरटीआई हैंडलिंग, सीपीजीआरएएमएस शिकायतें, ई–मार्केटप्लेस ऑनलाइन।
- आईपी की अनुशासनात्मक स्थिति।
- पोर्टल के माध्यम से आईपीए द्वारा आईपी की निगरानी।

| सिद्धांत | **सभी प्रकटीकरण एक वेबसाइट के माध्यम से किए जाने चाहिए, जो कि एजेंसी के अंदर क्या हो रहा है, इसके बारे में वास्तविक समय में जितना संभव हो उतना डेटा फीड होना चाहिए।** |
|---|---|

आईबीबीआई की वेबसाइट रीयल टाइम आधार पर ढेर सारी सूचनाएं उपलब्ध कराती है। निम्नलिखित का विवरण प्रदान किया गया है :

- आईबीबीआई के बारे में – जीबी, एसी, तकनीकी समितियां, आईबीबीआई के अधिकारी।
- सेवा प्रदाताओं।
- कानूनी ढांचा – अधिनियम, विनियम, दिशानिर्देश, परिपत्र, सुविधाएं, अन्य प्राधिकरण।
- परीक्षा।
- अदालतों और न्यायाधिकरणों द्वारा पारित आदेश।
- आईबीबीआई और आईबीबीआई के डीसी द्वारा पारित आदेश।
- प्रकाशन – न्यूजलेटर, वार्षिक रिपोर्ट, वार्शिक लेखा, सूचना ब्रोशर, वार्षिक प्रकाशन आदि।
- सार्वजनिक टिप्पणी पोर्टल।
- आईपी पोर्टल।
- शिकायतें और शिकायत पोर्टल।
- आरटीआई।
- प्रक्रियाओं और सेवा प्रदाताओं पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न।
- मीडिया – प्रेस विज्ञप्तियां, मीडिया कवरेज।
- संसाधन – लेख, साक्षात्कार, रिपोर्ट।
- आयोजन।
- भर्ती अधिसूचना।
- सेवा प्रदाताओं द्वारा विभिन्न प्रपत्र प्रस्तुत करना।

| सिद्धांत | **एजेंसी की प्रत्येक प्रक्रिया को एक सहज वेब अनुभव के माध्यम से सक्षम किया जाना चाहिए।** |
|---|---|

ऑनलाइन की जा रही प्रक्रियाओं के अलावा, जैसा कि ऊपर बताया गया है, एक व्यापक आईटी प्रणाली का कार्यान्वयन वर्तमान में कार्य प्रगति पर है। इस परियोजना के अधीन किए जाने वाले प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं:

(क) व्यक्तिगत दिवाला के लिए आवेदन की सूचना।

(ख) हितधारकों के लिए प्रक्रियाओं का व्यापक प्रदर्शन।

(ग) आईपीई की ऑनलाइन मान्यता (अंतिम चरणों में)।

(घ) आईपीए का परिवर्तन।

(ड़) आईपी द्वारा नवीनीकरण शुल्क।

(च) प्रोफाइल में बदलाव (आईपी द्वारा ईमेल, पता, फोन नंबर आदि)।

(छ) आरवीई पंजीकरण।

(ज) निरीक्षण और जांच मॉड्यूल।

(झ) आरवी प्रक्रिया के लिए विवरण, अस्थायी समर्पण और अनुशासनात्मक कार्रवाई/निगरानी और सीपीई क्रेडिट संबंधित मॉड्यूल का अद्यतन।

(ञ) परिसमापन और स्वैच्छिक परिसमापन, एमआईएस के निर्माण आदि के लिए निगरानी प्रपत्र और मॉड्यूल।

(ट) आईपी/सीडी/लगाए गए समय/एनसीएलटी, प्रक्रिया के चरण के आधार पर एमआईएस का सृजन।

(ठ) एमआईएस की प्रक्रियाओं और सूत्रीकरण के बारे में डेटा प्रसार। अनुकूलित एमआईएस वेबसाइट पर लाइव प्रदर्शित किया जाएगा।

(ड) जीआईजीडब्ल्यू दिशानिर्देशों (द्विभाशी वेबसाइट आदि) का अनुपालन।

| सिद्धांत | **विधायी कार्य को आंतरिक रूप से उच्च गुणवत्ता वाले सॉफ्टवेयर सिस्टम का उपयोग करना चाहिए।** |
|---|---|

विनियमों में किसी भी विधायी परिवर्तन को लागू करने से पहले हितधारकों के साथ जुड़ने के विभिन्न तरीके मौजूद हैं, जैसे कि ऑनलाइन या ईमेल के माध्यम से इनपुट मांगना आदि। जीबी द्वारा विनियमों को अंतिम रूप देने से पहले आईबीबीआई के पास एसी, डब्ल्यूजी और विशेशज्ञ समितियों की पर्याप्त परामर्श प्रक्रिया है।

| सिद्धांत | **एक नियामक के सांख्यिकीय प्रणाली कार्यों को पारदर्शिता और प्रामाणिकता की अवधारणाओं का उपयोग करके बनाया जाना चाहिए। स्पष्ट रूप से लिखित नियम होने चाहिए जो निजी व्यक्तियों को सभी आवश्यक डेटा की ई-फाइलिंग करने के लिए मजबूर करते हैं, जो नियामक की कोर आईटी प्रणाली में जाता है।** |
|---|---|

वर्तमान में हितधारकों द्वारा निम्नलिखित ई–फाइलिंग की जा रही है:

- सीपीई मॉड्यूल जिसमें आईपी के पास अपना सीपीई क्रेडिट जमा करने का विकल्प होता है।
- आईपी शुल्क मॉड्यूल (फॉर्म ई)।
- आईपीई शुल्क मॉड्यूल (फॉर्म जी)।
- आईआरपी, आरपी, परिसमापक और दिवाला ट्रस्टी के लिए रुचि की अभिव्यक्ति मॉड्यूल।
- एए के लिए भूमिका आधारित लॉगिन सुविधा।
- एएफए का निर्गम और नवीनीकरण और समर्पण।
- सीआईआरपी के लिए आवेदन प्रपत्रों की सूचना।
- असाइनमेंट मॉड्यूल।
- आईपी1 और सीआईआरपी प्रपत्रों के माध्यम से रिपोर्टिंग।
- दावा रजिस्टर मॉड्यूल।
- सार्वजनिक घोशणाएं और संकल्प योजनाओं का आमंत्रण।

| सिद्धांत | **हितधारकों के साथ सभी संचार का एक बिंदु स्रोत होना चाहिए। जितना हो सके, इसे नियामक एजेंसी की वेबसाइट के माध्यम से सक्षम किया जाना चाहिए।** |
|---|---|

हितधारकों के साथ संवाद करने के लिए वेबसाइट का व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है।

| सिद्धांत | **सभी डेटा रिलीज व्यापक रूप से एक एपीआई के माध्यम से जनता के लिए किया जाना चाहिए। यह data.gov के खुले सरकारी सिद्धांतों के उदाहरण का उपयोग करके किया जा सकता है।** |
|---|---|

- डेटा रिलीज आईबीबीआई प्रकाशनों, अर्थात् त्रैमासिक न्यूजलेटर, और वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से किया जा रहा है।
- एमआईएस की प्रक्रियाओं और सूत्रीकरण के बारे में डेटा प्रसार के लिए एक नए आईटी पोर्टल की परिकल्पना की गई है।

**तीसरा स्तंभ :** शासन ढांचा: रिपोर्ट किसी भी वित्तीय क्षेत्र के नियामक के बोर्ड की संरचना के डिजाइन पर एफएसएलआरसी की सिफारिशों पर आधारित है। सुझाए गए डिजाइन सिद्धांत इस प्रकार हैं।

| सिद्धांत | **शक्तियों का पृथककरण** |
|---|---|

आईबीबीआई के अर्ध–विधायी, कार्यकारी और अर्ध–न्यायिक कार्यों को शक्तियों का पृथक्करण सुनिश्चित करने और बेहतर प्रदर्शन को प्रेरित करने के लिए तीन विंगों में विभाजित किया गया है, जो निम्नानुसार हैं :

i. अर्ध–विधायी कार्यों को करने के लिए अनुसंधान और विनियमन विंग (आरआरडब्ल्यू),

ii. कार्यकारी कार्यों को करने के लिए पंजीकरण और निगरानी विंग (आरएमडब्ल्यू), और

iii. प्रशासनिक कानून विंग (एएलडब्ल्यू) अर्ध–न्यायिक कार्यों को करने के लिए।

शक्तियों के व्यापक पृथक्करण को सुनिश्चित करने के लिए इन तीनों विंगों का नेतृत्व डब्लूटीएम द्वारा किया जाता है।

| सिद्धांत | **शक्तियों का प्रत्यायोजन** |
|---|---|

निम्नलिखित ने बोर्ड को शक्तियां प्रत्यायोजित करने में सहायता की है :

**षक्तियों का प्रत्यायोजन :** संहिता बोर्ड को नियम बनाने की शक्ति को छोड़कर, बोर्ड के किसी भी सदस्य या अधिकारी, उसकी शक्तियों और कार्यों को सौंपने में सक्षम बनाती है। प्रतिनिधिमंडल आदेश, 24 जनवरी, 2017 को जारी किया गया और 25 अप्रैल, 2018 और 2 जुलाई, 2020 को संशोधित किया गया, उस अधिकारी के स्तर को निर्दिष्ट करता है जिसने किसी मामले को निपटाने के लिए अधिकार दिया है। आईबीबीआई के सभी डिवीजनों में प्रत्यायोजन आदेश का पालन किया जा रहा है जिससे त्वरित निर्णय लेने और मामलों का तेजी से निपटान हो सके।

**कार्यात्मक विशेषज्ञता :** संगठन के प्रत्येक विंग के भीतर, अर्थात, आरआरडब्ल्यू, आरएमडब्ल्यू और एअएलडब्ल्यू, ऐसी कार्यात्मक इकाइयाँ या डिवीजन हैं जो उन्हें सौंपे गए कार्यों में विशेषज्ञता रखते हैं, जो शक्तियों के प्रतिनिधिमंडल के आदेश द्वारा निर्देशित होते हैं। इस कार्यात्मक विशेषज्ञता ने समय के साथ मानव पूंजी के विकास को भी सुगम बनाया है।

**सलाहकार समितियां :** बोर्ड को निम्नलिखित तीन एसी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है जो उभरते विचारों के लिए एक सुदृढ़ बोर्ड के रूप में कार्य करते हैं और व्यावसायिक ज्ञान और बाजार ज्ञान उधार देते हैं :

i. सेवा प्रदाताओं पर एसी,
ii. कारपोरेट दिवाला समाधान पर एसी, और
iii. व्यक्तिगत दिवाला और दिवालियापन पर एसी।

**कार्यकारी समितियाँ :** निम्नलिखित समितियाँ बोर्ड को उसके कुछ कार्यकारी कार्यों को करने में सहायता करती हैं:

i. अनुशासनात्मक समिति : डीसी को निरीक्षण या जांच रिपोर्ट और एससीएन के निपटान पर विचार करने का काम सौंपा गया है।
ii. लेखा परीक्षा समिति – लेखा परीक्षा समिति वित्तीय रिपोर्टिंग, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, जोखिम प्रबंधन प्रणाली और लेखा परीक्षा कार्यों के क्षेत्रों में जीबी की सहायता करती है।

आईबीबीआई ने एक नियामक और एक संस्था के रूप में, चार साल की छोटी सी अवधि में एक लंबा सफर तय किया है। इसने अधिकांश संगठनात्मक तत्वों को स्थापित किया है जिनकी परिकल्पना डब्ल्यूजी द्वारा की गई थी। यद्यपि डब्ल्यूजी द्वारा परिकल्पित की गई वास्तविक चीजों को सूचीबद्ध करके यथासंभव निश्पक्ष रूप से स्व–मूल्यांकन करने का प्रयास किया गया है, फिर भी इसमें व्यक्तिपरक, आत्म–विश्लेशण होने की सीमाएं हैं। फिर भी, एक नवोदित नियामक के रूप में, यह पूरी तरह से मान्यता प्राप्त है कि आने वाले वर्शों में सुधार और अधिक मील के पत्थर पार करने की पर्याप्त गुंजाइश है।

## निष्कर्ष

बोर्ड खुद को गतिशील और सक्रिय नियामक के रूप में देखता है, जिसका उद्देश्य संहिता में निर्धारित प्रावधानों के भीतर एक उत्तरदायी नियामक ढांचा प्रदान करके संकटग्रस्त व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए बेहतर और न्यायसंगत वित्तीय परिणामों की सुविधा प्रदान करना है। इस लक्ष्य का पीछा करते हुए, आईबीबीआई संहिता के उद्देश्यों को निश्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरा करता हैय उभरते बाजार की जरूरतों के आधार पर समय पर निर्णय लेता है और व्यवस्थित तरीके से हितधारकों के साथ संवाद करता है।

हमेशा बदलते नियामक वातावरण और उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ, यह अनिवार्य है कि बोर्ड समय–समय पर अपनी स्थिति को पुनः जांचता है ताकि खुद को एक नियामक के रूप में प्रासंगिक, गतिशील और उत्तरदायी बनाए रखा जा सके। इस अनिवार्यता के प्रति सचेत रहते हुए, आईबीबीआई आवश्यक लचीलेपन के साथ संहिता के अधीन प्रक्रियाओं को निरंतर और सुविधाजनक बना रहा है, आईटी पहल के माध्यम से दिवाला पारिस्थितिकी तंत्र में सेवा प्रदाताओं को मजबूत करना, निरंतर जुड़ाव के माध्यम से अपने हितधारकों के बीच विश्वास को बढ़ावा देना, दिवाला के क्षेत्र में ज्ञान का निर्माण करना और संहिता के परिणामों के बारे में जानकारी का प्रसार करना। इसके अलावा, एक निश्चित सीमा तक नियामक रिक्त स्थान के अतिव्यापी होने के कारण नियामकों के बीच बढ़ती अंतर–निर्भरता को देखते हुए, विशेष रूप से वित्तीय क्षेत्र में, आगे जाकर, सभी नियामकों के बीच समन्वित नियामक प्रयास उनके संबंधित स्थान में कुशल और प्रभावी नियामक परिणामों और नियामकों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए अच्छा होगा। संहिता को पहले से ही आरबीआई, सेबी और सीसीआई जैसे नियामकों द्वारा सुगम बनाया जा रहा है जिन्होंने इस रिपोर्ट के खंड बी में प्रस्तुत संहिता के उद्देश्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए समय–समय पर अपने नियमों को बदल दिया है। नियामक समन्वय की सहक्रियाओं का और अधिक उपयोग करने के लिए, बॉक्स 6 अंतर–नियामक समन्वय को बढ़ावा देने के तरीकों और साधनों पर चर्चा करता है।

**बॉक्स 6 : नियामक समन्वय को बढ़ावा देने के तरीके और साधन**

**नियामक समन्वय की आवष्यकता**

बाजारों, उपयोगिताओं और व्यावसायिकों के लिए कई नियामकों का छिड़काव कुछ नियामक ओवरलैप बनाने के लिए बाध्य है। साइलो को तोड़ना और नियामक निरीक्षणों के अभिसरण को बढ़ावा देना न केवल लेनदेन लागत को कम करता है बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह नियामक क्षेत्र में प्रणालीगत प्रभावकारिता को बढ़ावा देता है। प्रौद्योगिकी के साथ सहायता प्राप्त अभिसरण को अपनाने से बिना किसी मजबूत व्यवधान के विचारों के निर्बाध प्रवाह के माध्यम से समृद्ध लाभांश प्राप्त करने की क्षमता है।

क्षेत्राधिकार के अतिव्यापन से बचने या समन्वित प्रयासों के माध्यम से उनका प्रबंधन करने के लिए नियामकों के पास ''भूमिका स्पष्टता'' होनी चाहिए। अपने उद्देश्यों, कार्यों और कार्यक्षेत्र के संदर्भ में भूमिका स्पष्टता, एक नियामक की प्रभावशीलता के लिए अनिवार्य है। इसमें जोड़ा गया है कि नियामकों को एक कानूनी जनादेश, अच्छी तरह से परिभाषित नीति भूमिका और अन्य नियामकों के साथ पारदर्शी रूप से सहयोग करने की स्पष्ट शक्ति की आवश्यकता हो सकती है। ओईसीडी, नियामकों के शासन के लिए अपने सिद्धांतों, 2012 में, इसके द्वारा निर्धारित सात सिद्धांतों में से पहले के रूप में ''भूमिका स्पष्टता'' की पहचान करता है, यह देखते हुए कि ''वांछित नियामक परिणाम प्राप्त करने के लिए अन्य संबंधित निकायों के साथ प्रभावी नियामक के पास स्पष्ट और जुड़े हुए कार्यों और समन्वय के तंत्र के साथ स्पष्ट उद्देश्य होने चाहिए।"

नियामक प्रणाली की प्रभावशीलता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए इस तरह के ओवरलैप का अनुमान लगाने और विधायी प्रारूपण चरण में ही उनसे बचने की आवश्यकता है। यह अक्सर एक ही इकाई होती है, जिसे विभिन्न नियामकों द्वारा विनियमित किया जा रहा है, लेकिन प्रत्येक अलग–अलग नीतिगत उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए और समय–समय पर नियमों के दोहराव के साथ ऐसा कर सकता है। विनियामक बोझ को कम करने और अनुपालन में सुधार करने के लिए, नियामकों के बीच गतिविधियों का समन्वय आवश्यक हो जाता है। इस तरह के समन्वय प्रयासों को किसी भी व्यवस्था की वैधता के बारे में अनिश्चितता को दूर करने के लिए समन्वय के लिए स्पष्ट कानूनी प्राधिकरण द्वारा समर्थित होने की आवश्यकता है। कुछ नियामकों के लिए, सरकार के विभिन्न स्तरों पर एक अधिकार क्षेत्र के भीतर समन्वय की आवश्यकता उत्पन्न हो सकती है। कुछ को अंतरराष्ट्रीय न्यायालयों में समन्वय की भी आवश्यकता हो सकती है।

**समन्वय का तरीका**

विभिन्न नियामक निकायों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट करने के हित में औपचारिक समन्वय तंत्र कई रूप ले सकते हैं, जैसे आपसी सहयोग समझौते संबंधित भूमिकाओं का विवरण और देश या अन्य अधिकार क्षेत्र के भीतर नियामकों के साथ सहयोग, अन्य नियामकों द्वारा आयोजित सूचना तक इलेक्ट्रॉनिक पहुंच, नियामकों को संयुक्त विनियमन या सह–विनियमन आदि की अनुमति देने वाले अंतर–नियामक मामलों और कानूनों पर चर्चा करने और उन्हें हल करने के लिए संयुक्त समितियां। प्रभावी कामकाजी संबंध बनाने के माध्यम से ऐसे मामलों की पहचान करने और उनसे निपटने के लिए नियामकों की क्षमता जितनी अधिक होगी, उतनी ही अधिक प्रभावशीलता होगी ऐसी व्यवस्था।

**भारतीय संदर्भ**

भारतीय संदर्भ में, हालांकि समन्वय तंत्र मौजूद है, हालांकि, इस तरह के तंत्र से इच्छित परिणाम को बढ़ावा मिलता है या नहीं, यह परीक्षा का विषय है। वर्ष 2000 में, भारत में नियामकों के सामने चुनौतियों का सामना करने के लिए सामान्य रणनीति विकसित करने और जानकारी और अनुभव साझा करने के लिए नियामक प्रक्रियाओं और प्रथाओं में उभरते मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक आम मंच के रूप में सेवा करने के लिए, भारतीय नियामकों का एक फोरम (एफओआईआर) स्थापित किया गया था। एफओआईआर की सदस्यता किसी भी व्यक्ति के लिए खुली है जो एक सदस्य या एक नियामक आयोग या कानून द्वारा स्थापित प्राधिकरण या सार्वजनिक उपयोगिताओं के साथ–साथ उपभोक्ताओं के संघ से जुड़े किसी अन्य संगठन के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में, 30 विद्युत नियामक आयोग, भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, आईबीबीआई, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड, प्रमुख बंदरगाहों के लिए टैरिफ प्राधिकरण, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण और भंडारण विकास और नियामक प्राधिकरण एफओआईआर के सदस्य हैं।

वित्तीय क्षेत्र के भीतर, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) की स्थापना दिसंबर, 2010 में वित्त मंत्रालय के तहत एक गैर–सांविधिक शीर्ष परिषद के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए तंत्र को मजबूत और संस्थागत बनाना, अंतर को बढ़ाना था। नियामक समन्वय और वित्तीय क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना। इसकी अध्यक्षता माननीय वित्त मंत्री करते हैं और इसके सदस्यों में वित्तीय क्षेत्र के नियामकों के प्रमुख (आरबीआई, सेबी, पीएफआरडीए, आईआरडीए, आईबीबीआई, आईएफएससीए और एफएमसी), वित्त सचिव और / या सचिव, आर्थिक मामलों के विभाग, सचिव, विभाग वित्तीय सेवाओं के, और मुख्य आर्थिक सलाहकार शामिल हैं। नियामकों की स्वायत्तता के पूर्वाग्रह के बिना, परिषद बड़े वित्तीय समूहों के कामकाज सहित अर्थव्यवस्था के मैक्रो विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण की निगरानी करती है, और अंतर–नियामक समन्वय और वित्तीय क्षेत्र के विकास के मुद्दों को संबोधित करती है। यह वित्तीय साक्षरता और वित्तीय समावेशन पर भी ध्यान केंद्रित करता है। आरबीआई के गवर्नर की अध्यक्षता में इसकी एक उप–समिति है। यह पूर्ण परिषद की तुलना में अधिक बार मिलता है। एफएसडीसी के सभी सदस्य उप–समिति के सदस्य भी हैं। इसके अतिरिक्त, आरबीआई के सभी चार डिप्टी गवर्नर और एफएसडीसी के प्रभारी अतिरिक्त सचिव, डीईए भी उप–समिति के सदस्य हैं।

स्थापित तंत्र पहले से ही अपने गुणों का प्रदर्शन कर चुके हैं, फिर भी, डिजाइन सिद्धांतों को नियामकों द्वारा उनके आकार, प्रभाव के क्षेत्र और विशेषज्ञता के संदर्भ में व्यक्तिगत रूप से बनाए जा रहे कथित डिब्बों को तोड़ने की आवश्यकता होती है। विशिष्ट क्षेत्रों में सुशासन को बढ़ावा देने के लिए कई नियामकों का निर्माण करते हुए, सरकार ने बेहतर समन्वय के मुद्दे को हल करने के लिए मजबूत तंत्र की सुविधा भी प्रदान की है। हालांकि, एफएसडीसी एक गैर–सांविधिक निकाय है, फिर भी शीर्ष स्तर के प्रतिनिधित्व और लिए गए निर्णयों पर प्रभावी निगरानी के लिए कठोर अनुवर्ती तंत्र को देखते हुए, संभावित रूप से यह प्रभावी समन्वय का विस्तार करने की स्थिति में है।

फिर भी, विशष रूप से दो नियामकों के बीच निरंतर आधार पर रणनीतिक स्तर के समन्वय की आवश्यकता वाले मुद्दों के लिए, क्षैतिज तंत्र या टॉप–डाउन दृष्टिकोण को व्यापक बनाने के बजाय, द्विपक्षीय व्यवस्था के अपने गुण भी हैं। इस तरह की द्विपक्षीय व्यवस्थाओं की दक्षता शामिल अभिनेताओं की सौदेबाजी की ताकत के बावजूद पारेटो इश्टतम समाधान को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है।

# शासी बोर्ड का कार्य निष्पादन

आईबीबीआई सतत उत्तराधिकार के साथ निकाय कारपोरेट है। यह संपत्ति को धारण करता है और उसका निपटान करता है, अनुबंधों में प्रवेश करता है और वाद संचालित करता है और उसके नाम पर वाद फाइल किए जाते हैं। आईबीबीआई का जीबी इसे रणनीतिक दिशा प्रदान करता है और प्रबंधन का नियंत्रण और निगरानी करता है। आईबीबीआई (शासी बोर्ड की बैठकों के लिए प्रक्रिया) विनियमन, 2017 (बोर्ड विनियमन) के साथ पठित संहिता जीबी के व्यवसाय और उक्त व्यवसाय के लेन–देन के तरीके को निर्दिष्ट करती है। जीबी के कार्यों में विनियमनों, वार्षिक खातों, वार्षिक बजट, वार्षिक रिपोर्ट, शक्तियों का प्रत्यायोजन, आदि पर विचार करना और अनुमोदन करना शामिल है।

आईबीबीआई के पास अर्ध–विधायी, कार्यकारी और अर्ध–न्यायिक जिम्मेदारियां हैं। अर्ध–विधायी कार्य जीबी का अनन्य अधिकार–क्षेत्र है। अर्ध–न्यायिक कार्य डीसी का अनन्य अधिकार–क्षेत्र हैं जिनमें डब्ल्यूटीएम शामिल हैं। कार्यकारी कार्यों का वितरण आईबीबीआई (शक्तियों और कार्यों का प्रत्यायोजन) आदेश, 2017 के अनुसार बोर्ड के विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा किया जाता है। बोर्ड विनियमन बोर्ड के सदस्यों के लिए आचरण चार्टर निर्दिश्ट करता है। चार्टर का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जीबी इस तरह से आचरण करे जो अपने जनादेश को पूरा करने की अपनी क्षमता से समझौता नहीं करता है या सदस्य (सदस्यों) की अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की क्षमता में जनता के विश्वास को कम करता है।

## शासी बोर्ड की बैठकें

2020–21 के दौरान जीबी की पांच बैठकें हुईं। इन बैठकों में बोर्ड के सदस्यों की उपस्थिति का विवरण सारणी 73 में प्रस्तुत किया गया है।

**सारणी 73 : शासी बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति**

| नाम | पद | 2020-21 में बोर्ड बैठकों की संख्या | |
|---|---|---|---|
| | | कार्यकाल के दौरान आयोजित | भाग लिया |
| डॉ. एम. एस. साहू | अध्यक्ष | 5 | 5 |
| डॉ. नवरंग सैनी | डब्ल्यूटीएम | 5 | 5 |
| डॉ. (सुश्री) मुकुलिता विजयवर्गीय | डब्ल्यूटीएम | 5 | 5 |
| श्री सुधाकर शुक्ला | डब्ल्यूटीएम | 5 | 5 |
| डॉ. शशांक सक्सेना | पदेन सदस्य | 5 | 5 |
| श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह | पदेन सदस्य | 5 | 5 |
| डॉ. राजीव मानिक | पदेन सदस्य | 5 | 5 |
| श्री उन्नीकृश्णन ए. | पदेन सदस्य | 5 | 5 |
| श्री बी. श्रीराम | अंशकालिक सदस्य | 5 | 5 |
| डॉ. कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम | अंशकालिक सदस्य | 5 | 3 |

जीबी ने वर्ष के दौरान 15 विनियमनों में संशोधन को मंजूरी दी। इसने सेवा प्रदाताओं (आईपी, आईपीए, आईपीई, आईयू, आरवी, और आरवीओ), परीक्षा, मूल्यांकन परीक्षा, सीआईआरपी, परिसमापन प्रक्रिया और स्वैच्छिक परिसमापन के क्षेत्रों में बोर्ड की गतिविधियों और निष्पादन की समीक्षा की। इसने आईपीए और आरवी के लिए निरीक्षण नियमावली को मंजूरी दी। इसने वर्ष 2021–22 के लिए लेखा–परीक्षा समिति और बजट प्रस्तावों की सिफारिश के अनुसार 2019–20 के लिए बोर्ड के वित्तीय विवरणों को स्वीकृति दी।

वर्ष के दौरान, जीबी के गैर–पूर्णकालिक सदस्यों ने 19 जून, 2020 को आईबीबीआई के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संगठन और बाजार की चुनौतियों को समझने और उन्हें संबोधित करने के लिए अपने दृष्टिकोण साझा करने के लिए अपनी तरह की पहली बातचीत की। .

इसके अलावा, उन्होंने 20 अगस्त, 2020 को चुनिंदा सेवा प्रदाताओं (आईपीए के एमडी, आईयू के एमडी, आरवीओ, आईपी और आरवी के सीईओ सहित) के साथ बातचीत की ताकि उनके सामने आने वाले मुद्दों, कठिनाइयों और बाधाओं पर चर्चा की जा सके।

जीबी ने 2021–22 के केंद्रीय बजट में शामिल करने के लिए सरकार को प्रदान किए जाने वाले इनपुट पर चर्चा की। जीबी ने अगले शैक्षणिक सत्र से जीआईपी आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय, भोपाल को भी मंजूरी दे दी। जीबी ने आईबीबीआई के लिए भविष्य की कार्रवाई के बारे में भी विचार–विमर्श किया क्योंकि दिवाला का क्षेत्र अब परिपक्व हो गया है, नियामक के रूप में इसकी प्रासंगिकता और नियामक और संस्था के रूप में आईबीबीआई के तीसरे पक्ष के मूल्यांकन की आवश्यकता है।

त्वरित निर्णय लेने की सुविधा के लिए, विशेष रूप से उस समय के दौरान जब कोविड–19 महामारी के दौरान शारीरिक रूप से बैठकें करना संभव नहीं था, जीबी ने 2020–21 में अपनी सभी बैठकें ऑनलाइन आयोजित कीं।

## निष्पादन का आकलन

जीबी स्व–मूल्यांकन को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बोर्ड की प्रभावशीलता और दक्षता का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण संरचनात्मक उपकरण के रूप में मान्यता दी गई है। जीबी के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने के लिए प्राथमिक प्रेरणा यह आकलन करने में निहित है कि क्या जीबी बाहरी जांच की अपेक्षाओं को पूरा कर रहा है और संगठनात्मक और बोर्ड के निष्पादन दोनों में सुधार कर रहा है। इसके अलावा, बोर्ड मूल्यांकन

जीबी के निष्पादन में सुधार के लिए शक्ति, कमजोरियों और अवसरों की पहचान करने में मदद करता है। जीबी के निष्पादन का मूल्यांकन मोटे तौर पर तीन आयामों पर किया जा सकता है, अर्थात :

(क) **बोर्ड संरचना और गुणवत्ता,** जिसमें बोर्ड के सदस्यों की विशेषज्ञता और अनुभव, निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने की रणनीति, इसकी बैठकों में बहस और चर्चा की गुणवत्ता और हितधारकों के साथ जुड़ाव जैसे पहलुओं को शामिल किया गया है।

(ख) **बोर्ड की बैठकें और प्रक्रियाएं,** जो बोर्ड की बैठकों की नियमितता और आवृत्ति, कार्य–वृतों की सटीकता, रणनीतिक और महत्वपूर्ण मामलों पर लगाए गए समय और बोर्ड की बैठकों से उत्पन्न होने वाली कार्रवाइयों पर अनुवर्ती जैसे पहलुओं को कवर करती हैं।

(ग) **बोर्ड के कार्य और विकास,** जिसमें लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग की अखंडता, पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा देना और शीर्ष प्रबंधन के साथ संचार के खुले चौनल जैसे पहलू शामिल हैं।

बेहतर संगठनात्मक निश्पादन के लिए समीक्षा तंत्र स्थापित करने के महत्व को डब्ल्यूजी द्वारा *'भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड का निर्माण' पर मान्यता दी गई थी। डब्ल्यूजी ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि 'उच्च निष्पादन वाले संगठन को प्राप्त करने के लिए संगठन के अभिकल्प, प्रक्रियाओं और शासन व्यवस्था पर ठोस अभिकल्प निर्णयों की आवश्यकता होती है'। तदनुसार, इसने एक 'आंतरिक रूप से सुसंगत रणनीति की सिफारिश की जो इन तीन स्तंभों को इंटरलॉकिंग पूर्णता के रूप में देखती है, जो इस स्थिति में उच्च निष्पादन के लिए प्रेरित करेगी'।* पहले स्तंभ के लिए कुछ महत्वपूर्ण अभिकल्प सिद्धांत, डब्ल्यूजी द्वारा अनुशंसित संगठन अभिकल्प, *'आंतरिक और बाहरी समीक्षा तंत्र को मजबूत करना', 'संगठन के कामकाज में पारदर्शिता' और 'जवाबदेही'* थे। ये सिद्धांत जीबी के प्रभावी, उत्तरदायी और पारदर्शी कामकाज के लिए प्रासंगिक हैं।

समीक्षा तंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक कदम के रूप में, आईबीबीआई के जीबी ने एक स्व–मूल्यांकन प्रश्नावली तैयार की जिसमें ऊपर बताए गए आयामों और मापदंडों को शामिल किया गया है। जीबी 2018–19 से वार्षिक रूप से अपना स्व–मूल्यांकन कर रहा है और वार्षिक रिपोर्ट में इसकी रिपोर्ट कर रहा है। वर्ष 2020–21 के लिए, जीबी के सदस्यों ने 1 से 5 के पैमाने पर स्व–मूल्यांकन प्रश्नावली का जवाब दिया। प्रतिक्रियाओं को सारणीबद्ध किया गया और प्रत्येक आयाम के संबंध में एक समग्र रेटिंग प्राप्त की गई। सारणी 74 प्रश्नावली के सदस्यों के उत्तरों के आधार पर जीबी के निष्पादन को सारांशित करती है।

**सारणी 74 : 2020–21 में शासी बोर्ड का निष्पादन**

| आयाम | मापदंड | 50 में से स्कोर | रेटिंग |
|---|---|---|---|
| **बोर्ड संरचना और गुणवत्ता** | संगठन के सर्वोत्तम हितों को पूरा करने के लिए बोर्ड के पास विशेषज्ञता और अनुभव का उपयुक्त मिश्रण है। | 45 | उत्कृष्ट |
| | संगठन रणनीतिक योजना या मापने योग्य लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के सेट के साथ काम करता है। | 48 | उत्कृष्ट |
| | बोर्ड के सभी सदस्यों को संगठन के दृष्टिकोण, मिशन, इसकी रणनीतिक दिशा और इसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक वित्तीय और मानव संसाधनों की स्पश्ट समझ है। | 46 | उत्कृष्ट |
| | बोर्ड ने अपने प्रत्येक प्रमुख हितधारकों के साथ संगठन के संबंधों की पहचान की है और उनकी समीक्षा की है और उनके साथ संचार का उचित स्तर है। | 46 | उत्कृष्ट |
| | बोर्ड के पास पर्याप्त संख्या में समितियाँ हैं, जिनकी आवश्यकता हो सकती है, अच्छी तरह से परिभाषित संदर्भ शर्तों के साथ, रिपोर्टिंग आवश्यकताओं सहित। | 44 | उत्कृष्ट |
| | बोर्ड की बैठकें स्वस्थ और संभावित चर्चाओं के साथ उच्च गुणवत्ता वाली बहस को प्रोत्साहित करती हैं। | 49 | उत्कृष्ट |
| | बोर्ड स्वयं उद्देश्य निर्धारित करता है और वार्षिक आधार पर उनके विरुद्ध अपने निष्पादन को मापता है। | 45 | उत्कृष्ट |
| | बोर्ड अधिकारियों को निदेश देता है कि नीतियों को निर्धारित, संदर्भित या संशोधित करके लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जाए। | 42 | संतोशजनक |
| **कुल सेक्षनल स्कोर** | | **365/400 (91%)** | ***उत्कृष्ट*** |
| **आयाम** | **मापदंड** | **50 में से स्कोर** | **रेटिंग** |
| **बोर्ड की बैठकें और प्रक्रियाएं** | बोर्ड पर्याप्त नियमितता के साथ मिलता है और बैठकों की आवृत्ति बोर्ड के लिए अपने कर्तव्यों को ठीक से करने के लिए पर्याप्त है। | 50 | उत्कृष्ट |
| | बोर्ड की बैठक का एजेंडा और संबंधित पृष्ठभूमि के कागजात संक्षिप्त हैं और मामले पर निर्णय लेने के लिए उपयुक्त गुणवत्ता और विवरण की जानकारी प्रदान करते हैं। | 50 | उत्कृष्ट |
| | बैठक के संबंध में सभी जानकारी सदस्यों को समय पर प्रसारित की जाती है। | 50 | उत्कृष्ट |
| | बोर्ड की बैठकों से उत्पन्न होने वाली कार्रवाइयों का ठीक से पालन किया जाता है और बाद की बोर्ड बैठकों में समीक्षा की जाती है। | 48 | उत्कृष्ट |
| | बोर्ड की बैठकों के कार्यवृत्त स्पष्ट, सटीक, सुसंगत और पूर्ण और समयबद्ध तरीके से अनुमोदित होते हैं। | 49 | उत्कृष्ट |
| | बोर्ड की बैठकों में बोर्ड के सदस्यों की उपस्थिति और भागीदारी की पर्याप्तता। | 47 | उत्कृष्ट |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | सामरिक और सामान्य मुद्दों पर चर्चा पर खर्च किया गया समय पर्याप्त है। | 48 | उत्कृष्ट |
| | यह सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाएं मौजूद हैं कि बोर्ड को बैठकों के बीच सभी भौतिक मामलों पर पूरी तरह से सूचित किया जाता है (उपयुक्त बाहरी जानकारी, जैसे, सामग्री नियामक परिवर्तन सहित)। | 46 | उत्कृष्ट |
| **कुल सेक्षनल स्कोर** | | **388/400 (97%)** | ***उत्कृष्ट*** |
| **आयाम** | **मापदंड** | **50 में से स्कोर** | **रेटिंग** |
| **बोर्ड के कार्य और विकास** | बोर्ड संगठन के लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली की अखंडता सुनिश्चित करता है। | 48 | उत्कृष्ट |
| | संगठन की स्वतंत्र लेखा परीक्षा की प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखा जाता है। | 49 | उत्कृष्ट |
| | बोर्ड के पास शीर्ष प्रबंधन और अन्य लोगों के साथ संचार के खुले चैनल हैं और उन्हें ठीक से जानकारी दी गई है। | 44 | उत्कृष्ट |
| | बोर्ड अपने शासन में पारदर्शिता और सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देते हुए, प्रभावी निर्णय लेने और उनके कार्यान्वयन को सक्षम करने के लिए घटनाओं पर सकारात्मक और रचनात्मक प्रतिक्रिया देता है। | 47 | उत्कृष्ट |
| | बोर्ड के सदस्य हितधारकों के सर्वोत्तम हित में निष्पक्ष और सहयोगात्मक रूप से निर्णय लेते हैं और ऐसे निर्णयों के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार महसूस करते हैं। | 48 | उत्कृष्ट |
| | बोर्ड के सदस्य ख्याति के महत्वपूर्ण कार्य, अर्थात संहिता के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए सेवा प्रदाताओं का विनियमन, संवर्धन और विकास को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेते हैं। | 49 | उत्कृष्ट |
| **कुल सेक्षनल स्कोर** | | **285/300 (95%)** | ***उत्कृष्ट*** |
| **कुल योग** | | **1038/1100 (94%) (उत्कृष्ट)** | |

जीबी ने पिछले वर्ष  की तुलना में तीनों आयामों में निष्पादन में सुधार के साथ 2020–21 में तीनों आयामों में बहुत अच्छा निष्पादन करने के लिए स्वयं का मूल्यांकन किया। जीबी का निष्पादन, विशेष रूप से पिछले वर्श की तुलना में इसके प्रत्येक प्रमुख हितधारकों के साथ संगठन के संबंधों की समीक्षा करने के पहलुओं में, हितधारकों के साथ संचार का उचित स्तर होने और उद्देश्यों को निर्धारित करने और जीबी के निष्पादन को मापने के लिए उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के आधार पर 'संतोशजनक' से सुधर कर 'उत्कृश्ट' हो गया है। जीबी बैठकों के दौरान स्वस्थ और जांच चर्चाओं के साथ उच्च गुणवत्ता वाली बहस के मामले में इसने विशेश रूप से अच्छा निश्पादन किया। वर्श  के दौरान बोर्ड के 90 प्रतिशत सदस्यों ने बैठकों में 100 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज करते हुए पर्याप्त नियमितता के साथ बैठकें की। बोर्ड की बैठक के कार्यसूची नोट्स, और संबंधित पृष्ठभूमि के कागजात को जीबी द्वारा अच्छी गुणवत्ता के लिए सराहा गया और विभिन्न मामलों पर निर्णय लेने की सुविधा के लिए विस्तृत किया गया। जीबी द्वारा सामरिक और सामान्य मुद्दों पर चर्चा पर लगाए गए समय का पर्याप्त आकलन किया गया। जीबी के निष्पादन के आकलन ने इसी दौरान कुछ मापदंडों की पहचान करने में मदद की है जिससे इसके निष्पादन में और सुधार किया जा सकता है। कुल मिलाकर, जीबी अपनी गतिविधियों का मार्गदर्शन करने वाले दृष्टिकोण और सिद्धांतों के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता का निष्पादन करते हुए, अपने जनादेश को अच्छी तरह से पूरा कर रहा है।

## आगामी मार्ग

2020–21 की अंतिम दो तिमाहियों की ओर संकेतक जैसे कि ऑल–टाइम हाई स्टॉक मार्केट, दुनिया भर में रिकवरी के संकेत, अर्थव्यवस्था में विदेशी पूंजी का भारी प्रवाह और अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों की पूर्व–महामारी के स्तर पर दिवाला कंपनियों के समाधान के लिए दिवाला और शोधन अक्षमता क्षेत्र में आरए की उपलब्धता में सुधार ने वापसी का संकेत दिया। हालाँकि, जैसा कि बहुत से देश कोविड–19 महामारी की दूसरी और तीसरी लहरों से जूझ रहे हैं, कुछ कारकों जैसे नकारात्मक क्षेत्र में, तरलता समर्थन और प्रोत्साहन पैकेजों की कमी, कोविड–19 के आसपास अनिश्चितता और तनाव का सामना करने के लिए व्यापार की घटती सहनशक्ति ने विश्व अर्थव्यवस्था में भविश्य में कारपोरेट दिवाला की उच्च घटनाओं का संकेत दिया। इस पृष्ठभूमि में, वैश्विक स्तर पर कारपोरेट दिवाला में परिवर्तित होने वाली महामारी के कारण लंबे समय तक कारपोरेट तनाव की संभावना है।

भारतीय संदर्भ में, ज्योंही 25 मार्च, 2021 से संहिता की धारा 7, 9 और 10 का निलंबन हटेगा, दिवाला शुरू करने के लिए आवेदनों की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है, लेकिन वृद्धि महत्वपूर्ण नहीं होगी। इसका कारण यह है कि हितधारक निम्नलिखित के माध्यम से तनाव का समाधान करना जारी रखेंगे: (क) कोविड–19 तनाव के अलावा अन्य तनाव के संबंध में सीआईआरपी, (ख) कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन समझौता या व्यवस्था की योजना, और (ग) आरबीआई का विवेकपूर्ण ढांचा। कई व्यवसाय तनाव से बचने के लिए लागत में कटौती के कई उपाय करते हुए तनाव के समाधान के नवीन विकल्प तलाश रहे हैं। इसके अलावा, (क) महामारी कम होने के बाद व्यवहार्य कंपनियों के पास सामान्य व्यवसाय संचालन होगा, (ख) दिवाला कार्यवाही शुरू करने के लिए व्यतिक्रम की उच्च सीमा अधिकांश एमएसएमई को दिवाला कार्यवाही से बाहर रखेगी, और (ग) कोविड–19 अवधि व्यतिक्रम हमेशा के लिए दिवाला कार्यवाही से बाहर रहती है। जैसा कि ये कारक काम में आते हैं, यह संभावना है कि कारपोरेट दिवाला उम्मीद से कम परिमाण में हो सकता है। फिर भी, दिवाला फाइलिंग में संभावित वृद्धि और ई–कोर्ट सिस्टम को मजबूत करने से निपटने के लिए एनसीएलटी की बेंच क्षमता को मजबूत करने की आवश्यकता है। दिवाला फाइलिंग में संभावित उछाल को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए, आईबीसी पारिस्थितिकी तंत्र में व्यावसायिकों की संख्या और क्षमता भी बढ़ रही है।

कोविड–19 महामारी के मद्देनजर और अन्यथा, आईबीबीआई ने संहिता के कार्यान्वयन में सरकार के प्रयासों को पूरा करने के लिए कई कदम उठाए हैं। अर्थव्यवस्था की उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए, व्यवसायों के समयबद्ध बचाव पर ध्यान केंद्रित करते हुए, यह नए उत्पादों को जारी रखेगा और मौजूदा उत्पादों में नई सुविधाओं को जोड़ेगा।

## प्री–पैकेज्ड दिवाला समाधान प्रक्रिया

बाजार आम तौर पर विशिष्ट परिस्थितियों के अनुकूल टेलर–मेड समाधान को पूरा करने के लिए लचीलेपन को प्राथमिकता देता है। हालांकि, यह पूर्ण लचीलापन पसंद नहीं करता है, यह निदेशित मार्ग की सराहना करता है और औपचारिक प्रक्रिया के लाभों और शुचिता का लाभ उठाना चाहता है। दूसरे शब्दों में, बाजार अर्ध–औपचारिक प्रक्रिया को तरजीह देता है जो औपचारिक प्रक्रिया की कठिनाइयों को दूर करता है लेकिन इसके लाभ और शुचिता को बरकरार रखता है। सबसे लोकप्रिय अर्ध–औपचारिक विकल्प प्री–पैक है। भारत में प्री–पैकेज्ड दिवाला समाधान प्रक्रिया को लागू करने के लिए विस्तृत योजना और नियामक ढांचे का प्रस्ताव करने के लिए, सरकार ने 24 जून, 2020 के आदेश के अधीन डॉ. एमएस साहू, अध्यक्ष, आईबीबीआई की अध्यक्षता में आईएलसी की उप–समिति का गठन किया। समिति ने 31 अक्टूबर, 2020 को एमसीए को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसके बाद, सरकार ने 22 जनवरी, 2021 तक आईएलसी की उप–समिति की सिफारिशों पर जनता से टिप्पणियां आमंत्रित की थीं।

आईबीसी की मूल संरचना के भीतर, उप–समिति ने प्री–पैक प्रक्रिया तैयार की है जहां एफसी का व्यापक नियंत्रण होता है, कंपनी प्रक्रिया के दौरान अधिस्थगन का आनंद लेती है और परिणाम सभी पर बाध्यकारी होता है। प्रस्तावित प्री–पैक प्रक्रिया में ऐसी विशेशताएं हैं जो सीआईआरपी को पवित्र बनाती हैं और इसमें सीआईआरपी की कठोरता और अनुशासन है। यह कुछ हद तक अनौपचारिक है और उसके बाद अनौपचारिक है। यह देनदार–स्वामित्व में को लेनदार–नियंत्रण के साथ मिलाता है। यह न तो पूरी तरह से निजी है और न ही पूरी तरह से सार्वजनिक प्रक्रिया है। यह धारा 29क के अधीन पात्र होने पर कंपनी को मूल समाधान योजना प्रस्तुत करने की अनुमति देता है, जो मूल्य को अधिकतम करने के लिए स्विस चौलेंज के संपर्क में है। यह हितधारकों के अधिकारों की उतनी ही सुरक्षा करता है जितना कि सीआईआरपी में और संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए पर्याप्त जाँच और संतुलन है **(बॉक्स 7)**।

## एमएसएमई के लिए विशेष ढांचा

एमएसएमई कई मायनों में अद्वितीय हैं और विशिश्ट सीआईआरपी शैली समाधान उनके दिवाला समाधान के लिए अनुकूल नहीं है। अधिकांश एमएसएमई उद्यमशील उद्यम हैं, जहां मूल्य अक्सर अनौपचारिक व्यवस्थाओं में निहित होता है, जिसे कोई तीसरा पक्ष समाधान योजना के माध्यम से उपयोग करने में सक्षम नहीं हो सकता है। उनके लिए समाधान योजनाओं का बाजार स्थानीय है, जबकि पूरी दुनिया बड़ी फर्मों के लिए बाजार है। ज्यादातर मामलों में एमएसएमई का व्यवसाय मुख्य रूप से अपने प्रवर्तक को ब्याज के लिए आकर्षित करता है और अन्य आरए की इसमें कोई रुचि नहीं होती है। लगभग हर एमएसएमई देनदार ओसी भी है। आमतौर पर एमएसएमई एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं जो समान विशेशताओं को साझा करते हैं और दूसरे से भुगतान पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप श्रृंखला में लिंक दिवाला होने के परिणामस्वरूप डोमिनोज प्रभाव हो सकता है जिससे आपूर्ति श्रृंखला में अधिक दिवाला हो सकता है। एमएसएमई को कार्यशील पूंजी की कमी, उच्च ब्याज दरों और बड़ी संपार्श्विक आवश्यकताओं जैसे मुद्दों का सामना करना पड़ता है, जो विशेश रूप से वित्तीय संकट की स्थितियों में वित्त जुटाना मुश्किल बनाते हैं। नतीजतन, उनमें से कई अनौपचारिक स्रोतों से ऋण लेते हैं। बैंकों के लिए उपलब्ध वसूली या समाधान की रूपरेखा अक्सर एमएसएमई के ऋणदाताओं के लिए उपलब्ध नहीं होती है। एमएसएमईज में झटके सहने की क्षमता बहुत कम होती है। बड़ी कंपनियों की तुलना में वे अपेक्षाकृत अधिक असफल होने की संभावना रखते हैं। व्यवसाय की विफलता के मामले में या जब व्यवसाय अधिक व्यवहार्य नहीं है, तो उन्हें बाहर निकलने की आवश्यकता होती है। एमएसएमईज के पास सीआईआरपी शैली की दिवाला समधान प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पर्याप्त संपत्ति की कमी हो सकती है। एमएसएमई के मामले में रिकार्ड का रख–रखाव अक्सर मजबूत नहीं होता है, जिसके परिणामस्वरूप सूचना में विशमता होती है। यदि सामान्य दिवाला प्रक्रिया (जैसा कि सीडी पर लागू है) उन पर लागू होती है, तो आरपी को ऐसे सीडी पर प्रभावी नियंत्रण लेने और इसे एक जारी कंसर्न के रूप में रखने के लिए संघर्श करने की संभावना है।

अपनी विशिष्टता की मान्यता में, अधिकांश देशों के पास दिवाला ढांचे के भीतर उनके समाधान के लिए विशेश व्यवस्था है। आईएलसी की सिफारिश के आधार पर, केंद्र सरकार को जनहित में एमएसएमईज के दिवाला के समाधान के लिए संशोधित ढांचा प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए 2018 में संहिता में संशोधन किया गया था। इसके अलावा, एमएसएमईज की पीड़ा की प्रत्याशा में, कोविड–19 के मद्देनजर, सरकार ने पहले लॉकडाउन की पूर्व संध्या में, एमएसएमईज को दिवाला कार्यवाही में धकेलने से रोकने के लिए दिवाला कार्यवाही शुरू करने के लिए व्यतिक्रम की सीमा को 1 लाख रुपये से बढाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया। सरकार ने 17 मई, 2020 को घोशित 'आत्मनिर्भर भारत, भाग V: सरकारी सुधार और समर्थक' के हिस्से के रूप में, एमएसएमईज के लिए विशेष दिवाला समाधान ढांचे को अधिसूचित करने का प्रस्ताव रखा। ढांचा सीआईआरपी और व्यक्तिगत दिवाला का मिश्रण हो सकता है क्योंकि कुछ एमएसएमई कारपोरेट हैं जबकि अन्य व्यक्ति हैं। यह ढांचा एमएसएमई के लिए सीआईआरपी और प्री–पैक का मिश्रण भी हो सकता है।

## समाधानशीलता

व्यतिक्रम के मामले में संहिता ने लेनदारों का ध्यान वसूली की संभावना से समाधान की संभावना पर स्थानांतरित कर दिया है। बाजार अब ऐसी कंपनी के साथ सौदा करना पसंद करता है जो हल करने योग्य हो। एक समाधान योग्य कंपनी ऋण की कम लागत के माध्यम से गैर–समाधान योग्य कंपनियों की तुलना में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करती है। जहां कंपनी का मूल्य अनौपचारिक, ऑफ–द रिकार्ड व्यवस्थाओं या प्रवर्तकों या उनके परिवार के सदस्यों के बीच व्यक्तिगत संबंधों में निहित है, संभावित आरए को कंपनी के समाधान को दूरस्थ बनाते हुए मूल्य का पता लगाना और उसका दोहन करना मुश्किल हो सकता है। कंपनी मूल्य को तैयार करने और इसे बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करेगी, जो आरए को दृश्यमान और आसानी से हस्तांतरणीय है। इसी तरह, कंपनी, यदि पहल की जाती है. अद्यतन आईएम तैयार रखेगी ताकि समाधान प्रक्रिया के शीघ्र निश्कर्ष को सक्षम किया जा सके। हर कंपनी का यह प्रयास होगा कि वह हर समय स्वयं को, जरूरत पड़ने पर बहाली योजना के साथ–साथ, समाधान के योग्य बनाए रखे। एक अर्थ में, यह फर्म के साथ–साथ बड़े पैमाने पर समाज के लाभ के लिए एक प्रकार की 'सजीव इच्छा' रखेगी **(बॉक्स 8)**।

## व्यक्तिगत दिवाला

कारपोरेट दिवाला में कई मील के पत्थर पार करने के बाद, अगली बड़ी चीज जैसे व्यक्तिगत दिवाला, पर ध्यान केंद्रित करने का समय आ गया है। इन उपबंधों के व्यापक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए व्यक्तिगत दिवाला को चरणबद्ध तरीके से लागू करने के लिए संहिता व्यक्तियों को तीन वर्गों में वर्गीकृत करती है, नामतः पीजी से सीडी, साझेदारी वाली फर्म और प्रोपराइटरशिप फर्म और अन्य व्यक्ति। पहले के चरणों के कार्यान्वयन से सीखने से बाद के संचालनाधीन सीडीज से पीजी के संबंध में व्यक्तिगत दिवाला चरणों को आसान बनाने में मदद मिलेगी। अन्य व्यक्तियों के संबंध

**बॉक्स 7 : प्रि–पैकेज्ड दिवाला समाधान प्रक्रिया**

संहिता ने शुरू करने के लिए एक मानक, सादी वेनिला प्रक्रियाओं लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र की परिपक्वता के साथ प्रत्याशित परिश्कृत विकल्प परिकल्पना की। इसमें कंपनियों के तनाव के समाधान के लिए सीआईआरपी की परिकल्पना की गई है। हालांकि, सीआईआरपी की सफलता आरए की उपलब्धता पर गंभीर रूप से निर्भर करती है। जब अधिकांश कंपनियां, उद्योग और अर्थव्यवस्थाएं महामारी के कारण तनाव का अनुभव करना जारी रखती हैं, तो एक असफल कंपनी को बचाने के लिए आरए खोजने की संभावना कम होती है। यह कुछ समय के लिए चिंता का विशय हो सकता है, क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि कब कोविड–19 पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और उसके बाद भी व्यापार और अर्थव्यवस्था को सामान्य होने में कुछ समय लग सकता है। इसके अलावा,1 करोड़ रुपये से कम के व्यतिक्रम और पिछले एक वर्ष के दौरान उत्पन्न व्यतिक्रम के संबंध में सीआईआरपी उपलब्ध नहीं है। इसके दो परिणाम हैं – या तो कंपनी बहुत लंबे समय तक तनाव में रहती है या लेनदार अपने बकाया की वसूली के लिए उपलब्ध साधनों का उपयोग करते हैं। किसी भी मामले में, कंपनी लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकती है। इसके लिए ऐसे नए विकल्प तलाशने की आवश्यकता है जो तनाव को दूर करने का प्रयास करते हैं लेकिन आरए के अभाव में परिसमापन नहीं करते हैं।

सीआईआरपी की निर्धारित प्रक्रिया है और इसलिए, कुछ मात्रा में अनम्यता, कुछ परिस्थितियों में इसके उपयोग को सीमित कर सकती है। यह कंपनी के नियंत्रण को आईआरपी और फिर आरपी और अंत में सफल आरए में अंतरित कर देता है, जिससे व्यवसाय में व्यवधान हो सकता है। मौजूदा प्रबंधन का विस्थापन कंपनियों को तनाव की स्थिति में स्वेच्छा से सीआईआरपी शुरू करने के लिए हतोत्साहित करता है। यह वर्तमान प्रवर्तकों और प्रबंधन द्वारा आंशिक रूप से असहयोग की व्याख्या करता है, जिससे कुछ मामलों में तीव्र अभियोग होता है। परिहार लेन–देन सहित कई मुद्दों का निर्धारण, एए की सीमित क्षमता के लिए चुनौती रही है, जिसके कारण कुछ सीआईआरपी में समय–सीमा का उल्लंघन हो जाता है।

बाजार अद्वितीय परिस्थितियों के लिए सबसे उपयुक्त टेलर–मेड समाधान तैयार करने के लिए लचीलेपन को प्राथमिकता देता है। हालाँकि, यह पूर्ण लचीलापन पसंद नहीं करता हैं, यह एक निदेशित मार्ग की सराहना करता है और औपचारिक प्रक्रिया के लाभ और शुचिता का लाभ उठाना चाहता है। दूसरे शब्दों में, बाजार अर्ध –औपचारिक प्रक्रिया को तरजीह देता है जो औपचारिक प्रक्रिया की कठिनाइयों को दूर करती है लेकिन इसके लाभों और शुचिता को बरकरार रखती है। एक अर्थ में, औपचारिक प्रक्रिया और अनौपचारिक प्रक्रिया स्पेक्ट्रम के दो पहलु हैं और विभिन्न प्रकार की अर्ध–औपचारिक प्रक्रियाएं, जो दोनों के तत्वों को मिलाती हैं, हितधारकों की सुविधा के अनुरूप मौजूद हो सकती हैं। सबसे लोकप्रिय अर्ध–औपचारिक विकल्प प्री–पैक है, जो हितधारकों के मध्य अनौपचारिक समझ के साथ शुरू होता है, मध्य में औपचारिक रूप से उनके साथ जुड़ता है, और परिणाम के न्यायिक आशीष के साथ समाप्त होता है। दुनिया भर में दिवाला कानून प्री–पैक का रूप प्रदान करते हैं, हालांकि बारीकियां अलग–अलग क्षेत्राधिकारों में भिन्न–भिन्न होती हैं। भारत में औपचारिक प्रक्रियाओं (सीआईआरपी के अधीन निकासी, कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन समझौता या व्यवस्था और आरबीआई के विवेकपूर्ण ढांचे) में प्री–पैक के कुछ तत्व हैं।

सीआईआरपी की तुलना में, प्रीपैक आमतौर पर अधिक लचीला, लागत प्रभावी, समय प्रभावी, व्यवसाय के लिए कम विघटनकारी और कलंक से रहित और समूह दिवाला के लिए अधिक अनुकूल होता है। यह पुनर्गठन की संभावना को बढ़ाता है और अदालतों और आईपी की सीमित भूमिका निभाता है। हालाँकि, इसमें 'सीरियल प्रीपैकिंग' जैसे सरोकारों का हिस्सा है (नियंत्रण करने वाले पक्ष कंपनी को बचाने की बजाय कर्ज से बचने के लिए कंपनी का अधिग्रहण करते हैं)। औपचारिक प्रक्रिया शुरू करने से पहले हितधारकों के समूह के बीच निजी बातचीत और समझ, जो इसके लाभों में योगदान करती है, अक्सर चिंता का प्रमुख स्रोत होता है। हालांकि बाजार की प्रथाओं से निकला, प्रीपैक औपचारिक होता जा रहा है और चिंताओं को दूर करने के लिए इसे विनियमित किया जा रहा है।

बाजार कुछ समय से प्रीपैक समाधान प्रक्रिया की वकालत और आशा कर रहा है। आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने भारत केंद्रित प्री–पैक की सिफारिश करने के लिए आईएलसी की उप–समिति का गठन किया था। संहिता की मूल संरचना के भीतर, उप–समिति ने प्री–पैक प्रक्रिया तैयार की है जहां एफसी का व्यापक नियंत्रण होता है, कंपनी प्रक्रिया के दौरान अधिस्थगन का आनंद लेती है, और परिणाम सभी पर बाध्यकारी होता है।

प्रस्तावित प्रीपैक दिवाला समाधान का प्रक्रिया प्रवाह चित्र में प्रस्तुत किया गया है।

चित्र: प्रस्तावित प्री-पैकेज्ड दिवाला समाधान प्रक्रिया का एक प्रक्रिया प्रवाह

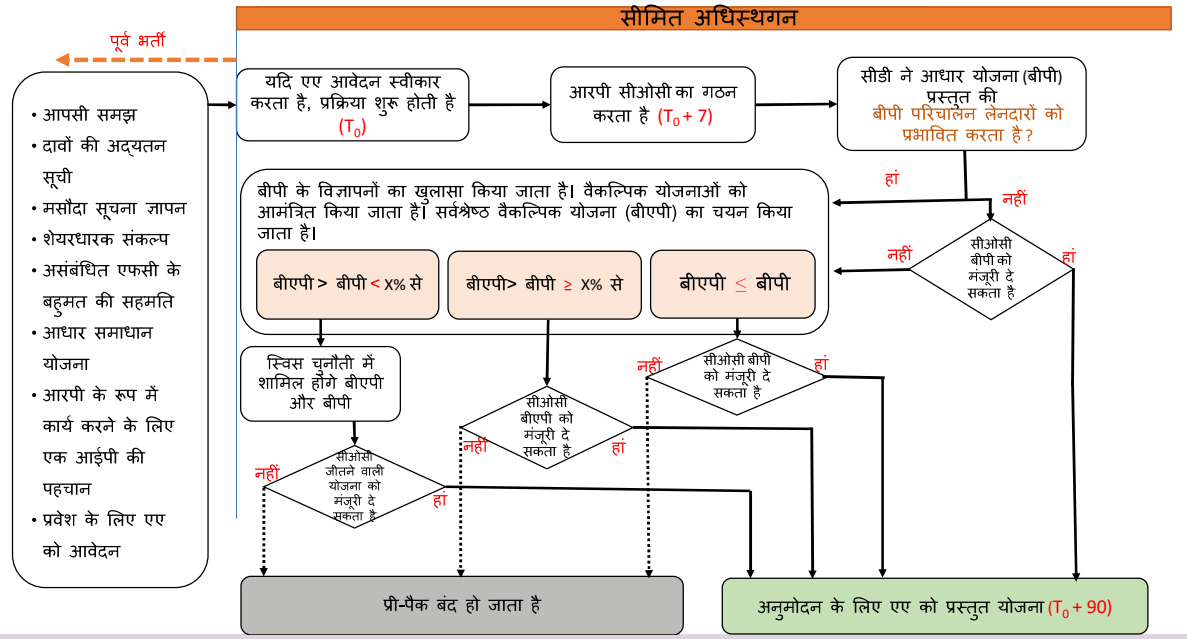


संहिता के अंतर्गत दिवाला व्यवस्थाओं के विकास में प्री–पैक्स की शुरुआत एक स्वाभाविक कदम है। यह तनाव के समाधान के विकल्पों के मेनू को समृद्ध करेगा और भारतीय दिवाला यात्रा को अगले स्तर पर ले जाएगा।

**बॉक्स 8 : समाधानशीलता : कंपनियों की सजीव इच्छा**

कंपनी का जीवन उतना ही कीमती होता है जितना कि किसी इंसान का। कंपनी के जीवन के लिए जोखिम को कम करने और अपने जीवन के लिए गंभीर खतरे का अनुभव होने पर इसे बचाने के लिए मानदंडों को निर्धारित करके, संहिता ने कारपोरेट प्रशासन को नई ऊंचाइयों पर ले लिया है।

एक कंपनी अपने जीवन के लिए कई जोखिमों का सामना करती है। एक कंपनी के प्रवर्तकों और प्रबंधकों को जोखिमों का अनुमान लगाने, जोखिम की रोकथाम के लिए प्रदान करने और जोखिम कम करने की योजना बनाने की आवश्यकता है। उन्हें योजना बनाने की जरूरत है, उदाहरण के लिए, कंपनी के साथ–साथ उसके व्यवसाय को बचाने के लिए, यदि वह तनाव में है। संहिता में तनाव में किसी कंपनी को बचाने के लिए सीआईआरपी का प्रावधान है। सीआईआरपी बचावकर्ताओं – लेनदारों और आरए को एक साथ लाता है ताकि तनावग्रस्त कंपनी को बचाने के लिए और एए, आईयू और आईपी के लिए बचाव प्रक्रिया की निश्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। यह टीम कंपनी के लिए अंजान है। यह उस समय सामने आती है जब कंपनी तनाव का अनुभव करती है और उसे कंपनी को बचाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। हालाँकि, इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि कंपनी कितनी सुरक्षित है। चूंकि सीआईआरपी कंपनी को समाधान योजना के माध्यम से बचाता है, इसलिए अक्सर 'बचाव–योग्य' के स्थान पर 'समाधानशील' शब्द का उपयोग किया जाता है। 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बीच बड़ी वित्तीय फर्मों के समाधान के संदर्भ में 'समाधान शीलता' शब्द ने गति प्राप्त की, जिन्हें कई देशों में, तनाव के समाधान के लिए संस्थागत क्षमता की आवश्यकता होती है।

लेनदारों ने व्यक्ति और या उसकी संपत्ति के विरुद्ध, व्यतिक्रम के मामले में, विभिन्न उपायों का प्रयोग किया है। चूंकि ये उपाय, संपार्श्विक और व्यक्तिगत प्रत्याभूति सहित, अपर्याप्त साबित हुए, उन्होंने ऋण चुकाने के लिए कंपनी की क्षमता, व्यावसायिक क्षमता और प्रबंधन क्षमता का प्रतिनिधित्व करने के लिए ध्यान केंद्रित किया। हाल के दशकों में कई कानूनों ने ऋण वसूली के उनके अधिकारों को मजबूत किया और ऐसे अधिकारों को लागू करने के लिए विशेश मंच प्रदान किया। हालांकि वसूली पर ध्यान केंद्रित किया गया और समाधान पर नहीं, इन कानूनों के अधीन वसूली कंपनी के पास उपलब्ध संपत्ति के परिसमापन मूल्य तक सीमित है। सीआईआरपी की उपलब्धता के साथ, लेनदारों ने व्यतिक्रम के मामले में, वसूली की संभावना से समाधान की संभावना पर फिर से ध्यान केंद्रित किया है, जिससे कंपनी जीवित रहती है जबकि वे तीसरे पक्ष से अपने बकाया की वसूली करते हैं। जैसा कि डेटा इंगित करता है, लेनदारों को सीआईआरपी के अधीन समाधान योजनाओं के माध्यम से औसतन लगभग 200 प्रतिशत परिसमापन मूल्य की वसूली हो रही है, क्योंकि कंपनी का, संभवतः उच्च दक्षता के साथ, व्यवसाय के साथ जारी है।

कंपनी को समाधानशील रखने का मुख्य उद्देश्य जरूरत पड़ने पर समाधान की संभावना को बढ़ाना है। यह संभावना अधिक रहती है यदि इसका मूल्य है, और ऐसा मूल्य ऋण–भार से मुक्त है, यह समझदार व्यक्ति को दिखाई पड़ जाता है, और किसी भी आरए द्वारा आसानी से वसूली योग्य है। यह सम्भावना कम रहती है, यदि मूल्य, अनौपचारिक, ऑफ–द–रिकार्ड व्यवस्थाओं में, प्रवतकों के व्यक्तिगत संबंध, विवादित अधिकार, जटिल संरचनाएं और आकस्मिक अनुबंध या परिहार लेनदेन में व्यवस्थित है। इसी तरह, सीआईआरपी के शीघ्र शुरू होने और इसके शीघ्र बंद होने से समाधान की संभावना में सुधार होता है। यदि दीक्षा का विरोध किया जाता है और / या प्रक्रिया लंबी हो जाती है, तो समाधान को दूर करने के लिए मूल्य कम हो जाता है।

तनाव की संभावना को कम करने और समाधान की संभावना में सुधार करने के लिए, कंपनी एक प्रकार की सजीव इच्छा रखने पर विचार कर सकती है, जिसे नियमित अंतराल पर अद्यतन किया जाता है, जो समाधान के लिए निदेशित मार्ग प्रदान करता है और वहन करता है:

(क) संबंधित पक्षों के साथ संबंधों और व्यवहार की प्रकृति के साथ अद्यतन कारपोरेट संरचना;
(ख) कंपनी की आस्ति और देनदारियों के बारे में पूरी जानकारी के साथ अद्यतन और विश्वसनीय बही खाते, जो व्यतिक्रम और दावों से संबंधित विवादों से बचाते हैं;
(ग) शेल्फ पर अद्यतन और प्रामाणिक सूचना ज्ञापन, जिसे आरपी बाहर निकाल सकता है और हितधारकों के साथ साझा कर सकता है ताकि वे सीआईआरपी शुरू होने पर समाधान योजना तैयार कर सकें;
(घ) विवादों, भारों और मुकदमों के संक्षिप्त विवरण के साथ सामग्री अनुबंधों, परिसंपत्तियों और देनदारियों का विवरण;
(ड़) कंपनी और उसके प्रबंधन द्वारा कानून के उपबंधों के कथित उल्लंघन की चल रही कार्यवाही, यदि कोई हो, का विवरण;
(च) प्रबंधन और नियंत्रण के सुचारू और घर्शण रहित बदलाव को सुनिश्चित करने के लिए उपयोगकर्ता के अनुकूल गाइड, निदेशक मंडल से आईआरपी और फिर आरपी और अंत में सफल आरए के लिए, व्यवसाय में किसी भी व्यवधान के बिना;
(छ) कंपनी का अधिग्रहण करने में आरपी के साथ सहयोग के लिए मैनुअल और मूल्य को अधिकतम करने के लिए इसे जारी कंसर्न के रूप में रखने के लिए;
(ज) कंपनी को चालू रखने के लिए महत्वपूर्ण निर्भरता के लिए बैक–अप रणनीति;
(झ) हितधारकों के साथ समय पर और उचित संचार सुनिश्चित करने के लिए योजना;
(ञ) यह घोशणा कि यह प्रासंगिक अवधि के दौरान किसी भी परिहार लेनदेन के अधीन नहीं है;
(ट) सीआईआरपी शुरू होने की तारीख से लेनदारों को संभावित नुकसान का अनुमान;
(ठ) यह पुश्टिकरण कि उसने आईयू के साथ वित्तीय जानकारी प्रदान की है और प्रमाणित किया है;
(ड) उन परिस्थितियों का विवरण जब कंपनी अपनी इच्छा से समाधान प्रक्रिया शुरू करना चाहती है और कंपनी के लिए विभिन्न समाधान विकल्पों की उपयुक्तता;
(ढ) यह वक्तव्य कि क्या कार्यवाहक संहिता की धारा 29क के अधीन पात्र हैं; तथा
(ण) संभावित आरए के लिए मॉडल के रूप में काम करने के लिए कुछ संभावित समाधान योजनाएं।

कंपनी को सबसे अधिक लाभ तभी होगा, जब उसका समाधान किया जा सकेगा। यदि यह समाधान–योग्य नहीं है, तो तनाव के मामले में इसकी स्वाभाविक मृत्यु होने की अधिक संभावना है, और लेनदारों को इसके परिसमापन के माध्यम से बहुत कम वसूली होगी। यदि यह समाधान योग्य है, तो लेनदारों के लिए उचित वसूली सुनिश्चित करते हुए, सीआईआरपी इसे बचा लेगा। समाधान योग्य कंपनी अन्य कंपनियों की तुलना में कम लागत पर पूंजी तक बेहतर पहुंच के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करती है, जो समाधान की आवश्यकता से भी बच सकती है। कंपनी के कार्यवाहक लाभ के लिए खड़े हैं क्योंकि उन्हें प्रतिस्थापन का खतरा नहीं होगा, और समाधान की संभावना की आवश्यकता नहीं होने पर, उनके सफल आरए होने की सबसे अधिक संभावना है। इस प्रकार, कंपनी को हल करने योग्य रखना कार्यवाहक, कंपनी और लेनदारों के लिए जीत है।

समाधानशीलता, तेजी से बचाव रणनीतियों को लागू करने के लिए कंपनी की तत्परता को दर्शाती है, अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा और नवाचार की तीव्रता बढ़ने के कारण अनिवार्य है। किसी कंपनी की शोधन क्षमता की सीमा को मापने के लिए सूचकांक जल्द ही विकसित होना चाहिए। प्रत्येक कंपनी को उच्च शोधनीयता सूचकांक के लिए होड़ करना चाहिए, क्योंकि इससे समाज का सम्मान और हितधारकों से प्रीमियम प्राप्त होगा। बाजार को ऐसी कंपनी के साथ डील करना पसंद करना चाहिए, जिसके पास समाधानशीलता का उच्च सूचकांक है, क्योंकि यह 'क्या होगा यदि' स्थितियों को संबोधित करता है। यह कंपनियों के लचीलेपन को मजबूत करेगा और ऋण उपलब्धता में सुधार करेगा, और इस तरह विकास को बढ़ावा देगा।

में दिवाला और शोधन अक्षमता शुरू होना चाहिए क्योंकि इसके लिए पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित है।

व्यक्तिगत दिवाला के संदर्भ में, इसके आर्थिक पहलुओं के अलावा, देनदारों और संबंधित परिवार के सदस्यों पर इसके सामाजिक प्रभाव के संदर्भ में बड़े और संवेदनशील अर्थ हैं, सांस्कृतिक व्यवस्था जिसमें दिवाला समाधान ढांचा संचालित होता है और सामाजिक परिप्रेक्ष्य व्यक्तिगत दिवाला से जुड़ा हुआ है। **बॉक्स 9** दिवाला कानून के व्यापक सामाजिक प्रभाव का विवरण प्रस्तुत है।

## मध्यस्थता

मध्यस्थता वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) का रूप है जिसमें तीसरा तटस्थ पक्ष सौहार्दपूर्ण समाधान और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समझौते तक पहुंचने में विवादित पक्षों की सहायता करने का प्रयास करता है। यह विवाद समाधान का सरलीकृत तरीका है जहां तृतीय पक्ष संचार और बातचीत के माध्यम से पक्षों के बीच विवाद को हल करने के लिए मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। दिवाला विवादों के समाधान के लिए मध्यस्थता का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। यह न केवल एए के केसलोड को कम करेगा बल्कि बड़े दिवाला मामलों में जहां प्रक्रियाएं अधिक जटिल हो सकती हैं, मध्यस्थता प्रक्रिया को तेज कर सकती है और इसे और अधिक किफायती बना सकती है, जिससे लेनदारों को संतुष्ट करने के लिए आस्तियों में अधिक मूल्य छोड़ दिया जाता है। सामान्य तौर पर, मध्यस्थता ने पिछले कुछ दशकों में दिवाला विवादों में बड़ा बदलाव देखा है। यह न्यायनिर्णयन का प्रतिकार बन गया है और पक्षों को अभियोग फाइल करने की बजाय ऋण चुकौती पर बातचीत करने की अनुमति देकर दिवाला विवादों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए उपयुक्त तंत्र के रूप में मान्यता प्राप्त की है। ई–मध्यस्थता विवाद समाधान के लिए विशेश रूप से कोविड–19 महामारी के समय में सफल विकल्प बनकर उभरा है। **बॉक्स 10** संहिता के अधीन समाधान के लिए तंत्र के रूप में मध्यस्थता पर चर्चा करता है।

## सीमा पार दिवाला

कारपोरेट दिवाला से संबंधित उपबंधों के कार्यान्वयन में उल्लेखनीय प्रगति के साथ, यह अधिक व्यापक, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य, सीमा पार दिवाला व्यवस्था के बारे में सोचने का समय है। सीमा पार दिवाला (मॉडल लॉ) पर युएनसीआईटीआरएएल मॉडल कानून, जिसे विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है और स्वीकार्य है, मार्गदर्शन के लिए उपलब्ध है। इसे 46 न्यायालयों द्वारा अपनाया गया है। यह घरेलू कार्यवाही को प्राथमिकता देकर और आदर्श कानून के अधीन राहत से इनकार करने की अनुमति देकर देश के घरेलू दिवाला कानून की पूर्ण मान्यता सुनिश्चित करता है यदि ऐसी राहत देश की सार्वजनिक नीति के विरुद्ध है। यह विदेशी कार्यवाही की मान्यता से संबंधित मुद्दों; एक ही देनदार से संबंधित कार्यवाही का समन्वयय विदेशी लेनदारों के अधिकारय विदेशी दिवाला प्रतिनिधियों के अधिकार और कर्तव्य; और विभिन्न न्यायालयों में अधिकारियों के बीच सहयोग को संबोधित करता है। इसे भारत की विशिश्ट आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त संशोधनों के साथ अपनाने पर विचार किया जा सकता है।

आईएलसी ने 16 अक्टूबर, 2018 को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कुछ कारपोरेट एक से अधिक क्षेत्राधिकार में कारोबार करते हैं और आस्तियां रखते हैं, विश्व स्तर पर स्वीकृत और अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त सीमा पार दिवाला ढांचे को पेश करने के लिए संहिता में एक अध्याय जोड़ने का प्रस्ताव किया था। ढांचे के कार्यान्वयन से सीडी के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संरेखित और व्यापक दिवाला ढांचा तैयार होगा, जो वैश्वीकृत वातावरण में आवश्यक है। आईएलसी द्वारा अनुशंसित के रूप में मॉडल कानून को अपनाने के प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं: (क) विदेशी निवेश में वृद्धि (ख) वैश्विक रूप से स्वीकृत ढांचे को अपनाते हुए घरेलू दिवाला कानून के साथ निरंतरता बनाए रखने के लिए लचीलापन; (ग) विदेशी कार्यवाही की मान्यता से इनकार करने या किसी अन्य सहायता के प्रावधान को सक्षम करके घरेलू हितों की सुरक्षा यदि ऐसी कार्रवाई घरेलू सार्वजनिक नीति के विपरीत है; (घ) विदेशी कार्यवाही की तुलना में घरेलू दिवाला कार्यवाही को अधिमानता देते हुए घरेलू कार्यवाही को प्राथमिकता; और (ड) समवर्ती कार्यवाही के तेज और प्रभावी संचालन की सुविधा के लिए विदेशी क्षेत्राधिकार में और घरेलू स्तर पर अदालतों और आईपी के बीच सहयोग के लिए तंत्र।

भारत में सीमा पार दिवाला शुरू करने पर काम शुरू करने के लिए, सरकार ने डॉ. के.पी. कृश्णन की अध्यक्षता में सीमा पार दिवाला नियम/विनियमन समिति का गठन किया, जो सीमा पार दिवाला के कार्यान्वयन के लिए नियमों और विनियमनों का मसौदा तैयार करती है। समिति ने 15 जून, 2020 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी।

**बॉक्स 9 : दिवाला कानून के सामाजिक प्रभाव**

जनता के सामने लेनदार(रों) के ऋणों का भुगतान करने में किसी की विफलता या अक्षमता की घोशणा करने का विचार शर्मनाक और कलंकित करने वाला हो सकता है, जिससे गंभीर चोट, अपराधबोध, शर्म और कलंक की भावना हो सकती है। यह स्वयं ऋणी को दिवाला राहत प्राप्त करने के लिए हतोत्साहित करता है। व्यक्तिगत शोधन अक्षमता कानून के विकास में सामाजिक आस्थाओं और विश्वासों की भूमिका का अध्ययन करने की आवश्यकता है, प्राचीन शोधन अक्षमता मानदंडों से जुड़े सामाजिक कलंक और देनदार के शरीर से वसूली के उद्देश्य से कानून के विकास से संपत्ति से वसूली के लिए कानून का विकास देनदार। देनदार व्यक्ति के दिवाला के विभिन्न प्राचीन रूप और प्रथाएं हैं जिनका लोगों द्वारा हिंदू कानून, मिस्र और ग्रीक कानूनों, हम्मुराबी की संहिता आदि के अधीन पालन किया जाता था।

दिवाला की अवधारणा व्यक्ति के सामाजिक और आर्थिक पहलुओं से दृढ़ता से जुड़ी हुई है। सामाजिक बंधनों के संबंध में दिवाला अपमान को समझना आसान है। कर्ज लेने के साथ कर्ज चुकाने का संविदात्मक और नैतिक दायित्व पैदा हो जाता है। ऐसा करने में विफलता, देनदार को आमतौर पर गंभीर कानूनी प्रतिबंधों के साथ–साथ नैतिक दायित्व का उत्तरदायी भी बनाती है, चाहे वह स्व–धारित हो या समाज द्वारा लागू किया गया हो। शोधन अक्षमता कानून का व्यक्ति से संपत्ति में संक्रमण स्पश्ट रूप से समझाया गया है। दूसरे शब्दों में, शोधन अक्षमता कानून पहला, एक दूसरे से और दूसरा, उनके देनदार से लेनदारों की रक्षा करना चाहता है। निश्पादन के रूप (यानी व्यक्ति से संपत्ति में) से दूसरे में परिवर्तन, धीमा और क्रमिक था, इस स्थिति से कानूनी प्रक्रिया के सामान्य विकास का उदाहरण है, इस चरण को ध्यान में रखते हुए प्रतिशोध अंत है जहां मुआवजा प्रमुख अभीष्ट है। बहुत से लोग इस साधारण आकलन को स्वीकार नहीं करेंगे कि 'शोधन अक्षमता केवल आर्थिक तथ्यों का कानूनी परिणाम है,' और इसका जवाब होगा कि सामाजिक कलंक के परिणाम (और प्रत्याशा), किसी की प्रतिष्ठा और किसी के 'अच्छे नाम' पर दाग ऐसे कारक हैं, जिसे दिवाला की घोशणा के निर्णय को समझने के प्रयास में इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

वर्तमान व्यक्तिगत दिवाला व्यवस्थाओं को समझने के लिए, भारत में प्रचलित स्वतंत्रता–पूर्व कानूनों पर गौर करने की आवश्यकता है। भारत में दिवाला कानून, अधिकांश अन्य कानूनों की तरह, इसकी उत्पत्ति अंग्रेजी कानून के कारण हुई है। अंग्रेजों के भारत आने से पहले देश में दिवाला का कोई स्वदेशी कानून नहीं था। 16वीं शताब्दी और उसके बाद के वर्शों में पहले के कानून में शोधन अक्षमता के बारे केवल प्राथमिक उपबंध थे। इस विशय पर महत्वपूर्ण कानून 1849, 1869, 1883 और 1914 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित शोधन अक्षमता अधिनियम हैं। दिवाला कानून की आवश्यकता सबसे पहले बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास के तीन प्रेसीडेंसी शहरों में महसूस की गई थी जहाँ अंग्रेज अपना व्यापार और व्यावसायिक कार्यकलाप कर रहे थे। भारत सरकार अधिनियम, 1800 में धारा 23 और धारा 24 में फोर्ट विलियम्स, मद्रास में उच्चतम न्यायालय और बॉम्बे में रिकार्डर कोर्ट में दिवाला क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया था। 1828 में, भारत में दिवाला कानून की शुरुआत संविधि 9 के पारित होने के साथ हुई थी। इसके द्वारा, दिवाला देनदारों को राहत देने के लिए प्रेसीडेंसी–कस्बों में पहले दिवाला न्यायालय स्थापित किए गए थे। न्यायालयों को 'दिवाला देनदार राहत न्यायालय' कहा जाता था। 1848 में पारित किया गया भारतीय दिवाला अधिनियम ऐसा कानून था, जो कुछ पहलुओं में व्यापारियों और गैर–व्यापारियों के बीच अंतर करता था (जैसे इंग्लैंड में शोधन अक्षमता कानून, लेकिन इसमें खामियां थीं और इसलिए असफल रहा)। बाद में, प्रांतों (मुफस्सिल) के लिए प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1920 पारित किया गया। तब से, व्यक्तिगत दिवाला का निर्णय इन दो पुरातन कानूनों अर्थात प्रेसीडेंसी टाउन्स इन्सॉल्वेंसी एक्ट, 1909 और द प्रोविजनल इन्सॉल्वेंसी एक्ट, 1920 द्वारा किया जाता था। अधिनियम समाज की बदलती जरूरतों के साथ विकसित होने में विफल रहे और कारावास के सख्त उपबंध ईमानदार को कलंकित करते रहे। विफलताएं 19वीं शताब्दी तक, ऋणों का भुगतान न करने के लिए देनदारों को राज्य की जेलों में कैद करने की प्रथा, बॉम्बे में प्रथा बन गई।

इस प्रकार, भारत के लिए एकल शोधन अक्षमता कानून की आवश्यकता महसूस की गई, जहां 65% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित है। ग्रामीण विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने पर केंद्रित है। ग्रामीण विकास में ऋण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि किसानों द्वारा फसल तैयार होने तक बीज, उर्वरक, उपकरण आदि पर प्रारंभिक निवेश को पूरा करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। किसान मुख्य रूप से ग्रामीण स्तर के साहूकारों और अन्य अनौपचारिक एजेंटों से धन उधार लेते हैं जो मोटी ब्याज दर वसूलते हैं। किसान संकट की समस्या को दूर करने के लिए, भारत सरकार ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद औपचारिक बैंकिंग नेटवर्क को ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तारित करने में प्रगति की है। इसी तरह के कई अन्य समाजों में, स्वयं को दिवाला घोषित करना समाज द्वारा नीची नजर से देखा जाता है और इसकी निंदा की जाती है। दिवाला का टैग अपने साथ धोखेबाज और कपटी का टैग लाता है।

व्यापक आकार, विविधता, अद्वितीय सामाजिक ताने–बाने और समाज के कमजोर वर्गों को ध्यान में रखते हुए, जहां व्यक्ति दिवाला की स्थिति में है, दिवाला कानून को विशेश रूप से शर्म और कलंक के सांस्कृतिक संदर्भ के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है। वित्तीय विफलता के प्रवेश के संदर्भ में, क्योंकि ये धारणाएं देनदारों की प्रभावी भागीदारी को रोक सकती हैं। 'ईमानदार लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण' देनदारों को राहत प्रदान करना लंबे समय से व्यक्तियों के लिए दिवाला व्यवस्थाओं का प्राथमिक उद्देश्य रहा है। आईबीसी भारत में व्यक्तिगत दिवाला व्यवस्था में एक नवाचार है और समाज के एक बड़े वर्ग को प्रभावित करता है। यह नई व्यक्तिगत शोधन अक्षमता व्यवस्था की अनूठी विशेषताओं को उजागर करते हुए, संहिता के व्यक्तिगत दिवाला उपबंधों में अंतर्दृष्टि भी प्रदान करता है। आईबीसी दिवाला और शोधन अक्षमता के लिए एकल कानून बनाकर मौजूदा ढांचे को समेकित करता है। इस भावना में, संहिता का भाग III व्यक्तियों के लिए तीन प्रक्रियाओं अर्थातः नई शुरुआत प्रक्रिया, दिवाला समाधान प्रक्रिया और शोधन अक्षमता प्रक्रिया का प्रावधान करता है।

यह निर्विवाद है कि संहिता को आर्थिक कानून के रूप में मान्यता दी गई है, लेकिन व्यक्तिगत दिवाला से जुड़े सामाजिक परिप्रेक्ष्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। संहिता का उद्देश्य दिवाला के मानदंडों से जुड़े कलंक के मानसिक बंधनों को दूर करना और लोगों के लिए एक कानून के रूप में उभरना है। शोधन अक्षमता कानून को आम तौर पर विशुद्ध रूप से आर्थिक कानून माना जाता है। हालांकि, व्यक्तिगत दिवाला के संदर्भ में, यह प्राथमिक रूप से तो नहीं, सामाजिक रूप से कानून है।

संहिता अति–ऋणग्रस्त व्यक्तियों को अपने ऋणों से मुक्ति का लाभ उठाने की अनुमति देकर एक नई शुरुआत की परिकल्पना करती है। ऐसा करने से, यह देनदार को ऋण के बोझ से मुक्त करता है और उसके निर्वाह के लिए न्यूनतम संपत्ति को अलग करता है, जबकि लेनदारों के लिए वसूली की संभावनाओं में सुधार करता है, जिससे निश्पक्षता और इक्विटी सुनिश्चित होती है। भारतीय संदर्भ में, व्यक्तिगत दिवाला न केवल इसमें शामिल देनदारों और लेनदारों के लिए–बल्कि अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

संहिता दिवाला कानून के विकास में मील का पत्थर स्थापित करती है जो दिवाला कानून के इतिहास में देनदार व्यक्ति से देनदार की संपत्ति में संक्रमण के समकक्ष है। व्यतिक्रम की स्थिति में देनदार की गिरफ्तारी के उपबंध को विलोप कर दिया गया हैंय इसके बजाय, देनदार की संपत्ति बीटी में निहित है, जो देनदार की संपत्ति का प्रबंधन करता है। भाग III के अधीन प्रक्रियाओं के लिए अपनाए गए दृष्टिकोण, इस तर्क पर आधारित हैं कि व्यक्तिगत दिवाला के सरोकारों को संबोधित करना संवेदनशील मामला है क्योंकि यह समाज के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक गुणों को आकर्षित करता है और अधिकांश रूप से मानवीय सहानुभूति के तर्क पर आधारित है।

यहां यह उल्लेख करना उचित है कि संहिता ने वित्तीय विफलता के प्रवेश के संदर्भ में शर्म और कलंक के सांस्कृतिक संदर्भ को संबोधित किया है, क्योंकि ये धारणाएं देनदारों की प्रभावी भागीदारी को रोक सकती हैं। दिवाला होने की स्थिति से जुड़े सामाजिक कलंक के सभी संबंधित पहलुओं पर विचार करते हुए संहिता

के उपबंधों का मसौदा तैयार किया गया है। अब, देनदार अपने दम पर आगे आने और दिवाला समाधान का विकल्प चुनने से कतरा नहीं रहे हैं।

संहिता के उपबंधों को क्रमबद्ध तरीके से और आवश्यकता–आधारित आधार पर अधिसूचित किया गया है। हालांकि यह अभी अधिसूचित नहीं है, फिर भी संहिता ने अपने वर्तमान स्वरूप में ऐसे सभी व्यक्तियों को आशा की किरण दिखाई है जो ईमानदार विफलता और पिछले कठोर कानूनों का शिकार हुए हैं। लोगों के बीच वित्तीय साक्षरता की आवश्यकता समय की मांग है। नागरिकों को संहिता में उनके लिए प्रदान किए गए बचाव तंत्र के बारे में संवेदनशील और शिक्षित करने की आवश्यकता है। संहिता अपने वर्तमान स्वरूप में न केवल दिवाला होने की स्थिति से जुड़े कलंक को दूर करती है बल्कि देनदार को सम्मानजनक अस्तित्व की संभावनाओं के साथ सम्मानजनक निकास भी प्रदान करती है।

**बॉक्स 10 : संहिता के अधीन समाधान तंत्र के रूप में मध्यस्थता**

मध्यस्थता विवाद समाधान प्रक्रिया है जिसमें पक्ष तटस्थ तृतीय–पक्ष सुविधाकर्ता, मध्यस्थ की सहायता से समझौता करके अपने विवाद को सुलझाने का प्रयास करते हैं। दिवाला और शोधन अक्षमता के मामलों में मध्यस्थता की प्रक्रिया न केवल पक्षों के बीच विवाद के समाधान की सुविधा प्रदान करेगी बल्कि संहिता के उद्देश्य को पूरा करने में भी सहायता करेगी।

संहिता में मध्यस्थता के तंत्र को शामिल करके, सीडी और लेनदारों को भारी व्यया किए बिना कम समय में अपने मतभेदों या दावों को निपटाने और सीडी को जारी कंसर्न के रूप में बनाए रखने के बड़े उद्देश्य को प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।

मध्यस्थता की प्रक्रिया, सीडी के दिवाला और शोधन अक्षमता के विभिन्न चरणों में प्रदान की जा सकती है, विवादों का इलाज और समाधान, जो अन्यथा दिवाला समाधान की नियमित प्रक्रिया के माध्यम से हल नहीं किया जा सकता है। संहिता के अधीन, मध्यस्थता का पहला चरण पूर्व–अभियोग चरण में हो सकता है, यानी जब लेनदार को संहिता की धारा 9 के अधीन आवेदन दाखिल करना बाकी है। ओसी का दावा उत्पन्न होने के बाद, लेनदार द्वारा देनदार को मांग नोटिस भेजा जाना आवश्यक है। देनदार को विवाद के अस्तित्व की सूचना देने के लिए उसी का उत्तर देना आवश्यक है। इस बिंदु पर, मध्यस्थता की प्रक्रिया प्रदान की जा सकती है और लेनदार या देनदार को ऐसी स्थिति में मध्यस्थता शुरू करने की अनुमति दी जा सकती है। प्रक्रिया को समयबद्ध बनाया जा सकता है ताकि दिवाला प्रक्रिया में देरी न हो।

मध्यस्थता तब भी प्रदान की जा सकती है जब एए के समक्ष आवेदन किया गया हो और सीडी द्वारा प्रवेश का विरोध किया जा रहा हो। लेनदार से पूछा जा सकता है कि क्या वे मध्यस्थता की संभावना तलाशना चाहते हैं और विवाद को निपटाने के लिए भेजना चाहते हैं। मध्यस्थता की यह प्रक्रिया समयबद्ध होगी और पक्षकारों और मध्यस्थों को समय–सीमा का कड़ाई से पालन करना होगा।

सीआईआरपी शुरू होने के बाद, फिर से मध्यस्थता प्रक्रिया प्रदान की जा सकती है। मध्यस्थ की उपस्थिति में एक तरफ सीओसी और दूसरी तरफ देनदार के साथ मध्यस्थता की जा सकती है। कर्मचारी दावों और अन्य छोटे दावों को मध्यस्थता के माध्यम से हलधनिपटाया जा सकता है। अच्छी तरह से परिभाशित समय–सारणी हो सकती है जिसके भीतर मध्यस्थता पूरी की जानी है और इस समय के भीतर, सीआईआरपी आगे नहीं बढ़ सकता है। सीआईआरपी के लिए परिकलित कुल समय के प्रयोजन के लिए मध्यस्थता के लिए लिए गए समय को बाहर रखा जा सकता है।

मध्यस्थता की इस प्रक्रिया का उपयोग उन मामलों में किया जा सकता है जहां कई दावेदार हैं जैसे कर्मचारी दावों या घर खरीदारों के मामलों में या ऐसे मामलों में जहां समाधान योजना अच्छी है लेकिन सीओसी समाधान योजना को मंजूरी नहीं देता है। ऐसी कई स्थितियाँ हो सकती हैं जो सीआईआरपी के दौरान उत्पन्न होती हैं और मध्यस्थता की मदद से हल की जा सकती हैं। समयसीमा प्रदान की जानी चाहिए ताकि मध्यस्थता की प्रक्रिया किसी भी तरह से हस्तक्षेप न करे या दिवाला समाधान प्रक्रिया में देरी करने के लिए तंत्र के रूप में उपयोग न किया जाए। समयबद्ध मध्यस्थता महत्वपूर्ण है और इसलिए, समय–सीमा को परिभाशित किया जा सकता है और पार्टियों और मध्यस्थों द्वारा कड़ाई से पालन किया जा सकता है।

**अंतरराष्ट्रीय शिक्षा**

संयुक्त राज्य अमेरिका में 1986[106] में दिवाला मामलों के लिए मध्यस्थता या एडीआर पेश किया गया था। 1986 में, कैलिफोर्निया के दक्षिणी जिले के शोधन अक्षमता न्यायालय ने मध्यस्थता कार्यक्रम की स्थापना की। कुछ साल बाद, ग्रेहाउंड लाइन्स इंक के दिवाला होने पर मध्यस्थता का उपयोग किया गया और पूर्व–संगठन मध्यस्थता योजना उन हजारों दावेदारों के लिए तैयार की गई जिन्होंने ग्रेहाउंड वाहनों से जुड़े यातायात दुर्घटनाओं के संबंध में कंपनी के विरुद्ध दावे लाए थे।

1998[107] में, कांग्रेस ने वैकल्पिक विवाद समाधान अधिनियम (एडीआर अधिनियम) अधिनियमित किया। एडीआर अधिनियम में अपेक्षित था कि संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रत्येक जिला न्यायालय 'धारा 2071(क) के अधीन अपनाए गए स्थानीय नियम द्वारा, शोधन अक्षमता में प्रतिकूल कार्यवाही सहित, सभी सिविल कार्यों में वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रियाओं का उपयोग के लिए अधिकृत करेगा। संविधि स्पश्ट रूप से शोधन अक्षमता पर लागू है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में शोधन अक्षमता प्रक्रियाओं के साथ एडीआर[108], विशेष रूप से मध्यस्थता का मिश्रण बड़े मामलों के साथ–साथ छोटे व्यक्तिगत शोधन अक्षमता कार्यवाही के लिए तेजी से उपयोग किया जा रहा है। ऐसा ही एक उदाहरण लेहमैन ब्रदर्स है जो अब तक का सबसे बड़ा शोधन अक्षमता दायर किया गया है। लेहमैन बंधुओं ने समाधान के साधन के रूप में एडीआर के लिए अनुरोध किया, यह देखते हुए कि यह समय और लागत बचत है।

फ्रांसीसी दिवाला कानून[109] दो विशेष प्रक्रियाओं: तदर्थ जनादेश और सुलह की व्यवस्था करता है। जर्मनी[110] में, दिवाला योजना, प्रक्रिया देनदार और लेनदारों को बातचीत द्वारा दिवाला योजना को समाप्त करने में सक्षम बनाती है।

**निश्कर्ष**

मध्यस्थता की प्रक्रिया पक्षों को सूचित निर्णय लेने की अनुमति देती है। मध्यस्थता की पूरी प्रक्रिया पक्षों के नियंत्रण में होती है और समझौता तभी होता है जब सभी पक्ष अपनी मर्जी से और स्वेच्छा से समझौते को स्वीकार करें। मध्यस्थता प्रक्रिया पक्षों के बीच विश्वास वापस लाती है। इस बात की संभावना है कि यदि मध्यस्थता प्रक्रिया सफल हो जाती है तो सीडीआईएस अपनी जारी कंसर्न की स्थिति को बनाए रखने में सक्षम है। मध्यस्थता लाभदायक, लागत प्रभावी, समय मित्त–व्ययी और अनौपचारिक प्रक्रिया है जिसे पक्ष अपनी मर्जी से और स्वेच्छा से सहमत होती हैं और समझौता तभी किया जाता है जब यह सभी समाधान पक्षों को स्वीकार्य हो।

---

[106] https://www3.mruni.eu/ojs/societal-studies/article/view/4774/4378

[107] https://core.ac.uk/download/pdf/232680688.pdf - स्विन्सेन सिडनी के., ''आल्टेर्नेटिव डिस्प्युट रेजॉल्युशन इन बंक्रप्टसी'', टुल्सा ला रिवियु, वॉल्यूम 36 [2000], Iss. 4, आर्टिकल. 4

[108] https://www.insol.org/emailer/sep_2010_downloads/Highlight%20Article-Sep2010

[109] फ्रांस दिवाला विधि का अनुच्छेद एल 611-1 एल 611-16, https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379.

[110] Art. 217-234 of Insolvenzordnung, https://www.gesetze-im-internet.de/inso/.

# बोर्ड का वित्तीय कार्य निष्पादन

संहिता के अनुसार आईबीबीआई को उचित खाते और अन्य प्रासंगिक रिकॉर्ड बनाए रखने और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी&एजी) के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित रूप में खातों का वार्षिक विवरण तैयार करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त यह आवश्यक है कि आईबीबीआई के खातों की लेखा परीक्षा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की जाएगी।

तदनुसार, केंद्र सरकार ने आईबीबीआई (खातों के वार्षिक विवरण का प्रपत्र) नियम, 2018 को अधिसूचित किया है। आईबीबीआई ने इन नियमों के अनुसार वित्त वर्ष 2020–21 के लिए अपने खातों और बैलेंस शीट का वार्षिक विवरण तैयार किया और उन्हें अनुमोदन के बाद अग्रेषित किया। लेखापरीक्षा समिति और उसके जीबी, लेखापरीक्षा के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। सी–एजीने इन खातों का लेखापरीक्षा किया और 03 जनवरी, 2022 को अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट अग्रेषित की। सारणी 75 और 76 बोर्ड के वित्तीय प्रदर्शन का सारांश प्रस्तुत करती हैं।

**सारणी 75 : वित्त वर्ष 2020–21 के लिए आय और व्यय विवरण**

*(लाख रुपये)*

| आय | 2019-20 | 2020-21 | व्यय* (में से) | 2019-20 | 2020-21 |
|---|---|---|---|---|---|
| सहायता अनुदान –वेतन | 1200.00 | 1458.00 | सहायता अनुदान –वेतन | 1200.00 | 1458.00 |
| सहायता अनुदान –पूंजी | - | - | सहायता अनुदान –पूंजी | 123.54 | - |
| सहायता अनुदान – सामान्य | 950.00 | 1200.00 | सहायता अनुदान – सामान्य | 950.00 | 1190.15 |
| आंतरिक राजस्व | 599.22 | 690.43 | आंतरिक राजस्व | 392.38 | 164.12 |
| **कुल** | **2749.22** | **3348.43** | **कुल** | **2665.92** | **2812.27** |

*(*वर्ष के दौरान दिए गए अचल आस्तियों में वृद्धि और शुद्ध अग्रिम सहित.)*

**सारणी 76: 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड की निधि**

*(लाख रुपये में)*

| ब्यौरे | 2019-20 | | | | 2020-21 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | आगे लाया गया | अंत:प्रवाह | बहिर्प्रवाह | शेष | अंत:प्रवाह | बहिर्प्रवाह | शेष |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5=2+3-4* | *6* | *7* | *8=5+6-7* |
| सहायता अनुदान –वेतन | - | 1200.00 | 1200.00 | - | 1458.00 | 1458.00 | - |
| सहायता अनुदान –पूंजी | 123.54 | - | 123.54 | - | - | - | - |
| सहायता अनुदान – सामान्य | - | 950.00 | 950.00 | - | 1200.00 | 1190.15 | 9.85 |
| आंतरिक राजस्व | 339.54 | 599.22 | 392.38 | 546.38 | 690.43 | 164.12 | 1072.69 |
| **कुल** | **463.08** | **2749.22** | **2665.92** | **546.38** | **3348.43** | **2812.27** | **1082.54** |

आईबीबीआइ को सरकार से 2020–21 मे 2658.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ। वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त आंतरिक राजस्व 690.43 लाख रुपये है जिसमें आईपीए/आईपी/आईयू जैसे सेवा प्रदाताओं द्वारा शुल्क शामिल है। इसने 2020–21 में कुल 2812.27 लाख रुपये खर्च किए।

2015 में संहिता की अवधारणा करने वाले बीएलआरसी का मानना था कि, एक अच्छे अभ्यास के रूप में, बोर्ड को अपनी विनियमित संस्थाओं से एकत्र की गई फीस से खुद को निधि देना चाहिए। "भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड का निर्माण" पर कार्य समूह ने माना कि प्रारंभिक चरण में आईबीबीआई के निर्माण के लिए, सरकार से बजटीय अनुदान वित्त पोषण का मुख्य स्रोत होगा। हालांकि, यह परिकल्पना की गई थी कि कुछ वर्षों में शोधन अक्षमता मध्यस्थता उद्योग की रूपरेखा दिखाई देगी। तब आईबीबीआई को उन सभी आईपी, आईपीए और आईयू पर शुल्क लागू करने में सक्षम होना चाहिए जो इसके खर्चों का भुगतान करेंगे।

वित्तीय पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिए आईबीबीआई ने भविष्य के वर्षों के लिए व्यय की आवश्यकता को पेश करने की प्रक्रिया शुरू की है। नियामक उत्तरदायित्वों में वृद्धि और संगठन क्षमताओं की ताकत बढ़ाने के कारण भविश्य में खर्च बढ़ने की उम्मीद है। आईबीबीआई की सक्रिय भूमिका और प्री–पैकेज्ड दिवाला समाधान, सीमा–पार दिवाला, समूह दिवाला, दिवाला में

मध्यस्थता का उपयोग और नई शुरुआत प्रक्रिया आदि के क्षेत्रों में विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन के कारण बोर्ड की नियामक उत्तरदायित्वों का दायरा बढ़ रहा है। विनियामक आवश्यकता के अनुरूप व्यय की आवश्यकता का आकलन करने और निधि के विभिन्न संसाधनों की पहचान करने के बाद, बजटीय सहायता में क्रमिक कमी और आईबीबीआई की वित्तीय पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिए रोडमैप विकसित किया जाएगा।

# सांविधिक बाध्यताओं का अनुपालन

बोर्ड संविधि का सृजन है। इसे संविधि के उपबंधों के साथ–साथ अन्य अनुप्रयोग्य कानूनों का पालन करने की आवश्यकता है। सारणी 77 बोर्ड द्वारा अनुपालन का विवरण प्रस्तुत करती है।

**सारणी 77 : सांविधिक दायित्वों के अनुपालन का विवरण**

| संविधि | अनुपालन अपेक्षित | अनुपालन की स्थिति |
|---|---|---|
| **दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016** | **धारा 16 (2) :** आईपी को आईआरपी के रूप में नियुक्त किया जाएगा यदि उसके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं है। | बोर्ड ने आईपी की अनुशासनात्मक कार्यवाही की स्थिति की जांच करने के लिए एए को ऑनलाइन सुविधा प्रदान की है ताकि विलम्ब को दूर किया जा सके। बोर्ड को इस बारे में कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ है। |
| | **धारा 16 (4) :** बोर्ड एए से संदर्भ प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर, आईपी के नाम की सिफारिश करेगा, जहां ओसी द्वारा दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए आवेदन किया गया है और आईआरपी के लिए कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है। | बोर्ड ने 'दिवाला व्यावसायिकों के अंतरिम दिवाला व्यावसायिक, परिसमापक, समाधान व्यावसायिक और शोधन अक्षमता न्यासी (अनुशंसा) दिशानिदेश, 2020 के अधीन और दिवाला व्यावसायिकों के अंतरिम दिवाला व्यावसायिक, परिसमापक, समाधान व्यावसायिक और शोधन अक्षमता न्यासी (अनुशंसा) (द्वितीय) दिशानिदेश, 2020 के अधीन आईआरपी के रूप में नियुक्त करने के लिए क्रमशः 1 जुलाई–25 नवंबर, 2020, 26 नवंबर–31 दिसंबर, 2020 और 01 जनवरी–30 जून, 2021 के दौरान, एए द्वारा बोर्ड को संदर्भ भेजे बिना नियुक्त करने के लिए आईपी के तीन पेनल तैयार करके साझा किए हैं। 2020–21 के दौरान बोर्ड को इस बारे में कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुए। |
| | **धारा 22(4) :** बोर्ड सीओसी द्वारा प्रस्तावित आरपी के नाम की पुष्टि करेगा। | बोर्ड ने एए को आईपी की अनुशासनात्मक स्थिति की जांच करने के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान की है, जिससे विलंब समाप्त हो गया है। हालांकि, बोर्ड को इस बारे में एए से 35 संदर्भ प्राप्त हुए और इन सभी का निर्धारित समय में जवाब दिया गया। |
| | **धारा 34(6) :** बोर्ड, एए के निदेश के दस दिनों के भीतर, परिसमापक के रूप में नियुक्त किए जाने वाले आईपी के नाम का प्रस्ताव करेगा। | बोर्ड ने 'दिवाला व्यावसायिकों के अंतरिम दिवाला व्यावसायिक, परिसमापक, समाधान व्यावसायिक और शोधन अक्षमता न्यासी (अनुशंसा) दिशानिदेश, 2020 के अधीन और दिवाला व्यावसायिकों के अंतरिम दिवाला व्यावसायिक, परिसमापक, समाधान व्यावसा. यिक और शोधन अक्षमता न्यासी (अनुशंसा) (द्वितीय) दिशानिदेश, 2020 के अधीन आईआरपी के रूप में नियुक्त करने के लिए क्रमशः 1 जुलाई–25 नवंबर, 2020, 26 नवंबर–31 दिसंबर, 2020 और 01 जनवरी–30 जून, 2021 के दौरान, एए द्वारा बोर्ड को संदर्भ भेजे बिना नियुक्त करने के लिए आईपी के तीन पेनल तैयार करके साझा किए हैं। हालांकि, बोर्ड को इस संबंध में 2020–21 में एए से बोर्ड को 06 निदेश प्राप्त हुए और बोर्ड ने सभी का निर्धारित समय के भीतर जवाब दिया। |
| | **धारा 97(2) :** बोर्ड एए द्वारा निदेश प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर पुष्टि करेगा कि प्रस्तावित समाधान व्यावसायिक के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित है या नहीं। | बोर्ड ने एए को आईपी की अनुशासनात्मक स्थिति की जांच करने के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान की है, जिससे विलंब समाप्त हो गया है। हालांकि, बोर्ड को इस बारे में एए से 06 संदर्भ प्राप्त हुए और इन सभी का निर्धारित समय में जवाब दिया गया। |
| | **धारा 97(4) :** बोर्ड, निदेश प्राप्त करने के दस दिनों के भीतर, व्यष्टिक की दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए आरपी नामित करेगा, जहां धारा 94 या 95 के अधीन आरपी के माध्यम से नहीं बल्कि देनदार या लेनदार, जैसा भी मामला हो, द्वारा आवेदन फाइल किया जाता है। | बोर्ड ने 'दिवाला व्यावसायिकों के अंतरिम दिवाला व्यावसायिक, परिसमापक, समाधान व्यावसायिक और शोधन अक्षमता न्यासी (अनुशंसा) दिशानिदेश, 2020 के अधीन और दिवाला व्यावसायिकों के अंतरिम दिवाला व्यावसायिक, परिसमापक, समाधान व्यावसा. यिक और शोधन अक्षमता न्यासी (अनुशंसा) (द्वितीय) दिशानिदेश, 2020 के अधीन आईआरपी के रूप में नियुक्त करने के लिए क्रमशः 1 जुलाई–25 नवंबर, 2020, 26 नवंबर–31 दिसंबर, 2020 और 01 जनवरी–30 जून, 2021 के दौरान, एए द्वारा बोर्ड को संदर्भ भेजे बिना नियुक्त करने के लिए आईपी के तीन पेनल तैयार करके साझा किए हैं। हालांकि, बोर्ड को इस संबंध में 2020–21 में एए से बोर्ड को 02 निदेश प्राप्त हुए और बोर्ड ने सभी का निर्धारित समय के भीतर जवाब दिया। |

| | | |
|---|---|---|
| | **धारा 98(3) :** बोर्ड आरपी के प्रतिस्थापन के लिए धारा 98(2) के अधीन एए से संदर्भ प्राप्त होने के दस दिनों के भीतर, ऐसे आरपी के नाम की सिफारिश करेगा, जिसके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं है। | बोर्ड ने 'दिवाला व्यावसायिकों के अंतरिम दिवाला व्यावसायिक, परिसमापक, समाधान व्यावसायिक और शोधन अक्षमता न्यासी (अनुशंसा) दिशानिदेश, 2020 के अधीन और दिवाला व्यावसायिकों के अंतरिम दिवाला व्यावसायिक, परिसमापक, समाधान व्यावसायिक और शोधन अक्षमता न्यासी (अनुशंसा) (द्वितीय) दिशानिदेश, 2020 के अधीन आईआरपी के रूप मैं नियुक्त करने के लिए क्रमशः 1 जुलाई–25 नवंबर, 2020, 26 नवंबर–31 दिसंबर, 2020 और 01 जनवरी–30 जून, 2021 के दौरान, एए द्वारा बोर्ड को संदर्भ भेजे बिना नियुक्त करने के लिए आईपी के तीन पेनल तैयार करके साझा किए हैं। हालांकि, बोर्ड को इस संबंध में 2020–21 में एए से बोर्ड को कोई निदेश प्राप्त नहीं हुए। |
| | **धारा 125(2) :** बोर्ड एए द्वारा निदेश प्राप्त होने के दस दिनों के भीतर पुष्टि करेगा कि प्रस्तावित बीटी के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित है या नहीं। | बोर्ड ने एए को आईपी की अनुशासनात्मक स्थिति की जांच करने के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान की है, जिससे विलंब समाप्त हो गया है। हालांकि, बोर्ड को इस बारे में एए से कोई निदेश प्राप्त नहीं हुए। |
| | **धारा 125(4) :** बोर्ड उन मामलों में धारा 125(3) के अधीन एए के निदेश प्राप्त करने के दस दिनों के भीतर बीटी नामित करेगा जहां बीटी देनदार या लेनदार द्वारा प्रस्तावित नहीं किया गया है। | बोर्ड ने 'दिवाला व्यावसायिकों के अंतरिम दिवाला व्यावसायिक, परिसमापक, समाधान व्यावसायिक और शोधन अक्षमता न्यासी (अनुशंसा) दिशानिदेश, 2020 के अधीन और दिवाला व्यावसायिकों के अंतरिम दिवाला व्यावसायिक, परिसमापक, समाधान व्यावसायिक और शोधन अक्षमता न्यासी (अनुशंसा) (द्वितीय) दिशानिदेश, 2020 के अधीन आईआरपी के रूप मैं नियुक्त करने के लिए क्रमशः 1 जुलाई–25 नवंबर, 2020, 26 नवंबर–31 दिसंबर, 2020 और 01 जनवरी–30 जून, 2021 के दौरान, एए द्वारा बोर्ड को संदर्भ भेजे बिना नियुक्त करने के लिए आईपी के तीन पेनल तैयार करके साझा किए हैं। हालांकि, बोर्ड को इस संबंध में 2020–21 में एए से बोर्ड को कोई निदेश प्राप्त नहीं हुए। |
| | **धारा 146(3) :** बोर्ड बीटी के त्यागपत्र पर धारा 146(2) के अधीन एए के निदेश के दस दिनों के भीतर प्रतिस्थापन के रूप में एक और बीटी की सिफारिश करेगा। | बोर्ड ने 'दिवाला व्यावसायिकों के अंतरिम दिवाला व्यावसायिक, परिसमापक, समाधान व्यावसायिक और शोधन अक्षमता न्यासी (अनुशंसा) दिशानिदेश, 2020 के अधीन और दिवाला व्यावसायिकों के अंतरिम दिवाला व्यावसायिक, परिसमापक, समाधान व्यावसायिक और शोधन अक्षमता न्यासी (अनुशंसा) (द्वितीय) दिशानिदेश, 2020 के अधीन आईआरपी के रूप मैं नियुक्त करने के लिए क्रमशः 1 जुलाई–25 नवंबर, 2020, 26 नवंबर–31 दिसंबर, 2020 और 01 जनवरी–30 जून, 2021 के दौरान, एए द्वारा बोर्ड को संदर्भ भेजे बिना नियुक्त करने के लिए आईपी के तीन पेनल तैयार करके साझा किए हैं। हालांकि, बोर्ड को इस संबंध में 2020–21 में एए से बोर्ड को कोई निदेश प्राप्त नहीं हुए। |
| | **धारा 147(3) :** बोर्ड त्यागपत्र के अलावा किसी भी कारण से रिक्ति होने पर धारा 147(2) के अधीन एए के निदेश के दस दिनों के भीतर प्रतिस्थापन के रूप में बीटी की सिफारिश करेगा। | बोर्ड ने 'दिवाला व्यावसायिकों के अंतरिम दिवाला व्यावसायिक, परिसमापक, समाधान व्यावसायिक और शोधन अक्षमता न्यासी (अनुशंसा) दिशानिदेश, 2020 के अधीन और दिवाला व्यावसायिकों के अंतरिम दिवाला व्यावसायिक, परिसमापक, समाधान व्यावसायिक और शोधन अक्षमता न्यासी (अनुशंसा) (द्वितीय) दिशानिदेश, 2020 के अधीन आईआरपी के रूप मैं नियुक्त करने के लिए क्रमशः 1 जुलाई–25 नवंबर, 2020, 26 नवंबर–31 दिसंबर, 2020 और 01 जनवरी–30 जून, 2021 के दौरान, एए द्वारा बोर्ड को संदर्भ भेजे बिना नियुक्त करने के लिए आईपी के तीन पेनल तैयार करके साझा किए हैं। हालांकि, बोर्ड को इस संबंध में 2020–21 में एए से बोर्ड को कोई निदेश प्राप्त नहीं हुए। |
| | **दिवाला और शोधन अक्षमता (कारपोरेट देनदारों के व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाताओं के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को आवेदन) नियम, 2019 का नियम 8(2) :** बोर्ड आईपी का पैनल साझा कर सकता है, जिसे धारा 97(4) और धारा 98(3) के उद्देश्य से आरपी के रूप में एए के साथ नियुक्त किया जा सकता है। | बोर्ड ने 'दिवाला व्यावसायिकों के अंतरिम दिवाला व्यावसायिक, परिसमापक, समाधान व्यावसायिक और शोधन अक्षमता न्यासी (अनुशंसा) दिशानिदेश, 2020 के अधीन और दिवाला व्यावसायिकों के अंतरिम दिवाला व्यावसायिक, परिसमापक, समाधान व्यावसायिक और शोधन अक्षमता न्यासी (अनुशंसा) (द्वितीय) दिशानिदेश, 2020 के अधीन आईआरपी के रूप मैं नियुक्त करने के लिए क्रमशः 1 जुलाई–25 नवंबर, 2020, 26 नवंबर–31 दिसंबर, 2020 और 01 जनवरी–30 जून, 2021 के दौरान, एए द्वारा बोर्ड को संदर्भ भेजे बिना नियुक्त करने के लिए आईपी के तीन पेनल तैयार करके साझा किए हैं। |
| | **दिवाला और शोधन अक्षमता (कारपोरेट देनदारों के व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाताओं के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को आवेदन) नियम, 2019 का नियम 8 (2) :** बोर्ड संहिता की धारा 125(4) और धारा 146(3) और धारा 147(3) के उद्देश्य से दिवाला व्यावसायिकों का पैनल साझा कर सकता है, जिन्हें एए के साथ बीटी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। | बोर्ड ने 'दिवाला व्यावसायिकों के अंतरिम दिवाला व्यावसायिक, परिसमापक, समाधान व्यावसायिक और शोधन अक्षमता न्यासी (अनुशंसा) दिशानिदेश, 2020 के अधीन और दिवाला व्यावसायिकों के अंतरिम दिवाला व्यावसायिक, परिसमापक, समाधान व्यावसायिक और शोधन अक्षमता न्यासी (अनुशंसा) (द्वितीय) दिशानिदेश, 2020 के अधीन आईआरपी के रूप मैं नियुक्त करने के लिए क्रमशः 1 जुलाई–25 नवंबर, 2020, 26 नवंबर–31 दिसंबर, 2020 और 01 जनवरी–30 जून, 2021 के दौरान, एए द्वारा बोर्ड को संदर्भ भेजे बिना नियुक्त करने के लिए आईपी के तीन पेनल तैयार करके साझा किए हैं। |

| | | |
|---|---|---|
| | **आईपी विनियमनों के साथ पठित धारा 207 :** आईपी के रूप में रजिस्ट्रीकरण का आवेदन यह समझाने का अवसर प्रदान करने के बाद निरस्त किया जा सकता है कि आवेदन को क्यों स्वीकार किया जाए। | बोर्ड ने 2020–21 में आईपी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी भी आवेदन को निरस्त नहीं किया है। |
| | **आईबीबीआई (निरीक्षण और जांच) विनियमन, 2017 के साथ पठित धारा 217 :** बोर्ड विनियमनों के अनुसार शिकायतें प्राप्त करेगा और उनका निपटान करेगा। | बोर्ड को 2020–21 के दौरान 1616 शिकायतें मिलीं और वर्ष के दौरान 2002 शिकायतों का निपटारा किया गया। |
| | **आईबीबीआई (निरीक्षण और जांच) विनियमन, 2017 के साथ पठित धारा 218 :** बोर्ड संहिता के किसी उपबंध या बनाए गए नियमों या विनियमनों या बोर्ड द्वारा जारी निदेशों का कथित उल्लंघन के मामले में आईपी, आईपीए या आईयू का निरीक्षण कर सकता है। | बोर्ड ने 2020–21 के दौरान 62 निरीक्षण शुरू किए और वर्ष के दौरान 53 निरीक्षणों का समापन किया। |
| | **आईपी विनियमनों के साथ पठित धारा 220 :** डीसी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन में तर्कपूर्ण आदेश द्वारा कारण बताओ नोटिस (एससीएन) का निपटान करेगा। | अनुपालन किया जा रहा है। |
| | **आईबीबीआई (खातों के वार्षिक विवरण का प्ररूप) नियम, 2018 के साथ पठित धारा 223 :** बोर्ड उचित खाते बनाएगा और ऐसे खातों की लेखा–परीक्षा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की जाएगी। | बोर्ड ने आईबीबीआई (खातों के वार्षिक विवरण का फॉर्म) नियम, 2018 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए अपना वार्षिक लेखा तैयार किया। सीएजी ने इसका लेखापरीक्षा किया और 28 अक्टूबर, 2020 के अपने पत्र के माध्यम से उस पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट अग्रेशित की।<br>इसी तरह, बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए अपने वार्षिक खाते तैयार किए। सी–एजी ने इसकी लेखापरीक्षा की और अपने दिनांक 03 जनवरी, 2022 के पत्र माध्यम से इस बारे में लेखापरीक्षा रिपोर्ट अग्रेशित की। |
| | **आईबीबीआई (वार्षिक रिपोर्ट) नियम, 2018 के साथ पठित धारा 229 :** बोर्ड, पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान गतिविधियों का पूरा लेखा–जोखा देते हुए, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में यथा–. निर्धारित रूप में और समय पर अपनी वार्शिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसकी प्रति केंद्र सरकार को प्रस्तुत करेंगा। | बोर्ड ने 2019–20 के दौरान 2016–17 और 2017–18 के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। 2018–19 की वार्षिक रिपोर्ट 30 जून, 2020 को प्रस्तुत की गई थी। 2019–20 की वार्षिक रिपोर्ट 16 जून, 2021 को प्रस्तुत की गई थी। |
| | **धारा 230 :** बोर्ड, अपनी शक्तियों और कार्यों में से कुछ को, जैसा वह आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, प्रत्यायोजित कर सकता है। | बोर्ड ने 24 जनवरी, 2017 को आईबीबीआई (शक्तियों का प्रतिनिधिमंडल) आदेश, 2017 जारी किया। इसने 25 अप्रैल, 2018 को और फिर 02 जुलाई, 2020 को उक्त आदेश में संशोधन किया। |
| | **धारा 236 :** बोर्ड शिकायत दर्ज कर सकता है। | बोर्ड ने 2020–21 के दौरान विशेश न्यायालय में 15 शिकायतें दर्ज कीं। |
| | **धारा 240 :** बोर्ड के लिए इस खंड में निर्दिष्ट मामलों पर विनियमन बनाना आवश्यक है। | बोर्ड ने शासी बोर्ड के अनुमोदन से 2019–20 के दौरान 15 संशोधन विनियमन बनाए। 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, बोर्ड ने निम्नांकित तैयार किए हैं :<br>(क) सेवा प्रदाताओं (आईपी, आईपीई, आईपीए और आईयू) को विनियमित करने के लिए छः नियम;<br>(ख) प्रक्रियाओं को विनियमित करने के लिए सात विनियमन (सीआईआरपी, फास्ट ट्रैक दिवाला समाधान प्रक्रिया, परिसमापन प्रक्रिया, स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया, सीडी के पीजी के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया और सीडी के पीजी के लिए शोधन अक्षमता प्रक्रिया)<br>(ग) बोर्ड के आंतरिक कार्यकरण को विनियमित करने के लिए चार विनियमन। |
| | **धारा 241 :** विनियमन संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाएंगे। | बोर्ड ने 2020–21 में अधिसूचित सभी 15 विनियमनों को 2020–21 के दौरान संसद के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए एमसीए को भेजा। |

**केंद्रीय वस्तुएं और सेवाएं कर अधिनियम, 2017 (जीएसटी)**

**धारा 37(1) :** कर का भुगतान करने वाले प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को अगले महीने के दसवें दिन से पहले माल या सेवाओं की जावक आपूर्तियों का विवरण इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करना आवश्यक है।

हालांकि, रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीखें निम्नानुसार अधिसूचित की गईं :

| माह के लिए | अंतिम तारीख |
|---|---|
| अप्रैल, 2020 | जुलाई 24, 2020 |
| मई, 2020 | जुलाई 28, 2020 |
| जून, 2020 | अगस्त 5, 2020 |
| जुलाई, 2020 – मार्च, 2021 | अगले माह का 11वां दिन |

बोर्ड ने निम्नानसुार विवरण फाइल किया :

| माह के लिए | फाइल करने की तारीख |
|---|---|
| अप्रैल, 2020 | 21 मई, 2020 |
| मई, 2020 | 20 जुलाई, 2020 |
| जून, 2020 | 22 जुलाई, 2020 |
| जुलाई, 2020 | 11 अगस्त, 2020 |
| अगस्त, 2020 | 11 सितंबर, 2020 |
| सितंबर, 2020 | 11 अक्तुबर, 2020 |
| अक्टूबर, 2020 | 11 नवंबर, 2020 |
| नवंबर, 2020 | 11 दिसंबर, 2020 |
| दिसंबर, 2020 | 11 जनवरी, 2021 |
| जनवरी, 2021 | 11 फरवरी, 2021 |
| फरवरी, 2021 | 11 मार्च, 2021 |
| मार्च, 2021 | 11 अप्रैल, 2021 |

**धारा 38(2) :** कर का भुगतान करने वाले प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को दसवें दिन के बाद लेकिन अगले महीने के पंद्रहवें दिन या उससे पहले माल या सेवाओं की आवक आपूर्ति का विवरण इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।.

हालांकि, रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीखें निम्नानुसार अधिसूचित की गईं :

| माह के लिए | अंतिम तारीख |
|---|---|
| अप्रैल, 2020 | 24 जून, 2020 |
| मई, 2020 – मार्च, 2021 | अगले माह का 20वां दिन |

बोर्ड ने निम्नानसुार विवरण फाइल किया :

| माह के लिए | फाइल करने की तारीख |
|---|---|
| अप्रैल, 2020 | 21 मई, 2020 |
| मई, 2020 | 20 जून, 2020 |
| जून, 2020 | 20 जलाई, 2020 |
| जुलाई, 2020 | 19 अगस्त, 2020 |
| अगस्त, 2020 | 20 सितंबर, 2020 |
| सितंबर, 2020 | 20 अक्तुबर, 2020 |
| अक्तुबर, 2020 | 20 नवंबर, 2020 |
| नवंबर, 2020 | 18 दिसंबर, 2020 |
| दिसंबर, 2020 | 18 जनवरी, 2021 |
| जनवरी, 2021 | 19 फरवरी, 2021 |
| फरवरी, 2021 | 18 मार्च, 2021 |
| मार्च, 2021 | 20 अप्रैल, 2021 |

**धारा 44(1) :** कर का भुगतान करने वाले प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को ऐसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद दिसंबर के इकतीसवें दिन या उससे पहले प्रत्येक वित्तीय वर्श के लिए वार्षिक रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करना आवश्यक है। 2019–20 के लिए अंतिम तिथि 31 मार्च, 2021 तक बढ़ा दी गई थी।

**धारा 44(2) :** इसके लिए प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को लेखापरीक्षा किए गए वार्षिक खातों की प्रति और समाधान विवरण के साथ वार्षिक रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। 2019–20 के लिए अंतिम तिथि 31 मार्च, 2021 तक बढ़ा दी गई थी।.

बोर्ड ने वित्त वर्ष 2019–20 की रिटर्न 16 फरवरी, 2021 और वित्त वर्ष 2020–21 की रिटर्न 24 दिसंबर, 2021 को फाइल की।.

<table>
<tr><td></td><td>धारा 51(1) : इसमें निर्दिष्ट व्यक्तियों को कर योग्य वस्तुओं या सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं को किए गए निर्दिष्ट भुगतानों से स्रोत पर कर कटौती करना आवश्यक है।<br><br>धारा 39(3) : इसमें प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को स्रोत पर कर कटौती करना आवश्यक है, जो ऐसे महीने की समाप्ति के बाद दस दिनों के भीतर उस महीने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिटर्न प्रस्तुत करता है जिसमें कटौती की गई है।<br><br>टिप्पणीः अप्रैल और मई, 2020 के महीनों के लिए अंतिम तारीख 30 जून, 2020 थी।</td><td>बोर्ड ने निम्नानसुार विवरण फाइल किया :<br><br><table><tr><th>माह के लिए</th><th>रिटर्न फाइल करने की तारीख</th></tr><tr><td>अप्रैल, 2020</td><td>15 जून, 2020</td></tr><tr><td>मई, 2020</td><td>15 जून, 2020</td></tr><tr><td>जून, 2020</td><td>07 जलाई, 2020</td></tr><tr><td>जुलाई, 2020</td><td>08 अगस्त, 2020</td></tr><tr><td>अगस्त, 2020</td><td>09 सितंबर, 2020</td></tr><tr><td>सितंबर, 2020</td><td>08 अक्तुबर, 2020</td></tr><tr><td>अक्तुबर, 2020</td><td>09 नवंबर, 2020</td></tr><tr><td>नवंबर, 2020</td><td>09 दिसंबर, 2020</td></tr><tr><td>दिसंबर, 2020</td><td>08 जनवरी, 2021</td></tr><tr><td>जनवरी, 2021</td><td>04 फरवरी, 2021</td></tr><tr><td>फरवरी, 2021</td><td>08 मार्च, 2021</td></tr><tr><td>मार्च, 2021</td><td>10 अप्रैल, 2021</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>आयकर अधिनियम, 1961</td><td>धारा 139 : बोर्ड प्रत्येक वित्त वर्श के लिए आय कर रिटर्न फाइल करेगा।</td><td>बोर्ड ने वित्त वर्ष 2019–20 की रिटर्न 13 अक्तुबर, 2021 को फाइल की।</td></tr>
<tr><td></td><td>धारा 200 : बोर्ड वेतन, अनुबंध और व्यावसायिक सेवाओं के संबंध में स्रोत पर कर (टीडीएस) काटेगा और जमा करेगाः<br><br><table><tr><th>माह के लिए</th><th>अंतिम तारीख</th></tr><tr><td>अप्रैल, 2020 – फरव. री, 2021</td><td>माह के अंत से सात दिनों के भीतर</td></tr><tr><td>मार्च, 2021</td><td>30 अप्रैल, 2021</td></tr></table></td><td>बोर्ड ने निम्नानुसार प्रति माह टीडीएस की कटौती की और जमा कराया :<br><br><table><tr><th>माह के लिए</th><th>अंतिम तारीख</th></tr><tr><td>अप्रैल, 2020</td><td>06 मई, 2020</td></tr><tr><td>मई, 2020</td><td>05 जून, 2020</td></tr><tr><td>जून, 2020</td><td>06 जलाई, 2020</td></tr><tr><td>जुलाई, 2020</td><td>05 अगस्त, 2020</td></tr><tr><td>अगस्त, 2020</td><td>04 सितंबर, 2020</td></tr><tr><td>सितंबर, 2020</td><td>06 अक्तुबर, 2020</td></tr><tr><td>अक्तुबर, 2020</td><td>03 नवंबर, 2020</td></tr><tr><td>नवंबर, 2020</td><td>04 दिसंबर, 2020</td></tr><tr><td>दिसंबर, 2020</td><td>05 जनवरी, 2021</td></tr><tr><td>जनवरी, 2021</td><td>02 फरवरी, 2021</td></tr><tr><td>फरवरी, 2021</td><td>02 मार्च, 2021</td></tr><tr><td>मार्च, 2021</td><td>29 अप्रैल, 2021</td></tr></table></td></tr>
<tr><td></td><td>आयकर नियम, 1962 का नियम 31क : बोर्ड कर कटौती का एक त्रैमासिक विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत करेगा :<br><br><table><tr><th>को समाप्त तिमाही</th><th>अंतिम तारीख</th></tr><tr><td>30 जून, 2020</td><td>31 जुलाई, 2020</td></tr><tr><td>30 सितंबर, 2020</td><td>31 अक्तुबर, 2020</td></tr><tr><td>31 दिसंबर, 2020</td><td>31 जनवरी, 2021</td></tr><tr><td>31 मार्च, 2021</td><td>30 जून, 2021</td></tr></table></td><td>बोर्ड ने स्रोत पर कटौती किए गये कर का विवरण निम्नसार फाइल किया।<br><br><table><tr><th>को समाप्त तिमाही</th><th>अंतिम तारीख</th></tr><tr><td>30 जून, 2020</td><td>30 जुलाई, 2020</td></tr><tr><td>30 सितंबर, 2020</td><td>19 अक्तुबर, 2020</td></tr><tr><td>31दिसंबर, 2020</td><td>25 जनवरी, 2021</td></tr><tr><td>31 मार्च, 2021</td><td>22 जून, 2021</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005</td><td>धारा 4(1)(ख) : बोर्ड अपनी वेबसाइट पर निर्दिष्ट मामलों पर स्वतः प्रकटीकरण करेगा।</td><td>बोर्ड ने आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख) के अनुसार किए गए खुलासे को अद्यतन किया।</td></tr>
<tr><td></td><td>धारा 7(1) : सीपीआईओ आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर आवेदकों को सूचना प्रदान करेगा।</td><td>सीपीआईओ ने 305 आवेदकों को जानकारी दी। इसने सभी मामलों में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर सूचना प्रदान की।</td></tr>
<tr><td></td><td>धारा 19(6) : एफएए 45 दिनों के भीतर अपीलों का निपटारा करेगा।</td><td>एफएए ने वर्ष के दौरान प्राप्त 39 अपीलों को निर्धारित समय के भीतर निपटाया।</td></tr>
</table>

| | | |
|---|---|---|
| **कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013** | बोर्ड आंतरिक शिकायत समिति का गठन करेगा। | बोर्ड ने 11 नवंबर, 2020 को समिति का पुनर्गठन किया। |
| **केंद्रीय वित्तीय नियम, 2017** | **नियम 229 (xi) :** बोर्ड प्रशासनिक मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) संपन्न करेगा। | बोर्ड ने 21 मई, 2020 को एमसीए के साथ 2020–21 के लिए समझौता ज्ञापन संपन्न किया। |
| | **नियम 230(8) :** इसके लिए बोर्ड के लिए खातों को अंतिम रूप देने के तुरंत बाद, सहायता अनुदान पर समस्त ब्याज या अन्य आय भारत की समेकित निधि (सीएफआई) को भेजना आवश्यक है। | वित्तीय वर्ष के दौरान सहायता अनुदान पर अर्जित ब्याज 2020–21 को 12 अगस्त, 2021 को सीएफआई को प्रेशित कर दिया गया है। |
| | **नियम 234 :** अनुदान प्राप्तकर्ता संस्था के रूप में, बोर्ड को अनुदान रजिस्टर का रखरखाव करना और प्रत्येक वित्तीय वर्ष में उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक है।<br>**नियम 238 :** वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बारह महीनों के भीतर प्राप्त अनुदानों के वास्तविक उपयोग के संबंध में बोर्ड के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। | बोर्ड अनुदान रजिस्टर का रखरखाव करता है और उसने 24 अगस्त, 2021 को एमसीए को वित्त वर्ष 2020–21 के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर दिया है। |
| **रोजगार संबंधी नियम** | भर्ती में आरक्षण | वर्ष के दौरान कोई सीधी भर्ती नहीं हुई थी। |
| | कर्मचारियों के लिए भविश्य निधि/पेंशन : बोर्ड कर्मचारियों की भविश्य निधि और पेंशन अंशदान की कटौती करके जमा करेगा। | बोर्ड ने :<br>(क) कर्मचारियों की भविश्य निधि के अंशदान की कटौती की और प्रतिनियुक्त कर्मचारियों के संबंध में नियोक्ता के योगदान के साथ अपने संबंधित नियोक्ताओं को प्रेशित किया।<br>(ख) नियमित कर्मचारियों के संबंध में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के लिए अंश्दान की कटौती की और इसे अपने संबंधित एनपीएस खातों में जमा किया।<br>(ग) अध्यक्ष और डब्ल्यूटीएम से संबंधित अंशदायी भविष्य निधि की कटौती की और उसे आवर्ती और सावधि जमा में नियोक्ता के योगदान के साथ जमा किया। |
| **न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948** | प्रमुख नियोक्ता के रूप में, बोर्ड के लिए यह सुनिश्चित करना अपेक्षित है कि अनुबंध आधार पर तैनात जनशक्ति के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करे। | बोर्ड ने सुनिश्चित किया है कि जनशक्ति सेवा प्रदाताओं द्वारा अनुपालन किया जाए। |
| **अनुबंध श्रम (विनियम और उन्मूलन) अधिनियम 1970** | **धारा 7 :** प्रमुख नियोक्ता के रूप में, बोर्ड के लिए अनुबंध आधार पर तैनात जनशक्ति के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करना अपेक्षित है। | बोर्ड ने दिनांक 3 सितंबर, 2020 के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है, इस अधिनियम को अब विलोप कर दिया गया है। |

# संगठनात्मक मामले

## उत्तरदायित्व केंद्र

### शासी बोर्ड

आईबीबीआई की जीबी ने 2020–21 के दौरान 10 सदस्यों के अपने पूरे सामर्थ्य से काम किया। सारणी 78 में 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार जीबी के सदस्यों का विवरण प्रस्तुत है।

**सारणी 78 : 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार आईबीबीआई का शासी बोर्ड**

| नाम | नियुक्ति से पहले या समय पर धारित पद | के रूप में नियुक्त | का प्रतिनिधित्व | नियुक्ति की तारीख |
|---|---|---|---|---|
| डॉ. एम एस साहू | सदस्य, सीसीआई | अध्यक्ष | उ.न. | 01.10.16 |
| श्री उन्नीकृष्णन ए. | विधि सलाहकार, आरबीआई | पदेन सदस्य | भारतीय रिजर्व बैंक | 01.10.16 |
| डॉ. नवरंग सैनी | महानिदेशक, एमसीए | डब्ल्यूटीएम | उ.न. | 31.03.17 |
| डॉ. (सुश्री) मुकुलिता विजयवर्गीय | अपर सचिव, एमओएल&जे | डब्ल्यूटीएम | उ.न. | 13.04.17 |
| डॉ. शशांक सक्सेना | वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय | पदेन सदस्य | वित्त मंत्रालय | 24.05.17 |
| श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह | संयुक्त सचिव, एमसीए | पदेन सदस्य | एमसीए | 22.02.18 |
| डॉ राजीव मानिक | संयुक्त सचिव, एमओएल&जे | पदेन सदस्य | एमओएल&जे | 26.02.19 |
| श्री बी. श्रीराम | प्रबंध निदेशक और सीईओ, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड | अंशकालिक सदस्य | उ.न. | 04.07.19 |
| डॉ. कृष्णमूर्ति सुब्रमनियन | मुख्य आर्थिक सलाहकार, भारत सरकार | अंशकालिक सदस्य | उ.न. | 08.07.19 |
| श्री सुधाकर शुक्ला | मुख्य आर्थिक सलाहकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय | डब्ल्यूटीएम | उ.न. | 14.11.19 |

### कर्मचारियों के साथ विमर्श

आईबीबीआई के षासी बोर्ड के अंषकालिक सदस्यों ने 19 जून, 2020 को आईबीबीआई के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संगठन और बाजार की चुनौतियों को समझने और उन्हें संबोधित करने के लिए अपने दृष्टिकोण साझा करने के लिए अपनी तरह का पहला विमर्ष किया।

### लेखा परीक्षा समिति

लेखा परीक्षा समिति वित्तीय रिपोर्टिंग, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, जोखिम प्रबंधन प्रणाली और लेखा परीक्षा कार्यों के क्षेत्रों में जीबी की सहायता करती है। जीबी ने 26 जून, 2020 से निम्नानुसार लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन किया:

(ए) डॉ. शषांक सक्सेना; अध्यक्ष

(बी) श्री बी श्रीराम, सदस्य, और

(सी) बोर्ड के वित्त और लेखा के प्रभारी डब्ल्यूटीएम।

2020–21 में लेखा–परीक्षा समिति की दो बार बैठक हुई। इसने 31 मार्च, 2020 को समाप्त छमाही के लिए बोर्ड के आंतरिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और 30 सितंबर, 2020 को समाप्त छमाही की समीक्षा की और वर्श 2019–20 के लिए बोर्ड के वार्षिक खातों पर सीएजी की अलग लेखा–परीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा की। इसने वर्ष 2019–20 के वित्तीय विवरणों और 31 मार्च, 2020 और 30 सितंबर, 2020 को समाप्त छमाही के लिए अर्ध–वार्शिक वित्तीय विवरणों को स्वीकृति दी।

### अनुशासनात्मक समिति

संहिता की धारा 220(1) के अधीन एससीएन पर विचार करने और उसका निपटान करने के लिए संहिता में डब्ल्यूटीएम(एस) शामिल का समावेश करते हुए डीसीज की परिकल्पना की गई है। डीसी का गठन 01 फरवरी, 2017 को किया गया और सारणी 79 में दर्षाए अनुसार इसका पुनर्गठन किया गया है।

**सारणी 79 : अनुशासनात्मक समिति का संघटन**

| गठन की तारीख | संघटन |
|---|---|
| 01.02.17 | डॉ एम एस साहू, अध्यक्ष |
| 23.08.17 | डॉ. (सुश्री) मुकुलिता विजयवर्गीय, डब्ल्यूटीएम |
| 09.04.18 | डॉ एम एस साहू, अध्यक्ष / श्रीमती सुमन सक्सेना, डब्ल्यूटीएम और डॉ. (सुश्री) मुकुलिता विजयवर्गीय, डब्ल्यूटीएम |
| 17.10.18 | डॉ. नवरंग सैनी, डब्ल्यूटीएम |
| 15.06.20 | डॉ. (सुश्री) मुकुलिता विजयवर्गीय, डब्ल्यूटीएम |

## सलाहकार समितियां

नियामक के शुरुआती दिनों में एसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जब उसके पास ज्ञान का मजबूत भंडार या नियामक क्षमता की अधिकता नहीं होती है। संहिता की धारा 197 बोर्ड को अपने कार्यों के निर्वहन के लिए एसी का गठन करने और उसे प्रदान करने के लिए विनियमन बनाने में सक्षम बनाती है। बोर्ड ने 30 जनवरी, 2017 को सलाहकार समिति के विनियमन अधिसूचित किए। उक्त विनियमनों के अनुसार, मार्च, 2021 के अंत में आईबीबीआई के पास निम्नलिखित एसी हैं :

(क) श्री मोहनदास पाई (अध्यक्ष, मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन) अध्यक्ष के साथ सेवा प्रदाताओं बारे में एसी;

(ख) श्री उदय कोटक (कार्यकारी उपाध्यक्ष और एमडी, कोटक महिंद्रा बैंक) अध्यक्ष के साथ कारपोरेट दिवाला और परिसमापन के बारे में एसी; तथा

(ग) श्री न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बी एन श्रीकृष्ण के अध्यक्ष के रूप में व्यक्तिगत दिवाला और शोधन अक्षमता के बारे में एसी।

## आंतरिक शिकायत समिति

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, बोर्ड ने महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच के लिए 1 सितंबर, 2017 को आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन किया। समिति में 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार निम्नांकित शामिल हैं :

(क) डॉ (सुश्री) मुकुलिता विजयवर्गीय, डब्ल्यूटीएम, आईबीबीआई पीठासीन अधिकारी के रूप में;

(ख) सुश्री बीना जैन, बाहरी विशेशज्ञ;

(ग) डॉ अनुराधा गुरु, ईडी, आईबीबीआई सदस्य के रूप में; तथा

(घ) श्री रितेश कावड़िया, ईडी, आईबीबीआई सदस्य सचिव के रूप में।

आईसीसी की बैठक 22 दिसंबर, 2020 को आयोजित की गई।

## मानव संसाधन

आईबीबीआई संहिता के अधीन परिष्कृत दिवाला प्रक्रियाओं और सेवा प्रदाताओं के विकास और विनियमन के लिए जिम्मेदार है। यह कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन, केंद्र सरकार की ओर से प्राधिकरण के रूप में, संहिता के अधीन दिवाला व्यवसाय और मूल्यांकन व्यवसाय, दो उच्च स्तर के व्यवसायों को सशक्त करने के लिए भी जिम्मेदार है। इन उत्तरदायित्वों के निर्वहन, विशेष रूप से दिवाला और शोधन अक्षमता के क्षेत्र में, के लिए आईबीबीआई के पास उसी दर्जे की व्यावसायिक क्षमता होना आवश्यक है। तदनुसार, आईबीबीआई का प्रयास है कि वह नवोदित दिवाला शासन और संबंधित संस्थानों को पोशित करने के लिए सही प्रतिभा और दृष्टिकोण वाले व्यवसायिकों को आकर्शित करे। यह अपने कर्मचारियों में लीक से हटकर सोच की तलाश करता है। यह अपने कर्मचारियों को उनके कौशल को परिष्कृत करने के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षित करता है और उन्हें उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है।

## अनुसंधान सहयोगी

आईबीबीआई (अनुसंधान सहयोगियों और सलाहकारों की जुड़ाव) विनियमन, 2017 के अनुसार, आईबीबीआई अपने कार्यों के निर्वहन में बोर्ड की सहायता के लिए अनुबंध के आधार पर अनुसंधान सहयोगियों / सलाहकारों को कम अवधि के लिए नियुक्त करता है। 31 मार्च, 2021 को अनुबंध के आधार पर अर्थशास्त्र / सार्वजनिक नीति, कानून और व्यवसाय प्रबंधन के विषयों से 17 शोध सहयोगी और एक सलाहकार थे।

## कर्मचारी

आईबीबीआई (कर्मचारी सेवा) विनियमन, 2017 के अनुसार, आईबीबीआई में अधिकारियों को कानून, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, प्रबंधन, कंपनी सचिव, चार्टर्ड अकाउंटेंसी और लागत लेखा जैसे विशयों से लिया जाता है। आईबीबीआई में 17 ग्रेड 'ए' सीधी भर्ती अधिकारी हैं, जिनका चयन 2018 में खुली प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया गया था। 2020–21 के दौरान, आईबीबीआई ने वरिष्ठ स्तर पर अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर लेना जारी रखा। सारणी 80 में 31 मार्च, 2021 को स्वीकृत कर्मचारियों की वास्तविक संख्या की तुलना में कर्मचारियों की वास्तविक संख्या को दर्शाया गया है।

**सारणी 80: आईबीबीआई के कर्मचारी**

| पद | 31 मार्च, 2020 को वास्तविक संख्याबल | 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार | | |
|---|---|---|---|---|
| | | स्वीकृत संख्याबल | वास्तविक संख्याबल | भर्ती का तरीका |
| कार्यकारी निदेशक | 4 | 4 | 3 | प्रतिनियुक्ति |
| सीजीएम | 3 | 4 | 3 | लागु नहीं |
| जीएम | 1 | 8 | शून्य | प्रतिनियुक्ति |
| डीजीएम | 5 | 12 | 7 | प्रतिनियुक्ति |
| एजीएम | 3 | | 4 | प्रतिनियुक्ति |
| प्रबंधक | शून्य | 24 | 4 | प्रतिनियुक्ति |
| पूर्वाह्न | 20 | | 19 | 17 सीधी भर्ती अधिकारी और 2 प्रतिनियुक्ति पर |
| जीए / पीए–III | शून्य | 2 | शून्य | लागू नहीं |
| जीए / पीए–II | शून्य | 3 | शून्य | लागू नहीं |
| जीए / पीए–I | शून्य | 5 | शून्य | लागू नहीं |
| **कुल** | **36** | **62** | **40** | |

## इंटर्नस

आईबीबीआई उन छात्रों को इंटर्नशिप का अवसर प्रदान करता है जो दिवाला, परिसमापन, दिवालियापन या किसी अन्य संबंधित क्षेत्र में एक व्यवसायवर कैरियर बनाना चाहते हैं। ऐसा छात्र जो अर्थशास्त्र, वाणिज्य, वित्त, प्रबंधन, या कानून में कानून या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में पांच साल या तीन साल की अवधि का डिग्री कोर्स कर रहा है, और इस तरह के डिग्री कोर्स या पोस्ट–ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष या चरण पूरा कर चुका है

या अर्थशास्त्र, वाणिज्य, वित्त, प्रबंधन, या कानून में पाठ्यक्रम एम. फिल. / पीएचडी करने वाला छात्र, आईबीबीआई के साथ प्रशिक्षु के रूप में शामिल होने के लिए पात्र है। 2020–21 के दौरान, पांच छात्रों ने आईबीबीआई में इंटर्नशिप की।

## वितरण डिजाइन

### *राजभाषा*

आईबीबीआई ने वर्ष के दौरान हिंदी को भारत संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में लोकप्रिय बनाने और आधिकारिक कार्यों में इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। इसने सभी नियमों को हिंदी और अंग्रेजी में एक साथ अधिसूचित किया। यह अपने कर्मचारियों को आधिकारिक कार्यों में हिंदी का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

बोर्ड ने 14 सितंबर, 2020 से 30 सितंबर, 2020 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया। कर्मचारियों ने हिंदी में प्रश्नोत्तरी और कविता पाठ जैसी विभिन्न गतिविधियों में बड़े उत्साह के साथ भाग लिया और पुरस्कार जीते। आत्म निर्भर भारत विशय पर निबंध प्रतियोगिता भी आयोजित की गई और सर्वश्रेश्ठ प्रविष्टियों को पुरस्कार दिए गए।

### *महात्मा गांधी के 150 वर्ष*

आईबीबीआई ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती से जुड़े साल भर चलने वाले समारोहों के समापन को मनाने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। कर्मचारियों ने 29 सितंबर, 2020 को आयोजित कार्यक्रम में विशेष रूप से शासन और समावेशी विकास के संबंध में महात्मा गांधी की शिक्षाओं को याद किया। ग्रामीण ऋणग्रस्तता के समाधान पर जागरूकता के प्रसार के लिए 'अंत्योदय और नई शुरुआत' पर निबंध प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। जिसके कारण महात्मा गांधी ने गरीबों को कर्ज के बोझ से मुक्त करने और उन्हें राष्ट्र की विकास गाथा में भाग लेने का उचित अवसर देने की कल्पना की थी। इस अवसर को चिह्नित करने के लिए कर्मचारियों ने 70,000 रुपये का स्वैच्छिक योगदान दिया।

### *संविधान दिवस*

आईबीबीआई ने भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में 26 नवंबर, 2020 को संविधान दिवस मनाया। अधिकारियों ने डॉ. एम. एस. साहू, अध्यक्ष, आईबीबीआई के साथ संविधान की प्रस्तावना का पठन किया और इसकी विचारधारा को बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहरायी। उन्होंने माननीय राश्ट्रपति जी द्वारा संविधान की प्रस्तावना के वाचन का सीधा प्रसारण किया।

### *सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2020*

आईबीबीआई ने 27 अक्टूबर, 2020 से 2 नवंबर, 2020 तक सतर्क भारत, समृद्ध भारत विषय पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया। डॉ. एम. एस. साहू, अध्यक्ष, आईबीबीआई ने अधिकारियों को ई–मोड के माध्यम से शपथ दिलाई। आईबीबीआई को केंद्रीय सतर्कता आयोग से सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ।

### *कोविड-19 प्रकोप के दौरान कार्यालय का कामकाज*

कोविड–19 महामारी से उत्पन्न स्वास्थ्य संबंधी खतरे को देखते हुए, सरकार के निर्देश के अनुसरण में, आईबीबीआई (मयूर भवन और जीवन विहार) के दोनों कार्यालयों को 25 मार्च, 2020 से 21 दिनों की अवधि के लिए बंद कर दिया गया था। आईबीबीआई के सभी अधिकारियों ने इस अवधि के दौरान घर से काम किया। इसके बाद, कार्यालय सरकारी निदेशों के अनुसार कार्य कर रहे थे, जिसने कुछ अधिकारियों को रोस्टर के अनुसार घर से काम करने की अनुमति दी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इस संबंध में जारी दिशा–निदेशों का पालन करते हुए सभी अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्यालय में कार्य करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित की गई।

लॉकडाउन की घोषणा से बहुत पहले और लॉकडाउन के दौरान की गई आईटी पहल ने घर से सुचारू काम सुनिश्चित किया और हितधारकों के साथ बैठकें और बातचीत हमेशा की तरह जारी रही। सभी अधिकारियों को वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क लिंकेज प्रदान किया गया जिससे ई–ऑफिस तक निर्बाध पहुंच और ई–फाइलों का ऑनलाइन निपटान सुनिश्चित हुआ। इसके अलावा, 'माइक्रोसॉफ्ट टीम्स' प्लेटफॉर्म ने वीडियो मीटिंग की सुविधा प्रदान की, जिसमें जीबी और एसी की बैठकें, और हितधारकों के लिए गोलमेज और वेबिनार शामिल हैं।

2020–21 के दौरान, महामारी के मद्देनजर कार्यालय में मौजूद कर्मचारियों की संख्या और कार्यस्थल पर स्वच्छता सुनिश्चित करने के संदर्भ में सरकार के विभिन्न निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आईबीबीआई के कार्यालयों के कामकाज को विनियमित किया गया। आईबीबीआई ने यह सुनिश्चित करते हुए कि कार्यालय का काम किसी भी तरह से प्रभावित न हो, कोविड–19 के प्रसार के विरुद्ध लड़ने के लिए कई उपाय किए। कार्यालय में उपस्थित अधिकारी/कर्मचारी मास्क पहनना, सामाजिक दूरी सुनिश्चित करना और हाथों की स्वच्छता बनाए रखने जैसे प्रोटोकॉल का पालन करते रहे। इसने कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक दिनों में घर से काम करने के लिए रोस्टर संचालित किया, और सभी कर्मचारियों के लिए फ्लेक्सी टाइमिंग की अनुमति दी। इसने 2020–21 के दौरान अपने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए तीन बार कोविड–19 परीक्षणों की व्यवस्था की। ई–ऑफिस और इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ, कार्यालय ने अपने इश्टतम प्रदर्शन को जारी रखा।

### *पीएम-केयर्स फंड में योगदान*

आईबीबीआई के कर्मचारियों ने कोविड–19 महामारी के प्रकोप से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए स्थापित प्रधान मंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति में राहत (केयर्स) कोष के लिए मार्च, 2020 के महीने में 5 लाख रुपये का योगदान दिया। अप्रैल, 2020 में कर्मचारियों द्वारा इस कोश में 2,83,683 रुपये की राशि का अतिरिक्त योगदान दिया गया।

### *संगठनात्मक संरचना*

जीबी ने 16 जनवरी, 2017 को आयोजित अपनी बैठक में एक संगठनात्मक ढांचे को मंजूरी दी, जिसमें अर्ध–विधायी कार्यों को करने के लिए तीन विंग, अर्थात् एक अनुसंधान और विनियमन विंग (आरआरडब्ल्यू) की परिकल्पना की गई है; कार्यकारी कार्यों को करने के लिए एक रजिस्ट्रीकरण और निगरानी विंग (आरएमडब्ल्यू) और अर्ध–न्यायिक कार्यों को करने के लिए एक प्रशासनिक कानून विंग (एएलडब्ल्यू)। शक्तियों के व्यापक पृथक्करण को सुनिश्चित करने के लिए इन तीनों विंगों का नेतृत्व एक एक डब्ल्यू टी एम द्वारा किया जाता है।

### *शक्तियों का प्रत्यायोजन*

संहिता बोर्ड को, नियम बनाने की शक्ति को छोड़कर, बोर्ड के किसी भी सदस्य या अधिकारी को अपनी शक्तियों और कार्यों को प्रत्यायोजित करने में सक्षम बनाती है। आईबीबीआई (शक्तियों और कार्यों का प्रत्यायोजन) आदेश,

2017 उस अधिकारी के स्तर को निर्दिष्ट करता है जिसने किसी मामले को निपटाने का अधिकार दिया है। हालाँकि, अधिकारी द्वारा अधिकारी को प्रत्यायोजित शक्तियों और कार्यों का प्रयोग रिपोर्टिंग पदानुक्रम में उससे उच्च ग्रेड या स्थिति में किया जा सकता है।

## रणनीतिक बैठक

किसी भी संगठन के लिए कार्यनीतिक योजना बनाना महत्वपूर्ण है जो संगठन के उद्देश्य और मापने योग्य लक्ष्यों को चित्रित करने में मदद करती है। यह संगठन को दिशा और साझा दृष्टि की भावना प्रदान करती है। आईबीबीआई जैसे नियामक के लिए, जिसके विभिन्न कार्य और कर्तव्य हैं, वरिश्ठ प्रबंधन के लिए लघु, मध्यम और दीर्घकालिक लक्ष्यों पर कार्यनीतिक ध्यान देना महत्वपूर्ण है। इस भावना में, आईबीबीआई अपनी प्राथमिकताओं को निर्धारित करने, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ऊर्जा और संसाधनों पर ध्यान केंद्रित करने और वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए विशिष्ट कार्यों और उप–कार्यों की रूपरेखा तैयार करने के लिए आने वाले वर्ष के लिए वार्षिक कार्यनीतिक बैठकों का आयोजन कर रहा है। 2020–21 के लिए कार्यनीति बैठक कोविड–19 के प्रकोप के कारण नहीं हो सकी। हालांकि, विशिष्ट कार्रवाई योग्य कार्यों के साथ, आईबीबीआई के लिए प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को रेखांकित करते हुए, लघु से मध्यम अवधि के लिए कार्यनीतिक कार्य योजना तैयार की गई थी।

## क्षमता निर्माण

आईबीबीआई देश और दुनिया भर में दिवाला समाधान और शोधन अक्षमता के लगातार विकसित हो रहे क्षेत्र में अपने अधिकारियों की क्षमताओं को बढ़ाने का लगातार प्रयास करता है। यह इस विकसित क्षेत्र में विभिन्न दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए शिक्षाविदों, अन्य नियामकों और प्रमुख सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत के महत्व को पहचानता है। तदनुसार, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आईबीबीआई ने क्षमता निर्माण की दिशा में विभिन्न घरेलू और अंतरराष्ट्रीय विचार–विमर्श किया है।

## विशिष्ट व्याख्यान श्रृंखला

आईबीबीआई प्रतिष्ठित व्यक्तियों को अपने विचार साझा करने और आईबीबीआई के अधिकारियों के साथ बातचीत करने के लिए आमंत्रित करता है। महामारी के कारण प्रतिबंधों को देखते हुए, इस तरह की बातचीत ज्यादातर ऑनलाइन मोड में हुई। सारणी 81 2020–21 के दौरान उनके द्वारा दिए गए व्याख्यानों का विवरण प्रस्तुत करती है।

**सारणी 81 : 2020–21 में आयोजित विशिष्ट व्याख्यान**

| क्र. सं. | तारीख | अध्यक्ष का नाम | पद/संगठन | विषय |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.02.21 | डॉ. (सुश्री) उदिचिबरना बोस | वित्त में सहायक प्रोफेसर, एसेक्स बिजनेस स्कूल, एसेक्स विश्वविद्यालय | क्या शोधन अक्षमता कानून संकटग्रस्त फर्मों के भाग्य में सुधार करता है? क्रेडिट चौनलों की भूमिका |
| 2 | 09.02.21 | डॉ. (सुश्री) अपर्णा रवि | पार्टनर, संवाद पार्टनर्स | दिवाला कानून और समाज पर इसका प्रभाव। |

## प्रशिक्षण कार्यक्रम

सारणी 82 उन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण प्रस्तुत करती है जहां आईबीबीआई अधिकारियों ने दिवाला और शोधन अक्षमता के विकसित क्षेत्र में अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाने के लिए समीक्षाधीन अवधि के दौरान भाग लिया। अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य हासिल करने के लिए, कुछ अधिकारियों को विदेश में अध्ययन दौरों पर भेजा गया। इसके अलावा, हितधारकों द्वारा आयोजित कई संगोष्ठियों/सम्मेलनों में भाग लेने के लिए अधिकारियों को नामित किया गया।

**सारणी 82 : 2020–21 के दौरान आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वाले आईबीबीआई के अधिकारी**

| क्र. सं. | तारीख | कार्यक्रम | प्रशिक्षण प्रदाता | प्रशिक्षण का क्षेत्राधिकार/शीर्षक | अधिकारियों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.07.20, 15.07.20, 08.07.20, 10.07.20, 13.07.20, 15.07.20 | नेतृत्व, टीम निर्माण और संचार कौशल | आईआईसीए | स्वयं के बारे में जागरूकता, व्यक्तित्व के प्रकार, आम सहमति बनाना, संगठन का सहयोग और नेतृत्व। लोक सेवा में नैतिकता। | 2 |
| 2 | 04.08.20 -05.08.20 | प्रस्तावना कार्यक्रम | आईसीएलएस अकादमी | आईबीसी | 7 |
| 3 | 01.09.20 से 04.09.20 और 08.09.20 से 11.09.20 | डेटा प्रबंधन और विश्लेशिकी | आईआईसीए | बड़ा डेटा, डेटा पुनर्प्राप्ति, डेटा प्रतिनिधित्व और संगठन। | 5 |
| 4 | 16.11.20 से 22.12.20 | वाणिज्यिक मध्यस्थता और विचार–विमर्श | आईआईसीए | मध्यस्थता और बातचीत को कवर करने वाले वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र। | 1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 08.12.20, 10.12.20, 11.12.20, 15.12.20, 17.12.20 | वैश्विक अर्थशास्त्र, डिजिटल धन और कारपोरेट प्रशासन परिवर्तन | आईआईसीए | विश्व आर्थिक परिदृश्य, डिजिटल बाजार, फिनटेक दुनिया में नवीनतम विकास, डिजिटल भारत में कारपोरेट प्रशासन। | 1 |
| 6 | 07.12.20 से 18.12.20 | नियामक प्रदर्शन मूल्यांकन | एफओआईआर | नियामकों का प्रदर्शन मूल्यांकन। | 2 |
| 7 | 16.12.20 | माल और सेवाओं की ई–खरीद, और संबंधित भारत सरकार वित्तीय नियम | राष्ट्रीय उत्पादक परिषद, नई दिल्ली | खरीद में मौलिक सिद्धांत, उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत, सार्वजनिक खरीद के प्रमुख उद्देश्य, खरीद प्रक्रिया में कदम, खरीद की भूमिका, माल और सेवाओं की खरीद के लिए टीम, भारत सरकार के वित्तीय नियम। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम। | 1 |
| 8 | 29.12.20 | निवारक सतर्कता, ई–खरीद और सुशासन की कुंजी | राष्ट्रीय उत्पादक परिषद, नई दिल्ली | निवारक सतर्कता, निवारक सतर्कता के उपकरण, सतर्कता में विचार किए गए मामले, मुख्य सतर्कता की भूमिका और कार्य। | 1 |
| 9 | 06.01.21 से 10.02.21 | वाणिज्यिक मध्यस्थता और विचार–विमर्श | आईआईसीए | मध्यस्थता और बातचीत को कवर करने वाले वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र। | 1 |
| 10 | 04.01.21 से 22.01.20 | समूह 3 नियामक अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम, ''डिजिटल युग में उभरते नियामक मुद्दे'' | एफओआईआर | डिजिटल युग में नियामक चुनौतियां और इससे निपटने के लिए विभिन्न उपकरण और तकनीक। | 2 |
| 11 | 11.01.21 | आरटीआई के माध्यम से सुशासन और पारदर्शिता | राष्ट्रीय उत्पादक परिषद, नई दिल्ली | सूचना का अधिकार अधिनियम और सुशासन और पारदर्शिता में इसकी भूमिका। | 1 |
| 12 | 06.02.21 से तीन महीने | नियामक शासन पर सर्टिफिकेट कोर्स | एफओआईआर | विनियमनों को डिजाइन करने, लागू करने और मूल्यांकन करने के लिए कुशल और प्रभावी साधन। | 2 |
| 13 | 08.02.1 से 10.02.21 | सेवारत अध्यक्ष और डब्ल्यूटीएम के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम | एफओआईआर | नियामक निर्णय लेने में हितधारकों की भागीदारी। | 2 |

आईबीबीआई ने वर्ष के दौरान अपने सभी अधिकारियों के लिए कुछ प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किए, जैसा कि सारणी 83 में वर्णित है।

**सारणी 83 : आईबीबीआई द्वारा अपने अधिकारियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम**

| क्र. सं. | तारीख | कार्यक्रम/विषय का नाम | संकाय |
|---|---|---|---|
| 1 | 14.07.20, 16.07.20, 21.07.20, 23.07.20, 28.07.20 | ० कोविड–19 के समय में दिवाला कानून<br>० एमएसएमई का दिवाला<br>० व्यष्टिकों का दिवाला<br>० आईबीसी और सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय प्रथाएं<br>० दिवाला कानूनों के परिणामों को मापना | श्री जोस गैरिडो, और सुश्री अंजुम रोशा, सीनियर कंसल्टेंट, इंटर्नेशनल मॉनिटरी फंड |
| 2 | 04.09.20, 09.09.20, 10.09.20, 11.09.20, 14.09.20 | नियामक प्रभाव आकलन | डॉ. क्रिस्टिन वैन ज़्वटेन, एसोसिएट प्रोफेसर, लॉ एंड जस्टिस, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, और सुश्री एंटोनिया प्रीसीओसा मेनेजेस, सीनिअर फाइनेंसियल सेक्टर स्पेस्लिस्ट, वर्ड बैंक ग्रुप |
| 3 | 13.10.20 | अर्थव्यवस्था, कारपोरेट्स और क्रेडिट आउटलुक पर कोविड–19 की अनलॉकिंग का प्रभाव | क्रिसिल लिमिटेड के रिसोर्स पर्सन |
| 4 | 22.10.20 | प्रीपैक इन्सॉल्वेंसी फ्रेमवर्क | फोरेन कॉमनवेल्थ एंड डवलपमेंट ऑफिस, यूके टीम |
| 5 | 23.01.21 | सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 | श्री वडाली रामबाबू, उप सचिव, आईएसटीएम |

## इन्वेस्ट इंडिया के साथ समझौता-ज्ञापन

आईबीबीआई ने भारत में तनावग्रस्त परिसंपत्तियों में निवेश के अवसरों को बढ़ावा देने में सहयोग के लिए 25 जून, 2020 को इन्वेस्ट इंडिया के साथ एक समझौता–ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। उसी के अधीन, आईबीबीआई इन्वेस्ट इंडिया के स्ट्रेस्ड एसेट्स पोर्टल (एसएपी) के माध्यम से प्रसार के लिए संहिता के अधीन सीआईआरपी के अधीन सीडी के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। निवेश भारत समझौता ज्ञापन के अधीन, भारत निवेश ग्रिड पर एसएपी और अन्य निवेशक आउटरीच गतिविधियों के माध्यम से तनावग्रस्त संपत्तियों में निवेश के अवसरों को बढ़ावा देगा।

## आईआईबीएफ के साथ समझौता-ज्ञापन

आईबीबीआई ने 12 अगस्त, 2020 को भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान (आईआईबीएफ) के साथ प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए ज्ञान भागीदार के रूप में शामिल होने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, बैंकरों के लिए दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 पर विशेश जोर देने के साथ तनावग्रस्त संपत्तियों का समाधान 'आईआईबीएफ द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। सर्टिफिकेट कोर्स का उद्देश्य बैंकिंग व्यावसायिकों और कर्मचारियों के बीच संहिता के अधीन सीआईआरपी में एफसी और सीओसी की भूमिका और अपेक्षाओं की समझ विकसित करना है। यह उन्हें सीडी और इसके हितधारकों के सर्वोत्तम हित में अत्यंत सावधानी और परिश्रम के साथ वाणिज्यिक निर्णयों सहित अपने वैधानिक कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने में सक्षम बनाएगा।

## आईसीएफएआई लॉ स्कूल के साथ समझौता ज्ञापन

आईबीबीआई ने 16 सितंबर, 2020 को आईसीएफएआई लॉ स्कूल, हैदराबाद के साथ दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 पर छह महीने के लंबे प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम, 'भारत में दिवाला और शोधन अक्षमता कानून' के प्रसार के लिए ज्ञान भागीदार के रूप में समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। दिवाला और शोधन अक्षमता प्रक्रियाएं और प्रक्रियाएं', और दिवाला व्यावसायिक और समाधान', लॉ स्कूल द्वारा पेश किया गया। इन पाठ्यक्रमों का उद्देश्य उद्यमियों और योग्य व्यावसायिकों, जो इस विकसित क्षेत्र में रुचि रखते हैं, के बीच दिवाला समाधान से संबंधित कौशल सेट और ज्ञान को बढ़ाना है।

## संसदीय समितियां

वित्त पर संसदीय स्थायी समिति ने 25 अगस्त, 2020 को 'दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता का कार्यान्वयन' विषय पर एमसीए के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लिया। एमसीए के सचिव और अन्य अधिकारी और अध्यक्ष, आईबीबीआई समिति के सामने पेश हुए और सबूत दिए।

समिति ने 12 जनवरी, 2021 को 'दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता–नुकसान और समाधान का कार्यान्वयन' विशय पर एमसीए के प्रतिनिधियों का एक और मौखिक साक्ष्य लिया। एमसीए के सचिव और अन्य अधिकारी और अध्यक्ष, आईबीबीआई समिति के समक्ष उपस्थित हुए।

## ईएसी-पीएम को प्रस्तुति

प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी–पीएम) ने आईबीसी, इससे संबंधित मुद्दों और सुझावों आदि पर प्रस्तुतिकरण की मांग की। तदनुसार, डॉ एमएस साहू, अध्यक्ष, आईबीबीआई और श्री सुधाकर शुक्ला, डब्ल्यूटीएम, आईबीबीआई ने 24 नवंबर, 2020 को ईएसी–पीएम को प्रस्तुतिकरण दिया।

## सूचना प्रौद्योगिकी

आईबीबीआई अपनी प्रक्रियाओं में दक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के अत्यधिक महत्व को पहचानता है और इसलिए इसकी स्थापना के बाद से अपनी सेवाओं के वितरण के लिए आईटी का उपयोग करने पर जोर दिया है। इस संबंध में आईबीबीआई द्वारा की गई प्रमुख पहलें इस प्रकार हैं:

*ई–ऑफिस :* पारदर्शिता बढ़ाने, जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य सेय डेटा सुरक्षा और डेटा अखंडता सुनिश्चित करना; बेहतर ज्ञान प्रबंधन; आधिकारिक फाइलों और प्राप्तियों के प्रसंस्करण में कर्मचारियों के समय और ऊर्जा की बचत करने की कागज रहित शैली में अंतरण, आईबीबीआई को नवंबर, 2018 में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा प्रदान किए गए ई–ऑफिस एप्लीकेशन में अंतरित कर दिया गया है। ई–ऑफिस एप्लिकेशन ने ई–फाइल प्रबंधन प्रणाली को तेज और कुशल सक्षम बनाया है। रसीदों को कागज रहित तरीके से जल्दी से संसाधित किया जाता है जिससे कर्मचारियों के समय और श्रम की बचत होती है। ई–ऑफिस ने बोर्ड के अधिकारियों को वास्तविक समय के आधार पर फाइलों की स्थिति और स्थान को ट्रैक करने में सक्षम बनाया है जिससे मामलों का समय पर कार्रवाई और तेजी से निपटान हुआ है। इसने दस्तावेजों की सुरक्षा, अभिलेखों के प्रबंधन में सुधार किया है और कुशल पुनर्प्राप्ति प्रणाली स्थापित की है। डिजिटल फाइलों में इस परिवर्तन ने लॉकडाउन के दौरान बोर्ड को भरपूर लाभ दिया है। कोविड–19 के समय में इसने बोर्ड के अधिकारियों को अपने–अपने घरों में सुरक्षित रहते हुए कार्यालय का काम निपटाने में मदद की। ई–ऑफिस का उपयोग पेपरलेस टूर अनुमोदन के लिए भी किया जा रहा है। पैकेज में ज्ञान प्रबंधन प्रणाली भी शामिल है, जो नीतियों और दिशानिदेशों जैसे विभिन्न दस्तावेजों के केंद्रीकृत भंडार के रूप में कार्य करती है। बोर्ड आंतरिक और बाह्य शिक्षण दस्तावेजों को आंतरिक उपयोग के लिए पोर्टल पर अपलोड करता है।

*ई–मीटिंग्स :* कोविड–19 महामारी के फैलने से पहले ही, आईबीबीआई ने माइक्रोसॉफ्ट टीम्स नामक ई–मीटिंग या ऑनलाइन मीटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करना शुरू कर दिया, ताकि इससे जुड़ी दक्षताओं का दोहन करने के लिए मीटिंग आयोजित की जा सके। इस परिवर्तन ने बोर्ड को अच्छी तरह से भुगतान किया, क्योंकि लॉकडाउन की अवधि के दौरान भी, बोर्ड जीबी बैठकें, आईबीबीआई के भीतर आंतरिक बैठकें और बाहरी संगठनों, विशेशज्ञों और सेवा प्रदाताओं के साथ बैठकें कर सका। ई–मीटिंग प्लेटफॉर्म देश और दुनिया भर में फैले हितधारकों के लिए लागत प्रभावी, समय बचाने और सक्षम भागीदारी वाला सिद्ध हुआ है। बोर्ड लॉकडाउन के दौरान बैठकें आयोजित करने में सक्षम रहा और कर्मचारी उत्पादकता में बिना किसी नुकसान के योगदान देने में सक्षम रहे।

*वेबसाइट :* आईबीबीआई ने डोमेन नाम www.ibbi.gov.in रजिस्ट्रीकृत किया और नवंबर, 2016 में अपनी गतिविधियों के प्रसार के लिए एक वेबसाइट शुरू की। वेबसाइट को संहिता के अधीन अदालतों और न्यायाधिकरणों, बोर्ड और डीसी द्वारा पारित आदेश, सेवा प्रदाताओं, नियामक ढांचे, परीक्षाओं, आदेशों के बारे में विवरण प्रसारित करने के लिए बढ़ाया गया। यह समय पर निर्णय लेने के लिए हितधारकों की सुविधा के लिए संहिता के अधीन उनसे संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं और रूपों का विवरण भी होस्ट करता है।

*ऑनलाइन परीक्षा :* अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के अधीन, व्यक्ति आईपी के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने के लिए पात्र है यदि उसने परीक्षा

उत्तीर्ण की है। आईबीबीआई ने 31 दिसंबर, 2016 से एक आईटी सक्षम परीक्षा उपलब्ध कराई है। परीक्षा कई स्थानों से प्रतिदिन ऑनलाइन दी जाती है। इसी तरह, मूल्यांकक के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने के लिए, किसी को संबंधित आस्ति वर्ग की मूल्यांकन परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता होती है। आईबीबीआई ने 31 मार्च, 2018 से मूल्यांकन नियमों के अधीन तीन परिसंपत्ति वर्गों, भूमि और भवन, संयंत्र और मशीनरी, प्रतिभूतियों या वित्तीय संपत्तियों के लिए आईटी सक्षम मूल्यांकन परीक्षा उपलब्ध कराई। रजिस्ट्रीकरण, भुगतान, नामांकन, उत्पादन सहित पूरी प्रक्रिया प्रश्न पत्र और मूल्यांकन स्वचालित है।

*ऑनलाइन रजिस्ट्रीकरण :* आवेदन जमा करने और आईपी के लिए रजिस्ट्रीकरण शुल्क के भुगतान सहित रजिस्ट्रीकरण की पूरी प्रक्रिया स्वचालित है। आईबीबीआई संबंधित आईपीए के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन के साथ–साथ आईपी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए शुल्क स्वीकार करता है और ऑनलाइन रजिस्ट्रीकरण प्रदान करता है। रजिस्ट्रीकृत आईपी का विवरण उसके रजिस्ट्रीकृत होते ही वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाता है।

*सार्वजनिक परामर्श :* आईबीबीआई का यह प्रयास रहा है कि विनियमन बनाने के लिए पारदर्शी और परामर्शी प्रक्रिया के माध्यम से हितधारकों के साथ प्रभावी ढंग से जुड़ें। यह अपनी वेबसाइट पर मसौदा विनियमन डालता है, जो टिप्पणियों और सुझावों को प्राप्त करने और संसाधित करने के लिए संरचित इलेक्ट्रॉनिक मंच प्रदान करता है। यह मौजूदा नियामक ढांचे पर टिप्पणियों और सुझावों की क्राउडसोर्सिंग के लिए संरचित इलेक्ट्रॉनिक मंच भी प्रदान करता है।

*डेटाबेस तक पहुंच :* आईपी को आईआरपी, आरपी या परिसमापक के रूप में केवल तभी नियुक्त किया जा सकता है, जब उसके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित न हो, चाहे वह सीआईआरपी के संबंध में आवेदक या सीओसी द्वारा प्रस्तावित हो। यदि एए आईपी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित है या नहीं, और एए तक पहुंचने के लिए आईबीबीआई की प्रतिक्रिया के लिए पूछताछ करने के लिए एए आईबीबीआई को संदर्भ भेजता है तो इसमें काफी समय लगेगा। यह देखते हुए कि समय संहिता का सार है, आईबीबीआई ने एए को आईपी के लाइव डेटाबेस तक पहुंच प्रदान की है जो एए को तत्काल एक आईपी नियुक्त करने में सक्षम बनाता है और परिणामस्वरूप तेजी से निपटान सुनिश्चित करता है। एएफए वाले आईपी का डेटा भी वेबसाइट पर डाला गया है।

*नागरिक सेवाएं :* आईबीबीआई आरटीआई अधिनियम, 2005 के अधीन आवेदनों और अपीलों को ऑनलाइन देखता है। यह ऑनलाइन सीपीजीआरएएमएस में प्राप्त शिकायतों को भी निपटाता है। यह पारदर्शी और जवाबदेह खरीद के लिए सरकारी ई–मार्केटप्लेस का उपयोग करता है

*भर्ती :* सभी भर्ती अधिसूचनाएं और उनके परिणाम आईबीबीआई की वेबसाइट पर 'करियर' अनुभाग के अधीन होस्ट किए जाते हैं।

*निविदाएं :* आईबीबीआई द्वारा जारी सभी निविदाएं (किसी भी संशोधन सहित) आईबीबीआई की वेबसाइट पर 'निविदाएं' खंड के अधीन आमंत्रित की जाती हैं।

*पक्ष–समर्थन :* आईबीबीआई द्वारा अपने हितधारकों के लिए आयोजित की जाने वाली कार्यशालाओं/सेमिनारों/सम्मेलनों का विवरण आईबीबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

## *परिसर*

आईबीबीआई दो कार्यालय परिसरों नामतः सातवां तल, मयूर भवन, शंकर मार्केट, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली और द्वितीय तल, जीवन विहार, संसद मार्ग, नई दिल्ली से कार्य करता है।

## वार्षिक दिवस समारोह

आईबीबीआई ने 01 अक्टूबर, 2020 को अपना चौथा वार्षिक दिवस मनाया। इस उत्सव में कोविड–19 के मद्देनजर सीमित संख्या में गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति देखी गई। हालांकि, हजारों हितधारकों ने इस कार्यक्रम को युट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से लाइव देखा।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में माननीय वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भाग लिया। अपने संबोधन में, उन्होंने कोविड–19 महामारी के बाद नागरिकों की पीड़ा को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कई उपायों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि कोविड–19 व्यतिक्रमों के संबंध में कारपोरेट दिवाला की फाइलिंग को निलम्बित करने के लिए संहिता में संशोधन एक ऐसा कदम था जो व्यवसायों को समय से पहले बंद होने से बचाने के लिए आवश्यक था। उन्होंने उम्मीद जताई कि मांग बढ़ने और घरेलू और विदेशी निवेश बढ़ने से अर्थव्यवस्था में जल्द ही सुधार आएगा।

*01 अक्टूबर, 2020 को माननीय वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री अनुराग सिंह ठाकुर*

अपनी स्थापना के उपलक्ष्य में, आईबीबीआई ने वार्षिक दिवस व्याख्यान श्रृंखला की स्थापना की है। श्री गिरीश चंद्र मुर्मू, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने 'आईबीसीः अनुकूलनशीलता एक महामारी के समय में सुधार की कुंजी है' पर चौथा वार्षिक दिवस व्याख्यान दिया। उन्होंने देखा कि दिवाला कानून ने उधारकर्ताओं के बीच एक महत्वपूर्ण व्यवहारिक परिवर्तन का नेतृत्व किया है क्योंकि ऋण का भुगतान न करना अब कोई विकल्प नहीं है और फर्म का स्वामित्व अब एक दैवीय अधिकार नहीं है और इक्विटी अब फर्म के मालिक होने का एकमात्र मार्ग नहीं है। उन्होंने देखा कि इस व्यवहारिक परिवर्तन के परिणामस्वरूप आईबीसी के बाहर लेनदारों के लिए पर्याप्त वसूली हुई और फर्मों के प्रदर्शन में सुधार हुआ। उन्होंने कहा कि समय के लिए प्रासंगिक बने रहने के लिए आईबीसी जैसे कानून के लिए अनुकूलनशीलता सबसे जरूरी है।

*01 अक्टूबर, 2020 को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, श्री गिरीश चंद्र मुर्मू*

## राष्ट्रीय क्विज

आईबीबीआई ने डलळवअ.पद के सहयोग से, देश भर में विभिन्न हितधारकों के बीच संहिता के बारे में जागरूकता और समझ को बढ़ावा देने के लिए 01–31 जुलाई, 2020 से 'दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 पर राष्ट्रीय ऑनलाइन क्विज' आयोजित की थी। क्विज को 1.26 लाख प्रतिभागियों के साथ जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। भारत के हर राज्य और हर संघ राज्य क्षेत्र से प्रतिभागी शामिल हुए। सी&एजी ने क्विज के शीर्ष तीन विजेताओं को पदक और नकद पुरस्कार प्रदान किए।

*आईबीसी राष्ट्रीय क्विज विजेताओं को 01 अक्टूबर, 2020 को पुरस्कार*

## तनावग्रत आस्ति मंच

दिवाला समाधान ने समाधान योजनाओं, अंतरिम वित्त और परिसमापन आस्तियों के मामले में संकटग्रस्त संपत्तियों के लिए बाजार खोल दिया है। किसी भी बाजार में मूल्य की खोज कुशल होती है यदि इसमें कई प्रतिभागी हों और पूर्ण पारदर्शिता हो। कुशल मूल्य खोज के हित में, आईबीबीआई ने संकटग्रस्त संपत्तियों के लिए बाजार के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मंच प्रदान करने के लिए नेशनल ई–गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड को सूचीबद्ध किया है। इस अवसर पर माननीय मंत्री जी ने मंच का उद्घाटन किया।

*01 अक्तुबर, 2020 को तनावग्रस्त आस्ति मंच का उद्घाटन*

## अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, संयुक्त राष्ट्र की इस वर्ष की थीम 'वीमेन इन लीडरशिपः अचीविंग एन इक्वलय फ्युचर इन कोविड–19 वर्ल्ड' की तर्ज पर आईबीबीआई ने 8 मार्च, 2021 को एक संगोष्ठी का आयोजन किया। इस अवसर पर लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष सुश्री सुमित्रा महाजन मुख्य अतिथि थीं। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि आईपी के उभरते व्यवसाय सहित महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं। महामारी के दौरान उनकी भूमिका असाधारण रही है।

इस अवसर पर संबोधित करने वाले अन्य गणमान्य व्यक्तियों में सुश्री सुधा आर. रेलंगी, निदेशक (अभियोजन), केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरोय सुश्री माधवी दीवान, अपर महाधिवक्ता; और सुश्री तृप्ति सिंघल सोमानी, संस्थापक, वुमेनोवेटर और सह–अध्यक्ष, एमएसएमई समिति, पीएचडीसीसीआई शामिल थे। 'इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स एंड वीमेनः मल्टी टास्कर्स' संबंधी तकनीकी सत्र का संचालन सुश्री ज्योति विज, उप महासचिव, फिक्की ने किया। संगोष्ठी में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की सलाहकार सुश्री ज्योति जिंदगर द्वारा संचालित 'संहिता के अधीन सफल समाधान' विशय पर अनुभव साझा करने के लिए भी एक सत्र था। सेमिनार का सीधा प्रसारण किया गया।

## आईएआईआर कार्यकारी समिति

डॉ. (सुश्री) मुकुलिता विजयवर्गीय, डब्ल्यूटीएम, आईबीबीआई को एक वर्श की अवधि के लिए 4 नवंबर, 2020 को आयोजित अपनी वार्षिक आम बैठक में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इन्सॉल्वेंसी रेगुलेटर्स (आईएआईआर) की कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में चुना गया। कार्यकारी समिति आईएआईआर का निर्णय लेने वाला प्राधिकरण है, जो आईएआईआर के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक सभी निर्णय और कार्य करता है।

## सूचना का अधिकार और पारदर्शता

आईबीबीआई, पारदर्शिता के हित में, अपनी वेबसाइट पर नियमों, परिपत्रों और निर्णयों और सेवा प्रदाताओं के विवरण और संहिता के अधीन प्रक्रियाओं से संबंधित विभिन्न खुलासे करता है। इसने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आरटीआई अधिनियम) की धारा 4 के अधीन निर्धारित खुलासे को अद्यतन किया, इसके अलावा इसे संबोधित किसी भी नागरिक के आवेदन पर जानकारी प्रदान की जा रही है।

आईबीबीआई ने श्री उमेश कुमार शर्मा, सीजीएम को अधिनियम के अधीन किए गए आवेदन पर किसी भी नागरिक को जानकारी प्रदान करने के लिए 19 अगस्त, 2019 को आरटीआई अधिनियम की धारा 2 (ज) के अधीन केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के रूप में नामित किया। आईबीबीआई में अधिकारी की प्रतिनियुक्ति के पूरा होने पर, डॉ सुनील कुमार, डीजीएम को 01 जुलाई, 2020 से सीपीआईओ के रूप में नामित

किया गया था।

आईबीबीआई ने श्री के.आर. साजी कुमार, ईडी को 19 अगस्त, 2019 को आरटीआई अधिनियम की धारा 19(1) के अधीन सीपीआईओ के आदेशों के विरुद्ध अपीलों के निपटान के लिए प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) के रूप में नामित किया। अपने मूल कैडर में उनके प्रत्यावर्तन पर, डॉ अनुराधा गुरु, ईडी को 11 जनवरी, 2021 से एफएए के रूप में नामित किया गया।

सारणी 84 आरटीआई अधिनियम के अधीन 2020–21 के दौरान आवेदनों की प्राप्ति और निपटान और प्रथम अपील का विवरण प्रस्तुत करती है।

**सारणी 84 : आरटीआई आवेदन और प्रथम अपील की प्राप्ति और निपटान**

| क्र. सं. | विवरण | संख्या | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 |
| 1 | पिछले वर्ष से आगे लाए गए आवेदन | 9 | 9 | 7 |
| 2 | सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन सूचना मांगने वाले सीपीआईओ को प्राप्त आवेदन | 236 | 230 | 310 |
| 3 | आवेदन जिनके लिए सीपीआईओ द्वारा सूचना प्रदान की गई है | 236 | 232 | 305 |
| 4 | सीपीआईओ के पास लंबित आवेदन | 9 | 7 | 12 |
| 5 | पिछला साल से लाई गई अपीलें | - | 0 | 3 |
| 6 | सीपीआईओ के आदेश के विरुद्ध एफएए के समक्ष दायर अपील | 29 | 22 | 39 |
| 7 | एफएए द्वारा जिन अपीलों का निपटारा किया गया है | 29 | 19 | 39 |
| 8 | एफएए के पास लंबित अपील | 0 | 3 | 3 |
| 9 | आवेदन/अपील जिनका निर्धारित समय सीमा में निपटारा नहीं किया गया | 0 | 0 | 0 |